अष्टम माला, खंड 48, अंक 26

बुधवार, 5 अप्रैल, 1989
15 चैत्र, 1911 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

तेरहवां सत्र
(आठवीं लोक सभा)

(खंड 48 में अंक 21 से 30 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मू हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।]

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

बुधवार, 5 अप्रैल, 1989/15 चैत्र, 1911 (शक)

का

<u>शुद्धि-पत्र</u>

पृष्ठ	पंक्ति	शुद्धि
[illegible]4	15	शीर्षक में "क्रियोस्को" के स्थान पर "कियोस्को" पढ़िये।
	नीचे से 13	शीर्षक में "राजमंद्री" के स्थान पर "राजमुंद्री" पढ़िये।
[illegible]0	नीचे से 1	"तर्विषक" के स्थान पर "वार्षिक" पढ़िये।
20	नीचे से 17	शीर्षक में "निर्यात" और जाने" शब्दों के बीच "किये" शब्द अंतःस्थापित करिये।
128	4	"ए० जगमोहन" के स्थान पर "ए० जयमोहन" पढ़िये।
[illegible]9	4	शीर्षक में "बेराजगार" के स्थान पर "बेरोजगार" पढ़िये।
[illegible]0	नीचे से 6	"निजय एन०पाटिल" के स्थान पर "विजय एन० पाटिल" पढ़िये।
[illegible]5 [illegible]	नीचे से 2	"वी०एम०कृष्ण अय्यर" के स्थान पर "श्री वी०एस० कृष्ण अय्यर" पढ़िये।
36	नीचे से 14	शीर्षक में "त्रिरवण" के स्थान पर "वितरण" पढ़िये।

विषय-सूची

अष्टम माला, खंड 48, तेरहवां सत्र, 1989/1910-1911 (शक)

अंक 26, बुधवार, 5 अप्रैल, 989/15 चैत्र, 1911 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	1—27
*तारांकित प्रश्न संख्या : 492, 494, 497, 501, 505, 507 और 509	
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	27—253
तारांकित प्रश्न संख्या : 495, 496, 498 से 500, 502 से 504, 506, 508, 510 और 511	27—40
अतारांकित प्रश्न संख्या : 4775 से 4807 और 4809 से 4968	40—250
सभा पटल पर रखे गए पत्र	254—256
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति	256
63वां प्रतिवेदन	
लोक लेखा समिति	256
144वां और 145वां प्रतिवेदन	
मंत्रियों द्वारा वक्तव्य	257—263
(एक) सातवीं योजनावधि के लिए चीनी अनुज्ञापन नीति में परिवर्तन	
श्री सुख राम	257
(दो) हज तीर्थ यात्रियों के लिए मक्का और मदीना में पूर्व व्यवस्थित आवास योजना का कार्यान्वयन	
प्रो० के० के० तिवारी	260
नियम 377 के अधीन मामले	263—267
(एक) वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के वणी क्षेत्र (जिला यवतमाल) के महा-प्रबन्धक का मुख्यालय वणी के स्थान पर चन्द्रपुर जिले में टाकली गांव में स्थापित किए जाने के निर्णय की पुनरीक्षा किए जाने की मांग	
श्री उत्तमराव पाटिल	263

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित † चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस ही सदस्य ने पूछा था।

विषय	पृष्ठ
(दो) बिहार में सकरी-हसनपुर और दरभंगा-समस्तीपुर रेल लाइनों का निर्माण शुरू किए जाने की मांग	
श्री राम भगत पासवान	264
(तीन) पश्चिम उड़ीसा में "रत्न उद्यान" (जैम पार्क) स्थापित किए जाने की मांग	
डा० कृपासिन्धु भोई	264
(चार) महाराष्ट्र में भण्डारा, तुमसर और गोंदिया में एस० टी० डी० सुविधा की व्यवस्था किए जाने तथा वहां के टेलीफोन एक्सचेंजों की क्षमता बढ़ाए जाने की मांग	
श्री केशवराव पारधी	265
(पांच) केरल राज्य में काजू उद्योग में उत्पन्न संकट का समाधान किए जाने के मामले पर केरल सरकार के साथ बातचीत किए जाने और इस प्रकार तीन विधायकों के अनशन को समाप्त कराए जाने की मांग	
प्रो० पी० जे० कुरियन	265
(छः) तम्बाकू बोर्ड द्वारा आन्ध्र प्रदेश में पैदा होने वाले उच्च श्रेणी के तम्बाकू की खरीद सहमत मूल्यों पर किए जाने तथा एफ-1 और एफ-2 किस्मों के तम्बाकू के निर्यात की संभावनाओं का पता लगाए जाने की मांग	
श्री बी० एन० रेड्डी	266
(सात) असम में बार-बार आने वाली बाढ़ के नियंत्रण के लिए कदम उठाए जाने की मांग	
श्री भद्रेश्वर तांती	266
(आठ) महाराष्ट्र के जलगांव जिले में चालीसगांव में एक दूरदर्शन रिले केन्द्र स्थापित किए जाने की मांग	
श्री विजय एन० पाटिल	267
(नौ) कलकत्ता पत्तन, जहां उसकी क्षमता से आधा काम हो रहा है, का समुचित विकास किए जाने की मांग	
कुमारी ममता बनर्जी	267
केन्द्र-राज्य संबंध आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	267—286
सरदार बूटा सिंह	267
अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1989-90	287—303
ऊर्जा मंत्रालय	287
श्री सी० माधव रेड्डी	289
श्री ए० चार्ल्स	296
श्री गिरधारी लाल व्यास	300

विषय	पृष्ठ
नियम 193 के अधीन चर्चा	3 3—330
अफगान विद्रोहियों तथा पंजाब में आतंकवादियों के बीच सम्बन्ध का समाचार	
श्री बी० आर० भगत	303
श्री सैफुद्दीन चौधरी	307
श्री नरेश चन्द्र चतुर्वेदी	310
श्री रघुनन्दन लाल भाटिया	312
श्रीमती गीता मुखर्जी	313
श्री उत्तम राठौड़	315
श्री तम्मन थामस	316
श्री प्रताप भानु शर्मा	318
श्री बी० बी० रमैया	321
श्री हरीश रावत	322
श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया	326
श्री बृजमोहन महन्ती	328

लोक सभा

बुधवार, 5 अप्रैल, 1989/15 चैत्र, 1911 (शक)

लोक सभा 11 बजे म० पू० पर समवेत हुई ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए ।]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

पटसन आधुनिकीकरण निधि

[अनुवाद]

*492. श्री सत्यगोपाल मिश्र : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पटसन आधुनिकीकरण निधि की 150 करोड़ रुपये की धनराशि में से अब तक कितनी राशि वितरित की गई है;

(ख) तत्संबंधी मिल-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) वितरण की धीमी गति के क्या कारण हैं ?

वस्त्र मंत्री तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

पटसन आधुनिकीकरण निधि में से मार्च, 1989 के अन्त तक वित्तीय संस्थाओं ने 8.25 करोड़ रु० की कुल राशि वितरित कर दी गई थी । भुगतान के संबंध में मिलवार ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :—

मिल का नाम	(राशि करोड़ रु०)
ऐंग्लो इंडियन जूट मिल्स कार्पो० लि०	1.00
हेस्टिंग्स मिल (श्री दिग्विजय सीमेंट कार्पो० लि० का पटसन प्रभाग)	1.20
अयक्ता लि०	2.50
इंडिया जूट एण्ड इंड० लि०	2.01
बिरला जूट एण्ड इंड० लि०	0.50
नईहाटी जूट मिल्स कार्पो० लि०	1.04
जोड़	8.25

धनराशि का भुगतान धीरे-धीरे होने के निम्नलिखित दो मुख्य कारण हैं :—

(1) पटसन उद्योग को प्रौद्योगिकी के चयन में, खासकर वर्तुल (सर्कुलर) करघों के चयन में काफी समय लग गया।

(2) रुग्ण पटसन मिलों के लिए पुनर्स्थापन पैकेज की वित्तीय संस्थानों द्वारा बारीकी से जांच करनी पड़ती है। इनमें से अधिकांश मामले औद्योगिक तथा वित्तीय पुन-र्संस्थापन बोर्ड को भेजने पड़ते हैं। यह बोर्ड भी इन मामलों पर निर्णय लेने में समय ले लेता है।

श्री सत्यगोपाल मिश्र : पश्चिम बंगाल विधान सभा चुनाव से एकदम पहले लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए सितम्बर, 1986 के महीने में पटसन आधुनिकीकरण निधि की 150 करोड़ रुपये की धनराशि की घोषणा गई थी। इसके बाद ढाई वर्ष बीत चुके हैं और सरकार इस दौरान केवल 8.25 करोड़ रुपये वितरित कर सकी है। इस गति से तो 150 करोड़ रुपये की सारी धनराशि वितरित करने में लगभग पचास वर्ष लगेंगे इसके लिए मंत्री महोदय ने यह कारण बताया है कि मिलों द्वारा प्रौद्योगिकी के चयन में कुछ समय लगेगा। मेरा कहना यह है कि क्या सरकार को पटसन आधुनिकीकरण निधि की घोषणा करते समय यह नहीं पता था कि पटसन उद्योग के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी एक समस्या होगी? पटसन उद्योग में भारत पहले स्थान पर है। इसलिए पहले स्थान वाले देश के लिए प्रौद्योगिकी कहां से आएगी? क्या नीति की घोषणा करते समय इस मुद्दे पर विचार किया गया था अथवा क्या इसकी घोषणा तदर्थ आधार पर हुई थी?

श्री राम निवास मिर्धा : 150 करोड़ रुपये की यह निधि पटसन उद्योग के आधुनिकीकरण के लिए उत्पन्न की गई थी। अभी तक 35 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं जिन पर 160.54 करोड़ रुपये लगेंगे। इनमें से 14 मामलों में स्वीकृत राशि 57.29 करोड़ रुपये है जबकि सिर्फ 8.25 करोड़ रुपये वितरित किए गए हैं। इसके लिए सरकार उत्तरदायी नहीं है। हम कभी भी पहले से ही आवश्यक प्रौद्योगिकी, करघों या मशीनरी पर निर्णय नहीं लेते हैं। यह बताना तो, इस सहायता के लिए आवेदक पार्टियों पर निर्भर करता है कि वे क्या चाहते हैं। 57.29 करोड़ रुपये स्वीकृत होने के बाद भी मिल-मालिकों ने यह पक्का निर्णय नहीं लिया कि वे किस प्रकार की मशीनरी चाहते हैं। उन्हें तो इस बारे में भी संदेह था कि आधुनिकीकरण उनके लिए लाभप्रद होगा क्योंकि हाल ही में पश्चिम बंगाल को पटसन मिल क्षेत्र में अनेक घटनाएं घटी हैं जिनसे उन्हें आशंका हो रही है। उन्हें विश्वास नहीं है कि वे इस ऋण की अदायगी करने में समर्थ होंगे। श्रमिकों को आधा वेतन देने जैसे तरीके अपनाकर कुछ मिलों को पुनः चालू किया गया है। मिल मालिकों और श्रमिकों की यूनियनों में कुछ समझौते हुए हैं। इससे भी आधुनिकीकरण के लिए आवेदन करने वाली मिलों को आशंका होती है। इस प्रकार अत्यधिक अनिश्चितता व्याप्त है जिसके फलस्वरूप स्वीकृत राशि का भी उपयोग नहीं हुआ है। हम मिल-मालिकों से सम्पर्क बनाए हुए हैं ताकि हम प्रौद्योगिकी आदि के विषय में उनकी मदद कर सकें। हमने स्थानीय निर्मित मशीनरी पर उत्पादन शुल्क कम कर दिया है। हम निर्यात, घरेलू बाजार में बिक्री के लिए तथा विस्तार के लिए अति-रिक्त सहायता दे रहे हैं और हम अनेक तरह से सहायता कर रहे हैं लेकिन यह तो उन्हीं को सुनिश्चित करना है कि कम से कम स्वीकृत ऋण का उपयोग तो हो।

श्री सत्यगोपाल मिश्र : इस तथ्य को नकारा नहीं जा सकता कि पटसन उद्योग गंभीर संकट

का सामना कर रहा है। इस समस्या का समाधान करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार तथा विभिन्न ट्रेड यूनियनों ने पटसन उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने का प्रस्ताव किया है। अब धनराशि भी उपलब्ध है। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि अब आधुनिकीकरण के लिए धनराशि उपलब्ध है तो क्या उनका मंत्रालय इस अवसर का उपयोग करते हुए देश के पटसन उद्योग का राष्ट्रीयकरण करेगा और इसका आधुनिकीकरण करेगा ?

श्री राम निवास मिर्धा : इस स्थिति में एक दुर्भाग्यपूर्ण पहलू यह है कि जब भी हम मजदूर संघों के नेताओं या पश्चिम बंगाल सरकार से वार्ता करना चाहते हैं तो वे कहते हैं कि 'राष्ट्रीयकरण कीजिए'। (व्यवधान) यह समाधान नहीं है। हमने एन० टी० सी० का राष्ट्रीयकरण किया है और यह प्रति वर्ष 35-45 करोड़ रुपये तक घाटे में चल रहा है। इस प्रकार अत्यधिक अव्यावहारिक और गैर- रचनात्मक ऊपर से स्थिति और अधिक पेचीदा हो जाती है। वे उद्योग अथवा उत्पादकता में सुधार के बारे में कोई बातचीत करने के लिए तैयार नहीं हैं। वे पूंजीपतियों के साथ तो कम मजदूरी पर भी सहमत हो जाएंगे लेकिन एन० टी० सी० के संबंध में वे हड़ताल पर चले जाते हैं। ट्रेड यूनियनों का यह रवैया है और पश्चिम बंगाल सरकार उनका समर्थन करती है। इससे स्थिति पेचीदा हो गई है और राष्ट्रीयकरण से कोई लाभ नहीं होगा।

श्री आनन्द गजपति राजू : महोदय, पटसन आधुनिकीकरण निधि में से कितनी राशि कार्यशील के सुधार के लिए रखी गई है ताकि आंध्र प्रदेश में पटसन के उत्पादक बेहतर फसल उगाने के तरीकों, अधिक धनराशि देने के कारण लाभान्वित हो सकें और उन्हें अधिक आय हो सके। यदि यह प्रक्रिया सही तरह से कार्य नहीं करती है तो क्या मंत्री महोदय राष्ट्रीयकरण या पटसन व्यापार के अधिग्रहण के बारे में विचार करेंगे ?

श्री बसुदेव आचार्य : उद्योग सहित।

श्री रामनिवास मिर्धा : आप यह क्यों नहीं कहते कि पटसन उत्पादकों सहित ? यह अत्यंत सरल समाधान है। सभी राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान यह है कि सब जगह राष्ट्रीयकरण कर दें और फिर एन० टी० सी० की तरह घाटे में चलाएं और फिर ऐसी स्थिति से निकालने में हमारी मदद न करें। (व्यवधान)

यह प्रश्न इस स्थिति से सम्बद्ध है। 150 करोड़ रुपये की यह निधि पटसन उत्पादन के लिए नहीं बल्कि मिलों के लिए ही है। इसके अतिरिक्त पटसन के लिए 100 करोड़ रुपये की विशेष विकास निधि है। इन 100 करोड़ रुपयों में से लगभग 25 करोड़ रुपये कृषि विकास के लिए रखे गए हैं क्योंकि हम समझते हैं कि इस उद्योग के दीर्घकालिक हित तभी बनाए रखे जा सकते हैं जबकि पटसन की गुणवत्ता में तथा उत्पादकता में सुधार हो।

श्री आनन्द गजपति राजू : लेकिन यह धनराशि बहुत कम है।

श्री रामनिवास मिर्धा : कृपया सुनिए। इस धनराशि का भी उपयोग नहीं हुआ है। वस्त्र मंत्रालय ने यह धनराशि कृषि मंत्रालय, पश्चिम बंगाल सरकार तथा अन्य राज्य सरकारों को दी है। जो कुछ हम कर सकते हैं उसका कोई अंत नहीं है। कृषि मंत्रालय के पास जूट के विकास के लिए धन नहीं था। न ही पश्चिम बंगाल सरकार ने जूट उत्पादकों का भविष्य सुधारने के लिए योजना में कोई प्रावधान किया है। हमने स्वयं ही हस्तक्षेप किया है हालांकि यह वस्त्र मंत्रालय की

सीधी जिम्मेदारी नहीं है। हमने सोचा कि जब तक कृषि में सुधार नहीं होता यह उद्योग नहीं पनप सकता और हमने प्रधानमंत्री के निर्देशानुसार अपनी निधि में से, यह राशि निर्धारित की है जिसमें विपणन अनुसंधान तथा विस्तार सेवाओं के लिए सहायता शामिल है। हम इस धन के उपयोग के लिए राज्य सरकारों से सम्पर्क बनाए हुए हैं। धन की समस्या नहीं होगी। हम और भी प्रावधान कर सकते हैं और 25 करोड़ रुपये से अधिक धन दे सकते हैं किन्तु उन्हें इससे उसमें सुधार लाना होगा।

श्री सैयद शाहबुद्दीन : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने हमें सूचना दी है कि प्रौद्योगिकी के चयन पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। ऐसा गैर-सरकारी क्षेत्र के मामले में है। किन्तु सरकारी क्षेत्र में भी जूट उद्योग है और मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वे हमें किशनगंज में जूट मिल परियोजना, जो कि बहुत समय से लम्बित है और जिसमें काफी धन डुबोया जा चुका है, किन्तु पिछले दस वर्षों से वह बंद पड़ी है, के बारे में बताएं। तत्पश्चात् कटिहार के आसपास के जिलों में दो रुग्ण जूट मिलें भी हैं। मैं जानना चाहता हूं कि इन दो जूट मिलों के पुनर्निर्माण एवं पुनरुत्थान के लिए इस आधुनिकीकरण निधि में से क्या कुछ धन स्वीकृत किया गया है।

श्री राम निवास मिर्धा : जिन मिलों का आधुनिकीकरण किया गया है उनमें से कुछ की स्थिति वास्तव में खराब है। कुछ ऐसी स्थिति में पहुंच चुकी हैं जिनका आधुनिकीकरण नहीं किया जा सकता क्योंकि उसमें अत्यधिक धन व्यय होगा। वास्तव मे हमें एक नई मिल लगानी है किन्तु संसाधनों की कमी के कारण हम ऐसा नहीं कर पाए। बहुत अधिक धन की आवश्यकता है और 'सरपलस राशि' शून्य है। वास्तव में यह ऋणात्मक है। जैसा कि मैंने पहले कहा है हम 30 से 40 करोड़ रुपये का घाटा उठा रहे हैं। यदि हम आधुनिकीकरण करते हैं तो कम से कम बाद में इसे व्यवहार्य होना चाहिए। अन्यथा वित्तीय संस्थान हमारी सहायता नहीं करेंगे। जहां तक बिहार में कटिहार एवं अन्य क्षेत्रों का संबंध है, हम इस कारण से बंद हुई जूट मिलों का राष्ट्रीयकरण तो दूर उनका आधुनिकीकरण भी नहीं कर पाए।

श्री सैयद शाहबुद्दीन : यदि एक रोगी को बचाया नहीं जा सकता तो उसे दफन कर देना ही ठीक है।

[हिन्दी]

श्री बनवारी लाल पुरोहित : अध्यक्ष महोदय, जूट से जो माल बनता है, वह पैकिंग के काम में आता है, चाहे वह अनाज का पैकिंग हो, सीमेंट का पैकिंग हो और कैमीकल्स का पैकिंग हो। गत समय में जब जूट कम होता था, तो प्लास्टिक के पैकिंग को कन्ट्री में डेवलप किया गया और कम से कम ऐसे सैकड़ों कारखाने लगे, जिनकी 8, 8 और 10, 10 करोड़ रुपये की लागत थी और वहां पर सैकड़ों लोग काम करते हैं। अब एक नया नोटीफिकेशन निकाल दिया गया है जूट को प्रोटेक्शन देने के लिए और प्लास्टिक का पैकिंग कम्पलसरीली रिड्यूज कर दिया गया है और वे कारखाने बन्द हो रहे हैं। अब आप पालिसी बनाएं, तो एक को बचाओ और दूसरे को डुबाओ, यह तो ठीक नहीं है। क्या इसका भी आपने ख्याल किया है। उनके रेप्रेजेन्टेशन्स भी आपके पास आए होंगे। हमारी कांस्टीटुएंसी में हजारों मजदूर बेकार होने वाले हैं और प्लास्टिक के पैकिंग के कारखाने बन्द होने वाले हैं। क्या इसके बारे में आपने विचार किया है। एक को बचाओ और दूसरे को डुबाओ, यह नहीं होना चाहिए क्योंकि सैकड़ों, करोड़ों रुपये की लागत से बनाए गये

कारखाने बन्द हो रहे हैं। कोई पालिसी बनाते वक्त क्या सरकार इस पर विचार करेगी ?

श्री राम निवास मिर्धा : अध्यक्ष महोदय, पिछले कुछ वर्षों में सिंथेटिक के बोरे बनाने के कारखाने लगे और उसकी वजह से जूट उद्योग को बड़ा भारी धक्का लगा है और उस धक्के को कुछ कम करने के लिए इस सदन ने कानून बनाया है, जिसमें कहा गया है कि किस तरह से कुछ पैकेजिंग कम्पलसरी बनाएं जैसे फूडग्रेन्स शत-प्रतिशत जूट के बोरे में जाने चाहिए, शुगर, शक्कर शत-प्रतिशत इसमें जानी चाहिए, फर्टीलाइजर्स में भी थोड़ा हेर-फेर किया है, यूरिया भी शत-प्रतिशत इसमें जाना चाहिए, सीमेंट में भी कुछ प्रतिशत बनाया गया है। उसकी वजह से, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि जो सिंथेटिक बोरे बनाने के कारखाने हैं, उनके कुछ प्रतिवेदन हमारे पास आए हैं और इस कानून में हम हर साल रिव्यू करते रहते हैं कि किस तरह से इसको किया जाए और हम यही कोशिश कर रहे हैं कि जूट उद्योग के साथ जो दूसरे उद्योग आए हैं, उनके हितों पर कुठाराघात न हो और दोनों मिल कर एक ऐसी पैकेजिंग पालिसी बनाएं, जिसमें दोनों सेक्टर्स एगजिस्ट कर सकें।

श्रमिकों को विदेश भेजने के संबंध में विदेशों के साथ समझौता

[अनुवाद]

*494. प्रो० पी० जे० कुरियन : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्रमिकों को विदेश भेजने के लिए भारत ने किन-किन के साथ समझौते किये हैं;

(ख) क्या उन देशों में भारतीय श्रमिकों को दिए जाने वाले और अन्य सुविधाओं के बारे में भी कोई समझौते किए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्री (श्री बिन्देश्वरी दुबे) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

भारत और कतार के बीच जनशक्ति नियोजन की व्यवस्था से संबंधित करार पर 11-4-1985 को हस्ताक्षर किए गए थे। जोर्डन के साथ समझौता ज्ञापन पर 22 अक्तूबर, 1988 को हस्ताक्षर किए गए थे। इनमें व्यवस्था है कि कर्मकारों को ठेके के आधार पर नियोजित किया जायेगा जिसमें नियोजन की शर्तें अर्थात् मजदूरी, रोजगार की अवधि, आवास और अन्य ब्यौरे शामिल होंगे। इसके अतिरिक्त विदेशी नियोजक भारत से कार्य-स्थल तक तथा सेवा की समाप्ति पर वापसी टिकट के लिए कर्मकारों की यात्रा लागत को वहन करेगा। कर्मकार उस देश के विनियमों के अनुसार भारत में अपनी बचत राशि को भेज सकेंगे। इनमें विवादों के निपटान की भी व्यवस्था है। इनके ब्यौरे करार और समझौता ज्ञापन में दिए गए हैं, जो अनुबंध पर हैं।

अनुबंध

भारत गणराज्य, जिसका प्रतिनिधित्व श्रम मंत्रालय द्वारा किया गया है तथा कतार राज्य, जिसका प्रतिनिधित्व श्रम और सामाजिक कार्य मंत्रालय द्वारा किया गया है, के बीच जनशक्ति रोजगार व्यवस्था संबंधी करार

दोनों देशों के बीच हुए समझौते को सुदृढ़ करने की इच्छा से तथा भारतीय जनशक्ति की

कतार राज्य में प्रवेश की व्यवस्था करने के उद्देश्य से दोनों देशों की सरकारों ने यह स्वीकार कर लिया है।

अनुच्छेद-I

भारत गणराज्य में श्रम मंत्रालय और कतार राज्य में श्रम सामाजिक कार्य मंत्रालय इस दस्तावेज के उपबंधों को लागू करेंगे।

अनुच्छेद-II

भारत में जनशक्ति की भर्ती और इसका कतार में प्रवेश देशों के संगत कानूनों, नियमों तथा प्रक्रियाओं के अनुसार विनियमित किया जाएगा।

अनुच्छेद-III

कतार राज्य का श्रम और सामाजिक कार्य मंत्रालय भारतीय जनशक्ति के नियोजन के लिए कतार राज्य के नियोजकों के भर्ती आवेदन पत्र भारत सरकार के श्रम मंत्रालय को प्रस्तुत करेगा। श्रम मंत्रालय ऐसे आवेदनों की मांग को उपलब्ध सम्भावताओं के भीतर पूरा करने का करेगा।

अनुच्छेद-IV

यदि कतार राज्य का कोई नियोजक विशिष्ट योग्यता तथा अनुभव वाले भारतीय जनशक्ति के लिए आवेदन करता है तो उसे राज्य के श्रम और सामाजिक कार्य मंत्रालय को दिए गए आवेदन पत्र इसे निर्दिष्ट करना चाहिए।

अनुच्छेद-V

यदि श्रम मंत्रालय कतार राज्य के नियोजक की मांगों को पूरा नहीं कर सकता है या यदि कतार का नियोजक उक्त अनुच्छेद में यथा निर्धारित भर्ती करने के लिए इच्छुक नहीं है तो वह कतार में अपनी कम्पनी या अपने प्रतिष्ठान में कार्य करने के लिए भर्ती कर सकता है या भर्ती करने तथा सारी प्रक्रियात्मक अपेक्षाओं को करने के लिए अपने पास काम कर रहे किसी प्रतिनिधि को या श्रम मंत्रालय के साथ पंजीकृत भर्ती एजेंट को प्राधिकृत कर सकता है।

अनुच्छेद-VI

भर्ती आवेदन-पत्र में अन्य बातों के साथ-साथ अपेक्षित योग्यताओं, अनुभव और विशेषज्ञताओं का उल्लेख किया जाएगा इसमें संविदा की अवधि, रोजगार की शर्तें, विशेषकर स्वीकृत किया गया वेतन, सेवा प्रसुविधाओं तथा परिवहन संबंधी सुविधा के प्रयोजन आवास तथा ऐसी सारी मूल सूचना शामिल की जाएगी जिससे श्रमिक श्रम संविदा पर हस्ताक्षर करने संबंधी निर्णय ले सके।

अनुच्छेद-VII

श्रम मंत्रालय कतार राज्य में काम करने के इच्छुक श्रमिकों के लिए डाक्टरी जांच, पासपोर्ट या प्रस्थान परमिट प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए आवश्यक कार्रवाइयां करेगा। यह मंत्रालय इन श्रमिकों को कतार राज्य में विद्यमान परिस्थितियों, वहां की जीवन निर्वाह लागत और स्तर संबंधी सूचना भी देगा।

अनुच्छेद-VIII

नियोजक सेवा प्रारंभ करने पर भारत से कतार में कार्य स्थल तक श्रमिक का यात्रा व्यय तथा उसकी सेवा समाप्त होने पर उसका वापसी किराया भी वहन करेगा। नियोजक संविदा के अंतर्गत दी गई छुट्टी की अवधियों के लिए कतार से भारत तथा वापस कतार में जाने के लिए श्रमिकों का यात्रा व्यय भी वहन करेगा। नियोजक को श्रमिक की भारत वापसी का किराया देने से छूट दी जाएगी, बशर्ते कि श्रमिक संविदा अवधि पूरी होने से पहले वैध बहानों (एक्सक्यूजिज) के बिना अपना कार्य अंतिम रूप से छोड़ देता है या कानून द्वारा परिभाषित कारणों से, जैसे कि श्रम संविदा के उल्लंघन या कतार श्रम कानून के अनुच्छेद 20 में उल्लिखित कारणों में से किसी एक कारण से उसकी सेवा समाप्त कर दी जाती है।

अनुच्छेद-IX

कतार के भारतीय श्रमिकों के नियोजन की शर्तें श्रमिक और नियोजक के बीच एक वैयक्तिक श्रम अनुबंध द्वारा निर्धारित की जाएंगी। श्रम अनुबंध का नमूना संलग्न है जिसमें केवल दोनों सरकारों की परस्पर सहमति से ही कोई परिवर्तन किया जा सकता है। कतारी श्रम कानूनों के उपबंधों का उल्लंघन किए बगैर इस अनुबंध में अधिकारों तथा दायित्वों सहित नियोजन की मूल शर्तों का भी स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाएगा।

अनुच्छेद-X

वैयक्तिक श्रम अनुबंध में श्रमिक के लिए आवास स्थान और डाक्टरी इलाज के बारे में नियोजक के दायित्वों का सविस्तार उल्लेख किया जाएगा।

अनुच्छेद-XI

कतार देश में श्रम एवं समाज कार्य मंत्रालय तथा वहां के न्यायालय श्रम अनुबंध के केवल अंग्रेजी और अरबी रूपान्तरों को ही प्रामाणिक रूपान्तर मानेंगे। श्रम एवं समाज कार्य मंत्रालय के अनुमोदन के बाद श्रमिकों के लाभ के लिए उनकी सेवा शर्तों में सुधार के प्रयोजन से किए गए संशोधनों और परिवर्तनों को छोड़कर नियोजक को श्रम अनुबंध के उपबंधों में संशोधन करने या उनमें परिवर्तन करने का कोई अधिकार नहीं होगा। यदि एकीकृत आदर्श रोजगार अनुबंध में उल्लिखित प्रथम पक्ष और द्वितीय पक्ष के बीच रोजगार अनुबंध के बारे में कतार में कोई विवाद उत्पन्न होगा तो कतारी न्यायालयों की अपेक्षाओं के अनुसार अरबी रूपान्तर ही अभिभावी होगा।

अनुच्छेद-XII

श्रम अनुबंध कतार देश में भारत गणराज्य के दूतावास या वाणिज्य दूतावास द्वारा अधिप्रमाणित किए जाएंगे और यदि अनुबंध भारत में सम्पन्न किया जाएगा, तो उस भारत में स्थित कतार के दूतावास या वाणिज्य दूतावास द्वारा अधिप्रमाणित किया जाएगा।

अनुच्छेद-XIII

श्रम अनुबंध अपनी मियाद की समाप्ति पर समाप्त हो जाएगा और उसके लिए किसी अलग अधिसूचना की आवश्यकता नहीं होगी। यदि नियोजक अनुबंध को जारी रखना चाहे, तो वह अनुबंध के समापन से कम से कम तीस दिन पहले उसके नवीकरण के बारे में अपनी इच्छा लिखित

रूप में संबंधित श्रमिक को अधिसूचित करेगा। अनुबंध को और अवधि के लिए नवीकृत किया जा सकेगा बशर्ते कि प्रथम और द्वितीय पक्ष उसके लिए परस्पर सहमत हों।

अनुच्छेद-XIV

श्रमिक अपने वेतन में से जो कुछ भी बचत कर पाएगा, वह उसे कतार के विनिमय एवं अन्य वित्तीय विनियमों के अनुसार भारत भेज सकने का हकदार होगा।

अनुच्छेद-XV

नियोजक और श्रमिक के बीच विवाद की सूरत में श्रम एवं समाज कार्य मंत्रालय में सक्षम निकाय के पास शिकायत पेश की जाएगी ताकि वह उसका निर्णय करा सके। यदि कोई सौहार्दपूर्ण समझौता नहीं हो पाता तो शिकायत कतार के सक्षम न्यायिक प्राधिकारियों को भेज दी जाएगी।

अनुच्छेद-XVI

प्रत्येक पक्ष के तीन-तीन सदस्य शामिल करके एवं संयुक्त समिति बनाई जायगी जिसके जिम्मे निम्नलिखित कार्य होंगे :—

1. इस करार के कार्यान्वयन के लिए दोनों देशों में समन्वय स्थापित करना और इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही करना।

2. इस संबंध में किसी विवाद की सूरत में इस करार के उपबंधों का निर्वचन एवं अर्थ निर्णय करना और उसे लागू करने में हो सकने वाली कठिनाइयों का समाधान करना।

3. जब कभी आवश्यक हो, इस करार के किसी भी अनुच्छेद की पुनरीक्षा करने या उसमें संशोधन करने के बारे में सुझाव देना।

यह समिति समय-समय पर हर दो वर्ष में एक बार या आवश्यक होने पर उससे पहले भी परस्पर तय हुई तारीख व स्थान पर बैठकें करेगी।

अनुच्छेद-XVII

वर्तमान करार बाद में अनुसमर्थन की शर्त के अध्यधीन किया गया है और यह हस्ताक्षर किए जाने की तारीख से अनंतिम रूप से लागू होगा और अनुसमर्थन प्रलेख के आदान-प्रदान की तारीख से अन्तिम रूप से लागू होगा और दोनों सरकारों की परस्पर सहमति से इसमें संशोधन किया जा सकेगा। यह करार चार वर्ष की अवधि के लिए लागू रहेगा और अगली अवधि के लिए स्वतः नवीकृत हो जायगा बशर्ते कि करार के समापन की तारीख से छः माह पहले दोनों में से कोई एक पक्ष दूसरे पक्ष को करार को समाप्त करने के बारे में लिखित रूप से नोटिस न दे दे।

साक्ष्य के तौर पर अपनी सरकारों द्वारा विधिवत प्राधिकृत निम्नलिखित अधिकारियों ने इस करार पर हस्ताक्षर किए हैं और अपनी-अपनी सील लगाई हैं।

यह करार नई दिल्ली में आज सन एक हजार नौ सौ पचासी ई० के अप्रैल महीने के ग्यारहवे दिन को हिन्दी, अरबी और अंग्रेजी भाषाओं की दो-दो मूल प्रतियों के रूप में सम्पन्न

हुआ। सभी पाठ समान रूप से प्रामाणिक हैं परन्तु शंकाएं और मतभेद उत्पन्न होने की सूरत में अंग्रेजी पाठ ही अभिभावी होगा।

भारत गणराज्य के लिए व	कतार देश की सरकार के लिए
उसकी ओर से	व उसकी ओर से
श्रम मंत्री	श्रम एवं समाज कार्य मंत्री

माडल एकीकृत रोजगार संविदा

..................दिन को तदनुरूपी

के बीच

1. श्री	प्रथम पक्षकार की हैसियत	
उनका पता	के रूप में	
2. श्री		
भारत में रहने का	पहचान पत्र	धारित पासपोर्ट
व्यक्तिगत/पारिवारिक	संख्या	संख्या
	पता	

दूसरा पक्षकार

दोनों पक्षकारों में निम्नलिखित के बारे में सहमति हुई :

दूसरे पक्ष ने व्यवसाय

में प्रथम पक्ष के लिए कतार राज्य में काम करना स्वीकार किया।

I. संविदा की अवधि :

(क) इस संविदा की अवधि दूसरे पक्षकार की कतार में पहुंचने की तारीख से एक साल/दो साल है। आगे और नोटिस दिए बिना संविदा की अवधि समाप्त होते ही संविदा पर्यवसित हो जाएगा। यदि प्रथम पक्षकार इस संविदा को जारी रखने की इच्छा करता है तो वह इस संविदा को समाप्त होने से कम से कम तीस दिन पहले संविदा के भी नवीकरण करने की इच्छा के बारे में लिखित रूप में दूसरे पक्षकार को नोटिस देगा। संविदा को पहले पक्षकार और दूसरे पक्षकार के बीच आपसी सहयोग के अध्यधीन आगे की अवधि के लिए नवीकृत किया जायेगा।

(ख) संविदा को दोनों पक्षकारों की सम्मति के बिना इसकी अवधि की समाप्ति से पहले पर्यवसित नहीं किया जाएगा, और दूसरा पक्षकार काम को अंतिम रूप से छोड़ते समय प्रथम पक्षकार को देय अपने सभी ऋणों को अदा करेगा।

II. यात्रा व्यय

(क) प्रथम पक्षकार दूसरे पक्षकार का भारत में शहर से कतार राज्य में काम करने के स्थान तक जाने और वापस आने का खर्च अदा करेगा। नियोजक को छुट्टी की अवधि में श्रमिक का कतार से भारत आने तथा कतार वापस जाने का यात्रा खर्च भी वहन करना होगा, जैसे कि व्यक्ति विशेष के रोजगार संविदा में व्यवस्था की गई है। इस खर्चे में पासपोर्ट प्राप्त करने या किसी प्रकार की बीमा राशि अदा करने का खर्च शामिल नहीं है।

(ख) यदि दूसरा पक्षकार विधिविरुद्ध कारणों से संविदा की अवधि समाप्त होने से पहले ही उसे रद्द करता है या यदि उसकी सेवाएं विधि द्वारा परिनिश्चित कारणों के लिए जैसे नियोजन संविदा भंग करना या कतार श्रम विधि के अनुच्छेद 20 में उल्लिखित किन्हीं कारणों से समाप्त की जाती है तो नियोजक को प्रथम पक्षकार को वापसी खर्च अदा करने की छूट दी जाएगी।

III. पेशगी

(क) प्रथम पक्षकार दूसरे पक्षकार के व्यक्ति को, यदि वह चाहता हो तो, उसकी यात्रा करने से पहले (लगभग एक माह के वेतन के बराबर) की पेशगी-मुद्रा में अदा करेगा और उसे दूसरे पक्षकार को देय मूल वेतन की 10% (दस प्रतिशत) की राशि की दर से मासिक किश्तों में कटौती करेगा।

(ख) किश्तों की कटौती दूसरे पक्षकार द्वारा काम शुरू किए जाने के अगले महीने के वेतन से शुरू होगी।

(ग) पूर्ववर्ती दो शर्तें दूसरे पक्षकार को कतार की मुद्रा में अदा किए गए ऋण के मामले में लागू होंगी।

IV. मजदूरी और उपदान (ग्रेच्युटी)

(क) प्रतिमाह/दिन के लिए मूल वेतन..............................है। और प्रति सप्ताह में अड़तालीस सामान्य कार्य घंटे होंगे। दूसरे पक्षकार को हर शुक्रवार को सवेतन छुट्टी मिलेगी। वह कतार श्रम विधि के अनुसार समयोपरि काम के लिए भी मजदूरी प्राप्त करेगा।

(ख) उत्पादन या उजरती कार्य या नियत कार्य के कर्मकारों के लिए

....

मूल वेतन...है जो ट्रेड या व्यवसाय के अनुसार दैनिक औसत कार्य-निष्पादन के लिए निम्न प्रकार से हैं :—

———	———	———
———	———	———

दूसरे पक्षकार द्वारा पूर्ववर्ती दैनिक औसत कार्य निष्पादन से अतिरिक्त कार्य के लिए उसे निम्न प्रकार से अतिरिक्त वेतन दिया जाएगा।

....

यदि उत्पादन का कोई कार्य नहीं है तो दूसरे पक्षकार का वेतन...कतारी रियाल होगा।

(ग) प्रथम पक्षकार पैराग्राफ (क) में यथा वर्णित दैनिक समयोपरि मजदूरी को या पैराग्राफ (ख) में यथा वर्णित प्रतिदिन किए गए काम को विशेष कार्ड में लिखना स्वीकार करेगा। यह कार्ड दिन के अंत में पंजीकरण हेतु प्रथम पक्षकार को दिया जाएगा और उसके बाद उसे दूसरे पक्षकार को वापस दे दिया जाएगा।

(घ) सेवा उपादान (ग्रेच्युटी) का उद्देश्य (कतार श्रम विधि के अनुसार)

....

....

....

V. आवास और रहन-सहन

(क) प्रथम पक्षकार दूसरे पक्षकार के लिए निःशुल्क एकल आवास और पलंग तथा स्वास्थ्य दशाओं के अनुसार फ्लश वाली टट्टी की व्यवस्था करना स्वीकार करेगा।

(ख) प्रथम पक्षकार दूसरे पक्षकार के लिए शीतल पेय जल की व्यवस्था करना स्वीकार करेगा।

VI. चिकित्सीय तथा सामाजिक देख-रेख

(क) प्रथम पक्षकार दूसरे पक्षकार को कतार राज्य के अस्पताल में निःशुल्क चिकित्सीय इलाज कराने की व्यवस्था करेगा।

(ख) प्रथम पक्षकार दूसरे पक्षकार के आवास में ऐसे व्यक्ति की देखरेख में, जिसे प्रथम पक्षकार द्वारा नियत किया जाए, प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था करेगा।

(ग) प्रथम पक्षकार दूसरे पक्षकार को सेवा के दौरान या सेवा के परिणामस्वरूप श्रम दुर्घटनाओं, अपंगता या मृत्यु के लिए उसे देय क्षतिपूर्ति देना स्वीकार करेगा।

VII. छुट्टियां

(क) दूसरा पक्षकार दो सप्ताह से अन्यून सवेतन वार्षिक छुट्टी का हकदार होगा।

(ख) दूसरा पक्षकार निम्नलिखित शासकीय छुट्टियों के लिए पूरा वेतन पाने का हकदार होगा :—

ईद-उल-फितर	(लेसर बैरम)	तीन दिन
ईद-उल-अधा	(ग्रेटर बैरम)	तीन दिन
ईद-उल-इस्तिकला	(स्वतंत्रता दिवस)	एक दिन

दूसरा पक्षकार वर्ष के दौरान तीन अन्य सवेतन छुट्टियों का भी हकदार होगा। ये तीन छुट्टियां सरकार द्वारा घोषित की जाएंगी या नियोजक द्वारा सभी कर्मकारों के लिए निर्धारित की जाएंगी।

(ग) कतार श्रम विधि के उपबंधों के अनुसार, दूसरा पक्षकार प्रथम पक्षकार के साथ छह महीने की अविरत सेवा करने पर बीमारी छुट्टी का हकदार होगा। बीमारी छुट्टी को वार्षिक छुट्टी के बदले समंजित नहीं किया जाएगा।

VIII. सामान्य उपबंध

(क) दूसरा पक्षकार अपने व्यवसाय में दैनिक औसत कार्य-निष्पादन के अनुसार अपना काम करना स्वीकार करेगा। यदि वह इस दैनिक औसत से कम काम करता है तो इस संबंध में उस पर शास्ति लगाई जाएगी।

(ख) संविदा की अवधि के दौरान, दूसरा पक्षकार अन्यों के लिए काम नहीं करेगा और प्रथम पक्षकार दूसरे पक्षकार की सेवा किसी अन्य नियोजक को उधार नहीं देगा।

(ग) दूसरा पक्षकार राजनीतिक या धार्मिक कार्यों में हस्तक्षेप करने से विरत रहना स्वीकार करेगा और उसे स्थानीय परम्पराओं और रीति-रिवाजों का आदर करना होगा।

(घ) यह संविदा दोनों देशों में सक्षम प्राधिकारियों द्वारा अनुसमर्थित प्रारूप केअनुरूप है।

(ङ) कतार श्रम विधि और इसके कार्य निष्पादिक विनियमों को इस संविदा के पाठ का वैध आधार समझा जायेगा। दो पक्षकारों के बीच किसी विवाद के संबंध में विधि का सहारा लिया जाएगा यदि इस संविदा की शर्तें दूसरे पक्षकार के लिए बेहतर फायदे प्रदान न करती हों।

IX. यह संविदा अरबी और अंग्रेजी भाषाओं में किया गया है और एक मूल प्रति और तीन अन्य प्रतियां बनाई गईं, जिसमें से एक प्रति दूसरे पक्षकार को दी जायेगी।

प्रथम पक्षकार	दूसरा पक्षकार
नियोजक	कर्मकार
प्रमाणीकरण	प्रमाणीकरण
श्रम मंत्रालय	भारत में कतार गणतंत्र
भारत सरकार	राज्य का दूतावास

भारत सरकार और जोर्डन हाशमते किंगडम की सरकार के बीच जनशक्ति संबंधी समझौता

भारत सरकार और जोर्डन हाशमते किंगडम दोनों देशों के बीच समझ-बूझ और सहयोग को सुदृढ़ बनाने तथा अपने पारस्परिक संबंधों को बढ़ाने तथा अपनी जनशक्ति समस्याओं को विनियमित करने की इच्छा रखते हुए नीचे लिखे अनुसार सहमत हुई है:

अनुच्छेद 1

इस समझौता ज्ञापन में जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो—

(क) "नियोजक" से अभिप्रेत है जोर्डन में भारतीय राष्ट्रिक को रोजगार प्रदान करने या प्रदान करने की पेशकश करने वाला कोई व्यक्ति;

(ख) "नौकरी की पेशकश" से अभिप्रेत है जोर्डन में सेवा की सहमत शर्तों पर कार्य के लिए नियोजक द्वारा भारतीय कामगारों को भरती करने की पेशकश;

(ग) "जनशक्ति" या "कामगार" से अभिप्रेत है भारतीय राष्ट्रिकता वाले कामगार जिनमें अकुशल, अर्द्ध कुशल और अत्यधिक कुशल श्रेणियों और कनिष्ठ स्तर के तकनीशियन शामिल हैं।

अनुच्छेद 2

भारत से कामगारों की भरती और जोर्डन में उनके प्रवेश को दोनों देशों के संगत कानूनों, नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार नियमित किया जाए।

अनुच्छेद 3

भारत और जोर्डन में श्रम मंत्रालय अपने-अपने कानूनों के अनुरूप जनशक्ति भेजने के लिए सूचना का आदान-प्रदान करेंगे। दोनों मंत्रालय इन कार्यविधियों के कार्यान्वयन के लिए प्राधिकृत हैं।

अनुच्छेद 4

जोर्डन में नियोजकों से जनशक्ति के लिए अनुरोधों को जोर्डन के श्रम मंत्रालय का अनुमोदन प्राप्त कर लेने के बाद जोर्डन-स्थित भारतीय मिशन के माध्यम से भारत सरकार के श्रम मंत्रालय को भेजा जाएगा। कामगारों के चयन से संबद्ध आवश्यक प्रक्रियाओं को नियोजक जोर्डन स्थित भारत के राजदूतावास के माध्यम से व्यक्तिगत रूप से निपटा सकता है।

अनुच्छेद 5

नौकरी की पेशकश में अपेक्षित अर्हताएं, अनुभव, विशेषज्ञता, रोजगार की अवधि, कार्य की शर्तों का विवरण, मजदूरी, परिवहन, आवास अनुरक्षण और अन्य विवरण संबंधी सूचना शामिल होगी ।

अनुच्छेद 6

नियोजक कामगार को स्वदेश में उसके आवास से उसके कार्यस्थल तक यात्रा व्यय देने का और रोजगार संविदा की समाप्ति पर तथा नियोजक द्वारा एकतरफा रूप से संविदा रद्द करने या परिवीक्षा की अवधि के दौरान कामगार द्वारा असंतोषजनक काम के मामलों में उसे वापिस अपने देश जाने के लिए यात्रा व्यय का भुगतान करने का वचन लेता है । यदि कामगार नौकरी छोड़ देता है या संविदा की अवधि समाप्त होने से पहले एकतरफा रूप से संविदा रद्द कर देता है तो उसकी वापसी का यात्रा व्यय नियोजक वहन नहीं करेगा ।

अनुच्छेद 7

नियोजक और कामगार के बीच सम्पन्न संविदा के अनुसार कामगारों को नियोजित किया जाएगा । रोजगार संविदा में कार्य की शर्तें दी जाएंगी जिनमें स्थानीय श्रम संबंधी कानूनों/विनियमों के अनुसार कामगारों के दायित्व और अधिकार भी शामिल होंगे और यह रोजगार संविदा अंग्रेजी, अरबी और हिन्दी में तैयार की जाएगी ।

अनुच्छेद 8

कामगारों को वे अधिकार और विशेषाधिकार प्राप्त होंगे जो संबद्ध देश में श्रम और सामाजिक सुरक्षा के प्रावधानों के अनुसार मेजबान देश के कामगारों को प्रदान किए गए हैं । विवाद उत्पन्न होने पर संबद्ध प्राधिकारी श्रम कानून की प्रक्रियाओं के अनुसार इसका समाधान करने के लिए हस्तक्षेप करेगा ।

अनुच्छेद 9

कामगार, नियोजन के देश के मुद्रा विनियमों के अंतर्गत विदेश में की गई अपनी बचत को समपरिवर्त्य मुद्रा में स्थानान्तरित कर सकता है ।

अनुच्छेद 10

एक संयुक्त समिति जिसमें दोनों देशों की संगत संस्थाओं के प्रतिनिधि शामिल होंगे, निम्नलिखित बातें पूरी करेगी :—

एक समझौता ज्ञापन के कार्यान्वियन के लिए दोनों देशों के बीच आवश्यक समन्वय प्रदान करेगी ।

विवाद उत्पन्न होने की दशा में इस ज्ञापन के प्रावधानों के कार्यान्वयन और अर्थनिर्वचन से उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों का समाधान करने का प्रयास करेगी ।

आवश्यक समझे आने पर इस समझौता ज्ञापन के कुछ या सभी अनुच्छेदों में संशोधन करने या एक नया समझौता ज्ञापन सम्पन्न करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करेगी ।

वर्ष में कम से कम एक बार बैठक करेगी ।

राजनयिक माध्यमों से बैठकों की तारीख और स्थान निर्धारित करेगी।

बारी-बारी से भारत और जोर्डन में बैठकें करेगी।

अनुच्छेद 11

यह समझौता ज्ञापन इसके लागू होने की तारीख को कार्यान्वित किया जाएगा। लेकिन यह उन कामगारों पर लागू होगा जो इसके लागू होने की तारीख से पहले नियोजित किए गए हैं।

अनुच्छेद 12

इस ज्ञापन में संशोधन तभी किया जाएगा जब इससे संबंधित प्रस्ताव और इनका अनुसमर्थन प्रक्रियाओं के माध्यम से किया गया हो।

अनुच्छेद 13

यह ज्ञापन दोनों देशों के कानूनों की परिधि के अन्दर इसके अनुसमर्थन के बाद तीन वर्ष की अवधि के लिए लागू रहेगा। यदि दोनों पक्षकारों में से कोई भी पक्षकार इस समझौता ज्ञापन की समाप्ति की तारीख से कम से कम छः महीने पहले कोई विपरीत लिखित टिप्पणी नहीं देता तो, यह समझौता ज्ञापन स्वतः और तीन वर्ष की अवधि के लिए नवीकृत हो जाएगा।

जिसके साक्ष्यस्वरूप अधोहस्ताक्षरियों ने अपनी-अपनी सरकारों से विधि रूप से प्राधिकृत, इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं और अपनी-अपनी मोहर लगाई है। सन एक हजार नौ सौ अट्ठासी के अक्तूबर माह के 22वें दिन नई दिल्ली में हिन्दी, अरबी और अंग्रेजी भाषाओं में दो-दो प्रतियों में सम्पन्न हुए : सभी पाठ समान रूप से प्रमाणिक हैं सिवाय इसके कि संदेह और मतभेद की दशा में, अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।

भारत गणराज्य की ओर से	जोर्डन हाश्मते किंगडम की सरकार की ओर से
ह०/-	ह०/-
श्रम मंत्री	श्रम मंत्री

प्रो० पी० जे० कुरियन : माननीय मंत्री जी ने एक विवरण दिया है जिसमें उन्होंने कुछ बातों का जिक्र किया है और जिनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण है ऐसा टिकट देने की सलाह जिसका भुगतान पहले ही किया जा चुका हो। यह बात पहले ही नियमों में थी किंतु हाल ही में मंत्रालय ने इसे कड़ाई से लागू करने संबंधी निर्देश जारी किए हैं। अनेक मजदूर जिन्हें विदेश में रोजगार के लिए चुना गया है अपनी ड्यूटी पर नहीं जा सके क्योंकि विदेशी नियोक्ता टिकट के लिए पहले से अदा की गई राशि की सूचना देने को तैयार नहीं था। एक ओर तो इससे हमारे देश में रोजगार अवसरों पर प्रभाव पड़ा है तो दूसरी ओर विदेशी नियोजकों ने इस शर्त को सख्ती से लागू किए जाने के कारण थाईलैंड, श्रीलंका, फिलिपीन्स, पाकिस्तान आदि अन्य देशों से मजदूर भर्ती करने का प्रबंध कर लिया है। हमें दोनों ओर से नुकसान हो रहा है। आप इसके प्रभाव की भली भांति कल्पना कर सकते हैं क्योंकि पिछले 3 वर्षों के दौरान विदेश जाने वाले श्रमिकों की संख्या 4.08 लाख है। इस शर्त को कड़ाई से लागू करने का प्रभाव हमारे लोगों विशेषकर केरल से आने वाले लोगों के रोजगार की संभावनाओं पर पड़ा है। इससे हमारी विदेशी मुद्रा की आय पर भी प्रभाव पड़ा है। इसे देखते हुए मंत्रालय को इस पर पुनर्विचार करने के लिए अनेक ज्ञापन दिए

गए हैं। क्या मंत्री महोदय इस पर पुनर्विचार करने तथा इस संबंध में सदन को आश्वासन देने के लिए तैयार हैं ?

श्री बिंदेश्वरी दुबे : उत्प्रवास अधिनियम वर्ष 1983 में बनाया गया था और इस अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गत नियम बनाए गए थे। सरकार से इस अधिनियम के उपबंधों तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के कड़ाई से अनुपालन को सुनिश्चित करने की आशा की जाती है। यदि हमने इस शर्त को कड़ाई से लागू करने का आदेश दिया है तो हमने अपने कर्त्तव्य का पालन किया है। यह अधिनियम एवं उसके अंतर्गत बनाए गए नियम नए नहीं हैं। ये वर्ष 1983 से ही हैं। टिकट के लिए पूर्व अदा की राशि की सूचना संबंधी नियमों में वर्ष 1987 में संशोधन किया गया था। पहले यह उपबंध था कि विदेशी नियोजक निःशुल्क यात्रा तथा ट्रांसपोर्ट व्यय के लिए प्रबंध करेगा, चूंकि यह कुछ स्पष्ट नहीं था और अनेक शिकायतें प्राप्त हो रही थीं कि वे निःशुल्क यात्रा एवं ट्रांसपोर्ट व्यय वहन नहीं कर रहे। इसीलिए यह निर्दिष्ट किया गया था कि वे पूर्व अदा की गई राशि की टिकट का प्रबंध करेंगे, विशेषकर जाने के लिए या तो विदेशी नियोजक टिकट भेजेगा अथवा टिकट की खरीद पर खर्च होने वाली राशि के बराबर विदेशी मुद्रा देगा। मैं नहीं जानता कि पहले इसका पालन किया गया था अथवा नहीं किंतु जब संसद सदस्य श्री समर मुखर्जी तथा अन्य व्यक्तियों से शिकायतें प्राप्त हुई कि कोई अंतर्राष्ट्रीय गिरोह बेइमान तत्वों तथा निहित स्वार्थों से सांठ-गांठ करके इस शर्त का पालन नहीं कर रहे, तथा सरकार को विदेशी मुद्रा की हानि हो रही है, तो इन उपबंधों का सख्ती से पालन करने के लिए अनुदेश जारी किए गए थे। यह सही है कि मैंने अपने विभाग के अधिकारियों को निर्देश जारी किए थे कि इसका कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए और यदि कोई कमी पाई गई तो संबंधित अधिकारियों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। यह भी सही है कि हमें शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि इस अधिनियम के उपबंधों को सख्ती से लागू किए जाने के कारण विदेश जाने वाले व्यक्तियों को कठिनाई हो रही है। मैं नहीं समझता कि इससे कठिनाई होनी चाहिए। विदेशी नियोजक विदेशों में हमारे मिशनों को नियोजन करार देते समय स्पष्ट रूप से आवश्यक व्यक्तियों, रोजगार की अवधि तथा रोजगार की शर्तों का उल्लेख करते हैं जिसमें स्पष्ट बताया जाता है कि वे निःशुल्क हवाई यात्रा की सुविधा प्रदान करेंगे। अतः उनसे आशा की जाती है कि वे टिकट की खरीद पर होने वाले व्यय के बराबर विदेशी मुद्रा भेजें। इसमें कठिनाई तो नहीं होनी चाहिए। मैं इस समस्या का अध्ययन करने के लिए अपने अधिकारियों की एक टीम खाड़ी के देशों में भेज रहा हूं और उनके द्वारा रिपोर्ट दिये जाने पर यदि यह पाया गया कि वास्तव में कोई कठिनाई है और इस पर पुनर्विचार की आवश्यकता है तो मैं इस पर पुनर्विचार करूंगा।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप संतुष्ट हैं ?

प्रो० पी० जे० कुरियन : महोदय, जब मंत्री जी ने प्रारंभ में टिप्पणियां कीं तो मेरा विचार था कि उनका रुख बिल्कुल नकारात्मक रहेगा। मैं मंत्री जी को उनके उत्तर के अंतिम भाग के लिए धन्यवाद देता हूं जिसमें उन्होंने कहा है कि वे इस मामले पर अध्ययन के लिए एक टीम भेजेंगे और उसके बाद वे इस पर पुनर्विचार करने के लिए तैयार हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह सकारात्मक कदम है। अब क्या आप उस टीम में शामिल होना चाहेंगे ?

प्रो० पी० जे० कुरियन : यदि आप उन्हें मुझे भी शामिल करने का निर्देश दें तो मैं आपका आभारी रहूंगा।

प्रो० मधु दंडवते : उनसे यह पूछें कि टीम वापिस आएगी या नहीं।

प्रो० पी० जे० कुरियन : मैं नहीं जानता मंत्री महोदय ने ऐसा क्यों कहा कि वे नहीं जानते कि यह विदेशी मुद्रा पर किस प्रकार असर डालता है किंतु तथ्य यह है कि इस शर्त के कारण विदेशी नियोजक उन देशों से मजदूर चुनना बेहतर समझते हैं जहां पर इस शर्त का सख्ती से पालन नहीं किया जाता। हमें इस प्रकार काम नहीं मिलता जिसके परिणामस्वरूप विदेशी मुद्रा की भी हानि होती है। मैं नहीं जानता कि श्री समर मुखर्जी ने ऐसा लिखा है अथवा नहीं, यह उनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है, किंतु केरल में उनका दल इस बात का समर्थन कर रहा है, मैं नहीं जानता कैसे, मैं इस विषय में नहीं उलझना चाहता। चूंकि मंत्री जी एक टीम भेज रहे हैं, मैं जानना चाहता हूं कि क्या वे खाड़ी के देशों में काम कर रहे भारतीय मजदूरों की राय जानने का परामर्श, टीम को देंगे और उनकी राय को ध्यान में रखकर क्या वे पुनर्विचार करेंगे।

श्री बिंदेश्वरी दुबे : हमने विदेशों में विशेषकर खाड़ी के देशों में अपने मिशनों से पूछा है और हमें सूचना प्राप्त हुई है कि पाकिस्तान, बंगलादेश और फिलीपीन्स में हवाई यात्रा के लिए पूर्व अदायगी के लिए उपबंध बनाए गए हैं। यदि वे इसका कड़ाई से पालन नहीं करते तो अलग बात है, किंतु उपबंध बनाए गए हैं। माननीय सदस्य का कहना है कि इससे कठिनाइयां उत्पन्न हुई हैं और श्रम-शक्ति के निर्यात में कमी आई है। यह सही नहीं है। वास्तव में 1988 में इसमें वृद्धि हुई है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : हमारे यहां से भी जाते हैं और झुन्झुनू से सबसे ज्यादा भेजते हैं।

श्री मोहम्मद अयूब खां : जनाब सदरे मोहतरम, गल्फ कन्ट्रीज में सबसे ज्यादा जाने वालों में राजस्थान का भी कुछ इलाका है। वह इलाका ज्यादातर झुन्झुनू और सीकर का है। उस इलाके से बहुत बड़ी तादाद में बाहर लोग जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या की बात यह है कि उनके साथ बहुत ज्यादा अत्याचार और जुल्म होता है। (व्यवधान) फार्नर्स आकर उन लोगों से पहले वीजा के नाम पर 15-15 और 20-20 हजार रुपया इकट्ठा किया जाता है और उनमें से कुछ लोगों को भेज दिया जाता है। वे गरीब लोग ब्याज पर अपनी जमीन गिरवी रख कर पैसा लेते हैं और उनका वह पैसा बर्बाद और तबाह हो जाता है। उनमें से कुछ लोग जा नहीं पाते हैं। क्या मंत्री महोदय डिस्ट्रिक्ट-वाइज ऐसा कोई बन्दोबस्त करेंगे, जिससे यह शोषण बन्द हो सके? मैं यह चाहता हूं, सरकार द्वारा मुकर्रिर किए हुए एजेंटों के द्वारा ही जो व्यक्ति बाहर जाना चाहें, वे जा सकें और गलत आदमियों के जरिए, गलत एजेंटों के जरिए हमारा कोई भी नागरिक बाहर न जा सके।

श्री बिंदेश्वरी दुबे : महोदय, इसी तरह के शोषण को रोकने के लिए इमिग्रेशन एक्ट बनाया गया। रूल्स में भी इस बात का प्रावधान है कि कोई भी फार्नर एम्पलायर हिन्दुस्तान से मैन-पावर इम्पोर्ट करना चाहता है, यहां के लोगों को अपने यहां रखना चाहता है, वे नौकरी की शर्तें, मिनिमम वेज फिक्स करते हैं, टर्म्स एण्ड कंडीशंस आफ एंप्लायमेंट, यहां से जाने और लौटने का खर्चा भी देने के लिए जो तैयार होगा तभी हम आदमी भेजेंगे, इसके जरिए ही हम

शोषण रोकना चाहते हैं। इस तरह के शोषण की खबर मिलेगी तो हम अवश्य कड़ी कार्यवाही करेंगे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : परन्तु यह आज भी जारी है। आपको इसके सम्बन्ध में अत्यन्त कठोर रुख अपनाना होगा। विभिन्न गांवों के लोग प्रतिदिन मेरे पास आते हैं। मेरे गांव के लोग भी इसी प्रकार लूटे गए हैं।

[हिन्दी]

श्री बिंदेश्वरी दुबे : सही बात है, जब हम लोग इंसिस्ट करते हैं तो दूसरी तरफ से मांग उठती है कि इसको उठाया जाए।

[अनुवाद]

श्री सैफुद्दीन चौधरी : मैं भी यही अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहता था। यह एक बहुत गंभीर मामला है। इन सभी धोखेबाजों पर अंकुश लगाया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसका पूर्ण समर्थन करता हूं।

प्रो० मधु दंडवते : प्राइवेट ठगों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : तब, उन्हें घटा उठाना पड़ेगा।

श्री वक्कम पुरुषोत्तमन : माननीय मंत्री जी ने कहा है कि 1988 में विदेश गए व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि हुई है। यह सही है क्योंकि हालांकि यह उपबन्ध 1987 से है तथापि इसे दिसम्बर, 1988 में ही कड़ाई से लागू किया गया था। इसके लागू होने के बाद कोई नहीं जा रहा है।

श्री अयूब खां ने कहा है कि कुछ एजेंट धोखाधड़ी कर रहे हैं। दो पद्धतियों के अन्तर्गत लोग नौकरी के लिए विदेश जाते हैं। एक तो ग्रुप वीसा या ग्रुप करार द्वारा—परन्तु अधिकांश लोग व्यक्तिगत वीसा या व्यक्तिगत करार के आधार पर जाते हैं। केरल में प्रत्येक परिवार का कम से कम एक सदस्य विदेश में और विशेष तौर पर खाड़ी के देशों में नौकरी कर रहा है। वे वहां व्यक्तिगत वीसा के आधार पर जाते हैं और इसमें ऐसा नहीं है कि कोई ट्रेवल एजेंट अनेक व्यक्तियों के ग्रुप को भर्ती करके उन्हें विदेश भेजता है और पैसा कमाता है। यह भिन्न पद्धति है। अतः मैं पूछना चाहूंगा कि क्या माननीय मंत्री जी इन व्यक्तिगत मामलों को अन्य ग्रुप करारों और एजेंसी द्वारा किए गए कारोबार के साथ न जोड़कर अलग से उन पर कार्यवाही करेंगे। इन्हें अलग माना जाए और उन लोगों को पूर्व भुगतान यात्रा एडवाइस के उपबन्धों से छूट दी जाए जो नौकरी के लिए अपने व्यक्तिगत वीसा और व्यक्तिगत करार पर विदेश जाते हैं।

श्री बिंदेश्वरी दुबे : फिलहाल, अधिनियम के उपबन्ध हर प्रकार के उत्प्रवासन पर लागू होते हैं चाहे वे व्यक्तिगत हों या ग्रुप में अथवा किसी कंट्रेक्टर के माध्यम से। इसमें कोई भेद नहीं है।

विदेशों में रोजगार के इच्छुक व्यक्तियों के लिए पूर्व दत्त विमान टिकट की अपेक्षा

*497. **श्री सुरेश कुरुप :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अनेक भारतीय, जिन्हें खाड़ी के

विभिन्न देशों में नियुक्ति पत्र प्राप्त हुए थे, पूर्व दत्त टिकट की अपेक्षा संबंधी नये नियम के लागू किये जाने के कारण रोजगार के अवसर का लाभ नहीं उठा सके हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस संबंध में अपने निर्णय पर पुनर्विचार करेगी ?

श्रम मंत्री (श्री बिन्देश्वरी दुबे) : (क) उत्प्रवास अधिनियम, 1983 तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों में व्यवस्था है कि "नियोक्ता की लागत पर आने जाने का यात्रा व्यय" किसी उत्प्रवासी कर्मकार के नियोजन के लिए प्रत्येक करार में अवश्य शामिल किया जाए। विदेशी नियोक्ता द्वारा किए गए इस करार को संबंधित देश में भारतीय दूतावास द्वारा सत्यापित किया जाना आवश्यक होता है। मौजूदा उपबंध 24-2-87 से लागू हुआ तथा भर्ती केवल सत्यापित करारों के आधार पर ही की जा सकती है जिसमें यात्रा संबंधी उक्त उपबंध अवश्य होने चाहिएं। अत: पूर्व भुगतान यात्रा एडवाइस के नए नियम के कारण विभिन्न खाड़ी देशों में नियोजन के लिए भर्ती किए गए भारतीयों द्वारा अपना अवसर खो देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ख) उत्प्रवास अधिनियम, 1983 के अधीन नियमों में उपबंध उत्प्रवासियों की शोषण से रक्षा करने के लिए है तथा यह विशेष उपबंध समझा जाता है।

श्री सुरेश कुरूप : महोदय, मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि मंत्री जी का कथन आंशिक रूप से सही है।

प्रो० मधु दण्डवते : वह भी प्रशंसनीय है।

श्री सुरेश कुरूप : हालांकि पूर्व भुगतान यात्रा एडवाइस संबंधित नियम उत्प्रवासन नियम में वर्ष 1987 में शामिल किया गया था, जैसा कि अन्य माननीय सदस्य पहले ही कह चुके हैं, तथापि दिसम्बर, 1988 तक इसे कड़ाई से लागू नहीं किया गया था। किसी प्रकार दिसम्बर, 1988 से भारत सरकार ने कड़े अनुदेश दिए कि इस धारा विशेष को कड़ाई से लागू किया जाना चाहिए। निसंन्देह इसे अच्छी मंशा से लागू किया गया है परन्तु सरकार को कठोर वास्तविकताओं को ध्यान में रखना चाहिए। विदेशी नियोक्ता इसका पालन करने को तैयार नहीं हैं क्योंकि उन्हें दूसरे देशों से सस्ते मजदूर मिल सकते हैं जहां इस प्रकार का कोई उपबंध नहीं है। दुर्भाग्यवश इसे ऐसे समय में लागू किया जा रहा है जबकि इरान और ईराक में युद्ध विराम होने के कारण पश्चिम एशिया में जनशक्ति की मांग बढ़ रही है। केरल विधानमंडल ने भी एक संकल्प पारित किया था। केरल के मुख्यमंत्री ने स्वयं मंत्री जी को तीन पत्र लिखे थे जिनमें उनसे इन वास्तविकताओं को देखते हुए, इस नियम को निरस्त करने के लिए हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया गया था। यह नियम पहले भी था परन्तु 1988 तक इसे लागू नहीं किया जा रहा था।

प्रो० एन० जी० रंगा : और उनका वहां शोषण होने दिया जा रहा था।

श्री सुरेश कुरूप : हम सभी जिम्मेदार जन प्रतिनिधि हैं, इसलिए हम विदेश जाने के इच्छुक श्रमिकों की कठिनाइयों को महसूस करते हुए यहां निवेदन कर रहे हैं। इसलिए, मंत्री जी को इस मामले को गम्भीरता से लेना चाहिए और यह आश्वासन देना चाहिए कि इस धारा या इस नियम विशेष को कड़ाई से लागू नहीं किया जाएगा।

श्री बिन्देश्वरी दुबे : महोदय, जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं, जब श्री समर मुखर्जी ने मेरा ध्यान दिलाया था, कि नवम्बर, 1988 में इस नियम को कड़ाई से लागू नहीं किया जा रहा था—, मुझे नहीं पता कि पहले इसे कड़ाई से लागू किया गया था या नहीं, मैं इसकी जांच कर रहा हूं— मैंने अपने अधिकारियों को कड़े आदेश दिए कि इसका कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए और

इस विषय में किसी भी गलती को सहन नहीं किया जाएगा। मेरे विचार में, इससे किसी को कोई कठिनाई नहीं हुई क्योंकि खाड़ी के देश में भारतीय श्रमिकों को सर्वश्रेष्ठ समझा जाता है। नौकरी के अवसर समाप्त होने के कोई कारण नहीं हैं।

प्रो० पी० जे० कुरियन : महोदय, इस मार्क्सवादी संसद सदस्य की श्रमिकों के कल्याण में कोई दिलचस्पी नहीं है···

श्री तम्पन थामस : वे मामले का राजनीतिकरण कर रहे हैं···**(व्यवधान)**

श्री पी० जे० कुरियन : कृपया मार्क्सवादी सांसद श्री समर मुखर्जी की बात न सुनें। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : प्रो० कुरियन, कृपया हस्तक्षेप न कीजिए···

श्री बिन्देश्वरी दुबे : किसी मार्क्सवादी, संसद सदस्य की बात सुनने का प्रश्न नहीं है।

श्री वसुदेव आचार्य : वह दूसरी सभा के किसी सदस्य के नाम का हवाला नहीं दे सकते···

श्री सुरेश कुरूप : क्या वह दूसरी सभा के सदस्य के नाम का हवाला दे सकते हैं?

अध्यक्ष महोदय : नाम लेने पर कोई रोक नहीं है परन्तु हम ऐसी बातें नहीं करते···

(व्यवधान)

श्री सुरेश कुरूप : महोदय, इस संबंध में आपको याद होगा कि इस सभा में हममें से कुछ सदस्यों ने कुवैत में भारतीय श्रमिकों की हड़ताल के बारे में एक मुद्दा उठाया था। जैसा कि मुझे पता लगा है, पिछले दो महीनों से ये भारतीय श्रमिक, जिनकी संख्या हजारों में है, वेतन और बेहतर जीवन परिस्थितियों की मांग करते हुए हड़ताल पर हैं। उस समय आपने हमें आश्वासन दिया था कि आप मंत्री जी से पूछकर हमें बताएंगे। परन्तु आपने नहीं बताया। इसलिए मैं जानना चाहूंगा कि क्या मंत्री जी को इस बात की जानकारी है और क्या उन्होंने इसमें हस्तक्षेप किया है और क्या कुवैत में श्रमिकों की हड़ताल के विषय में कोई समझौता हुआ है?

श्री बिन्देश्वरी दुबे : हमें मालूम हुआ है। कुवैत स्थित हमारा मिशन इस विषय में कार्यवाही कर रहा है। परन्तु जैसा कि मैं कह चुका हूं, मैं अपने विभाग के अधिकारियों का एक दल श्रम सचिव के नेतृत्व में भेज रहा हूं, जो कुवैत भी जाएगा। यह दल न केवल इस मसले का समाधान करेगा बल्कि इसके पूर्ण समाधान की तलाश करेगा।

प्रो० पी० जे० कुरियन : क्या आप श्री कुरूप को कहेंगे कि वह अपने साथी से उस पत्र को वापस लेने लिए कहे?

श्री टी० बशीर : पूर्व भुगतान यात्रा एडवाइस संबंधी नियम भारतीय जनता और विशेष तौर पर केरल की जनता के लिए चिन्ता का विषय है। मैं हाल ही मे खाड़ी के कुछ देशों का दौरा करके लौटा हूं। खाड़ी के देशों में काम कर रहे लोग इसके बारे में जानने को बहुत उत्सुक हैं। इस मुद्दे से वहां कार्यरत लोगों के मस्तिष्क में उत्तेजना है। जैसा कि श्री सुरेश कुरूप ने हमें बताया कि केरल विधान सभा ने सर्वसम्मति से एक संकल्प पारित किया है जिसमें पूर्व भुगतान यात्रा एडवाइस संबंधी नियम को वापस लेने का अनुरोध किया गया है। इसलिए मैं जानना चाहूंगा कि क्या सरकार इस नियम को निरस्त करने के प्रश्न पर गम्भीरता से विचार करेगी। मुझे खुशी है कि माननीय मंत्री जी ने अभी हमें बताया है कि इस समस्या का अध्ययन करने के लिए खाड़ी के देशों में अधिकारियों का एक दल भेजने का उनका विचार है। इस संदर्भ में, मैं जानना चाहूंगा कि क्या सरकार

किसी निष्कर्ष पर पहुंच कर कोई निर्णय लिए जाने तक पूर्व भुगतान यात्रा एडवाइस संबंधी नियम को लागू न करने का अनुदेश जारी करेगी। इस विषय में मैं चाहूंगा कि···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। प्रश्न को खींचो मत।

श्री टी० बशीर : दिसम्बर, 1988 में सरकार ने इस नियम को लागू करने के अनुदेश जारी किए थे। मैं पूछना चाहूंगा कि क्या सरकार अन्तिम निर्णय लिए जाने तक इस नियम को न लागू करने के अनुदेश दोबारा जारी करेगी।

अध्यक्ष महोदय : आप बात को अनावश्यक क्यों दोहरा रहे हैं? इस प्रश्न का उत्तर दिया जा चुका है।

श्री बिन्देश्वरी दुबे : यदि केरल का मुख्यमंत्री या केरल विधान सभा या कोई सदस्य विशेष चाहता है कि मैं जान बूझकर इस अधिनियम के उल्लंघन का पात्र बनूं तो मैं नहीं बनूंगा।

श्री टी० बशीर : मैं मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे नियम में ढील दें। (व्यवधान)

श्री तम्पन थामस : एक अति महत्वपूर्ण प्रश्न सभा के समक्ष रखा गया है। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहूंगा कि उत्प्रवासियों का संरक्षण नौकरी के मार्ग में बाधक बन गया है। जो नियम मौजूद हैं, वे श्रमिकों की बेहतरी के लिए कार्यान्वित किए जाने हैं। वर्तमान स्थिति में मैं माननीय मंत्री महोदय से अन्य देशों में स्थित हमारे मिशनों तथा श्रम मंत्रालय की भूमिका के बारे में जानना चाहूंगा। यदि इन दोनों प्रश्नों को एक साथ लिया जाता है—यह वाला तथा पिछला—तो आप खाड़ी के देशों तथा अन्य देशों में, जो केरल के इन श्रमिकों को रोजगार दे रहे हैं, हमारे मिशनों की भूमिका तथा अन्य समझौतों तथा वह किस प्रकार कार्यान्वित हो रहे है, के बारे में जान सकते है। पहले प्रश्न के उत्तर में आपने बताया कि जोर्डन और कतार के साथ एक समझौता किया गया है।

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न पूछिए।

श्री तम्पन थामस : अन्य देशों के मामले में कोई समझौता नहीं किया गया है। किन्तु, शायद हमारा दूतावास कुछ कर सकता है। क्या आप राजदूतावासों का उपयोग करेंगे, क्या आप लोगों को वहां जाकर काम करने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एक श्रम अटैची नियुक्त करेंगे? क्या आप इस मामले की छानबीन करेंगे और यह मामला अपने सहयोगी मंत्रालयों और कैबिनेट के साथ उठाएंगे और इन सब में समन्वय लाएंगे? मेरा प्रश्न यह है।

अध्यक्ष महोदय : यह एक सुझाव है।

श्री बिन्देश्वरी दुबे : हम माननीय सदस्य के सुझाव पर विचार करेंगे।

उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरणों की स्थापना

*501. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** :

श्री पी० एम० सईद :

क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम

1986 के अन्तर्गत शीघ्र उपभोक्ता संरक्षण परिषदें तथा अन्य प्राधिकरण स्थापित करने को कहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने इस संबंध में राज्य सरकारों को कोई सहायता प्रदान की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा ये प्राधिकरण कब तक स्थापित किए जाएंगे; और

(घ) ये प्राधिकरण उपभोक्ताओं की शिकायतों को दूर करने तथा उनके हितों की रक्षा करने में कितने सहायक सिद्ध होंगे ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) जी हां।

(ख) व (ग) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग तथा केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद स्थापित करने के लिए जिम्मेदार है, जिनकी स्थापना की जा चुकी है। राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषदें, उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग (राज्य आयोग) तथा जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच (जिला मंच) स्थापित करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों की है। कई राज्यों ने ये निकाय स्थापित कर लिए हैं और केन्द्रीय सरकार ने अन्य राज्यों से तत्काल ऐसा करने का अनुरोध किया है। योजना आयोग ने "उपभोक्ता संरक्षण", जिसमें उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 का कार्यान्वयन शामिल है, को सातवीं पंचवर्षीय योजना में योजना मद के रूप में शामिल करना स्वीकार किया है।

(घ) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत उपभोक्ताओं को दोषपूर्ण वस्तुओं तथा सेवाओं, अनुचित व्यापार पद्धतियों, आदि के बारे में सरल, शीघ्र तथा कम खर्चीला प्रतितोष प्रदान किया जाता है। यह प्रतितोष वस्तु को बदलने, मूल्य वापिस करने, दोष को दूर करने अथवा क्षतिपूर्ति के रूप में प्रदान किया जाता है।

[हिन्दी]

श्री बनवारी लाल पुरोहित : अध्यक्ष महोदय, कन्ज्यूमर प्रोटैक्शन एक्ट हमारे देश में 1986 में बना और आज तीन वर्ष बीत जाने के बाद भी परिस्थिति यह है कि कन्ज्यूमर को कहीं कोई ऐसा प्रोटैक्शन नहीं मिला, स्थिति में सुधार नहीं हुआ, मिलावट जोरों से चल रही है, आप मिर्च, मसाले जो भी वस्तु बाजार में लेने जायें, सभी मिलावटी चीजें खुले आम बिक रही हैं। जहां तक वजन का ताल्लुक है, वजन की भी कोई गारंटी नहीं कि कन्ज्यूमर को पूरा वजन मिलेगा। यदि कोई कन्ज्यूमर चाहे कि अच्छे ट्रेड मार्क की बढ़िया वस्तु खरीदे, ताकि क्वालिटी अच्छी मिले, तो बाजार में नकली ट्रेड मार्क की वस्तुएं जोरों से बिक रही हैं, कहीं असली ट्रेड मार्क की वस्तुएं देखने को नहीं मिलतीं। कन्ज्यूमर को इस स्थिति से बचाने के लिए, जनता को स्वास्थ्यवर्धक वस्तुएं सप्लाई करने के लिए ही यह एक्ट बना था मगर तीन साल बीत जाने के बाद आज तक भी इसका इम्पलीमैंटेशन नहीं हुआ है। मैं जानना चाहता हूं कि एक्ट बनने के बाद इसका इम्पलीमैंटेशन क्यों

नहीं हुआ। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कमेटियां बनाये जाने का प्रावधान था, स्टेट लेवल पर कमेटियां बनाने का प्रावधान था, क्योंकि ग्रासरूट लेवल पर यदि किसी कन्ज्यूमर ने कम्पलेंट करनी है तो वह डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ही करेगा, लेकिन अभी तक कहीं डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमेटियां, या स्टेट लेवल की कमेटियां नहीं बनी हैं। क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि कितनी डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमेटियां अब तक बन चुकी हैं, कितनी स्टेट लेवल की कमेटियां अब तक बन चुकी हैं, क्या उनके पास ऐसी जानकारी उपलब्ध है।

श्री सुख राम : जहां तक यह प्रश्न है कि एक्ट का क्रियान्वयन नहीं हुआ, इम्पलीमेंटेशन नहीं हुआ, मैं उससे सहमत नहीं हूं। आज तक इस देश में जितने भी कानून आजादी के बाद बने, उन सबमें महत्वपूर्ण यह उपभोक्ता संरक्षण कानून 1986 में बना। इसमें यह व्यवस्था है कि नेशनल लेवल पर नेशनल कमीशन बनाया जाये और एक कौंसिल बनाई जाए, कन्ज्यूमर प्रोटैक्शन कौंसिल, जो नेशनल लेवल पर बन चुकी है और काम कर रही है। इस कौंसिल की 5 मीटिंगें भी हो चुकी हैं और नेशनल कमीशन भी काम कर रहा है। वैसे ही हर स्टेट में स्टेट कौंसिल बनाए जाने की एक्ट में व्यवस्था है, डिस्ट्रिक्ट फोरम बनाये जाने की व्यवस्था है और बहुत से राज्यों में स्टेट कमीशन और डिस्ट्रिक्ट फोरम बन भी चुके हैं, सात राज्य ऐसे हैं, जहां स्टेट कमीशन और डिस्ट्रिक्ट फोरम काम कर रहे हैं, बन चुके हैं। छः राज्य ऐसे हैं, जहां इस संबंध में नोटिफिकेशन हो चुका है और 8 राज्य ऐसे हैं जिन्होंने सुझाव प्रपोजल एप्रूव कर दिया है मगर वह नोटीफाई अभी हुआ नहीं है। केवल 5 या 6 ऐसे राज्य हैं जहां से अभी तक हमें कोई प्रोपोजल प्राप्त नहीं हुआ है मगर उनके साथ पत्र-व्यवहार हो रहा है। इसलिए कई राज्यों में कन्ज्यूमर कौंसिल बन चुकी है, जैसा मैंने कहा स्टेट लेवल पर कन्ज्यूमर कौंसिल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट फोरम बन चुके हैं, 6 राज्यों में यह प्रक्रिया अन्तिम स्टेज पर है। जिन 7 राज्यों में कन्ज्यूमर कौंसिल बन चुकी हैं, वे हैं बिहार, दिल्ली, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, अण्डमान और निकोबार, पांडिचेरी और राजस्थान। इन राज्यों में प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और अन्य राज्यों में जारी है। जहां यह प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है, उनके सिविल सप्लाइज मिनिस्टर्स के साथ हमारी दो मीटिंगें हो चुकी हैं और पत्र तथा टैलेक्स द्वारा हम इन सभी राज्यों से इस एक्ट को इम्पलीमैंट करने के लिए कह रहे हैं। अभी थोड़े से राज्य रह गए हैं जिनमें इम्पलीमेंटेशन होना है उनके साथ मामला हमने उठाया है।

श्री बनवारी लाल पुरोहित : माननीय अध्यक्ष जी, मंत्री जी के कहे अनुसार यह खाली 7 राज्यों में हुआ है बहुत राज्य रह गए हैं, थोड़े नहीं रहे हैं, बहुत रह गए हैं जो आपका आदेश नहीं मानते हैं। मेरा प्रश्न यह है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कन्ज्यूमर को प्रोटैक्शन देने के लिए जो पार्लियामेंट कानून पास करती है और सरकार कानून बनाती है, उसके बाद में भी जो राज्य सरकारें आपका आदेश नहीं मानती हैं, आप उनके ऊपर क्या कार्यवाही कर सकते हैं और उनको आप जल्दी से जल्दी एक फायनल तारीख देकर कहें कि इस तारीख तक आप सब कमेटियां, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल और स्टेट लेवल पर बनती हैं, वे सारी बन जानी चाहिएं। इसमें आप कोई एक तारीख तीन, चार या छः माह की निश्चित कर दीजिए, एक समय की सीमा बांध दीजिए कि इस समय सीमा के अन्दर-अन्दर ये बन जानी चाहिएं और यदि नहीं बनीं, तो हम उसमें कड़ी कार्यवाही करेंगे और यह भी स्पष्ट करें कि आपके अधिकार में क्या है, आप क्या कर सकते हैं यदि राज्य सरकारें आपकी बात न मानें?

श्री सुख राम : सभापति जी, मैं माननीय सदस्य की बात से बहुत सहमत हूं कि ये सारी

जो बातें हैं इनका इम्पलीमैंटेशन जल्दी से हो जाना चाहिए और हम क्या कानूनी कार्यवाही कर सकते हैं उन राज्यों के साथ जो राज्य केन्द्र की बात का पालन न करें, इस संबंध में माननीय सदस्य सुझाव दे दें, तो मैं उन पर विचार करूंगा।

[अनुवाद]

श्री पी० एम० सईद : उपभोक्ता संरक्षण परिषद के कुछ स्वैच्छिक प्रतिनिधियों ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के कार्यान्वियन पर असंतोष व्यक्त किया है। कुछ राज्यों में उन्होंने अच्छा कार्य किया है। उदाहरण के लिए बहुत-सी बातों में बिहार पिछड़ा हुआ है। किन्तु उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के कार्यान्वित करने के मामले में यह देश में पहला राज्य है। दूसरे, दिल्ली के राज्य मंच ने 360 शिकायतों में से 147 दूर कर दी गई है। यह सच है कि आजकल लोग बाजार जाकर नकली माल मांगते हैं, क्योंकि बहुत से व्यापारी हमेशा यह कहते हैं कि उनके पास असली माल है किन्तु वे उपभोक्ता को नकली माल दे देते हैं। अब उपभोक्ता भी होशियार हो गए हैं। आज वे सीधे ही नकली माल मांगते हैं ताकि उन्हें पूरा भरोसा हो सके। बाजार की यह स्थिति है। स्वयंसेवी संगठनों ने एक या दो उपायों का सुझाव दिया है। उन्होंने बताया कि नकली माल बेचने की समस्या सरकार की जानकारी में लाई गई। उन्होंने सुझाव दिया है कि वस्तु और व्यापार अधिनियम पुलिस द्वारा संज्ञेय बनाया जाना चाहिए। वह क्या उपाय है जिसके द्वारा आप इस अधिनियम को प्रभावी रूप से कार्यान्वित करेंगे?

श्री सुख राम : मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत हूं कि बिहार इस अधिनियम को कार्यान्वित करने में अगुआ है। पांच या छह राज्य और भी इस अधिनियम को, जो उपभोक्ता के शोषण के विरुद्ध है, कार्यान्वित कर रहे हैं। बाजार में जो भी कदाचार हो, उपभोक्ता को जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर अपनी तकलीफें दूर करवाने का पूरा अधिकार है। कई राज्यों ने यह अधिनियम कार्यान्वित किया है और राज्य आयोगों और जिला मंचों का गठन किया है। उन्होंने कई मामले निपटाए हैं। निर्णय तुरन्त और कम खर्चीला है। अन्य अधिनियमों की भांति प्रक्रिया जटिल नहीं है। हम यह मामला राज्य सरकारों के साथ उठा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि राज्य सरकारें जल्द कदम उठाएं ताकि उपभोक्ताओं को इस अधिनियम के अन्तर्गत संरक्षण मिल सके।

श्री पी० एम० सईद : वस्तु और व्यापार अधिनियमों का क्या हुआ?

श्री सुख राम : महोदय, कुछ अन्य व्यापार अधिनियम हैं, जो उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करते हैं।

हथकरघा वस्त्र का निर्यात

*505. **श्री एम० डेनिस : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) वर्ष 1987 और 1988 के दौरान कितनी मात्रा में एवं कितने मूल्य के बढ़िया और मोटे हथकरघा कपड़े का निर्यात किया गया; और

(ख) किन-किन देशों को इनका निर्यात किया गया?

वस्त्र मंत्री तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है।

विवरण

(क) हथकरघा निर्यात संवर्धन परिषद के अनुसार, वर्ष 1987 और 1988 के दौरान सूती हथकरघा फैब्रिक्स और मेड अप्स के निर्यात निम्नलिखित थे :

	फैब्रिक्स		मेड-अप्स	
	मात्रा (मिलियन वर्ग मी०)	मूल्य (करोड़ रु०)	मात्रा (मिलियन कि०ग्रा०)	मूल्य (करोड़ रु०)
1987	71.80	96.52	25.04	118.97
1988 (अनन्तिम)	80.06	113.35	28.93	161.11

(ख) भारत के सूती हथकरघा फैब्रिक्स और मेडअप्स के मुख्य आयातक हैं : संयुक्त राज्य अमरीका, यूरोपीय आर्थिक समुदाय, कनाडा, बेनिन, स्वीडन, स्विटजरलैंड, नार्वे, जापान, सिंगापुर, सऊदी अरब, यू० ए० ई०, मारीशस तथा सोवियत संघ ।

श्री एन० डेनिस : महोदय, हाल ही के वर्षों में मद्रास पतन से हथकरघा वस्तुओं के निर्यात में कमी आई है। क्या मैं इसका कारण जान सकता हूं तथा सरकार द्वारा मद्रास पत्तन से हथकरघा वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ? सीमा शुल्क प्राधिकारियों ने हाल ही में अमरीका में हथकरघा वस्तुओं को रोक दिया है। क्या मैं जान सकता हूं कि माल पकड़ने के क्या कारण थे, सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए तथा उसके क्या परिणाम निकले ?

श्री राम निवास मिर्धा : महोदय, सरकार ने हथकरघा कपड़े तथा उससे तैयार माल के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं ···(**व्यवधान**)

प्रो० एन० जी० रंगा : मद्रास में क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है ?

श्री राम निवास मिर्धा : एक प्रकार से मद्रास में हथकरघा वस्तुओं के उत्पादन और निर्यात का एक महत्वपूर्ण केन्द्र है और मेरे द्वारा दिए गए विवरण से पता चलता है। हमारे देश से हथकरघा वस्तुओं के कुल निर्यात का एक बड़ा भाग मद्रास से निर्यात किया जाता है।

दूसरी बात जो माननीय सदस्य ने उठाई वह अत्यंत परेशानी पैदा करने वाली है कि हमारे हथकरघा माल की कुछ खेपें अमरीका में रोक दी गई हैं, जिससे हमें भारी कठिनाई हो रही है। उन्होंने कुछ आपत्तियां उठाई हैं, जो मैं सदन के समक्ष रखना चाहूंगा; कि हैंडलूम के कपड़ों की सिलाई भी हाथ द्वारा की जानी चाहिए। वे तभी इसे हथकरघा कपड़े मानेंगे। वे अब इसकी यही व्याख्या कर रहे हैं। अभी थोड़े समय पहले हमने जो समझौता किया था उसमें यह स्थिति स्पष्ट थी। हमने बातचीत के लिए अधिकारियों का एक दल अमरीका भेजा किन्तु वे सहमत नहीं हुए। अब हमने यह मामला जेनेवा में 'टैक्सटाईल सर्वेलैंस बाडी" में उठाने का विचार किया है जो विभिन्न देशों के बीच रकारों, कोटा आदि के बारे में उठाने वाले विवादों के लिए एक प्रकार

से अपीलीय न्यायाधिकरण है। हम राजनयिक स्तर पर भी यह मामला उठा रहे हैं और मुझे आशा है कि कोई संतोषजनक हल खोज लिया जाएगा क्योंकि हम यह महसूस करते हैं कि हमारा पक्ष अत्यंत उचित है। जहां तक पाकिस्तान का संबंध है, इस खण्ड के संबंध में उनकी व्याख्या अलग है और उन्होंने हमें अलग व्याख्या दी है, जिसका मतलब यह हुआ कि पाकिस्तान मशीन पर सिले गए वस्त्रों तथा इस प्रकार की अन्य वस्तुओं का अमरीका को निर्यात कर सकता है, किन्तु जहां तक भारत का संबंध है वह इस बात पर जोर दे रहे हैं कि जब तक ये हाथ से तैयार नहीं होंगे, वे इसे स्वीकार नहीं करेंगे, जो एक प्रकार से भेदभाव है।

श्री एम० डेनिस : महोदय, हथकरघा एककों को न केवल रुई और धागे की कमी के कारण बल्कि उनके मूल्यों में वृद्धि के कारण भी समस्याओं और कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। हथकरघा बुनकरों की जरूरतों को पूरा करने के लिए रुई और धागे की उपलब्धता अपर्याप्त है। क्या मैं मंत्री महोदय से पूछ सकता हूं कि हथकरघा बुनकरों की समस्याओं और कठिनाइयों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

श्री राम निवास मिर्धा : महोदय, हम इस बारे में बहुत जागरूक हैं कि जितना भी संभव हो सके हथकरघा क्षेत्र की सहायता की जानी चाहिए और इसके लिए हमने कई कदम उठाए हैं, जिनमें से कुछ का मैं अभी उल्लेख कर सकता हूं। किन्तु वास्तविक समस्या यह है कि एक ओर तो माननीय सदस्य इस सदन के भीतर और बाहर यह कहते हैं कि कपास के मूल्य बढ़ने चाहिए जिससे उत्पादकों को लाभ पहुंचे। यदि रुई के मूल्य अधिक होंगे तो सूत के मूल्य भी अधिक होंगे। यदि कपास के मूल्य अनावश्यक रूप से अधिक होंगे तो इनका प्रभाव सूत के मूल्यों पर भी पड़ेगा। इसलिए कई बार हमारे विचारों का विभाजन हो जाता है। किन्तु सरकार की नीति यह है कि रुई के उत्पादकों को सही मूल्य मिले। वह न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करते हैं जिस पर कपास खरीदी जाती है। जहां तक सूत की समुचित सप्लाई का संबंध है हमने यह सभी कताई मिलों के लिए अनिवार्य कर दिया है कि कुल सूत उत्पादन का कम से कम 50 प्रतिशत हाथ का धागा होना चाहिए जिसका अर्थ यह हुआ कि यह हथकरघा क्षेत्र के लिए होना चाहिए। महोदय, हमने पिछले दो या तीन वर्ष के दौरान राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम की स्थापना की है जो उन्हें न केवल सूत बल्कि रंगाई का सामान इत्यादि भी सस्ती दरों पर उपलब्ध कराता है जो हथकरघा लोगों के लिए सूत तैयार करने के काम आता है। इसी प्रकार मौजूदा हथकरघा निर्यात क्षेत्र के निर्यात संवर्धन तथा हथकरघों का आधुनिकीकरण, कार्य करने के शेडों तथा आवास के लिए बुनकरों को सहायता आदि जैसी कई योजनाएं हैं। हम आशा करते हैं कि आने वाले वर्षों में हम इस ढांचे को और अधिक सुदृढ़ बना कर बुनकरों की सहायता कर पाएंगे।

अध्यक्ष महोदय : श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह। वह उपस्थित नहीं हैं। डा० दिग्विजय सिंह।

जन्म दर में कमी

*507. **डा० दिग्विजय सिंह** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1981-88 की अवधि में परिवार नियोजन उपायों को अपनाने वाले दम्पत्तियों की संख्या में हुई वृद्धि के अनुपात में जन्म-दर में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में आंकड़े क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं कि यह दोनों दरें एक दूसरे के विपरीत अनुपात में हों ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम के सन्दर्भ में दम्पती सुरक्षा दर 22.8 प्रतिशत (31 मार्च, 1981 की स्थिति के अनुसार) से बढ़कर 39.9 प्रतिशत (31 मार्च, 1988 की स्थिति के अनुसार) हो गई है । नमूना पंजीयन पद्धति के अनुसार वार्षिक जन्म दर, जो 1981 में 33.9 प्रतिशत थी, नवीनतम उपलब्ध अनुमानों के अनुसार घटकर 1987 में 32.0 हो गई है ।

दम्पती सुरक्षा स्तर के अतिरिक्त जन्म दर बहुत से जटिल कारणों पर निर्भर करती है जैसे जनसंख्या में आयु-लिंग संरचना, विवाहित लोगों का अनुपात, विवाह के समय आयु, शादी के बारे में सामाजिक-सांस्कृतिक धारणाएं परिवार और संतति, सामाजिक-आर्थिक विकास का स्तर और सामाजिक सुरक्षा की स्थिति ।

देश में जन्म दर में कमी लाने के लिए हमारी एक सुस्पष्ट कार्यनीति है । इसमें सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाने, व्यापक रोगप्रतिरक्षण कार्यक्रम के द्वारा बच्चों को जीवित रखने की दर में वृद्धि करने, जनसंख्या शिक्षा को गहन करने, सामुदायिक सहभागिता को बढ़ाने, समुन्नत संचार पद्धतियां अपनाने, स्वैच्छिक संगठनों को शामिल करने और युवा दम्पतियों और कम बच्चों वाले दम्पतियों को परिवार नियोजन तरीकों को अपनाने के लिए प्रेरित करने पर बल दिया गया है । इस प्रकार कार्यक्रम की गतिविधियों में हाल के वर्षों में बच्चों के जन्म में अन्तर रखने के तरीकों पर अधिक बल दिया जा रहा है ।

डा० दिग्विजय सिंह : महोदय, विवरण में दिए गए आंकड़ों से पता चलता है कि दम्पत्ति सुरक्षा दर में 17 प्रतिशत वृद्धि हुई है । महोदय, इस प्रकार से दम्पत्ति सुरक्षा दर में 17 प्रतिशत वृद्धि हुई है जबकि जन्म दर में केवल 1.9 प्रतिशत की गिरावट आई है । इसलिए, मैं जानना चाहता हूं कि जहां तक नसबन्दी और नलबन्दी का संबंध है, क्या सरकार के पास आंकड़े हैं कि ऐसे कितने पुरुषों और महिलाओं की नसबन्दी की गई है जिनके पहले से 4 बच्चे हैं, ऐसी कितनी महिलाओं की नलबन्दी की गई है जिनकी रजोनिवृत्ति हो चुकी थी और ऐसे कितने पुरुषों और महिलाओं की, जो इस संसार में हैं ही नहीं, जाली नसबन्दी की गई ? इन तीन वर्गों का क्या प्रतिशत है ?

वस्त्र मंत्री तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा): मैं माननीय सदस्य को आंकड़े दे सकता हूं । किन्तु मैं इस बात पर बल देना चाहूंगा कि दम्पत्ति सुरक्षा दर में वृद्धि तथा जन्म दर के बीच संबंध स्थापित कर पाना अत्यंत कठिन है । इसमें और भी कितनी ही बातें शामिल हैं । हम इस बारे में जानकारी एकत्र करने और माननीय सदस्य को देने का प्रयत्न करेंगे ।

डा० दिग्विजय सिंह : मैं इस सदन से, पीठासीन अधिकारी के रूप में आपसे यह आश्वासन चाहता हूं कि आप मुझे यह जानकारी देंगे ।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, यह सदन नहीं बल्कि मंत्री महोदय इस बारे में जानकारी दे

श्री राम निवास मिर्धा : जो भी जानकारी उपलब्ध है, हम वह माननीय सदस्य को देंगे।

अध्यक्ष महोदय : श्री बी० बी० रमैया। वह यहां मौजूद नहीं हैं। श्री ए० चार्ल्स।

सरकारी अस्पतालों में नर्सों द्वारा हड़ताल

*509. **श्री ए० चार्ल्स** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी अस्पतालों के कुछ विशेष रोगों के उपचार—एककों में कार्यरत नर्सों ने हाल ही में सांकेतिक हड़ताल की थी; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और उनकी मांगों को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वस्त्र मंत्री तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) विशिष्टता क्षेत्र में कार्य कर रही डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल की नर्सें 8 फरवरी, 1989 को सांकेतिक हड़ताल पर रहीं।

(ख) विशेष वार्डों/यूनिटों/थियेटरों/बड़े आपरेशन थियेटरों, गहन परिचर्या यूनिटों/गहन परिचर्या उपचार क्षेत्रों/हृदधमनी परिचर्या यूनिटों/हृदय कैथेटेराइजेशन प्रयोगशालाओं, डायालिसिस यूनिटों/वार्डों और प्रत्यारोपण यूनिटों/वार्डों, जले हुए रोगियों के लिए गहन परिचर्या यूनिटों, टेटनस वार्डों और रेबीज वार्डों, बाल चिकित्सा नर्सरी/नवजात यूनिटों) में कार्यरत नर्सों के लिए 60 रुपये प्रतिमाह के वेतन की स्वीकृति की गई थी। विशेष वेतन की स्वीकृति देने संबंधी सरकारी आदेशों में दी गई शर्तों में एक शर्त यह थी कि विशेष वेतन देने का पात्र उन्हें तभी समझा जाएगा जब उन्होंने विशिष्ट क्षेत्रों में 3 से 4 माह का विशेष सेवा कालीन प्रशिक्षण पूरा कर लिया हो। नर्सों ने यह मांग की थी कि उनके द्वारा प्राप्त किए गए व्यावहारिक अनुभव को ध्यान में रखते हुए विशेष वेतन देने हेतु सेवा कालीन प्रशिक्षण की आवश्यकता में ढील दी जाए।

अतः सरकार ने उपर्युक्त आदेशों की समीक्षा की है। अब यह निर्णय लिया गया है कि विशेष यूनिटों/वार्डों/थियेटरों में तैनात ऐसी नर्सों के लिए जिन्हें उस उद्देश्य के लिए विशेष प्रशिक्षण प्राप्त है, उनकी तैनाती के पहले तीन महीनों की अवधि को सेवाकालीन प्रशिक्षण की अवधि मान लिया जाय और तैनाती के चौथे महीने के प्रारंभ से उन्हें विशेष वेतन प्रदान कर दिया जाए। ऐसे मामलों में जहां पहले ही प्रशिक्षण दिया जा चुका है, तैनाती की तारीख से ही विशेष वेतन दिया जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

हड़ताल और तालाबंदी के कारण कार्यदिवसों की हानि

[अनुवाद]

*495. **श्री के० मोहनदास** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष के दौरान देश में हड़तालों और तालाबंदियों के कारण कुल कितने कार्य दिवसों की हानि हुई;

(ख) क्या गत चार वर्षों के दौरान औद्योगिक संबंधों में कोई सुधार हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

श्रम मंत्री (श्री बिन्देश्वरी दुबे) : (क) से (ग) वर्ष 1984-88 के दौरान हड़तालों तथा तालाबंदियों के कारण नष्ट हुए श्रम दिनों की संख्या दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। इससे यह पता लगेगा कि औद्योगिक सबंध स्थिति में काफी सुधार हुआ है। नष्ट हुए श्रम दिवसों की संख्या वर्ष 1984 मे 560 लाख थी जो कम होकर वर्ष 1988 में लगभग 320 लाख रह गई।

विवरण

यूनिट
(श्रम दिन दस लाख में)

वर्ष	हड़ताल के कारण नष्ट हुए श्रम दिन	तालाबंदी के कारण नष्ट हुए श्रम दिन	कुल
1984	39.96	16.07	56.03
1985	11.49	17.75	29.24
1986	18.82	13.92	32.74
1987	14.03	21.33	35.36
1988 (अ)	11.44	20.67	32.11

अ=अनन्तिम

स्रोत=श्रम ब्यूरो शिमला

बिहार के शहरों के लिए पानी की सप्लाई की योजना

*496. डा० सी० पी० ठाकुर : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

(क) बिहार के पटना, गया, झरिया और रांची शहरों के लिए पेयजल की सप्लाई में सुधार लाने की कोई योजना है;

(ख) क्या विश्व बैंक द्वारा इस परियोजना के संबंध में कोई अध्ययन किया गया था; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और इस संबंध में क्या अग्रेतर कार्यवाही की गई है ?

शहरी विकास मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार, बिहार सरकार ने राज्य योजना में 1988-89 के दौरान गया जलपूर्ति की चालू योजना को पूर्ण करने, पटना और रांची में जलपूर्ति प्रणाली को सुदृढ़ करने तथा विस्तार करने और प्रस्तावित विश्व बैंक

सहायतित परियोजना के तहत धनबाद झरिया के नगरों में जलपूर्ति तथा स्वच्छता की नई योजना के लिए भी प्रावधानों का प्रस्ताव किया था ।

(ख) और (ग) पटना, रांची, धनबाद तथा झरिया नगरों को लाभान्वित करने के लिए विश्व बैंक समूह की सहायता लेने हेतु बिहार सरकार ने एक जलपूर्ति परियोजना तैयार की थी। तथापि, विश्व बैंक की सहायता के लिए उपयुक्त कोई विशेष परियोजना 'प्रस्ताव अभी तक केंद्रीय सरकार को प्राप्त नहीं हुआ है ।

दिल्ली के गांव, समयपुर बादली में अनुसूचित जातियों को प्लाट

[हिन्दी]

*498. **श्री आर० पी० सुमन** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के गांव, समयपुर बादली में रहने वाले अनुसूचित जातियों के लोगों को यह आश्वासन दिया गया था कि उनमें से प्रत्येक व्यक्ति को उनके अधिगृहीत रिहायशी प्लाटों के बदले में 32 मीटर का प्लाट आवंटित किया जाएगा;

(ख) यदि हां, तो उन्हें अब तक ऐसे प्लाट आवंटित न करने के क्या कारण हैं जबकि उनके द्वारा सभी औपचारिकताएं पूरी की जा चुकी हैं और इस प्रयोजनार्थ एक सोसाइटी भी गठित की जा चुकी है; और

(ग) उन्हें प्लाट कब तक आवंटित किए जाने की संभावना है ?

शहरी विकास मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) से (ग) समयपुर गांव के कुछ निवासी दिल्ली के उप-राज्यपाल के पास गए कि वे उन्हें सहकारी सामूहिक आवास समिति बनाने की अनुमति दें, ताकि जो भूमि मुद्दत से उनके अधिकार में है, उस पर रिहायशी एककों का निर्माण कर सकें। इस प्रकार की समितियों के पंजीकरण पर प्रतिबंध को ढील देते हुए उप-राज्यपाल ने महर्षि बाल्मीकि सहकारी सामूहिक आवास समिति बनाने की अनुमति दे दी, जिसका पंजीकरण 5-4-88 को हुआ तथा उसके पास कुल 249 की सदस्यता है। इसने अब मालूम किया है कि इन लोगों के कब्जे में जो भूमि है, वह वास्तव में दिल्ली नगर निगम की है । दूसरी ओर समिति को इस विचार से पंजीकृत कराने की अनुमति दी गई थी कि इसे किसी सार्वजनिक प्राधिकरण से किसी भूमि की आवश्यकता नहीं होगी ।

मकानों की कमी

[अनुवाद]

*499. **श्री जगन्नाथ पटनायक** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की विभिन्न योजनाओं के बावजूद मकानों की कमी जो वर्ष 1981 में 230 लाख थी, वर्ष 1988 में बढ़कर 280 लाख हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए सरकार का इस कमी को दूर करने के लिए कौन-सी अतिरिक्त योजनाएं शुरू करने का विचार है ?

शहरी विकास मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) और (ख) 1981 की जनसंख्या के आंकड़ों के आधार पर, राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन ने देश में 1981 में रिहायशी एककों की

कमी लगभग 233 लाख आंकी है। यह प्रवृति 1988 के लिए 285 लाख प्रक्षेपित की गई है।

आवास राज्य का विषय है तथा राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों द्वारा अपनी-अपनी स्थानीय आवश्यकताओं और योजना प्राथमिकताओं के अनुरूप सभी सामाजिक आवास योजनाएं कार्यान्वित की जाती हैं।

हालांकि आवास की मांग को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय आवास नीति तथा 20 सूत्री कार्यक्रम के अंग के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर कुछ प्रयास/योजनाएं बनाई गई हैं :

—सार्वजनिक क्षेत्र परिव्यय छठी पंचवर्षीय योजना में 1490.87 करोड़ रुपये की तुलना में सातवीं पंचवर्षीय योजना में 2458.21 करोड़ रुपये तक बढ़ा दिया गया है। इसे बहुत से वित्तीय संस्थानों से प्राप्त ऋणों द्वारा अनुपूरित किया जाता है।

—आश्रय घर गतिविधियां तीव्र करने तथा आवास की विविध अवरोधों को कम करने के लिए एक व्यापक राष्ट्रीय आवास नीति बनाई गई है।

—केन्द्र स्तर पर राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना की गई है। सरकार ने एक मकान अर्जित करने/निर्मित करने हेतु प्रत्याभूत बैंक ऋणों से संबंधित बचतों को प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक की आवास ऋण खाता योजना (होम लोन एकाउंट स्कीम) की घोषणा की है।

—20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत, ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों में जिन योजनाओं पर पर्याप्त ध्यान दिया जा रहा है, वे इस प्रकार से हैं :

(क) ग्रामीण भूमिहीन श्रमिकों के लिए आवास - स्थल की व्यवस्था [(सूत्र 14 (क)]।

(ख) आवंटित आवास स्थलों पर निर्माण में सहायता [(सूत्र 14 (ख)]।

(ग) इन्दिरा आवास योजना [(सूत्र 14 (ग)]

(घ) आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिए मकान [(सूत्र 14 (घ)]

आश्रयहीनता समाप्त करने की दृष्टि से, भारत सरकार ने महानगरीय शहरों में फुटपाथ पर रहने वालों को आश्रय-घर उपलब्ध कराने हेतु एक योजना अनुमोदित की है।

—केन्द्रीय सरकार ने भवन निर्माण केन्द्रों की स्थापना का एक राष्ट्रीय कार्यक्रम आरंभ किया है।

—आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों तथा निम्न आय वर्गों पर अधिक ध्यान देते हुए आवासीय कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने हेतु आवासीय बोर्डों तथा विकास प्राधिकरणों की सहायता करने के लिए हुडको ने अपने ऋण कार्यक्रम बढ़ा दिए हैं।

—बहुत से शहरों/नगरों में मलिन बस्तियों में मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था का कार्य आरंभ किया जा रहा है।

केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद् की बैठक

*500. **श्री के० राममूर्ति :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद् की हाल ही में नई दिल्ली में हुई बैठक में

लिए गये निर्णयों को कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद् की सिफारिशों के कार्यान्वयन में केन्द्र स्तर पर विभिन्न मंत्रालयों, राज्य सरकारों, सांविधिक निकायों, स्वैच्छिक संगठनों आदि द्वारा कार्रवाई की जानी है। केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद् की सिफारिशें अभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों तथा योजना आयोग जैसी अन्य संबंधित एजेन्सियों को भेज दी गई हैं ताकि जहां कहीं आवश्यक हो वे आवश्यक कार्रवाई शुरू कर सकें।

बीड़ी और अभ्रक श्रमिकों के लिए कल्याण योजनायें

*502. **श्री परसराम भारद्वाज** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा बीड़ी और अभ्रक श्रमिकों के लिए शुरू की गई कल्याण योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) अभ्रक और बीड़ी श्रमिकों के लिए कितने प्रसूति एवं बाल कल्याण केन्द्रों, वेस्ट क्लिनिकों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और छोटे सामुदायिक केन्द्रों की स्थापना की गई है तथा ये कहां-कहां स्थित हैं और उन्हें कौन-सी सुविधायें उपलब्ध कराई जा रही हैं; और

(ग) इस संबंध में वर्ष 1980-90 की योजना का ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्री (श्री बिन्देश्वरी दुबे) : (क) अभ्रक खान श्रम कल्याण निधि और बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि को क्रमशः अभ्रक खनन उद्योग में नियोजित श्रमिकों और बीड़ी प्रतिष्ठानों में लगे व्यक्तियों के कल्याण को बढ़ावा देने वाले कार्यकलापों की वित्तीय व्यवस्था के लिए गठित किया गया है। कर्मकारों और उनके परिवारों को चिकित्सा, आवास, शैक्षिक, मनोरंजन, जल आपूर्ति और परिवार कल्याण सुविधायें देने के लिए कई कल्याण योजनाएं बनाई गई हैं। दोनों निधियों की समान योजनाएं इस प्रकार हैं—

1. टी० बी० अस्पतालों में पलंगों के आरक्षण की योजना।
2. खान और बीड़ी कर्मकारों के आवासीय उपचार की योजना।
3. चश्मे की खरीद के लिए खान और बीड़ी कर्मकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना।
4. खान और बीड़ी कर्मकारों को कुष्ट राहत की योजना।
5. मानसिक रोगों से पीड़ित खान और बीड़ी कर्मकारों के उपचार के लिए सुविधा प्रदान करने की योजना।
6. कैंसर से पीड़ित खान और बीड़ी कर्मकारों को वास्तविक उपचार व्यय की प्रतिपूर्ति करने की योजना।
7. "अपना मकान स्वयं बनाएं" योजना।
8. लौह अयस्क, मैंगनीज अयस्क और क्रोम अयस्क/चूना पत्थर और डोलोमाइट/अभ्रक खान कर्मकारों और बीड़ी कर्मकारों के लिए ग्रुप आवास योजना।
9. कर्मकारों को छात्रवृत्तियां प्रदान करने की योजना।

10. अभ्रक खनिकों और बीड़ी कर्मकारों के स्कूल जाने वाले बालकों के लिए एक जोड़ी स्कूल ड्रेस की आपूर्ति करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना।
11. अभ्रक खान तथा बीड़ी कर्मकारों के लिए खेलकूद, सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यकलाप आयोजित करने की योजना।
12. टी० वी० सैटों की आपूर्ति के लिए योजना।

इन संबंधित निधियों में उपरोक्त के अतिरिक्त कुछ और योजनाएं हैं। ये इस प्रकार हैं—

बीड़ी

1. सहकारी समितियों के जरिए बीड़ी कर्मकारों के लिए ग्रुप बीमा योजना।
2. महिला बीड़ी कर्मकारों के लिए प्रसूति प्रसुविधा योजना।
3. परिवार कल्याण कार्यक्रम—बीड़ी कर्मकारों को नसबन्दी के लिए अतिरिक्त मौद्रिक प्रतिकर की अदायगी योजना।
4. राज्य सरकारों के जरिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आवास योजना है।
5. वर्कशेडों या गोदामों या दोनों के निर्माण के लिए बीड़ी कर्मकार सहकारी समितियों को इमदाद देने की योजना।
6. बीड़ी कर्मकारों के मनोरंजन के लिए श्रव्य-दृश्य सेटों की स्थापना/सिनेमा वैनों/फिल्मों के प्रदर्शन की योजना।
7. होलीडे होम की व्यवस्था करने की योजना।

अभ्रक

1. अभ्रक खान कर्मकारों के लिए घातक तथा गंभीर दुर्घटना लाभ योजना।
2. अभ्रक खान कर्मकारों के लिए टाइप-1 आवास योजना।
3. दोपहर के भोजन की योजना।
4. छात्रावासों/बोर्डिंग होमों की व्यवस्था करने की योजना।
5. अभ्रक खान कर्मकारों के बालकों को स्लेटों/पाठ्य पुस्तकों/कापियों की आपूर्ति करने की योजना।
6. कर्मकारों के लिए भ्रमण-एवं-अध्ययन दौरों की योजना।
7. कुएं खुदवाने के लिए योजना।
8. अभ्रक खान कर्मकारों के लिए जल-आपूर्ति योजना को लागू करने के लिए लघु खान मालिकों को वित्तीय सहायता।

बीड़ी कर्मकारों और उनके परिवारों को मुफ्त इलाज प्रदान करने के लिए, विभिन्न स्थानों पर एक अस्पताल तथा 154 औषधालय स्थापित किये गये हैं। इसी प्रकार, अभ्रक खान कर्मकारों और उनके परिवारों को मुफ्त इलाज प्रदान करने के लिए विभिन्न स्थानों पर 6 अस्पताल तथा 22 औषधालय (जिसमें बिहार के पाननका तथा पेशाम में 2 लघु समुदाय केन्द्र शामिल हैं) स्थापित किये गये हैं।

(ख) राजस्थान में भाडू और बागोर में अभ्रक निधि के अन्तर्गत दो प्रसूति व बाल कल्याण केन्द्र गठित किये गये हैं। इसी प्रकार बिहार पेस्सम, फगुनी और खल्कथम्बी में तथा आंध्र-प्रदेश में कालीचेडू में अभ्रक निधि के अन्तर्गत 4 लघु सामुदायिक केन्द्र (शैक्षिक) गठित किए गये हैं। पश्चिम बंगाल में नोमतिता में बीड़ी निधि के अन्तर्गत एक चैस्ट क्लिनिक भी गठित किया गया है।

(ग) वर्ष 1988-89 में अभ्रक निधि के अन्तर्गत 1.50 करोड़ रुपये और बीड़ी निधि के अन्तर्गत 8.62 करोड़ रुपये के बजट प्रावधानों में वर्ष 1989-90 में क्रमशः 2.02 करोड़ रुपये और 15.11 करोड़ रुपये के प्रावधान का प्रस्ताव है। वर्ष 1989-90 में प्रस्तावित प्रावधान शीर्ष-वार नीचे दिये गये हैं—

(रुपये लाखों में)

क्रमांक	शीर्ष	अभ्रक निधि	बीड़ी निधि
1.	प्रशासन	33.25	90.35
2.	स्वास्थ्य	109.25	698.09
3.	शिक्षा	43.10	158.64
4.	मनोरंजन	8.15	23.66
5.	आवास	3.95	28.96
6.	जल आपूर्ति	2.30	0.40
	कुल	200.00	1000.00
7.	आवास के लिए ऋण	2.25	100.00
8.	राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	लागू नहीं होता	379.00
9.	गोदामों/वर्कशेडों के निर्माण के लिए सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता	लागू नहीं होता	14.00
	कुल	202.25	1511.00

लागू नहीं होता : यह योजनाएं अभ्रक कर्मकारों पर लागू नहीं होतीं।

परियोजनाओं को पर्यावरण और वानिकी की दृष्टि से स्वीकृति प्रदान करना

*503. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परियोजनाओं को पर्यावरण और वानिकी की दृष्टि से मंजूरी देने के लिए अपनाई गयी प्रक्रिया में वर्ष 1988-89 के दौरान कोई परिवर्तन किये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और परिवर्तन करने के क्या कारण हैं; और

(ग) परियोजनाओं को शीघ्र स्वीकृति प्रदान करने में नई प्रक्रिया कितनी सहायक सिद्ध हुई है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

जब वन अथवा पर्यावरणीय मंजूरी के लिए प्रस्ताव प्राप्त होते हैं तो उनकी जांच की जाती है और यदि सूचना में कोई कमी पायी जाती है तो परियोजना प्रस्तावकों को आवश्यक सूचना तत्काल भेजने के लिए लिखा जाता है। लम्बित मामलों की पुनरीक्षा करने से पता चलता है कि अधिकांश मामले परियोजना प्रस्तावकों द्वारा पूरी सूचना न भेजे जाने के कारण काफी समय से लम्बित थे। यह महसूस किया गया था कि यदि परियोजना प्रस्तावकों को साफ-साफ बता दिया जाए कि निर्धारित अवधि के भीतर अपेक्षित सूचना नहीं दी गयी तो ऐसे मामलों को मंजूर किया गया समझा जाएगा, ऐसा करने से उन्हें अपेक्षित सूचना शीघ्र भेजने के लिए प्रेरित करने में सहायता मिलेगी. ऐसी परिस्थितियों में अब यह व्यवस्था की गई है कि जिन मामलों में पूरी सूचना उपलब्ध कराई गयी है, उन्हें प्रस्ताव प्राप्त होने की तारीख से तीन माह के अन्दर निपटा दिया जाए। जिन मामलों में भेजी गयी सूचना में कमी पायी जाय, उनके संबंध में परियोजना प्रस्तावकों को सलाह दी जाए कि वे अपेक्षित सूचना तीन माह की अवधि के भीतर भेज दें। यदि निर्धारित अवधि के अन्दर पूरी सूचना नहीं भेजी जाती है तो उन मामलों को सूचना के अभाव में नामंजूर किया गया समझा जाता है। इसी प्रकार, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत मंजूरी से संबंधित मामलों में यदि पूर्ण सूचना भेजी गयी हो तो प्रस्तावों के प्राप्त होने की तारीख से छः सप्ताह के भीतर उन पर निर्णय लिये जाने अपेक्षित हैं। जहां इस प्रकार की पूरी सूचना उपलब्ध नहीं करायी जाती है, परियोजना प्रस्तावकों को सूचना में पाई गयी कमियों को पूरा करने की सलाह दी जाती है और अपेक्षित सूचना को भेजने के लिए उन्हें एक माह का समय दिया जाता है। यदि निर्धारित अवधि के भीतर सूचना प्राप्त नहीं होती है तो इन मामलों को भी सूचना के अभाव में नामंजूर किया गया समझा जाता है।

पुनरीक्षा करने से यह भी मालूम हुआ कि पर्यावरण और वन की दृष्टि से मंजूरी देने के लिए प्रस्तावों पर अलग-अलग कार्यवाही की जाती है और इनमें से एक मंजूरी दे दी जाती है, तो अक्सर परियोजना प्रस्तावक दूसरी मंजूरी को प्राप्त करने के लिए सक्रिय कार्यवाही किये बिना परियोजना का कार्यान्वयन आरम्भ कर देते हैं। ऐसी स्थिति के निराकरण के उद्देश्य से अब यह व्यवस्था की गयी है कि इस तरह के दोनों प्रस्तावों पर संबंधित प्रभागों में अलग-अलग कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अन्तिम आदेश साथ-साथ जारी किये जाएंगे।

इन संशोधित प्रक्रियाओं के फलस्वरूप अनेक मामलों में अपेक्षित सूचना शीघ्र भेजी गई, जिससे निर्णय शीघ्र लिये जा रहे हैं।

विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) के कार्यालय में भर्ती नियमों में संशोधन

*504. **डा० ए० के० पटेल** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) के कार्यालय के कर्मचारियों से भारतीय वस्तुओं के लदान पूर्व निरीक्षण और प्रमाणीकरण के सहायक निदेशक के पद से संबंधित भर्ती

नियमों के प्रस्तावित संशोधन को वापस लेने के संबंध में हाल ही में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इनकी मांगों पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

वस्त्र मंत्री तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां।

(ख) विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) के कार्यालय के कर्मचारियों ने सहायक निदेशक (भारतीय मदों का लदान-पूर्व निरीक्षण और प्रमाणन) के पदों के भर्ती नियमों के संशोधन वापस लेने के लिए अभ्यावेदन दिये हैं।

(ग) संवर्ग संचरना को सुव्यवस्थित बनाने तथा सहायक निदेशक के स्तर से नीचे पदों की संख्या के अनुरूप उसे संतुलित करने की दृष्टि से भर्ती मियमों के संशोधन कार्यान्वित किये जा चुके हैं। तथापि, इस समय सभी भर्ती नियमों पर भी दुबारा विचार किया जा रहा है।

महिला संगठनों द्वारा प्रदर्शन

***506. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में कुछ महिला संगठनों ने राशन सप्लाई में व्याप्त कदाचार और मूल्य वृद्धि के विरोध में दिल्ली के खाद्य आयुक्त के कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) राशन सप्लाई में व्याप्त कदाचार और मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) प्रदर्शनकारियों ने कोई लिखित ज्ञापन प्रस्तुत नहीं किया था। तथापि, उनके कुछ प्रतिनिधियों ने खाद्य, आपूर्ति व उपभोक्ता कार्य आयुक्त से भेंट की थी। उन्होंने कुछ क्षेत्रों में उचित दर की दुकानों द्वारा उपभोक्ताओं को राशन की वस्तुएं न देनें, राशन की वस्तुएं खरीदने के लिए परिवार के मुखिया को उचित दर की दुकान पर आने के लिए जोर देने तथा कुछ मंडलों में अधिकारियों द्वारा खाद्य कार्ड जारी करने के लिए गैर-कानूनी आनुतोषिक मांगने के बारे में आरोप लगाए थे। प्रशासन ने कहा है कि इन आरोपों की जांच कराई गई थी और उन्हें निराधार पाया गया।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली का उपयुक्त कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा उचित दर की दुकानों का समय-समय पर निरीक्षण/जांच की जाती है। दिल्ली प्रशासन के खाद्य और आपूर्ति विभाग में शिकायतें प्राप्त करने के लिए एक शिकायत कक्ष स्थापित किया गया है। व्यापारियों द्वारा किए जाने वाले कदाचरों के विरुद्ध भी आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत जारी विभिन्न नियंत्रण आदेशों के तहत कार्यवाही की जाती है।

आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता में सुधार लाने तथा उनके मूल्यों को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय नीचे दिए गए हैं :

(1) विभिन्न आवश्तक वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

(2) देशीय आपूर्ति में वृद्धि करने के लिए जब भी आवश्यक होता है, चावल, गेहूं, खाद्य तेल, दालें, पेट्रोलियम पदार्थ आदि जैसी कुछ वस्तुओं, जिनकी आपूर्ति कम है, का आयात किया जाता है।

(3) दालों, खाद्य तेलों, गोश्त आदि जैसी वस्तुओं के निर्यात का विनियमन करना।

(4) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए चुनी आवश्यक वस्तुओं की व्यवस्था करना।

(5) राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे कदाचारों को रोकने के लिए सख्त कार्यवाही करें।

कपड़ा नीति की पुनरीक्षा करने हेतु समिति

*508. **श्री बी० बी० रमैया :**

श्री बी० शोभनाद्रीश्वर राव :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान कपड़ा नीति की पुनरीक्षा करने हेतु स्थापित समिति के सदस्य कौन-कौन हैं और उनके निर्देश-पद क्या हैं;

(ख) क्या इस समिति द्वारा कोई अन्तरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्री तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) एक विवरण संलग्न है जिसमें समिति के गठन के बारे में सरकार का दिनांक 13-5-88 का संकल्प दिया गया है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

संकल्प

सं० 8/8/88-पीपीसी : भारत सरकार ने 6 जून, 1985 को नई वस्त्र नीति की घोषणा की थी। यह नीति अब लगभग 3 वर्ष से लागू है। अतः अब यह निर्णय किया गया है कि इस नीति के कार्यान्वियन की प्रगति की पुनरीक्षा करने के लिए एक समिति बनाई जाए जो यह देखे कि इस नीति का वस्त्र अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों पर क्या प्रभाव पड़ा है। इस समिति से विशेष रूप से यह आशा की जाएगी कि वह इस बात को जांच करें कि हथकरघों की सुरक्षा के लिए इस नीति में किए गए विभिन्न उपाय अपने उद्देश्य में कहां तक सफल हुए हैं। यह समिति यह भी देखेगी कि क्या नीति में किए गए उल्लेख के अनुसार वस्त्र उद्योग में प्रमुख कच्चे माल के रूप में कपास का मुख्य स्थान बना हुआ है।

2. इस समिति के सदस्य यह महानुभाव होंगे जिनके नाम संलग्न अनुसूची में दिए गए हैं।

3. यह समिति अपनी रिपोर्ट 6 महीने के भीतर प्रस्तुत करेगी।

4. समिति अपने कार्य कलाप की क्रियाविधि स्वयं बनाएगी।

5. यात्रा भत्ते और दैनिक भत्ते पर होने वाला खर्च, यदि कोई हो तो, सरकारी अधिकारियों के सम्बन्ध में संबंधित विभाग वहन करेंगे। गैर-सरकारी सदस्य आदि वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के समय-समय पर यथा-संशोधित कार्यालय ज्ञापन सं० एफ 6 (26)-ई-11/59 दिनांक 5 सितम्बर, 1960 के अनुसार यात्रा भत्ते और दैनिक भत्ते पाने के हकदार होंगे।

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक आदेश प्रति सभी संबद्ध व्यक्तियों के पास भेजी जाए।

आदेश

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्वसाधारण की सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

अनुसूची

वस्त्र नीति, 1985 के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा के लिए गठित समिति के सदस्य।

1. श्री आबिद हुसैन, सदस्य, योजना आयोग।	अध्यक्ष
2. सचिव, भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय।	सदस्य
3. सचिव भारत सरकार, वित्त मंत्रालय या उसका प्रतिनिधि।	सदस्य
4. सचिव, योजना आयोग या उसका प्रतिनिधि।	सदस्य
5. श्री रहमत उल्ला अनसारी, अध्यक्ष, अखिल भारतीय हथकरघा फैब्रिक समिति।	सदस्य
6. श्री के० लक्ष्मण बापू जी, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश	सदस्य
7. श्री के० बी० आवडे, अध्यक्ष, आल इंडिया एडाक कमेटी आफ पावरलूम वीवर्स, आइचलकरंजी, महाराष्ट्र।	सदस्य
8. श्री मौलाना हबीबुर्रहमान, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश।	सदस्य

9.	श्री जी० देवराजन, अध्यक्ष, सदर्न इंडिया मिल्स एसोसिएशन।	सदस्य
10.	श्री एस० के० ठाकरसे, अध्यक्ष, बाम्बे मिल्स ओनरस मिल्स एसोसिएशन।	सदस्य
11.	श्री एम० एम० बरोट, अध्यक्ष, टी एल ए, अहमदाबाद।	सदस्य
12.	श्री हरिभाऊ नायक, अध्यक्ष, राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ, बम्बई।	सदस्य
13.	श्री आई० के० पटेल, अध्यक्ष, अखिल भारतीय रुई सहकारी संघ लिमिटेड।	सदस्य
14.	श्री सी० एच० मिरानी, अध्यक्ष, पूर्वी भारत रुई एसोसिएशन।	सदस्य
15.	श्री गोविन्द हरी सिंघानिया, अध्यक्ष, संश्लिष्ट रेशा उद्योग संघ।	सदस्य
16.	श्री ए० एन० जरीवाला, अध्यक्ष, सूरत कृत्रिम रेशम कपड़ा विनिर्माता परिसंघ, सूरत।	सदस्य
17.	श्री लक्ष्मी दास, अध्यक्ष, के वी आई सी अथवा इसके प्रतिनिधि	सदस्य
18.	डा० दीपक नैय्यर, अर्थशास्त्र के प्रोफेसर, जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय।	सदस्य
19.	श्री अरुण कुमार, वस्त्र आयुक्त।	सदस्य सचिव

कर्नाटक में चीनी के कारखानों को सहायता

*510. **श्री बी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान गन्ना विकास निधि से कर्नाटक में स्थित विभिन्न चीनी के कारखानों को कितनी धनराशि का ऋण दिया गया;

(ख) ऋण किस उद्देश्य के लिए स्वीकृत किया गया; और

(ग) ऋण कितनी किश्तों में वापस किया जाना है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) 1986-87 और 1987-88 के दौरान कर्नाटक में चीनी मिलों के लिए कोई ऋण मंजूर नहीं किया गया था। 1988-89 में कर्नाटक में छः चीनी मिलों के लिए गन्ने के विकास हेतु 1443.79 लाख रुपये की राशि मंजूर की गई थी और एक चीनी मिल का आधुनिकीकरण करने के लिए 42.00 लाख रुपये की राशि मंजूर की गई थी।

(ख) छः चीनी मिलों के लिए गन्ना विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत निम्नलिखित योजनाओं के लिए ऋण मंजूर किए गए थे :

(1) हीट ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित करने के लिए;

(2) नर्सरियां लगाने के लिए;

(3) पीड़क जन्तु नियंत्रण उपाय करने के लिए;

(4) गन्ने की उन्नत किस्मों को अपनाने के लिए किसानों को प्रोत्साहन देने के लिए;

(5) सिंचाई योजनाओं के लिए;

(6) पेड़ी प्रबन्ध के लिए;

(7) भू-परीक्षण प्रयोगशाला के लिए;

(8) कटाई-पूर्व परिपक्वता परीक्षण के लिए;

(9) गन्ना विकास विंग का विस्तार करने के लिए (स्टाफ/वाहन); और

(10) वायरलैस सेट लगाने के लिए।

आधुनिकीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत एक चीनी मिल को प्लांट और मशीनरी को बदलने और उसमें परिवर्धन करने के लिए ऋण मंजूर किया गया था।

(ग) गन्ना विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत मंजूर किया गया ऋण तीन वर्ष की ऋण-स्थगन अवधि के समाप्त हो जाने के बाद चार बराबर वार्षिक किस्तों में वापस किया जाना होता है। आधुनिकीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत ऋण को आठ वर्ष की ऋण-स्थगन अवधि के बाद अथवा वित्तीय संस्थाओं के ऋणों को वापस करने के बाद, इनमें से जो पहले हो, पांच बराबर वार्षिक किस्तों में वापस करना होता है।

ग्रामीण क्षेत्रों में कताई मिलों का विस्तार

*511. **श्री कादम्बुर जनार्दनन** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोई भी कताई मिल केवल 25,000 तकुओं से ही लाभप्रद हो सकती है;

(ख) यदि हां, तो क्या ग्रामीण क्षेत्रों में 1980-89 के दशक में आरंभ की गयी 10,000 तकुओं वाली नई कताई मिलों का और विस्तार करने की अनुमति देने का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वस्त्र मंत्री तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को देखते हुए ये प्रश्न नहीं उठते।

मध्य प्रदेश की सिंचाई परियोजनाओं को वन सम्बन्धी मंजूरी

[हिन्दी]

4775. **श्री भानजू राम लोधी : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे** कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1988 तक मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वन अधिनियम के अन्तर्गत मंजूरी के लिए भेजी गई बड़ी, मध्यम और लघु सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) ये कब से लम्बित हैं और तत्संबंधी कारण क्या है; और

(ग) इन्हें आवश्यक मंजूरी कब तक प्रदान कर दी जाएगी ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) सिंचाई परियोजनाओं के प्राप्त 175 प्रस्तावों में से 44 प्रस्तावों को मंजूर कर दिया गया है, 4 को गुण-दोष के आधार पर, 10 को अधिनियम के उल्लंघन के लिए, 112 को आवश्यक ब्यौरे न भेजे जाने के कारण नामंजूर कर दिया गया तथा 5 प्रस्ताव लम्बित हैं।

(ख) लम्बित मामलों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) राज्य सरकार द्वारा पूरे ब्यौरे भेजे जाने पर ही इन प्रस्तावों पर निर्णय लिया जा सकता है।

विवरण

क्रम सं०	प्रस्ताव का नाम	प्राप्त होने की तारीख	सम्मिलित वन क्षेत्र (हे० में)	टिप्पणी
1	2	3	4	5
1.	सतना, शहडोल और जबलपुर जिलों में बाण सागर बहुउद्देश्यीय परियोजना	11-5-83	4478.00	4713.419 हेक्टेयर वन भूमि को उपयोग में लाने के लिए राज्य सरकार से एक संशोधित प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जिसमें कुछ अनिवार्य ब्यौरे नहीं दिए गए हैं और उस पर निर्णय लिया जाना अपेक्षित है।
2.	शिवपुरी जिले में बुधना टैंक परि-	20-7-84	172.915	राज्य सरकार ने अपेक्षित ब्यौरे हाल ही में

1	2	3	4	5
	योजना		\	भेजे हैं। प्रस्ताव विचाराधीन है।
3.	रायपुर जिले में सोन्दूर परियोजना के तहत नागरी नहर का निर्माण	2-5-85	38.758	अनिवार्य ब्यौरे हाल ही में प्राप्त हुए हैं। प्रस्ताव विचाराधीन है।
4.	जामपाती टैंक परियोजना का निर्माण	3-7-87	59.660	राज्य सरकार से 21-3-89 को बेदखलियों को फिर से बसाने के लिए योजना के ब्यौरे भेजने के लिए लिखा गया है।
5.	जबलपुर जिले में डोली लघु सिंचाई परियोजना	17-8-88	16.60	इस प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।

औषध परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना

[अनुवाद]

4776. **श्री गुरुदास कामत** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक किन-किन राज्य सरकारों ने उत्तम किस्म की औषधों का उत्पादन सुनिश्चित करने हेतु औषध परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना की है; और

(ख) सभी राज्यों में इस प्रकार की प्रयोगशालाओं को कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) केवल महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों में सभी श्रेणियों के औषधों के परीक्षण की सुविधाएं हैं जबकि आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, हरियाणा और केरल राज्यों में केवल नान-बायोलाजिकल उत्पादों के परीक्षण की सुविधाएं हैं। शेष राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में किसी प्रकार की परीक्षण सुविधाएं नहीं हैं।

(ख) राज्यों से समय-समय पर कहा जाता रहता है कि जहां सीमित सुविधाएं पहले ही मौजूद हैं वहां उनमें वृद्धि की जाए तथा जहां इस समय कोई सुविधा नहीं है वहां परीक्षण प्रयोगशालाएं खोली जाएं। केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद ने भी संकल्प पारित किया है कि प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में अपनी-अपनी परीक्षण प्रयोगशाला होनी चाहिए।

इंडियन एयरलाइन्स की पत्रिका "स्वागत" में सिगरेटों के विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाना

4777. **श्री राम स्वरूप राम** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** इंडियन एयर-

लाइंस की पत्रिका "स्वागत" में सिगरेटों के विज्ञापन के बारे में 2 नवम्बर, 1988 के अतारांकित प्रश्न संख्या 9 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि महंगे ब्रांड की सिगरेटों के विज्ञापनों पर प्रतिबन्ध लगाने के संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : नागर विमानन मंत्रालय से प्राप्त सूचना के अनुसार इंडियन एयरलाइन्स की उड़ानों में वितरित की जाने वाली पत्रिका "स्वागत" का प्रकाशन और निर्माण बैंकाक स्थित मेसर्स मेडिया ट्रांसासिया के साथ हुए करार के आधार पर किया जाता है। "स्वागत" पत्रिका में सिगरेटों संबंधी विज्ञापनों पर संवैधानिक चेतावनी "सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है" छपी होती है।

इंडियन फार्मेसी एसोसिएशन के सम्मेलन में की गई सिफारिशें

4778. **डा० जी० विजय रामा राव** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हाल ही में दिल्ली में हुए इंडियन फार्मेसी एसोसिएशन सम्मेलन की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या सिफारिशें की गई थीं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) जी, हां। इंडियन फार्मेसी ग्रैड्यूएट एसोसिएशन का ग्यारहवां वार्षिक सम्मेलन 11 फरवरी, 1989 को राजधानी में हुआ था।

(ख) इस सम्मेलन द्वारा की गई सिफारिशें संलग्न विवरण में दी गई हैं।

विवरण

इंडियन फार्मेसी ग्रैड्यूएट्स एसोसिएशन के ग्यारहवें सम्मेलन की सिफारिशें

(1) केन्द्र और राज्य स्तर पर एक अलग एवं स्वतंत्र औषध नियंत्रण प्रशासन निदेशालय होना चाहिए।

(2) औषध और प्रसाधन सामग्री नियमों में इस आशय का संशोधन किया जाना चाहिए कि फार्मेसी अर्हता प्राप्त व्यक्तियों को ही औषधों के निर्माण और परीक्षण की अनुमति दी जाए।

(3) प्रत्येक राज्य में औषध परीक्षण की अपनी-अपनी प्रयोगशाला होनी चाहिए।

(4) औषध और प्रसाधन नियमों में संशोधन करके यह अनिवार्य बना दिया जाना चाहिए कि औषधों का बनाना, तैयार करना एवं बिक्री करना, अर्हता प्राप्त व्यक्ति की देखरेख के बजाए केवल पंजीकृत फार्मासिस्ट द्वारा किया जाए।

(5) (क) प्रत्येक अस्पताल में मुख्य फार्मासिस्ट के चार्ज में एक स्वतंत्र विभाग होना चाहिए।

(ख) प्रत्येक जिला अस्पताल में एक आई० वी० फ्लूइड उत्पादन यूनिट होना चाहिए।

(ग) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय तथा राज्यों के स्वास्थ्य सेवा निदेशालयों में एक उप निदेशक, फार्मेसी का पद बनाया जाना चाहिए।

(6) फार्मासिस्टों की उपलब्धता को बढ़ाने एवं उनकी पदोन्नति के अवसर प्रदान करने के लिए भेषज संहिता सेवाओं का एक काडर का सृजित किया जाना चाहिए।

वायु प्रदूषण और शोर करने वाले वाहनों पर रोक लगाने का प्रस्ताव

4779. **श्री सतीश चन्द्र सिन्हा** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का शहरों और नगरों में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था के रूप में चलाए जा रहे तिपहिया, टेम्पो वाहनों द्वारा किए जाने वाले शोर और वायु प्रदूषण के हानिकारक प्रभाव के संबंध में कदम उठाने का विचार है;

(ख) क्या उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों ने अपने कुछ शहरों में इनके चलाए जाने पर रोक लगाई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्योरा क्या है; और

(घ) सार्वजनिक परिवहन के साधन के रूप में इन वाहनों के चलाए जाने पर रोक लगाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों से सूचना एकत्र की जा रही है।

कामगारों को शिक्षित करने के सम्बन्ध में अन्य देशों की पेशकश

4780. **श्री एच० बी० पाटिल** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम अथवा केन्द्रीय सरकार की ऐसी कोई योजना है जिसमें विशेषज्ञों/सलाहकारों के द्वारा अन्य देशों में कामगारों को शिक्षित करने की पेशकश की जाती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और इसके लिए चयन की प्रक्रिया क्या है; और

(ग) इस योजना के अन्तर्गत अब तक कितने व्यक्ति विदेश भेजे गये हैं ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राधा किशन मालवीय) : (क) ऐसी कोई योजना नहीं है। तथापि, अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और यू० एन० डी० पी० को जब कभी आवश्यकता होती है, तो वे स्वयं द्वारा निष्पादित की जा रही परियोजनाओं के अन्तर्गत विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञ/परामर्शदाता नियुक्त करते हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

सनातन धर्म एजुकेशन सोसायटी करोल बाग में भूमि का आवंटन

4781. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या **शहरी विकास मंत्री** सनातन धर्म शिक्षा समिति, करोलबाग की भूमि के आवंटन के बारे में 1 दिसम्बर, 1986 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4151 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि सनातन धर्म एजुकेशन सोसाइटी करोलबाग,

नई दिल्ली को आवंटित भूमि पर से अवैध कब्जा हटाने के संबंध में अब तक हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि इस क्षेत्र पर अतिक्रमण है और इसके हटाने पर न्यायालय द्वारा स्थगनादेश दिया गया है। सनातन धर्म शिक्षा समिति को भूमि का कब्जा तब तक देना सम्भव नहीं है जब तक कि न्यायालय द्वारा दिया गया स्थगन निरस्त न कर दिया जाये।

भर्ती एजेन्टों के पंजीकरण प्रमाण-पत्र

4782. **श्री निहाल सिंह** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन भर्ती एजेन्टों का ब्यौरा क्या है जिनके पंजीकरण प्रमाण-पत्रों को गत तीन वर्षों के दौरान उत्प्रवासी महासंरक्षक द्वारा वर्ष-वार निलम्बित किया गया है; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान भर्ती एजेन्टों के पंजीकरण प्रमाण-पत्रों में अत्यधिक वृद्धि होने के क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राधा किशन मालवीय) : (क) और (ख) उन भर्ती एजेंटों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं जिनके पंजीकरण प्रमाणपत्र वर्ष 1986, 1987 तथा 1988 के दौरान निलंबित किए गए थे। वर्तमान प्रक्रिया को कारगर बनाने तथा भर्ती एजेंटों के कामकाज पर अधिक कारगर पर्यवेक्षण रखने के लिए उपाय किए गए हैं। धोखाधड़ी और कानून के उपबंधों के उल्लंघन के मामलों में दोषी भर्ती एजेंटों के विरुद्ध कठोर कारंवाई की गई है।

विवरण

वर्ष 1986 **एजेंट का नाम**

1. मैसर्स पैरामाउंट कारपोरेशन, बम्बई।
2. मैसर्स फोरेन लिकर्स (कार्मिक), नई दिल्ली।
3. मैसर्स आनन्द इन्टरप्राइजिज, नई दिल्ली।
4. मैसर्स अमेरिकन इन्टरप्राइजिज, नई दिल्ली।
5. मैसर्स के० के० इन्टरप्राइजिज, नई दिल्ली।
6. मैसर्स इकजोत इन्टरनेशनल, लुधियाना।
7. मैसर्स जे० के० इन्टरप्राइजिज, लुधियाना।
8. मैसर्स सेलेक्टिव पावर्स (प्राइवेट) लिमिटेड, नई दिल्ली।
9. मैसर्स विसवाक एजेंसीज, नई दिल्ली।
10. मैसर्स चौधरी वर्ल्ड टूर एण्ड ट्रेड, बम्बई।
11. मैसर्स अन्सार ट्रैवल्स, कालीकट।
12. मैसर्स स्वास्तिक इन्टरनेशनल, बम्बई।
13. मैसर्स इंटरलिंक कंसट्रक्शन (प्रा०) लि०, नई दिल्ली।
14. मैसर्स स्कैनर्स इन्टरनेशनल, मद्रास।

15. मैसर्स जोसेफ इन्टरनेशनल, नई दिल्ली ।
16. मैसर्स अल-अरेबिया ट्रैवल एजेंसी, बम्बई ।

वर्ष 1987

1. मैसर्स कान्टीनेंटल इंजीनियर्स, चण्डीगढ़ ।
2. मैसर्स सैवन स्टार्स इन्टरनेशनल, बम्बई ।
3. मैसर्स नासिर ट्रेड इन्टरनेशनल, बम्बई ।
4. मैसर्स एनर्जी (इंडिया), नई दिल्ली ।
5. मैसर्स कुकडा कन्सलटैंट्स, बम्बई ।
6. मैसर्स अस इंटरप्राइजिज, मद्रास ।

वर्ष 1988

1. मैसर्स आर० के० इंटरप्राइजिज, नई दिल्ली ।
2. मैसर्स अल-मारजेन इंटरप्राइजिज, बम्बई ।
3. मैसर्स शवाक इंटरप्राइजिज ।
4. मैसर्स लता ट्रैवल्स, बम्बई ।
5. मैसर्स किवी इंटरनेशनल, त्रिवेन्द्रम ।
6. मैसर्स शमो कंसलटैंसी, दिल्ली ।
7. मैसर्स सिंडीकेट रीक्रूटिंग एजेंसी, जालंधर ।
8. मैसर्स अल-बैन सर्विस, बम्बई ।
9. मैसर्स स्टार मैनपावर सर्विसेज ।
10. मैसर्स मिडल ईस्ट मैनेजमेंट सर्विसज, बम्बई ।
11. मैसर्स अरब इंटरप्राइजिज, बम्बई ।
12. मैसर्स ईस्ट वैस्ट ट्रैवल एण्ड ट्रेड लिंक्स, बम्बई ।
13. मैसर्स अल समित इन्टरनेशनल, बम्बई ।
14. मैसर्स रज्जक इन्टरप्राइजिज, हैदराबाद ।
15. मैसर्स सीराक एजेंसीज, जालंधर ।
16. मैसर्स विजीन इन्टरप्राइजिज, बम्बई ।
17. मैसर्स हूरी इन्टरनेशनल, बम्बई ।
18. मैसर्स अल जासीम ट्रैवल सर्विस, बम्बई ।
19. मैसर्स बिजनेस एडस, बम्बई ।
20. मैसर्स फालकम इन्टरप्राइजिज, बम्बई ।
21. मैसर्स प्रिन्स इन्टरनेशनल एक्सपोर्ट, मद्रास ।
22. मैसर्स पापूलर ट्रैवल एजेंसी, बम्बई ।
23. मैसर्स सुभाष जिय एसोसिएट्स, बम्बई ।

गैर-अनुमत खाद्य रंगों का इस्तेमाल

4783. **श्री पी० आर० कुमारमंगलम : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या वर्ष 1961 से 1970 के 10 वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में खाद्य पदार्थों में इस्तेमाल किये जाने वाले रंगों के लिए किए गये 12575 नमूनों के विश्लेषण से यह पता चलता है कि उनमें 70 प्रतिशत गैर-अनुमत खाद्य रंग थे, जैसा कि नवम्बर, 1988 के 'पोषण समाचार' में समाचार प्रकाशित हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो अन्य राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में इसी प्रकार के विश्लेषणों का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) मई, 1981 के इण्डस्ट्रियल टॉक्सिकोलॉजी बुलेटिन और नवम्बर, 1988 के न्यूट्रीशन न्यूज अंक में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार संपूर्ण उत्तर प्रदेश राज्य से 1960-1970 के 11 वर्षों की अवधि में एकत्र किए गए रंगदार खाद्य पदार्थों के कुल 12,575 नमूनों के विश्लेषण से पता चला कि औसतन 70 प्रतिशत रंगदार नमूनों में ऐसे रंग पाये गये जो अनुमत्य नहीं थे।

(ख) एक विवरण संलग्न है जिसमें राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से एकत्र किए गये उन नमूनों की संख्या दी गयी है जिनका 1983 से 1987 के दौरान विश्लेषण किया गया और जिन्हें अपमिश्रित पाया गया तथा गैर अनुमत्य रंगों सहित विभिन्न कारणों से हुए अपमिश्रण की प्रतिशतता भी दी गयी है।

विवरण

वर्ष	जांचे गये नमूनों की संख्या	अपमिश्रित पाए गए नमूनों की संख्या	अपमिश्रण का प्रतिशत
1983	129062	17965	13.9
1984	122296	14990	12.2
1985	128511	14677	11.4
1986	121969	13730	11.2
*1987	125806	12943	10.2

(*हरियाणा/मेघालय और सिक्किम राज्यों को छोड़कर)

बुनकरों के कल्याण के कार्यक्रम के लिए आबंटन

4784. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बुनकर समुदाय के कल्याण कार्यक्रमों पर विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा कितनी धनराशि आबंटित की गई और कितनी धनराशि व्यय की गई;

(ख) उपरोक्त संदर्भ में आवास, शिक्षा और चिकित्सा सुविधाओं पर आबंटित और व्यय की गई धनराशि का पृथक-पृथक विवरण क्या है; और

(ग) वर्ष 1986-87 और 1987-88 के दौरान इन कल्याणकारी कार्यक्रमों से राज्य-वार कितने व्यक्तियों को वास्तव में लाभ पहुंचा है और लाभार्थियों में बुनकरों की प्रतिशतता क्या है ?

वस्त्र मंत्री तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग) भारत सरकार ने सातवीं योजना के शुरू से ही समस्त देशों में हथकरघा बुनकरों के लाभ के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित 'वर्कशेड-सह-आवास स्कीम' और 'थ्रिफ्ट निधि स्कीम' नामक दो कल्याण स्कीमें शुरू की थीं। बुनकर समुदाय के लिए शैक्षणिक और मेडिकल सुविधाओं हेतु कोई केन्द्रीय स्कीम नहीं चल रही हैं। सातवीं योजना अवधि के लिए वर्कशेड-सह-आवास हेतु 9.50 करोड़ रुपये और थ्रिफ्ट निधि हेतु 7.00 करोड़ रुपये के परिव्यय का अनुमोदन किया गया था। कोई राज्यवार आवंटन नहीं किये जाते हैं। राज्यों को केन्द्रीय सरकार की सहायता स्कीमवार दी जाती है, राज्यवार नहीं और यह सहायता राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर दी जाती है। साथ ही यह सहायता वास्तविक तथा वित्तीय दोनों ही रूपों में पिछले कार्य-निष्पादन के आधार पर दी जाती है। वर्कशेड-सह-आवास स्कीम के अन्तर्गत वर्ष 1986-87 तथा वर्ष 1987-88 में राज्य सरकारों को केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत केन्द्रीय सहायता तथा प्रत्याशित हिताधिकारियों के ब्यौरे नीचे दिये गये हैं—

क्रम सं०	राज्य का नाम	रिलीज की गई केन्द्रीय सहायता		हिताधिकारी जिनको लाभ मिलने की उम्मीद है
		वर्ष 1986-87 के दौरान	वर्ष 1987-88 के दौरान	
1	2	3	4	5
				(लाख रु० में)
1.	आंध्र प्रदेश	65.00	32.50	4056
2.	असम	15.00	—	1000
3.	बिहार	8.00	—	533
4.	गुजरात	3.625	—	175
5.	हिमाचल प्रदेश	1.50	7.50	600
6.	जम्मू तथा काश्मीर	3.00		200
7.	केरल	6.475	13.595	1022
8.	मध्य प्रदेश	20.00	—	1333
9.	महाराष्ट्र	3.75	—	224
10.	मणिपुर	—	10.00	780
11.	उड़ीसा	21.105	4.50	1907
12.	राजस्थान	7.50	13.60	1406

1	2	3	4	5
13.	त्रिपुरा	—	3.00	200
14.	तमिलनाडु	30.965	20.05	1594
15.	उत्तर प्रदेश	15.75	—	1030
16.	पं० बंगाल	21.00	29.'8	1700
	योग :	207.67	149.725	17,760

रोहिणी में 'डी' फार्मों का जारी किया जाना

4785. **श्री गंगा राम :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण रोहिणी के लोगों को 'डी' फार्म जारी नहीं कर रही है, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) गत छह महीनों के दौरान "डी" फार्म के लिए प्रति महीने कितने व्यक्तियों ने आवेदन किया और इनमें से अब तक कितने व्यक्तियों को "डी" फार्म दिया गया है; और

(ग) सरकार द्वारा शेष मामलों के शीघ्र निपटान के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण को अनुदेश जारी करने के लिए क्या उपाय किये गए हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) 'डी' फार्म जारी किये जा रहे हैं केवल उन मामलों को छोड़कर जहां स्वीकृत नक्शे में असमायोजित परिवर्तन किया गया है और उसे ठीक करने की आवश्यकता है।

(ख) महीना	प्राप्त 'डी' फार्म	'डी' फार्म जारी किया गया
सितम्बर, 88	113	90
अक्तूबर, 88	88	84
नवम्बर, 88	60	83
दिसम्बर, 88	110	72
जनवरी, 89	79	69
फरवरी, 89	116	90
योग :	566	488

(ग) इस स्थिति में सरकार द्वारा कोई हस्तक्षेप नहीं किया गया है।

प्लाटों/फ्लैटों का मुख्तारनामे पर हस्तांतरण

4786. **श्री कमल नाथ :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि पूर्वी दिल्ली में सहकारी सोसाइटियों द्वारा विकसित अनेक रिहायशी कालोनियों में पट्टे की जमीन पर बने प्लाटों/फ्लैटों का मुख्तारनामे पर हस्तांतरण किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाये हैं अथवा उठाने का विचार है;

(ग) क्या सरकार का दिल्ली विकास प्राधिकरण के अलावा कोई अन्य एजेन्सी नियुक्त करने का प्रस्ताव है; जो कालोनियों का सर्वेक्षण करके तथ्यों का पता लगाने के लिए 'सोसाइटियों के रिकार्ड की जांच कर सके; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) शाश्वत उप-पट्टा विलेख की शर्तों के अन्तर्गत, प्लाटों की अनधिकृत बिक्री के लिए कारण बताओ नोटिस संबंधित उप-पट्टाकर्ता को जारी किये जाते हैं। यदि कोई संतोषजनक उत्तर प्राप्त नहीं होता है, तो उप-पट्टाकर्ता निर्धारण के लिए कार्यवाही की जाती है। गत तीन वर्षों के दौरान पूर्वी दिल्ली में प्लाटों के आठ उप-पट्टाकर्ताओं का निर्धारण किया गया है।

(ग) और (घ) दिल्ली प्रशासन तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण इस समस्या से निपटने के लिए सक्षम है। इसलिए यह प्रयोजनार्थ कोई अन्य कार्यालय अभिकरण नियुक्त करना आवश्यक नहीं है।

गुलाबी बाग दिल्ली में स्वयं वित्त-पोषण योजना के फ्लैटों में घटिया सामग्री का उपयोग

4787. **श्री सनत कुमार मंडल :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण की गुलाबी बाग, एस० एफ० एस० रेजीडेंट्स एसोसिएशन के प्रेसीडेंट से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें यह बताया गया है कि इस कालोनी में स्वयं वित्त-पोषण योजना के अन्तर्गत बने फ्लैटों में से अधिकांश फ्लैटों में घटिया निर्माण सामग्री के इस्तेमाल के कारण इनमें ढांचा और निर्माण संबंधी कई दोष हैं, यदि हां, तो दिल्ली विकास प्राधिकरण ने इन्हें ठीक करने के लिए क्या कार्यवाही की है;

(ख) क्या कुछ आबंटितियों ने मांग की है कि उन्होंने जो धनराशि अदा की है उस पर 20 प्रतिशत ब्याज दिया जाए क्योंकि दिल्ली विकास प्राधिकरण ने इन फ्लैटों का कब्जा निर्धारित तिथि तक नहीं दिया है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में दिल्ली विकास प्राधिकरण की प्रतिक्रिया क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी हां, दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि गुलाबी बाग स्ववित्त पोषित योजना के निवासियों के कल्याण संघ के अध्यक्ष से असमतल तथा टूटे-फूटे पलस्तर, पानी के स्राव, फर्शों की घटिया फिनिश तथा अनुचित नालों की व्यवस्था जैसी त्रुटियों को बताते हुए एक पत्र प्राप्त हुआ था। जैसे ही शिकायत प्राप्त हुई, उन्हें निवासियों की तसल्ली के अनुसार दूर कर दिया गया। त्रुटियां अब सामान्यतया रख-रखाव के प्रकृति की हैं, जिनका सुधार स्वयं आबंटितियों द्वारा किया जाना है।

(ख) और (ग) फ्लैट आबंटितियों को समय पर सौंप दिए गये थे। केवल इक्का-दुक्का मामलों में, आबंटी स्वयं कब्जा लेने से बचते रहे, यद्यपि फ्लैट हर प्रकार से पूर्ण थे। अतः उनके द्वारा दिल्ली विकास प्राधिकरण को दी गई राशि पर 20 प्रतिशत ब्याज का भुगतान करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

रासायनिक उद्योगों में सुरक्षा

4788. **श्री लक्ष्मण मलिक :** क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रासायनिक उद्योगों में सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किये गये मार्ग निर्देशों का ब्यौरा क्या है;

(ख) विभिन्न रासायनिक एककों द्वारा इन मार्ग निर्देशों का किस हद तक पालन किया गया है; और

(ग) इन मार्ग निर्देशों का उल्लंघन करने वाले एककों के खिलाफ सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राधा किशन मालवीय) : (क) से (ग) कारखानों, जिनमें रसायन कारखाने शामिल है, में नियोजित कर्मकारों की सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा कल्याण के लिए सांविधिक उपबंध कारखाना अधिनियम, 1984 में दिये गये हैं। अन्य बातों के साथ-साथ रसायन उद्योग में सुरक्षा की व्यवस्था करने के लिए वर्ष 1987 में कारखाना अधिनियम में संशोधन किया गया था। इस अधिनियम के उपबंधों का प्रवर्तन राज्य सरकारों द्वारा अपने कारखाना निरीक्षणालयों के माध्यम से किया जाता है।

सुरक्षा उपबंधों को लागू करने तथा आकस्मिकताओं से निपटने के संबंध के केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों को समय-समय पर दिशा-निर्देश जारी करती है। कार्य-स्थलथा त कार्यस्थल से दूर आकस्मिक योजनाओं के लिए प्रपत्र तैयार किया गया था तथा यह राज्य सरकारों को परिचालित किया गया था। नशीले रसायनों की मानीटरिंग तथा मूल्यांकन संबंधी एक पुस्तिका राज्य सरकारों को परिचालित की गई थी ताकि उन्हें जोखिमपूर्ण कार्य पर्यावरण की मानीटरिंग में सहायता दी जा सके। आदर्श नियम तैयार किए गये तथा राज्य सरकारों को इस अनुरोध के साथ परिचालित किये गये कि वे इन्हें कारखाना अधिनियम के संशोधित उपबंधों के अधीन अपने कारखाना नियमों में समाहृत कर लें।

मैटीरियल सेफ्टी डाटा शीट तैयार करने, कर्मकारों, आम जनता, स्थानीय प्राधिकरण, जिला आपात प्राधिकरण और मुख्य निरीक्षक को जोखिमों तथा उनसे दूर करने के उपायों के बारे में सूचना देने तथा कार्य स्थल आपात योजना तथा जोखिम नियंत्रण और प्रबंध योजना तैयार करने के लिए जोखिमपूर्ण संक्रियाओं को करने वाले कारखानों के अधिष्ठाताओं के उत्तरदायित्वों को इन आदर्श नियमों में विस्तार से दर्शाया गया है।

कारखाना अधिनियमों के प्रवर्तन को सुविधाजनक बनाने के लिए राज्य सरकारों को दिशा निर्देश जारी किये जाते हैं। इसके अलावा, इनको कोई सांविधिक सर्थमन नही है। अतः इन दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने पर कारखानों के विरुद्ध कोई कार्रवाई करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

दिल्ली में भवन निर्माण हेतु अनुमत्य भू-क्षेत्र का अनुपात

4789. **श्री अमर सिंह राठवा :** क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य दिल्ली में भवन निर्माण हेतु अनुमत्य भू-क्षेत्र के अनुपात में हाल ही में वृद्धि की गई है;

(ख) यदि हां, तो यातायात अवरुद्ध होने को रोकने और पार्किंग, जल बिजली आदि का समुचित प्रबन्ध सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं; और

(ग) भवन निर्माण हेतु सनुमत्य भू-क्षेत्र के अनुपात में वृद्धि से लाभान्वित होने वाले होटलों का ब्यौरा क्या है

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) जी, नहीं। दिल्ली के केन्द्रीय भाग के भूखण्डों पर आच्छादित क्षेत्र में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, विभिन्न उपभोगों के लिये भवनों के विकास/निर्माण के लिये फर्शी क्षेत्र अनुपात (एफ ए आर) में वृद्धि करने का प्रस्ताव है। दिल्ली वृहद योजना को जोनिंग रेगुलेशन्स का संशोधन प्रारूप जनता की आपत्तियां/सुझाव आमंत्रित करने के लिये अधिसूचित किये गये थे। संशोधन को अन्तिम रूप देते समय सभी पहलुओं पर विचार किया जायेगा। फर्शी क्षेत्र अनुपात में वृद्धि का होटलों को स्वतः लाभ नहीं मिलेगा।

कम लागत की आवास परियोजनाएं

4790. **श्री चिन्तामणि जेना :** क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में कुछ कम लागत की आवास परियोजनाएं आरम्भ की हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) किन-किन राज्यों में इस योजना को अपनाया गया है; और

(ग) इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक राज्य में अब तक कम लागत के कितने मकान बनाये गए हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) आवास राज्य का विषय है और सभी सामाजिक आवास योजनाओं का कार्यान्वयन राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा अपनी-अपनी स्थानीय आवश्यकताओं और योजना प्राथमिकताओं के अनुसार किया जाता है। राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को केन्द्रीय वित्तीय सहायता समेकित ऋणों और अनुदानों के रूप में दी जाती है जो किसी विशेष विकास शीर्ष से जुड़ी नहीं होती है।

कम लागत की आवास योजना के नाम से कोई विशिष्ट आवास योजना नहीं है। भारत सरकार राष्ट्रीय आवास कार्यक्रम के अंग के रूप में तकनीकियां अपनाने और सामग्रियों का उपयोग करने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों से कह रही है जिससे निर्माण की लागत में विशेषकर निम्न आय वर्गों के मामले में, कमी आयेगी।

स्वर्गीय श्रीमती इन्दिरा गांधी की प्रतिमा

4791. **श्री मोहनभाई पटेल :** क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली में स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी की प्रतिमा स्थापित करने के मामलों में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ख) इस प्रतिमा के अधिष्ठापन हेतु किस स्थान का चयन किया गया है;

(ग) क्या दिल्ली में अन्य नेताओं की प्रतिमाएं भी अधिष्ठापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) दिल्ली में लगाई जाने वाली स्व. श्रीमती इन्दिरा गांधी की प्रतिमा के माडल का चयन कर लिया गया है।

(ख) स्थल का अभी चयन नहीं किया गया है।

(ग) और (घ) महात्मा गांधी तथा श्री जवाहर लाल नेहरू की प्रतिमा नई दिल्ली में लगाये जाने का प्रस्ताव है। आन्ध्र केसरी श्री टी० प्रकाशम की प्रतिमा भी नई दिल्ली में लगाने का अनुमोदन कर दिया गया है।

बंगलादेश के शरणार्थियों को भूखण्ड

4792. **श्री विजय एम० पाटिल** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगला देश से आये सभी शरणार्थियों को पूर्व पाकिस्तान से विस्थापित व्यक्ति योजना के अन्तर्गत अब तक भू-खण्ड आवंटित नहीं किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) भूखण्डों का आवंटन कब तक किए जाने की संभावना है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) पहले के पूर्वी-पाकिस्तान के पात्र विस्थापित व्यक्तियों को भूखण्ड आवंटित कर दिए गए हैं और भूखण्डों के विशिष्ट नम्बर भी नियत कर दिए गए हैं। विकास कार्य करने और भूखण्ड आवंटित करने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पहले दिए गए एक स्थगनादेश के कारण अभी तक वास्तविक कब्जा नहीं दिया गया है। विकास कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है और चूंकि स्थगन निरस्त हो चुका है तथा चल रहे विकास कार्यों के पूरा हो जाने के पश्चात कब्जा सौंप दिया जाएगा।

आन्ध्र प्रदेश में "एड्स" रोगी

4793. **श्री सोडे रमैया** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "एड्स" रोग का पता लगाने के लिए आन्ध्र प्रदेश को कोई विशेष रक्त-परीक्षण उपकरण उपलब्ध कराया गया है; और

(ख) यदि हां, तो आन्ध्र प्रदेश को इस संबंध में दी गई सहायता अथवा दी जाने वाली प्रस्तावित सहायता का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) जी, हां। एलिसा रीडरों को एच० आई० वी० संक्रमण हेतु उच्च खतरे वाले ग्रुपों के रक्त नमूने की जांच करने के लिए आन्ध्र प्रदेश में कार्य कर रहे चार निगरानी केन्द्र उपलब्ध किए गए हैं।

(ख) राज्य सरकार को निम्नलिखित सहायता प्रदान की गई है।

1. एलिसा रीडर्स
2. एलिसा टेस्ट किट
3. प्रयोगशाला कार्मिकों को प्रशिक्षण
4. एड्स के रोगियों की देख-भाल करने वाले क्लिनिशियनों के लिए कार्यशालाएं। जब कभी जरूरत पड़ेगी इस सहायता में वृद्धि की जाएगी।

5. उस्मानिया मेडिकल कॉलेज, हैदराबाद में एड्स यूनिट की स्थापना हेतु राज्य सरकार को 10 लाख रुपये की नकद सहायता भी उपलब्ध की गई है।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के फार्मेसिस्टों को हड़ताल की अवधि के लिए वेतन का भुगतान

4794. **श्री राम पूजन पटेल :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना फार्मेसिस्ट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, दिल्ली से 6 नवम्बर, 1978 से 30 नवम्बर, 1978 तक की हड़ताल अवधि (25 दिन) के लिए वेतन के भुगतान के बारे में कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है' क्योंकि केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना में अन्य कर्मचारियों की हड़ताल की अवधि का वेतन दे दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) जी, हां। बहरहाल, फार्मासिस्टों के अलावा केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के किसी भी श्रेणी के कर्मचारी इस अवधि में हड़ताल पर नहीं थे।

(ख) इस मामले पर विचार किया जा रहा है।

वनों में रहने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों को खाद्यान्न सहायता

4795. **श्री हरिहर सोरन :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्य सरकारें कमजोर वर्ग के लोगों, विशेष रूप से वनों में रहने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को खाद्यान्न सहायता देने के लिए परियोजनायें कार्यान्वित कर रही हैं;

(ख) क्या इन लोगों को खाद्यान्न सहायता इसकी सामाजिक-आर्थिक दशा को सुधारने के लिए विश्व खाद्य कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदान की जा रही है;

(ग) यदि हां, तो क्या ऐसा कार्यक्रम उड़ीसा में भी कार्यान्वित किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो उड़ीसा में कौन-कौन से वन क्षेत्रों में मजदूरों को इस प्रकार की सहायता दी जा रही है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) और (ख) कुछ राज्यों में वनों में काम करने वाले लोगों को विश्व खाद्य कार्यक्रम के तहत खाद्यान्न सहायता दी जा रही है।

(ग) और (घ) विश्व खाद्य कार्यक्रम के अन्तर्गत उड़ीसा के 13 जिलों को शामिल किया गया है। इन जिलों के ब्यौरे और इस कार्यक्रम में शामिल किए गए उनके क्षेत्र संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

उड़ीसा में विश्व खाद्य कार्यक्रम के जिलेवार ब्यौरे

क.सं.	जिला	जिले के क्षेत्र जहां विश्व खाद्य कार्यक्रम संबंधी कार्य को प्राथमिकता के आधार पर केन्द्रित किया गया है
1	2	3
1.	कालाहन्डी	सम्पूर्ण क्षेत्र

1	2	3
2.	बोलंगीर	टिटिलागढ़ और पटनागढ़
3.	फूलबनी	बगरः और बालीगुड़ा उपमण्डल
4.	गंजम	चिकिती और गंजम का एजेंसी क्षेत्र
5.	कोरापुट	नबरंगपुर और काशीपुर
6.	पुरी	दासपल्ला और गनिया
7.	कटक	नरसिंहपुर
8.	धेनकनाल	पालहारा, हिन्डोल और अथामल्लिक
9.	बालासोर	नीलागिरी और रैबानिया
10.	मयुरभंज	ठाकुरमुण्डा
11.	क्योंझर	भुंइयापिरहा, जुआंगपिरहा
12.	सम्बलपुर	नाकटीडौल, पदमपुर, पाईकमाल
13.	सुन्दरगढ़	हिमागिरी

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के विकलांग व्यक्तियों को दुकानों/कियोस्कों का आवंटन (क)

[हिन्दी]

4796. **श्री राम रतन राम** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा गत तीन वर्षों में वर्ष-वार कुल कितनी दुकानों/कियोस्कों/प्लेटफार्मों/आवासीय मकानों की बिक्री/आवंटन किया गया;

(ख) उन विकलांग व्यक्तियों का वर्षवार ब्यौरा क्या है जिन्हें उक्त अवधि में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दुकानों/कियोस्कों/प्लेटफार्मों तथा आवासीय मकानों का आबंटन किया गया है;

(ग) इनमें से उन अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के विकलांग व्यक्तियों का वर्षवार ब्यौरा क्या है जिन्हें उक्त अवधि में दुकानों/कियोस्कों/प्लेटफार्मों तथा आवासीय मकानों का आवंटन किया गया; और

(घ) उपरोक्त व्यक्तियों हेतु कितने प्रतिशत आरक्षण निश्चित किया गया है और आवंटन हेतु अपनाये जाने वाले नियमों/प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण (खास)

	फ्लैट्स	दुकानें/स्टाल आदि
1986-87	3834	402
1987-88	14414	748
1988-89	32138	1087
योग	50386	2237

शहरी विकास प्राधिकरण, स्लम विंग

1986	—	2236
1987	—	0226
1988	—	0238.
	योग	2700

(ख) वर्ष 1987-89 के दौरान दिल्ली विकास प्राधिकरण (खास) द्वारा 20 व्यक्तियों को दुकानें/कियोस्क/थड़े आवंटित किए गए हैं और उनके नाम संलग्न विवरण-1 में दिये गए हैं। वर्ष 1986, 1987 और 1988 के दौरान दिल्ली विकास प्राधिकारण के स्लम विंग द्वारा आँबंटित दुकानों/स्टालों आदि से संबंधित सूचना संलग्न विवरण 2, 3, 4 और 5 में दी गई है। जिन व्यक्तियों को वर्ष 1986, 1987 और 1988 के दौरान रिहायशी मकान आवंटित किए गए हैं उनके नाम संलग्न विवरण 6 में दिये गये हैं।

(ग) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित विकलांग व्यक्तियो, उनसे दिल्ली विकास प्राधिकरण (मुख्य विंग) द्वारा जिनको दुकानें/कियोस्क/थड़े आबंटित किए गए हैं और दिल्ली प्रशासन के समाज कल्याण विभाग के माध्यम से जिन व्यक्तियों को स्टालों और थड़ों का आबंटन किया गया है, के बारे में कोई अलग रिकार्ड नहीं रखा गया है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित उन विकलांग व्यक्तियों के नाम, जिनको स्लम विंग द्वारा अथवा समाज कल्याण निदेशालय दिल्ली प्रशासन के माध्यम से स्टालों/दुकानों/थड़ों/खुले थड़ों का आबंटन किया गया है, संलग्न विवरण-7 में दिये गये हैं।

(घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण के रिहायशी भूखण्डों और फ्लैटों के मामले में शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए 1 प्रतिशत आरक्षण है। शारीरिक रूप से अपंग कुछ व्यक्तियों को बिना बारी के आधार पर भी दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैट्स आबटित किये जाते हैं।

विकलांग, भूतपूर्व सैनिक और विधवा श्रेणी से संबंधित व्यक्तियों को अनुकम्पा के आधार पर 5 प्रतिशत तक स्टालों/गड़ों/खुले थड़ों/दुकानों का आबंटन किया जाता है। दिसम्बर, 1985 में आरम्भ की गई पंजीकरण योजना के अन्तर्गत शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए एक प्रतिशत आरक्षण किया गया था।

विवरण-1

उन व्यक्तियों के नाम जिन्हें वर्ष 1987 से 1989 तक विकलांग कोटे के अन्तर्गत दुकानों/स्टालों/कियोस्कों का आबंटन किया गया

1. मेजर के० के० चोपड़ा
2. श्री गुरु प्रीत सोधी
3. श्री बी० एल० कोछड़
4. श्री कंवर सिंह
5. श्री संदीप चोपड़ा
6. श्री संजय

7. श्रीमती सन्तोष
8. श्री सुनील मलिक
9. श्री गुरूमुख दास
10. श्री विवेक शील
11. अनीता कुमारी
12. श्री रघुबीर सिंह
13. श्री गंगा दत्त शर्मा
14. मधु खन्ना
15. श्री अमर सिंह
16. श्री रणबीर सिंह
17. श्री साधु राम
18. श्री सुनील मल्होत्रा
19. श्री मेहर सिंह
20. श्री अशोक कुमार

विवरण-2

उन विकलांग व्यक्तियों की सूची जिन्हें 1986 के दौरान दिल्ली विकास प्राधिकरण के स्लम विंग द्वारा दुकान/कियोस्क/प्लेटफार्म आदि आवंटित किए गए थे

क्र०सं० वंश सहित नाम

1. श्रीमती प्रेम लता पत्नी श्री मंगू राम
2. श्री ओम प्रकाश पुत्र सावन दास
3. श्री जगदीश सिंह पुत्र श्री रघुबीर सिंह
4. कुमारी उषा रानी पुत्र स्व० श्री उदल
5. श्री शंकर लाल पुत्र श्री तारा चन्द
6. श्री राम बहादुर पुत्र श्री राम नानगिया
7. श्री लक्ष्मण दास पुत्र श्री प्यारे लाल
8. श्री भीम सैन पुत्र श्री राजधर
9. श्री छत्तर सैन पुत्र श्री नानक चन्द
10. श्री सरदार सिंह पुत्र श्री नारायण सिंह
11. श्री रामोदर सिंह पुत्र श्री लाल बहादुर
12. श्री नत्थू लाल पुत्र माधो लाल
13. श्री जनारधन पुत्र श्री फत्तन
14. श्री बीरेन्द्र नारायण पुत्र श्री गुलाब सिंह

क्र० सं० वंश सहित नाम

15. श्री सत्यदेव पुत्र स्व० श्री ईश्वर दास
16. श्रीमती सोमकली पत्नी श्री रामानन्द
17. श्री धर्मपाल पुत्र श्री पन्ना लाल
18. श्री कुशवार चौधरी पुत्र श्री अनूठे लाल
19. श्री नानक सिंह पुत्र श्री मंगल सिंह
20. श्री नारायण दास पुत्र श्री मधु राम
21. श्री नानक चन्द पुत्र श्री भारमल
22. श्रीमती प्रेम लता पत्नी श्री पदम सिंह
23. श्री करतार चन्द पुत्र श्री राम लुभाय
24. श्री ओम प्रकाश पुत्र श्री प्रेम चन्द
25. श्री नरायण दास पुत्र श्री हरी चन्द
26. श्री अशोक ग्रोवर पुत्र श्री पी० जी० ग्रोवर
27. श्री रमेश पुत्र श्री रामवतार
28. श्री किशन लाल पुत्र श्री बाली राम
29. श्री हरिशचन्द्र पुत्र श्री आत्माराम
30. श्री सुरेन्द्र दास पुत्र श्री गेन्दामल
31. श्री शिव कुमार पुत्र श्री नाथू राम
32. श्री राज कुमार पुत्र श्री प्रेम
33. श्री कृष्ण गोपाल पुत्र उपलब्ध नहीं
34. श्री अनलक्षक पुत्र श्री अब्दुल लतीफ
35. श्री गिरधारी लाल पुत्र श्री राम लाल
36. श्री राम कृष्ण दुबे पुत्र श्री चतुरी प्रसाद
37. श्री राम स्वरूप पुत्र उपलब्ध नहीं
38. श्री राम देव पुत्र उपलब्ध नहीं

विवरण-3

उन विकलांग व्यक्तियों की सूची जिन्हें दिल्ली प्रशासन के समाज कल्याण विभाग के माध्यम से स्टाल/बूथ आवंटित किए गए हैं

क्र० सं० आवंटिति का नाम वंश सहित

1. श्री राजू पुत्र श्री मूल चन्द
2. श्री विष्णु दत्त पुत्र श्री रामजी दास
3. श्री रोहताश पुत्र श्री सोमदत्त राम
4. श्री ए० के० गुलाठी पुत्र श्री एस० एस० गुलाठी
5. श्री मोहिन्द्र सिंह राठी पुत्र श्री काशी राम

क्र० सं० आबंटिति का नाम वंश सहित

6. श्री श्याम सुन्दर पुत्र श्री राम चन्द सभा
7. श्रीमती उषा रानी पत्नी श्री कान्ती प्रसाद
8. श्री चमन लाल पुत्र श्री फकीर चन्द
9. श्री राम कुमार पुत्र श्री सूरज भान
10. श्री प्रवीण कुमार पुत्र श्री कान्ती जैन
11. श्री एस० वेंकटरमण पुत्र श्री एन० के० सुब्रामणि
12. श्री भूदेव शर्मा पुत्र श्री उदेयभान शर्मा
13. श्री दर्शन सिंह पुत्र श्री गुरुदीप सिंह
14. श्री स्वर्ण कुमार पुत्र श्री माधोवन दास
15. श्री इस्ताक अहमद पुत्र श्री मुश्ताक अहमद
16. श्री अब्दुल कादीर पुत्र श्री मुन्ना
17. श्री राजिन्द्र प्रसाद पुत्र श्री अमीर चन्द
18. श्री सुदेश कुमार पुत्र श्री खूब चन्द
19. श्री मोहन लाल पुत्र श्री गोपाल दास
20. श्रीमती गुरुचरण कौर पत्नी श्री जसवन्त सिंह
21. श्री पुरुषोत्तम दास पुत्र श्री भगवान दास
22. श्री के० रामास्वामी पुत्र श्री कुरूपान
23. श्री जगदीश चन्द पुत्र श्री हरीश चन्द्र
24. श्री गैन्दा सिंह पुत्र श्री गोविन्द सिंह
25. श्री राम स्वरूप नायक
26. श्री नैलशन पुत्र श्री लाल गासी
27. श्री अशोक कुमार पुत्र श्री सुदान सिंह
28. श्री तिलक राज पुत्र श्री ताराचन्द
29. श्रीमती प्रेमवती पत्नी श्री प्रभु दयाल
30. श्री दिल रमा पुत्र श्री राम स्वरूप
31. श्री संजीव कुमार पुत्र श्री दर्शन कुमार
32. श्री अनील कुमार पुत्र श्री प्रकाश चन्द
33. श्री मनजीत सिंह पुत्र श्री हरबंश सिंह
34. श्री अमर नाथ पुत्र फगूमल
35. श्री नन्द लाल पुत्र श्री काशी राम
36. श्री गोपाल प्रसाद पुत्र श्री राम किशन
37. श्री गोपाल दास पुत्र श्री कल्लू
38. श्री राजीव पुत्र श्री आर० एन० निगम
39. श्रीमती कान्ता देवी पत्नी श्री सोहन लाल

क्र० सं०　　आबंटिति का नाम वंश सहित

40. श्री संजीव कुमार पुत्र श्री रघुबंश सहाय
41. श्री रतन लाल पुत्र श्री लीला राम
42. श्रीमती महादेवी पत्नी श्री बी० डी० भारद्वाज
43. श्री मनोहर लाल पुत्र श्री राम प्रकाश
44. श्री सन्त कुमार पुत्र श्री शिव नायक सिंह
45. श्री सुन्दर दास पुत्र श्री गैन्दा मल
46. श्री जगजीत सिंह पुत्र श्री बन्सी राम
47. श्री अब्दुल रसीद खान पुत्र श्री कुतुबूदीन
48. श्री रमेश कुमार पुत्र श्री मोहन लाल
49. श्री सीता राम पुत्र श्री उदय राम
50. श्री राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री मनोहर लाल
51. श्री नरेन्द्र कुमार पुत्र श्री चमन लाल
52. श्रीमती स्वर्ण कान्ता पत्नी श्री राम तीर्थ
53. श्रीमती चन्द्र कान्ता पुत्री श्री बालक राम
54. श्री जगजीत सिंह पुत्र श्री लाल सिंह
55. श्री सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्री भोला सिंह
56. श्री नरेन्द्र कुमार पुत्र श्री शिव राम
57. श्रीमती सुमन कुमारी पत्नी श्री धर्मवीर
58. श्री दयानन्द पुत्र मोहन सिंह
59. कुमारी विजय कुमारी पुत्री श्री तोताराम
60. श्री जगमोहन पुत्र श्री साधू सिंह
61. श्री अनिल कुमार पुत्र श्री पी० एल० शर्मा
62. श्री चैनसुख पुत्र श्री रामस्वरूप
63. श्री अशोक कुमार पुत्र श्री कृष्ण लाल
64. श्री राम नारायण
65. कुमारी अल्पना कुमारी पुत्री श्री प्रकाश चन्द

विवरण-4

उन विकलांग व्यक्तियों की सूची जिन्हें 1987 के दौरान दिल्ली विकास प्राधिकरण स्लम विंग द्वारा दुकान/कियोस्क/प्लेटफार्म आदि आबंटित किए गए थे

क्र० सं० वर्ष　　नाम वंश सहित

1. 1987 श्री जवाहर अहमद पुत्र श्री अमल खां
2. 1987 श्री रोशन लाल पुत्र श्री राय सिंह

क्र० सं०	वर्ष	नाम वंश सहित
3.	1987	श्री विष्णु पुत्र श्री शिव राम
4.	1987	श्री मुखराम खां पुत्र रजा खां
5.	1987	श्री सतेन्द्र सिंह पुत्र श्री बलवन्त सिंह
6.	1937	श्री सन्त राम पुत्र श्री गया प्रसाद
7.	198/	श्री कमल कुमार पुत्र श्री सोखन मल
8.	1987	श्री मोहम्मद सदीक पुत्र श्री मोहम्मद मुजाहर
9.	1987	श्रीमती बर्फी देवी पत्नी श्री मनफूल
10.	1987	श्री सुरेश सिंह पुत्र श्री पृथ्वी चन्द

विवरण-5

दिल्ली प्रशासन के समाज कल्याण विभाग द्वारा वर्ष 1988 के दौरान आबंटितियों की सूची

क्र० सं०	आबंटितियों के नामों की सूची वंश सहित
1.	श्री जगदीश कुमार पुत्र श्री जे० सी० चावला
2.	श्रीमती राधा रानी पत्नी श्री भीम सिंह
3.	श्री चन्द्र प्रकाश पत्र श्री खूब चन्द
4.	श्री राम चन्द्र पुत्र श्री नाथू राम
5.	श्री रामरूप रजाक पुत्र श्री थामन रजाक
6.	श्री अबुल परवेज पुत्र श्री अब्दुल इलियास
7.	श्री पवन प्रकाश मेहरा पुत्र श्री दाउ दयाल मेहरा
8.	श्री राजकुमार पुत्र श्री देवी दास कपूर
9.	श्री मसाधला गर्ग पत्नी श्री जे० डी० गर्ग
10.	श्री ओम प्रकाश पासी पुत्र श्री गोविन्दराम
11.	श्री जशवीर सिंह पुत्र श्री महेन्द्र सिंह
12.	श्री राजेश कुमार धींगरा पुत्र श्री टेक चन्द
13.	श्री पुरूषोत्तम पाण्डे पुत्र श्री देवनन्दन पाण्डे
14.	श्री जगदीश चन्द पुत्र श्री फकीर चन्द
15.	श्री अशोक कुमार शर्मा पुत्र श्री गिरधर शर्मा
16.	श्री हीरानन्द शर्मा पुत्र श्री नित्यानन्द शर्मा
17.	श्री हुकम सिंह पुत्र श्री महेन्द्र सिंह
18.	श्री संजीव भल्ला पुत्र श्री के० सी० भल्ला
19.	श्री सुरेन्द्र पाल कौशल पुत्र श्री कुन्दन लाल
20.	श्री प्रेम शंकर पुत्र श्री रामाधार
21.	श्री अतुल कुमार पुत्र स्व० श्री रमेश

क्र० सं० आवंतितियों के नामों की सूची वंश सहित

22. श्री लक्ष्मण सिंह पुत्र श्री नानक सिंह
23. श्रीमती चंचल बाला पुत्री श्री ओम प्रकाश
24. श्री सतीश कुमार पुत्र श्री प्यारे लाल
25. श्रीमती कमलेशवती पत्नी श्री पीतम सिंह
26. श्री रमेश कुमार पुत्र श्री नत्थी सिंह
27. श्री भगवान दास पुत्र श्री रामस्नेही लाल
28. श्री अनिल पटेल पुत्र श्री जी० एम० पटेल
29. श्री जसमेर सिंह पानु पुत्र श्री बलबीर सिंह
30. श्री भाल चन्द पुत्र श्री राम जीत
31. श्री संजय गुलाटी पुत्र श्री जे० सी० गुलाटी
32. श्री सुनिल कुमार भाटिया पुत्र श्री दयाल दास
33. श्री श्याम चरण पुत्र श्री बुद्ध राम
34. श्री सुनील भाटिया पुत्र श्री राजमल भाटिया
35. श्री हरीश चन्द पुत्र श्री जगदीश चन्द्र
36. श्री कन्ना राम पनवार पुत्र श्री मांगी राम
37. श्री एन० कृष्णन पुत्र श्री के० कृष्णन
38. श्री तिलक राय गोगिया पुत्र श्री चमन लाल गोगिया
39. श्रीमती रूबी जैन पुत्री श्री सरदारी लाल जैन
40. श्रीमती चमेली देवी पुत्र श्री हर लाल
41. श्री गोबिन्द नारायण दत्ता पुत्र श्री आर० एल० दत्ता
42. श्रीमती अनिता डांगी पुत्री श्री पान सिंह
43. श्री राम प्रीत पासवान पुत्र श्री जगशरण पासवान
44. श्री अशोक कुमार पुत्र श्री बृज लाल
45. श्री आनन्द स्वरूप पुत्र श्री नफे सिंह
46. श्री विजय कुमार पुत्र श्री नसीब चन्द
47. श्री मिलचन्दानी पुत्री श्री नारायण दास
48. श्री भगवान पुत्र श्री स्वरूप सिंह
49. श्री राकेश कुमार पुत्र श्री चमन काली
50. श्री राजेन्द्र कुमार अरोड़ा पुत्र श्री बाल किशन
51. श्री आनन्द सिंह नेगी पुत्र श्री चन्द्र सिंह नेगी
52. श्री हकीमुद्दीन पुत्र श्री जहूरूदीन
53. श्री सुखदेव पुत्र श्री एम० पी० गुप्ता
54. श्री फूलचन्द गुप्ता पुत्र श्री नन्द किशोर
55. श्री बिक्रम सिंह पुत्र श्री बलवन्त सिंह

क्र० सं० आबंटितियों के नामों की सूची वंश सहित

56. श्री पुनीराम साहू पुत्र श्री पी० आर० साहू
57. श्री राजेन्द्र मोहन पुत्र श्री पी० डी० गोस्वामी
58. श्री विजय कुमार सूद पुत्र श्री ओ० पी० सूद
59. श्री तेजवीर सिंह पुत्र श्री दिवान सिंह
60. श्री जगदीश सिंह पुत्र श्री गंगा सहाय
61. श्री रजीउल्ला पुत्र श्री जकीउल्ला
62. श्री मनबीर सिंह पुत्र श्री ज्ञान सिंह
63. श्रीमती सोमा कुमारी पुत्री श्री पुरुषोत्तम लाल
64. श्री प्रहलाद कुमार चौरसिया पुत्र श्री घोला चौरसिया
65. श्री राजीव पाण्डे पुत्र श्री टी० बी० पाण्डे
66. श्री बृजपाल सिंह पुत्र श्री मान सिंह
67. श्री वेदराम सैन पुत्र श्री बाबू राम
68. श्री मन मोहन गुलाटी पुत्र श्री एच० आर० गुलाटी
69. श्री शिव राम वर्मा पुत्र श्री आर० पी० वर्मा
70. श्री पूरण चन्द पुत्र श्री शिव चरण दास
71. श्री नारायण दास पुत्र श्री ओम प्रकाश
72. श्री संजीव अग्रवाल पुत्र श्री पी० सी० अग्रवाल
73. श्री राजेन्द्र कुमार मेहरा पुत्र श्री अमरनाथ मेहरा
74. श्री प्रकाश चन्द पुत्र श्री बदलु
75. श्री शेर सिंह पुत्र श्री सेवाराम
76. श्री विजय पुत्र श्री राजाराम
77. श्री सोहन लाल पुत्र श्री जगत शर्मा
78. श्री रामकरण पुत्र श्री महेन्द्र शर्मा
79. श्री रामावतार पुत्र श्री गोपाल चन्द
80. अमतुल हसीन पत्नी श्री यापूद्दीन
81. श्री साबुद्दीन पुत्र श्री बुद्धू
82. श्री विधान चन्द पुत्र नैनो गोपाल
83. श्री राम सिंह पुत्र श्री अर्जुन सिंह
84. श्रीमती कृष्णा देवी पत्नी श्री कश्मीरी लाल
85. श्री जमना प्रसाद पाण्डे पुत्र श्री श्याम लाल पाण्डे
86. श्री जसपाल सिंह पुत्र श्री इन्दर सिंह
87. श्री इन्द्र सिंह पुत्र श्री सुबे सिंह
88. श्री बृज लाल शर्मा पुत्र श्री राम चन्द शर्मा
89. श्री भगवान दास पुत्र श्री गोगा राम

क्र० सं० आबंटितियों के नामों की सूची वंश सहित

90. श्री सोमर पंडित पुत्र श्री चित्तन पंडित
91. श्रीमती साभा अंजुम पुत्री अब्दुल हमीद
92. श्री शिवधानी शर्मा पुत्र श्री नैना शर्मा
93. श्री जगदीश कुमार पुत्र श्री परमानन्द
94. श्री यतेन्द्र कुमार तिवाड़ी पुत्र श्री ए० एस० तिवाड़ी
95. श्री आनन्द वर्मा पुत्र श्री जी० एन० वर्मा
96. श्री कृष्ण लाल पुत्र श्री लाल चन्द
97. श्री उग्रसैन पुत्र श्री लेखराज
98. श्री मान सिंह पुत्र श्री राजेन्द्र सिंह
99. श्री करण सिंह पुत्र श्री बुद्धू सिंह
100. कुमारी सुमुन पुत्री श्री मुरारी लाल
101. श्री राजकुमार शर्मा पुत्र श्री गोवरधन दत्त
102. श्री पूर्ण चन्द पुत्र श्री सुख राम
103. श्रीमती कुमकुम पत्नी श्री नरोत्तम प्रसाद
104. श्री अमित तलवार पुत्र श्री आर० के० तलवार
105. श्री आजाद सिंह पुत्र श्री राम किशन
106. श्री महावीर प्रसाद पुत्र श्री पट्टु लाल
107. श्री साइमन डिसूजा पुत्र श्री पी० टी० डिसूजा
108. श्री मोहन लाल गुप्ता पुत्र श्री एम० आर० गुप्ता
109. श्री प्रकाश पुत्र श्री मीत लाल
110. श्री अशोक खन्ना पुत्र श्री जे० खन्ना
111. श्री भीमा पुत्र श्री प्रेमा
112. श्री रणवीर सिंह पुत्र श्री दयानन्द शर्मा
113. श्री इन्द्रजीत गुलाटी पुत्र श्री एच० आर० गुलाटी
114. श्री भगवत सिंह पुत्र श्री शेर सिंह
115. श्री मनमोहन कुमार पुत्र श्री नारायण दास
116. श्री दिनेश कुमार पुत्र श्री एस० एल० चड्ढा
117. श्रीमती उषा रानी पुत्री श्री सुभाष चन्द्र

विवरण-6

उन विकलांग व्यक्तियों की सूची जिन्हें 1986, 1987 तथा 1988 के दौरान आबंटन किए गए

क्र० सं० नाम (एस० एफ० एस०)

1. श्रीमती उरशीला ओबनी

क्र० सं० नाम (एस० एफ० एम०)

2. श्री श्याम लाल शर्मा
3. कुमारी माला पराशर
4. श्री यादवीन्द्र पाल
5. श्री राजू अडवानी
6. कुमारी नीलम धर
7. श्री अजय कपूर
8. श्रीमती नीरा अरोड़ा
9. श्रीमती नीलम कुमारी पहुजा
10. श्री किशन सिंह भाटिया
11. कुमारी विनोद शर्मा
12. श्री हीरा नन्द
13. श्री जी० भकैया अम्मा
14. श्री द्वारका नाथ खन्ना
15. कुमारी अनुराधा भाई
16. डा० उषा दिवान
17. श्रीमती वर्षा ओबेराय
18. श्री रवीन्द्र कुमार गुप्ता
19. श्री वीरेन्द्र कुमार गर्ग
20. नीमी नरगिश
21. श्री ए० के० भाटिया
22. भौंसले डेयारिया
23. रशमि
24. श्री विनोद कुमार सक्सेना
25. सम्मी भाटिया
26. श्री राज अरोड़ा
27. श्री हरीश कुमार मल्होत्रा
28. सरला दुग्गल
29. श्री के० पी० आर० विट्ठल राव
30. श्री एल० सी० वडेरा
31. श्री गिरधारी लाल अग्रवाल
32. श्री मदन लाल गोयल
33. श्री आर० सी० जैतली
34. श्री एम० सी० जोशी
35. श्री एम० एल० ग्रोवर

क्र० सं० नाम (एस० एफ० एस०)

36. श्री एस० बी० वासिल
37. श्री आर० टी० सम्पत कुमार
38. श्री आर० के० गुप्ता
39. श्री के० के० कालरा
40. श्री वीरेन्द्र कुमार बधा
41. करतार कौर
42. श्री वीरेन्द्र सूरी
43. श्री एल० डी० राय
44. श्री बी० सी० राजपुरी
45. श्री पी० एल० कपूर
46. श्री खैराती लाल लूथरा
47. सत्यवती अरोड़ा
48. डा० प्रेम बजाज
49. श्री इन्द्रेश गोत्रा
50. श्री परमिन्द्र सिंह निब्बु
51. श्रीमती गीता वालिया
52. श्री योगिन्द्र कुमार जैन
53. श्री रतन कुमार सौंधी
54. श्री रामन बखेरा
55. श्री सुनील कुमार गुप्ता
56. श्री राजीव सिक्का
57. सुनीता तिवाड़ी
58. प्रीति सूरी
59. श्री अजय कुमार
60. श्री हरीश चन्द भण्डारी
61. पार्वती देवी
62. श्री यू० प्रभाकर राव
63. श्री अरुण वशिष्ठ
64. श्री सोहनी जगमोहन कौर
65. श्री दलीप कुमार भाटिया
66. श्री विनोद कुमार शर्मा
67. श्रीमती विमला ग्रोवर
68. श्री अजय कुमार नेब

क्र० सं० नाम (एस० एफ० एस०)

69. मधु शर्मा
70. श्री चरणजीत बग्गा
71. राजरानी भसीन
72. श्री रमेश मनचन्दा
73. श्री सतपाल सिंह
74. श्री अनिल कुमार बैरी
75. श्री वाई० एम० कोहली
76. श्री चन्द्र प्रकाश
77. श्री विजय भटनागर
78. श्रीमती रीता मल्होत्रा
79. श्री ओ० पी० रमानी
80. श्री सुरेश चन्द गोयल
81. पुष्पा गुप्ता
82. श्री डी० के० नन्दा
83. श्री गोपाल दास
84. श्री एन० जे० एस० पन्नू
85. श्री स्वर्ण सिंह
86. श्री बी० बी० सक्सेना
87. श्री चितरंजन सिन्हा
88. श्री बलबीर सिंह

मध्य आय वर्ग

89. कुमारी रेणु
90. स्वामी प्रेम नाथ हाण्डा
91. गिरीश कुमार अहुजा
92. श्री एस० सी० सारस्वत
93. श्री रावत सिंह चौहान
94. मेजर के० के० चोपड़ा
95. श्री राजकुमार शुक्ला
96. श्री सुरेन्द्र कुमार
97. श्रीमती जी० पी० पुने
98. श्री जे० एन० पपरेजा
99. श्री परमवीर सिंह
100. श्री जीतेन्द्र कुमार

क्र० सं० नाम (एस० एफ० एस०)

101. कुमारी नलीमा नरूला
102. श्री वी० वी० एस० पोटियार
103. श्रीमती दर्शन रानी
104. श्री के० एल० गाबा
105. श्री एस० के० साहनी
106. श्री आर० सी० अग्रवाल
107. श्री एस० सी० पठानिया
108. श्री राम परवेज
109. श्री बी० एस० वर्मा
110. श्री ए० एल० शरीद
111. श्री स्वेब सिंह
112. श्री आर० के० सारंग सुन्दरम
113. लेफ्टिनेंट कर्नल आर० एल० भानोट
114. श्री टी० वी० स्वीस
115. लेफ्टिनेंट कर्नल जे० पी० त्रिपाठी
116. श्री एम० भूषण
117. श्री बलदेव सहाय
118. श्री विजयस कुमार
119. श्री पी० डी० अरोड़ा
120. श्री जी० डी० शर्मा
121. श्री एस० श्रीनिवास राय
122. श्री दुर्गा दास
123. श्री किरण लोंगल
124. श्री एस० एल० शर्मा
125. श्री अतर सिंह
126. श्री एस० एस० कपूर
127. श्री रघुवीर सिंह
128. श्री एस० सी० नरूला
129. श्री मोहिन्द्र सिंह
130. श्री डी० के० शर्मा
131. श्री माल सिंह
132. श्री महेश सेठी
133. श्री बी० एल० शर्मा
134. श्री मोहन लाल शर्मा

क्र० सं० नाम (एस० एस० एस०)

135. श्री पी० के० एस० नारायण
136. श्री के० एल० कपूर
137. श्री ओ० पी० जैन
138. श्रीमती गुरुदीप कौर
139. श्री हरी कान्त
140. श्री विपिन बेहरी
141. श्री सुदर्शन सिंह परमार
142. श्री त्रिलोक सिंह सन्धु
143. श्री शिवचरण दास शर्मा
144. श्री मंगत राय
145. श्री सतपाल गुप्ता
146. श्री चन्द्रभान धींगरा
147. श्री एस० के० भाटिया
148. श्री के० एल० सिक्का
149. श्री योगिन्द्र पाल कालरा
150. श्री सुधा सिंह
151. श्री सूरजभान
152. श्री के० एन० मल्होत्रा
153. श्री धर्मपाल मल्होत्रा
154. श्री इकबाल सिंह राणा
155. श्री ज्ञान सिंह अहुजा
156. श्री मनमोहन सिंह
157. श्री के० बी० सिंह
158. श्री एम० एम० लाल जैन
159. श्री मोहन लाल सूरी
160. श्री आशाराम मेहता
161. श्री मोती लाल पीर
162. श्री त्रिद्वीप मुस्तैफी
163. श्री विद्या सागर
164. श्री आर० एन० बनर्जी
165. कुमारी वीरेन्द्र कौर
166. श्री मदन लाल तनेजा
167. श्री पिटर एम० मार्टिनस

क्र० सं० नाम (एस० एफ० एस०)

168. श्रीमती सत्यावती रस्तोगी
169. श्री रावत सिंह चौहान
170. श्री एस० पी० एस० बधावन
171. श्री आर० एन० मल्होत्रा
172. श्रीमती पी० एस० फरीदी
173. श्री शिव कुमार चतुर्वेदी
174. श्री जी० एन० उपल
175. श्री राजवीर सोलंकी
176. श्री सुभाष चन्द जैन
177. श्रीमती ललीता रमण
178. श्री एस० एस० राजपूत
179. श्री जमनादास गर्ग
180. श्री रामनाथ धींगरा
181. श्री सतीश वर्मा
182. श्री सुभाष चन्द्र सहगल
183. श्री स्वतंत्र भूषण
184. श्री सुरेन्द्र कुमार
185. श्री टी० एस० बिन्द्रा
186. श्री बी० एस० वर्मा
187. श्री अनिल कुमार ग्रोवर
188. श्री सुजान चौधरी
189. श्री रामशरण दास चावला
190. श्री अशोक कुमार बंसल
191. श्री देवेन्द्र कुमार
192. श्री भोला सिंह चावला
193. श्री बलराम मरवाहा
194. श्री उमेश चन्द्र मल्होत्रा
195. श्री सूरज कुमार
196. श्री कन्हैया लाल
197. श्री विनोद कुमार कपूर
198. श्री भुपेन्द्र सिंह
199. श्री ललित कुमार साहनी
200. जगदीश सिंह

क्र० सं० नाम (एस० एफ० एस०)

201. श्री एस० एस० तलवार
202. कुमारी निर्मला बागी
203. श्री राम स्वरूप शर्मा
204. श्री प्रेम पाल सिंह
205. श्री बलदेव सिंह
206. श्री राकेश चोपड़ा
207. श्री मनवीर सिंह
208. कुमारी विमला भाटिया
209. श्री आर० एन० त्रिपलानी
210. श्री किशन चन्द
211. श्री अनिल कुमार अनेजा
212. श्री केदार नाथ

निम्न आय वर्ग

213. श्री नन्द किशोर
214. कुमारी कुसुम लता
215. श्री देवेन्द्र त्यागी
216. श्री धुरेन्द्र नाथ शर्मा
217. श्री हरबीर सिंह
218. श्री रघुबीर सिंह
219. कुमारी रोजी चड्ढा
220. श्री कल्याण स्वरूप
221. श्री वेद प्रकाश खन्ना
222. श्री मनमोहन पहुजा
223. श्रीमती दर्शना कुमारी
224. श्रीमती उषा रानी शर्मा
225. श्री किशोर कुमार
226. श्री एस० एस० विशष्ठ
227. श्री भगवान सिंह
228. श्री जे० डी० पनहर
229. श्रीमती इन्दू पटेल
230. श्री बी० एल० शर्मा
231. श्री ओमपाल सैनी
232. कुमारी चंचल बाला

क्र० सं० नाम (एस० एफ० एस०)

233. श्री किशन चन्द
234. श्री शीश पाल सिंह
235. श्री अमर किशन
236. श्री ए० के० तुली
237. श्री जे० एस० आनन्द
238. श्रीमती आर० रावत
239. श्री जे० आर० गौतम
240. श्रीमती सुषमा देवी
241. श्री पी० एस० बाधवा
242. श्री सुभाष चन्द्र
243. श्री जी० के० भटनागर
244. श्री एम० के० जैन
245. श्री छोटे लाल
246. श्री एम० एस० नेगी
247. कुमारी कमलेश कुमारी
248. श्री प्रेम चन्द
249. श्री एस० के० शर्मा
250. श्री एस० एन० सरन
251. श्रीमती आशा जैन
252. श्री आर० एन० पटेल
253. श्री एम० एस० सितारमन
254. श्री अचेता नन्द
255. श्री करनेल सिंह
256. श्री ए० जे० ब्रह्मभोज
257. श्री एच० एस० नौरंग
258. श्री रघुबीर सिंह
259. श्री खेम चन्द
260. श्री गोपी नाथ नाग
261. श्री राम प्रकाश शर्मा
262. श्री राम चन्द
263. श्री ए० एस० वेंकटसरणन
264. श्री मनोहर लाल
265. श्री बचन सिंह

क्र० सं० नाम (एस० एफ० एस०)

266. श्री सूर नाथ
267. मुखत्यार सिंह

जनता

268. श्री किशन लाल
269. श्री सुन्दर सिंह
270. श्री राम विलास गुप्ता
271. श्री सीतारमण
272. श्री वेद राम
273. श्री ओम प्रकाश भण्डारी
274. श्री दीनदयाल
275. श्री जगदीश
276. श्री राजेश कुमार
277. श्री सुखबीर सिंह
278. श्री चन्द्र गुप्ता
279. श्री तेज भान
280. श्री राजेन्द्र मल्होत्रा
281. श्री चन्द्र मोहन
282. श्री कालीचरण
283. श्री जय प्रकाश
284. श्री होशियार सिंह
285. श्रीमती सुदेश कुमारी
286. श्री बाल किशन

विवरण-7

उन विकलांग व्यक्तियों के नाम जो अनुसूचित जाति के हैं

क्र० सं०	वर्ष	नाम (वंश सहित)
1.	1986	श्री रमेश पुत्र श्री रामवतार
2.		श्री नानक चन्द पुत्र श्री भारमल
3.		श्री नारायण दास पुत्र श्री माधो राम
4.		श्री रामस्वरूप पुत्र उपलब्ध नहीं
5.		श्रीमती प्रेम लता पत्नी श्री पदम सिंह
6.		श्री रामदेव पुत्र उपलब्ध नहीं
7.		श्री ओम प्रकाश पुत्र श्री प्रेम चन्द
8.	1987	श्रीमती बर्फी देवी पत्नी श्री मनफूल

नियुक्तियों में सरकारी नियमों का उल्लंघन

[अनुवाद]

4797. श्री रामप्यारे पनिका : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गृह मंत्रालय के 2 मई, 1975 के परिपत्र के अनुसार जो व्यक्ति जन्म से अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति का नहीं है, यदि वह अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के किसी भी पुरुष अथवा महिला से विवाह कर लेता है तो उसे अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति का ही समझा जाएगा;

(ख) यदि हां, तो क्या उनके मन्त्रालय में उपरोक्त अनुदेशों का उल्लंघन करके कोई भर्ती की गई है;

(ग) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके कारण क्या हैं; और

(घ) इन अनुदेशों के उल्लंघन के मामलों में उनके मंत्रालय द्वारा क्या कार्यवाही की गई अथवा करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है।

तारापुर (पश्चिम बंगाल) में बीड़ी मजदूरों के लिए टी० बी० अस्पताल

4798. श्री आयनल अबेदिन : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में तारापुर (धुलियान) में बीड़ी मजदूरों के लिए 50 बिस्तर वाले अस्पताल के निर्माण के लिए चयनित स्थान को रद्द कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ हो जाने की संभावना है ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राधा किशन मालवीय) : (क) से (ग) मुर्शिदाबाद जिले में धुलियाना में 1.94 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर विनिर्माण के लिए 50 पलंगों वाले अस्पताल को मंजूरी दी गई थी। तथापि, उसी जिले के साजूर मोरे में वैकल्पिक स्थल, जिले में बीड़ी कर्मकारों के मुख्य संकेन्द्रण के निकट हो सकता है। दोनों स्थलों में से किसी एक पर विनिर्माण कार्य आरम्भ करने से पूर्व तकनीकी तथा वित्तीय पैरामीटर्स को पूरा किया जाना है।

इलाहाबाद में चीनी मिल की स्थापना

4799. डा० बी० एल० शैलेश : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में गन्ने की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता और चीनी मिलों के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे की सुविधाओं को देखते हुए वहां एक चीनी मिल की स्थापना करने का है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री डी० एल० बैठा) (क) : और (ख) केन्द्रीय सरकार नयी चीनी मिलें स्थापित करने के लिए क्षेत्रों/राज्यों के बारे में कोई प्रस्ताव नहीं देती है। तथापि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने फूलपुर, तहसील फूलपुर, जिला इलाहाबाद (उत्तर प्रदेश) में 2500 टी० सी० डी० क्षमता की एक नयी चीनी मिल स्थापित करने के लिए लाइसेंस प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी फैक्ट्री संघ द्वारा प्रस्तुत किया गया एक प्रस्ताव भेजा है।

महाराष्ट्र में मैडिकल कालेजों के लिए केन्द्रीय सरकार का नामांकन

4800. **श्री प्रकाश बी० पाटिल : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार महाराष्ट्र के मेडिकल कालेजों में प्रवेश के लिए 11 उम्मीदवार निर्देशित करती है;

(ख) क्या सरकार अपना निर्णय सूचित करने में बहुत अधिक समय लेती है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार इस निर्णय को सूचित करने के लिए कोई तारीख निश्चित करने का है ताकि समय पर ऐसा न होने की स्थिति में राज्य सरकार उपयुक्त उम्मीदवार से रिक्त स्थानों को भर सकें; और

(घ) क्या इस सम्बन्ध में निर्णय लिया जा चुका है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) से (घ) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार महाराष्ट्र सहित मैडिकल कालेजों वाले राज्यों तथा कुछ दूसरी मैडिकल संस्थाओं से वर्ष में एक बार अनुरोध करती है कि वे केन्द्रीय पूल में अपनी एम० बी० बी० एस० सीटें उपलब्ध करें। इन सीटों की संख्या वर्ष दर वर्ष अलग-अलग होती है। ये सीटें बिना मैडिकल कालेजों वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, रक्षा कर्मिकों के बच्चों, दूसरे अर्ध सैनिक संगठनों, सांस्कृतिक आदान-प्रदान फैलोशिप वाले विदेशी छात्रों, अपने खर्चे पर पढ़ने वाले विदेशी छात्रों, बर्मा, श्रीलंका आदि से देश प्रत्यावर्तित व्यक्तियों को आवंटित की जाती हैं। केन्द्रीय पूल में एम० बी० बी० एस० सीटों की कुल उपलब्धता पर निर्भर करते हुए इन सीटों के आबंटन में वर्ष दर वर्ष भिन्नता होती है। छात्रों का चयन तथा नामांकन उन संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/मंत्रालयों द्वारा किया जाता है जिन्हें ये सीटें आबंटित की जाती हैं। महाराष्ट्र सरकार ने अभी तक 1989-90 के सत्र के लिए केन्द्रीय पूल में सीटें उपलब्ध करने की पुष्टि नहीं की है। महाराष्ट्र राज्य सहित अन्य योगदान करने वाली एजेन्सियों से जब भी ये सीटें केन्द्रीय पूल में आती हैं, उनकी उपलब्धता को देखते हुए जून या उसके बाद ये सीटें संबंधित एजेन्सियों को पात्र छात्रों का चयन और नामांकन करने हेतु रिलीज कर दी जाती हैं।

दिल्ली के आस पास के शहरों में सुपर बाजार की शाखाएं खोलना

4801. **श्री एम० बी० चन्द्रशेखर मूर्ति : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का जनता को निर्धारित मूल्य पर आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराने के लिए दिल्ली के आसपास राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के शहरों में सुपर बाजार की शाखाएं खोलने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो किन-किन शहरों में कितनी-कितनी शाखाएं खोली जाएंगी और ये शाखाएं कब तक खोलो जाएंगी ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री डी० एल० बैठा) : (क) और (ख) दि कोआॅपरेटिव स्टोर (सुपर बाजार) लि०, दिल्ली का कार्यक्षेत्र संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली है। यह मोबाइल वैनों में 63 दुकानें चलाने के साथ-साथ राजधानी में 123 शाखाएं चला रहा है। सुपर बाजार, दिल्ली द्वारा राजधानी में अभी और चलती-फिरती दुकानें तथा शाखाएं स्थापित करने का प्रस्ताव है। इनमें से कुछ चलती-फिरती दुकानें दिल्ली के आस-पास के कस्बों में भी जनता को आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराने के लिए जा रही हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए प्रशासनिक प्राधिकरण

4802. **श्री एच० जी० रामुलु :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना के कार्यान्वियन के संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ख) किन-किन योजनाओं को अब तक तैयार और कार्यान्वित किया जा चुका है; और

(ग) क्या सरकार का विचार उक्त योजना के त्वरित विकास और बेहतर समन्वय के लिए कोई एक प्रशासनिक प्राधिकरण स्थापित करने का है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना—2001, तारीख 23-1-1989 से आरम्भ हुई है। शहरी विकास मंत्रालय तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड ने संलग्न विवरण में दिए गये विवरणानुसार योजनायें स्वीकार की हैं।

(ग) जी, नहीं। क्षेत्र के विकास का निरीक्षण करने तथा समन्वय करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड जिसकी अध्यक्षा शहरी विकास मंत्री हैं और सहभागी राज्यों के मुख्य मंत्रियों, दिल्ली के उप-राज्यपाल और दिल्ली के मुख्य कार्यकारी पार्षद और इसके सदस्यगण इसमें शामिल हैं, का पहले ही गठन कर दिया गया है।

विवरण

उन चल रही तथा नई योजनाओं के ब्यौरे जिन्हें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड द्वारा निधियां दी जा रही हैं।

भू० अ० = भूमि अर्जन
भू० वि० = भूमि विकास

क्र०सं० (क)	योजना का नाम (ख)	अनुमानित लागत (क) (रुपये लाखों में)	क्षेत्रफल (ख)	3/85 तक केन्द्रीय सरकार द्वारा दिया गया ऋण (क) (रुपये लाखों में)	4/85 से 2/89 तक बोर्ड द्वारा स्वीकृत ऋण (ख) (रुपये लाखों में)	तिमाही प्रगति रिपोर्ट अनुसार सितम्बर 88 तक किया गया व्यय	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8
हरियाणा							
गुड़गांव							
पूरी की गई योजनाएं							
1.	सेक्टर—14 (रिहायशी) योजना गुड़गांव में	383.48	156.23	40.35	—	268.75	
2.	सेक्टर-17 (रिहायशी) योजना गुड़गांव	367.87	340.00	13.00	—	147.56	

1	2	3	4	5	6	7	8
	पानीपत						
1.	सेक्टर-25 (औद्योगिक) पानीपत में	126.00	100.00	28.00	—	84.83	
	कुल योजनाएं 3	877.35	—	81.35	—	501.14	
	चल रही योजनाएं						
1.	सेक्टर-15 का विकास (औद्योगिक) नये नम्बर 18, 10 व 20	584.64	1145.03 एकड़	251.00	230.00	168.40 (12/88 तक) सड़कें 90 % जल पूर्ति तथा मल निर्यास 40% मुख्य बरसाती पानी की नालियां 80%	12/88 का सेक्टर-18 भू० अ० 100% भू० वि०
2.	सेक्टर-4 तथा 7 योजना का विकास	378.96 (1981 की कीमतें)	410.92 (एकड़)	50.00	25.00	345.46 (12/88 तक)	भू.अ. 100% भू. वि. 100%

1	2	3	4	5	6	7	8
	नई योजनाएं						
3.	सेक्टर-4 व 7 तथा 15 के मध्य सम्पर्क सड़कों का निर्माण	126.00 (1987 की कीमतें)	—	—	25.00	शून्य	भूमि अजंनाधीन
	चल रही योजनाएं						
	सेक्टर 11 तथा 12 का विकास रियाशी	685.87 (1981 की कीमत)	450.00 एकड़	87.00	273.50	708.85 (12/88 तक)	12/88 को भू. अ. 100% भू. वि. भूमि 1 का पहले ही विकास कर दिया गया है
	नई योजनाएं						
1.	ट्रांसपोर्ट नगर योजना का निर्माण	92.00 (1987 की कीमतें)	दूकानों आदि का निर्माण	—	40.00	3.38 (12/88 तक)	12/88 भूमि कब्जे में है निर्माण कार्य आरंभ किया जाना है।
2.	सेक्टर-25 (औद्योगिक) चरण-II औपचारिक	253.00 (1987 की कीमतें)	65.00	—	33.00	58.90 (12/88 तक)	भू. अ. 100% आरंभ नहीं हुआ

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	सेक्टर-24 का विकास (रिहायशी)	1147.00 (1988 की कीमतें)	204.00	—	150.00	शून्य	शून्य
	कुल योजनाएं 10	4144.82	—	469.35	782.50	3298.13	

ऋण के उद्धरण :

केन्द्र सरकार द्वारा 3/85 तक		469.35 लाख रुपये
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड		
द्वारा	1985-86 के दौरान	125.00 लाख रुपये
	1986-87	138.50 लाख रुपये
	1987-88	279.00 लाख रुपये
	1988-89	240.00 लाख रुपये
	जोड़ :	1251.85 लाख रुपये

राजस्थान

अलवर

पूर्ण की गई योजनाएं

1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अलवर में 14 रिहायशी 5 वाणिज्यिक योजनाएं	534.00	793.74	252.00	—	504.38	भूमि विवाद के कारण एक योजना रद्द कर दी गई और 18 योजनायें पूर्ण की गई

1	2	3	4	5	6	7	8
	2. अलवर में कच्ची बस्ती का विकास	—	—	38.00	—	—	
	3. अलवर में आई० ई० डी० पी० काउण्टर मैगनेट योजना	—	—	47.05	—	—	
कुल योजनाएं 3		534.80	793.74	337.05	—	504.38	
चल रही योजनाएं							
1.	वाणिज्यिक परिसर योजना	37.73 (1987 की कीमतें)	21000 वर्ग फुट	—	16.50	26.20 (9/88 तक)	यह योजना पूर्ण हो गई है।
	नई योजनाएं						
1.	पुल के ऊपर रेल लाइन का निर्माण	235.00 (1987 की कीमतें)	—	—	70.00	34.10 (9/88 तक)	भू० अ० 100% सम्पर्क भाग अधिग्रहणाधीन है।

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	हुसनगंज निवासी नगर में रिहायशी योजना	257.00 (1987 की कीमतें)	148.00 (एकड़)	—	78.50	79.76 (9/88 तक)	1. सर्वेक्षण, सीमांकन तथा समतलीकरण आदि 100% 2. सड़कों, नालियों आदि का 80% निर्माण 3. पार्कों तथा खुले स्थलों का 20% विकास
3.	भिवाड़ी पार्क वाणिज्यिक परिसर योजना	29.50 (1987 की कीमतें)	126 दुकानें +8 किओस्ट	—	14.70	29.40	यह योजना पूर्ण हो गई है।
4.	अलवर में ट्रक टर्मिनस का निर्माण भिवाड़ी नई योजना	84.42 (1988 की कीमतें)	16.00	—	15.00	—	—
1.	भिवाड़ी में रिहायशी तथा वाणिज्यिक योजना (भगतसिंह योजना)	250.00 (1988 की कीमतें)	94.00 (एकड़)	—	95.00	128.20 (9/88 तक)	भूमि अर्जन 100% सड़कों तथा डब्ल्यू० बी० एम० का विकास 100 %

1	2	3	4	5	6	7	8
							समतलीकरण 100 प्रतिशत बिटुमन प्राप्त किया।
	कुल योजनाएं 9	1428.35	—	337.05	289.70	802.04	
	ऋणों का उद्धरण						
	केन्द्र सरकार द्वारा 3/85 तक		337.05 लाख रुपये	—			
	रा०रा०क्षे०बो०बो०	1985 के दौरान	75.00 लाख रुपये				
		1986-87	36.50 लाख रुपये				
		1987-88	68.20 लाख रुपये				
		1988-89	110.00 लाख रुपये				
	दी गई कुल निधियां		626.75 लाख रुपये				
	उत्तर प्रदेश						
	मेरठ						
	पूर्ण की गई योजनायें						
1.	योजना नं० 2	77.48	52.19	19.00	—	67.61	

	3	4	5	6	7	8
(ट्रांसपोर्ट नगर) बागपत और मेरठ रोड के मध्य						
2. योजना नं० 3 (रिहायशी) मेरठ तथा हापुड़ रोड के मध्य	451.60	378.60	112.00	—	367.02	
3. योजना नं० 4 मेरठ (चल रही)	292.44	103.42	30.00	—	153.60	
कुल योजनाएं 3	821.52		161.00	—	588.24	
चल रही योजनायें						
1. मैडिकल कालेज के सामने गढ़ मुक्तेश्वर रोड के मध्य रिहायशी योजना	1067.67 (1985 की कीमतें)	269.96 (एकड़)	46.00	225.00	1089.68 (9/88 तक)	9/88 तक भू० अ० 100% (वास्तविक) भू०वि०47.25% (वास्तविक)
2. मेरठ हापुड़ और मेरठ गढ़ मुक्तेश्वर रोड पर रिहायशी योजना	1094.25 (1985 की कीमतें)	392.10 एकड़	151.00	150.00	1225.58 (9/88 तक)	भू० अ० 100% (वास्तविक) भू० वि० 57.3% (वास्तविक)

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	पूलमपुरम में रिहायशी योजना	1524.80	432.84	115.00	475.00*	1131.85	सड़क तथा नालियां 60 प्रतिशत जलपूर्ति 50% विद्युतीकरण 50 % वृक्ष संवर्धन 50% मल का निपटान तथा शोधन 65%
							*1988-89के दौरान 200.00 रुपये स्वीकृत किए गए हैं और 150.00 लाख रुपये दे दिए गये हैं तथा 50.00 लाख रुपये उपयोगिता प्रमाण-पत्र के प्राप्त होने पर दिये जाएंगे।
	नई योजनाएं						
1.	मेरठ में हथकरघा नगर आवास एवं कार्य केन्द्र योजना	1048.00 (1987 की कीमतें)	217.45 एकड़	—	176.00	51.93 (12/88 तक)	भू० अ० तथा भू० वि० शून्य
2.	मेरठ में बेगमपुल क्षेत्र का विकास	112.00 (1987 की कीमतें)	—	—	50.00	50.00 (2/88 तक)	—वही—

1	2	3	4	5	6	7	8
	हापुड़						
	चल रही योजनाएं						
1.	मेरठ और हापुड़ रोड, हापुड़ के मध्य रिहायशी तथा वाणिज्यिक योजना	225.00 (1985 की कीमतें)	31.00 एकड़	49.00 + 40.00 (ब्यौरे प्राप्त नहीं हुए)	50.00	208.00 (9/88 तक)	भू० अ० 100% भू०वि० 69.65% जहां तक बोर्ड का संबंध इस योजना को पूर्ण किया गया समझा जा रहा है।
	कुल योजनाएं 9	5893.24		562.00	1126.00	3655.09	

ऋणों के उद्धरण

केन्द्र सरकार द्वारा 3/85 तक 562.00 लाख रुपए

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड द्वारा

1985-86	175.00 लाख रुपए
1986-87	225.00 लाख रुपए
1987-88	376.00 लाख रुपए
1988-89	300.00 लाख रुपए
+	50.00 लाख रुपए
योग :	1638.00 लाख रुपए
+	50.00 लाख रुपए

लारेंस रोड, दिल्ली स्थित एम० आई० जी० फ्लैट

4803. **श्रीमती प्रभावती गुप्ता : क्या शहरी विकास मंत्री** लारेंस रोड दिल्ली स्थित एम० आई० जी० फ्लैट के बारे में 16 नवम्बर, 1988 के अतारांकित प्रश्न संख्या 890 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1981-82 के दौरान दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटित किए गए लारेंस रोड, दिल्ली, पाकेट बी-11 में बने 288 तीन-मंजिल एम० आई० जी फ्लैटों में से प्रत्येक फ्लैट पर कुल कितनी लागत आई और प्रत्येक व्यक्ति से भूमि की कीमत निर्माण व्यय और अन्य प्रशासनिक खर्चे के रूप में कुल मिलाकर कितनी राशि वसूल की गई ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

लारेंस रोड पाकेट बी-2 के 238 मध्य आयवर्ग के फ्लैटों के संबंध में कुछ लागत, भूमि का प्रीमियम, निर्माण की लागत और अन्य प्रशासनिक प्रभावों का दर्शाने वाला एक विवरण इस प्रकार है :

तल		फ्लैट की कुल लागत	निर्माण की लागत	भूमि का प्रीमियम	अन्य प्रशासनिक प्रभार, वसूल किया गया ब्याज आदि
1.	भूमितल तथा कोट यार्ड	108900 रुपये	76045 रुपये	5600 रुपये	27255 रुपये
2.	प्रथम तल	111900 रुपये	84722 रुपये	4900 रुपये	22278 रुपये
3.	द्वितीय तल	110200 रुपये	83498 रुपये	4800 रुपये	21902 रुपये
4.	तृतीय तल	115300 रुपये	89407 रुपये	5000 रुपये	22893 रुपये

पंजाब के लिये रुई का निर्यात कोटा

4804. **श्री कमल चौधरी : क्या वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब में इस वर्ष रुई का रिकार्ड उत्पन्न हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष के दौरान निर्यात के लिये पंजाब को रुई की गांठों का कितना कोटा आबंटित किया गया है अथवा करने का विचार है ?

वस्त्र मंत्री तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) रुई परामर्शी बोर्ड ने चालू रुई वर्ष के दौरान रुई का उत्पादन 20.65 लाख गांठें होने का अनुमान लगाया है।

(ख) चालू रुई वर्ष के दौरान पंजाब मार्कफेड को अत्यधिक लम्बे रेशे वाली रुई की 5,000 गांठों का निर्यात कोटा आबंटित किया गया है।

नियंत्रित मूल्य पर भवन निर्माण सामग्री की सप्लाई

4805. श्री जी० एस० बासवराजू :

श्री परसराम भारद्वाज :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भवन निर्माण सामग्री विशेषकर इस्पात, अल्यूमी नियम और कोयले के मूल्य पर कोई नियंत्रण है जिससे कि विभिन्न राज्यों में भवन निर्माण कार्यों को बढ़ावा मिल सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या समूचे देश में समाज के कमजोर वर्गों के लोगों को सहायता प्रदान करने के लिए उन्हें नियंत्रित मूल्य पर भवन निर्माण सामग्री उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव है; ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) इस्पात, अल्यूमीनियम और कोयले के मूल्य की सरकार की वर्तमान नीति इस प्रकार है :

इस्पात—इस्पात के मूल्यों पर कोई वैधानिक नियंत्रण नहीं है। ये संयुक्त मंयंत्र समिति द्वारा निर्धारित और घोषित किए जाते हैं, जो समय-समय पर मूल्यों को घोषित करती है और ये केवल संघटित इस्पात संयंत्रों द्वारा उत्पादित इस्पात की मुख्य मदों पर ही लागू होते हैं। मझले क्षेत्र उत्पादक अपने-अपने उत्पादों के लिए अपने मूल्य निर्धारित करते है। तथापि, संघटित इस्पात संयंत्रों द्वारा उत्पादित सामग्रियों की मूल्य वृद्धि करते समय, समिति द्वारा इन मूल्य वृद्धियों के असर को उन उपभोक्ताओं के लिए कम करने का प्रयास किया जाता है, जो सुलभता से ऊंचे मूल्यों को वहन नहीं कर सकते हैं।

अल्यूमीनियम :

अल्यूमीनियम धातु के घरेलू उत्पादन की वृद्धि को देखते हुए 1-3-89 से अल्यूमीनियय के मूल्य और वितरण से नियंत्रण हटा लिया गया है।

कोयला :

निवेश लागत में वृद्धि के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए कोल इंडिया लिमिटेड और सिंगरेनी कोयला खान कम्पनी द्वारा उत्पादित ग्रेड ई एफ और जी के खनन मूल्यों में इस प्रकार वृद्धि की गई थी :

(रुपये प्रति टन)

पुनरीक्षण की तारीख	कोल इण्डिया लि० द्वारा उत्पादित खान कोयले का खनन मूल्य	
	पुनरीक्षण से पूर्व ई एफ जी	पुनरीक्षण के पश्चात् ई एफ जी
	कोल इण्डिया लिमिटेड	
1-1-89	176 149 100	200 160 114
	सिंगरेनी कोयला खान कम्पनी लि०	
24-1-89	268 202 157	295 222 173

गलगंड नियंत्रण कार्यक्रम

4806. **श्री अब्दुल्वर तांती : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय गलगंड नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत गलगंड रोग को फैलाने से रोकने में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) देश में गलगंड रोग से प्रभावित विशेष जिलों के नाम क्या हैं; और

(ग) इस मामले में आगे क्या कदम उठाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) से (ग) गलगण्ड तथा आयोडीन की कमी से पैदा होने वाले दूसरे विकारों की समस्या की विशालता को देखते हुए भारत सरकार ने 1986 से देश में खाने वाले नमक का चरणबद्ध ढंग से व्यापक आयोडीकरण करने की एक योजना शुरू की है जो वर्ष 1992 तक पूरी हो जाएगी। इस योजना के अन्तर्गत जम्मू व कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, असम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर राज्यों तथा चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र, जिन्होंने गैर-आयोडीकृत नमक की बिक्री पर अपने-अपने समूचे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में प्रतिबन्ध लगाया हुआ है, को खाने के प्रयोजन के लिए केवल आयोडीकृत ननक ही सप्लाई किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश तथा गुजरात राज्य सरकारों, जिन्होंने अपने कुछ जिलों में गैर-आयोडीकृत नमक की बिक्री पर प्रतिबन्ध लगाया हुआ है, को भी आयोडीकृत नमक सप्लाई किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त दूसरे शेष राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को भी आयोडीकृत नमक सप्लाई किया जा रहा है।

आयोडीकृत नमक के उत्पादन को उदार बनाया गया है तथा 1986 में आयोडीकृत नमक की 2.00 लाख टन के वार्षिक उत्पादन से लेकर आयोडीकृत नमक के उत्पादन में धीरे-धीरे वृद्धि की गई है और अप्रैल, 1988 से जनवरी, 1989 की अवधि के दौरान 17.10 लाख टन आयोडीकृत नमक का उत्पादन किया गया है जबकि 1988-89 में आयोडीकृत नमक की अनुमानित आवश्यकता 22.00 लाख टन की थी।

देश में गलगण्ड स्थानिकमारी वाले पता लगाए गए जिलों के नाम दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

भारत में पता लग गलगण्ड के स्थानिकमारी जिले

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम

आन्ध्र प्रदेश

1. विशाखापट्टनम
2. पूर्वी गोदावरी
3. अदिलाबाद
4. खम्मम

5. श्रीकाकुलम

6. विजयनगरम

7. वारंगल

अरुणाचल प्रदेश

असम

1. शिवसागर

2. लखीमपुर

3. डिब्रूगढ़

4. कामरूप

5 ओलपाड़ा

6. दारांग

7. यूनिटियर मिकिर एण्ड एन एस हिल्स

8. कछार

9. नौगांव

बिहार

1. चम्पारण (पूर्व)

2. चम्पारण (पश्चिम)

3. पलामऊ

4. सारण

5. दरभंगा

6. सहरसा

7. पुनिया

8. संथाल परगना

9. रांची

10. मुजफ्फरपुर

11. हरारीबाग

गुजरात

1. भड़ौच

2. वालसाड

3. बड़ौदा

4. सूरत

हरियाणा

1. अम्बाला
2. गुडगांव

हिमाचल प्रदेश

1. सिरमौर
2. मण्डी
3. बिलासपुर
4. कांगडा
5. महासू
6. शिमला
7. सोलन
8. ऊना
9. हमीरपुर
10. कुल्लु

जम्मू और कश्मीर

1. उधमपुर
2. अनन्तनाग
3. बारामूला
4. डोडा
5. जम्मू
6. पुंछ
7. कठुआ
8. राजौरी
9. श्रीनगर

कर्नाटक

1. चिकमंगलूर

केरल

1. एर्नाकुलम

मध्य प्रदेश

1. शहडोल
2. सिधी
3. रायगढ़

4. सरगूजा
5. बिलासपुर
6. खण्डवा
7. करगान
8. बेतूल
9. होशंगाबाद
10. खिलवाड़ा
11. मांडला
12. जबलपुर

महाराष्ट्र

1. जालना
2. औरंगाबाद
3. अमरावती
4. वर्धा
5. बुलडाना
6. सतारा
7. धुले

मणिपुर

मेघालय

1. गारो पहाड़ी
2. संयुक्त खासी और जयंतिया पहाड़ी

नागालैंड

1. कोहिमा
2. मोकोकचुंग
3. तेनसांग

उड़ीसा

1. सुन्दरगढ़

पंजाब

1. गुरदासपुर
2. होशियारपुर

3. रोपड़

राजस्थान

1. कोटा

सिक्किम

त्रिपुरा

उत्तर प्रदेश

1. देहरादून
2. बिजनौर
3. नैनीताल
4. देवरिया
5. बरेली
6. रामपुर
7. खीरी
8. शाहजहांपुर
9. पीलीभीत
10. गोंडा
11. पौढी गढ़वाल
12. मेरठ
13. अल्मोड़ा
14. पिथौरागढ़
15. चमोली
16. टिहरी गढ़वाल
17. उत्तरकाशी
18. बस्ती
19. गोरखपुर
20. बदायूं
21. बहराइच
22. गाजियाबाद
23. आगरा
24. सहारनपुर

25. मुजफ्फरनगर

26. रायबरेली

27. सुल्तानपुर

28. मिर्जापुर

पश्चिम बंगाल

1. कूच-बिहार

2. दार्जिलिंग

3. जलपाईगुड़ी

4. मालदा

5. पश्चिम दीनाजपुर

मिजोरम

गोआ

संघ राज्य-क्षेत्र

चण्डीगढ़

दादरा और नागर हवेली

दिल्ली

[हिन्दी]

दिल्ली के गांवों की भूमि का अधिग्रहण

4807. **श्री भरत सिंह :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन ने दिल्ली के गांवों के किसानों की भूमि का अधिग्रहण किया था और उन्हें इसके लिए नाममात्र का मुआवजा दिया था;

(ख) क्या किसानों ने मुआवजे की राशि बढ़ाने हेतु पहले उच्च न्यायालय में और फिर उच्चतम न्यायालय में अपील की थी;

(ग) यदि हां, तो इनके मामलों में कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है; और

(घ) इन किसानों को उचित मुआवजा कब तक दिया जाएगा ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) दिल्ली प्रशासन भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के उपबंधों के अन्तर्गत समय-समय पर विभिन्न प्रयोजनों के लिए दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में भूमि अर्जित करता है। भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत अधिसूचना जारी होने की तारीख को उस क्षेत्र में प्रचलित बाजार मूल्य को ध्यान में रखते हुए भूमि अधिग्रहण कलेक्टरों द्वारा अर्जित भूमि के लिए मुआवजा दिया जाता है।

(ख) जी, हां। यदि कोई व्यक्ति, जिसका उस भूमि में हित निहित हो, भूमि अधिग्रहण कलेक्टर द्वारा दिये गये मुआवजे से संतुष्ट नहीं होता है, तो वह जिलाधीश से अपील कर सकता

है और यदि वह फिर भी संतुष्ट न हो तो आगे उच्च न्यायालय/उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकता है। 1988 के अन्त तक उच्च न्यायालय में भूमि अर्जन के 2855 मामले लम्बित पड़े हुए थे। उच्चतम न्यायालय में भूमि अर्जन के संबंध में ऐसे कोई आंकड़े अलग से नहीं रखे जा रहे हैं।

(ग) और (घ) ऐसे मामलों पर निर्धारित न्यायिक प्रक्रिया के अनुसार निर्णय लिया जाता है और उसके बाद भूमि अर्जन समाहर्ता उन विभागों, जिनके लिए भूमि अर्जित की गयी है, से भुगतान के लिए बढ़ा हुआ मुआवजा, यदि कोई हो, एकत्र करता है।

चीनी मिलों में घाटा

4809. **डा० चन्द्रशेखर त्रिपाठी : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीनी की कई मिलें घाटे में चल रही हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का इस मामले की जांच कराने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री डी० एल० बैठा) : (क) से (ग) सरकार चीनी मिलों के संबंध में लाभ और हानि के लेखे नहीं रखती है। किसी चीनी फैक्ट्री की लाभकारिता अथवा अन्यथा कई एक तथ्यों पर निर्भर करती है जिसमें गन्ने की उपलब्धता, तकनीकी और प्रबन्धकीय सक्षमता और कई अन्य तथ्यों, जो कि चीनी नीति द्वारा सीधे विनियमित नहीं किए जाते हैं, शामिल हैं। तथापि, सरकार चीनी उद्योग की सक्षमता में सुधार करने की दिशा में पग उठाती आ रही है। इसकी दृष्टि में, इस मामले में जांच करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

अहमदाबाद में परिक्रमा रेलगाड़ी

4810. **श्री रणजीत सिंह गायकवाड़ : क्या शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का गुजरात में अहमदाबाद के आसपास एक परिक्रमा रेल सेवा आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं या उठाने का प्रस्ताव है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) अहमदाबाद नगर निगम/अहमदाबाद शहरी विकास प्राधिकरण के अनुरोध पर, महानगरीय परिवहन परियोजनाओं ने (रेलवे बम्बई) ने बृहत अहमदाबाद क्षेत्र के लिए द्रुतगामी जन परिवहन प्रणाली को लागू करने के लिए भारतीय रेल तकनीकी तथा आर्थिक सेवाओं (अनुष्ठानों) द्वारा तकनीकी आर्थिक सम्भाव्यता का अध्ययन कराया था, दिसम्बर, 1988 में रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत की गई थी। इस रिपोर्ट पर आगे कार्रवाई करना गुजरात सरकार का कार्य है।

रेशम उत्पादन उद्योग के लिए केन्द्रीय सहायता

4811. श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराज वाडियार : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में रेशम उत्पादन उद्योग के विकास के लिये राज्यवार कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(ख) क्या रेशम उत्पादन उद्योग को और अधिक सहायता देने की आवश्यकता है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने वर्ष 1988-89 और 1989-90 के लिए रेशम उत्पादन उद्योग के लिए कोई अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता निर्धारित की है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) कर्नाटक में रेशम उत्पादन के विकास के लिए वर्ष 1988-89 और 1989-90 के लिए आवंटित की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) कर्नाटक में रेशम उत्पादन के विकास के लिए और क्या कदम उठाये गये हैं ?

वस्त्र मंत्री तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) विवरण-1 संलग्न है।

(ख) जी, हां।

(ग) वर्ष 1987-88 की तुलना में, वर्ष 1988-89 और 1989-90 के लिए धनराशि के निम्नलिखित उच्चतर आवंटन के रूप में रेशम उत्पादन उद्योग को अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता दी गई है।

वर्ष	किए गए आवंटन (करोड़ रुपयों में)
1987-88	25.50
1988-89	26.29
1989-90	39.04

(घ) कर्नाटक में केन्द्रीय क्षेत्र में रेशम उत्पादन विकास योजना के लिए वर्ष 1988-89 और 1989-90 के दौरान निम्नलिखित धनराशि का आवंटन किया गया है—

1988-89	3.362 करोड़ रु०
1989-90	5.487 करोड़ रु०

(ङ) विवरण-2 संलग्न है।

विवरण-1

पिछले तीन वर्षों के दौरान योजना आयोग द्वारा अनुमोदित राज्य-वार आबंटन

(लाखों में)

क्र०सं०	राज्य	1986-87	1987-88	1988-89
1.	आंध्र प्रदेश	350.00	375.00	400.00
2.	असम	250.00	270.00	305.00
3.	बिहार	160.00	200.00	225.00
4.	हिमाचल प्रदेश	13.90	14.89	14.45
5.	मेघालय	35.00	36.00	47.00
6.	जम्मू तथा कश्मीर	158.00	165.00	182.00
7.	मध्य प्रदेश	350.00	426.00	550.00
8.	तमिलनाडु	240.81	240.54	395.62
9.	महाराष्ट्र	50.00	30.00	50.00
10.	मणिपुर	85.00	85.00	100.00
11.	कर्नाटक	1554.00	1496.00	1446.08
12.	नागालैंड	25.00	25.00	40.00
13.	अरुणाचल प्रदेश	14.00	20.00	25.00
14.	उड़ीसा	70.00	76.30	107.00
15.	पंजाब	17.001	31.75	13.85
16.	त्रिपुरा	30.00	26.90	27.00
17.	उत्तर प्रदेश	125.00	120.00	138.00
18.	पं० बंगाल	315.00	332.00	313.00
19.	गुजरात	24.00	40.91	26.00
20.	राजस्थान	30.56	38.00	40.00
21.	मिजोरम	80.00	100.00	105.00
22.	एन०ई०सी०	15.80	77.00	30.00
23.	केरल	—	—	20.00

विवरण-2

राज्य सरकार के प्रयासों के पूरक प्रयास के रूप में, राज्य में रेशम उत्पादन विकास के लिए केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने निम्नलिखित अनुसंधान और विकास विस्तार तथा प्रशिक्षण एकक स्थापित किये हैं—

(1) केन्द्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान

(2) 1 केन्द्रीय रेशम प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान

(3) 1 अन्तर्राष्ट्रीय उष्ण कटिबन्धी रेशम उत्पादन प्रशिक्षण और अनुसंधान केन्द्र

(4) 1 रेशम परीक्षण प्रयोगशाला

(5) 2 क्षेत्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान केन्द्र

(6) 1 प्रदर्शन-सह-प्रशिक्षण केन्द्र

(7) 10 अनुसंधान विस्तार केन्द्र

(8) 4 बुनियादी बीज कोनून फार्म

(9) 5 रेशम कीट बीज उत्पादन केन्द्र

इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने निम्नलिखित योजनाओं के लाभ भी कर्नाटक राज्य को दिए हैं—

1. यूजीफ्लाई नियन्त्रण कार्यक्रम के लिए अनुदान।
2. बिवोल्टाइन रेशम कीट पालनकर्ता और रीलरों को प्रोत्साहन जोन्स का भुगतान।
3. नये क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम के अन्तर्गत शहतूत की कलमों की इमदादी आपूर्ति।
4. सूखा पीड़ित रेशम उत्पादकों को राहत प्रदान करने के लिए योजना।
5. रेशम उत्पादकों को रसायनों/कीटाणु रोधकों की मुफ्त आपूर्ति।

राजमुंद्री, आंध्र प्रदेश में कर्मचारी भविष्य निधि कार्यालय खोलना

4812. **श्री श्रीहरि राव** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में कर्मचारी भविष्य निधि कार्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राधा किशन मालवीय): (क) और (ख) आंध्र प्रदेश में राजमुंद्री में कर्मचारी भविष्य निधि का उप-क्षेत्रीय कार्यालय खोलने के लिए विभिन्न भागों से अनुरोध प्राप्त हुए हैं तथा इन पर उप-क्षेत्रीय कार्यालय खोले जाने के उन संशोधित दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए विचार किया जाएगा जिन्हें कर्मचारी भविष्य निधि के केन्द्रीय न्यासी बोर्ड की 4 अप्रैल, 1989 को हुई बैठक में अनुमोदित किया गया था।

[हिन्दी]

दिल्ली में अनधिकृत निर्माण

4813. **श्री काशीप्रसाद पांडेय** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार सरकारी भूमि प अनधिकृत निर्माण के लिए जिम्मेदार पाए व्यक्तियों के विरुद्ध दिल्ली में कितने मामले दर्ज किये गये हैं;

(ख) कितने मामलों में संबंधित व्यक्तियों ने न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त किये हैं;

(ग) क्या इस समय अनधिकृत निर्माण में कमी आई है; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का इस संबंध में एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने का विचार है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) :

(क) वर्ष	मामलों की संख्या
1986	345
1987	466
1988	259
योग :	1070

(ख) 782 मामले।

(ग) 1987 में 466 मामलों की तुलना में 1988 में अनधिकृत निर्माण के 259 मामले थे।

(घ) जी, नहीं।

भूतपूर्व मंत्रियों/संसद सदस्यों के लिए आवास आबंटन करने हेतु विशेष प्रावधान

[अनुवाद]

4814. **श्री ई० अय्यपू रेड्डी :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व केन्द्रीय मंत्रियों और संसद सदस्यों को रिहायशी आवासों के आबंटन के लिए नियमों में विशेष प्रावधान करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

केन्द्रीय डिजाइन केन्द्र, लखनऊ

4815. **डा० फूलरेणु गुहा :** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय डिजाइन केन्द्र, लखनऊ ने पम्परागत डिजाइनों के विकास और परिरक्षण और भारतीय हस्तकला के संवर्धन के लिये सिफारिश की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्री तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के अधीन कार्यरत केन्द्रीय डिजाइन केन्द्र, लखनऊ द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, उन्होंने भारतीय हस्तशिल्पों के संवर्धन और परम्परागत डिजाइनों के विकास तथा संरक्षण हेतु कोई सिफारिश नही की है। किन्तु वे निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान करते हैं :

(1) पीतल के बर्तन निर्माण और जरी शिल्पों मे तकनीकी मार्गदर्शन।

(2) हस्तशिल्पों के विपणन हेतु प्रदर्शनियों तथा मेलों का आयोजन।

(3) प्रमुख शिल्पियां पुरस्कार को प्रदान करना।

(4) नए शिल्पियों के लिए प्रशिक्षण सुविधाएं।

(5) बाजार की मांग के अनुरूप नए डिजाइन तैयार करना।

बांस की खेती

4816. **श्री प्रताप राव बी० भोसले** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बांस की खेती को एक कृषि उत्पाद के रूप में वर्गीकृत किया गया है और इसे कागज मिलों में कच्ची सामग्री के रूप में प्रयोग किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने बड़े पैमाने पर बांस की खेती करने के लिए कोई कार्य योजना बनाई है; और

(ग) इसकी खेती के लिए किन स्थानों का चयन किया गया है और बांस की खेती करने के लिए किसानों को क्या प्रोत्साहन दिए गए हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) बांस एक वन उत्पाद है और कागज मिलों के लिए एक कच्ची सामग्री के रूप में प्रयोग किया जाता है।

(ख) और (ग) केन्द्रीय सरकार ने बड़े पैमाने पर बांस की खेती के लिए कोई विशिष्ट कार्य योजना तैयार नहीं की है। तथापि, बांस की खेती को बढ़ावा देने के लिए कृषि वानिकी और विकेन्द्रीकृत जन पौधशाला कार्यक्रमों के तहत बांस के पौधे निःशुल्क या रियायत दर पर वितरित किये जाते हैं। इसके अतिरिक्त, बांस की खेती हाल ही में शुरू की गई लघु वन उत्पाद की पौधरोपण की 100 प्रतिशत केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के तहत आती है।

गैर-सरकारी क्षेत्र को रुई के निर्यात के लिए आवंटित कोटा

[हिन्दी]

4817. **श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया** :

श्री दिनेश गोस्वामी :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रुई निगम के लिये निर्धारित रुई का निर्यात कोटा गैर-सरकारी क्षेत्र को आवंटित कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो कितनी मात्रा में कोटा आवंटित किया गया है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या कोटे के आबंटन हेतु गैर सरकारी क्षेत्र से नये प्रस्ताव अमंत्रित किये गये थे, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) किन-किन कम्पनियों को रुई के निर्यात का काम सौंपा गया था और इसके लिये क्या मानदंड अपनाये गये हैं ?

वस्त्र मंत्री तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) भारतीय रुई निगम को प्रारंभ में बंगाल देशी रुई का 10,000 गांठों का जो कोटा रिलीज किया गया था उसे बाद में अधिक विदेशी मुद्रा वसूल करने के उद्देश्य से गैर-सरकारी व्यापार क्षेत्र को पुन: आबंटित कर दिया गया था।

(ग) और (घ) नई बोलियां आमंत्रित करना इसलिए आवश्यक नहीं समझा गया क्योंकि अतिरिक्त कोटा क्रमानुसार 40,000 गांठों के मूल कोटे की निविदा के सहभागियों को सर्वाधिक इकाई मूल्य वसूली के आधार पर इस शर्त पर दिया गया था कि कुल आबंटन (मूल और अतिरिक्त कोटा में से) पहले मांगी गई मात्रा तक ही सीमित होगा, जिसकी उच्चतम सीमा कुल कोटे का 25 प्रतिशत होगी तथा इसकी दर मूल निविदा के संबंध में स्वीकार की गई न्यूनतम दर से कम नहीं होगी।

उपरोक्त मानदण्ड के आधार पर निम्नलिखित को अतिरिक्त कोटा रिलीज किया गया :

1. मै० द्वारका दास काटन कं० प्रा० लि०, बम्बई
2. मै० शेखशरिया पोली काटन प्रा० लि०, बम्बई
3. मै० चैम केम प्रा० लि०, बम्बई
4. मै० श्री रानी सति इन्वेस्टमैंट, बम्बई
5. मै० डीके एक्सपोर्ट्स, कलकत्ता
6. मै० भारत एक्सपोर्ट्स, कलकत्ता
7. मै० कल्पना प्लास्टिक्स, कलकत्ता
8. मै० हिन्द एक्सपोर्टस, कलकत्ता
9. मै० नवकेतन इंटरनेशनल, कलकत्ता
10. मै० डी० सी० इंटरनेशनल, बम्बई
11. मै० कमल उद्योग, कलकत्ता
12. मै० कृष्णा इंडस्ट्रीज, हावड़ा, प० बंगाल।

जनजातियों की जीवन पद्धति की रक्षा करना

[अनुवाद]

4818. **श्री के० कुन्जम्बु :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जनजातियों से वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के कठोर उपबन्धों के विरुद्ध शिकायत मिली है;

(ख) यदि हां, तो शिकायतों का सही स्वरूप क्या है, और

(ग) वनों और प्राकृतिक सम्पदा और जनजातियों की जीवन पद्धति की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उपबंध में ढील देने के बारे में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ।

(ख) ये अभ्यावेदन मुख्य रूप से कृषि, दूरसंचार विकास आदि के लिए वन भूमि में अनधिकार प्रवेश और उसकी कटाई को विनियमित करने से संबंधित हैं ।

(ग) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

(क) वन और प्राकृतिक वासस्थल की सुरक्षा के लिए किए गए उपाय :

1. नई राष्ट्रीय वन नीति, 1988 में वनों के संरक्षण पर और अधिक बल दिया गया है । चराई, अग्नि और अनाधिकार प्रवेश से वनों की सुरक्षा के लिए इसमें विशेष प्रावधान किए गए हैं ।

2. गैर-वन प्रयोजनों के लिए वन भूमि के उपयोग को रोकने के लिए 1980 में वन (संरक्षण) अधिनियम बनाया गया था । 1988 में इसमें संशोधन करके इस अधिनियम को और अधिक कठोर बनाया गया है ।

3. वनों की सुरक्षा के लिए कानूनी उपबंधों को लागू करने के लिए आधारभूत ढांचे के विकास के लिए राज्यों की सहायता हेतु एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम शुरू की गई है ।

4. घरेलू और वाणिज्यिक क्षेत्रों में ईंधन की लकड़ी के प्रतिस्थापन के लिए ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों का विकास किया जा रहा है ।

5. पैकिंग, रेलवे स्लीपरों और भवन निर्माण में लकड़ी के बदले वैकल्पिक सामग्री का उपयोग किया जा रहा है ।

6. वन उत्पादों के लिए आयात नीति को उदार बना दिया गया है ।

7. लकड़ी के विकल्प का प्रयोग करने के लिए उद्योगों को वित्तीय प्रोत्साहन दिए जाते हैं ।

8. झूम खेती को नियंत्रण करने के प्रयास किए जा रहे हैं ।

9. वनों की सुरक्षा के लिए राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेशों को समय-समय पर दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं । इसमें से कुछ दिशा-निर्देश नीचे दिए जाते हैं :

    1. प्राकृतिक वनों की पूर्ण कटाई से बचना औम जहां फसलों की बहाली अथवा अन्य बागवानी दृष्टिकोणों से, इस प्रकार की कटाई अपरिहार्य हो, वहां पहाड़ों पर इस क्षेत्र 10 हेक्टेयर और मैदानों में 25 हेक्टेयर से अधिक नहीं होना चाहिए ।

2. पहाड़ों पर 1000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर पेड़ों की कटाई पर कम से कम कुछ सालों के लिए प्रतिबंध लगाने पर विचार करना।

3. पहाड़ियों और पर्वतों पर उन महत्वपूर्ण क्षेत्रों का पता लगाना, जिनमें वनों की कटाई से सुरक्षा करने और तत्काल व्यापक वनरोपण की जरूरत है।

4. 4 प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र को वन्यजीव अभ्यारण्यों, राष्ट्रीय उद्यानों, जीवमंडल रिजर्वों आदि जैसे सुरक्षा क्षेत्रों के रूप में अलग रखना।

5. वनों को दावानल से बचाने के लिए विशेष मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए गए हैं।

(ख) आदिवासियों के हितों की सुरक्षा के लिए सुझाए गए उपाय :

नई राष्ट्रीय वन नीति, 1988 में निम्नलिखित मार्गदर्शी सिद्धान्त निर्धारित किए गए हैं।

1. आदिवासियों के अधिकारों और रियायतों को पूर्ण सुरक्षा दी जाए।

2. वन ठेकेदारों के स्थान पर आदिवासी सहकारी समितियां, श्रमिक सहकारी समितियां, सरकारी निगम आदि जैसे संस्थानों को लगाया जाए।

3. लघु वन उत्पाद की सुरक्षा, पुनर्उत्पादन एवं उनके संग्रह को इष्टतम बनाया जाए और इनके विपणन के लिए संस्थागत व्यवस्थाएं की जाएं।

4. वन ग्रामों का विकास कर उन्हें राजस्व ग्रामों के समान किया जाए।

5. आदिवासियों के हित के लिए परिवार के अनुकूल समस्याओं का प्रचार किया जाए।

6. आदिवासियों सहित ग्रामीण लोगों की जलावन की लकड़ी और चारे की मौलिक आवश्यकताओं को पूरा करने के पश्चात् वन पर आधारित ग्राम और कुटीर उद्यमों को प्राथमिकता के आधार पर कच्चे माल की आपूर्ति की जाए।

प्रबंध में मजदूरों की सहभागिता

4819. **श्री बृज मोहन महन्ती :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में स्थापित केन्द्रीय सरकार के उन उपक्रमों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने प्रबंध व्यवस्था में मजदूरों की सहभागिता संबंधी योजना को कार्यान्वित किया है; और

(ख) क्या उड़ीसा में गैर-सरकारी क्षेत्र में ऐसा कोई उद्योग है जिसकी प्रबंध व्यवस्था में मजदूरों के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राधा किशन मालवीय) : (क) उड़ीसा में कार्यरत पांच केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों से केवल पारादीप फासफेट्स लि० शॉप फ्लोर/संयंत्र स्तर पर प्रबंध व्यवस्था में कर्मकारों की सहभागिता संबंधी योजना को कार्यान्वित किया है।

(ख) और (ग) वर्ष 1983 में केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित प्रबंध व्यवस्था में कर्मकारों की सहभागिता संबंधी योजना मुख्यतया सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को लागू होती है हालांकि निजी क्षेत्र उद्यमों का इसे अपनाए जाने में स्वागत किया जाता है। उन निजी क्षेत्र उद्यमों,

जिनमें कर्मकारों के प्रतिनिधियों को प्रबंध व्यवस्था में शामिल किया गया है, के संबंध में सूचना केन्द्रीय सरकार द्वारा नहीं रखी जाती है।

राष्ट्रीय श्रम संस्थान के निष्कर्ष

4820. **श्री गदाधर साहा : क्या श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय श्रम संस्थान द्वारा श्रम मंत्रालय की सलाहकार समिति को प्रस्तुत किए गए प्रपत्र में किन महत्वपूर्ण निष्कर्षों का विवरण दिया गया है; और

(ख) इस "प्रपत्र" के बारे में श्रम मंत्रालय की क्या प्रतिक्रिया है और इस प्रपत्र में दिये गये सुझावों के आधार पर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में असंगठित श्रमिकों के कल्याण, कार्यस्थितियों और रहन-सहन की दशा तथा सामाजिक सुरक्षा के संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राधा किशन मालवीय) : (क) राष्ट्रीय श्रम संस्थान के डीन द्वारा तैयार किये गये 'असंगठित श्रमिक" नामक एक पेपर पर श्रम मंत्रालय की संसदीय परामर्शदात्री समिति की एक बैठक में विचार-विमर्श किया गया। इन कागजातों में अन्य बातों के साथ-साथ, असंगठित क्षेत्र में सभी कारकों तथा मानव संसाधन विकास में लगी एजेन्सियों की समग्र रूप से पुनरीक्षा करने की आवश्यकता, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948, ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970, अन्तर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1979 जैसे मौजूदा श्रम विधानों तथा अन्य ऐसे कानूनों के बेहतर कार्यान्वयन का सुझाव दिया गया है। कृषि श्रमिकों के लिए एक केन्द्रीय कानून बनाने के लिए भी सुझाव है तथा असंगठित श्रमिकों की समस्याओं को दूर करने के लिए क्षेत्रीय की बजाय सहयोजित दृष्टिकोण की आवश्यकता है।

(ख) सरकार को ऐसे कागजात प्राप्त होते हैं और ये सुझावों के गुणा वगुण तथा उनकी व्यवहार्यता के आधार पर भविष्य नीति निर्धारण में योगदान देते हैं।

आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में स्वेच्छा से कमी करना

4821. **श्री एम० रघुमा रेड्डी : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फैडरेशन ऑफ आल इंडिया फूडग्रेन डीलर्स एसोसिएशन के दालों, चावल और गेहूं की कीमतों में स्वेच्छापूर्वक तत्काल कमी करने का निर्णय किया है, यदि हां, तो कितनी कमी की गई है;

(ख) क्या एसोसिएशन ने कीमतों में सशर्त कमी की है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या उन्होंने कुछ वस्तुओं को खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के क्षेत्राधिकार से छूट देने की मांग की है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री डी० एल० बैठा) : (क) फैडरेशन ऑफ आल इंडिया फूडग्रेन डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष ने 2-3-1989 को हुई एक बैठक में घोषणा की थी कि कुछ अनाज के व्यापारी स्वेच्छा से चने तथा उसकी दाल के मूल्यों में प्रति क्विंटल 25 रु० मसूर तथा उसकी दाल में प्रति क्विंटल 10 रु० तथा चावल व गेहूं में प्रति

क्विंटल 7 रु० की तत्काल कमी करने के लिए सहमत हो गए हैं। उन्होंने अनाज के सभी व्यापारियों से इस निर्णय का पालन करने की अपील की है।

(ख) जी नहीं।

(ग) अध्यक्ष ने अपने भाषण में अनुरोध किया था कि खाद्यान्नों, दालों तथा तिलहनों को खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के क्षेत्र से छूट दी जाए।

मूल्य सूची प्रदर्शित करना

4822. **श्री वी० एस० विजयराघवन : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया है कि दुकानदार जो वस्तुएं बेचते हैं उनकी मूल्य सूची प्रदर्शित करें;

(ख) क्या यह शर्त सख्ती से लागू की जा रही है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसका सख्ती से अनुपालन कराने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री डी० एल० बैठा) : (क) से (ग) केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को सलाह दी है कि वे मूल्य तथा स्टाक प्रदर्शन संबंधी आदेशों को जोरदार ढंग से लागू करें। उपलब्ध जानकारी के अनुसार राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों ने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपने आदेशों में विनिर्दिष्ट आवश्यक वस्तुओं के बारे में मूल्य तथा स्टाक के प्रदर्शन से संबंधित आदेश जारी किए हैं।

भूमि तथा विकास कार्यालय द्वारा बकाया राशि की वसूली

4823. **श्री सी० जंगा रेड्डी : क्या शहरी विकास मंत्री** भूमि तथा विकास कार्यालय द्वारा बकाया राशि की वसूली के बारे में 7 दिसम्बर, 1988 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3805 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भूमि तथा विकास कार्यालय, नई दिल्ली को किन-किन कम्पनियों से एक लाख रुपये अथवा इससे अधिक राशि वसूल करनी है;

(ख) प्रत्येक मामले में यह राशि कब से बकाया है और अब तक प्रत्येक कम्पनी के विरुद्ध कितनी ब्याज राशि संचित हुई है;

(ग) किन कारणों से इनकी ओर बकाया राशि संचित हुई है;

(घ) बकाया राशि की शीघ्र वसूली के लिए क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का विचार है; और

(ङ) क्या कोई छूट/रियायत दी गई है अथवा कोई राशि बट्टे खाते में डाली गई है; यदि हां, तो कब तथा इन कम्पनियों के नाम क्या हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय

[हिन्दी]

4824. प्रो० चन्द्र भानु देवी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में कितने आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय कार्य कर रहे हैं और वे राज्यवार कहां-कहां स्थित हैं;

(ख) इन विश्वविद्यालयों से राज्यवार प्रति वर्ष कितने छात्र आयुर्वेदिक स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जामनगर नामक एकमात्र आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय है। लेकिन, देश में 46 विश्वविद्यालय आयुर्वेदिक उपाधियां प्रदान कर रहे हैं जिनकी सूची विवरण-1 में संलग्न है।

(ख) इन विश्वविद्यालयों से 1987 में उत्तीर्ण होने वाले आयुर्वेदिक स्नातकों की राज्यवार संख्या का एक विवरण संलग्न विवरण-2 में दिया गया है।

विवरण-1

आयुर्वेदिक संकाय वाले विश्वविद्यालयों की सूची

क्रमांक	विश्वविद्यालय का नाम तथा स्थान
1.	उस्मानिया विश्वविद्यालय हैदराबाद (आंध्र प्रदेश)
2.	नागार्जुन विश्वविद्यालय नागार्जुन नगर, आंध्र प्रदेश
3.	काकतीय विश्वविद्यालय वारंगल, आंध्र प्रदेश
4.	एस० वी० विश्वविद्यालय तिरुपति, आंध्र प्रदेश
5.	यूनिवर्सिटी आफ हैल्थ साइंसेज, विजयवाड़ा
6.	गौहाटी विश्वविद्यालय गौहाटी, असम
7.	बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर, बिहार
8.	के० एस० दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा, बिहार

क्रमांक	विश्वविद्यालय का नाम तथा स्थान
9.	गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय जामनगर, गुजरात
10.	कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र, हरियाणा
11.	महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय रोहतक, हरियाणा
12.	हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला, हिमाचल प्रदेश
13.	बंगलौर विश्वविद्यालय बंगलौर, कर्नाटक
14.	मैसूर विश्वविद्यालय मैसूर, कर्नाटक
15.	गुलबर्गा विश्वविद्यालय गुलबर्गा, कर्नाटक
16.	कर्नाटक विश्वविद्यालय धारवाड, कर्नाटक
17.	मंगलौर विश्वविद्यालय मंगलौर, कर्नाटक
18.	केरल विश्वविद्यालय त्रिवेन्द्रम, केरल
19.	कालीकट विश्वविद्यालय कालीकट, केरल
20.	जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर, मध्य प्रदेश
21.	रविशंकर विश्वविद्यालय रायपुर, मध्य प्रदेश
22.	रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर, मध्य प्रदेश
23.	विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन, मध्य प्रदेश
24.	देवी अहल्या विश्वविद्यालय इंदौर, मध्य प्रदेश

क्रमांक	विश्वविद्यालय का नाम तथा स्थान
25.	अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा, मध्य प्रदेश
26.	हरी सिह गौड़ विश्वविद्यालय सागर, मध्य प्रदेश
27.	बम्बई विश्वविद्यालय बम्बई, महाराष्ट्र
28.	नागपुर विश्वविद्यालय नागपुर, महाराष्ट्र
29.	मराठवाड़ा विश्वविद्यालय औरंगाबाद, महाराष्ट्र
30.	पूना विश्वविद्यालय पूना, महाराष्ट्र
31.	शिवाजी महाविद्यालय कोल्हापुर, महाराष्ट्र
32.	अमरावती विश्वविद्यालय अमरावती, महाराष्ट्र
33.	उत्कल विश्वविद्यालय भुवनेश्वर, उड़ीसा
34.	संभलपुर विश्वविद्यालय संभलपुर, उड़ीसा
35.	बरहामपुर विश्वविद्यालय बरहामपुर, उड़ीसा
36.	फैकल्टी आफ आयुर्वेदिक एण्ड यूनानी सिस्टम्स आफ मैडिसिन्स पटियाला, पंजाब
37.	गुरू नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर, पंजाब
38.	राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर, राजस्थान
39.	मद्रास विश्वविद्यालय मद्रास, तमिलनाडु
40.	भारतियर विश्वविद्यालय कोयम्बटूर
41.	लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ, उत्तर प्रदेश

क्रमांक	विश्वविद्यालय का नाम तथा स्थान
42.	कानपुर विश्वविद्यालय कानपुर, उत्तर प्रदेश
43.	सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी, उत्तर प्रदेश
44.	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, केवल, स्नातकोत्तर अध्ययन के लिए वाराणसी, उत्तर प्रदेश
45.	कलकत्ता विश्वविद्यालय कलकत्ता, पश्चिम बंगाल
46.	दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली

विवरण-2

क्र०सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	कालेजों की कुल संख्या	1987 के अंतिम वर्ष में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	4	100(3)
2.	अरुणाचल प्रदेश	—	—
3.	असम	1	24(1)
4.	बिहार	9	+
5.	गोवा	—	—
6.	गुजरात	9	237(8)
7.	हरियाणा	4	134(2)
8.	हिमाचल प्रदेश	1	43(1)
9.	जम्मू व कश्मीर	—	—
10.	कर्नाटक	9	129(9)
11.	केरल	4	50(4)
12.	मध्य प्रदेश	7	13(4)
13.	महाराष्ट्र	20	555(18)
14.	मणिपुर	—	—
15.	मेघालय	—	—
16.	मिजोरम	—	—

1	2	3	4
17.	नागालैंड	—	—
18.	उड़ीसा	6	16(4)
19.	पंजाब	4	109(4)
20.	राजस्थान	5	137(4)
21.	सिक्किम	—	—
22.	तमिलनाडु	2	14(1)
23.	त्रिपुरा	—	—
24.	उत्तर प्रदेश	10	65(5)
25.	पश्चिम बंगाल	1	34(1)
26.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	—	—
27.	चंडीगढ़	1	34(1)
28.	दादरा व नागर हवेली	—	—
29.	दमण व द्वीव	—	—
30.	दिल्ली	1	26(1)
31.	लक्षद्वीप	—	—
32.	पांडिचेरी	—	—
	योग (भारत)	98	1730(71)

नोट : +सूचना उपलब्ध नहीं है।

—शून्य सूचना

( ) कोष्ठों में अंक उन कालेजों की संख्या बताते हैं जिन्होंने सूचना भेजी है।

केगा (कर्नाटक) में पारिस्थितिकी संरक्षण

[अनुवाद]

4825. श्री वी० कृष्ण राव : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केगा (कर्नाटक) में पारिस्थितिकी संरक्षण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केगा, जहां परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जा रहा है, में पर्यावरण के संरक्षण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) और (ख) राज्य वन विभाग गैर-वन क्षेत्रों में क्षतिपूरक पौधरोपण के लिए परियोजना प्राधिकारियों से 133 लाख रुपये प्राप्त करेगा, जिसमें से 1988-89 में, परियोजना प्राधिकारियों ने 68 लाख रुपये दे दिए हैं और बकाया राशि अगले वित्त वर्ष में दी जाएगी। परियोजना प्राधिकारियों ने निकट के डांडेली वन्य जीव अभ्यारण्य की सीमाएं पुनः निर्धारित करने के लिए भी 6.75 लाख रुपये की राशि दे दी है। पारिस्थितिकी की सुरक्षा के लिए प्रस्तावों में अगले पांच वर्षों में 25 लाख रुपये की लागत से संयंत्र के चारों तरफ विभिन्न वृक्ष प्रजातियों के विस्तृत अध्ययन और पौधरोपण के लिए मंगलौर विश्वविद्यालय द्वारा तैयार की गई एक स्कीम शामिल है।

(ग) कैगा में परमाणु विद्युत संयंत्र स्थापित किए जाने पर पर्यावरण की सुरक्षा के लिए किये जाने वाले उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं :—

1. संयंत्र में अन्तर्राष्ट्रीय रूप से निर्धारित मानकों के अनुसार रेडियोधर्मिता के निकासी को नियंत्रित करने के लिए सुरक्षा उपाय किए जाते हैं।
2. अनुज्ञेय सीमाओं के अनुकूल अपशिष्ट प्रबन्ध सुविधाएं मुहैया की जाएंगी।
3. ठोस अपशिष्टों को लीक टाइट कंटेनरों में गाड़ दिया जाएगा और उन पर निगरानी रखी जाएगी।
4. संगम क्षेत्र में मछलियों की सुरक्षा के लिए संघनित जल तापमान अनुज्ञेय सीमा के भीतर होगा।
5. संयंत्र के 30 किमी० क्षेत्र के घेरे में फैली यूनिट के संचालन-पूर्व और संचालन के बाद के चरणों में पर्यावरणीय परिमाणों के लिए पर्यावरणीय सर्वेक्षण प्रयोगशाला संयंत्र को चालू करने से काफी पहले स्थापित की जाएगी।
6. स्थल से दूर आपात योजना तैयार की जाएगी।
7. प्रस्तावित सुरक्षा पहलुओं की एटोमिक एनर्जी रेगुलेशन बोर्ड द्वारा लगातार समीक्षा की जाएगी; और
8. धूल की मात्रा कम करने, उष्मा के विकिरण को कम करने और सूक्ष्म जलवायु परिस्थितियों (माइक्रो-क्लाईमेटिक कंडीसन्स) में सुधार करने के लिए हरी पट्टी उगाई जाएगी।

शारीरिक अवयवों का ठीक विकास न होने के कारण बच्चों की मौत

4826. **श्री सोमनाथ रथ : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शारीरिक अवयवों का ठीक विकास न होने के कारण भारत में प्रतिवर्ष कितने बच्चे जन्म लेते ही मर जाते हैं;

(ख) कितने प्रतिशत बच्चे समय से पहले जन्म लेने के कारण मर जाते हैं;

(ग) इसके क्या कारण हैं और इसे रोकने के लिए क्या उपाय किये गए हैं;

(घ) शारीरिक अवयवों का ठीक विकास न होने वाले कितने प्रतिशत शिशुओं की मृत्यु आपरेशन के अभाव में हो जाती है,

(ङ) क्या अभयलिंग विकारों से ग्रसित बच्चे पूर्णतः अपेक्षित हैं; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) और (ख) चुनिंदा स्वास्थ्य केन्द्रों के मुख्यालय वाले गांवों में 1982-86 के दौरान हुई मौतों के कारणों के किए गए वार्षिक सर्वेक्षण के अनुसार सूचित की गई कुल शिशु मौतों में से जन्मजात कुरचना और काल-पूर्व प्रसव के कारण होने वाली शिशु मौतों की प्रतिशतता संलग्न विवरण में दी गई है ।

(ग) जन्मजात कुरचना के प्रमुख कारण हैं : जीनीय और गुणसूत्री अपसामान्यताएं, बच्चे के मां को हुए टॉक्सोप्लाज्मोसिस और रूबेला जैसे रोग और गर्भाशय से संबंधित कारण जैसे गर्भाशय में भ्रूण की स्थिति अल्प-उल्वोदेवाना आदि । इसकी रोकथाम करने के लिए की जाने वाली कार्रवाई में विशेषज्ञता सम्पन्न संस्थानों में तथा किसी चिकित्सा कार्मिक द्वारा जीनीय परामर्श देना है । समय से पूर्व प्रसव होने अथवा जन्म के समय शिशु का भार कम होने के महत्वपूर्ण कारण हैं—मां का कुपोषण, छोटी आयु में गर्भधारण करना और बार-बार गर्भ ठहरना । इसकी रोकथाम करने के लिए की जाने वाली कार्रवाई में गर्भवती महिलाओं को मानव संसाधन विकास मंत्रालय की एकीकृत बाल विकास स्कीम के अन्तर्गत पूरक पोषण, माताओं के बीच पौषणिक रक्ताल्पता से बचाव के लिए रोग निरोध स्कीम और परिवार नियोजन के बारे में परामर्श देने की व्यवस्था करना है ।

(घ) कोई सही-सही अनुमान नहीं है ।

(ङ) और (च) सरकार के पास कोई सूचना नहीं है ।

विवरण

शिशु मौतें

वर्ष	जन्मजात कुरचना संख्या	जन्मजात कुरचना प्रतिशत	काल-पूर्ण प्रसव संख्या	काल-पूर्ण प्रसव प्रतिशत	कुल शिशु मौतें
1	2.	3.	4	5	6.
1982	28	1.0	703	25.1	2803
1983	46	1.6	828	28.6	2892
1984	51	1.8	802	30.3	2907
1985	39	1.4	733	26.0	2817
1986	50	1.7	788	26.5	2977

स्रोत : मौत (ग्रामीण) के कारणों का सर्वेक्षण, भारत का महापंजीयक ।

प्रमुख परियोजनाओं को पर्यावरणीय स्वीकृति देने संबंधी मार्गनिर्देश

4827. **श्री अनन्त प्रसाद सेठी :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुछ परियोजनाओं को पर्यावरणीय स्वीकृति देने के लिए मार्गनिर्देश तथा प्रश्नावली तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी, हां।

(ख) पन विद्युत और बड़ी सिंचाई परियोजनाओं, ताप विद्युत परियोजनाओं, खनन परियोजनाओं तथा समुद्र-तट सैरगाहों तथा पत्तनों एवं बन्दरगाहों के विकास संबंधी परियोजनाओं सहित नदी घाटी परियोजनाओं का पर्यावरणीय मूल्यांकन करने के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त और प्रश्नावलियां तैयार की गई हैं। इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अन्तर्गत मुख्य रूप से निम्नलिखित पर्यावरणीय मामले आते हैं :

—वायु और जल प्रदूषण;

—प्रभावित व्यक्तियों का पुनर्वास;

—वनस्पतिजात, प्राणिजात और वन्यजीवन पर प्रभाव; तथा

—भूमि अवक्रमण।

उड़ीसा की नदियों में प्रदूषण

4828. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा की किन-किन नदियों में प्रदूषण फैल रहा है और इसके कारण क्या हैं;

(ख) नवीनतम सर्वेक्षण के अनुसार इन नदियों में कितना प्रदूषण है और इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने सर्वेक्षण रिपोर्ट की जांच की है; और

(घ) यदि हां, तो इन नदियों में जल प्रदूषण को रोकने हेतु क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) महानदी, ब्राह्मणी, बैतरणी तथा इब नदियों के कुछ भाग मुख्यतः घरेलू और औद्योगिक अपशिष्ट जल छोड़े जाने के कारण प्रदूषित हैं।

(ख) जैव-रासायनिक आक्सीजन मांग के अनुसार इन नदियों में प्रदूषण का स्तर इस प्रकार है :

नदी	जैव-रासायनिक आक्सीजन मांग मिग्रा०/लि०
1. महानदी	2.0—11.0
2. ब्राह्मणी	4.0—10.2
3. बैतरणी	1.8—35.0
4. इब	17.0—38.0

(ग) जी, हां।

(घ) किए गए उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं :

1. नदी जल गुणवत्ता हेतु उनके निर्दिष्ट सर्वोत्तम उपयोग के लिए मानक निर्धारित किये गये हैं। इन नदियों की जल गुणवत्ता की निगरारी राष्ट्रीय जल गुणवत्ता निगरानी नेटवर्क के अंतर्गत स्थापित निगरानी स्टेशनों के माध्यम से नियमित रूप से की जाती है।

2. प्रदूषण के स्रोतों की शिनाख्त करने के लिए महानदी और ब्राह्मणी नदियों का नदी मुहाना अध्ययन किया जा रहा है।

3. उड़ीसा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इन नदियों में बहिस्राव फैंकने वाले प्रमुख उद्योगों को समयबद्ध आधार पर पर्याप्त प्रदूषण नियंत्रण प्रणाली लगाने के निदेश दिये हैं।

4. राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने उपयुक्त उपचार सुविधाएं प्रदान न करने के कारण प्रमुख दोषी उद्योगों तथा कटक और सम्बलपुर नगर पालिकाओं के विरुद्ध मामले दर्ज किये हैं।

राष्ट्रीय कपड़ा निगम का बन्द किया जाना

[हिन्दी]

4829. **श्री राजकुमार राय** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार राष्ट्रीय कपड़ा निगम को बन्द करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस निगम को बन्द करने से सरकार को क्या लाभ प्राप्त होगा ?

वस्त्र मंत्री तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

इंडस्ट्रियल फ्लोर स्पेस इंडेक्स

[अनुवाद]

4830. **डा० दत्ता सामन्त** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि महाराष्ट्र राज्य सरकार बम्बई शहर में कपड़ा मिलों के मामले में इंडस्ट्रियल फ्लोर स्पेस इंडेक्स, जो इस समय 0.5 है, को बढ़ाकर 1.33 करने पर सहमत हो गयी है;

(ख) क्या सरकार ने बम्बई में औद्योगिक क्षेत्र के फ्लोर स्पेस इंडेक्स को 0.5 पर स्थिर रखने हेतु कोई मार्गनिर्देश जारी किये हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) औद्योगिक फर्श स्थान सूचकांक (एफ० एस० आई०) नियत करने का प्रश्न राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में आता है,

जिसने सूचित किया है कि बृहद बम्बई में कपड़े के मिलों के लिए तथा द्वीप नगर में कपड़े के मिलों के लिए वर्तमान स्वीकार्य फर्शी स्थान सूचकांक 1.13 तथा उप नगरों में 1.00 है तथा समान फर्शी स्थान सूचकांक विकास नियंत्रण नियमों के संशोधन मसौदे में लागू रखने का प्रस्ताव है, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

(ख) और (ग) महाराष्ट्र सरकार ने बम्बई की द्वितीय विकास योजना की समीक्षा करने के लिए सितम्बर, 1986 में डिसूजा समिति नियुक्त की थी। इस मंत्रालय के मुख्य नियोजक, नगर तथा ग्राम नियोजन संगठन इस समिति के एक सदस्य थे, ने अगस्त, 1987 में महाराष्ट्र सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। पर्यावरण तथा वन मंत्रालय ने रिपोर्ट पर अपनी टिप्पणी देते समय महाराष्ट्र सरकार को सुझाव दिया था कि सभी उद्योगों, जिसमें कपड़ा मिल भी शामिल हैं, के लिए फर्शी स्थान सूचकांक 0.5 माना जाए। इस प्रकार इस मामले में कोई मार्गनिर्देशन जारी नहीं किए गए हैं।

सातवीं पंचवर्षीय योजना में चिकित्सा तथा जनस्वास्थ्य के लिए निर्धारित परिव्यय

4831. **श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना में विभिन्न राज्यों के लिए चिकित्सा तथा जन स्वास्थ्य पर कितनी धनराशि खर्च की जाएगी; और

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अब तक केन्द्रीय क्षेत्र तथा राज्य आयोजना योजनाओं के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों की दी गई विभिन्न स्वास्थ्य चिकित्सा सुविधाओं का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) विवरण-1 संलग्न है।

(ख) चूंकि "स्वास्थ्य" एक राज्य का विषय है, इसलिए राज्यों द्वारा स्वयं ही संवर्धनात्मक, निवारणात्मक और उपचारात्मक संबंधी सभी उपायों पर ध्यान दिया जाता है। वैसे देश के सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में राष्ट्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण कार्यक्रमों का कार्यान्वयन किया जा रहा है और इनमें से अधिकतर कार्यक्रम केन्द्रीय प्रायोजित सहायता प्राप्त कार्यक्रम हैं। सूची संलग्न विवरण-2 में दी गई है।

विवरण-1

स्वास्थ्य क्षेत्र के बारे में सातवीं योजना का परिव्यय

(लाख रुपये में)

1	2
राज्य	
आंध्र प्रदेश	16420
अरुणाचल प्रदेश	1450
असम	7500

1	2
बिहार	14640
गोवा	2444*
गुजरात	10314
हरियाणा	7877
हिमाचल प्रदेश	2625
जम्मू व कश्मीर	6306
कर्नाटक	11800
केरल	5200
मध्य प्रदेश	15733
महाराष्ट्र	37400
मणिपुर	1300
मेघालय	1600
मिजोरम	1400
नागालैंड	1500
उड़ीसा	5450
पंजाब	10350
राजस्थान	8257
सिक्किम	581
तमिलनाडु	15000
त्रिपुरा	1300
उत्तर प्रदेश	30080
पश्चिम बंगाल	12800
योग राज्य	229327
संघ राज्य क्षेत्र	
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	400
चंडीगढ़	900
दादरा व नगर हवेली	142
दमण व द्वीव	**
दिल्ली	18086

1	2
लक्षद्वीप	100
पांडिचैरी	600
योग संघ राज्य क्षेत्र	20228
योग—राज्य और संघ राज्य क्षेत्र	249555

* दमन व द्वीप के आंकड़े शामिल हैं ।

** गोवा के आंकड़े शामिल हैं ।

विवरण-2

राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के अंतर्गत शामिल किए गए रोग

(1) राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम—इसके अंतर्गत मलेरिया और फाइलेरिया को लाया गया है (राष्ट्रीय फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम सहित)

(2) राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम—इसके अंतर्गत क्षयरोग को लाया गया है ।

(3) राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम—इसके अंतर्गत कुष्ठ को शामिल किया गया है ।

(4) राष्ट्रीय दृष्टिविहीनता नियंत्रण कार्यक्रम—इसके अन्तर्गत नेत्र रोगों सहित मोतियाबिन्द को शामिल किया गया है । जिनसे दृष्टिहीनता हो जाती है ।

(5) राष्ट्रीय घेघा नियंत्रण कार्यक्रम—इसमें घेघा अवटुमानता आदि जैसे आयोडीन की कमी से होने वाले रोगों को शामिल किया गया है ।

(6) राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम—इसमें एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिसिएंसी सिन्ड्रोम (एड्स) को शामिल किया गया है ।

(7) राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम—इसमें सभी प्रकार के कैंसरों को शामिल किया गया है ।

(8) राष्ट्रीय गिनीकृमि उन्मूलन कार्यक्रम—इसमें गिनीकृमि रोगों को शामिल किया गया है ।

(9) रोग प्रतिरक्षण का विस्तारित कार्यक्रम और व्यापक रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम—इसमें टेटनस से गर्भवती महिलाओं और शिशुओं और बच्चों का डिफ्थीरिया, काली खांसी, टेटनस, पोलियो, क्षयरोग, खसरे और बड़े बच्चों (स्कूल-पूर्व) के लिए टायफाइड से बचाव संबंधी कार्य भी शामिल किए गए हैं ।

(10) लोह और फालिक अम्ल और विटामिन "ए" के कारण बच्चों और माताओं में होने वाली पौषणिक कमी से बचाव—यह विटामिन "ए" की कमी के कारण अरक्तता और अंधता से बचाव करता है ।

(11) अतिसार रोग नियंत्रण कार्यक्रम—यह ओरल रिहाइड्रेशन थिरेपी और अन्य आवश्यक उपचारों द्वारा अतिसार रोगों से बचाता है । मद संख्या 9-11 तक कार्यक्रम परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत आते हैं ।

(12) ग्रामीण क्षेत्रों में सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करने, जैसे चिकित्सा और अर्ध चिकित्सा कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में प्रयोगशालाओं की सुविधाओं की व्यवस्था, चिकित्सा शिक्षा को नई दिशा देना, राष्ट्रीय स्कूल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम आदि के लिए ग्रामीण स्वास्थ्य स्कीमों के अंतर्गत कुछ अन्य कार्यक्रम हैं।

उड़ीसा में मलेरिया रोग का फैलना

4832. **श्री के० प्रधानी :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उड़ीसा में कोरापुट, फूलबनी और क्योंझर जिले में मलेरिया रोग फैलता जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इन क्षेत्रों में मलेरिया उन्मूलन के लिए क्या कदम उठाये हैं।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) उड़ीसा के कोरापुट, फूलबनी और क्योंझर जिलों में मलेरिया के फैलने की कोई रिपोर्ट राज्य स्वास्थ्य प्राधिकारियों से प्राप्त नहीं हुई है। राज्य सरकार से प्राप्त महामारी विज्ञान संबंधी आंकड़ों के अनुसार इन तीन जिलों में मलेरिया की घटनाओं में नियमित रूप से कमी आ रही है।

(ख) उड़ीसा सहित देश भर में मलेरिया को फैलने से रोकने के लिए निम्नलिखित प्रमुख कदम उठाये गये हैं—

—मलेरिया संचरण को रोकने के लिए ऐसे क्षेत्रों में जहां वार्षिक परजीवी घटनाएं 2 और इससे अधिक हैं, अवशिष्ट कीटनाशकों का छिड़काव किया जा रहा है।

—देश के सभी मलेरिया वाले क्षेत्रों की नियमित रूप से हर पखवाड़े निगरानी रखने पर बल दिया जा रहा है।

—रक्त लेपों की शीघ्र जांच करने और बिना समय बर्बाद किए उपचार प्रदान करने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर प्रयोगशाला सेवाओं पर विकेन्द्रीकरण किया गया है।

—बुखार वाले रोगिय्रों को मलेरिया रोधी औषधियां उपलब्ध करने के लिए देश के सुदूर क्षेत्रों में औषध वितरण केन्द्र ओर ज्वर उपचार केन्द्र कार्य कर रहे हैं।

—पी० फेल्सीपेरम नियंत्रण के लिए पी० फेल्सीपेरम नियंत्रण कार्यक्रम देश के समस्याग्रस्त क्षेत्रों में कार्य कर रहा है।

रेशम निर्यात के लिए निर्धारित लक्ष्य

4833. **श्री एस० बी० सिदनाल :**
श्री एस० एम० गुरड्डी :
श्रीमती बसवराजेश्वरी :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान रेशम के निर्यात के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ग) हमारे देश से वर्तमान में कौन-कौन से देश रेशमी वस्त्रों का आयात कर रहे हैं ?

वस्त्र मंत्री तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विशेषकर रेशमी परिधानों के ही निर्यात का कोई अलग लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है। तथापि, रेशमी परिधानों के निर्यात बढ़ाने तथा रेशम क्षेत्र के लिए निर्धारित समग्र निर्यात लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सरकार भारतीय रेशम निर्यात संवर्धन परिषद के उपयुक्त निर्यात प्रोत्साहन तथा संवर्धनात्मक कार्यकलापों के जरिए इस क्षेत्र को बराबर सहायता देती रहेगी।

(ग) भारत से रेशमी परिधानों का आयात करने वाले देशों में शामिल हैं : संयुक्त राज्य अमरीका, जर्मन संघीय गणराज्य, ब्रिटेन, कनाडा, इटली, फ्रांस, स्विटजरलैंड, जापान, आस्ट्रिया, बेल्जियम और नीदरलैंड्स।

'फ्रीडम फाइटर्स इन लैंड टैंगल' शीर्षक से समाचार

4834. **श्री नारायण चौबे :**

श्री श्रीहरि राव :

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 10 मार्च 1989 को 'दि टाइम्स आफ इंडिया' में 'फ्रीडम टाइगर्स इन लैंड टैंगल' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) अखिल भारतीय स्वतन्त्रता सेनानी संगठन, 7-जन्तर-मन्तर रोड से 1984 में यह सूचना प्राप्त हुई थी कि दिल्ली में नेब सराय गांव में एक स्वतन्त्रता सेनानी आवास कालोनी स्थापित करने का उनका प्रस्ताव है, जहां उन्होंने किसानों से छोटा-सा भूखंड खरीदा है। उन्होंने बताया कि उन्होंने एक स्वतंत्रता सैनिक गृह निर्माण समिति बनाई है और उन्होंने 26 एकड़ भूमि को भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के अंतर्गत अधिग्रहण की कार्यवाही से मुक्त रखने का अनुरोध किया है। सरकार द्वारा इस मामले पर अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

कामगारों के वेतन में असमानता होने के कारण केरल से उद्योगों का हटाया जाना

4835. **श्री टी० बशीर** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि दक्षिण राज्यों में काजू, नारियल जटा तथा बीड़ी इत्यादि जैसे उद्योगों में कामगारों के वेतन में असमानता होने के कारण इन उद्योगों को केरल से हटाकर पड़ोसी राज्यों में ले जाया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का दक्षिणी क्षेत्र में कामगारों के लिए न्यूनतम वेतन निर्धारित करने का विचार है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री राधा किशन मालवीय) : (क) और (ख) केरल सरकार ने बताया है कि न्यूनतम मजदूरी की उच्च दरों के कारण, उद्योगों के पड़ोसी राज्यों में जाने की प्रवृत्ति की है। मजदूरी में असमानता तथा फलस्वरूप उद्योग के एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने और राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी/क्षेत्रीय न्यूनतम मजदूरी तैयार करने के प्रश्न पर विभिन्न मंचों में विचार-विमर्श किया गया है। नवम्बर, 1985 में हुए भारतीय श्रम सम्मेलन ने यह सिफारिश की कि जब तक राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी संभव न हो तब तक क्षेत्रीय न्यूनतम मजदूरी का होना वांछनीय होगा जिसके बारे में केन्द्रीय सरकार दिशा-निर्देश निर्धारित कर सकती है। इन दिशा-निर्देशों को अन्तिम रूप दे दिया गया है और इन्हें सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को परिचालित कर दिया गया है। मद्रास में 9-10-87 को हुए दक्षिण क्षेत्रीय श्रम मंत्री सम्मेलन की सिफारिशों के अनुसार, एक समिति गठित की गई है जो विशिष्ट नियोजनों के लिए क्षेत्रीय न्यूनतम मजदूरी के प्रश्न की जांच करेगी।

[हिन्दी]

राजस्थान में खाद्य सामग्री का आवंटन

4836. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत छह महीनों के दौरान राजस्थान सरकार द्वारा चावल और गेहूं की महीनेवार कितनी मांग की गई, राज्य को इन खाद्यान्नों का कितना आवंटन किया गया और उक्त राज्य ने कुल कितना खाद्यान्न उठाया;

(ख) क्या राजस्थान के अनेक जिला मुख्यालयों, नगरों और गांवों में गेहूं का प्रति व्यक्ति 10 किलोग्राम के बजाय 5 किलोग्राम की दर से वितरण किया जा रहा है जिसके कारण लोगों में भारी आक्रोश है;

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार का राजस्थान को गेहूं और चावल की पर्याप्त मात्रा आबंटित करने का विचार है ताकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली सुचारू रूप से चलती रहे; और

(घ) यदि हां, तो कब और किस प्रकार ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री डी० एल० बैठा) : (क) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) राज्य के अंदर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन वितरण की मात्रा और कवरेज के बारे में राज्य सरकार द्वारा निर्णय किया जाता है।

(ग) और (घ) केन्द्रीय पूल के खाद्यान्नों के आबंटन केवल खुले बाजार में उपलब्धता के अनुपूरक होते हैं और केन्द्रीय पूल में स्टाफ की समूची उपलब्धता, विभिन्न राज्यों की सापेक्ष आवश्यकताओं तथा अन्य संगत तथ्यों को ध्यान में रखकर प्रत्येक मास के आधार पर किए जाते हैं।

विवरण

पिछले छः महीनों के दौरान राजस्थान सरकार द्वारा चावल और गेहूं की की गई मांग, उनके किए गए आवंटन और उठान

(हजार मीटरी टन में)

	मांग		आवंटन		उठान	
	चावल	गेहूं	चावल	गेहूं	चावल	गेहूं
अक्तूबर, 1988	4.0	100.0	4.0	80.0	0.4	46.3
नवम्बर, 1988	4.0	100.0	4.0	80.0	0.3	38.4
दिसम्बर, 1988	4.0	100.0	4.0	80.0	0.9	60.3
जनवरी, 1989	4.0	100.0	4.0	80.0	0.6	65.8
फरवरी, 1989	4.0	100.0	3.2	60.0	0.2	69.0
मार्च, 1989	4.0	100.0	3.2	60.0	उ०न०	उ०न०

उ० न०—उपलब्ध नहीं।

[अनुवाद]

यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों को निर्यात किये जाने वाले वस्त्रों के कोटे में वृद्धि

4837. श्री एस० एम० गुरड्डी :
श्री शांति लाल पटेल :
श्रीमती बसवराजेश्वरी :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों में वस्त्रों के निर्यात का अधिक कोटा प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में किये गये समझौते का ब्यौरा क्या है ?

वस्त्रमंत्री तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) :(क) और (ख) यूरोपीय आर्थिक समुदाय के साथ भारत का वस्त्र व्यापार 'भारत-यूरोपीय आर्थिक समुदाय वस्त्र करार' द्वारा नियंत्रित होता है जिसके अंतर्गत कुछ वस्त्र/एपेरल श्रेणियों के निर्यात पर मात्रा संबंधी प्रतिबंध लगाए गए हैं।

(2) श्रेणी 5 के अंतर्गत आने वाली जर्सियों, पुल ओवरों आदि जैसी मदों के हमारे निर्यात सीमित करने के लिए ई०ई०सी० के अनुरोध पर हाल ही में, करार के अनुसार, परामर्श किया गया था और इस बात पर सहमति प्रकट की गई कि वर्ष 1989 के लिए 5 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि के साथ 18.5 मिलियन नगों का वार्षिक स्तर निश्चित किया जाए।

[हिन्दी]

ग्रामीण क्षेत्रों के लिए चल औषधालय

4838. श्री अख्तर हसन : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में इस समय कितने चल औषधालय कार्य कर रहे हैं और देश के अन्य किन नगरों में ऐसी सुविधा उपलब्ध है;

(ख) क्या सरकार का विचार गांवों के लोगों की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को हल करने और मुख्यत: ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सेवा को सुचारू और कारगर बनाने के उद्देश्य से वहां ऐसे चल औषधालय चलाने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो कब और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में अस्पतालों, औषधालयों, पोलि-क्लीनिकों व मातृ-शिशु स्वास्थ्य केन्द्रों के एक तंत्र द्वारा चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। झुग्गी-झोंपड़ी कालोनियों के निवासियों को आसानी से प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए दिल्ली प्रशासन ने बीस गश्ती स्वास्थ्य क्लीनिकों की व्यवस्था की है। गश्ती स्वास्थ्य योजना 18-2-1989 को प्रारम्भ की गई थी। राज्य में शहरी आबादी को चिकित्सा परिचर्या सुविधाएं प्रदान करने का उत्तर-दायित्व संबंधित राज्य सरकारों का है।

(ख) से (घ) ग्रामीण क्षेत्रों में गश्ती औषधालय प्रारंभ करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में उप-केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के एक तंत्र के माध्यम से प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा रही हैं।

[अनुवाद]

डाक्टर-रोगी और डाक्टर-नर्सों का अनुपात

4839. डा० टी० कल्पना देवी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्यवार डाक्टर-रोगी तथा डाक्टर नर्सों का मौजूदा अनुपात क्या है;

(ख) देश में राज्यवार कुल कितने नर्सिंग विद्यालय हैं और प्रत्येक राज्य से प्रति वर्ष कुल कितनी नर्सें अपना प्रशिक्षण पूरा करके निकलती हैं;

(ग) क्या रोगियों की संख्या को देखते हुए प्रशिक्षण प्राप्त नर्सों की कमी है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) डाक्टर-रोगी अनुपात के कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। वैसे, देश में 5858889 पलंग हैं और भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् के पास (दिसम्बर, 1987 तक) 330755 डाक्टर पंजीकृत हैं। इस भांति डाक्टर-नर्स अनुपात के कोई राज्यवार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्

के पंजीकृत 3:0755 डाक्टरों के मुकाबले भारतीय उपचर्या परिषद् के पास 207430 नर्सें पंजीकृत हैं। डाक्टर-नर्स अनुपात लगभग 3 : 2 बैठता है।

(ख) भारतीय उपचर्या परिषद के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार 347 नर्सिंग स्कूल हैं। इन स्कूलों से अर्हता-प्राप्त नर्सों की राज्य-वार संख्या इस प्रकार है—

क्र०सं०	राज्य परिषदों के नाम	स्कूलों की संख्या	उत्तीर्ण होकर निकली नर्सों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	27	495
2.	असम	20	240
3.	बिहार	20	381
4.	गुजरात	16	719
5.	हरियाणा	5	200
6.	हिमाचल प्रदेश	3	7
7.	केरल	50	1066
8.	माहाकोशल	17	150
9.	महाराष्ट्र	46	943
10.	मद्रास	21	731
11.	कर्नाटक	24	753
12.	उड़ीसा	5	201
13.	पंजाब (दिल्ली मिलाकर)	25	608
14,	राजस्थान	9	109
15,	उत्तर प्रदेश	21	384
16.	पश्चिम बंगाल	22	501
	परीक्षा बोर्ड		
17.	मध्य भारत बोर्ड	7	78
18.	दक्षिण भारत बोर्ड	20	273
19.	सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा बोर्ड	8	353

(ग) जी, हां।

(घ) राज्य सरकारें मुख्यत: नर्सों के प्रशिक्षण के लिए उत्तरदायी हैं। कुछ राज्यों ने अपनी आवश्यकता के अनुसार नर्सिंग स्कूलों में सीटों की संख्या बढ़ा दी है।

आंध्र प्रदेश में चावल की खरीद

4840. श्री गोपाल कृष्ण थोटा : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम आंध्र प्रदेश के सभी जिलों में समर्थन मूल्य पर धान खरीद रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का सभी जिलों में धान खरीदने की व्यवस्था करने का विचार है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री डी० एल० बैठा) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है, जिसमें उन जिलों के नाम दिये गये हैं जहां भारतीय खाद्य निगम राज्य सरकार के परामर्श से आंध्र प्रदेश में समर्थन मूल्यों पर धान की वसूली कर रहा है।

विवरण

1988-89 खरीफ मौसम के दौरान 13-12-1988 की स्थिति के अनुसार आंध्र प्रदेश में उन जिलों के नाम, जहां भारतीय खाद्य निगम ने धान की वसूली की है।

जिले

1. वैस्ट गोदावरी
2. ईस्ट गोदावरी
3. कृष्णा
4. गुंटूर
5. प्रकाशम
6. नेल्लोर
7. चित्तूर
8. कुरनूल
9. कुडप्पा
10. श्रीकाकुलम
11. विजयनगरम
12. विजाग
13. नालगोंडा
14. अदिलाबाद
15. निजामाबाद
16. वारांगल

17. करीमनगर

18. खम्माम

19. मेढक

20. महबूबनगर

21. हैदराबाद

मध्य प्रदेश में भारतीय रुई निगम के क्रय केन्द्रों को बन्द किया जाना

[हिन्दी]

4841. श्री के० एन० प्रधानी : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रुई निगम ने मध्य प्रदेश के देवास जिले में कन्नौद स्थित अपने क्रय केन्द्र को बन्द कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या उसके बन्द किए जाने के संबंध में कोई और जांच की गई है ?

वस्त्र मंत्री तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग) कन्नोड में खरीद केन्द्र केवल 1985-86 में ही चलाया गया था क्योंकि उस वर्ष कपास का अधिक उत्पादन होने के परिणामस्वरूप भारतीय रुई निगम को क़ीमत समर्थन कार्यों के अन्तर्गत रुई की भारी मात्रा में खरीदारियां करनी थीं। चूंकि कन्नोड के पास खेतगांव और हर्दा की प्रमुख मण्डियां स्थित हैं इसलिए इस केन्द्र को 1985-86 के बाद चलाये जाने की आवश्यकता नहीं रही है।

भूमि का विकास

[अनुवाद]

4842. प्रो० मधु दण्डवते : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि समुद्र के निकटवर्ती शहरी क्षेत्र में रिहायशी भूमि के विस्तार की दृष्टि से प्रायः भूमि का विकास किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने "भूमि विकास" का भौगोलिक स्थितियों पर संभावित दीर्घकालिक प्रभावों का अध्ययन किया है; और

(ग) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कोई मार्गनिर्देश तैयार किए हैं कि "भूमि विकास" का लाभ शहरी निर्धन लोगों को प्राप्त हो ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

तमिलनाडु को चावल

4843. श्री पी० कुलनदेईवेलु : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में (फरवरी, 1989 में) केन्द्रीय सरकार को राज्य को प्रति माह 80 हजार टन चावल आवंटित करने के लिए एक ज्ञापन दिया है;

(ख) क्या सरकार ने इस अनुरोध को स्वीकार कर लिया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री डी० एल० बैठा) : (क) जी, हां।

(ख) राज्य सरकार के अनुरोध को स्वीकार करना सम्भव नहीं हो पाया है।

(ग) केन्द्रीय पूल से खाद्यान्नों के आवंटन केवल खुले बाजार में उपलब्धता के अनुपूरक होते हैं, और वे केन्द्रीय पूल में स्टाक की समूची उपलब्धता, विभिन्न राज्यों की सापेक्ष आवश्यकताओं, बाजार-उपलब्धता तथा अन्य संगत तथ्यों को ध्यान में रखकर प्रत्येक मास के आधार पर किए जाते हैं।

त्रिचूर स्थित मेडिकल कालेज को मान्यता प्रदान करना

4844. **प्रो० के० वी० थामस** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय चिकित्सा परिषद ने त्रिचूर स्थित मेडिकल कालेज को मान्यता प्रदान कर दी है;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त मेडिकल कालेज को शीघ्र मान्यता प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद ने बताया है कि स्नातक पूर्व छात्रों के प्रशिक्षण के लिए इस कालेज में उपलब्ध शिक्षण सुविधाओं के बारे में परिषद द्वारा सितम्बर, 1988 में निरीक्षण किया गया था। प्रबंधक समिति द्वारा 17 मार्च, 1989 को हुई अपनी बैठक में इस निरीक्षण रिपोर्ट पर विचार किया गया और प्रबंधक समिति की सिफारिशें परिषद की आम सभा की अगली बैठक में रखी जाएंगी।

बिहार में हथकरघा बुनकरों को राहत सहायता

4845. **श्री सलाउद्दीन** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का बिहार में हथकरघा बुनकरों को कोई राहत सहायता देने का विचार है;

(ख) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वस्त्र मंत्री तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से

(ग) वर्ष 1987-88 तथा 1988-89 के दौरान, बिहार सरकार को बिहार में हथकरघा क्षेत्र के विकास और हथकरघा बुनकरों के कल्याण के लिए विभिन्न स्कीमों के क्रियान्वयन हेतु 793.15 लाख रुपये की राशि रिलीज की गई है। उपर्युक्त दो वर्षों के दौरान रिलीज की गई इस राशि के ब्यौरे निम्नलिखित हैं :

(रुपए लाख में)

क्र०सं० स्कीम का नाम	रिलीज की गई राशि		
	योजना	गैर-योजना	योग
1. जनता कपड़ा योजना	—	750.35	750.35
2. राज्य की शीर्षस्थ सहकारी समितियों को अंश पूंजी सहायता बढ़ाना	5.00	—	5.00
3. विशेष छूट स्कीम	—	9.00	9.00
4. करघा पूर्व/करघा पश्चात् संसाधन सुविधाएं	21.38	—	21.38
5. थ्रिफ्ट निधि स्कीम	7.42		7.42

पंजीकरण को स्व-वित्त पोषण योजना में बदलना

4846. **श्री कमला प्रसाद सिंह :** क्या शहरी विकास मंत्री पंजीकरण को स्ववित्त पोषण योजना में बदलने के बारे में 1 मार्च, 1989 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1142 और 1143 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्ववित्त पोषण योजना के अन्तर्गत बिना बारी के किस आधार पर फ्लैट आवंटित किए गए थे तथा ये किन्हें आवंटित किए गए थे;

(ख) "हुडको" योजना के अंतर्गत केवल कुछ पंजीकर्ताओं को एम० आई० जी० फ्लैट से एस० एफ० एस० III में बदलने की अनुमति देने और इसी योजना के अंतर्गत अन्य लोगों को परिवर्तन करने की अनुमति न देने तथा इन्हें एस० एफ० एस V में ही बदलने की अनुमति देने के क्या कारण हैं;

(ग) इन व्यक्तियों को अनुमति देने के लिए उठाये गये कदमों का ब्यौरा क्या है क्योंकि इनके आवेदन पत्र दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास वर्ष 1980 से विचाराधीन पड़े थे;

(घ) एस० एफ० एस V योजना में कितने पंजीकर्ता फ्लैटों के आवंटन के लिए कब से प्रतीक्षा सूची में हैं; और

(ङ) दिल्ली विकास प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत कितने फ्लैट निर्माणाधीन हैं तथा इनका निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) फ्लैटों का बिना बारी के आवंटन नितान्त कठिनाई के मामलों में ही किया जाता है।

(ख) स्ववित्त पोषित योजना-III 1980 में प्रचलित थी। अतः उस समय इसको योजना से स्ववित्त पोषित योजना-III मे परिवर्तन की अनुमति दी गई थी। बाद में, जब अन्य योजनाएं घोषित की गई, तब स्ववित्त पोषित योजना-V में परिवर्तन की अनुमति दी गई थी।

(ग) चूंकि, स्ववित्त पोषित योजना-I, II और III बन्द हो गई हैं इसलिए उनमें अब कोई परिवर्तन करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

(घ) स्ववित्त पोषित योजना-V के अंतगत 6,510 व्यक्ति 1983 से आवटन की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

(ङ) विभिन्न स्ववित्त पोषित योजनाओं के अंतर्गत 9,715 फ्लैट निर्माणाधीन हैं और ये फ्लैट मार्च, 1990 तक पूर्ण हो जाने की संभावना है।

मालापुरम में कुष्ठ रोगियों की संख्या में वृद्धि होना

4847. **श्री वक्कम पुरुषोत्तमन :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इन समाचारों की ओर दिलाया गया है कि केरल के माला-पुरम जिले में कुष्ठ रोगियों की संख्या बढ़ रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) इस रोग से ग्रस्त लोगों का पता लगाने तथा उक्त जिले के उन क्षेत्रों में सर्वोत्तम उपचार उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं जहां यह रोग व्यापक रूप से फैला हुआ है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) और (ख) मंत्रालय में ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। मालापुरम जिले में कुष्ठ रोगियों की व्यापकता दर 2.1 प्रति हजार आबादी है।

(ग) कुष्ठ रोगियों का शीघ्र पता लगाने और उनके नियमित इलाज के लिए राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम शुरू किया गया है।

बहु औषध उपचार को सभी स्थानिकमारी वाले जिलों तक चरणबद्ध ढंग से शुरू किया जा रहा है। जनता को इस रोग के वास्तविक तथ्यों एवं इसकी साध्यता से अवगत कराने के लिए स्वास्थ्य शिक्षा कार्यकलाप तेज कर दिए गए हैं।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि की दरें कम करना

[हिन्दी]

4848. **श्री कमला प्रसाद रावत :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा शैक्षिक संस्थाओं को दी जाने वाली भूमि की हाल ही में बढ़ाई गई दरों को कम करने का है; और

(ख) यदि हां, तो उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी दिल्ली में ऐसी भूमि की प्रस्तावित दरों का पृथक-पृथक ब्योरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) फिलहाल सरकार ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रशासक की नियुक्ति

[अनुवाद]

4849. **श्री ए० जगमोहन : क्या शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में कनिष्ठ इंजीनियरों तथा कामगारों द्वारा लगातार आन्दोलन किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस असन्तोष के मुख्य कारण क्या हैं;

(ग) क्या निर्माण महानिदेशक का पद प्रशासनिक है और एक अनुभवी प्रशासक इस पद पर कुशलता से कार्य कर सकता है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग और दिल्ली विकास प्राधिकरण के विभाग प्रमुख के पद पर अनुभव के आधार पर भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को नियुक्त करने का विचार है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग कनिष्ठ इंजीनियर एसोसिएशन तथा विभाग के कामगारों का प्रतिनिधित्व करने वाली यूनियन अपनी मांगों नामतः सभी कनिष्ठ इंजीनियरों को उच्च वेतनमान देना, निर्धारित यात्रा भत्ता, हड़ताल की अवधि का भुगतान, संवर्ग पुनरीक्षण आदि, दिहाड़ी मजदूरों को उनकी नियुक्ति की संबंधित तारीखों के समान कार्य के लिए समान वेतन, कामगारों को 1-1-86 से संशोधित वेतनमान पर समयोपरि भत्ते का भुगतान, उन्हें बोनस का भुगतान आदि के संबंध में कभी-कभी प्रदर्शन करते रहे हैं।

(ग) निर्माण महानिदेशक का पद तकनीकी प्रशासनिक प्रवृति का है, जिसके लिए तकनीकी तथा प्रशासनिक दोनों ही मामलों में अनुभव की आवश्यकता है।

(घ) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के अध्यक्ष पद पर भारतीय प्रशासनिक सेवा के किसी अधिकारी को नियुक्त करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। दिल्ली विकास प्राधिकरण का अध्ययन पहले ही एक भारतीय प्रशासनिक अधिकारी है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में ग्वालियर को शामिल करना

[हिन्दी]

4850. **श्री कृष्ण प्रताप सिंह : क्या शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में कुछ और शहरों तथा कस्बों को, विशेष रूप से ग्वालियर क्षेत्र को, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में किन-किन बातों को ध्यान में रखते हुए निर्णय किया गया है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के बाहर काउंटर मैगनेट कस्बों के रूप में बरेली (उत्तर प्रदेश), ग्वालियर (मध्य प्रदेश), हिसार (हरियाणा) तथा पटियाला (पंजाब) को निर्धारित किया है।

इन कस्बों को उनकी अवस्थिति, विद्यमान जनसंख्या तथा वृद्धि की क्षमता के संबंध में निर्धारित किया गया है।

काउन्टर मैगनेट कस्बों की संकल्पना उद्देश्य दिल्ली तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जनसंख्या की वृद्धि के दबाव को कम करने का है।

मंजूरी के लिए लम्बित मध्य प्रदेश की परियोजनाएं

4851. **श्री महेन्द्र सिंह :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले की माहुवार तथा गुना और बुधना जिलों की पृथक-पृथक भेनसातोरी और बान्दियानाला परियोजनाओं को आवश्यक मंजूरी प्रदान करने की दिशा में क्या प्रगति हुई है; और

(ख) इन परियोजनाओं की आवश्यक मंजूरी प्रदान करने के लिए अन्तिम निर्णय कब तक ले लिया जायेगा?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) राज्य सरकार द्वारा पूरी सूचना भेजे जाने पर ही अंतिम निर्णय लिया जा सकता है।

विवरण

1. **भेंसातोरी परियोजना :**

   वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के उल्लंघन होने पर इस परियोजना को 16-7-85 को नामंजूर कर दिया गया था। तथापि, उल्लंघन के लिए उत्तरदायी व्यक्ति के खिलाफ की गई कार्रवाई के बारे में यदि राज्य सरकार सूचित करे तो इस पर पुनः विचार किया जा सकता है।

2. **बांदियानाला परियोजना :**

   राज्य सरकार को बेदखलियों को फिर से बसाने के लिए संशोधित योजना भेजने के लिए दिनांक 23-2-89 को लिखा गया था। अपेक्षित ब्यौरे न भेजने के कारण मामले को नामंजूर कर दिया गया है।

3. **बुधना परियोजना :**

   राज्य सरकार ने हाल ही में अपेक्षित सूचना भेजी है।

4. **महावीर परियोजना :**

   राज्य सरकार को दिनांक 29-9-88 को आवास क्षेत्र सुधार की एक विस्तृत योजना भेजने के लिए लिखा गया था। योजना न भेजे जाने के कारण इस प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया गया है।

ओज़ोन क्षेत्र का कम होना

[अनुवाद]

4852. **श्री एच० ए० डोरा :** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने लन्दन में ओज़ोन क्षेत्र में कमी होने के बारे में हाल में हुई चर्चा में भाग लिया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी, हां।

(ख) भारत ने ब्रिटिश सरकार द्वारा 5 से 7 मार्च, 1989 को लन्दन में आयोजित "सेविंग द ओज़ोन लेयर" सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय मंत्री स्तरीय सम्मेलन में भाग लिया था। इस सम्मेलन का उद्देश्य विभिन्न रासायनिक पदार्थों के उपयोग के कारण ओज़ोन परत में क्षीणता से उत्पन्न पर्यावरणीय समस्याओं से निपटने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के वर्तमान प्रयासों को समर्थन देना था।

(ग) ओज़ोन परत की क्षीणता के बारे में विश्व के साथ-साथ भारत भी चिन्तित है और ओज़ोन क्षेत्र में क्षीणता पैदा करने वाले पदार्थों के उत्पादन और उपभोग को रोकने का समर्थन करता है। विकसित देश इन पदार्थों के 85% का उपभोग करते हैं उनको अपनी खपत बहुत कम करनी चाहिए। उन्हें अपेक्षित तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करके विकासशील देशों द्वारा पर्यावरणीय रूप से उपयुक्त वैकल्पिक पदार्थों को अपनाने की सुविधा प्रदान करनी चाहिए। इस मुद्दे से सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रीय करार में विकासशील देशों की ज़रूरतों पर पर्याप्त ध्यान दिया जाना चाहिए।

वन्य प्राणी अभ्यारण्य के लिए भूमि

4853. **श्री हेत राम :** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन का वन्य प्राणी अभ्यारण्य के लिए ग्राम सभा/ग्रामीणों की भूमि के एक विशाल क्षेत्र का अधिग्रहण करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और ग्रामीणों को इसके लिए कितना मुआवजा दिया जायेगा; और

(ग) क्या उक्त प्रयोजन के लिए भूमि की उपयुक्तता के बारे में सभी दृष्टिकोणों से विचार किया गया है और यदि हां, तो इस संबंध मे लिए गए निर्णय का ब्योरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों में दोहरी शिफ्ट पद्धति को पुनः लागू करना

4854. **श्री डाल चन्द्र जैन :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लिए विभिन्न औषधालयों में दोहरी शिफ्ट पद्धति को पुन: लागू करने के लिये भारी संख्या में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ?

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने दोहरी शिफ्ट पद्धति को पुन: लागू करने में विलम्ब के कारण सरकारी कर्मचारियों में असंतोष तथा इसके परिणामस्वरूप उनके जीवन को होने वाले जोखिम का पता लगाने के लिये रेजिडेन्ट वेलफेयर एसोसिएशनों के माध्यम से कोई सर्वेक्षण कराया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई निर्णय लिया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) दोहरी शिफ्ट पद्धति को पुन: लागू करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) से (घ) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालयों में दोहरी पारी प्रणाली को बहाल किए जाने के बारे में कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे। केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों के कार्यकरण के घण्टों संबंधी विषय पर केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना सलाहकार बोर्ड की विभिन्न बैठकों में विचार किया गया था। विभिन्न इलाकों के क्षेत्रीय कल्याण अधिकारी भी इस समिति से सदस्य हैं। इस समिति की 11-7-1988 को हुई बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसरण में केन्द्रीय स्वास्थ्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई तथा कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के मुख्य कल्याण अधिकारी, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के उप सचिव (आई एफ) तथा निदेशक, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना इसके सदस्य हैं। इस समिति ने विचार-विमर्श के बाद सिफारिश की कि जब तक अतिरिक्त पद स्वीकृत हो जाने के बाद 12 घण्टे की निरन्तर दो पारी सारणी आरम्भ करना सम्भव न हो, तब तक फिलहाल प्रात: छह घण्टे की निरन्तर तथा दोपहर बाद की पारी में सीमित सेवा प्रदान करने की मौजूदा प्रणाली जारी रखी जाए।

तेंदू की खेती

4855. **श्री एम० डेनिस** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा मे तेंदू की खेती की जाती है; और

(ख) यदि हां, तो उड़ीसा और अन्य राज्यों में तेंदू की खेती को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं उठाने का प्रस्ताव है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) यद्यपि उड़ीसा के कई भागों में तेन्दु के पौधे प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं, लेकिन उस राज्य में तेंदू की खेती शुरू नहीं की गई है।

(ख) राजस्थान, आंध्र प्रदेश आदि जैसे कुछ राज्यों में मिश्रित खेती के रूप मे तेंदू के पौधे पहले ही उगाए जाते हैं।

महिलाओं द्वारा धूम्रपान

4856. **श्री एम० डेनिस** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय हाई स्कूल और कालेजों मे महिला विद्यार्थियों द्वारा धूम्रपान करने के मामलों का पता लगाने के लिए कोई जांच की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा छात्रों में फैली इस बुरी आदत का छुड़ाने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) और (ख) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने हाई स्कूलों और कालेजों में छात्राओं के धूम्रपान की प्रवृत्ति के बारे में कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है ।

(ग) धूम्रपान रोकने के लिए उठाए गए/प्रस्तावित कदमों का उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ युवा लोगों को, जिनमें छात्र भी शामिल हैं, आरम्भ से ही धूम्रपान न करने के लिए प्रेरित करना है ।

तमिलनाडु में चीनी के कारखाने

4857. **श्री एन० डेनिस** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान क्षेत्रवार, तमिलनाडु में चीनी के कारखाने स्थापित करने के लिए कितने लाइसेंस जारी किए गए; और

(ख) क्या सरकार का इस हेतु अतिरिक्त लाइसेंस जारी करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री डी० एल० बैठा) : (क) तमिलनाडु में पिछले दो वर्षों के दौरान चीनी फैक्ट्रियां स्थापित करने के लिए जारी किए गए आशय पत्रों/लाइसेंसों की सख्या नीचे दी गई है :

चीनी वर्ष	क्षेत्र		जोड़
	सहकारी	निजी	
1986-87	—	4	4
1987-88	4	1	5
जोड़	4	5	9

(ख) नयी चीनी फैक्ट्रियां स्थापित करने तथा वर्तमान यूनिटों में विस्तार करने के लिए औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र औद्योगिक विकास विभाग में औद्योगिक अनुमोदन सचिवालय को भेजने के लिए राज्य सरकार को प्रस्तुत करने अपेक्षित होते हैं । इस प्रकार प्राप्त हुए आवेदन पत्रों पर नीति विषयक मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार विचार किया जाता है । केन्द्रीय सरकार नयी चीनी फैक्ट्रियां स्थापित करने के लिए क्षेत्रों/राज्यों के बारे में कोई प्रस्ताव नहीं देती है ।

नारियल की गिरी और नारियल के तेल का आयात

4858. श्री सुरेश कुरुप : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का वर्ष 1989 के दौरान नारियल की गिरी और नारियल के तेल का आयात करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इसका अनुमानतः कितनी मात्रा में आयात करने का विचार है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री डी० एल० बैठा) : (क) और (ख) 1989 के दौरान गिरी तथा नारियल के तेल का आयात करने का कोई प्रस्ताव इस समय सरकार के विचाराधीन नहीं है।

काली खांसी के कारण बच्चों की मृत्यु

4859. डा० जी० विजयरामा राव : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हिमालय प्रदेश में चार वर्ष से कम आयु के 10 बच्चों की काली खांसी से मृत्यु की जानकारी है;

(ख) क्या इन बच्चों को रोग प्रतिरोधी टीके लगाये गये थे और यदि हां, तो क्या ये टीके भंडारण कुव्यवस्था, कालातीत अथवा मूल रूप से घटित होने के कारण अशक्त हो गये थे; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस मामले की जांच कराने तथा यह सुनिश्चित कराने का है कि इन घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होगी ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) सूचित की गई मौतों की जांच राज्य स्वास्थ्य प्राधिकारियों द्वारा की गई थी। काली खांसी की कोई महामारी नहीं थी। जांचे गए 933 रोगियों में से कोई भी मामला काली खांसी का नहीं पाया गया था। जनवरी, 1988 महीने में पांच विभिन्न गांवों में 6 बच्चों की मृत्यु श्वसनी फुप्फुस शोथ के कारण हुई थी।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

उड़ीसा में चलती-फिरती स्वास्थ्य यूनिटें

4860. श्री जगन्नाथ पटनायक : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के कालाहांडी जैसे आदिवासी जिलों में चलती-फिरती स्वास्थ्य यूनिटें प्रदान की गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो उड़ीसा के किन-किन आदिवासी जिलों में अब तक ये सुविधायें उपलब्ध की गई हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) निर्धनता समाप्त करने के लिए क्षेत्रीय विकास एप्रोच स्कीम के अन्तर्गत, जो प्रधान मंत्री राहत कोष

से वित्त पोषित है, उड़ीसा के कोरापुट और कालाहांडी जिलों के 15 ब्लाकों में गश्ती स्वास्थ्य यूनिट खोले गए हैं ।

(ख) ये गश्ती स्वास्थ्य यूनिटें कालाहांडी जिले के नवापारा, कामाना, खरियाड़ सिनापल्ली, बोदेन, गोलामुण्डा, लांजीगढ़ और धुआमल-रामपुर ब्लाकों और कोरापुट जिले के गुडारी बिसामा-कटक, चन्द्रपुर, मुनिगुडा, रामनगुडा, पदमापुर और नारायणपटना ब्लाकों में कार्य कर रही हैं ।

राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन द्वारा स्वीकृत कम लागत की आवासीय परियोजनाएं

4861. प्रो० **नारायण चन्द पराशर : क्या शहरी विकास मंत्री** राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन द्वारा स्वीकृत कम लागत की आवासीय परियोजनाओं के बारे में 16 दिसम्बर, 1985 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4115 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन द्वारा अपनी प्रायोगिक आवासीय योजना के अन्तर्गत प्रारम्भ की गई 34 परियोजनाओं का ब्योरा क्या है; और

(ख) इस संबंध में हुई नवीनतम प्रगति का ब्योरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) 34 परियोजनाओं के ब्योरों का एक विवरण संलग्न है ।

(ख) सभी 43 परियोजनाएं पूरी हो गई हैं, इसी बीच राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन द्वारा 2 और परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है अर्थात (क) आई० आई० टी० सिविल इंजीनियरी विभाग, आई० आई० टी० दिल्ली में चार मंजिले एक्सप्रैस भवन में स्ट्रैस का मापन तथा (ख) आई० आई० टी० दिल्ली में एक ईंट के बराबर मोटी भार सहने वाली दीवारों की भूकम्पीय क्षमता का प्रबोधन ।

विवरण

राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन द्वारा प्रयोगात्मक आवास योजना के अन्तर्गत आरम्भ की परियोजनाओं के ब्योरे

क्र० सं०	कार्य का नाम/प्रवर्तक अभिकरण	अनुमानित लागत राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन द्वारा वहन की जाने वाली लागत	अपनाई गई नई तकनीकियां/सामग्रियां
1	2	3	4
1.	भोपाल, मध्य प्रदेश लोक निर्माण विभाग, भोपाल की मूल परियोजना के अंतर्गत चौकी-	16,800 शून्य	1. आर० सी० सी० चौखटें 2. आर० सी० सी० तख्तों सहित दोहरी मुड़ी बीम

1	2	3	4
	दारों के 2 क्वार्टरों का निर्माण (परियोजना सं० 1)		छत 3. पूर्व निर्मित आर०सी०सी० लिन्टल 4. चूना कंक्रीट टैरेसिंग सहित जलरोधी छत
2.	थापर प्रौद्योगिकी संस्थान पटियाला में सहायक प्रोफेसरों के 10 क्वार्टरों का निर्माण (परियोजना सं० 2)	1,70,000 1,27,500	1. दोहरी गोलाई शैल टाइप छत 2. कैविटी दीवारें 3. पालीथीलीन डी०पी०सी० 4. नींव तथा निचले तलों के लिए 1:8:16 सी० सी० 5. पूर्व निर्मित आर० सी० सी० चौखटें 6. पूर्व निर्मित लिंटल
3.	दिल्ली नगर निगम की मलिन बस्ती उन्मूलन योजना के अंतर्गत दिल्ली एवं हिन्दुस्तान प्रीफैब लि०(पूर्वतः हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्ट्री) के द्वारा 992 प्रीफेब्रीकेटिड मकानों का निर्माण (परियोजना नं० 3)	45,28,000 3,44,244 (आर्थिक सहायता)	1. पूर्व निर्मित आर०सी०सी० कालमों तथा स्तम्भों द्वारा आंशिक रूप से प्री फेब्रीकेटिड संरचना 2. छतों तथा फर्शों के लिए ऊपरी सतह पर 1:2:4 सीमेंट कंक्रीट तथा नाममात्र रीइन्फोर्समेंट से बने 5 सें०मी० मोटे पूर्व निर्मित बैटन तथा खोखले ब्लाक 3. दरवाजों तथा खिड़कियों के लिए पूर्व निर्मित कंक्रीट चौखटें
4.	केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान रुड़की के लिए रुड़की में 16 बिस्तर वाले होस्टल का निर्माण (परियोजना सं० 4)	69,100 51,825	1. पोलिथीन सीलन रोधक क्रिया 2. अधिसंरचना के लिए केविटी दीवारों के किनारों पर ईंटें 3. सी० सी० फर्श के लिए सुदृढ़ मिट्टी सीमेंट आधार 4. पूर्व निर्मित कड़ियों के ऊपर छत सैल्यूलर एकक 5. आर० सी० सी० चौखटें

1	2	3	4
			6. दरवाजों के लिए कण बोर्ड 7. प्लम्बिंग की एकल स्टेक प्रणाली 8. विभाजन के लिए हल्की एस्बेस्टस सीमेंट कंक्रीट
5.	मात्र हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्ट्री के लिए हिन्दुस्तान प्रीफैब लिमिटेड के स्टाफ के लिए 32 स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण	5,41,800 4,00,350	1. पूर्व निर्मित कालमों की नींव से पाकेट कनैक्शन रक्षियम उपाय 2. पूर्व निर्मित आर०सी०सी० के लिए 3. सीमेंट कंक्रीट के पूर्व निर्मित स्तम्भ 4. प्रत्यक्षत: पूर्वबलित कंक्रीट स्तम्भ पर टिके 10 से०मी० मोटे तथा 1.6 से०मी० चौड़े पूर्वबलित कंक्रीट के खोखले स्लैबों से छत तथा फर्श 5. पूर्व निर्मित आर०सी०सी० एकल फ्लाइट सीढ़ियां मोनोलीथिकली कास्ट लैंडिंग 6 बी० एम० = डब्लू० एल०/50 के आधार पर बनाए गए लिंटल और छज्जे 7. दरवाजों तथा खिड़कियों के लिए आर० सी० सी० चौखटें
6.	एन० एच० 7 आर० के० पुरम, नई दिल्ली/के० लो० नि० वि०, नई दिल्ली में टाइप 2 के 8 दो मंजिले क्वार्टरों का निर्माण (परियोजना सं० 6)	67,600 50,850	1. कंक्रीट तथा मोरटार में भी 20% तक सीमेंट के विकल्प के रूप में उड़न राख का उपयोग
7.	एन० एच० 8 आर० के० पुरम, नई दिल्ली/के० लो० नि० वि०, नई दिल्ली में चार मंजिले ब्लाकों में टाइप 3 के 96 क्वार्टरों का निर्माण (परियोजना सं० 7)	10,16,238 शून्य	1. भूतल में अधिक सुदृढ़ ईंटों का उपयोग करते हुए 23 से०मी० भार वहन दीवारें और अपेक्षित सुदृढ़ता के मोरटार सहित अन्य तलों में साधारण द्वितीय श्रेणी

1	2	3	4
8.	बंगाल इंजीनियरिंग कालेज, हावड़ा, कालेज आफ इंजीनियरिंग, हावड़ा, पश्चिमी बंगाल में विद्यार्थियों के लिए शैक्षणिक तथा मनोरंजात्मक सुविधाओं के लिए भवन का निर्माण	1,23,000 92,850	1. स्वस्थान में निर्धारित आर० सी० सी० आधारों के खाली स्थानों में बनाये गये ब्रेकिटों सहित पूर्व निर्मित आर० सी० सी० कालम 2. कालमों के ब्रेकिटों पर टिके पूर्व निर्मित तथा पूर्वबलित स्तम्भ 3. मिश्रित पूर्व निर्मित आर० सी० सी० बीम तथा खोखले गोल ब्लाकों वाले प्रथम तल के स्लैब 4. पूर्व निर्मित तथा पूर्व बलित घुमावदार प्लेट छत 5. विशेष खोखले गोलाकार ब्लाकों की दीवारें 6. बरसाती पानी के गटरों के रूप में कार्य करने वाले छत को थामे रखने वाले खोखले स्तम्भ
9.	उड़ीसा में केसर में लोक निर्माण विभाग (बी० एण्ड आर०) उड़ीसा के लिए 2 आर०ए० तथा 2 आर० बी० टाइप के क्वार्टरों का निर्माण (परियोजना सं० 9)	39,300 29,300	1. रीम्ड पाइलों के अधीन
10.	आर० सी० सी० फ्रेम निर्माण/के० लो० नि० वि० मद्रास (परियोजना सं० 10) के 4 मंजिला टाइप 3 क्वार्टरों के एक ब्लाक का निर्माण	1,60,000 शून्य	1. हाइपोरबोलिड फुटिंग का प्रयोग
11.	गांधी नगर टाउनशिप, गुजरात, गुजरात मुख्य परियोजना, अहमदाबाद 1 (परियोजना सं० 11) में 10 ब्लाकों का निर्माण (प्रत्येक ब्लाक में 4 क्वार्टर, दुमंजिले क्वार्टर)	5,65,100 17,132	1. केविटी दीवारें 2. छत तथा फर्श के लिए खाली पूर्वबलित आर० सी० सी० कोर स्लैब

1	2	3	4
12.	स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग अनुसंधान क्षेत्रीय केन्द्र, मद्रास के लिए भंडार का निर्माण, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग अनुसंधान केन्द्र, रुड़की (परियोजना सं० 12)	76,000 57,000	1. पूर्वबलित पूर्वनिर्मित हाइपोरबोलिड शैल का एम० 420 कंक्रीट तथा स्टील तारों का छत में प्रयोग
13.	धौला कुंआ नई दिल्ली/मिलिटरी इंजीनियरिंग सर्विसिज आर्मी हैड क्वार्टर नई दिल्ली में टाइप-3 के 4 मंजिले 16 क्वार्टरों का निर्माण	3,89,000 2,57,875	1. 23 से०मी० भार सहनीय दीवारों सहित 4 मंजिला निर्माण 2. फर्श तथा छत के लिए पूर्व बलित चैनल एकक 5 3. 20 प्रतिशत सीमेंट को राख में बदलना 4. दरवाजों तथा खिड़कियों के लिए आर० सी० सी० फ्रेम का प्रयोग 5. सेल्यूलर कंक्रीट ब्लाक तथा रूफ स्लैब
14.	कर्जन रोड होस्टल, के० लो० नि० वि० नई दिल्ली में प्लास्टिक स्टे का प्रावधान	3,391 2,393	1. प्लास्टिक स्टे
15.	कलकत्ता महानगर विकास, पश्चिमी बंगाल सरकार, कलकत्ता महानगर योजना संगठन द्वारा मनीतला कार्य तथा आवास केन्द्र के लिए 50 रिहायशी एककों का 5 मंजिला ब्लाक का निर्माण (परियोजना सं० 16)	2.70,625 1,89,438	1. सिंगल ब्रिक थिक लोड सहनीय दीवारों का सभी 5 तलों में प्रयोग 2. पूर्वबलित रिब्ड एककों का फर्श तथा छत में प्रयोग
16.	कश्मीर हाउस नई दिल्ली एम० ई० एस० आर्मी हैडक्वार्टर में एक मंजिले भवन का निर्माण (परियोजना सं० 17)	16,119 12,090	1. सैल्यूलर एकक सहित छत 2. 20 प्रतिशत सीमेंट को उड़न राख में परिवर्तन 3. दरवाजे तथा खिड़कियों के लिए प्लास्टिक स्टे तथा हैंडल 4. हाइड्रेटिड चूना प्रयोग सीमेंट चूना मोर्टार

1	2	3	4
			5. मैगनीशम औक्सीक्लोराइड तल
17.	एस० एम० ई० डिपो पूना, मिलिटरी इंजीनियरिंग कालेज, रक्षा मंत्रालय, पूना में एक मंजिले भवन का निर्माण (परियोजना सं० 18)	81,400 45,000	1. चैनल यूनिटों का प्रयोग 2. एंगल यूनिटों का प्रयोग 3. सी० पी० सी० सहित सीमेंट मोर्टार 1:4 सहित एयर एन्ट्रेनिंग एजेन्ट
18.	शिमला, हिमाचल प्रदेश, लो०नि० वि० शिमला में टाइप 3 के 16 क्वार्टरों का निर्माण (परियोजना सं० 19)	3,11,300 2,33,500	1. डिफोम बार का उपयोग 2. आंशिक पूर्वढलित आर०सी० सी० जोइस्ट पर चैनलनुमा एकक
19.	मद्रास भारतीय मानक संस्थान नई दिल्ली में आई० एस० आई० के लिए एक कार्यालय भवन का निर्माण (परियोजना सं० 20)	4,51,500 3,38,625	1. नीव के लिए अंडर रीम पाइल्स 2. छत/फर्श के लिए पूर्वढलित कोष्ठ एकक 3. फर्श तथा छत के लिए पूर्व-ढलित ठोस स्लेब 4. छत तथा फर्श के लिए वॉफल एकक
20.	गांधी वाटिका, रुड़की, म्यूनिसीपल बोर्ड, रुड़की में 4 मंजिलों के ब्लाक में 16 एकक(परियोजना सं०21)	1,20,700 90,525	1. अंडर रीम पाइल्स 2. एकल स्टेक प्लम्बिंग 3. दरवाजों तथा खिड़कियों के लिए आर० सी० सी० फ्रेम 4. छत/फर्श के लिए पूर्वढलित आर० सी० सी० जो इस पर आंशिक आर० सी० सी० प्लॅक रेस्टिंग 5. प्लास्टरिंग तथा ईंटों की चिनाई की सुधरी हुई पद्धति
21.	स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग अनुसंधान केन्द्र, मद्रास/एस० टी० आर० सी० मद्रास में दो मंजिला भवन (परियोजना सं० 22)	2,50,151 1,87,613	1. नीव में लीयन कंक्रीट का उपयोग तथा तल के नीचे 20 प्रतिशत सीमेंट को उड़न राख में परिवर्तित करना 2. 20 प्रतिशत सीमेंट को उड़न राख में परिवर्तित

1	2	3	4
			करके पूर्वबलित आर० सी० सी० पैनल एकक
22.	पंखा रोड दिल्ली, दि० वि० प्रा०, नई दिल्ली में निम्न आय वर्ग के लिए दुमंजिले ब्लाक में 50 रिहायशी एकक (परियोजना सं० 23)	5,40,600 4,05,450	1. सीमेंट उड़न राख मोर्टार सहित मसाला ईंटों का उपयोग 2. छत के लिए पूर्वबलित कोड एकक 3. प्लम्बिंग की एकल स्टेक प्रणाली 4. ईंटों की चिनाई तथा प्लास्टिंग की सुधरी हुई प्रणाली 5. आंतरिक जलपूर्ति के लिए पी० वी० सी० पाइप 6. नीव, कंक्रीट, फर्श, प्लास्टिरिंग तथा अन्य आर० सी० सी० मदों में उड़न राख का प्रयोग
23.	हिन्दुस्तान हाऊसिंग फैक्टरी स्टाफ कालोनी, हिन्दुस्तान हाऊसिंग फैक्टरी, नई दिल्ली अब हिन्दुस्तान प्रीफैब लि० में टाइप-1 के 32 क्वार्टरों का निर्माण (परियोजना सं० 24)	6,35,590 4,76,592	1. भारवाही कंक्रीट पैनेल 2 आंतरिक तथा बाह्य दीवारों के लिए चूना एवं सुरखी गारा 3. ठोस/खोखले कोर स्लेब 4. कंक्रीट दीवार पैनलों के मध्य संशोधित समतल और ऊर्ध्वाधर जोड़ों का प्रयोग 5. दरवाजों और खिड़कियों के लिए स्टील चौखटें
24.	तमिलनाडु आवास बोर्ड मद्रास में पूर्वबलित के बड़े पैनल तरीके का प्रयोग करके मध्यम आय वर्ग के 144 फ्लैटों का निर्माण (परियोजना सं० 25)	30,33,400 5,30,000	1. पी० सी० सी० और पकाई हुई मिट्टी के खोखले ब्लाकों के बाह्य बड़े पैनलों की दीवारें 2. आर० सी० सी० के दो लीवों और ईंट कार्य की भराई की आंतरिक बड़े पैनलों की दीवारें

1	2	3	4
			3. पूर्वनिर्मित वाफेल सैलों के बड़े पैनल पूर्वनिर्मित छत स्लेब 4. पूर्वनिर्मित सीढ़ियां 5. सीमेंट के आंशिक बदले में फ्लाईआस
25.	सी० आई० जी० क्षेत्र, नई दिल्ली के० लो० नि० वि०, नई दिल्ली में 20 रिहायशी एककों के पांच मंजिले ब्लाक का निर्माण (परियोजना सं० 26)	6,63,100 शून्य	1. सभी पांच तलों में 23 से० मी० भारवाही दीवारें
26.	स्कूल आफ आर्किटेक्चरस, अहमदाबाद में संरचनात्मक कार्यशाला एवं प्रयोगशाला के लिए भवन का निर्माण (परियोजना सं० 28)	1,92,732 1,11,415	1. वाफेल सैल रूफिंग 2. ब्रिक कैवटि दीवारें 3. मैगनेशियम आक्सालोराईड दरवाजे की चौखटें 4. मैगनेशियम आक्सलोराईड रूफिंग 5. मंगो वुड शटर 6. प्लामबिंग के लिए पी०वी० सी० पाइपें
27.	नेवेली लिगनाईट कारपोरेशन, नेवेली में निम्न आय वर्ग के 200 मकानों का निर्माण (परियोजना सं० 27)	25,95,249 2,00,935	1. चिनाई के लिए फ्लाईआस की ईंटें 2. पूर्व निर्मित आर० सी० पैनल यूनिट रूफ 3. सीमेंट के आंशिक बदले में फ्लाईआस 4. पूर्वनिर्मित लिन्टल और सनशैड 5. दरवाजों, खिड़कियों के लिए पूर्वनिर्मित आर० सी० चौखटें
28.	सैक्टर 23 फरीदाबाद, हरियाणा आवास बोर्ड, चण्डीगढ़ में निम्न आय वर्ग के 50 तथा आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के 48	7,64,800 3,58,426	1. छतों के लिए पूर्वनिर्मित आर० सी० पैनल एकक 2. सीमेंट के आंशिक बदले में फ्लाईआस

1	2	3	4
	मकानों का निर्माण (परियोजना सं० 29)		3. पूर्वनिर्मित आर०सी० दरवाजे खिड़कियों की चौखटें
29.	वेस्टर्न कोल फील्ड लि०, नागपुर के कैम्पटी कोलेरी में कामगारों के लिए 20 रिहायशी एककों का निर्माण (परियोजना सं० 30)	1,90,426 76,735	1. अन्डर रीम्ड स्थण नीव 2. छत के लिए पूर्वनिर्मित आर० सी० चैनल एकक
30.	(I) लुधियाना में निम्न आय वर्ग के 44 मकानों का निर्माण, पंजाब आवास विकास बोर्ड, चण्डीगढ़ (परियोजना सं० 31)	3,48,260 2,58,600	1. ईंट ब्लास्ट मिलाव के साथ नीव में 1:2:5 में चूना कंक्रीट 2. 25 मी०मी० मोटा डी० पी० सी० कार्य 3. 19 से० मी० मोटा ईंट कार्य 4. छत के लिए ठोस प्लैंक तथा कड़ियां 5. चूना कंक्रीट टेरेसिंग 6. दरवाजों/खिड़कियों के लिए लकड़ी की गौण जातियां 7. 13 मी० मी० मोटा सीमेंट चूने का प्लास्टर
	(II) लुधियाना में आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिए 24 मकान, पंजाब आवास विकास बोर्ड, चण्डीगढ़ (परियोजना सं० 31)	1,14,470 86,450	1. ईंट ब्लास्ट मिलान के साथ नीव में 1:2:8 में चूना कंक्रीट 2. 25 मी०मी० मोटा डी० पी० सी० कार्य 3. 19 से० मी० मोटा ईंट कार्य 4. छत के लिए ठोस फैंक 5. चूना कंक्रीट टेरेसिंग 6. दरवाजा/खिड़कियों के लिए लकड़ी की गौण जातियां 7. 13 मी०मी० मोटा सीमेंट चूने का प्लास्टर
31.	कैम्पटी कोलेरी में कामगारों के लिए 20 रिहायशी एककों का	1,85,020 52,175	1. अंडर रीम्ड नीव 2. छत के लिए पूर्वनिर्मित

1	2	3	4
	निर्माण जिसमें "एल" पैनेल छत अपनाया गया है, वैस्टर्न कोल फील्ड लि०, नागपुर (परियोजना सं० 32)		"एल" पैनेल एकक 3. कंक्रीट कैवेटी दीवार ब्लाक
32.	अयास बाग, लखनऊ में 80 मकानों का निर्माण, उत्तर प्रदेश सो० नि० लि०, लखनऊ(परियोजना सं० 34)	39,56,877 5,50,344	1. 4 मंजिले भवन में एकल मोटाई वाला ईंट कार्य 2. पूर्वनिर्मित आर० सी० सी० प्लैंक छत 3. 2.5 सें०मी० तल फिनिश
33.	परवाणू में हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड, शिमला (परियोजना सं० 36) के लिए 48 मकानों का निर्माण	7,06,440 3,15,136	1. मडूलर ईंटें 2. 4 मंजिली इमारत के लिए एक ईंट की वाहक दीवार 3. आर० सी० मार्ग एकक 4. एल० पैनल की छतें 5. सिंगल स्टेक प्लम्बिंग 6. पी० वी० सी० पाइपें
34.	कर्नाटक राज्य में कालकाजी में भारत स्काउटों तथा गाइडों के लिए कर्नाटक राज्य में (परियोजना सं० 37) प्रयोगशाला भवनों का निर्माण	2,41,183 1,21,783	1. पूर्वनिर्मित होलो कंक्रीट की ईंटें, क्वार्टज कंक्रीट सहित 2. पूर्वनिर्मित विभाजन, ब्लास्ट फर्नास स्लेग अग्रेगेट सहित 3. दरवाजों तथा खिड़कियों के लिए टीक की स्थानीय माध्यमिक स्पेसीज 4. पूर्व निर्मित सैल्यूलर यूनिट की छत 5. पूर्व निर्मित कोर्ड स्लैब की छत
35.	निवेली लिग्नाइट निगम पर एल पैनल रूफिंग प्रयोग करके नेवेली (परियोजना सं० 38) में 40 स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण	5,38,000 3,80,340	1. पूर्व निर्मित एल पैनल रूफिंग 2. उड़न राख ब्लाक मैंसनरी 3. मोर्टार तथा कंक्रीट में सीमेंट के स्थान पर थोड़ी उड़न राख
36.	जनसंपर्क नगर, भोपाल में भोपाल विकास प्राधिकरण, भोपाल (परियोजना सं० 39) के लिए 40	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 6,57,380	1. रीम्ड पाइल के नीचे नींव 2. पूर्व निर्मित पत्थर ब्लाक मैंसनरी

1	2	3	4
	आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तथा 40 निम्न आय वर्ग के मकानों का निर्माण	3,44,950 निम्न आय वर्ग 4,14,060 2,05,710	3. पूर्व निर्मित छतें, मिट्टी की खुलरों सहित 4. फर्श की घटी हुई मोटाई
37.	4-5 मंजिले इंट लोड वाहक इमारतें, भोपाल इंजीनियरिंग विभाग, रुड़की (परियोजना सं० 40) सी० सी० यक डिजाइन का विकास तथा निष्पादन	85,000 85,000	4-5 मंजिली बहुमंजिली इंट लोड वाहक टाइप की इमारतें भूकम्पी विचार से
38.	तमिलनाडु आवासीय बोर्ड, गुंडी इंजीनियरिंग कालेज, मद्रास (परियोजना सं० 44) के उड़न राख से माइक्रोपोटटीस का विकास	प्रथम चरण 11,000 11,000	लिव, उड़न राख तथा बालू का उपयोग करके नवीन हल्के वजन की सामग्री का विकास
39.	नेवेली, नेवेली लिगनाइट निगम, नेवेली (परियोजना सं० 41) में पूर्व निर्मित इनवर्टेड रिब्बड स्लेबों को अपना कर 40 क्वार्टरों का निर्माण	20,40,378 6,12,113	1. सीमेंट कंक्रीट तथा चौखट में उड़न राख को मिलाकर नए मिश्रण को अपनाना 2. पूर्वनिर्मित आर० सी० इनवर्टेड रिब्बड एककों की छत 3. 10 सेन्टीमीटर नेटरिट, उड़न राख के फर्श 4. फ्रेस स्टोन/एम० एस० कोण ढांचा तथा दरवाजों एवं खिड़कियों के लिए शटर 5. एच० डी० पी० ई० पाइपें तथा पी० वी० सी० पानी के टेप
40.	इन्दौर, मध्य प्रदेश मलिन बस्ती अनुमति बोर्ड, भोपाल (परियोजना सं० 42) में मलिन बस्ती वासियों के लिए 83 टेनामेंटों का निर्माण	4,25,873 3,39,387	1. 25 मि०मी० ओ०पी०सी० 2. पूर्व निर्मित आर० सी० सी० प्लेंकस तथा जोइस्ट रूफिंग 3. बिना चौखट के दरवाजे, कालतार ड्रम शीटों के शटर 4. 10 से०मी० जेड-शेप की मेसनरी ईंटें दीवारों के लिए 5. लिम्म आदि जैसी स्थानीय

1	2	3	4
			सामग्री का उपयोग 6. एन० डी० आर० ए० की डिजाइन के अनुसार डब्लू० सी० सीट
41.	नई दिल्ली में भारतीय तकनीक संस्थान, नई दिल्ली (परियोजना सं० 43) आई० आई० टी० के लिए टाइप-III के 40 क्वाटरों का निर्माण	23,76,360 8,73,400	1. सभी चार मंजिलों में सिंगल ईंट लोड वाहक दीवारें 2. पूर्व निर्मित, आर० सी० प्लेंक जोइस्ट प्रणाली रूफिंग की 3. ईंटों की आधारिक स्पेसीज का उपयोग 4. 25 मि०मी० प्लास्टरिंग 5. 1:2:9 सी० एम० एम० पलस्तर 6. प्लम्बिंग की सिंगल स्टेक प्रणाली
42.	गुरदासपुर पंजाब खण्ड उद्योग, चंडीगढ़ (परियोजना सं० 43) में जीरा में एक कमरे वाले दुमंजिले 80 क्वाटरों तथा 2 कमरे वाले दुमंजिले 40 क्वाटरों का निर्माण	31,66,320 9,95,940	1. सी० एम० एम० में 1:2:9 मोर्टार की अच्छे ढांचे के लिए 19 से०मी० मोटी मेसनरी दीवारें) 2. पूर्व निर्मित खिड़की लिन्टलें 3. छत के लिए पूर्व निर्मित आर० सी० प्लेंक तथा जोइस्ट प्रणाली 4. कम्पोजिट मोर्टार की 1:2:9 सहित 12.5 मि० मी० का पलस्तर
43.	रुड़की विश्वविद्यालय पर, विश्व-विद्यालय, रुड़की (परियोजना सं० 43) विद्यालय इमारत में परीक्षा हॉल का निर्माण	5,35,552 4,65,000	1. उत्तम ढांचे मेसनरी के लिए केविटी दीवार 2. आर० सी० रिब्डस्लेब रूफिंग 3. दरवाजों के लिए छोटे बीड, शटर सहित लोहे की चौखटें तथा खिड़कियों के लिए लोहे की जेडसेक्शन 4. वाष्पीकरण, शीतल प्रणाली, जैसे ऊर्जा संरक्षण उपाय,

1	2	3	4
			खिड़कियों आदि की विशेष डिजाइन सहित 5. वास्तुकी गुणों को अपनाकर सौर ऊर्जा का उपयोग

हिमाचल प्रदेश में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को मकानों के लिए भू-खण्ड

4862. प्रो० नारायण चन्द पराशर : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण भूमिहीन परिवारों की संख्या कितनी है; और

(ख) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के भूमिहीन परिवारों तथा साथ ही गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले अन्य जातियों के उन परिवारों की संख्या कितनी है जिन्हें मार्च, 1989 के अन्त तक मकानों के लिये निःशुल्क भूखंड प्रदान किये गये हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

दिल्ली में सरकारी कर्मचारियों को सरकारी आवास

4863. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में सरकारी क्वार्टरों के आबंटन हेतु सरकारी कर्मचारियों के कितने आवेदन पत्र विचाराधीन हैं;

(ख) वर्ष 1988 के दौरान सरकारी कर्मचारियों को कितने क्वार्टर आवंटित किये गये; और

(ग) सरकारी कर्मचारियों के लिये आवास की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिये और अधिक क्वार्टरों के निर्माण हेतु क्या उपाय किये गये हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) 37779.

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) फिलहाल, दिल्ली में सामान्य पूल के 574 क्वार्टर निर्माणाधीन हैं तथा 588 और क्वार्टरों की मंजूरी दे दी गई है। 1300 अन्य क्वार्टर भी केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के पास वैचारिक स्थिति में हैं।

केरल में नए नर्सिंग संस्थानों का खोला जाना

4864. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार केरल में किन्ही नर्सिंग प्रशिक्षण स्कूलों/संस्थानों का संचालन कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का केरल में कई नये नर्सिंग स्कूल/संस्थान खोलने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) और (ख) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय केरल में कोई उपचर्या प्रशिक्षण स्कूल/संस्थान नहीं चला रहा है। तथापि, केरल राज्य सरकार निम्नलिखित उपचर्या प्रशिक्षण स्कूल चला रही है :

—जनरल नर्सिंग एण्ड मिडवाइफरी स्कूल	—	50
—ए० एन० एम० स्कूल	—	18
—बी० एस० सी० नर्सिंग कालेज	—	3

(ग) जी, नहीं।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

कुष्ठ निवारण टीकों का प्रयोग

4865. **श्री गुरुदास कामत :**

श्री टी० बाल गौड :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई स्थित कैंसर अनुसंधान संस्थार द्वारा विकसित कुष्ठ निवारण टीकों महाराष्ट्र के शोलापुर जिले में परीक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो परीक्षण के क्या निष्कर्ष निकले; और

(ग) इस कुष्ठ निवारण टीके को वास्तव में कब से उपयोग में लाया जाने लगेगा ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) जी, हां। आई०सी०आर०सी० कैंडी हेड कुष्ठ वैक्सीन की महाराष्ट्र के शोलापुर जिले में मनुष्यों पर प्रतिरक्षा रोग निरोधी/प्रतिरक्षा रोगहर संबंधी प्रभावकारिता का मूल्यांकन करने के लिए परीक्षण किया जा रहा है।

(ख) और (ग) परीक्षण के परिणामों की प्रतीक्षा की जा रही है। इसके वास्तविक इस्तेमाल के प्रश्न का निर्णय, केरल फील्ड परीक्षण के परिणामों के उपलब्ध होने के बाद ही किया जाएगा।

सार्वजनिक स्वास्थ्य विद्यालयों की स्थापना

4866. **श्री गुरुदास कामत** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विभिन्न राज्यों में सार्वजनिक स्वास्थ्य विद्यालय स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा वर्ष 1989-90 के दौरान देश में कितने सार्वजनिक स्वास्थ्य विद्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(ग) इन विद्यालयों की स्थापना और उनके रखरखाव हेतु वर्ष 1989-90 में कितनी धनराशि निर्धारित की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

हुगली नदी के पानी की गुणवत्ता के बारे में सर्वेक्षण

4867. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन के "थेम्स वाटर आथोरिटी" के एक प्रतिनिधि ने केन्द्रीय पर्यावरण और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कार्मिकों के साथ मार्च, 1989 के दौरान कलकत्ता में हुगली नदी के पानी की गुणवत्ता के बारे में कोई सर्वेक्षण किया था;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष हैं; और

(ग) उसकी टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए कलकत्ता में हुगली नदी के पानी की गुणवत्ता सुधारने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) से (ग) कलकत्ता में हुगली नदी की जल गुणवत्ता का एक सर्वेक्षण थेम्स वाटर आथोरिटी, यू० के०, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नई दिल्ली और पश्चिम बंगाल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कलकत्ता, के वैज्ञानिकों का (एक) दल मार्च, 1989 में किया गया था। गंगा कार्य योजना के एक भाग के रूप में हुगली नदी की लगातार निगरानी (मानीटरिंग) के लिए जल गुणवत्ता निगरानी के एक स्वचालित केंद्र की कलकत्ता में स्थापना का प्रस्ताव है। इस सर्वेक्षण का प्रयोजन केन्द्र के स्थल का अभिनिर्धारण करना था।

अन्तर्राष्ट्रीय पटसन परिषद

4868. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने गत मास ढाका में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय पटसन परिषद के ग्यारहवें सत्र में भाग लिया था और उसमें इस वर्ष समाप्त होने वाले पंचवर्षीय अंतर्राष्ट्रीय पटसन करार को आगे बढ़ाने में विस्तार से बातचीत की थी;

(ख) यदि हां, तो इस बातचीत का क्या निष्कर्ष निकला; और

(ग) इस संबंध में केन्द्रीय सरकार का क्या अनुवर्ती कार्यवाही करने का विचार है ?

वस्त्र मंत्री तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) परिषद ने वर्ष 1991 के पश्चात् की अवधि के लिए पुनः विचार-विमर्श

किए गए अंतर्राष्ट्रीय पटसन करार को कुछ संशोधनों के साथ स्वीकार कर लिया है। नवम्बर, 1989 में होने वाले अंकटाड सम्मेलन में, इस करार पर आगे विचार विमर्श और इसे स्वीकार करने के बारे में चर्चा की जाएगी।

बेरोजगार महिलाएं

4869. **श्री लक्ष्मण मलिक :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1988 को बेरोजगार महिलाओं की राज्य-वार कुल संख्या कितनी थी;

(ख) इनमें से मैट्रिक, इंटर, स्नातक, इंजीनियर और डाक्टर की उपाधि प्राप्त बेरोजगार महिलाओं की संख्या कितनी है; और

(ग) इन्हें रोजगार के बेहतर अवसर प्रदान करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राधा किशन मालवीय) : (क) और (ख) सातवीं योजना दस्तावेज के अनुसार, सामान्य स्तर आधार पर 5+ आयु की बेरोजगार महिलाओं की संख्या मार्च, 1985 में 11.9 लाख थी। इस संख्या का राज्य-वार या शैक्षिक स्तर के अनुसार ब्योरा उपलब्ध नहीं है।

(ग) सातवीं योजना के दौरान महिला रोजगार संबंधी कार्यक्रमों और रूपरेखा को सातवीं योजना दस्तावेजों के खंड II के अध्याय 14 में दी गई है।

खादी क्षेत्र के लिए कुछ मदों को आरक्षित करने का प्रस्ताव

4870. **श्री परसराम भारद्वाज :** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हथकरघा क्षेत्र की तरह ही खादी क्षेत्र के लिए भी कपड़े की कुछ किस्मों को आरक्षित करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

वस्त्र मंत्री तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

आयुर्वेद के संबंध में अनुसंधान और विकास कार्य हेतु आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना

[हिन्दी]

4871. **श्री श्यामलाल सोंधी :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का आयुर्वेद औषधियों के बारे में अनुसंधान कार्य करने हेतु बस्तर जिले में एक आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध अभी तक क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) और

(ख) सरकार के पास मध्य प्रदेश के बस्तर जिले में आयुर्वेद में अनुसंधान कार्य के लिए एक आयुर्विज्ञान संस्थान खोलने का प्रस्ताव नहीं है। तथापि; केन्द्रीय आयुर्वेद और सिद्ध अनुसंधान परिषद द्वारा हाल ही में 11-1-89 को बस्तर (मध्य प्रदेश) में जगदालपुर में एक जनजातीय स्वास्थ्य परिचर्या अनुसंधान एकक खोला गया है।

कानपुर में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अस्पताल

[अनुवाद]

4872. **श्री बी० श्रीनिवास प्रसाद :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम के कानपुर स्थित अस्पतालों से डाक्टरों का सहयोग न मिलने के कारण औद्योगिक श्रमिकों को समुचित चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या प्रशासन ने कर्मचारियों के पदोन्नति के अवसर अवरुद्ध कर दिये हैं और विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिशों की अनदेखी कर दी गई है, यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(घ) वर्ष 1988 के दौरान विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश से पदोन्नति के लिए तैयार की गई सूची जो व्ययगत हो गई है उसका ब्यौरा क्या है; और

(ङ) कानपुर में औद्योगिक श्रमिकों को समुचित चिकित्सा सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राधा किशन मालवीय) : उत्तर प्रदेश सरकार ने जो कि राज्य में कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अंतर्गत चिकित्सा देख-रेख के प्रावधानों के लिए उत्तरदायी है निम्नानुसार सूचित किया जाता है—

(क) जी, हां।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) जी, नहीं। तथापि सामान्य ड्यूटी अधिकारी के कुछ मामले हैं जिन्हें उच्चतर ग्रेड में पदों के उपलब्ध न होने के कारण पदोन्नत नहीं किया जा सका।

(ङ) औद्योगिक कर्मकारों को पहले ही क० रा० बी० औषधालयों/अस्पतालों में उपयुक्त चिकित्सीय देख रेख और उपचार उपलब्ध कराया जा रहा है।

संस्थागत क्षेत्रों के लिए भूमि के मूल्यों में वृद्धि

4873. **श्री विजय एन० पाटिल :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में संस्थागत क्षेत्रों के लिए भूमि के मूल्यों में पूर्व तिथि से वृद्धि की गई है;

(ख) यदि हां, तो उन संस्थानों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने भूमि के मूल्यों में वृद्धि की घोषणा से पूर्व राशि जमा कर दी है; और

(ग) इन संस्थानों को अभी तक भूमि का कब्जा न दिए जाने के क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां। मान्यता प्राप्त तथा सहायतित शैक्षणिक संस्थाओं और स्थानीय निकायों द्वारा व्यवस्थित अस्पतालों तथा जन उपयोगी सेवाओं के अलावा लाभ रहित स्वरूप ही सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, धर्मार्थ तथा धार्मिक संस्थाओं को भूमि के आबंटन के लिए भूमि की दरों का 4-10-88 को 1-4-87 से संशोधित किया गया था।

(ख) और (ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

क्र०स०	मूल्यों में वृद्धि होने से पहले जिन संस्थाओं ने राशि जमा की	कब्जा देने से संबंधित स्थिति
I.	**भूमि तथा विकास कार्यालय**	
	(I) भारतीय आवास केन्द्र (II) अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा (III) दी पुरवोश्री महिला समिति (IV) राष्ट्रीय अंध संघ (V) माता सुन्दरी कालेज	भूमि तथा विकास कार्यालय ने सूचित किया है कि सभी संस्थाओं को कब्जा दे दिया गया है। माता सुन्दरी कालेज के मामले में अभी एक छोटे क्षेत्र का कब्जा देना शेष है क्योंकि इसे दिल्ली प्रशासन से प्राप्त किया जाना है।
II.	**दिल्ली विकास प्राधिकरण**	
	(I) सर शोभा सिंह ट्रस्ट (II) विद्या शिक्षा समिति (III) भारती शिक्षा न्यास (IV) विद्यापति संस्थान (V) विक्रमशिला शिक्षा समिति (VI) तमना सोसाइटी (VII) सत्वान शिक्षा न्यास (VIII) डी० ए० वी० कालेज प्रबन्ध समिति (IX) कोलम्बिया फाउन्डेशन (X) गुड-ले पब्लिक स्कूल सोसाइटी (XI) चुन्नीलाल जयपुरिया शिक्षा न्यास (XII) मोतीबाग न्यूक्लियल एण्ड शिक्षा समिति (XII) श्री गुरुसिंह सभा (XIV) परिवार सेवा संस्था (XX) मुंगमम	दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि इनमें से किसी भी संस्थान को कब्जा नहीं दिया गया है क्योंकि उन्होंने संशोधित मांग के अनुसार राशि जमा नहीं की है।

हथकरघा और खादी उत्पादों की बिक्री पर गैर सरकारी वस्त्र एककों द्वारा छूट देने पर प्रतिकूल प्रभाव

4847. श्री एन० डेनिस : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर-सरकारी क्षेत्र के वस्त्र एककों द्वारा छूट दिए जाने से हथकरघा और खादी उत्पादों की बिक्री पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है?

वस्त्र मंत्री तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) सरकार गैर-सरकारी क्षेत्र के वस्त्र एककों द्वारा दी जाने वाली छूट का वित्त पोषण नहीं करती। सरकार की योजना केवल हथकरघा सरकारी समितियों और निगमों तथा खादी संगठनों को ही छूट सहायता देने के संबंध में है।

सुदूरवर्ती क्षेत्रों के आदिवासियों के लिए योजनायें

4875. श्री लक्ष्मण मलिक : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में वन-क्षेत्र का घटना इस समय पर्यावरण की मुख्य समस्या है;

(ख) यदि हां, तो क्या पर्यावरण संतुलन बिगड़ने का मुख्य कारण गरीबी है क्योंकि गरीब जनता अपनी तात्कालिक जरूरतों की नहीं बल्कि दीर्घकालिक परिणामों की अनदेखी करती है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस दिशा में तथा देश के सुदूरवर्ती क्षेत्रों के आदिवासियों को शिक्षित करने के लिए क्या कदम उठाये हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) इस समय देश के सामने आ रही मुख्य पर्यावरणीय समस्याओं का एक मुख्य कारण वनों का अवक्रमण है।

(ख) जैवीय दबाव में वृद्धि वनों के अवक्रमण के मुख्य कारणों में से एक है :

(ग) राष्ट्रीय वन नीति, 1988 में वनों की सुरक्षा, पुनरुद्धार और विकास में आदिवासी लोगों को शामिल करने पर जोर दिया गया है। इसको निम्नलिखित के द्वारा प्राप्त करने का उद्देश्य है।

(1) आदिवासी सहकारिताओं, श्रमिक सहकारिताओं आदि का गठन।

(2) लघु वन उत्पादों के वितरण के लिए संस्थागत व्यवस्था सहित उनकी सुरक्षा, पुनरुद्धार और अधिकतम संकलन।

(3) आदिवासी लाभभोगियों के स्तर के सुधार के लिए परिवार के अनुकूल स्कीमें।

(4) वर्तमान वन-क्षेत्रों पर दबाव कम करने के लिए समन्वित क्षेत्र विकास कार्यक्रम।

कपास के बीजों की कीमत में गिरावट

4876. श्री कादम्बुर जनार्दनन : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बनस्पति उद्योग में किन-किन तेलों का प्रयोग किया जा रहा है;

(ख) वनस्पति उत्पादन में कितने प्रतिशत कपास के बीज का तेल प्रयोग में लाया जाता है;

(ग) क्या सरकार को यह जानकारी है कि बिना ओटाई वाले कपास के विपणन में कपास के बीजों के मूल्य की एक महत्वपूर्ण भूमिका है;

(घ) क्या खाद्य तेलों की आयात नीति के कारण कपास के बीजों की कीमत में 30 से 40 प्रतिशत गिरावट आ गई है; और

(ङ) यदि हां, तो कपास के बीजों की कीमतों में अत्यधिक कमी को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री डी० एल० बैठा): (क) इस समय वनस्पति तैयार करने में जिन खाद्य तेलों की अनुमति है, वे इस प्रकार हैं—

(1) बिनौले का तेल

(2) विलायक निष्कर्षित मूंगफली का तेल

(3) महुआ का तेल

(4) मक्का का तेल

(5) तिल्ली (नाइजरसीड) का तेल

(6) ताड़ का तेल

(7) रेपसीड का तेल

(8) चावल की भूसी का तेल

(9) सोयाबीन का तेल

(10) सूरजमुखी का तेल

(11) तरबूज के बीज का तेल

(12) पामोलीन

(13) 10% तक साल के बीज का तेल

(14) विलायक निष्कर्षित रेपसीड/सरसों का तेल

(15) कुसुम (करड़ी का बीज) का तेल

(16) विलायक निष्कर्षित तिल का तेल

(17) एक्सपेलर सरसों/रेपसीड का तेल
(देशीय) (20% से अधिक नहीं) (30-4-89 तक)

(ख) वनस्पति तैयार करने में बिनौले के तेल के उपयोग के लिए कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

(ग) और (घ) अबोहर, महाराष्ट्र, गुंटूर तथा आंध्र प्रदेश में बिनौले के मूल्य में फरवरी, 1988 की तुलना में इस वर्ष गिरावट आई है। बिनौले (अबोहर) के मूल्यों में फरवरी, 1989

की कीमतों के मुकाबले दिसम्बर, 1988 में कुछ गिरावट का आभास मिला था जो 7.5% तक था। बिनौले के तेल में मूल्यों में कोई गिरावट नहीं आई है। तथापि, तिलहनों के मूल्यों में समग्र रूप से कमी, खरीफ के दौरान अच्छा उत्पादन होने तथा सरसों की भरपूर फसल के कारण आई है।

(ङ) तिलहनों के देशीय उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न उपाय किए गए हैं, जैसे वनस्पति तैयार करने में विलायक निष्कर्षित/एक्सपेलर मूंगफली के तेल तथा तिल के तेल का उपयोग करने की अनुमति देना, आयातित खाद्य तेलों को भाड़ा बिक्री कर आदि की प्रतिपूर्ति किए बिना 19000 रु० प्रति मी० टन की खुले राजार की दरों (ओपेन बिडो रेट) पर निर्मुक्त करना, वनस्पति तैयार करने में विलायक निष्कर्षित बिनौले के तेल के उपयोग पर उत्पाद शुल्क में प्रति मी० टन 4000 रु० की रियायत देना, तिलहनों के संबंध में भण्डारण नियन्त्रण आदेश की सीमाओं में ढील देना तथा चयनात्मक ऋण नियंत्रण योजना के तहत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संवेदनशील वस्तुओं के लिए ऋण सीमा बढ़ाना।

दिल्ली के गांवों में पेय जल की समस्या

[हिन्दी]

4877. श्री भरत सिंह : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनसंख्या में वृद्धि होने तथा नई शहरी कालोनियों के बसने से दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या हैदरपुर और नांगलोई में एक-एक जल संयंत्र की स्थापना करने का प्रस्ताव है ताकि जनता को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा सके; और

(ग) यदि हां, तो मंत्रालय द्वारा इन संयंत्रों के लिए कब तक स्वीकृति प्रदान की जायेगी तथा इस प्रस्ताव पर कब तक कार्यान्वयन किया जायेगा ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) दिल्ली जल पूर्ति एवं मलव्ययन संस्था ने सूचित किया है कि जनसंख्या में वृद्धि एवं प्रचुर संख्या में नई शहरी कालोनियां बनने से ग्रामीण क्षेत्रों की जलपूर्ति प्रभावित नहीं हुई है। नई शहरी कालोनियों तथा ग्रामीण क्षेत्रों को मुख्य पाइप लाइनों तथा नलकूपों द्वारा स्वतन्त्र रूप से जल आपूर्ति की जाती है।

(ख) और (ग) दिल्ली जलपूर्ति एवं मलव्ययन संस्थान ने हैदरपुर तथा नांगलोई में क्रमशः 1000 लाख गैलन प्रतिदिन 1400 लाख गैलन प्रतिदिन क्षमता वाला जलशोधन संयंत्र स्थापित करने की एक परियोजना बनाई है। उपर्युक्त संयंत्रों को कच्चे पानी की आपूर्ति के लिए इस मामले को पड़ोसी राज्य सरकारों के साथ उठाया गया है, संयंत्रों की मंजूरी पड़ोसी राज्यों से कच्चे पानी की आपूर्ति हेतु आश्वासन देने पर निर्भर करेगी।

सारसों वन्य प्राणी अभ्यारण्य के निकट उर्वरक कारखाना

[अनुवाद]

4878. डा० दिग्विजय सिंह : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में कोटा में सारसों वन्य प्राणी अभ्यारण्य के निकट एक उर्वरक कारखाना स्थापित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस कारखाने की स्थापना की मंजूरी प्रदान करने से पूर्व सोहन चिड़िया के संरक्षण को सुनिश्चित कर लिया गया था; और

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

पर्यावरण और वन मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) परियोजना प्रस्ताव पर विचार किया गया है और प्रदूषण नियंत्रण के लिए कठोर शर्तें बनाई गई हैं। ऐसे किसी गैसीय, ठोस अथवा तरल अपशिष्ट अथवा बहिस्रावों को फैलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी जो प्राणीजात पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं। राज्य सरकार ने सारसों में सोहन चिड़िया की आबादी के संरक्षण और संवर्धन के लिए कई कदम उठाए हैं। इस क्षेत्र को वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 के तहत "बन्द क्षेत्र" के रूप में पहले ही अधिसूचित कर दिया गया है और लगभग .00 हेक्टेयर भूमि के चारों ओर बाड़ लगा दी गयी है और उसको चराई के लिए बन्द कर लिया गया है। उत्तरी और पश्चिमी दिशा की मौजूद बाड़ को मजबूत बनाया जा रहा है। परियोजना प्राधिकारी इस क्षेत्र में भारतीय सोहन चिड़िया और अन्य संकटापन्न प्राणिजात की सुरक्षा के लिए राज्य सरकार की उपयुक्त स्कीम में सहयोग देने और वित्तीय सहायता देने के लिए सहमत हो गए हैं।

चावल की कुल बिक्री

4879. **श्री के० पी० उन्नीकृष्णन** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में जनवरी से दिसम्बर, 1988 तक और जनवरी से मार्च, 1989 तक और वर्ष 1987 में इसी अवधि के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से कुल कितने चावल की बिक्री हुई;

(ख) चावल की अग्रेनीत मात्रा और इस वर्ष धान की खरीद से उपलब्ध होने वाली अनुमानित मात्रा का ब्यौरा क्या है;

(ग) इसका वर्तमान स्टाक कितना है और वर्ष 1987 की तुलना में विभिन्न राज्यों को आबंटित मात्रा का प्रतिशत क्या है;

(घ) क्या सरकार वर्ष 1986 और 1987 के स्तर की सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आवश्यकताओं को पूरा कर सकती है; और

(ङ) यदि हां, तो क्या कमी को पूरा करने के लिए आयात किया जायेगा ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री डी० एल० बैठा):(क) वर्ष 1988 में विभिन्न राज्यों और संघ शासित प्रदेशों द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए केन्द्रीय पूल से अनुमानित: 84.37 लाख मीटरी टन चावल का उठान किया गया था। विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा जनवरी और फरवरी, 1989 के महीनों और 1987 की तदनुरूपी अवधि में केन्द्रीय पूल से क्रमश: 12.92 लाख मीटरी टन और 11.78 लाख मीटरी टन चावल का उठान किया गया था।

(ख) 1-10-1988 को स्थिति के अनुसार सरकारी एजेन्सियों के पास अनुमानत: 20.17 लाख मीटरी टन चावल का स्टाक था। इस वर्ष धान की वसूली से 8 मिलियन मीटरी

टन के आस-पास स्टाक उपलब्ध होने की सम्भावना है।

(ग) पहली मार्च, 1989 को स्थिति के अनुसार, सरकारी एजेन्सियों के पास अनुमानतः 48.19 लाख मीटरी टन चावल का स्टाक था। विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को 1988 में केन्द्रीय पूल से चावल के आबंटन की प्रतिशतता 1987 में किए गए आबंटन की तुलना में 89.4% बैठती है।

(घ) और (ङ) केन्द्रीय पूल से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए खाद्यान्नों का आबंटन केवल अनुपूरक स्वरूप का होता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन चावल का वितरण करने विषयक आवश्यकता का मूल्यांकन राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों से प्राप्त मांग, केन्द्रीय पूल में स्टाक की समूची उपलब्धता, अतीत में उठान की प्रवृत्ति, विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों की सापेक्ष आवश्यकताओं और बाजार उपलब्धता पर निर्भर करते हुए प्रत्येक मास के आधार पर किया जाता है।

सरकार देश के अन्दर अधिकतम वसूली करने की कोशिश कर रही है और यदि आवश्यक समझा गया तो वह आयात करने का भी विकल्प रखती है।

बेरोजगार व्यक्ति

4880. श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1985, 1986, 1987 और 1988 में भारत में राज्य-वार रोजगार कार्यालयों की संख्या क्या थी;

(ख) वर्ष 1985, 198 , 1987 और 1988 में भारत में राज्य-वार रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या क्या थी;

(ग) रोजगार कार्यालयों के माध्यम से कितने और किस-किस श्रेणी के रोजगार दिलाए गए; और

(घ) रोजगार कार्यालयों के माध्यम से नौकरी प्राप्त करने वाले पंजीकृत शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों मैट्रिक/हायर सैकेन्डरी, स्नातक और स्नातकोत्तर, तकनीकी डिग्रीधारी तथा डिप्लोमाधारी, चिकित्सक तथा अर्ध-चिकित्सक श्रेणी के व्यक्तियों की संख्या तथा अकुशल श्रमिक तथा अन्य रोजगार के लिए पंजीकृत व्यक्तियों की संख्या कितनी-कितनी है ?

श्रम मन्त्रालय में उपमन्त्री तथा संसदीय कार्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री राधा किशन मालवीय) : (क) से (घ) रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत नौकरी चाहने वाले व्यक्तियों, यह अनिवार्य नहीं कि उनमें से सभी बेरोजगार हों, संबंधित नवीनतम उपलब्ध सूचना दर्शाने वाले विवरण 1, 2 और 3 संलग्न हैं।

विवरण-1

वर्ष के अन्त में संख्या

राज्य/संघ शासित प्रदेश	रोजगार कार्यालय				चालू रजिस्टर (लाखों में)			
	1985	1986	1987	1988	1985	1986	1987	1988
1	2	3	4	5	6	7	8	9
राज्य								
1. आंध्र प्रदेश	30	33	33	33	23.29	24.62	27.22	26.76
2. अरुणाचल प्रदेश@	—	—	1	1				0.05
3. असम	47	47	50	52	6.03	8.12	8.44	9.04
4. बिहार	55	61	63	63	25.49	29.15	27.08	26.[illegible]8
5. गोवा	1	1	1	1	0.51	0.67	0.78	0.74
6. गुजरात	40	41	42	42	7.30	8.77	7.82	8.63
7. हरियाणा	85	87	87	87	4.79	4.93	5.80	5.77
8. हिमाचल प्रदेश	15	15	15	15	3.14	3.47	3.50	3.68
9. जम्मू व कश्मीर	14	14	14	14	0.74	1.07	1.27	1.30
10. कर्नाटक	37	37	37	37	9.27	10.85	10.13	10.58
11. केरल	37	37	40	40	25.73	27.05	29.90	29.01

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. मध्य प्रदेश	63	63	63	63	14.29	17.72	17.40	17.88
13. महाराष्ट्र	43	43	43	43	24.24	28.77	26.15	26.64
14. मणिपुर	7	9	9	9	2.19	2.59	2.87	2.45
15. मेघालय	5	7	7	7	0.17	0.23	0.19	0.21
16. मिजोरम	3	3	3	3	0.24	0.31	0.37	0.38
17. नागालैंड	4	4	7	7	0.17	0.20	0.23	0.25
18. उड़ीसा	22	24	24	24	7.20	8.57	7.92	7.45
19. पंजाब	40	40	40	40	6.33	6.10	6.19	5.76
20. राजस्थान	31	31	31	31	6.78	8.40	8.31	8.51
21. सिक्किम*								
22. तमिलनाडु	30	32	33	33	20.79	24.45	24.86	26.08
23. त्रिपुरा	4	4	4	4	1.00	1.07	1.17	1.36
24. उत्तर प्रदेश	93	93	93	94	25.64	32.51	29.63	29.74
25. पश्चिम बंगाल	68	69	69	69	39.60	42.53	45.65	41.89
संघ शासित प्रदेश								
1. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1	1	1	1	0.12	0.15	0.16	0.15

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2. चण्डीगढ़	2	2	2	2	1.12	1.33	1.37	1.43
3. दादर और नगर हवेली@	1	1	1	1				0.02
4. दिल्ली	20	20	20	20	5.69	6.81	7.06	7.06
5. दमन और दीव**	—	—	—	2				
6. लक्षद्वीप	1	1	1	1	0.06	0.07	0.07	0.08
7. पांडिचेरी	1	1	1	1	0.76	0.84	0 92	1.03
जोड़	800	821	835	840	262.70	301.31	302.47	300.50

टिप्पणी — *1. कोई रोजगार कार्यालय कार्य नहीं कर रहा है।

**2. आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

@3. आंकड़े केवल 1988 में रखे गये हैं।

†4. विश्वविद्यालय रोजगार सूचना एवं मार्गदर्शन ब्यूरो सहित।

विवरण-2

वर्ग	1987 के दौरान रोजगार कार्यालयों के माध्य से की गई नियुक्तियों की सं०
	(हजारों में)
1. मैट्रिक से कम (अशिक्षित व्यक्तियों सहित)	198.6
2. मैट्रिक	72.9
3. हायर सैकेंडरी	27.0
4. स्नातक	31.2
5. स्नातकोत्तर	4.8
कुल :	333.4

टिप्पणी :—पूर्णांक के कारण संख्याएं जोड़ से मेल नहीं खाती हों।

विवरण-3

वर्ग	जून, 1988 के अंत में नौकरी चाहने वाले व्यक्तियों की संख्या
	(लाखों में)
1. मैट्रिकुलेट/हायर सैकेंडरी	138.68
'. स्नातक एवं स्नातकोत्तर	28.12
3. इंजीनियरी एवं प्रौद्योगिकी में डिग्रीधारी तथा डिप्लोमाधारी	3.29
4. चिकित्सा में स्नातक (स्नातकोत्तरों सहित)	0.28
5. अर्ध-चिकित्सा कार्मिक	0.86*
6. अकुशल श्रमिक	15.06**

* दिसम्बर, 1987 के अंत में।

** दिसम्बर, 1985 के अंत में।

सिलेसिलाये वस्त्रों के निर्यात में खुली निविदा प्रणाली

4 81. श्री के० रामचन्द्र रेड्डी : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली उच्च न्यायलय ने वर्ष 1988-90 के लिए सिले-मिलाये वस्त्रों के निर्यात और अधिकृत वितरण नीति में लागू की गई खुली निविदा प्रणाली को रद्द कर दिया है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने वस्त्र आयुक्त द्वारा निर्यात के लिए निर्धारित निम्नतम मूल्य से अधिक और ऊपर अधिकतम प्रीमियम की बोली लगाने वाले व्यक्तियों से 20 करोड़ रुपये प्राप्त किये;

(ग) क्या सरकार का उच्च न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए इस राशि को वापस लौटाने का विचार है; और

(घ) केन्द्रीय सरकार का इस बारे में आगे क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वस्त्र मंत्री तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी, हां ।

(ख) से (घ) दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय के निहितार्थ पर कानूनी राय ली जा रही है तथा उपयुक्त कानूनी प्राधिकारियों से परामर्श करने के पश्चात् इस पर विचार किया जाएगा ।

उत्प्रवासी नियम

4882. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्प्रवासी संबंधी संशोधित नियम लागू होने के पश्चात् नौकरी की तलाश में कितने व्यक्ति खाड़ी के देशों में गये;

(ख) संशोधित नियम लागू होने से पहले और इसके बाद विदेश गये व्यक्तियों की तुलनात्मक संख्या का ब्यौरा क्या है; और

(ग) संशोधित उत्प्रवास नियमों के अन्तर्गत नौकरी की तलाश में विदेश जाने वाले व्यक्तियों को होने वाली कठिनाइयां दूर करने के लिये क्या कदम उठाने का विचार है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राधा किशन मालवीय) : (क) से (ग) उत्प्रवास नियम 15 (2) दिनांक 24-2-87 के संशोधित किया गया था जिसमें उत्प्रवास अधिनियम, 1983 की धारा 22 (3) के अधीन ठेका नियोजन में शामिल किए जाने वाले मामलों की सूची दी गई है । यह उपबंध 24-2-87 से लागू किया गया । निम्नलिखित आंकड़ों में उन श्रमिकों की संख्या दी गई है जिनके लिए वर्ष 1984 से 1988 तक विभिन्न उत्प्रवास संरक्षित द्वारा विदेशों में ठेका नियोजन के लिए उत्प्रवास अनुमति दी गई थी:

1984	2.07 लाख
1985	1.63 लाख
1986	1.14 लाख
1987	1.25 लाख
1988	1.70 लाख

आर्थिक मंदी के कारण विदेश जाने वाले श्रमिकों की संख्या में वर्ष 1986 तक कमी आई है । तथापि, वर्ष 1987 के दौरान, इसमें कुछ सुधार हुआ है । वर्ष 1987 की तुलना में इसमें वर्ष 1988 में कुछ और वृद्धि हुई है ।

दिल्ली में मकानों के किराये और अचल सम्पत्ति के मूल्य

4883. श्री के० मोहनदास : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में अचल सम्पत्ति के मूल्यों और निजी मकानों के किरायों में अत्यधिक वृद्धि होती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस स्थिति में सुधार के लिए क्या कदम उठाए गये हैं या उठाने का प्रस्ताव है और इसके क्या परिणाम निकले हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) हाल ही के वर्षों के दौरान दिल्ली में अचल सम्पदा तथा निजी मकानों के किरायों में यथेष्ट वृद्धि हुई है।

(ख) (1) अचल सम्पदा की मार्किट तथा निजी मकानों के किरायों में वृद्धि दिल्ली के लिये ही विशिष्ट नहीं है। यह देश के सभी प्रमुख शहरों में विद्यमान है।

(2) स्वभाविक जनसंख्या वृद्धि के अलावा बाहर से आने वालों के कारण शहर की जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई है।

(3) भूमि का विकास एवं आवास भण्डार के निर्माण में शहर की बढ़ती हुई आवश्यकताओं के बीच गति नहीं रख पा रहे हैं।

(4) भवन निर्माण विशेषकर भवन निर्माण सामग्री में प्रयुक्त होने वाली विभिन्न सामग्रियों की कीमतों में वृद्धि।

(ग) (1) अधिक भूमिका विकास करने तथा उच्च स्तरीय आवास भण्डार को दिल्ली विकास प्राधिकरण के माध्यम से उपलब्ध कराने के प्रयास किये जा रहे हैं।

(2) सहकारी आवास समितियों को भूमि का आबंटन।

(3) बाहर से आने वालों के कारण दिल्ली में जनसंख्या वृद्धि के दबाव को मुक्त करने के लिये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दिल्ली के आस पड़ोस के कस्बों का विकास।

(4) नर्म शर्तों और कर प्रोत्साहनों पर बैंक ऋणों का प्रावधान करके व्यक्तिगत आवासीय गतिविधि को बढ़ावा देना।

(5) अन्य बातों के साथ-साथ व्यक्तिगत किराये के वास का निर्माण करने के लिये प्रोत्साहन देने के लिये दिल्ली भाटक नियंत्रण अधिनियम में संशोधन किया गया है।

आयोडीन की कमी से पीड़ित लोग

4884. श्री बनवारी लाल पुरोहित :
प्रो० रामकृष्ण मोरे :
श्री सनत कुमार मंडल :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार विश्व में लगभग एक बिलियन लोग आयोडीन की कमी के कारण अनेक रोगों से पीड़ित हैं;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने भारत में आयोडीन की कमी से पीड़ित लोगों की संख्या का आकलन किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) देश में किए गए नमूना सर्वेक्षणों के आधार पर अनुमान है कि आयोडीन की कमी से होने वाले विकारों की विभिन्न श्रेणियों से लगभग 430 लाख लोग ग्रस्त हैं।

आयोडीकृत नमक का सेवन गलगण्ड और आयोडीन की कमी से होने वाले अन्य विकारों के नियंत्रण के लिए सरल और सबसे सस्ता उपचार है। भारत सरकार ने खाए जाने वाले नमक का क्रमिक रूप से व्यापक आयोडीकरण करने की एक योजना शुरू की है जो 1992 तक पूरी होगी। जम्मू व कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, चण्डीगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, असम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड और मणिपुर राज्य सरकारों को जिन्होंने अपने समस्त राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में आयोडीकृत न किए गए नमक की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया है, खाने के प्रयोजनों के लिए केवल आयोडीकृत नमक को आपूर्ति की जा रही है। पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात राज्य सरकारों को भी, जिन्होंने अपने कुछ जिलों में आयोडीकृत न किए गए नमक की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया है, आयोडीकृत नमक की आपूर्ति की जा रही है, इसके अलावा, देश में अन्य क्षेत्रों को भी, जिन्हें अधिसूचित नहीं किया गया है, आयोडीकृत नमक दिया जा रहा है। 1988-89 के दौरान 22.00 लाख टन के लक्ष्य के मुकाबले अप्रैल, 1988 से जनवरी, 1989 तक की अवधि के दौरान 17.10 लाख टन का उत्पादन किया गया है।

पर्यावरण संबंधी एकक स्थापित करने का प्रस्ताव

4885. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रत्येक मंत्रालय में पर्यावरण संबंधी एकक स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या इस समय पर्यावरण और वन मंत्रालय किसी भी परियोजना को स्वीकृति देने से पहले सभी पहलुओं का मौके पर ही सर्वेक्षण करता है; और

(ग) क्या सर्वेक्षण स्वतन्त्र रूप से किया जाता है अथवा अन्य मंत्रालयों के सहयोग से संयुक्त रूप से किया जाता है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) विकास परियोजनाओं में प्रारम्भिक स्तर से ही पर्यावरणीय मुद्दों को शामिल करने के लिए इस बात की जरूरत होती है कि सभी विकास मंत्रालयों और एजेंसियों में पर्यावरणीय मुद्दों से निपटाने के लिए तकनीकी विशेषज्ञता

और सक्षमता सृजित की जाए। इसलिए बड़ी और जटिल परियोजनाओं को पर्यावरणीय स्वीकृति देते समय एक शर्त के रूप में पर्यावरणीय सैल के सृजन की सिफारिश की जाती है।

(ख) और (ग) मौके पर सर्वेक्षण केवल चुने हुए मामलों में किए जाते हैं जिनमें जटिल पर्यावरणीय मुद्दे निहित हों। इस प्रयोजना के लिए गठित दल बहु-विषयी किस्म के होते हैं जिनमें पर्यावरण मंत्रालय और उसके बाहर के विशेषज्ञ शामिल होते हैं। अधिकांश मामलों में निर्णय परियोजना प्राधिकारियों द्वारा भेजी गई सूचना के आधार पर लिए जाते हैं।

अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड में सहायक निदेशक

4886. **डा० ए० के० पटेल :** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड के विभिन्न कार्यालयों में प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त सहायक निदेशकों सहित, कितने सहायक निदेशक कार्यरत हैं;

(ख) प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त व्यक्तियों की प्रतिनियुक्ति की अवधि समाप्त होने के पश्चात् उनके अपने पद पर बने रहने संबंधी सरकार की नीति क्या है;

(ग) क्या यह पद के संवेदनशील तथा जनसम्पर्क कार्यों से संबंधित होने के कारण सहायक निदेशकों की एक स्थान पर नियुक्ति के तीन वर्ष के पश्चात् इनका आवर्तन होता रहता है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वस्त्र मंत्री तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) के कार्यालय (जिसे पहले अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड के नाम से जाना जाता था) में विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों में 87 सहायक निदेशक कार्य कर रहे हैं जिनमें वे अधिकारी भी शामिल हैं जो प्रतिनियुक्ति पर हैं।

(ख) किसी भी पदाधिकारी के प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतया 3 वर्ष होती है। यह अवधि सचिव (वस्त्र) की स्वीकृति से और एक वर्ष तक तथा मंत्री (वस्त्र) की स्वीकृति से पांचवें वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है।

(ग) और (घ) सहायक निदेशकों का सामान्यतया 3 वर्ष की अवधि के बाद एक स्थान से दूसरे स्थान पर तबादला किया जाता है किन्तु अपवादस्वरूप मामलों में उन्हें तीन वर्ष की अवधि के बाद भी लोकहित में एक ही स्थान पर रोके रखा जा सकता है।

नसबंदी आपरेशन के लिए प्रोत्साहन

4887. **श्री बी० बी० रमैया :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार का एक कर्मचारी यदि नसबंदी आपरेशन करवाता है तो इसे क्या प्रोत्साहन दिए जाते हैं;

(ख) नसबंदी आपरेशन कराने वाले आम नागरिक को क्या प्रोत्साहन दिए जाते हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार परिवार नियोजन कार्यक्रमों को और अधिक सफल बनाने और जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण पाने के लिए प्रोत्साहन राशि बढ़ाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) केन्द्रीय सरकार के वे कर्मचारी, जो तीन या तीन से कम बच्चों के बाद परिवार नियोजन का कोई स्थायी तरीका अपनाते हैं, प्रोत्साहन स्वरूप एक वार्षिक वेतन वृद्धि तथा मकान निर्माण अग्रिम पर आधा प्रतिशत की दर पर छूट पाने का पात्र है।

(ख) भारत सरकार परिवार नियोजन के तरीके स्वीकारने वाले जनसाधारण को कोई प्रोत्साहन नहीं देती है। लेकिन, नसबंदी आपरेशन कराने वालों और आई० यू० डी० लगवाने वालों को पारिश्रमिक का नुकसान होने के कारण क्रमशः 100 रुपये तथा 9 रुपये की दर से भुगतान किया जाता है। कुछ राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र नसबंदी कराने वाले व्यक्तियों को आर्थिक प्रोत्साहन और लॉटरी के टिकट देती हैं; कुछ राज्य दो या अधिक लड़कियों के बाद नसबंदी आपरेशन कराने वाले दम्पत्तियों को बॉन्ड्स/प्रमाण पत्र देती हैं; और कुछ राज्यों में दो या उससे कम बच्चों के बाद नसबंदी कराने वाले व्यक्तियों को हरे कार्ड दिए जाते हैं, जिनसे वे कुछ लाभों, अग्रताओं और रियायतों के पात्र हो जाते हैं जो संबंधित राज्य सरकार द्वारा तय किए जाते हैं।

(ग) से (ङ) प्रोत्साहन राशि में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव नहीं है, क्योंकि इस प्रस्ताव के लिए बहुत अधिक धनराशि की आवश्यकता है जिसके लिए परिवार कल्याण कार्यक्रम के अधीन धन उपलब्ध नहीं है।

विजयवाड़ा के आयुर्वेदिक कालेज स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम आरम्भ करना

4888. **श्री वी० बी० रमैया** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने डा० एम० आर० एस० आयुर्वेदिक कालेज में रस शास्त्र तथा द्रव्य गुण और भेष्य में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम आरम्भ करने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया है;

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस प्रस्ताव को कब तक स्वीकृति प्रदान किये जाने की संभावना है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) राजकीय आयुर्वेद कालेज, विजयवाडा में दवयगुण रस-तंत्र और भैषज्य कल्पना में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम शुरू करने का अनुरोध जुलाई, 1984 में आंध्र प्रदेश सरकार से प्राप्त हुआ था।

(ख) से (घ) संसाधन संबंधी कठिनाइयों के कारण इस प्रस्ताव को स्वीकार करना संभव नहीं है।

नेशनल इंस्टिट्यूट आफ मेंटल हैल्थ एंड न्यूरो सांइस में स्कैनिंग मशीन का कार्य न करना

4889. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि नेशनल इंस्टिट्यूट आफ मेंटल हैल्थ एवं न्यूरो साइंस बंगलौर की स्कैनिंग मशीन खराब है;

(ख) यदि हां, तो कब से और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त मशीन की मरम्मत के लिये क्या कदम उठाये गये है अथवा उठाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) से (ग) राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान, बंगलौर से प्राप्त सूचना के अनुसार एम आई सी कॉर्ड के अभाव के कारण स्कैनर 4 अगस्त से कार्य नहीं कर रहा है क्योंकि इसे आयात किया जाना था। कॉर्ड अब प्राप्त हो गया है और इसे सप्लायर के भारतीय एजेंट द्वारा चालू कर दिया गया है।

नेशनल इंस्टीट्यूट आफ मेन्टल हैल्थ एंड न्यूरल साइन्सिज, बंगलौर के लिए प्लैज्मा ड्रायर का आयात

4890. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल इंस्टीट्यूट आफ मेन्टल हैल्थ एण्ड न्यूरोसाइंसिज, बंगलौर के पास रक्त को दस वर्षों तक सुरक्षित रखने का "प्लैज्मा ड्रायर" उपलब्ध है; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार का उपरोक्त संस्थान के प्रयोग के लिए इसका आयात करने का प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी नहीं। सरकार का निकट भविष्य में इनका आयात करने का प्रस्ताव नहीं है।

केरल में आदिवासियों को वितरण हेतु रियायती मूल्य पर खाद्यान्नों की सप्लाई

4891. **श्री के० कुन्जम्बु :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार आदिवासियों को रियायती मूल्य पर खाद्यान्नों की सप्लाई करती है; और

(ख) यदि हां, तो गत चार वर्षों के दौरान केरल को रियायती मूल्य पर सप्लाई किए गए खाद्यान्नों पर वर्ष-वार कुल कितनी धनराशि व्यय की गई ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री डी० एल० बैठा) : (क) भारत सरकार द्वारा दिसम्बर, 1975 से शुरू की गई योजना के अधीन समन्वित आदिवासी विकास परियोजना क्षेत्रों तथा आदिवासी बहुल राज्यों में रह रहे सभी लोगों को विशेष रूप से राज सहायता प्राप्त मूल्यों पर वितरित करने के लिए गेहूं और चावल मुहैया किए जाते हैं। यह योजना इन क्षेत्रों में रह रहे दोनों आदिवासी और गैर-आदिवासी लोगों को कवर करती है।

(ख) केरल में 1985-86 से 1988-89 के वर्षों के दौरान इस योजना के अधीन जारी

किए गए खाद्यान्नों पर भारत सरकार द्वारा वहन की गई राजसहायता की कुल राशि नीचे दी गई है :

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	राजसहायता की कुल राशि
1985-86	2.17
1986-87	9.70
1987-88	9.47
1988-89 (जनवरी, 1989 तक)	6.37

विदेशों में भारतीय श्रमिक

4892. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्प्रवासी संरक्षक के रिकार्डों के अनुसार प्रत्येक देश में भारतीय श्रमिकों की संख्या कितनी है;

(ख) उत्प्रवासी संरक्षक द्वारा वर्ष 1987-88 और अप्रैल-दिसम्बर, 19 .8 की अवधि के दौरान कितने श्रमिकों को, देशवार, विदेश जाने की अनुमति प्रदान की गई; और

(ग) भाग (ख) में उल्लिखित श्रमिकों का कार्य श्रेणीवार ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री राधा किशन मालवीय) : (क) और (ख) विदेशों में भारतीय श्रमिकों की सही संख्या संबंधी सूचना उपलब्ध नहीं है। लगभग दस लाख भारतीय श्रमिक मध्यपूर्व मे कार्यरत है। विवरण-1 संलग्न है जिसमें वर्ष 1987, 1988 तथा अप्रैल-दिसम्बर, 1988 तक के दौरान उत्प्रवास संरक्षियों द्वारा अनुमत किए गए श्रमिकों की संख्या के देश-वार ब्यौरे दिए गए हैं।

(ग) वर्ष 1987, 1988 तथा अप्रैल, 1988 से दिसम्बर, 1988 तक के दौरान कार्य की श्रेणियों के अनुसार श्रमिकों के ब्यौरे विवरण-2, 3 और 4 में दिये गये हैं।

विवरण-1

वर्ष 1987 तथा 1988 के दौरान उत्प्रवास संरक्षियों द्वारा अनुमति दिए गए श्रमिकों की संख्या का देशवार ब्यौरा

1987

देश	श्रमिकों की संख्या
1	2
बहरीन	6,578
इराक	2,330

1	2
कुवैत	7,354
लिबिया	2,272
ओमान	16.362
कतार	4,751
सऊदी अरब	57,234
यू० ए० ई०	24,931
अन्य	3,544
कुल	1,25,356

1988

देश	वर्ष 1988 के लिए	अप्रैल, 88 से दिसम्बर, 88 तक
बहरीन	8,219	5,700
इराक	4,284	3,067
कुवैत	9,653	5,928
लीबिया	593	499
ओमान	18,696	12.927
कतार	4,654	1,899
सऊदी अरब	85,289	65,015
यू० ए० ई०	34,029	25,316
अन्य	4,471	3,025
कुल	1,69,888	1,23,326

विवरण-2

1-!-87 से 31-12-87 तक श्रेणीवार तथा देशवार उत्प्रवास अनुमति दर्शाने वाला विवरण

क्रमांक	श्रेणी	बहरीन	ईराक	कुवैत	लिबिया	ओमान	कतार	स० अरब	यू०ए०ई०	अन्य	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	कारपेन्टर	310	101	403	226	744	274	2631	1528	144	6361
2.	कुक	271	55	319	26	908	71	702	432	135	2919
3.	ड्राइवर	106	118	376	106	608	106	3430	730	24	5604
4.	इलेक्ट्रिशियन	124	54	3:2	122	449	116	1075	532	173	2957
5.	इंजीनियर	8	19	33	10	36	5	61	44	16	232
6.	फिक्सर/फेब्रिकेटर	121	102	516	95	532	608	1818	1031	302	5125
7.	फोरमैन	14	24	43	16	129	18	368	138	32	782
8.	परामैडिकल स्टाफ	26	42	35	5	266	3	290	817	139	1623
9.	लेबरर/हैल्पर	2896	903	2485	785	1959	1825	30873	10280	788	52794
10.	मेसन	338	122	550	200	1303	304	2801	1433	89	7140
11.	मैकेनिक/ए०सी०मी	140	76	182	95	519	70	1372	585	74	3113
12.	आफिस स्टाफ	228	21	124	23	1881	88	950	1298	62	4675

1 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13. आपरेटर	41	147	139	163	208	88	862	323	172	2143
14. पेन्टर	103	53	99	22	539	29	1100	397	121	2463
15. पलम्बर	94	29	75	37	227	46	1177	245	26	1956
16. टेलर	392	7	63	7	1262	59	1328	1084	10	4212
17. टैक्नीशियन	38	66	272	59	166	41	974	279	250	2145
18. वैल्डर	90	39	110	46	154	23	643	297	122	1524
19. सुपरवाईजर	73	70	88	17	319	65	719	262	81	1694
20. सर्वेयर	0	2	0	1	2	0	49	10	5	69
21. मैल्स मैन	21	0	78	0	345	7	59	242	5	757
22. हाउसमैन/हाउस बॉय	60	0	51	0	189	7	6	388	45	746
23. अन्य	1084	280	1001	211	3617	898	3946	2556	729	14322
कुल	6578	2330	7354	2272	16362	4751	57234	24931	3544	125356

विवरण-3

1-1-88 से 31-12-88 तक देशवार तथा पेशेवार उत्प्रवास अनुमति दर्शाने वाला विवरण

श्रेणी	बहरीन	इराक	कुवैत	लिबिया	ओमान	कतार	स० अरब	यू०ए०ई	पी०डी०आर०वाई० वाई०ए०आर०	अन्य	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
कारपेन्टर	369	387	388	56	1175	196	2580	2257	7	203	7625
कुक	326	62	287	6	1149	71	1167	305	2	175	3550
ड्राइवर	216	94	803	17	547	116	3774	921	0	84	6562
इलैक्ट्रिशियन	145	87	292	14	484	154	1525	697	2	84	3494
इंजीनियर्स	27	21	26	5	67	12	122	43	0	21	354
फिटर/फैब्रिकेटर	138	388	493	29	8	614	1227	1212	21	175	4904
फोरमैन	17	52	98	2	158	61	342	163	8	26	927
परामैडिकल स्टाफ	35	55	72	0	199	22	489	254	183	40	1348
लेबरर/हैल्पर	3670	1460	4207	286	2701	1664	57325	18617	41	1301	91196
मेसन	406	319	594	51	1861	232	2759	2120	13	95	8550
मैकेनिक/ए०सी०पी	148	99	339	12	597	98	1399	736	13	122	3562
आफिस स्टाफ	247	31	182	6	1519	80	808	915	24	74	3916

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
आपरेटर	34	79	46	12	218	14	679	98	6	123	1309
पेन्टर	126	65	101	4	535	62	965	374	7	34	2273
पलम्बर	81	59	103	5	260	53	1144	254	0	14	1971
टेमर	648	1	65	0	1243	39	1812	1265	1	43	5115
टैक्नीशियन	125	318	394	37	343	104	1656	320	30	202	3539
वैल्डर	90	102	125	8	281	70	449	253	3	116	1497
सुपरवाईजर	18	42	76	6	108	37	539	70	5	112	1021
सर्वेयर	14	10	47	,	69	59	161	60	15	26	461
सैल्समैन	70	3	29	0	652	21	529	237	1	39	1580
हाउसमैड/हाउस बॉय	84	0	29	0	340	11	22	335	2	68	891
अन्य	1158	543	879	37	3572	864	3806	2515	123	787	14284
कुल	82;9	4284	9653	593	18696	4654	85289	34029	507	3964	169888

विवरण-4

अप्रैल, 88 से दिसम्बर, 88 तक श्रेणीवार तथा देशवार उत्प्रवास अनुमति दर्शाने वाला विवरण

श्रेणी	बहरीन	इराक	कुवैत	लिबिया	ओमान	कतार	स०अरब	यू०ए०ई०	पी०डी०आर०वाई०/ वाई०ए०आर०	अन्य	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
कारपेन्टर	236	310	294	387	964	76	1540	1655	2	153	5295
कुक	180	44	57	6	839	22	805	149	2	117	2231
ड्राइवर	132	62	589	15	357	52	2709	549	0	65	4520
इलैक्ट्रिशियन	105	64	190	4	339	19	1079	476	2	60	2348
इंजीनियर्स	20	19	23	5	56	10	119	38	0	17	317
फिक्सर/फेब्रिकेटर	97	298	296	20	449	121	750	984	5	111	3130
फोरमैन	12	38	67	2	105	18	227	124	0	17	610
परामैडिकल स्टाफ	427	53	23	0	90	19	356	216	183	22	988
लेबरर/हैल्पर	2540	1072	3008	227	1666	1110	45806	14636	35	1004	71030
मेमन	289	232	403	37	1297	113	1953	1523	10	72	6029
मैकेनिक/ए०सी०मी	111	57	216	8	388	41	884	474	10	52	1041

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
आफिस स्टाफ	183	29	127	5	1057	61	503	635	16	58	2594
आपरेटर	31	67	40	10	181	8	608	75	4	53	1077
पेन्टर	89	44	48	3	337	20	611	248	1	31	1462
पलम्बर	39	25	52	3	155	3	755	102	0	7	1130
टेलर	516	0	33	0	912	14	1377	913	1	41	4283
टैक्नीशियन	84	203	131	34	204	37	1141	161	13	130	2199
वैल्डर	49	52	32	6	161	36	244	126	3	50	759
सुपरवाइजर	10	22	32	4	53	2	423	45	2	44	637
सर्वेयर	6	2	3	0	4	0	140	11	0	6	172
सेल्समैन	67	3	28	0	632	21	525	209	1	39	1524
हाउसकीपर/हाउस बॉय	64	0	24	0	290	11	20	268	2	53	732
अन्य	786	372	214	22	2381	82	2530	1702	29	502	8620
कुल	5700	3167	5928	449	12927	1896	65015	25319	321	2704	123326

गैर-सरकारी संगठनों/संस्थाओं को सरकारी आवास का आवंटन

4893. **श्री सैयद शाहबुद्दीन :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में 1 जनवरी, 1989 की स्थिति के अनुसार उन गैर-सरकारी संगठनों, संस्थाओं और सोसाइटियों के नाम और पते क्या-क्या हैं, जो सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत हैं अथवा अन्यथा जिन्हें सरकारी आवास आवंटित किया गया है और वह आवस उनके अधिभोग में है;

(ख) उनके मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के नाम और पते क्या-क्या हैं और उन्हें यह आवास किन-किन तिथियों को आवंटित किये गये;

(ग) प्रत्येक मामले में आवास आबंटन करने का प्रयोजन क्या है; और

(घ) वर्ष 1986, 1987 और 1988 के दौरान ऐसे अन्य संगठनों के नाम क्या हैं जिन्होंने सरकारी आवास के आवंटन हेतु आवेदन किया था, लेकिन उनके आवेदन पत्र रद्द कर दिए गए थे ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

रुई और सूती धागे का निर्यात

4894. **श्री सैयद शाहबुद्दीन :** क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1986-87 और 1987-88 में कितनी मात्रा में कच्ची रुई और सूती धागे का निर्यात किया गया;

(ख) देश में 1 जनवरी, 1986, 1 जनवरी, 1987, 1 जनवरी, 1988 और 1 जनवरी, 1989 को स्टैंडर्ड काउंट के सूती धागे के मूल्य क्या थे;

(ग) इन तिथियों को जनता कपड़े का मूल्य क्या था;

(घ) उपर्युक्त मूल्यों में प्रति कार्य घंटा कितनी मजदूरी शामिल है और प्रति श्रमिक यह मजूरी कितनी है;

(ङ) कलेंडर वर्ष 1986, 1987 और 1988 के दौरान हथकरघा क्षेत्र द्वारा जनता कपड़े का कितना उत्पादन किया गया; और

(च) उपरोक्त अवधि के विभिन्न सरकारी और अर्ध-सरकारी कर्मचारियों द्वारा हथकरघा बुनकरों से उपरोक्त निर्धारित मूल्य पर कितना कपड़ा खरीदा गया था ?

वस्त्र मंत्री तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) वर्ष 1986-87 तथा 1987-88 के दौरान क्रमशः 13.74 लाख गांठ तथा 0.33 लाख गांठ रुई का निर्यात हुआ। वर्ष 1986, 1987 तथा 1988 के दौरान निर्यात की गयी सूती यार्न की मात्रा नीचे दी गई है :

वर्ष	मात्रा (मिलियन क्रिया)
1986	16-50
1987	86.09
1989	43.50

(ख) दिनांक 1-1-1986, 1-1 1987, 1-1-1988 तथा 1-1-1989 को मानक काउन्टों 245 से 348 के लिए बम्बई की मार्केट में काटन कोन यार्न की भारित औसत कीमत नीचे दी गयी हैं :

दिनांक	भारित औसत कीमतें (रुपये/कि०ग्रा०)
1-1-1986	39.78
1-1-1987	31.44
1-1-1988	42.16
1-1-1989	46.85

(ग) और (घ) जनता कपड़ा स्कीम को लागू करने वाले राज्यों में जनता कपड़े की अधिक किस्में तैयार की जा रही हैं। इन किस्मों की उपभोक्ता कीमतें तथा ऐसे उत्पादन में लगे हथकरघा बुनकरों को भुगतान की जाने वाली मजदूरी इन राज्यों में एक समान नहीं है। इसलिए पूछे गए अनुसार जनता कपड़े की कीमतों को बता पाना संभव नहीं है। फिर भी जनता कपड़े के उत्पादन में लगे एक हथकरघा को 14 रुपये से 32 रुपये प्रति दिन के बीच में औसत मजदूरी मिलती है।

(ङ) वर्ष 1985-86, 1986-87 तथा 1987-88 के दौरान जनता कपड़े का उत्पादन निम्नलिखित है :

वर्ष	उत्पादन (मिलियन वर्ग मीटर)
1985-86	398.12
1986-87	482.10
1987-88	489.00

(च) इस सम्बन्ध में यथार्थ और प्रामाणिक जानकारी उपलब्ध नहीं है।

पुनर्वास कालोनियों की सेवाओं का दिल्ली विकास प्राधिकरण से दिल्ली नगर निगम को अन्तरण

4895. **प्रो० नारायण चन्द पराशर :** क्या शहरी विकास मंत्री पुनर्वास कालोनियों की सेवाओं का दिल्ली विकास प्राधिकरण से दिल्ली नगर निगम को अंतरण के बारे में 28 अप्रैल, 1986 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8002 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन द्वारा दिल्ली विकास प्राधिकरण से दिल्ली नगर निगम को अन्तरित 44 पुनर्वास कालोनियों की वर्तमान सेवाओं में कमियों को दूर करने के लिए अपेक्षित व्यय की जांच करने के बारे में दिल्ली प्रशासन द्वारा नियुक्त की गई समिति की सिफारिशें अब तक कार्यान्वित कर दी गई हैं;

(ख) यदि हां, तो रिपोर्ट में क्या-क्या सिफारिशें की गई हैं और इसमें कुल कितनी धनराशि व्यय हुई है और प्रत्येक कालोनी पर कितना व्यय हुआ है; और

(ग) यदि नहीं, तो सिफारिशों को कार्यान्वित करने की वर्तमान स्थिति क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) से (ग) समिति ने ना ही कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की है और ना ही कोई सिफारिश की है। इसमें कुल कितना व्यय हुआ तथा इसके कालोनीवार आंकड़ों के सम्बन्ध में सूचना एकत्र की जा रही है।

मध्यम आय वर्ग/निम्न आय वर्ग के फ्लैटों में परिवर्तन

4896. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मध्यम आय वर्ग/निम्न आय वर्ग के आवंटितियों द्वारा अपने आवंटन में परिवर्तन के लिए किये गये अनुरोध पर दिल्ली विकास प्राधिकरण अत्यधिक धीमी गति से कार्यवाही करता है;

(ख) यदि हां, तो इन दोनों श्रेणियों के फ्लैटों के आवंटन में परिवर्तन हेतु चालू वित्तीय वर्ष सहित पिछले तीन वर्षों में पृथक-पृथक कितने आवेदन प्राप्त हुए और 31 मार्च, 1989 को प्रत्येक वर्ग में मंजूर किये गये और विचाराधीन आवेदनों का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसे मामलों को आवेदन की तिथि से एक वर्ष के भीतर अंतिम रूप से निपटाने के लिए कोई कदम उठाये गये है; और

(घ) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि आवंटन में परिवर्तन करने के सभी अनुरोधों की गुणावगुण आधार पर जांच की जानी है तथा इसमें समय लगता है।

(ख) से (घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि चूंकि फ्लैटों को बदलने के लिये अधिकतर आवेदन पत्र होते हैं, इसलिये आवेदनों के बारे में नहीं बताया है कि वे कब तक इन पर कार्यवाही कर पायेंगे। दिल्ली विकास प्राधिकरण को लम्बित सभी आवेदनों को शीघ्रता से निपटाने के लिये आवश्यक कदम उठाने को कहा गया है।

लुप्तप्राय प्रजातियों और प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण

4897. **श्री भद्रेश्वर तांती** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लुप्तप्राय जातियों और पर्यावरण व्यवस्था के संरक्षण हेतु कोई कदम उठाये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) क्या आनुवंशिक संसाधन और प्राकृतिक पर्यावरण अब पूर्ण रूप से संरक्षित है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

संकटापन्न प्रजातियों और पारि-प्रणाली की सुरक्षा के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :

(1) वनस्पतिजात और प्राणिजात की संकटापन्न प्रजातियों के व्यापार और वाणिज्य को वन्य वनस्पतिजात और प्राणिजात की संकटापन्न प्रजातियों के व्यापार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय (साइटस) के तहत विनियमित किया जाता है।

(2) वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 के तहत उल्लंघन के लिए कठोर दण्ड निर्धारित किए गए हैं।

(3) 67 राष्ट्रीय उद्यान और 398 वन्यजीव अभ्यारण्य स्थापित किए गए हैं जिनसे वनस्पति और प्राणियों की खतरे में पड़ी प्रजातियों और उनके विविध वासस्थलों की सुरक्षा में मदद मिलती है।

(4) भारती वनस्पति सर्वेक्षण अपने प्रायोगिक उद्यानों में अनेक संकटापन्न पौध प्रजातियों को उगा रहा है।

(5) संकटापन्न प्रजातियों को बचाने के लिए बाघ परियोजना और घड़ियाल परियोजना जैसी विशेष परियोजनाएं शुरू की गई हैं।

(6) नम भूमि पारि-प्रणाली के संरक्षण के लिए एक स्कीम शुरू की गई है। इस स्कीम के तहत संरक्षण और प्रबन्ध कार्य योजना तैयार करने के लिए 16 नम भूमि पारि-प्रणालियों का चयन किया गया है।

(7) प्रवाल भित्तियों सहित कच्छ वनस्पति पारि-प्रणाली के संरक्षण के लिए एक स्कीम शुरू की गई है। संरक्षण और प्रबन्ध कार्य योजना तैयार करने के लिए 15 कच्छ वनस्पति पारि-प्रणालियों का अभिनिर्धारण किया गया है।

(8) जीवमंडल रिजर्व स्थापित करने के लिए 14 सम्भाव्य क्षेत्रों का अभिनिर्धारण किया गया है जिनका उद्देश्य देश की विभिन्न प्रतिनिधि पारि-प्रणालियों में आनुवंशिक विविधता को परिरक्षित करना है। इनमें से अब तक 7 जीवमंडल रिजर्व स्थापित किए गए हैं अर्थात् नीलगिरी, नन्दा देवी, नोकरेक, ग्रेट निकोबार, मानस, सुन्दरवन और मन्नार की खाड़ी।

आनुवंशिक संसाधनों और प्राकृतिक पारि-प्रणालियों की सुरक्षा एक सतत प्रक्रिया है।

रोगी प्रतिरोधी टीकों के मानकीकरण के लिये एक राष्ट्रीय संस्था की स्थापना

4898. **श्री भद्रेश्वर तांती :**
श्री पी० एम० सईद :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रोग प्रतिरोधी टीके के मानकीकरण के लिए दिल्ली में एक राष्ट्रीय संस्था स्थापित की जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह संस्था सभी स्वदेशी और आयातित टीकों और रक्त उत्पादों की जांच करेगी; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह कब से कार्य करना आरम्भ करेगी ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) जी, हां । सरकार ने रोगप्रतिरोधी टीके के मानकीकरण एवं गुणवत्ता नियंत्रण के लिए दिल्ली के नजदीक एक राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना करने की एक योजना को अनुमोदित किया है ।

(ख) जी, हां । यह संस्थान देशी एवं आयातित सभी वैक्सीनों एवं रक्त उत्पादों की जांच करेगा ।

(ग) सरकार द्वारा यथा अनुमोदित इस योजना के लिए कुल परिव्यय 1955 लाख रुपये है । वर्ष 1989-90 के दौरान 450 लाख रुपये का बजट आबंटन है । इस संस्थान की स्थापना हो जाने के बाद यह स्वशासी संस्थान के रूप में कार्य करेगा । जैसे ही संबंधित स्थानीय प्रशासन द्वारा इस संस्थान के लिए भूमि अलाट कर दी जाएगी वैसे ही संस्थान की नोइडा या गुड़गांव के नजदीक स्थापना किए जाने की संभावना है ।

केन्द्रीय आयुर्वेद और सिद्ध चिकित्सा पद्धति संबंधी अनुसंधान परिषद के कर्मचारियों को वेतन का भुगतान

4899. **श्री हरीश रावत :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय आयुर्वेद सिद्ध चिकित्सा पद्धति संबंधी अनुसंधान परिषद के कर्मचारियों को जनवरी और फरवरी, 1989 के महीनों का वेतन नहीं दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और देय तारीखों को वेतन का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं,

(ग) क्या कर्मचारियों को देय तिथि को वेतन का भुगतान न करने की स्थिति में ब्याज अदा करके मुआवजा देने के लिए कोई प्रस्ताव विचाराधीन है; और

(घ) यदि हां, तो जनवरी और फरवरी, 1989 तथा इसके बाद के महीनों के लिए जब वेतन का भुगतान विलम्ब से किया गया, क्या मुआवजा देने का विचार किया गया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे): (क) और (ख) जी नहीं । केन्द्रीय आयुर्वेद और सिद्ध अनुसंधान परिषद के कर्मचारियों को जनवरी और फरवरी, 1989 महीनों का उनका वेतन पहले ही दिया जा चुका है ।

(ग) और (घ) परिषद के नियमों और विनियमों से ऐसे भुगतान करने की कोई व्यवस्था नहीं है ।

दुर्लभ जड़ी-बूटियों का संरक्षण और उनकी पैदावार बढ़ाना

[हिन्दी]

4900. **श्री हरीश रावत :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमालय क्षेत्र में पाई जाने वाली चिकित्सीय उपयोग की दुर्लभ जड़ी-बूटियों के संरक्षण करने हेतु कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इनके संरक्षण और उनकी पैदावार बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार का उत्तर प्रदेश में रानीखेत जिला (अल्मोड़ा) में जड़ी-बूटी अनुसंधान केन्द्र का विस्तार करने का विचार है; और

(घ) उन क्षेत्रों में जड़ी बूटियों की खेती का लोकप्रिय बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) और (ख) हिमालय क्षेत्र में पाई जाने वाली चिकित्सीय उपयोग की दुर्लभ जड़ी-बूटियों के संरक्षण हेतु स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा कोई भी बड़े पैमाने का सर्वेक्षण नहीं किया गया है। तथापि, भारतीय चिकित्सा पद्धति की अनुसंधान परिषदों, भारतीय वानस्पति के सर्वेक्षण इत्यादि जैसे संगठनों ने हिमालय क्षेत्र सहित देशों में औषधीय पादपों का सर्वेक्षण किया है। केन्द्रीय आयुर्वेद सिद्ध और यूनानी अनुसंधान परिषदों द्वारा कुछेक दुर्लभ औषधीय पदार्थों की प्रायोगिक खेती शुरू की गई है।

(ग) और (घ) इस मंत्रालय के अधीन रानीखेत में कोई भी जड़ी-बूटी अनुसंधान केन्द्र नहीं है। तथापि, रानीखेत के निकट तारीखेत में केन्द्रीय आयुर्वेद और सिद्ध अनुसंधान परिषद के अन्तर्गत एक एकीकृत यूनिट है जिसने इस क्षेत्र में अन्य कार्यों के साथ-साथ औषधीय पदार्थों का सर्वेक्षण एवं प्रायोगिक खेती शुरू की है।

उत्तर प्रदेश में परती भूमि

4901. **श्री हरीश रावत** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में परती भूमि का कुल क्षेत्रफल कितना है;

(ख) क्या परती भूमि के जिले-वार आंकड़े तैयार किये गये हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इस भूमि पर वनरोपण योजना किस तरह से कार्यान्वित की जायेगी ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) यह अनुमान लगाया गया है कि उत्तर प्रदेश में लगभग 81 लाख हैक्टेयर परती भूमि क्षेत्र है।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय परती भूमि पहचान प्रायोजन के अधीन उत्तर प्रदेश के 23 जिलों में परती भूमि की विभिन्न श्रेणियों का विस्तार तथा स्थिति का 1,50,000 पैमाने पर मानचित्रण किया गया है। परती भूमि विकास हेतु वनीकरण तथा अन्य कार्यकलापों में प्रयोग किए जाने के लिए ये मानचित्र तथा उक्त प्रायोजनों के अन्तर्गत एकत्र किए गए आंकड़े राज्य स्तर की संबंधित एजेंसियों को उपलब्ध कराए गए हैं।

उत्तर प्रदेश में चलनीछीना-छरोज-बुरम सड़क के लिए पर्यावरण सम्बन्धी स्वीकृति

4902. **श्री हरीश रावत** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को चलनीछीना-छरोज-दुरम मोटर सड़क का निर्माण करने के लिये आवश्यक स्वीकृति हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रयोजन हेतु हर प्रकार की भूमि के उपयोग के बारे में प्रस्तावों को इस बीच स्वीकृति दे दी गई है;

(ग) क्या वन अधिनियम को लागू करने से पहले इस सड़क को स्वीकृति दे दी गई थी; और

(घ) क्या वन अधिनियम का उपबन्ध इस सड़क के निर्माण हेतु वन भूमि को उपयुक्त बनाने के लिये भी लागू किया जायेगा; और यदि हां तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

दुकानदारों द्वारा प्रयोग में लाए जा रहे तराजू

[अनुवाद]

4903. **श्री वी० एस० विजयराघवन** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में दुकानदारों, फल विक्रेताओं, सब्जी विक्रेताओं इत्यादि द्वारा प्रयोग में लाये जा रहे अधिकांश तराजू पुराने हैं अथवा बेकार हो गये हैं;

(ख) क्या इस प्रकार कम वजन तोलने से उपभोक्ताओं को धोखा दिया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इस कदाचार को रोकने के लिए क्या ठोस कदम उठाने का विचार है ?

खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री डी० एल० बैठा) : (क) और (ख) व्यापार तथा वाणिज्य में केवल स्टाम्प लगे बाटों का ही प्रयोग किया जा सकता है। बाटों का स्टाम्पन चाहे वे नए हों या पुराने तभी किया जाता है, जब वे एक निश्चित अनुमति त्रुटि के भीतर हों।

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए कि व्यापारियों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले बाट सही हैं, अब बाटों का वार्षिक सत्यापन तथा स्टाम्पन दिल्ली में किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त आकस्मिक निरीक्षण भी किए जाते हैं। वर्ष 1988 के दौरान, दिल्ली प्रशासन द्वारा 19667 निरीक्षण किए गए तथा 4131 व्यापारियों पर मुकदमा चलाया गया था।

विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा "धूम्रपान निषेध दिवस" मनाया जाना

4904. **श्री पी० आर० कुमारमंगलम** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन 'तम्बाकू' और महिलाएं विषय के रूप में 31 मई, 1989 को 'धूम्रपान निषेध दिवस' आयोजित कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार का इस आयोजन का समर्थन करने के लिये क्या कदम उठाने का विचार है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार गैर-सरकारी संगठनों को सहायता दे रही है ताकि वे इस संबंध में महिलाओं को जानकारी प्रदान कर सकें; और

(घ) क्या आकाशवाणी और दूरदर्शन जैसे जन-संचार माध्यमों द्वारा भी तम्बाकू अभियान में भाग लेने और इस विषय में वाक्य संदेश प्रसारित करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) जी, हां। विश्व स्वास्थ्य संगठन 31 मई, 1989 को "धूम्रपान निषेध दिवस" के रूप में मना रहा है। इसका विषय है "धूम्रपान करने वाली महिलाओं की ओर भी ज्यादा खतरा"।

(ख) और (ग) सरकार सरकारी तथा गैर सरकारी एजेंसियों के प्रयासों को बढ़ावा दे रही है कि वह लोगों को धूम्रपान तथा तम्बाकू वाले अन्य उत्पादों का उपयोग करने से रोकें।

(घ) आकाशवाणी और दूरदर्शन पर सिगरेट का विज्ञापन देने पर पहले ही प्रतिबन्ध लगा है। इसके अलावा, धूम्रपान और तम्बाकू के अन्य उत्पादों के स्वास्थ्य पर खतरे के प्रति लोक जागृति पैदा करने की दृष्टि से जन प्रचार, सिनेमा स्लाइडों तथा पैम्पलेटों के जरिए एक देशव्यापी विस्तृत स्वास्थ्य शिक्षा अभियान चलाया गया/जा रहा है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैटों में अवैध निर्माण

4905. **श्री विजय एन० पाटिल** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैटों और स्टाफ क्वार्टर परिसरों में अवैध निर्माण के अनेक मामलों की जानकारी है;

(ख) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण की भूमि पर लोगों द्वारा अवैध कब्जा किये जाने की घटनायें असाधारण रूप से बढ़ रही हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाये हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण की भूमि पर अतिक्रमण होते रहे हैं परन्तु अतिक्रमण किये गये क्षेत्र में वर्ष-प्रतिवर्ष वृद्धि नहीं हो रही है।

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि नये अतिक्रमण जो फील्ड स्टाफ द्वारा पता लगाये जाते हैं, उन्हें उसी समय पर गिरा दिया जाता है। इसके अतिरिक्त, दिल्ली में सरकारी भूमि पर अनधिकृत निर्माण रोकने और अतिक्रमणों को हटाने के लिए निम्नलिखित कदम भी उठाए जा रहे हैं :

(1) चलते-फिरते मकान गिराऊ दस्ते द्वारा नए अतिक्रमण को हटाना।

(2) संबंद्ध कानूनों के अंतर्गत मुकदमा चलाने के लिए कार्यवाहियां और लोक परिसर (अनधिकृत दखलकारों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के अन्तर्गत बेदखली।

दिल्ली विकास प्राधिकरण ने 1986, 1987 और 1988 के दौरान क्रमशः 13069,

6473 और 6931 अनधिकृत निर्माणों को हटाया । दिल्ली विकास प्राधिकरण लगभग 168.50 एकड़ भूमि वापस लेने में सफल रहा है ।

कर्मचारी भविष्य निधि की धनराशि जमा न किया जाना

4906. **श्री अनन्त प्रसाद सेठी :**

प्रो० चन्द्र भानु देवी :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर 1988 की स्थिति के अनुसार विभिन्न प्रबंध मंडलों की ओर भविष्य निधि अंशदान जिसे अभी तक जमा नहीं कराया है;

(ख) उन प्रबंध मंडलों का ब्यौरा क्या है जिन पर भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के उपबंधों का उल्लंघन करने के लिए अब तक मुकदमा चलाया गया है;

(ग) क्या सरकार को ऐसी कोई जानकारी है कि बंद एककों का प्रबंध मंडलों द्वारा भविष्य निधि का दुरुपयोग करने के कारण बंद पड़े कुछ औद्योगिक एककों के मजदूरों की भविष्य निधि की बकाया राशि का भुगतान नहीं किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो मजदूरों को उनकी भविष्य निधि की राशि का शीघ्र भुगतान करने की व्यवस्था करने के लिए केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त और संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री राधा किशन मालवीय) : (क) 31 दिसम्बर, 1988 तक की सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है । तथापि 30-9-88 तक भविष्य निधि अंशदानों की जमा न की गई राशि नीचे दिए अनुसार है :

		रुपये करोड़ों में
छूट प्राप्त	—	117.04
छूट न प्राप्त	—	85.13

(ख) 1-4-88 से 30-9-88 तक की अवधि के दौरान, बताया गया है कि कर्मचारी भविष्य निधि प्राधिकारियों ने चूककर्ता प्रबंधकों (छूट प्राप्त तथा छूट न प्राप्त) के विरुद्ध 3216 अभियोजन मामले दायर किए हैं ।

(ग) जी, हां । बंद पड़े औद्योगिक एककों के कर्मकारों को देय भविष्य निधि राशि की अदायगी न किए जाने के बारे में शिकायतें हैं ।

(घ) चूककर्ता नियोक्ताओं से बकाया देय राशि की वसूली के लिए कर्मचारी भविष्य निधि प्राधिकारी सभी संभव कानूनी तथा दाण्डिक कार्रवाई कर रहे हैं । संबंधित कर्मकार को कठिनाई से बचाने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि प्राधिकारी कर्मकारों की मजदूरी से काटे गए अंशदान के कर्मचारी हिस्से के भुगतान न किए गए भाग जिसका भुगतान नियोक्ताओं द्वारा किया जाना है, विशेष आरक्षित निधि से भुगतान भी कर रहे हैं । नियोक्ता से वास्तव में इसके दिए जाने के बाद उनको नियोक्ता हिस्से का भुगतान कर दिया जाता है ।

केन्द्रीय सरकार द्वारा तैयार की गई आवश्यक औषधों की सूची

4907. **श्री राम कुमार राय** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा अभी तक आवश्यक औषधों की सूची तैयार नहीं की गई है;

(ख) क्या सरकार ने कुछ ऐसी औषधों और गैर-आवश्यक औषधों की सूची में रखने की सिफारिश की है जो विश्व स्वास्थ्य संगठन की आवश्यक औषध सूची में सम्मिलित हैं; और

(ग) यदि हां, तो इन औषधों के नाम क्या है और सरकार ने इन्हें गैर-आवश्यक औषध सूची में किस आधार पर रखने की सिफारिश की है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर अनिवार्य औषधों की कोई सूची संकलित नहीं की है। तथापि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और उप केन्द्रों में आमतौर पर उपयोग में आने वाली औषधों की सूची संकलित कर ली गई है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

रिफेम्पिसिन का उत्पादन

4908. **श्री राम कुमार राय** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिफेम्पिसिन औषध क्षय और कुष्ठ रोगों के चिकित्सा में प्रयोग की जाती है;

(ख) क्या क्षय और कुष्ठ रोग निवारण कार्यक्रम राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के अंतर्गत आते हैं;

(ग) क्या इस औषध का उत्पादन 'इंटरमीडियेट स्टेज' से किया जाता है और इस औषधि के उत्पादन पर व्यय होने वाली विदेशी मुद्रा तैयार औषधि से प्राप्त विदेशी मुद्रा से अधिक है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने वर्ग परिवर्तन की सिफारिश किन कारणों से की है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : **(क)** और (ख) जी, हां।

(ग) और (घ) मंत्रालय में अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे कि रिफेम्पिसिन को श्रेणी-I से हटा कर श्रेणी-II में शामिल करके इसे पुनः वर्गीकृत करने पर विचार किया जाए क्योंकि रिफैम्पिसिन के निर्माण के लिए प्रस्तावित फर्मेंटेशन तकनीक पूंजी प्रधान है और श्रेणी-I की औषधों के लिए कम कीमत अंकित करने से इस औषध के उत्पादन को बढ़ावा नहीं मिलेगा जो क्षय रोग और कुष्ठ रोग नामक दोनों कार्यक्रमों को चलाने के लिए अनिवार्य है और इस प्रकार बाजार में अधिक औषध की उपलब्धता में कमी आ जाएगी। उपर्युक्त तथ्यों पर विचार करते हुए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने उद्योग मंत्रालय (रसायन और पैट्रो-रसायन विभाग) को रिफैम्पिसिन को श्रेणी-I से हटा कर श्रेणी-II में शामिल करके पुनः वर्गीकृत करने की सिफारिश की।

मधुमेह की रोकथाम के लिये आवश्यक औषध

4909. **श्री राज कुमार राय** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंधेपन का एक कारण मधुमेह भी है;

(ख) क्या राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम में अंधेपन के निवारण का कार्यक्रम शामिल है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने मधुमेह की रोकथाम के लिए उन आवश्यक औषधों का पता लगाया है जिन पर मूल्य नियंत्रण आदेश लागू होता है; और

(घ) यदि हां, तो उन औषधों के नाम क्या हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) और (घ) मधुमेह के उपचार में आमतौर पर जो औषधें इस्तेमाल की जाती हैं वे हैं— इंसुलिन इंजेक्शन, ग्लाइबेनक्लामाइड टोल्बुटामाइड क्लोरप्रोपामाइड, फेनफोर्मिन, ग्लाइबिजाइड।

औषध मूल्य नियंत्रण आदेश, 1987 की दृष्टि से मूल्य नियंत्रण के निर्धारित प्रयोजन के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमो की समीक्षा करने के बाद मधुमेह को अंतिम सूची में शामिल नहीं किया गया था। बहरहाल, इंसुलिन तथा ग्लाइवेक्लामाइड औषध मूल्य नियंत्रण आदेश, 1987 की श्रेणी-II में शामिल है।

सरस्वती कुंज को-आपरेटिव ग्रुप हार्उसिंग सोसायटी में अनियमितताएं

4910. **श्री राजकुमार राय** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सहकारी समिति पंजीयक ने सरस्वती कुंज को-आपरेटिव ग्रुप हार्उसिंग सोसायटी, दिल्ली के लिए एक प्रशासक नियुक्त किया है;

(ख) क्या फ्लैटों के आवंटन हेतु पात्र सदस्यों की सूची तैयार करने के बारे में 22 जनवरी, 1989 को आयोजित आम सभा की बैठक में लिये गये निर्णय को कार्यान्वित किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो अनियमितताओं को दूर करने एवं सदस्यों को, उनके द्वारा मकान-किराये पर किये जा रहे भारी अनावश्यक व्यय से बचाने के लिए उन्हें तैयार फ्लैटों का स्वामित्व सुपर्द करने हेतु सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) समिति के प्रशासन द्वारा सहकारी समितियों के पंजीयक के कार्यालय को पटपड़गंज स्थल पर पात्र सदस्यों की एक अन्तरिम सूची प्रस्तुत की गई है, जिसकी लाटरी निकालने के लिये सदस्यों के नाम दिल्ली विकास प्राधिकरण को भेजने के लिये जांच की जा रही है।

बम्बई स्थित स्वान मिल्स को सहायता

4911. **डा० दत्ता सामंत** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वान मिल्स, बम्बई को 12 मार्च, 1989 से दुबारा खोल दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस मिल को सरकार द्वारा दी गई सहायता और रियायतों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस टैक्सटाइल मिल को बन्द करने के क्या कारण थे; और

(घ) क्या सरकार का बम्बई में बन्द पड़ी अन्य टैक्सटाइल मिलों को भी सहायता देने का विचार है ?

वस्त्र मंत्री तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा): (क) यद्यपि 12-3-1989 से लगभग 50 कामगारों के साथ स्वान मिल को दुबारा खोल दिया गया है फिर भी वहां उत्पादन कार्य शुरू नहीं हुआ है ।

(ख) मिल कम्पनी का मामला इस समय औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी० आई० एफ० आर०) के सामने है जिसने कम्पनी को रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 के अंतर्गत "रुग्ण" घोषित किया है। बी० आई० एफ० आर० ने कम्पनी के पुनरुद्धार हेतु एक पुनर्स्थापना पैकेज बनाने के लिए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को एक प्रचालन अभिकरण के रूप में नियुक्त किया है ।

(ग) मिल कम्पनी वित्तीय कठिनाइयों के कारण 27-1-1989 को बंद कर दी गई ।

(घ) बंद पड़े वस्त्र एककों को सहायता देने से संबंधित निर्णय नोडीय अधिकरण/औद्योगिक व वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के सामने उनकी अर्थक्षमता प्रमाणित हो जाने पर निर्भर करता है। बम्बई की बंद पड़ी ऐसी सभी 4 मिलों की नोडीय अभिकरण ने जांच की थी और उसने उन्हें गैर-अर्थक्षम पाया है ।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्यक्रमों के लिए आबंटित धनराशि का उपयोग

4912. **श्री के० प्रधानी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक राज्य सरकारों ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्यक्रमों के लिए आबंटित धनराशि का पूर्ण उपयोग नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) धनराशि का पूर्ण उपयोग न किए जाने से विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) जी, हां। कुछ राज्य 7 वीं योजना अवधि के कुछ वर्षों में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्यक्रम की निधियों का पूर्णतया उपयोग नहीं कर पाए हैं ।

(ख) और (ग) आबंटित निधियों के पूर्णतया उपयोग न किए जाने के मुख्य कारण इस प्रकार हैं :

(1) न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के लिए अलग रखे गए परिव्ययों का कम उपयोग ।

(2) कुछ राज्य वार्षिक राज्य योजनाओं में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के लिए

निर्धारित परिव्ययों की सीमा तक अपने बजटों में निधियां प्रदान नहीं कर रहे हैं।

(3) कुछ राज्यों में आधारभूत ढांचा अनुमोदित प्रतिमान पर तैयार नहीं किया गया है।

(4) विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित स्वास्थ्य स्कीमों के लिए विभिन्न राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा पूरे समतुल्य हिस्से का प्रावधान करना और निर्धारित व्यय रिपोर्टों को समय पर न भेजना।

सिल्क निर्यातकों के लिए एक ही स्थान से स्वीकृति

4913. **श्री एस० बी० सिदनाल :**

श्री जी० एस० बासवराजू :

श्रीमती बसव राजेश्वरी :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन सिल्क एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल ने सरकार से सिल्क निर्यातकों के लिए एक ही स्थान से स्वीकृति देने का योजना को कार्यान्वित करने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार ने क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की है ?

वस्त्र मंत्री तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

गन्ने की बकाया राशि

[हिन्दी]

4914. **डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी :**

श्री आर० एम० भोये :

क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष के दौरान विभिन्न चीनी मिलों द्वारा किसानों को देय गन्ने की बकाया राशि में अत्यधिक वृद्धि हो गई है;

(ख) यदि हां, तो मिल-वार, राज्य-वार तथा क्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) बकाया राशि का भुगतान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) क्या सरकार का विचार यह सुनिश्चित करने का है कि मिल मालिक बकाया राशि पर ब्याज का भुगतान करें ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री डी० एल० बैठा) : (क) जी, नहीं। पिराई मौसम 1988-89 के दौरान 28-2-1989 तक बकाया राशि गन्ने के कुल देय मूल्य का 13.4 प्रतिशत बैठती है जबकि पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि के दौरान यह राशि 14% थी।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) और (घ) चीनी फैक्ट्रियों द्वारा गन्ने के मूल्य की बकाया राशि का भुगतान करवाना सुनिश्चित करना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी होती है। तथापि, सरकार ने राज्य सरकारों को यह परामर्श दिया है कि वे गन्ने के मूल्य की बकाया राशि का तत्काल भुगतान करवाना सुनिश्चित करें और गन्ने के मूल्य की बकाया राशि पर ब्याज का भुगतान करवाने के संबंध में गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 के उपबंधों को लागू करने के लिए पग भी उठाए।

दिल्ली के अस्पतालों में आधुनिक उपकरणों का उपयोग न किया जाना

[अनुवाद]

4915. **डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली स्थित केन्द्रीय सरकार के अस्पतालों में खरीदे गए आधुनिकतम उपकरणों का कोई उपयोग नहीं किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1987 और 1988 के दौरान खरीदे गए ऐसे उपकरणों की अस्पताल वार सूची और लागत क्या है;

(ग) इन उपकरणों को उपयोग न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) इन उपकरणों को उपयोग में लाने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) और (ख) दिल्ली स्थित केन्द्रीय सरकार के अस्पतालों में 1987 और 1988 के दौरान खरीदे गए कोई उपकरण अप्रयुक्त नहीं पड़े हुए हैं।

(ग) और (घ) ये प्रश्न नहीं उठते।

गुजरात में "हुडको" द्वारा वित्त पोषित आवास योजनाएं

4916. **श्री रणजीत सिंह गायकवाड़** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1985 से गुजरात में "हुडको" द्वारा वित्त पोषित निम्न आय वर्ग मध्य आय वर्ग और अन्य वर्गों की आवास योजनाओं का ब्यौरा क्या है और इनके लिए कितनी धनराशि रखी गई है;

(ख) उपरोक्त वर्गों की कितनी योजनाएं निर्माणाधीन हैं और इन पर कितनी धनराशि खर्च होगी; और

(ग) इस उद्देश्य के लिए पूरे देश को दिए गए धन की तुलना में कितने प्रतिशत राशि गुजरात को आवंटित की गई है?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) 1-1-1985 से 28-2-1989 तक की अवधि के दौरान, आवास तथा नगर विकास निगम (हुडको) ने गुजरात राज्य में विभिन्न आय वर्गों के लिए 281.12 करोड़ रुपये की परियोजना लागत और 166.71 करोड़ रुपये की ऋण राशि सहित 276 आवास परियोजनाएं स्वीकृत की हैं। इन परियोजनाओं से 148453 रिहायशी एककों का निर्माण हो सकेगा।

(ख) गुजरात राज्य के लिए हुडको की 41 करोड़ रुपये की ऋण राशि सहित 78 आवास योजनाएं निर्माणाधीन हैं।

(ग) 28-2-1989 की स्थिति के अनुसार हुडको ने गुजरात राज्य में विभिन्न आवास अभिकरणों को 326.34 करोड़ रुपये की राशि के ऋण स्वीकृत किए हैं। यह हुडको द्वारा पूरे देश के लिए स्वीकृत किए गए कुल ऋण का लगभग 10% है।

राजस्थान में आवास कार्यक्रम

4917. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार ने राष्ट्रीय आवास नीति के अनुरूप राज्य में बड़े पैमाने पर जन-आवास कार्यक्रम की एक योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने राजस्थान में आवास कार्यक्रम के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए राज्य सरकार को कोई सहायता दी है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, राष्ट्रीय आवास नीति के आधार पर आवास नीति तैयार करने के लिए राजस्थान सरकार ने एक कार्यकारी दल का गठन किया है। राज्य सरकार द्वारा जन आवास कार्यक्रम का प्रतिपादन और निष्पादन नीति संबंधी रूपरेखा और निधियों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

(ख) और (ग) आवास राज्य का विषय है तथा सभी सामाजिक आवास योजनाएं राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों द्वारा अपनी-अपनी स्थानीय आवश्यकताएं एवं योजना प्राथमिकताओं के अनुसार कार्यान्वित की जाती हैं। राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को केन्द्रीय वित्तीय सहायता समेकित ऋणों और समेकित अनुदानों के रूप में दी जाती है जो किसी विशेष विकास शीर्ष से जुड़ी नहीं होती हैं।

तथापि, वर्ष 1988-89 के दौरान (28-2-89 तक) भूमिहीन कामगारों के लिए ग्रामीण आवास स्थल एवं निर्माण सहायता योजना के अन्तर्गत राजस्थान में 30425 ग्रामीण भूमिहीन परिवारों को आवास स्थल मुहैया किए गए हैं। 72235 परिवारों को निर्माण सहायता दी गई है। इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत राज्य में वर्ष 1988-89 के दौरान (28-2-89 तक) ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और मुक्त किए गए बंधुआ मजदूरों को 2982 रिहायशी एकक निःशुल्क दिए गए हैं।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, आवास तथा नगर विकास निगम लिमिटेड ने वित्तीय वर्ष 1988-89 के दौरान राजस्थान राज्य के लिए 19.18 करोड़ रुपये की कुल ऋण राशि सहित 23 योजनाएं स्वीकृत की हैं। 3.83 करोड़ रुपये की ऋण राशि की 4 योजनाओं को स्वीकृत करने हेतु अनुमोदन कर दिया गया है। 7.09 करोड़ रुपये के ऋण घटक से 7 अन्य योजनाएं निर्माणाधीन हैं।

पर्यावरण संबंधी नियमों में छूट देने का प्रस्ताव

4918. **श्री पी० कुलनदैवेलू** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार शहरी सीमा क्षेत्र में स्थित उद्योगों के लाभ के लिए पर्यावरण संबंधी नियमों में छूट देने का है;

(ख) क्या पर्यावरण विभाग की सहमति के बिना शहरी सीमा क्षेत्र के भीतर कोई उद्योग स्थापित किया जा सकता है;

(ग) यदि हां, तो क्या इससे वायु प्रदूषित होगी और जन स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा हो जाएगा; और

(घ) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार का विचार शहरी क्षेत्रों में स्थापित औद्योगिक एककों द्वारा पैदा की गई पर्यावरण संबंधी समस्याओं के बारे में पुनर्विचार करने का है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) उद्योगों के स्थान निर्धारण के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इन दिशा निर्देशों में शहरी क्षेत्रों से प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों का फासला कितना होना चाहिए इसके मानदण्ड भी दिए गए हैं। प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों की 20 श्रेणियों के मामले में आशय-पत्र को औद्योगिक लाइसेंस में परिवर्तित करने के लिए निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति आवश्यक है :—

(1) राज्य के उद्योग निदेशक इस बात की पुष्टि करें कि परियोजना स्थल को पर्यावरणीय दृष्टिकोण से सक्षम राज्य प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है।

(2) उद्यमी राज्य सरकार और केन्द्र सरकार दोनों को यह वचन दे कि वह प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण के लिए उपयुक्त उपकरण लगाएगा और निर्धारित उपायों को कार्यान्वित करेगा।

(3) संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यह प्रमाणित करे कि प्रस्ताव पर्यावरणीय अपेक्षाओं के अनुकूल है तथा स्थापित अथवा प्रस्तावित उपकरण आवश्यकता के अनुसार पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

यदि उद्योगों द्वारा उत्सर्जन और बहिस्राव के लिए निर्धारित मानदण्डों का अनुपालन किया जाए तो सम्भवतः उनसे पर्यावरणीय प्रदूषण तथा स्वास्थ्य के लिए खतरे उत्पन्न नही होंगे।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

अनुसंधान कार्यों के संबंध में मूल्यांकन/आकलन समिति द्वारा की गई सिफारिशें

4919. **श्री एच० बी० पाटिल :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संक्रामक रोग संस्थान राष्ट्रीय स्वास्थ्य और शिक्षा संस्थान, राष्ट्रीय तपेदिक संस्थान बंगलौर, राष्ट्रीय मनोविकार संस्थान रांची और राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान, बंगौर के अनुसंधान कार्यों और कार्यकरण के संबंध में कोई समीक्षा/मूल्यां-कन/आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसा कब किया गया और मूल्यांकन/आकलन समिति के पदाधिकारी के नाम क्या थे और उसके द्वारा क्या सिफारिशें की गई थीं;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार प्रत्येक संस्थान के संबंध में एक मूल्यांकन समिति गठित करने का है जिससे कि देश की वर्तमान आवश्यकताओं के संदर्भ में उनके अनुसंधान कार्यों तथा तत्संबंधित अनुसंधान की समीक्षा की जा सके ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमार सरोज खापर्डे) : (क) से (ग) राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका संस्थान, बंगलौर, राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान, दिल्ली और केन्द्रीय मनश्चिकित्सा संस्थान, रांची के कार्य की कोई विशिष्ट समीक्षा नहीं की गई है। तथापि, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य औरतंत्रिका संस्थान, बंगलौर के कार्य का आकलन/मूल्यांकन उसके शासी निकाय द्वारा समय-समय पर किया जाता है ।

जहां तक राष्ट्रीय क्षय रोग संस्थान, बंगलौर का संबंध है, उसके संस्थान की गहन और गुणात्मक समीक्षा करने के लिए 1978 में एक विशेषज्ञ दल गठित किया गया था । इस दल का गठन और उसकी सिफारिशें संलग्न विवरण-1 में दी गई हैं ।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान के लिए इस संस्थान के शासी निकाय द्वारा 1979 में एक मूल्यांकन समिति गठित की गई थी । इस समिति का गठन और उसकी सिफारिशें संलग्न विवरण-2 में दी गई है ।

राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान, बंगलौर, राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान और केन्द्रीय मनश्चिकित्सा संस्थान, के बारे में कोई आकलन/मूल्यांकन समिति गठित करने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है ।

विवरण-1

विशेषज्ञ दल का गठन

1. डा० शरद कुमार, तत्कालीन निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परियार कल्याण संस्थान	अध्यक्ष
2. सलाहकार (तपेदिक), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय	सदस्य
3. निदेशक, राष्ट्रीय क्षय रोग संस्थान, बंगलौर	सदस्य
4. उप सचिव (आंत० चित्र) स्वास्थ्य मंत्रालय	सदस्य
5. वरिष्ठ विश्लेषक, स्वास्थ्य मंत्रालय	सदस्य
6. उप निदेशक (प्रशा०)	सदस्य

दल की सिफारिशें

1. कार्यक्रम के प्रचालन और महामारी विज्ञान संबंधी आकलन तथा कार्यक्रम में प्रशिक्षित कार्मिकों के उपयोग के लिए संस्थान के व्यापक अनुसंधान प्रयोजकों को पूरा करने हेतु अध्ययनों में भावी प्राथमिकताएं तैयार की जाएं ।
2. विभिन्न स्तरों पर कर्मचारियों द्वारा प्रशिक्षण और अनुसंधान के लिए आवंटित समय में उचित संतुलन होना चाहिए ।
3. प्रचालन अनुसंधान करने के लिए राष्ट्रीय क्षय रोग संस्थान की क्षेत्र गतिविधियों

का उत्तर और/या पूर्व के चुने हुए केन्द्रों तक विस्तार किया जाना चाहिए जिससे कि संस्थान की गतिविधियां, विशेषकर परीक्षण के बाद फील्ड में कुछ नियंत्रण अथवा उपचार कार्यों की उपयोगिता का पता लगाने जैसे कार्य केवल दक्षिण तक सीमित न रहें।

4. राज्यों में प्रशिक्षण और प्रदर्शन केन्द्र को उचित रूप से सुदृढ़ किया जाना चाहिए ताकि नियमित रूप से जिला क्षय रोग कार्मिकों को प्रशिक्षण प्रदान कर सकें और राष्ट्रीय क्षय रोग संस्थान में प्रशिक्षण गतिविधियां चरणवार ढंग से कम की जा सकें।

5. संस्थान को अल्पावधि की कई संगोष्ठियां आयोजित करनी चाहिए ताकि नियोजकों प्रशासकों और शिक्षकों को क्षय रोग नियन्त्रण में सामुदायिक धारणा के प्रति उन्मुख किया जा सके।

6. विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोग से अंग्रेजी में क्षय रोग पर नियमित अन्तर्राष्ट्रीय पाठ्यक्रम आयोजित किये जाने चाहिए।

7. संस्थान को एक अनुसंधान केन्द्र के रूप में बनाये रखने के लिए और इसकी अनुसंधान क्षमताओं का पूरा उपयोग करने के लिए क्षय रोग के महामारी विज्ञान संबंधी एम० डी०/पी० एच० डी० स्तरों पर प्रशिक्षण सुविधाओं, क्षय रोग नियंत्रण, सामाजिक और व्यावहारिक विज्ञान, सामाजिक और निवारक चिकित्सा आदि का विकास किया जाना चाहिए।

संस्थान के कार्यकरण को सुव्यवस्थित करने के लिए इस दल ने सभी खंडों में माध्यमिक सवर्ग बनाने तथा कुछ निचले ग्रेडों का उन्नयन करने का प्रस्ताव किया है।

विवरण-2

राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान

मूल्यांकन समिति का गठन

1. प्रो० वी० रामालिंगम 'स्वामी' भूतपूर्व महानिदेशक, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली	अध्यक्ष
2. प्रो० एच० डी० टंडन, भूतपूर्व निदेशक, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली	सदस्य
3. प्रो० पी० बी० देसाई, आर्थिक संवृद्धि संस्थान, दिल्ली	सदस्य
4. डा० एन० भास्कर राव, निदेशक आपरेशन रिसर्च ग्रुप	सदस्य

5. डा० एम० डी० सहगल, सदस्य
भूतपूर्व उप महानिदेशक (प्रा० स्वा० से०)
स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक, नई दिल्ली

6. प्रो० सोमनाथ राय, सदस्य
भूतपूर्व निदेशक
राष्ट्रीय स्वास्थ्य और प० क० संस्थान,
नई दिल्ली

मूल्यांकन समिति की रिपोर्ट से लिया गया उद्धरण

4. सिफारिशें

तथ्यान्मुखी — 4.1. राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्था के सामने जो एक अत्यधिक चुनौतीपूर्ण कार्य है वह राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीतियों और कार्यक्रमों के साथ उत्पादी सम्बन्ध स्थापित करना है जिनके स्पष्ट व्यावहारिक लाभ हों। अब राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति सम्बन्धी विवरण भारत सरकार द्वारा जारी किया जा चुका है। इसके संकाय द्वारा अध्ययन किया जाना चाहिए ताकि संस्थान लक्ष्यों के प्रति उन्मुख हो सके और उन अध्ययनों को शुरू किया जा सके जिनके निरन्तर दीर्घकालिक प्रभाव हों।

प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या के प्रति वचनबद्धता — 4.2. अति महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि भूतकालीन स्वास्थ्य परिचर्या पद्धति और आयुर्विज्ञान शिक्षा पद्धति को प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या के दर्शनशास्त्र के प्रति गहरी वचनबद्धता में कैसे परिवर्तित किया जा सकता है। प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या की भावना समानता, अभिवृद्धि और सामाजिक न्याय पर आधारित है। व्यवहार सम्बन्धी व्यापक परिवर्तन पूर्ण रूप से लाना पड़ेगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान को विचार करना चाहिए कि किस प्रकार उसके कार्यक्रम और परियोजनाएं राष्ट्रीय स्तर के इस परिवर्तन को उत्प्रेरित करने में सहायक हो सकती है।

शिक्षा और प्रशिक्षण — 4.3. संस्थान ने भविष्य में अपने शैक्षिक और प्रशिक्षण सम्बन्धी कार्यों को पूरा करने के लिए कुछ प्रस्ताव पेश किये हैं जैसे स्वास्थ्य विज्ञानों में पी० एच० डी० कार्यक्रम अस्पताल संचालन और स्वास्थ्य और जनसंख्या व्यवस्था में डिप्लोमा पाठ्यक्रम, वरिष्ठ अधिकारियों के लिए प्रबंध कार्यक्रम, संचार कौशल और सदस्यता जैसी चुनिदा विशेषज्ञताओं में नये पाठ्यक्रम, स्वास्थ्य कार्यकलापों की योजना और मानीटरिंग महामारी विज्ञान उपस्कर तथा तकनीकें, पठन-पाठन विधियां, स्वास्थ्य अर्थशास्त्र, बच्चा स्वास्थ्य, स्वास्थ्य शिक्षा और प्रजनन स्वास्थ्य परिचर्या शुरू की जाए। इसमें प्रशिक्षण विधियों के मानक शामिल करने तथा सभी वर्गों के स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए अपेक्षित प्रशिक्षण के मानदण्ड स्थापित करने, कार्यक्रम संबंधी आवश्यकताओं के लिए सम्बन्धित प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम को संशोधित करने, परिकल्पित नई भूमिकाओं के लिए पाठ्यक्रम तैयार करने तथा ऐसे दस्तावेज तैयार करने का प्रस्ताव भी करता है जिसमें स्वास्थ्य संबंधी भावी नीतियों के विवरण किए गये हों। इनमें अध्यापकों, कार्मिकों के लिए प्रशिक्षण माड्यूल्स, मार्गदर्शन सिद्धांत अथवा मैनुअल, प्रशिक्षण कार्यक्रम, प्रोटोटाइप श्रव्य दृश्य सामग्री आदि तैयार करने

का प्रस्ताव भी है। यह समिति पिछले अवलोकनों को ध्यान में रखते हुए सिद्धांत रूप में इन प्रस्तावों को समर्थन करती है कि डिग्रियों और डिप्लोमा पाठ्यक्रमों का अत्याधिकता और उसके साथ जुड़ी पूर्व धारणाओं से बचा जाना चाहिए। संकाय का समय यथा आवश्यक रूप से निर्धारित किया जाना चाहिए ताकि निरन्तर आधार पर अग्रता समस्याओं का गहराई से अध्ययन कर सके।

प्रशिक्षण संबंधी आधारभूत ढांचे से दृढ़ संबंध

यह अनिवार्य है कि केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थाओं और क्षेत्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र, जो आज प्रशिक्षण संबंधी आधारभूत ढांचे का गठन करते हैं, का समन्वय और राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान जैसे एक केन्द्रीय अभिकरण द्वारा समर्थन किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान की परामर्शी सेवाएं केवल तभी उस सीमा तक अर्थपूर्ण होंगी जबकि इसके प्रशिक्षण आधारभूत ढांचे से सुदृढ़ संबंध होंगे।

प्रबन्ध सूचना प्रणाली

4.4. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की अपेक्षा राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान में स्वास्थ्य और परिवार नियोजन के बारे में प्रबन्ध सूचना प्रणाली का होना अधिक उपयुक्त होगा। इस प्रणाली को लगातार अद्यतन बनाने और इसका विश्लेषण करने की जरूरत है जिसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान द्वारा सबसे अधिक प्रभावकारी रूप से प्रदान किया जा सकता है।

कार्यकारिणी के सार

4.5. अनुसंधान सम्बन्धी निष्कर्षों के उपयोग को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सभी अधिकारियों और सम्बद्ध एककों के संचार के लिए किए गए अपने अध्ययनों से 'कार्यकारिणी के सारों' की एक प्रणाली आरम्भ करनी चाहिए। कार्यकारिणी सार में नीतियों और कार्यक्रमों की कठिनाइयों के बारे मे एक सार संग्रह प्रदान किया जाना चाहिए। वास्तव में इस संस्थान को यह कार्य बाहर के अभिकरणों द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं के लिए भी करना चाहिए।

क्षेत्रीय केन्द्रों को अपनाना

4.6. इस संस्थान को अति महत्वपूर्ण समस्याओं का चयन और उनका दीर्घकालिक अध्ययन करना चाहिए तथा मध्यस्थ कार्यक्रमों और डिलिवरी प्रणालियों में परिणामों को सम्मिलित कर के उसका अनुपालन और ठेठ स्वास्थ्य परिचर्या सम्बन्धी स्थिति में उनका मूल्यांकन करना चाहिए। राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान के लिए इसकी आवश्यकता का उल्लेख पहले ही कर दिया गया है जिसे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्रों के कार्यकलापों के समन्वय, मानीटरिंग और उनकी सहायता देने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। अपनी ही मर्जी से छह क्षेत्रीय केन्द्रों को स्थापित करने के अतिरिक्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान इस संस्थान के दीर्घकालिक लक्ष्यों के अनुरूप प्रशिक्षण और प्रचालनात्मक अनुसंधान सम्बन्धी कार्यकलापों में और अधिक सक्रिय रूप से शामिल होकर प्रत्येक क्षेत्र में मौजूदा केन्द्रों में से किसी एक को ग्रहण कर सकता था। इस संस्थान को क्षेत्र विशिष्ट के रोगी सम्बन्धी अध्ययनों को तैयार करना चाहिए और इन मामलों सम्बन्धी अध्ययनों के आधार पर बाहरी प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करना चाहिए। अपनाए गए केन्द्र पाठ्यचर्या पैकेजों के विकास के और रोगी

सम्बन्धी अध्ययनों के लिए केन्द्रीय बिन्दु बन सकते हैं।

मध्यस्था कार्य-क्रम में कार्य-रत होना — 4.7. यह समिति जोरदार सिफारिश करती है कि यह संस्थान स्थायी आधार पर यह कार्य अपने हाथ में ले और एक क्षेत्रीय पद्धति का विकास करे और व्यावहारिक और व्यवहार्य मध्यस्थताओं के पास तैयार किए गए अध्ययनों में उत्तरोत्तर कार्यरत रहे। अध्ययनों में सफलतापूर्वक मध्यस्थताओं के विकास को अपेक्षाकृत व्यापक/राष्ट्रीय उत्तरकारिता को प्रदर्शन परियोजनाओं के रूप मे कार्य करना चाहिए।

अनुसंधान संबंधी प्राथमिकताएं — 4.8. संस्थान ने भविष्य के लिए 14 अनुसंधान क्षेत्रों और 48 अनुसंधान विषयों की एक सूची प्रस्तुत की। ये सन्तोषजनक हैं। समिति संस्थान से आग्रह करती है कि वह अपने चल रहे और भावी अनुसंधान अध्ययनों के लिए प्राथमिकता मान-दण्डों को लागू करें। इस प्राथमिकता के अनुसार अनुसंधान कार्यक्रमो को कार्यान्वित करते समय दीर्घकालिक अड़चनों के साथ इस अध्ययनों पर कुछ ध्यान दिया जाना चाहिए। संस्थान को प्रणाली विज्ञानों, अवधारणाओं, आंकड़े एकत्र करने की प्रविधियों, नमूने लेने की एप्रोचों आदि में सुधार लाने वाले अनुसंधान और विकास कार्यकलापों पर केन्द्रित होना चाहिए। इन सहयोगी अध्ययनों को चलाते समय संस्थान को यह देखने के लिए ध्यान देना चाहिए कि यह क्षेत्रीय कार्य की गुणवत्ता पर नियन्त्रण कर सके।

पुन: वर्गीकरण और समेकन — 4.9. समिति अन्तर-विषयकता को बढ़ावा देने के लिए मौजूदा विभागों को पुन: वर्गीकृत करने की आवश्यकता को स्वीकार करती है लेकिन यह सुझाव देती हैं कि इस कार्य को तब तक स्थगित कर दिया जाय जब तक कि नीचे संस्तुत प्रक्षेपीकृत एप्रोच को कार्यान्वित और पूरी तरह से कार्यरत न बना दिया जाय।

प्रक्षेपीकृत एप्रोच — समिति सिफारिश करती है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान को स्टाफ की क्षमताओं को इष्टतम बढ़ावा देने अनावश्यक द्विरावृत्ति से बचने और परा-विषयकता सम्लेषण को बढ़ावा देने के लिए एक प्रक्षेपीकृत एप्रोच अपनानी चाहिए। इसमें परियोजना के नेता होंगे और यह परियोजना टीम वर्तमान विभागों में कमी करेगा। प्रत्येक कार्यकलाप को, चाहे वह अनुसंधान, प्रशिक्षण अथवा परामर्श से सम्बन्धित हो, एक परियोजना नेता दिया जाएगा जो शुरू से अन्त तक जिम्मेदार होगा। यह सुनिश्चित करने के लिए किसी भी संकाय सदस्य के पास अधिक कार्य-भार न हो और वह उसे सौंपे गये कार्य के लिए पर्याप्त समय और ध्यान दे सके, इसकी सीमा रखी जा सकती है कि एक व्यक्ति कितनी परियोजनाएं चला सकता है। एक संकाय सदस्य एक से अधिक परियोजनाओं के लिए एक परियोजना नेता अथवा एवं परियोजना सदस्य हो सकता है।

इन उपायों को सुझाते समय समिति जानती है कि विषयों में वृद्धि करने और विकास करने की आवश्यकता है। यह बात सोची गई है कि प्रत्येक विषयक विभाग के कुछ कोर कार्य और उसके बाद कुछ गौण कार्य होंगे जो अन्य विभागों के साथ संतुओं के रूप में कार्य करेंगे और अन्तर-विषयकता को बढ़ावा देंगे।

कुछ विभाग सामुदायिक चिकित्सा विभाग की तरह अत्यधिक कार्य-भार

वाले हैं जिनमें मध्यवर्ती स्टर पर कोई नहीं है और निचले स्तर पर लिपिक सेवाओं का ढांचा है। दूसरी ओर प्रबंध विज्ञान विभाग है जिसमें संकाय स्तर पर केवल एक एसोसिएट प्रोफेसर है। इन असंतुलनों को उपयुक्त स्तरों पर उपयुक्त सहारा देकर ठीक किया जाना होगा।

जहां तक उपचर्या प्रशासन का सम्बन्ध है, समिति महसूस करती है कि संस्था का सामान्य उपचर्या से कोई सम्बन्ध नहीं होना चाहिए। इस संस्थान में उपचर्या प्रशासन की भूमिका को उन पहलुओं तक सीमित कर दिया जाना चाहिए जो सामुदायिक स्वास्थ्य परिचर्या से सम्बन्धित है और सभी ऐसे कार्यकलापों का मुख्य बल अनुसंधान और क्षेत्रीय प्रैक्टिस प्रदर्शन पर होगा। चूंकि संस्थान के सभी कार्यकलापों को बहु-विषयक टीम-कार्य के आधार पर परियोजना वार संगठित किया जाना है। इसलिए किसी विशेष कार्य/परियोजना को बताने के लिए संस्थान में उपलब्ध उपयुक्त उपचर्या और गैर-उपचर्या स्टाफ का पूल बनाना सुनिश्चित किया जाएगा। यदि यह आवश्यक समझा जाता है कि एसोसिएट प्रोफेसर (उपचर्या) के लिए एक सहयोगी अधिकारी (अनुसंधान अधिकारी) प्रदान करने पर विचार किया जा सकता है।

सहयोगी स्टाफ को प्रभावी बनाना

4.10. जैसा कि पिछले खण्डों में बताया गया है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान में सहयोगी स्टाफ को प्रभावी बनाने की आवश्यकता है। परियोजना परिचायक एप्रोच और एक टीम अवधारण को अपनाने से सहयोगी स्टाफ का बेहतर और अधिक सार्थक समुयोजन हो सकता है यदि उन्हें क्षेत्रीय अध्ययन एकक के अन्तर्गत इकट्ठा कर दिया जाए। इस एकक को एक आम पूल के रूप में कार्य करना चाहिए। जब कभी जरूरी हो, परियोजना नेताओं को इस पूल में लाया जा सकता है।

इस सुझाव की पुनः संरचना किये जाने की जरूरत होगी लेकिन समिति इसके बारे में पर्याप्त रूप से सख्ती के साथ महसूस करती है कि संस्थान को संकाय से यह देखने के लिए कि इसके बेहतर परिणाम निकलें, कुछ समय के लिए इस प्रयोग को करने के लिए कहा जाए।

परामर्शी

4.11. संस्थान को कारंवाई परिचायक और कार्यक्रम आधारित कार्यकलापों और समस्या के समाधान के उद्देश्यों और कार्यक्रम के कम निष्पादन वाले क्षेत्रों में परामर्शी सेवाएं प्रदान करने के कार्य को प्राथमिकता देनी चाहिए।

अग्रिम विशिष्टताएं

4.12. इस समय इस संस्थान में कुछ क्षेत्रों में अर्हक व्यावसायिक कार्मिक स्टाफ पर्याप्त नहीं है। ऐसा ही संचार, प्रबन्ध, स्वास्थ्य शिक्षा और पोषण के क्षेत्रों में है। इसी प्रकार कुछ अन्य क्षेत्रों में भी संस्थान के पास इसके स्टेट्स के प्रिमियर निकाय के लिए अपेक्षित उच्च व्यावसायिक कौशल नहीं है। विशिष्ट उदाहरणों में प्रबंध सूचना पद्धति, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण क्षेत्र में आंकड़ों का कम्प्यूटीकरण और प्रलेखन और सुधार पद्धति शामिल है। समिति सुझाव देती है कि संस्थान को उपर्युक्त क्षेत्रों में विशेषज्ञता कौशल प्राप्त करने चाहिए और मौजूदा कौशलों की क्षमताओं को सुदृढ़ करना चाहिए।

संचार के क्षेत्र में एक ओर सामान्य तौर पर इलेक्ट्रोनिक मीडिया का कार्य देखने तथा उपग्रह संचार में आधुनिकतम कौशल तथा दूसरी ओर पारस्परिक संचार तथा समूह की गतिशीलता प्राप्त करने की आवश्यकता है, इसी प्रकार प्रबन्ध, संगठनात्मक आचरण सम्बन्धी उच्च कार्यकुशलता अनुकरण, वित्तीय प्रबन्ध तथा कार्यप्रणाली, कार्यक्रम मूल्यांकन, विश्लेषण और मूल्य निर्धारण के क्षेत्र में और कार्य करने की आवश्यकता है।

कर्मचारियों सम्बन्धी अपेक्षाएं

4.13. संस्थान ने सन् 2000 ई० तक आने वाले वर्षों में विभागीय आधार पर संकाय तथा दूसरे कर्मचारियों की आवश्यकता के बारे में अनुमान उपलब्ध किया है। कर्मचारियों संबंधी आवश्यकताएं संस्थान के समग्र उद्देश्यों, कार्यक्रमों तथा परियोजना ओं का पता लगाकर निकाली जाएं कार्यकरण की बेहतर स्थितियां तथा व्यावसायिक वृद्धि करने के लिए अवसर प्रदान करके और पारस्परिक विषयों तथा संकाय में विवेचनात्मक घटक जोड़कर मौजूदा संकायों के सुदृढ़ीकरण की एक संतुलित नीति जो कार्यक्रमों तथा परियोजनाओं का प्रयोजन निभाएगी, की सिफारिश की जाती है। इसके अतिरिक्त यह समिति संकाय सदस्यों की कोई निश्चित संख्या निर्धारित करने में कठिनाई अनुभव कर रही है जो भविष्य में किसी एक विशेष समय पर उपलब्ध किया जा सके।

संस्थान की प्रतिष्ठता

4.14. संस्थान की प्रतिष्ठा तथा स्तर को बढ़ाने के उद्देश्य से संस्थान से सुझाव दिया कि इसे स्वास्थ्य और जनसंख्या विज्ञान के एक विश्वविद्यालय में बदला जाए, छः क्षेत्रीय केन्द्र खोले जाएं तथा निदेशक का स्तर बढ़ाकर उसे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के महानिदेशक के पद के बराबर किया जाए। समिति ने संस्थान को एक विश्वविद्यालय में बदलने के सुझाव को स्वीकार नहीं किया है क्योंकि इससे शैक्षिक अलगाव पर अधिक बल दिया जाएगा तथा सेवा कार्यक्रमों से अलग होना होगा। स्वास्थ्य मंत्रालय तथा स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रमों के साथ समझ-बूझ बढ़ाने तथा संबंध स्थापित करने की आवश्यकता को कम करेगा और डिग्री एवं डिप्लोमा की होड़ को आघात पहुंचाएगा जो संचालन अध्ययनों में हानिकारक होगा। जहां तक क्षेत्रीय केन्द्र बनाए जाने का संबंध है, समिति ने पहले ही अपना मत व्यक्त किया है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान द्वारा क्षेत्रीय आधार पर मौजूदा केन्द्रों में से एक केन्द्र अपनाया जाना चाहिए तथा उसे वे प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या की वास्तविकता में शैक्षिक अनुभव प्रदान करने के लिए अपने संचालन अनुसंधान अध्ययनों में उपयोग करे। समिति ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के निदेशक का स्तर बढ़ाकर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान तथा भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के निदेशकों के बराबर करने की बात का समर्थन किया। संस्थान की प्रतिष्ठा बढ़ाने में विजिटिंग प्रोफेसरशिप एवं एमिरेट्स प्रोफेसरशिप की प्रथा में काफी समय लगेगा तथा इस क्षेत्र में सही कदम उठाए जाएं।

बहरहाल, अंतिम विश्लेषण में किसी संस्थान की प्रतिष्ठा तथा स्तर विवेचनात्मक दृष्टि इन पहलुओं तथा इस सम्बन्ध में संस्थान द्वारा संदर्भित दूसरे

पहलुओं पर निर्भर नहीं करता। आलोचनात्मक दृष्टि से यह जांच पड़ताल के वातावरण, स्वास्थ्य सेवा प्रणाली के साथ अर्थपूर्ण संपर्क, तथा प्राथमिक, माध्यमिक तथा परिधीय स्तरों पर स्वास्थ्य सेवाओं में सुधारने के लिए प्रमुख संचालन अनुसंधान समस्याओं पर कार्य कर रहे बहुविषयक दलों को बढ़ावा देना।

उत्कृष्ट संकायों को आकृष्ट करना तथा उन्हें बनाए रखना

4.15. उत्कृष्ट संकाय को आकृष्ट करने तथा उसे बनाए रखने के लिए संस्थान ने अनेक सुझाव दिये : वेतनमान की व्यवस्था, पदोन्नति के अवसर उपलब्ध करना, समय बद्ध योग्यतावार प्रोन्नति योजना, इमरिटस प्रोफेसरशिप आरम्भ करना, संकाय में विश्राम अवकाश की व्यवस्था/राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों आदि में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना। समिति इन सुझावों का पूर्ण समर्थन करती है जो वैज्ञानिक अनुसंधान के उन्नायक उपायों के रूप में सुविख्यात हैं जिनमें से अधिकतर देश की अनुसंधान संस्थाओं में पहले ही मौजूद हैं।

13 सहायक प्रोफेसरों में से 8 ने उसी वेतनमान में 10-15 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है तथा 5 वेतनमान के अधिकतम पर पहुंच गये हैं। सात सहायक प्रोफेसरों में से पांच ने उसी ग्रेड में 7-12 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है और तीन अपने वेतनमान के अधिकतम पर पहुंच गये हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान के संकाय में स्थिरीकरण की यह स्थिति है।

राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संघों में भाग लेने के अवसर प्रदान करने से व्यावसायिक विकास में सहायता मिलेगी। जहां कहीं संस्थान के उद्देश्यों से संबंधित हों, इस प्रकार के मंचों में भाग लेने सम्बन्धी नियमों तथा विनियमों को उदार बनाया जाए। कर्मचारियों के लिए क्वार्टर बनाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जिसके लिए परिसर में स्थान उपलब्ध है।

संस्थान को चाहिए कि वह देश और विदेश के विख्यात व्यक्तियों को संसाधन व्यक्तियों के रूप में आकर्षित करे तथा उन्हें विशिष्ट पहलुओं या तत्काल और दीर्घावधि जटिलताओं संबंधी कार्य के लिए विजिटिंग प्रोफेसर तथा सलाहकार के रूप में पद नामित करे।

यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता

4.16. यदि इस रिपोर्ट में की गई सिफारिशों को कारगर ढंग से कार्यान्वित करना है तो संकाय को अधिक गतिशील होना होगा तथा उन्हें प्रोत्साहित करना होगा कि वे समुदाय में जाएं और क्षेत्रीय अनुसंधान कार्यक्रम में भाग लें। यात्रा और दैनिक भत्ते की मौजूदा दरें संकाय सदस्यों के मुख्यालय से बाहर जाने को हतोत्साहित करते हैं। इन दरों में उपयुक्त संशोधन लिया जाए जो रहन-सहन और यात्रा लागत के मौजूदा स्तर से मेल खाती हों। इस दिशा में किये गये खर्च के अच्छे परिणाम निकलेंगे।

समयबद्ध परियोजनाओं के लिए बजट व्यवस्था

4.17. यहां पर उल्लिखित प्रस्तावित अनुसंधान कार्यों के लिए समयबद्ध आधार पर बजट का आवंटन किये जाने की आवश्यकता है ताकि अध्ययन समय पर समाप्त हो सकें और उनके निष्कर्ष तेजी से बदलते हुए कार्यक्रम में निरन्तर उपयोगी रह सकें। उपयोगकर्ता एजेन्सियों के आग्रह पर आरम्भ की गई अप्रत्याशित परियोजनाओं के लिए स्पष्ट रूप से धन की व्यवस्था होनी चाहिए और यदि उन्हें मूल

अनुमानों में शामिल न किया गया हो तो उनके लिए वर्ष के संशोधित अनुमानों में दिखाया जाना चाहिए।

स्वायत्तता 4.18. स्वायत्तता के बारे में जोकि एक चिरस्थाई प्रश्न है, हमारे विचार पहले भाग में बतलाए गए हैं। यहां पर हम केवल एक सिफारिश शामिल करना चाहेंगे—जहां पर शासी निकाय द्वारा कोई निर्णय ले लिया गया हो वहां निदेशक को वह निर्णय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को भेजे बिना लागू करने की शक्ति होनी चाहिए। इससे शासी निकाय के निर्णय का शीघ्रता से कार्यान्विन सुनिश्चित होगा।

गुड़ के मूल्य में वृद्धि

4920. **श्री सनत कुमार मंडल :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुड़ के मूल्यों में तेजी आई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को पड़ोसी देशों को बड़े पैमाने पर की जा रही गुड़ की तस्करी और इससे अवैध तरीके से शराब बनाए जाने की जानकारी है;

(ग) क्या इस वस्तु के वायदा बाजार में इसके व्यापारी भी लिप्त हैं; और

(घ) यदि हां, तो गुड़ के मूल्यों में वृद्धि को रोकने तथा वायदा बाजार पर प्रतिबन्ध लगाने और गुड़ की तस्करी को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री डी० एल० बैठा) : (क) 18-3-89 (25-2-1989 तथा 18-3-1989 को समाप्त सप्ताहों के बीच) को समाप्त गत सप्ताहों के दौरान गुड़ के थोक मूल्य सूचकांक में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इस अवधि के दौरान गुड़ के थोक मूल्य सूचकांक में 11% की वृद्धि हुई है।

(ख) सरकार को बड़ी मात्रा में पड़ोसी देशों को गुड़ की तस्करी किए जाने तथा अवैध आसवन (डिस्टिलेशन) के लिए उसका इस्तेमाल किए जाने के बारे में रिपोर्ट नहीं मिली है।

(ग) और (घ) सरकार ने अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम 1952 के तहत गुड़ में वायदा व्यापार की अनुमति दे रखी है। तथापि, वायदा बाजार आयोग, मान्यता प्राप्त एसोसिएशनों को व्यापार करने की अनुमति देते समय, मूल्यों के रुख में अनिश्चित वृद्धि रोकने के लिए आवश्यक समझे जाने वाले नियामक उपाय लागू करता है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा संस्थागत भूमि का आबंटन

[हिन्दी]

4921. **श्री गंगा राम :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण की उन मार्किटों का ब्यौरा क्या है, जिनमें अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों को उनके लिए निर्धारित कोटे से अधिक दुकानें आबंटित की गई हैं और उन व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है जिन्हें ये दुकानें आबंटित की गई हैं; और

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा संस्थागत भूमि के आबंटन के संबंध में क्या मानदण्ड/नियम निर्धारित किए गए हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) मार्किट के ब्यौरे संलग्न

विवरण-1 में दिए गए हैं। उन व्यक्तियों के ब्यौरों के ब्यौरे संलग्न विवरण-2 में दिए गए हैं, जिन्हें ये दुकानें आबंटित की गई हैं।

(ख) संस्थागत भूमि का आबंटन दिल्ली विकास प्राधिकरण नजूल भूमि नियमावली, 1981 के अंतर्गत उन आवेदकों को किया जाता है जो मूल शर्तों को पूरा करते हैं, अर्थात्

(1) यह समितियां पंजीयक अधिनियम, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत समिति होनी चाहिए।

(2) यह लाभ निरपेक्ष स्वरूप का होना चाहिए।

(3) इसमें भूमि और भवन निर्माण की लागत वहन करने की क्षमता होनी चाहिए।

(4) इसका मामला दिल्ली प्रशासन के संबंधित विभाग अथवा भारत सरकार के संबंधित मंत्रालय द्वारा प्रवर्तित किया जाना चाहिए।

जैसे ही आवेदक द्वारा अपेक्षित औपचारिकताएं पूरी की जाती हैं तभी संस्थागत आबंटन समिति के समक्ष माम्ला विचारार्थ प्रस्तुत किया जाता है। प्रत्येक मामले की जांच संस्थान की आवश्यकता, इसकी स्थायी वित्तीय व्यवहार्यता तथा समुदाय की आवश्यकता को मद्देनजर रखते हुए की जाती है और संस्थागत आबंटन समिति की सिफारिशों के आधार पर उपराज्यपाल द्वारा आबंटन किया जाता है।

विवरण-1

बाजारों तथा इन बाजारों में नीलामी के माध्यम से आबंटित दुकानों की संख्या तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित व्यक्तियों को आबंटित दुकानों की संख्या

क्र०सं० नाम/बाजार का विवरण	नीलामी के माध्यम से आबंटित	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को आबंटित
1	2	3
1. यमुना विहार में सी० एस० सी०	17	10
2. डिफेंस इन्क्लेव में सी० एस० सी०	20	8
3. भटनागर कालोनी में सी० एस० सी०	12	6
4. प्रीत विहार में एल० एस० सी०	—	1
5. दिलशाद गार्डन पाकेट-एच में सी० एस० सी०	9	2
6. झिलमिल चरण-2 में सी० एस० सी०	1	2
7. त्रिलोक पुरी चरण-2 सूची 565 में एल० एस० सी	7	5
8. तिमार पुर/नेहरू विहार में सी० एस० सी०	—	12

1	2	3	4
9.	रोहिणी सेक्टर-8 एस०सी० नं० 2 में सी०एस०सी०	27	11
10.	शालीमार बाग ब्लाक-बी (पूर्वी) में एल० एस० सी०	1	9
11.	सरस्वती विहार ब्लाक-सी में सी० एस० सी०	12	5
12.	लोक विहार ब्लाक-बी में सी० एस० सी०	10	4
13.	आदर्श भवन सोसाइटी में एल० एस० सी० पंजाबी बाग एक्स०	1	1
14.	के० जी०-1 बोडेला में मिनी शौपिंग सेन्टर	9	2
15.	बोडेला ब्लाक-बी में सी० एस० सी०	17	14
16.	पश्चिम पुरी ए-1 में एल० एस० सी०	19	20
17.	रिवाड़ी लाईन में सी० एस० सी०	—	12
18.	नांगल राय में आर० बी० सी०	—	3
19.	राजेन्द्र प्लेस में होम मार्किट	4	5
20.	जी० आर० क्षेत्र राजौरी गार्डन पाकेट-ए में सी० एस० सी०	10	3
21.	कीर्ति नगर में एल० एस० सी०	12	5
22.	अवान्तीका सी० एस० सी०	7	14
23.	वजीरपुर पाकेट-एफ में एल० एल० सी०	1	1
24.	फ्रेंड्स कालोनी में सी० एस० सी०	14	1
25.	आर० के० पुरम सेक्टर-6 में सी० एस० सी०	24	6
26.	मसूदपुर में पशु शल्टर में सी० एस० सी०	10	3
27.	सुखदेव विहार में सी० एस० सी०	24	9
28.	मदनगीर खानपुर के सामने सी० एस० सी०	8	1
		274	175

मार्किट वार आवंटित दुकानों/स्टालों/थड़ों/खुले प्लेटफार्मों की सूची तथा
अनुसूचित जाति को आवंटित स्टालों/थड़ों/खुले प्लेट फार्मों की संख्या

क्र०सं०	कालोनी का नाम	आवंटित दुकानों/स्टालों/थड़ों/खुले प्लेटफार्मों की कुल संख्या	अनुसूचित जाति को आवंटित दुकानों/थड़ों/खुले प्लेटफार्मों की संख्या
1	2	3	4
1.	त्रिलोक पुरी	505	148
2.	हिम्मत पुरी	154	069
3.	कल्याण पुरी	063	026
4.	गोकल पुरी	049	025
5.	नन्द नगरी	286	065
6.	पुरानी सीमापुरी	140	028
7.	नई सीमापुरी	117	002
8.	न्यू सीलमपुर	134	035
9.	तिलक विहार	99	013
10.	मादीपुर	344	206
11.	मोती नगर	024	005
12.	चौखंडी	101	009
13.	ख्याला	0160	026
14.	रणजीत नगर	026	013
15.	इन्द्रपुरी	041	028
16.	हस्तसाल	073	025
17.	मंगोलपुरी	023	012
18.	रघुवीर नगर	314	095
19.	दक्षिण पुरी	817	458
20.	मदनगीर	014	006
21.	टीगरी	075	021
22.	कालकाजी	060	010
23.	खिलोकरी	008	004

1	2	3	4
24.	सनलाईट कालोनी	089	017
25.	नेहरू नगर	120	052
26.	मोती बाग	009	006
27.	जहांगीरपुरी	556	216
28.	अरूणा कालोनी	080	013
29.	संगम पार्क	046	023
30.	शकरपुर	330	140
31.	मंगोलपुरी	1221	522
32.	इन्द्रलोक	049	025
33.	वजीरपुर	085	045
34.	सुल्तानपुरी	377	171
35.	नांगलोई	127	060
36.	ज्वालापुरी	046	027
	योग	6762	2646

विवरण-2

क्र०सं०	पंजीकरण संख्या	नाम
1	2	3
1.	38	श्रीमती रोशनी देवी
2.	422	श्री हीरा लाल
3.	472	श्री इन्द्रपाल सिंह
4.	541	श्री अशोक कुमार
5.	559	कुमारी रेखा प्रसाद
6.	590	श्री राम किशन
7.	624	परमेश्वरी
8.	850	कमल किशोर

1	2	3
9.	858	रमेश चन्द
10.	867	परमजीत सिंह
11.	1058	चन्द्रवती
12.	1224	ईश्वर दत्त तथा अमीका
13.	1365	कुमारी रेणुका
14.	1396	श्रीमती शकुन्तला
15.	1529	नगेन्दर किशोर
16.	1613	दुलीचन्द
17.	1698	राधेश्याम
18.	1722	कंचन
19.	1820	सुरोज कुमार
20.	2016	जगजीत सिंह
21.	2295-ए	श्री लोक राम
22.	2402	केवल कृष्ण
23.	2429	कैलाश चन्द्र
24.	2566	जगदीश कुमार
25.	2701	ललित मोहन भारती
26.	2709	ललित कुमार
27.	2736	शांति लाल
28.	2909	राकेश कुमार चौहान
29.	3205	प्रदीप कुमार सुराहा
30.	3330	डा० प्रताप प्रतिम मंडल
31.	3346	श्रीमती सुनीता भगत
32.	3694	बृज मोहन
33.	3754	नन्द किशोर
34.	3763	शरबती देवी
35.	3764	शांति देवी
36.	3841	दिनेश सिंह
37.	3968	देवराज

1	2	3
38.	4031	जयपाल सिंह
39.	4055	कैलाश
40.	4278	सुरेन्द्र कुमार पिपले
41.	4279	हीरा लाल और श्रीमती सम्पत
42.	4328	देवेन्द्र कुमार
43.	4379	श्री जगदीश प्रसाद
44.	4445	रनबहादुर सिंह
45.	4459	महावीर सिंह बुवेजार
46.	4555	उमेश चन्द
47.	4613	सन्तोष
48.	4757	हेमन्त कुमार
49.	4936	विनोद कुमार
50.	5004	श्रीमती कमलेश और श्री श्रीकिशन
51.	5026	दुलीचन्द
52.	5044	साधुराम
53.	5056	रोशन लाल
54.	5125	राम अवतार
55.	5163	अभय
56.	5360	योगेन्द्र कुमार
57.	5530	श्री विष्णु प्रकाश
58.	5941-ए	चंचल
59.	6226	हंस राज
60.	6330	राजू
61.	6253	दशरथ भाई
62.	6464	नानक चन्द
63.		मुकेश कुमार
64.		विनेश कुमार बिरवाल
65.	6762	कुन्दन लाल
66.		भगवती प्रसाद

1	2	3
67.		नन्द चन्द
68.	7104	माता दीन
69.		राम लाल
70.		मीना कुमारी और श्री यतिन्द्र
71.	7329	ओम वती
72.	7882	भलाशा कुमारी
73.	8213	श्री शिशुपाल
74.	8319	धर्मवीर
75.	8468	जगदीश कुमार
76.	8477	नरेन्द्र सिंह मेहरा
77.	8495	विनोद कुमार
78.	8532	सुजान सिंह
79.	8591	अशोक कुमार
80.	8669	कृष्णा और राजेश्वर प्रसाद
81.	8709	श्रीमती शकुन्तला देवी
82.	8766	राम प्रसाद संगत और रेणु संगत
83.	8789	सुखबीर
84.	8806	महावीर प्रसाद
85.	8879	रामगोपाल सिंह
86.	9133	पतराम सिंह
87.	9147	भीषम कुमार
88.	9155	लक्ष्मी देवी
89.	9306	जसवन्त सिंह
90.	9390	कालूराम
91.		सावित्री
92.	9458	मुकेश कुमार
93.	9508	म रकियत राम
94.	9629	नरेश कुमार
95.	9628	टेक चन्द

1	2	3
96.	9657	मंगल सिंह
97.	991	अशोक कुमार
98.	9951	ग्यारसी लाल
99.	9965	शारदा
100.	9968	जसवन्त सिंह
101.	19116	राम रतन
102.	10324	ओम प्रकाश सिंह हेडिया
103.	10448	चिरन्जी लाल
104.	10651	पहल सिंह
105.	10652	राजपाल
106.	10681	शेर सिंह
107.	10707	हेमन्त कुमार
108.	10804	लक्ष्मी देवी
109.	11076	राजेन्द्र कुमार
110.	11363	घनश्याम दास
111.	11440	जयप्रकाश और किशनवती
112.	11472	बाबू लाल
113.	11512	सरला
114.	11976	निर्मला
115.	12273	मदन लाल
116.	12287	राजेन्द्र प्रसाद
117.	12594	मनोहर लाल
118.	12655	श्री अलीयार राम
119.	12723	प्रेमा बाई
120.	12729	बेसी बाई
121.	12754	गोपाल सोड
122.	12831	श्रीमती पुष्पा
123.	12950	ओम प्रकाश
124.	12955	सतविन्द्र कौर
125.	12968	भीष्म सिंह

1	2	3
126.	12970	श्री मोती लाल
127.	13084	जय किशोर
128.	13294	सुरेश कुमार
129.	13351	हरीश कुमार
130.	13359	श्री शिव नारायण
131.	13478	सजन लाल
132.	13588	रामेश्वर शाह
133.	13624	कुमारी सुशीला देवी
134.	13372	गुलशन खोलवाल
135.	13673	श्री दौलत राम
136.	1428	जसवन्त कौर
137.	14393	सुरेश कुमार
138.	14738	श्री ललित मोहन
139.	14853	श्री माधो राम
140.	14963	कर्म चन्द
141.	14864	अरुण कुमार
142.	14971	दर्शन कुमार
143.	15200	उषा कुमार राठी
144.	15218	श्रीमती माया देवी
145.	15243	महेश चन्द
146.	15318	हरभजन सिंह
147.	15348	आर० पी० दीवान
148.	15744	रमेश
149.	15770	पृथ्वी राज
150.	15856	श्रीमती अंगुरी देवी
151.	15927	हीरा लाल
152.	15930	नत्थू सिंह
153.	15990	राजपाल सिंह
154.	16111	इन्द्रजीत

1	2	3
155.	16147	शीतल दास
156.	16219	ब्रह्म स्वरूप गणपती
157.	16299	राजबाला
158.	16603	गुरदेव राम मान
159.	17045	गिरराज सिंह
160.	17062	राज कुमारी
161.	17064	नरेश कुमार
162.	17561	राज कुमार और वन्दना
163.	17567	रमेश कुमार
164.	17570	तारा चन्द
165.	17584	चरण सिंह
166.	17667	छोटे लाल
167.	17717	रमेश चन्द्र
168.	17758	बगुर
169.	17773-ए	कुलदीप कुमार
170.	17966	मालती देवी
171.	17982	सुचेता
172.	18048	धर्मपाल
173.	18411	भीमराज
174.	18433	हीरालाल भगोरिया
175.	18453	किरण राज

राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के लिए केरल को सहायता

[अनुवाद]

4922. प्रो० के० वी० थामस : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1988-89 के दौरान राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम लागू करने के लिए केरल को कितनी सहायता दी गई;

(ख) क्या केरल सरकार ने और अधिक सहायता के लिए अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) वर्ष 1988-89 के दौरान राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के कार्यान्वियन के लिए केरल सरकार को 55.00 लाख रु० नकद सहायता के रूप में रिलीज किए गए हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय नेत्रहीनता निवारण कार्यक्रम

4923. **प्रो० के० वी० थामस : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय नेत्रहीनता निवारण संबंधी कार्यक्रम में केरल के तालुक अस्पतालों को भी शामिल किया जायेगा;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन तालुक अस्पतालों के लिए समुचित सहायता प्रदान करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) से (ग) राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य सरकारों संघ राज्यक्षेत्रों को केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है और उप सम्भागीय/तालुक अस्पतालों को सीधे सहायता प्रदान करने का कोई प्रावधान नहीं है।

चिकित्सा तथा कैंसर संबंधी अनुसंधान में सुधार करने के लिए भारत को जापान से सहायता

4924. **प्रो० के० वी० थामस :**
श्री वक्कम पुरुषोत्तमन :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान ने वर्ष 1988-89 के दौरान देश में कैंसर उपचार केन्द्रों में उपलब्ध सुविधाओं में सुधार लाने के लिए भारत को 13.63 करोड़ रुपए का अनुदान दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस अनुदान में से विभिन्न कैंसर उपचार केन्द्रों को कितनी-कितनी धनराशि आवंटित की गई है; और

(ग) प्रत्येक केन्द्र में उक्त अनुदान की सहायता से आरम्भ किए गए कार्य का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) से (ग) भारत सरकार के साथ 21-4-1988 को हुए एक समझौते के अंतर्गत जापान सरकार ने चिकित्सा उपकरणों की खरीद के लिए 50.80 करोड़ येन का एक अनुदान उपलब्ध किया। यह अनुदान जापान सरकार द्वारा अनुमोदित निम्नलिखित पांच संस्थाओं के लिए अतिरिक्त साज सामान तथा फालतू पुर्जों सहित होल बाडी सी० टी० स्कैनर खरीदने तथा उनके संस्थापन के उपयोग में लाया गया।

1. एस० एम० एच० एस० अस्पताल, श्रीनगर
2. एस० एम० एस० मेडिकल कालेज एवं अस्पताल, जयपुर
3. कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान संस्थान, ग्वालियर
4. कमला नेहरू मेमोरियल अस्पताल, इलाहाबाद
5. एम० एन० जे० कैंसर अस्पताल एवं रेडियम संस्थान, हैदराबाद

भारत सरकार के साथ 8-11-1988 को हुए एक समझौते के अंतर्गत जापान सरकार ने चार सी० टी० स्कैनरों और कैंसर संस्थान, मद्रास में नैदानिक उपकरण खरीदने के लिए 64.10 करोड़ येन का एक अनुदान उपलब्ध किया। ये चार सी० टी० स्कैनर निम्नलिखित चार संस्थाओं में लगाए जाएंगे जो कि जापान सरकार द्वारा पहले ही अनुमोदित किए हुए हैं :—

1. क्षेत्रीय कैंसर अनुसंधान एवं उपचार सोसाइटी, कटक
2. मेडिकल कालेज एवं अस्पताल, रोहतक
3. गवर्नमेंट मेडिकल कालेज एवं अस्पताल, नागपुर
4. क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र, त्रिवेन्द्रम।

"पेवमेंट प्रेवर्स आफ पंचकुइयां रोड" शीर्षक से समाचार

4925. श्री कमला प्रसाद सिंह : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 8 मार्च, 1989 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "पेवमेंट प्रेवर्स आफ पंचकुइयां रोड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की तरफ आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो न केवल पंचकुइयां रोड बल्कि कनाट प्लेस, सम्पदा निदेशालय के बाजारों में भी घेरी हुई पटरियों को खाली करवाने हेतु क्या कार्यवाही की गई;

(ग) क्या सरकारी कालोनियों में सरकारी भूमि पर भी बड़ी संख्या में दुकानों का निर्माण हो गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सरकारी कर्मचारियों की बड़ी आवासीय कालोनियों में पोलीक्लिनिक की स्थापना

4926. श्री कमला प्रसाद सिंह : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेक्टर-6, रामकृष्ण पुरम, नई दिल्ली में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय के अन्तर्गत कार्य कर रही छोटी प्रयोगशाला में अपर्याप्त सुविधाओं के कारण लाभार्थियों का उत्तम और शीघ्र सेवा प्राप्त नहीं हो पाती है;

(ख) "ब्लड शुगर" परीक्षण हेतु लाभार्थी को लगभग दो माह तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है;

(ग) यदि हां, तो इस स्थिति में सुधार करने हेतु क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) क्या सरकारी कर्मचारियों की रामकृष्ण पुरम, तिमारपुर, लोधी कालोनी, नई दिल्ली जैसी बड़ी आवासीय कालोनियों में "पोलीक्लिनिक" की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है ताकि अस्पतालों में भीड़ को कम किया जा सके ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय, आर० के० पुरम-III (सेक्टर-8) में कार्य कर रही प्रयोगशाला में रक्त, मूत्र व मल परीक्षण तथा रक्त शर्करा सीरम कोलेस्ट्रोल और रक्त यूरिया के अन्य जैव-रासायनिक दैनिक परीक्षणों के लिए पर्याप्त उपकरण हैं। रोगविज्ञानी द्वारा समय-समय पर कार्य की देख-रेख की जाती है और दैनिक सेवाएं अच्छी किस्म की हैं।

(ख) जी, नहीं। रक्त शर्करा की जांच दिन निश्चित करके की जाती है और प्रतीक्षा का समय 3 से 4 सप्ताह होता है।

(ग) रोगी की शीघ्र जांच की आवश्यकता होने पर केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, पोलिक्लीनिक, कस्तूरबा नगर-I में जाने का निदेश दे दिया जाता है, जहां जांच के लिए दिन पहले से निश्चित करने की आवश्यकता नहीं होती और सामान्यतः उसी दिन जांच कर दी जाती है।

(घ) फिलहाल इन इलाकों में इस प्रकार का पोलिक्लीनिक स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

नाई के उस्तरे के कारण एड्स

4927. **श्री कमला प्रसाद सिंह** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एड्स से पीड़ित किसी व्यक्ति की हजामत के लिए प्रयोग किया गया नाई का उस्तरा दूसरे व्यक्ति की हजामत के लिए प्रयोग किए जाने पर एड्स रोग का कारण हो सकता है;

(ख) यदि हां, तो नाईयों के उस्तरों से फैलने वाले एड्स रोग की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) गत 12 महीनों के दौरान सरकार को ऐसे कितने मामलों का पता लगा है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, यदि उस्तरे पर किसी संक्रमित व्यक्ति का रक्त लगा हो और उसी उस्तरे को किसी असंक्रमित व्यक्ति पर इस्तेमाल कर लिया जाए तो संक्रमण की संचरण के संभावना होती है। ऐसे मामलों में भी केवल उस्तरे द्वारा किए गए घावों से, यदि कोई हो, किसी असंक्रमित व्यक्ति को संक्रमण हो सकता है।

(ग) कोई नहीं।

पर्यावरणिक दृष्टि से शांतघाटी की खराब दशा

4928. **श्री वक्कम पुरुषोत्तमन** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यावरण विभाग के एक विशेषज्ञ दल ने हाल ही में केरल के पालघाट जिले के संरक्षित राष्ट्रीय उद्यान शांत घाटी का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो इस दल ने पर्यावरणिक दृष्टि से इस घाटी की खराब दशा पर चिन्ता व्यक्त की थी;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसा होने के क्या कारण हैं; और

(घ) इस घाटी की और दशा खराब होने से रक्षा करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) से (ग) मंत्रालय द्वारा गठित विशेषज्ञों के एक दल ने फरवरी, 1989 में चालाकुडी बेसिन में दो जल-विद्युत परियोजनाओं की व्यवहार्यता का आंकलन करने के लिए केरल का दौरा किया था न कि शांत घाटी क्षेत्र में स्थित जल विद्युत परियोजना का आंकलन करने के लिए।

(घ) शांत घाटी की समृद्ध जैवीय विविधता को ध्यान में रखते हुए इसे दिसम्बर, 1980 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। यह नीलगिरि जीवमंडल रिजर्व के कोर क्षेत्र का भी एक भाग है।

कोचीन में समेकित विकास परियोजना

4929. **श्री वक्कम पुरुषोत्तमन** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन में एक समेकित विकास परियोजना कार्यान्वित की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इस परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है;

(ग) क्या इस परियोजना को वर्ष 1983 में पूरी करना निश्चित किया गया था, यदि हां, तो इस परियोजना के पूरा होने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और इसके फलस्वरूप इसकी लागत में कितनी वृद्धि हुई है; और

(घ) इस परियोजना के कब तक पूरी होने की संभावना है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सिले-सिलाए वस्त्रों का निर्यात बढ़ाने के लिए राज सहायता

4930. **श्री वक्कम पुरुषोत्तमन** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लैटिन अमरीकी देशों के लिए सिले सिलाए वस्त्रों का निर्यात बढ़ाने के लिए हाल ही में विमान भाड़े में कुछ राज सहायता देने की घोषणा की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 1988-89 के दौरान लैटिन अमरीकी देशों को सिले सिलाए वस्त्रों का निर्यात करने के लिए क्या लक्ष्य रखा गया था और वास्तव में कितनी मात्रा में और कितने मूल्य के सिले सिलाए वस्त्रों का निर्यात किया गया; और

(घ) गत दो वर्षों के दौरान किये गये निर्यात की तुलना में उपरोक्त वर्ष किए गए निर्यात की स्थिति क्या है ?

वस्त्र मंत्री तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) हाल ही में लैटिन अमरीकी देशों को सिले सिलाए परिधानों के निर्यात पर भाड़ा लागत के 25% की दर से हवाई भाड़ा उपदान की घोषणा की गई थी।

(ग) और (घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान लैटिन अमरीकी देशों को भारत से सिले सिलाए परिधानों के निर्यात के आंकड़े नीचे दिए गए हैं :—

(मात्रा हजार नग में)
(मूल्य करोड़ रुपए में)

वर्ष	मात्रा	मूल्य
1986	660	2.66
1987	1305	5.04
1988	1633	8.12

स्रोत : अपैरल निर्यात संवर्धन परिषद।

विदेश जाने वाले श्रमिकों की संख्या में वृद्धि

4931. **डा० फूलरेणु गुहा** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत से खाड़ी के देशों को जाने वाले श्रमिकों की संख्या में वर्ष 1988 के दौरान भारी वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी देशवार ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री राधा किशन मालवीय) : (क) और (ख) वर्ष 1988 के दौरान विदेशों में ठेका नियोजन के लिए 1.70 लाख श्रमिकों को उत्प्रवास अनुमति दी गई थी जबकि वर्ष 1987 तथा 1986 में क्रमशः 1.25 लाख तथा 1.14 लाख श्रमिकों को अनुमति दी गई थी। वर्ष 1987 में कुछ सुधार हुआ है तथा वर्ष 1988 में और वृद्धि हुई थी। वर्ष 1986, 1987 तथा 1988 के दौरान विभिन्न देशों में जाने के लिए अनुमति दिए गए श्रमिकों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

वर्ष	सऊदी अरब	ओमान	यू०ए०ई०	बहरीन	ईराक	कुवैत	कतार	लिबिया	पी०डी० आर०वाई/ वाई०ए० आर०	अन्य
1986	41804	22417	23323	5784	5040	4235	4029	2552	350	3698
1987	57234	16362	24931	6578	2330	7354	4751	2272	—	3544
1988	85289	18696	34029	8219	4284	9653	4654	593	507	3964

कर्मचारी राज्य बीमा के अस्पताल

4932. डा० फूलरेणु गुहा :
श्री के० प्रधानी :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अंतर्गत संचालित अस्पतालों और औषधालयों का राज्यवार ब्यौरा क्या है और इनमें से प्रत्येक अस्पताल में मरीजों के लिए कितने बिस्तरों की व्यवस्था है; और

(ख) वर्ष 1986-87 और 1988 के दौरान अस्पतालों और औषधालयों को आबंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राधा किशन मालवीय) : (क) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण-1 और 2 में दी गई है।

(ख) अस्पताल तथा औषधालयों के लिए अलग से कोई बजट आबंटन नहीं किया गया है। तथापि, पिछले तीन वर्षों के दौरान चिकित्सा देख रेख पर कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा किया गया कुल व्यय निम्नानुसार था :—

वर्ष	रुपए करोड़ों में
1986-87 (वास्तविक)	115.6
1987-88 (वास्तविक)	110.7
1988-89 (अनुमान)	133.5

विवरण-1

क्रमांक	अस्पताल का नाम	निर्मित बिस्तरों की व्यवस्था	
		सामान्य	टी० बी०
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश			
1.	क० रा० बी० अस्ताल, अडोमी	50	—
2.	क० रा० बी० अस्पताल, संनथनगर हैदराबाद	384	—

1	2	3	4
	3. क० रा० बी० अस्पताल, सिरपुर कागजनगर	110	—
	4. क० रा० बी० अस्पताल, विजयवाड़ा	125	10
	5. क० रा० बी० अस्पताल, विशाखापत्तनम	110	15
	6. क० रा० बी० अस्पताल, वारंगल	50	—
	7. क० रा० बी० अस्पताल, पाटनचेरन, जिला मेडक	60	—
	8. क० रा० बी० अस्पताल, राजामून्दरी	50	—
असम			
	9. क० रा० बी० अस्पताल, बेलटोला, गुवाहाटी	50	—
बिहार			
	10. क० रा० बी० अस्पताल, आदित्यपुर	50	—
	11. क० रा० बी० अस्पताल, डालमियानगर	62	10
	12. क० रा० बी० अस्पताल, मैथोन	110	—
	13. क० रा० बी० अस्ताल, मुंगेर	30	—
	14. क० रा० बी० अस्पताल, फूलवारी शरीफ, पटना	50	—
	15. क० रा० बी० अस्पताल, रांची	50	—
चण्डीगढ़			
दिल्ली			
	16. क० रा० बी० अस्पताल, बसाईदारापुर* नई दिल्ली	400	—* *(निर्मित पलंगों की संख्या 250 है परन्तु 400 पलंगों की व्यवस्था की गई है)
	17. क० रा० बी० अस्पताल, झिलमिल, शाहदरा	200	—
गुजरात			
	18. क० रा० बी० अस्पताल, बापू नगर, अहमदाबाद	600	—

1	2	3	4
	19. क० रा० बी० अस्पताल, बड़ोदा	200	—
	20. क० रा० बी० अस्पताल, कालोल	50	—
	21. क० रा० बी० अस्पताल, राजकोट	50	—
	22. क० रा० बी० अस्पताल, नारोदा	50	225
	23. क० रा० बी० अस्पताल, राजपुर, हिरपुर, अहमदाबाद	50	—
	24. क० रा० बी० अस्पताल, सूरत	150	—
हरियाणा			
	25. क० रा० बी० अस्पताल, फरीदाबाद	188	—
	26. क० रा० बी० अस्पताल, जगाधरी (यमुनानगर)	80	—
	27. क० रा० बी० अस्पताल, पानीपत	40	35
कर्नाटक			
	28. क० रा० बी० अस्पताल, डांडेली	50	—
	29. क० रा० बी० अस्पताल, हुबली	50	—
	30. क० रा० बी० अस्पताल, इंदिरा नगर, बंगलौर	300	—
	31. क० रा० बी० अस्पताल, मंगलौर	100	—
	32. क० रा० बी० अस्पताल, मैसूर	100	—
	33. क० रा० बी० अस्पताल, गजानीनगर, बंगलौर	380	40
	34. क० रा० बी० अस्पताल, दावनकोर	50	—
केरल			
	35. क० रा० बी० अस्पताल, अलेप्पी	55	—
	36. क० रा० बी० अस्पताल, अशखामन (क्विलोन जिला)	115	—
	37. क० रा० बी० अस्पताल, एर्नाकुलम	65	—
	38. क० रा० बी० अस्पताल, एजहूकोने	150	—
	39. क० रा० बी० अस्पताल, मुलाकुनाथकाबू (त्रिचूर जिला)	—	110
	40. क० रा० बी० अस्पताल ओकारी कारा, त्रिचूर	90	—
	41. क० रा० बी० अस्पताल, पारीपेली	100	—

1	2	3	4
	42. क० रा० बी० अस्पताल, पालघाट	50	—
	43. क० रा० बी० अस्पताल, पेरूरकाडा (त्रिव जिला)	75	—
	44. क० रा० बी० अस्पताल, उद्योग मंडल (इर्ना जिला)	150	—
	45. क० रा० बी० अस्पताल, बादावाधूर	65	—
	46. क० रा० बी० अस्पताल, फिरोके	100	—
	47. क० रा० बी० अस्पताल, थोठाडा	50	—
मध्य प्रदेश			
	48. क० रा० बी० अस्पताल, ग्वालियर	75	—
	49. क० रा० बी० अस्पताल, (चैम्ल अस्पताल, इन्दौर)	—	75
	50. क० रा० बी० अस्पताल, (सामान्य अस्पताल, इन्दौर)	200	—
	51. क० रा० बी० अस्पताल, उज्जैन	100	—
	52. क० रा० बी० अस्पताल, भोपाल	84	—
पांडिचेरी			
	53. क० रा० बी० अस्पताल, पांडिचेरी	75	—
पंजाब			
	54. क० रा० बी० अस्पताल, अमृतसर	125	—
	55. क० रा० बी० अस्पताल, जलन्धर	100	—
	56. क० रा० बी० अस्पताल, लुधियाना	100	—
राजस्थान			
	57. क० रा० बी० अस्पताल, जयपुर	139	—
	58. क० रा० बी० अस्पताल, कोटा	60	—
तमिलनाडु			
	59. क० रा० बी० अस्पताल, आयानावरम, मद्रास	625	—
	60. क० रा० बी० अस्पताल, कोयम्बटूर	500	—

1	2	3	4
61.	क० रा० बी० अस्पताल, के० के० नगर, मद्रास	500	—
62.	क० रा० बी० अस्पताल, मदुरै	177	25
63.	क० रा० बी० अस्पताल, वेल्लोर	50	—
64.	क० रा० बी० अस्पताल, शिवकासी	50	—
65.	क० रा० बी० अस्पताल, सलेम	50	—
उत्तर प्रदेश			
66.	क० रा० बी० अस्पताल, आगरा	100	—
67.	क० रा० बी० अस्पताल, पांडुनगर, कानपुर	312	—
68.	क० रा० बी० अस्पताल (चेस्ट) आजादनगर, कानपुर	—	180
69.	क० रा० बी० अस्पताल, (सामान्य और प्रसूति), सर्वोदय नगर, कानपुर	144	—
70.	क० रा० बी० अस्पताल, लखनऊ	100	—
71.	क० रा० बी० अस्पताल, मोदीनगर	100	—
72.	क० रा० बी० अस्पताल, नैनी, इलाहाबाद	100	—
73.	क० रा० बी० अस्पताल, सहारनपुर	50	—
74.	क० रा० बी० अस्पताल, साहिबाबाद, गाजियाबाद	100	—
75.	क० रा० बी० अस्पताल, बरेली	50	—
76.	क० रा० बी० अस्पताल, किदवई नगर, कानपुर	100	—
77.	क० रा० बी० अस्पताल, जजमाऊ, कानपुर	100	—
पश्चिम बंगाल			
78.	क० रा० बी० अस्पताल, बेलूर-बैली	—	150
79.	क० रा० बी० अस्पताल, बालटीकुरी	416	—
80.	क० रा० बी० अस्पताल, बाण्डेल	300	250
81.	क० रा० बी० अस्पताल, बज-बज	300	—
82.	क० रा० बी० अस्पताल, गौरहाटी	216	—
83.	क० रा० बी० अस्पताल, कल्याणी	266	—
84.	क० रा० बी० अस्पताल, कल्यापुर, आसनसोल	60	90

1	2	3	4
85.	क० रा० बी० अस्पताल, कमारहाटी	175	—
86.	क० रा० बी० अस्पताल, मानिकटोला	500	—
87.	क० रा० बी० अस्पताल, सियालदेह	250	—
88.	क० रा० बी० अस्पताल, सीरामपोर	216	—
89.	क० रा० बी० अस्पताल, युलुबेरिया	166	50

विवरण-2

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	औषधालयों की संख्या
आंध्र प्रदेश	120
असम	22
चण्डीगढ़	2
बिहार	54
दिल्ली	35
गुजरात	119
हरियाणा	68
केरल	140
कर्नाटक	120
महाराष्ट्र	2
मध्य प्रदेश	61
उड़ीसा	44
पंजाब	63
राजस्थान	52
तमिलनाडु	135
उत्तर प्रदेश	119
पांडिचेरी	11
पश्चिम बंगाल	26
हिमाचल प्रदेश	1
मेघालय	1
कुल	1265

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना में संशोधन

4933. **श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की मूल योजना में कोई संशोधन किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड ने 3 नवम्बर, 1988 को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय योजना 2001 को अनुमोदित कर दिया था। इस समय योजना के संशोधन का कोई विचार नहीं है।

उड़ीसा में खुर्दा में वनस्पति एकक

4934. **श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का उड़ीसा में खुर्दा में वनस्पति संयंत्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो संयंत्र पर अनुमानतः कितनी लागत आएगी ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री डी० एल० बैठा) : (क) उड़ीसा राज्य में खुर्दा, जिला पुरी में एक वनस्पति संयंत्र स्थापित करने के लिए उड़ीसा स्टेट ऑयल सीड ग्रोअर्स कोआपरेटिव फेडरेशन के पक्ष में एक आशय पत्र जारी किया गया है।

(ख) संयंत्र की अनुमानित लागत (भूमि, भवन व मशीनरी) 230 लाख रुपये के आस-पास है।

पेयजल परीक्षण हेतु दिल्ली में प्रयोगशालाओं की स्थापना

4935. **श्री प्रतापराव बी० भोसले : क्या शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली जल आपूर्ति और मल व्ययन उपक्रम ने अपने क्षेत्रों में पेयजल परीक्षण हेतु दिल्ली में प्रयोगशालायें स्थापित की हैं;

(ख) क्या नई दिल्ली नगर पालिका का भी अपने क्षेत्रों में पेयजल परीक्षण का भी अपने क्षेत्रों में पेयजल, परीक्षण हेतु ऐसी प्रयोगशालायें स्थापित करने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) दिल्ली जल पूर्ति एवं मल व्ययन संस्थान के सभी जल शोधन संयंत्रों के सभी स्तरों पर जल की कोटिरी जांच के लिए प्रयोगशालायें हैं। हाल ही में संस्थान के पास निम्नलिखित क्षेत्रों में 4 सुसज्जित प्रयोगशालायें हैं :

प्रयोगशाला का नाम	अन्तर्निष्ट क्षेत्र
वजीराबाद प्रयोगशाला वजीराबाद जल कार्य तिमारपुर	उत्तरी तथा केन्द्रीय दिल्ली
हैदरपुर प्रयोगशाला जल कार्य हैदरपुर	पश्चिम दिल्ली तथा ग्रामीण दिल्ली
भागरथी प्रयोगशाला जल कार्य गोकुलपुरी	यमुनापार क्षेत्र
ओखला प्रयोगशाला	दक्षिण दिल्ली ग्रामीण दक्षिण तथा दिल्ली छावनी

(ख) और (ग) नई दिल्ली नगर पालिका ने भी अपना स्वयं का जल कोटि प्रबोधन एकक स्थापित किया है जो जांच के लिए प्रतिदिन विभिन्न जल बूस्टर स्टेशनों और वितरण पद्धति में विभिन्न प्वाइन्टों से पानी के आकस्मिक नमूने एकत्र करता है। नई दिल्ली नगर पालिका के सम्पूर्ण क्षेत्र में फैले हुए 68 नलकूपों से भी समय-समय पर पानी की जांच की जाती है जिसे वर्षा ऋतु के दौरान बढ़ा दिया जाता है।

(घ) उपर्युक्त भाग (क) से (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान की शाखाएं स्थापित करने का प्रस्ताव

4936. **श्री प्रतापराव बी० भोसले** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान पुणे की शाखायें देश के अन्य भागों में भी खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) से (ग) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

पर्यावरण को अच्छा बनाये रखने के लिये कम लागत की योजना

4937. **श्री प्रतापराव बी० भोसले** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खर्चीली तकनीकी प्रक्रिया अपनाये बिना भी देश में पर्यावरण को अच्छा बनाये रखने के लिए कम लागत की योजनाओं को प्रारम्भ किये जाने की पर्याप्त गुंजाइश है;

(ख) यदि हां, तो उसका उपयोग करने के लिए केन्द्रीय सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है;

(ग) क्या सरकार का विचार पर्यावरण को अच्छा बनाये रखने की कम लागत की योजनाओं में जनता का भी सहयोग प्राप्त करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी, हां :

(ख) सरकार द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों में खर्चीली तकनीकी प्रक्रियाओं के बिना कम लागत की पर्यावरणीय पुनरुद्वार स्कीमों का उपयोग किया जा रहा है जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं :

(1) भू-संरक्षण और जलसंभरों की सुरक्षा

(2) बायो-गैस जैसे ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत

(3) अपशिष्टों से संसाधनों की पुनर्प्राप्ति

(4) जल शुद्धीकरण

(5) वनरोपण के लिए वृक्ष पौधों का सामूहिक रूप से बहुगुणीकरण ।

(ग) और (घ) पर्यावरण और वन मंत्रालय की गंगा कार्य योजना, परती भूमि विकास, पारि विकास शिविर और क्षेत्रीय कार्यवाही कार्यक्रमों जैसी पर्यावरणीय पुनरुद्धार स्कीमों में व्यापक जन भागीदारी शामिल है ।

क्षेत्रीय नेत्र-चिकित्सा संस्थान का मध्य प्रदेश से स्थानान्तरण

4938. **श्री प्रतापराव बी० भोसले** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का क्षेत्रीय नेत्र चिकित्सा संस्थान को मध्य प्रदेश से किसी अन्य राज्य में स्थानान्तरित करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) जी, नहीं ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यालयों का अन्यत्र ले जाया जाना

4939. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के कई उपक्रमों के कार्यालयों को दिल्ली से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले शहरों में ले जाने की कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(ग) इस योजना के अन्तर्गत अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(घ) राजधानी में भीड़भाड़ कम करने के लिए सरकारी कार्यालयों/सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यालयों को अन्यत्र ले जाये जाने की सम्भावना है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (घ) दिल्ली को भीड़-भाड़ से मुक्त करने के उद्देश्य से, दिल्ली में स्थित कुछ सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों, सरकारी कम्पनियों/कार्यालयों को पूर्णतः या आंशिक रूप से स्थानान्तरित करने का निर्णय लिया गया था, जिसके ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। सम्पदा निदेशालय ने उन्हें नोटिस जारी किए हैं तथा यथा समय पर उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी।

विवरण

उन सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों/सरकारी कम्पनियों जिन्हें दिल्ली से बाहर स्थानान्तरित किया जा सकता है

क्र० सं०	सार्वजनिक क्षेत्र कार्यालय/उपक्रमों का नाम	उस कार्यालय का स्तर जिन्हें स्थानान्तरित किया जाना है	टिप्पणी
1	2	3	4
1.	नेशनल सीड्स कारपोरेशन लिमिटेड	मुख्यालय	
2.	स्टेट फार्म्स कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड	मुख्यालय	
3.	सैन्ट्रल वेयरहाउसिंग कारपोरेशन	क्षेत्रीय कार्यालय तथा कन्सट्रक्शन सैल	क्षत्रीय कार्यालय और कन्सट्रक्शन सैल दिल्ली से बाहर स्थानान्तरित किया जाये।
4.	फूड कारपोरेशन आफ इंडिया	केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान और क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तरी)	केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान और क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तरी) दिल्ली से बाहर स्थानान्तरित किया जाय।
5.	हास्पिटल सर्विस कन्सलटेन्सी कारपोरेशन इण्डिया लि०	मुख्यालय	
6.	वायुदूत	मुख्यालय	
7.	हैलीकाप्टर कारपोरेशन आफ इंडिया	मुख्यालय	
8.	एयरलाइन्स एलाईड सर्विस लि०	मुख्यालय	

1	2	3	4
9.	नेशनल एयरपोर्ट अथारिटी आफ इंडिया	मुख्यालय	शीघ्र ही दिल्ली से बाहर वैकल्पिक स्थान का पता लगाया जाय और कार्यालय काम्प्लेक्स आदि के निर्माण के लिए योजनायें आरम्भ की जाएं। इसके लम्बित रहने तक दिल्ली में आगे किसी विस्तार की अनुमति न दी जाय।
10.	नेशनल स्माल इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लि०	क्षेत्रीय कार्यालय	क्षेत्रीय कार्यालय को दिल्ली से बाहर स्थानान्तरित किया जाय।
11.	नेशनल फर्टीलाईजर लि०	मुख्यालय	पुर्नसंगठन के परिणामस्वरूप कार्यालय को दिल्ली से बाहर स्थानान्तरित करने का पहले ही प्रस्ताव है जो अलग से विचाराधीन है। दिल्ली से बाहर स्थानान्तरित करने का कार्य शीघ्र किया जाय।
12.	फर्टीलाईजर कारपोरेशन आफ इंडिया	मुख्यालय	—वही—
13.	हिन्दुस्तान फर्टीलाईजर कम्पनी लि०	मुख्यालय	जैसा ऊपर दिया गया है।
14.	पाइराईटस, फासपेट्स एण्ड कैमिकल्स लि०	मुख्यालय	जैसा ऊपर दिया गया है।
15.	पारादीप फासपेट्स लि०	मुख्यालय	जैसा ऊपर दिया गया है।
16.	इण्डो-बर्मा पैट्रोलियम कम्पनी लि० (कैमिकल्स डिवीजन)	मुख्यालय	इस कार्यालय को दिल्ली से बाहर नोएडा में स्थानान्तरित करने का पहले ही निर्णय लिया गया है। स्थानान्तरण का कार्य शीघ्र किया जाय।

1	2	3	4
17.	नेशनल हाइड्रो-इलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन	मुख्यालय	इस कार्यालय में फरीदाबाद में स्थानान्तरित करने का प्रस्ताव है। स्थानान्तरण का कार्य शीघ्र किया जाय।
18.	नेशनल टैक्सटाईल्स कारपोरेशन (दिल्ली पंजाब तथा राजस्थान) लि०	क्षेत्रीय एकक	कारपोरेशन की अयोध्या मिल यूनिट दिल्ली में ही रहेगी। शेष कार्यालय जिसमें 150 व्यक्ति कार्यरत हैं, को दिल्ली से बाहर स्थानान्तरित किया जाय।
19.	मिनरल्स एण्ड मैटेल्स ट्रेडिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया लि०	मुख्यालय	मंत्रालय मुख्यालय के ऐसे डिविजनों का पता लगाये जिन्हें दिल्ली से बाहर स्थानान्तरित किया जाय।
20.	स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन आफ इंडिया लि०	मुख्यालय	मुख्यालय के डिविजनों जिन्हें दिल्ली से बाहर स्थानान्तरित किया जा सकता है, का पता लगाया जाय।
21.	नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लि०	मुख्यालय	ऐसे डिविजन का पता लगाया जाय जिन्हें दिल्ली से बाहर स्थानान्नरित किया जा सकता है।
22.	रूरल इलैक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन लि०	मुख्यालय	मंत्रालय मुख्यालय के ऐसे डिविजनों का पता लगाये जिन्हें दिल्ली से बाहर स्थानान्तरित किया जा सकता है।
23.	नेशनल प्रोजेक्ट कन्सट्रक्शन कारपोरेशन लि०	मुख्यालय	मंत्रालय इस बात की जांच करे कि स्वयं मुख्यालय या मुख्यालय के कुछ डिविजनों को दिल्ली से बाहर स्थानान्तरित किया जा सकता है।

1	2	3	4
24.	भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लि०	मुख्यालय	दिल्ली से जारी रहने की अनुमति दी जाय परन्तु दिल्ली में कर्मचारियों की संख्या को 2500 से 1200 तक हटाया जाय।
25.	सीमेन्ट कारपोरेशन आफ इण्डिया	मुख्यालय	दिल्ली में जारी करने की अनुमति दी जाय परन्तु दिल्ली में कर्मचारियों की संख्या को पर्याप्त रूप से कम किया जाया।
26.	भारत अल्यूनियम कम्पनी लि०	मुख्यालय	दिल्ली में जारी रखा जाय परन्तु आगे किसी विस्तार की अनुमति न दी जाय।
27.	नेशनल टैक्सटाईल कारपोरेशन लि०	मुख्यालय	कर्मचारियों की संख्या को लगभग 100 तक कम किया जा रहा है और शेष कार्यालय को दिल्ली में जारी रखने की अनुमति दी जा सकती है।
28.	इंडियान रोड कन्सट्रकशन कारपोरेशन लि०	मुख्यालय	निर्णय को आस्थगित रखा गया था क्योंकि कारपोरेशन को बन्द करने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

"डी० डी० ए० टु अलाऊ अपग्रेडिंग आफ फ्लैट्स" शीर्षक से समाचार

4940. **श्री कमला प्रसाद सिंह** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 21 मार्च, 1989 के "दि हिन्दुस्तान टाइम्स" में दिल्ली डिवलेपमेंट अथारिटी टू अलाऊ अपग्रेडिंग आफ फलैट्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो एम० आई० जी (हुडको) से "एस० एफ० एस०-VI" (श्रेणी II और III) में बदलने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाने का विचार है;

(ग) "एस० एफ० एस०-VI (श्रेणी II और III)" में आवंटन के लिए फ्लैट कब तक तैयार हो जायेंगे और क्या कोई अप्रैल अथवा मई, 1989 में परिवर्तन करा सकता है;

(घ) फ्लैट की अनुमानित लागत कितनी है तथा इसकी बनावट कैसी है;

(ङ) क्या इस योजना में किराया खरीद सुविधा भी उपलब्ध होगी; और

(च) यदि नहीं, तो उस समय-सारणी का ब्योरा क्या है जिसके अन्तर्गत भुगतान किया जायेगा ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) मध्यम आय वर्ग से स्व: वित्त पोषित योजना-(श्रेणी-II) अथवा स्व: वित्त पोषित योजना-VI (श्रेणी-III) में परिवर्तन की अनुमति मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने और प्रोसेसिंग शुल्क तथा ब्याज प्रभारों आदि सहित पंजीयन की राशि में अन्तर जमा करने की शर्त पर दी जाती है।

(ग) 30-9-88 की स्थिति के अनुसार, दिल्ली विकास प्राधिकरण की विभिन्न प्रकार की स्व: वित्त पोषित योजनाओं के अन्तर्गत निर्माणाधीन फ्लैटों की संख्या 9715 थी। ये सभी मकान मार्च, 1990 तक पूर्ण होने हैं। स्व. वित्त पोषित योजना के और फ्लैटों का निर्माण आरम्भ करने के लिए भूमि का पता लगाने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण में प्रयास किये जा रहे हैं। आशा है कि स्व. वित्त पोषित योजना-VI के पंजीकृत व्यक्तियों सहित सभी पंजीकृत व्यक्तियों को मार्च, 1994 तक मकान उपलब्ध करा दिये जायेंगे।

(घ) दक्षिणी दिल्ली, उत्तरी/पश्चिमी दिल्ली और पूर्वी दिल्ली में सम्भावित लागत कुर्सी क्षेत्रफल का क्रमश: लगभग 3000 रुपये, 2950 रुपये और 2900 रुपये प्रति वर्ग मीटर होगी। इसमें स्कूटर/कार गैराज की लागत शामिल नहीं है। सामग्री, श्रम आदि की लागत में और वृद्धि अतिरिक्त होगी।

(ङ) जी, नहीं।

(च) किसी व्यक्ति को स्व: वित्त पोषित योजना का फ्लैट नियतित किये जाने के पश्चात उसे निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार अनुमानित लागत का भुगतान करने के लिये कहा जायेगा :—

(1) 25% आवंटन नियतन पर (प्रारम्भिक जमा के रूप में जमा की गई राशि सहित)

(2) 20% 6 माह के पश्चात

(3) 25% अगले 6 माह के पश्चात

(4) 20% अगले 6 माह के पश्चात

(5) 10% कब्जा लेते समय। मांग तथा आवंटन पत्रों में वह निर्धारित तारीखें दी गई होती हैं जब तक उपर्युक्त वर्णित प्रथम चार किस्तों के सम्बन्ध में भुगतान करना होता है। अन्तिम विक्रय लागत के आधार पर एक नया मांग-पत्र अलग से जारी किया जाता है।

आन्ध्र प्रदेश में वन क्षेत्र

4941. **श्री सोडे रमैया**: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नवीनतम उपग्रह सर्वेक्षण से प्राप्त जानकारी के अनुसार आन्ध्र प्रदेश में कुल वन-क्षेत्र कितना है;

(ख) राज्य में वनरोपण का विस्तार करने के लिये क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ग) इस प्रयोजन हेतु वर्ष 1989-90 के दौरान कितनी वित्तीय सहायता देने का विचार है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) उपग्रह प्रतिबिम्बिकी का प्रयोग करके भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा किए गए अध्ययनों के अनुसार वर्ष 1981-83 में आन्ध्र प्रदेश में कुल वन क्षेत्र 50,194 वर्ग किलोमीटर था जो कि राज्य में कुल भौगोलिक क्षेत्र का 18.13% है।

(ख) आन्ध्र प्रदेश में वृक्षावरण क्षेत्र में वृद्धि करने के लिए विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित/राज्य क्षेत्र की वनरोपण की स्कीमें कार्यान्वित की जा रही हैं। राज्य में कनाडा की अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी (सीडा) की वित्तीय सहायता से एक विदेशी सहायता प्राप्त सामाजिक वानिकी परियोजना भी कार्यान्वित की जा रही है। सातवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम चार वर्षों के दौरान कुल 5.82 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में वन लगाए गए हैं।

(ग) 1989-90 के लिए आन्ध्र प्रदेश सहित राज्यवार वित्तीय आवंटन को अन्तिम रूप दिया जाना है।

"दिल के वाल्व" का विकास

4942. **श्री पी० आर० कुमारमंगलम** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में 11 वर्षों के अनुसंधान और विकास कार्यों के बाद एक "दिल का वाल्व" विकसित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) जी, हां।

(ख) प्रोस्थेटिक वाल्व के विकास पर एक केन्द्र अनुसंधान कार्य कर रहा है। डा० एम० एस० वलियथन, निदेशक, श्री चैत्र-तिरुनल, आयुर्विज्ञान संस्थान, त्रिवेन्द्रम ने यह वाल्व तैयार किया है और इसका भेड़ों और मनुष्यों पर सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। यह एक डिस्क वाल्व

है जो बजाकं शीले वाल्व के समान है जिसका हमारे देश में प्रतिस्थापन के लिए आमतौर पर आयात किया जाता है।

केवल केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लिए ही प्रयोगशाला

4943. **श्री राम पूजन पटेल** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खरीदी गई दवाइयों की जांच के लिए केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की अपनी कोई प्रयोगशाला नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लिए एक विशेष प्रयोगशाला स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो कब तक ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) फार्मूलरी में शामिल सभी एलोपैथिक औषधियां चिकित्सा सामग्री भण्डार से प्राप्त की जाती हैं जो कि शत-प्रतिशत पूर्व परीक्षित एलोपैथिक औषधें सप्लाई कर रहे हैं। भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी की ऐसी औषधें जो फार्मूली में शामिल हैं, इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल कारपोरेशन लिमिटेड (भारत सरकार का उपक्रम) तथा केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत रजिस्टर्ड फर्मों से प्राप्त की जाती है। आयुर्वेदिक और यूनानी औषधों की गुणवत्ता की जांच के लिए आर्गेनोलिप्टिक विधि अपनाई जाती है जबकि होम्योपैथिक औषधियों का परीक्षण उनकी आपूर्ति को स्वीकार करने से पहले होम्योपैथिक भेषज संहिता प्रयोगशाला गाजियाबाद में कराया जाता है।

केण्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की प्रयोगशालाएं खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के फार्मासिस्टों द्वारा भूख हड़ताल और धरने का नोटिस

4944. **श्री राम पूजन पटेल** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना फार्मासिस्ट्स एसोसिएशन आफ इंडिया से ज्ञापन प्राप्त हुआ है जिसमें उन्होंने अपनी मांगें पूरी न होने के विरोध में भूख हड़ताल करने और धरना देने का इरादा व्यक्त किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के धरनों से बचने तथा फार्मासिस्टों की मांगों को पूरा करने के संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाये हैं;

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) और (ख) जी, हां। उनकी मांगों पर संबंधित मंत्रालयों/विभागों के साथ परामर्श करके विचार किया जा रहा है।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग पूछताछ कार्यालय द्वारा शिकायतों के समाधान में विलम्ब किया जाना

4945. श्री राम पूजन पटेल : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के दिनांक 13 मई, 1980 के ज्ञापन संख्या 6/4/79-डब्ल्यू० आई० (डी० जी०) के अनुसार केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के पूछताछ कार्यालय को प्राप्त शिकायतों के समाधान के लिये कोई समय सीमा निर्धारित की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) नवम्बर और दिसम्बर, 1988 के दौरान के० लो० नि० वि० के बसन्त विहार कम्प्लेक्स स्थित पूछताछ कार्यालय में कितनी शिकायत दर्ज की गई और उनका समाधान करने में कितना समय लगा;

(ग) 1 नवम्बर, 1988 और 1 दिसम्बर, 1988 को दर्ज उन शिकायतों की संख्या कितनी है, जिन पर पूछताछ कार्यालय ने 20 दिसम्बर, 1988 के बाद कार्यवाही की;

(घ) सम्बद्ध विभिन्न अधिकारियों को शिकायतों पर कार्यवाही करने में विलम्ब किये जाने और शिकायत-पुस्तिकाओं में झूठे हस्ताक्षर दिखाकर शिकायतों पर कार्यवाही किये जाने के बारे में कितने अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ङ) सम्बद्ध जूनियर इंजीनियरों/सहायक इंजीनियरों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग)	दिनांक	दर्ज की गई शिकायतों की संख्या	उनमें से 20-12-88 के बाद निपटाई गई शिकायतों की संख्या
	1-11-88	21	2
	1-12-88	26	1

(घ) शिकायतों को विलम्ब से दूर करने के सम्बन्ध में चार अभ्यावेदन तथा कर्मचारियों को नोट बुक में जाली हस्ताक्षरों के सम्बन्ध में एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था।

(ङ) चूंकि, किसी कनिष्ठ इंजीनियर या सहायक इंजीनियर को दोषी नहीं पाया गया था, इसलिये उनके विरुद्ध कारंवाई करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

महीना	शिकायतों की कुल संख्या	दूर की गई शिकायतों की संख्या चार दिन के भीतर	4-10 दिनों में	10-20 दिनों में	20-30 दिनों में	एक माह से अधिक समय में	अभी भी लंबित पड़ी शिकायतों की संख्या
नवम्बर, 88	686	627	27	21	8	2	1
दिसम्बर, 88	688	643	20	13	9	—	3

औषधीय पौधे

4946. **श्री हरिहर सोरन** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बागवानी फार्मों तथा वनों में औषधीय पौधे उगाने की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) औषधीय पौधों की खेती हेतु राज्य-वार कितनी राशि दी गई है; और

(घ) राज्य सरकारों द्वारा इस दिशा में गत तीन वर्षों के दौरान की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) और (ख) जी, हां । केन्द्र सरकार ने चालू वर्ष से लघु वन्य उत्पादों को उगाने के लिए, जिनमें औषधीय पौधे भी शामिल हैं, एक केन्द्रीय प्रायोजित परियोजना शुरू की है, जिसके अन्तर्गत राज्य सरकारों को सम्पूर्ण वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई है, जिसकी अधिकतम धनराशि 10,000 रुपए प्रति हैक्टेयर होगी ।

(ग) और (घ) उक्त परियोजना के अन्तर्गत प्रदान की गई केन्द्रीय सहायता का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है ।

विवरण

क्रम संख्या	राज्य का नाम	वर्ष 1988-89 के दौरान दी गई धनराशि
1	2	3
		(लाख रुपयों में)
1.	असम	1.44
2.	कर्नाटक	16.50
3.	केरल	0.20
4.	मेघालय	32.70

1	2	3
5.	नागालैण्ड	10.00
6.	उड़ीसा	20.625
7.	राजस्थान	5.00
8.	त्रिपुरा	1.80
9.	पश्चिम बंगाल	12.65
	कुल :	100.915

शहरी उपभोक्ता सहकारी स्टोर

4947. **श्री हरिहर सोरन :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्य सरकारों से शहरी उपभोक्ता सहकारी स्टोरों की स्थापना करने का अनुरोध किया है और उन्हें इस प्रयोजनार्थ केन्द्रीय सहायता देने का आश्वासन दिया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा सरकार से इस संबंध में प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रयोजन के लिए उक्त अवधि के दौरान उड़ीसा को कितनी केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री डी० एल० बैठा) : (क) भारत सरकार शहरी क्षेत्रों में उपभोक्ता सहकारी समितियों के विकास के लिए केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत वित्तीय सहायता प्रदान करती है। यह अनुपूरक स्वरूप की होती है तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परियोजना के आधार पर निर्मुक्त की जाती है। योजना के अन्तर्गत निधि निर्मुक्त करने से पूर्व एक छानबीन समिति द्वारा प्रस्ताव की जांच की जाती है।

(ख) और (ग) विगत तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा को एक बहु-विभागी भण्डार, 8 छोटी शाखाएं खोलने तथा एक थोक सोसाइटी की पुनः स्थापना के लिए 11.93 लाख रुपये की राशि प्रदान की गई है।

गांवों में ईंधन लकड़ी के लिए वृक्षारोपण

4948. **श्री हरिहर सोरन :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्रीय सरकार ने विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा गांवों में ईंधन की लकड़ी के लिए वृक्षारोपण कार्यक्रम को लागू करने हेतु सातवीं योजना के प्रथम चार वर्षों में की गई कार्यवाही की कोई समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में विभिन्न राज्य सरकारों का कार्य निष्पादन कैसा है; और

(ग) इन राज्यों में ईंधन हेतु लकड़ी की अनुमानित मांग कितनी है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) जी हां, । वर्ष 1985-86 से

1978-89 तक के दौरान ग्रामीण ईंधन लकड़ी के वृक्ष उगाने के लिए केन्द्रीय प्रायोजित परियोजना की समीक्षा की गई है।

(ख) उक्त योजना के अन्तर्गत वर्ष 1985-86 से 1987-88 तक के दौरान राज्यवार कार्य-निष्पादन संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) योजना आयोग द्वारा गठित ईंधन लकड़ी अध्ययन समिति ने 1982 में अनुमान लगाया था कि देश के सभी राज्यों में ईंधन लकड़ी की कुल मांग लगभग 133 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष है। ऊर्जा सलाहकार बोर्ड के अनुसार 2004-05 वर्षों में ईंधन लकड़ी की कुल मांग लगभग 300 मिलियन मीट्रिक टन होगी।

विवरण

वर्ष 1985-86 से 1987-88 के दौरान ग्रामीण ईंधन लकड़ी वृक्षारोपण परियोजना के अन्तर्गत कार्य निष्पादन

क्र०सं० राज्य/संघ शासित क्षेत्र	वास्तविक वृक्षारोपण) (है में)		वित्तीय* (लाख रु० में)	
	लक्ष्य	उपलब्धि	परिव्यय	व्यय
1 2	3	4	5	6
1. आंध्र प्रदेश	12780	9169	714.00	578.71
2. अरुणाचल प्रदेश	845	785	25.77	17.00
3. असम	13800	13800	722.80	680.69
4. बिहार	27125	27125	994.00	940.00
5. गोआ	1210	1210	41.28	30.02
6. गुजरात	9500	7598	567.34	484.73
7. हरियाणा	7750	6150	386.83	371.22
8. हिमाचल प्रदेश	11884	10671	611.10	496.02
9. जम्मू एवं कश्मीर	3617	3579	147.04	132.32
10. कर्नाटक	8040	7452	660.70	531.46
11. केरल	13184	5262	560.00	186.48
12. मध्य प्रदेश	19780	19133	994.78	852.89
13. महाराष्ट्र	1026	1234	289.32	168.02
14. मणिपुर	7975	8020	300.51	298.04
15. मेघालय	4773	4826	400.06	264.08

1	2	3		5	6
16.	मिजोरम	12176	12176	337.30	329.66
17.	नागालैंड	19380	19330	485.00	465.95
18.	उड़ीसा	24153	20209	852.03	721.26
19.	पंजाब	15285	15289	880.00	803.26
20.	राजस्थान	20200	20200	683.14	683.14
21.	सिक्किम	2650	3050	150.55	95.59
22.	तमिलनाडु	12912	11402	509.99	373.60
23.	त्रिपुरा	7900	7889	250.00	250.05
24.	उत्तर प्रदेश	17656	17660	1140.96	1095.80
25.	पश्चिमी बंगाल	3600	3596	167.65	155.40
26.	दिल्ली	995	914	43.33	31.72
	योग	280206	257729	12915.48	11037.11

*केन्द्र और राज्य दोनों का हिस्सा शामिल है ।

आयोडीन की कमी दूर करना

4949. **श्री सैयद शाहबुद्दीन : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समग्र रूप से जनसंख्या आयोडीन की कमी की अनुमानतः कितनी घटनाएं हुई हैं;

(ख) क्या सारे देश में आयोडीन-युक्त नमक उपलब्ध कराया गया है;

(ग) क्या समस्या से निपटने के लिए आयोडीन-युक्त तेल उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) क्या निर्धारित समय-सीमा के अन्तर्गत आयोडीन की कमी को दूर करने और इस पर नियन्त्रण पाने के लिए कोई अन्य कदम उठाए जायेंगे ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) देश में किये गये नमूना सर्वेक्षणों के आधार पर अनुमान है कि 1730 लाख लोग आयोडीन की कमी से ग्रस्त होने वाले जाने-पहचाने क्षेत्रों में रह रहे हैं जिनमें से लगभग 430 लाख लोगों का आयोडीन की कमी से होने वाले विभिन्न प्रकार के विकारों से ग्रस्त होने का अनुमान है ।

(ख) जम्मू व कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, चण्डीगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, असम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, और मणिपुर राज्य सरकारों को, जिन्होंने अपने समस्त राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में आयोडीकृत न किये गये नमक की बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगाया है, खाने के प्रयोजनों के लिए केवल आयोडीकृत नमक की आपूर्ति

की जा रही है। पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, और गुजरात राज्यों सरकारों को भी, जिन्होंने अपने कुछ जिलों में आयोडीकृत न किए गए नमक की बिक्री पर प्रतिबन्ध लगाया है, आयोडीकृत नमक की आपूर्ति की जा रही है। इसके अलावा देश में अन्य क्षेत्रों को भी, जिन्हें अधिसूचित नहीं किया गया है, आयोडीकृत नमक दिया जा रहा है। 1988-89 के दौरान आयोडीकृत नमक के 22.00 लाख टन के लक्ष्य के मुकाबले अप्रैल, 1988 से जनवरी, 1989 तक की अवधि के दौरान 17.10 लाख टन नमक का उत्पादन किया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) आयोडीकृत नमक का सेवन गलगण्ड और आयोडीन की कमी से होने वाले अन्य विकारों के नियन्त्रण के लिए सरल और सबसे सस्ता तरीका है। इस समस्या की व्यापकता को देखते हुए भारत सरकार ने देश में खाने के समस्त नमक का क्रमिक रूप से व्यापक आयोडीकरण करने की एक योजना शुरू की है जो 1992 तक पूरी होगी।

रोगों का उन्मूलन

4950. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन बीमारियों के नाम क्या हैं जिन्हें इस बीच देश से पूर्णतया समाप्त कर दिया गया है;

(ख) क्या गत तीन वर्षों के दौरान भारत में चेचक का कोई मामला प्रकाश में आया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) चेचक का देश से पूर्ण उन्मूलन किया जा चुका है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा विकलांग व्यक्तियों को दुकानों का आबंटन

[हिन्दी]

4951. **श्री राम रतन राम** : क्या **शहरी विकास मन्त्री** दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा विकलांग व्यक्तियों को दुकानों का आवंटन के बारे में 30 नवम्बर, 1987 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3526 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 95 आवेदकों में से उन विकलांग व्यक्तियों के नाम क्या है जिन्हें दुकानें आबंटित की गई हैं और आवंटन के लिए किस तारीख को ड्रा निकाला गया था; और

(ख) इस मामले में यदि कोई विलम्ब हुआ है तो उसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) सर्वश्री

1. अमर सिंह

2. रणबीर सिंह

3. गंगा दत्त शर्मा

4. रघुबीर सिंह

5. कंवर सिंह

इन व्यक्तियों को दिल्ली के उप-राज्यपाल द्वारा अनुकम्पा आधार पर स्टाल/दुकानों का आवंटन किया गया है क्योंकि कोई लाटरी नहीं निकाली गई थीं।

(ख) शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित कोटा पहले ही समाप्त हो गया है। इसलिए अनुकम्पा के आधार पर दुकानों के आवंटनार्थ सभी आवेदन पत्रों की जांच की जानी है।

साजूर मोरे, मुर्शिदाबाद (पश्चिम बंगाल) में बीड़ी कामगारों के लिए अस्पताल

[अनुवाद]

4952. **श्री आयनल अबेदिन** : क्या श्रम मन्त्री साजूर मोरे, मुर्शिदाबाद (पश्चिम बंगाल) में बीड़ी मजदूरों के लिए अस्पताल के बारे में 15 मार्च, 1989 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2710 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उपरोक्त अस्पताल की आधारशिला रख दी गई है; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) भूमि के अर्जन मूल्य समेत इस अस्पताल के निर्माण पर अनुमानतः कितनी धनराशि खर्च होगी; और

(ग) इस हेतु सरकार द्वारा कितना भू-क्षेत्र अर्जित किया जाएगा ?

श्रम मन्त्रालय में उप-मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राधा किशन मालवीय) : (क) जी, हां। साजूर मोरे में 8-8-1986 को आधारशिला रख दी गई थी।

(ख) और (ग) अस्पताल के विनिर्माण, या भूमि के अधिग्रहण लागत के लिए अनुमान तैयार नहीं किए गये है क्योंकि अनुमान के आधार के लिए विस्तृत सर्वेक्षण और आंकड़े अपेक्षित हैं जो कि अभी तक उपलब्ध नहीं है।

सोयाबीन के तेल का कारखाना

4953. **डा० बी० एल० शैलेश** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सोयाबीन के तेल के प्रसंस्करण और शोधन के लिए कोई परियोजना तैयार की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) उक्त परियोजना कहां स्थापित की जाएगी और इस पर कितना पूंजी-निवेश किया जाएगा;

(घ) इस परिष्कृत तेल की बिक्री किस एजेन्सी के माध्यम से की जाएगी; और

(ङ) यह हरियोजना कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री डी० एल० बैठा) : (क) से (ङ) देश में निजी तथा सरकारी क्षेत्रों में सोयाबीन तेल के संसाधन तथा परिष्करण के लिए बहुत-सी परियोजनाएं तैयार की गई हैं। इन परियोजनाओं में से अधिकांश परिष्कृत सोयाबीन तेल, सोया-चूर्ण और खाद्य सोया आटे के उत्पादन से सम्बन्ध रखती हैं। कुछ परियोजनाओं में सोयाबीन लेसीथीन, टेक्सचराइल्ड सोयाबीन प्रोटीन और सोया दुग्ध आदि भी तैयार किया जाता है। इनमें से परियोजनाएं मध्य प्रदेश में स्थित हैं।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हिन्दुस्तान वेजीटेबल आयल्स कार्पोरेशन द्वारा भी एक परियोजना तैयार की गई है तथा उत्तर प्रदेश में परिष्कृत सोयाबीन तेल, सोया चूर्ण, खाद्य श्रेणी का सोया आटा, टेक्सचराइल्ड सोया प्रोटीन, सोया दाल और सोया दुग्ध तैयार करने के लिए, सोया। बीन के रूप में 45,000 मी० टन की वार्षिक क्षमता वाले एक सोयाबीन संस्थान एकक की स्थापना के लिए आशय-पत्र जारी किया गया है। इस परियोजना का पूंजीगत परिव्यय लगभग 7 करोड़ रु० है। तथापि, यह परियोजना अभी तक कार्यान्वित नहीं की गई है।

खाद्य तेलों का स्टाक करने के लिए भण्डारण सुविधा

4954. **डा० बी० एल० शैलेश : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के खाद्य तेलों का स्टाक करने के लिए पर्याप्त भंडारण सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं और कभी-कभी व्यापारियों अथवा सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा इसे उठाने में असमर्थ होने के कारण यह नष्ट हो जाता है; और

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति से निपटने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री डी० एल० बैठा) : (क) और (ख) आयातित खाद्य तेलों के लिए उनकी मासिक आवक तथा आवंटनों के अनुरूप पर्याप्त भण्डारण सुविधाएं मौजूद हैं। लंबे समय तक भण्डारण से कभी-कभी तेलों की विशिष्टताओं/विशिष्टियों पर प्रभाव पड़ता है, जिन्हें आवश्यक संसाधन के बाद उपभोग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।

मेडिकल कालेजों के लिए स्वीकृति देने संबंधी महाराष्ट्र सरकार का सुझाव

4955. **श्री प्रकाश बी० पाटिल : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय चिकित्सा परिषद भारत में बिना अनुदान आधार पर गैर-सरकारी मेडिकल संस्थानों को स्वीकृति देता है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार को विभिन्न राज्यों से कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं और निर्णयाधीन पड़े हैं;

(ग) क्या महाराष्ट्र सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई विशेष सुझाव दिया है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या महाराष्ट्र सरकार का अनुरोध मान लिया गया है; और यदि नहीं तो उस पर कब तक निर्णय लिया जाएगा ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) और (ख) भारत सरकार की नीति यह है कि अर्हता प्राप्त चिकित्सकों की पर्याप्त संख्या में उपलब्धता को देखते हुए नये मेडिकल कालेज खोलने की अनुमति न दी जाए। कोई प्राइवेट मेडिकल संस्थान खोलने की अनुमति के लिए किसी भी राज्य सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है। आयुर्विज्ञान परिषद मान्यता प्राप्त डिग्री देने के प्रयोजन के लिए विभिन्न मेडिकल कालेजों को उनमें उपलब्ध सुविधाओं के निरीक्षण करने के बाद मान्यता देती है।

(ग) महाराष्ट्र सरकार ने भारत सरकार को सूचित किया है कि राज्य सरकार मेडिकल कालेज शुरू करने के लिए निजी संस्थानों से प्राप्त अनुरोधों की जांच करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की है।

(घ) इस विषय में महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा कोई विशेष अनुरोध नहीं किया गया है। तथापि, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम. 1986 के प्रस्तावित संशोधन के प्रावधानों जो संसद की एक संयुक्त चयन समिति के सामने रखे गये हैं, के अनुसार कोई भी मेडिकल कालेज भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद और केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं खोला जाना चाहिए।

महाराष्ट्र में एड्स परीक्षण केन्द्र खोलना

4956. **श्री प्रकाश बी० पाटिल** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि एड्स के रोगियों का पता लगाने के लिए महाराष्ट्र में, विशेष रूप से बम्बई में, कितने केन्द्र खोले गये हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : इस समय महाराष्ट्र में एक रेफरल केन्द्र सहित 6 निगरानी केन्द्र कार्य कर रहे हैं। इनमें से 3 केन्द्र बम्बई में, 2 पुणे में और एक नागपुर मे।

राज्य सरकार भी रक्तदाताओं की स्क्रीनिंग के लिए निम्नलिखित अतिरिक्त केन्द्र खोल रही है—

बम्बई : एल० टी० एम० जी० मेडिकल कालेज

जे० जे० अस्पताल

नायर अस्पताल

हेफकिन संस्थान

टाटा मेमोरियल अस्पताल

कपूर अस्पताल

राजाबाड़ी अस्पताल

रेडक्रास

पश्चिम विहार में अनधिकृत निर्माण

4957. **श्रीमती प्रभावती गुप्त** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा पश्चिम बिहार, दिल्ली के सेक्टर-ए में कुछ प्लाटों का आबंटन अब तक नहीं किया गया है, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या समीप के प्लाट धारकों ने उन पर दुकानों का निर्माण अनधिकृत रूप से कर लिया है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

ताप विद्युत संयंत्रों द्वारा वायुमण्डल में हाइड्रो कार्बन के फैलने को रोकने के उपाय

4958. **डा० दिग्विजय सिंह :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ताप विद्युत संयंत्रों से अगले दशक में वायुमंडल में कुल कितनी मात्रा में हाइड्रोकार्बन फैलने की सम्भावना है;

(ख) इसके परिणामस्वरूप वायुमंडल में हाइड्रोकार्बन के फैलने की सम्भावना को समाप्त करने के लिए क्या निवारक उपाय किए गए हैं अथवा उनमें सुधार किया गया है; और

(ग) इस स्थिति से निपटने के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) ताप विद्युत संयंत्रों से बहुत कम मात्रा में हाइड्रोकार्बन फैलेगा।

(ख) हाइड्रोकार्बन फैलने से अम्लीय वर्षा नहीं होती है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

वस्त्र का उत्पादन और खपत

4959. **श्री अनन्त प्रसाद सेठी :** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न कपड़ा मिलों द्वारा कितने प्रकार के और कितनी मात्रा में वस्त्रों का उत्पादन किया गया;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान कितने प्रकार के और कितनी मात्रा में वस्त्रों का निर्यात किया गया;

(ग) चालू वर्ष के दौरान वस्त्रों की खरीद के लिए विदेशों से कितने क्रयादेश प्राप्त हुए, और देश में वस्त्रों की वार्षिक खपत कितनी है;

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान सूती और रेयन के धागों के मूल्यों की स्थिति क्या रही है;

(ङ) क्या खुले बाजार में वस्त्रों के मूल्यों में गिरावट आई है; और

(च) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान कितनी मिलों ने लाभ अर्जित किया है ?

वस्त्र मंत्री तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (च) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

परम्परागत चिकित्सा पद्धति को सुदृढ़ बनाना

4960. डा० जी० विजय रामा राव : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सरकार द्वारा चलाए जा रहे एलोपैथिक प्राइमरी स्वास्थ्य केन्द्रों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ख) क्या प्रत्येक ग्रामीण समुदाय में अपनी स्थानीय, आत्मनिर्भर एवं सुस्थापित परम्परागत उपचार पद्धतियां हैं जिन्हें वहां लोगों द्वारा बड़े पैमाने पर अपनाया जाता है; और यदि हां, तो उन्हें लिपिबद्ध करने और उनका मूल्यांकन करने के लिए यदि कोई सर्वेक्षण कराया गया है, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसी परम्परागत स्वास्थ्य चिकित्सा पद्धतियों को सुदृढ़ बनाने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं, और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) इस मंत्रालय को किसी परम्परागत उपचार पद्धति का ज्ञान नहीं है, सिवाय इसके कि बहुत से स्थानों पर जनजातियों और ग्रामीणों को कुछ लोकवार्ता पर आधारित दावों के बारे में जानकारी है। आयुर्वेद, सिद्ध और होम्योपैथी अनुसंधान परिषदों द्वारा लोकवार्ता पर आधारित इन दावों के बारे में सूचना एकत्र की गई है।

(ग) भारतीय चिकित्सा पद्धतियों को स्वास्थ्य परिचर्या पद्धति के रूप में विकसित किया जा रहा है और पूरे देश में इन पद्धतियों के बहुत से अस्पताल और औषधालय कार्य कर रहे हैं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

देश में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जनवरी, 1989 की स्थिति के अनुसार

क्र०सं०	राज्य	1-4-85 को कार्यरत केन्द्रों की संख्या	जनवरी, 1989 तक 7वीं योजना की उपलब्धियां	जनवरी, 1989 तक संचयी उपलब्धियां
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	555	728	1283
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	21	21
3.	असम	237	200	437
4.	बिहार	796	759	1555
5.	गोवा दमन व द्वीव	15	4	19
6.	गुजरात	310	358	668

1 2	3	4	5
7. हरियाणा	163	141	304
8. हिमाचल प्रदेश	117	43	160
9. जम्मू व कश्मीर	123	136	259
10. कर्नाटक	365	266	631
11. केरल	199	513	712
12. मध्य प्रदेश	680	354	1034
13. महाराष्ट्र	1339	0	1539
14. मणिपुर	31	20	51
15. मेघालय	32	24	56
16. मिजोरम	19	13	32
17. नागालैंड	21	6	27
18. उड़ीसा	484	305	789
19. पंजाब	1706	150	1856
20. राजस्थान	448	150	598
21. सिक्किम	18	2	20
22. तमिलनाडु	436	402	838
23. त्रिपुरा	32	17	49
24. उत्तर प्रदेश	1169	1386	2555
25. पं० बंगाल	1172	239	1411
26. पांडिचेरी	14	4	18
27. अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	6	7	13
28. चण्डीगढ़	0	0	0
29. दादरा व नागर हवेली	3	1	4
30. दिल्ली	8	0	8
31. लक्षद्वीप	7	0	7
योग	10705	6249	16954

फुलवाड़ी काटन मिल्स को सहायता

4961. **डा० सी० पी० ठाकुर** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का फुलवाड़ी काटन मिल्स को आर्थिक दृष्टि से पुनः सक्षम बनाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इसके लिए कितनी सहायता दी गई है/देने का विचार है ?

वस्त्र मंत्री तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) मिलों के पुनरुद्धार संबंधी निर्णय उनकी अर्थक्षमता पर निर्भर करती है जो कि नोडीय अभिकरण/औद्योगिक व वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के समक्ष प्रमाणित की जाती है। नोडीय अभिकरण द्वारा फूलवारी शरीफ की बिहार काटन मिल को गैर-अर्थक्षम पाया गया है। इसलिए नोडीय अभिकरण ने पुनर्स्थापन पैकेज नहीं बनाया है।

भारतीय रुई निगम के अधिकारियों के विरुद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरो की जांच

4962. **श्री बी० श्रीनिवास प्रसाद** :
श्री अतीश चन्द्र सिन्हा :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केन्द्रीय जांच ब्यूरो की वह रिपोर्ट प्राप्त हुई है जिसमें भारतीय रुई निगम लिमिटेड द्वारा दो वर्ष पहले किये गये निर्यात की जांच की गई है;

(ख) क्या इस मामले में मंत्रालय के कुछ उच्च अधिकारियों के आचरण पर सन्देह व्यक्त किया गया है तथा उनकी जांच की गई है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निवारक अथवा दण्डात्मक कार्यवाही का विचार है ?

वस्त्र मंत्री तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, हां।

(ग) सरकार ने पहले ही एक विस्तृत निर्यात प्रक्रिया निर्धारित कर दी है। अगली कार्रवाई सी० बी० आई० द्वारा की गई जांच पड़ताल की रिपोर्ट पर निर्भर करेगी।

राष्ट्रीय कपड़ा निगम की मिलों द्वारा कपड़े का उत्पादन

4963. **श्री बी० तुलसीराम** :
श्री लक्ष्मण मलिक :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए 20,000 मिलियन मीटर कपड़े का उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां, तो आठवीं योजना अवधि के दौरान वर्षवार राष्ट्रीय कपड़ा निगम द्वारा

कपड़े का उत्पादन का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ग) सस्ते कपड़े का, वर्ष-वार, कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाएगा;

(घ) यह लक्ष्य सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए निर्धारित लक्ष्य से कितना अधिक है; और

(ङ) इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

वस्त्र मंत्री तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग) योजना आयोग ने अभी तक आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कपड़े के उत्पादन के लक्ष्य को अन्तिम रूप नहीं दिया है।

(घ) से (ङ) उपर्युक्त भाग (क) से (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

भारत पर्यटन विकास निगम में कार्यरत महिला कर्मचारी

4964. **श्री जगन्नाथ पटनायक :**
श्री परसराम भारद्वाज :
श्री आर० एम० भोये :

क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत पर्यटन विकास निगम में कार्यरत वे कर्मचारी विशेषकर महिला कर्मचारी जो कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत आते हैं; बीमारी की अवधि के दौरान अपने वेतन और छुट्टियों का नुकसान उठाते हैं चाहे इस अनुपस्थिति के लिए सरकारी अस्पताल के किसी डाक्टर का चिकित्सा प्रमाणपत्र ही क्यों न दिया गया हो;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसे चिकित्सा प्रमाण पत्रों को भारत पर्यटन-विकास निगम के प्राधिकारियों द्वारा मान्य और प्रतिपूर्ति प्रयोजन के लिए कर्मचारी राज्य बीमा द्वारा मान्यता नहीं दी जाती है और कर्मचारियों को अपेक्षित लाभ नहीं मिलता है;

(ग) क्या भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा भेजे गए मामलों को कर्मचारी राज्य बीमा के प्राधिकारियों द्वारा किसी न किसी बहाने से उन पर कार्यवाही नहीं की जाती; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा भारत पर्यटन विकास निगम और कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अस्पतालों को सरकारी अस्पतालों द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाणपत्रों को मानने के लिए, आवश्यक निदेश जारी करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

श्रम मंत्रालय में उप मन्त्री तथा संसदीय कार्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री राधा किशन मालवीय) : (क) से (घ) भारतीय पर्यटन विकास निगम के होटल कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अन्तर्गत आते हैं। इसलिए, 1600 रुपये प्रति माह से अनधिक वेतन प्राप्त करने वाले होटल कर्मचारी अधिनियम के सीमा क्षेत्र में आएंगे। ऐसे कर्मचारियों को छुट्टी की मंजूरी आदि के लिए अपने कर्मचारी राज्य बीमा औषधालयों/अस्पताल में अधिकृत चिकित्सा अधिकारियों से प्राप्त चिकित्सा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित होता है। इसलिए, सरकारी अस्पतालों के किसी विशेषज्ञ के चिकित्सा निर्देशन को स्वीकार करने का प्रश्न सामान्यतया उनके मामले में उत्पन्न नहीं होता है। तथापि, अत्यधिक आपातकालीन मामलों में सरकारी तथा अन्य अस्पतालों के चिकित्सा

अधिकारियों द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाणपत्रों क० रा० बी० योजना के अन्तर्गत नकद लाभों को प्रदान करने के लिए स्वीकार किया जाता है।

पंजाब में वृक्षारोपण

4965. **श्री कमल चौधरी** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने 31 दिसम्बर, 1988 के अन्त तक गत तीन वर्षों के दौरान पंजाब में कितने वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाए हैं;

(ख) पंजाब में दिसम्बर, 1988 तक केन्द्र द्वारा आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम के अन्तर्गत कितने क्षेत्र में वृक्ष लगाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार का पंजाब में उच्च किस्म के वृक्ष लगाने के सम्बन्ध में कोई परीक्षण करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) ग्रामीण ईंधन लकड़ी वृक्षारोपण, ऑपरेशन सायल वाच, विकेन्द्रित जन-पौधशालाएं, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम जैसी केन्द्र और राज्य क्षेत्र की विभिन्न परियोजनाओं के अधीन दिसम्बर, 1988 को समाप्त हुए पिछले तीन वर्षों के दौरान पंजाब में वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाए गए हैं।

(ख) केन्द्रीय प्रायोजित परियोजनाओं के अधीन पंजाब में दिसम्बर, 1988 तक पिछले 3 वर्षों के दौरान कुल 48,713 हैक्टेयर क्षेत्र में वनीकरण किया गया।

(ग) और (घ) राज्य वन विभाग तथा पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना उपयुक्त प्रजातियों, जो आर्थिक महत्व रखती हैं, का पता लगाने के उद्देश्य से उन पर अनुसंधान और परीक्षण कर रहे हैं।

पंजाब में गन्दी बस्तियों का सुधार

4966. **श्री कमल चौधरी** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिनांक 31 दिसम्बर, 1988 तक पंजाब में गन्दी बस्तियों में रहने वाले लोगों की संख्या का पता लगाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन गन्दी बस्तियों के सुधार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) 1981 में पंजाब में शिनाख्त की गई स्लम जनसंख्या 11.67 लाख थी। 31-12-1988 की स्थिति के अनुसार स्लम जनसंख्या के बारे में कोई आकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) राज्य क्षेत्र की शहरी स्लमों के पर्यावरणीय सुधार की योजना के अन्तर्गत, शहरी स्लमों में आपूर्ति, सामुदायिक स्नान गृह और शौचालय, पथ प्रकाश, मलनिर्यास, बरसाती नाले, मौजूदा लेनों और पगडंडियों पर खड़ंजे बिछाना, इत्यादि जैसी मूलभूत सुविधाएं दी जाती हैं। सातवीं योजना में पंजाब में 8 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 2.67 लाख स्लम निवासियों

को लाभान्वित करने का विचार किया गया। राज्य सरकार से प्राप्त प्रगति रिपोर्टों के अनुसार फरवरी, 1989 तक 5.83 लाख स्लम निवासियों को लाभान्वित किया जा चुका है।

बम्बई के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

4967. **डा० दत्ता सामन्त** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक श्रमिकों के लिए 1982 की श्रृंखला के अनुसार बम्बई उपभोक्ता मूल्य सूचकांक दिसम्बर, 1988 के महीने में 26 अंक कम हो गया है;

(ख) उपभोक्ता मूल्य सूचकांक श्रृंखला में किन वस्तुओं के मूल्यों में दिसम्बर, 1988 में कमी आई है; और

(ग) इन आंकड़ों को तैयार करते समय कितनी दुकानों और उपभोक्ताओं से पूछताछ की गई ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री राधा किशन मालवीय) : (क) वर्ष 1982 आधार पर बम्बई केन्द्र के लिए औद्योगिक कर्मकारों का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक दिसम्बर, 1988 माह में केवल 5 प्वाइंट कम हुआ है।

(ख) वे मुख्य वस्तुएं, जिनके मूल्यों में दिसम्बर, 1988 में कमी आई, निम्न हैं : चावल, गेहूं, अरहर दाल, चना दाल, मूंगफली का तेल दूध, प्याज, हरी मिर्च, आलू, बैंगन, फूलगोभी, बन्दगोभी, टमाटर, पालक, मेथी, नारियल, चीनी, सूती साड़ी।

(ग) बम्बई केन्द्र में, राज्य सरकार के कर्मचारियों द्वारा चुने हुए बाजारों में स्वतंत्र रूप से निर्धारित 60 से 90 दुकानों से 160 फुटकर मदों के लिए मूल्य एकत्र किए जा रहे हैं। इन मूल्यों के लिए मूल्य एकत्र किए जा रहे हैं। इन मूल्यों की क्षेत्रीय स्तर तथा साथ ही श्रम ब्यूरो के मुख्यालय में पूर्ण रूप से जांच पड़ताल की जाती है तथा सूचकांक संकलन में उनके प्रयोग से पहले राज्य सरकार के साथ उनका सामंजस्य किया जाता है।

पंजाब और दिल्ली में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

4968. **श्री कमल चौधरी** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिसम्बर, 1988 तक के दो वर्षों की अवधि के दौरान पंजाब और दिल्ली के सभी केन्द्रों में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में लगातार वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो पिछले दो वर्षों (वर्ष 1985 और 1986) की तुलना में इसमें कितनी वृद्धि हुई है; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री राधा किशन मालवीय) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) दिसम्बर, 1984 से दिसम्बर, 1988 तक इन केन्द्रों के लिए माह-वार सूचकांकों और वार्षिक परिवर्तन संबंधी सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

सितम्बर, 1984 से सितम्बर, 1988 तक पंजाब और दिल्ली के सभी केन्द्रों के औद्योगिक कर्मकारों के लिए महावार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

माह/वर्ष	1984	1985	1986	1987	1988	1984	1985	1986	1987	1988	1988
	दिल्ली					अमृतसर					लुधियाना
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	आधार 1960=100					आधार 1960=100					
जनवरी	—	600	658	716	790	—	586	620	677	767	
फरवरी	—	600	664	715	802	—	591	617	672	765	
मार्च	—	606	679	722	813	—	596	636	677	766	
अप्रैल	—	616	690	724	731	—	603	658	678	768	
मई	—	618	683	735	832	—	597	643	693	776	
जून	—	631	692	752	837	—	604	636	704	779	
जुलाई	—	640	707	790	863	—	620	646	737	803	
अगस्त	—	654	707	806	876	—	614	657	750	814	
सितम्बर	—	649	715	808	870	—	618	648	747	814	
	आधार 1982=100					आधार 1982=100					
अक्तूबर	—	654	716	818	178*	—	620	662	768	168	167**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
नवम्बर	—	658	714	808	179	—	629	663	757	168	168
दिसम्बर	598	652	711	805	175	580	627	670	758	164	163
दिसम्बर की तुलना में दिसम्बर में बढ़ोतरी	—	9	9	13	8	—	8	7	13	12	—

**लुधियाना केन्द्र 1960 शृंखला में विद्यमान नहीं था। इसलिए इसके सूचकांक केवल अक्तूबर, 1988 से ही उपलब्ध हैं जबकि 1982 शृंखला को जारी किया गया था।

*1960 आधार शृंखला को 1982 आधार शृंखला के साथ संबंधित करने वाला सम्बद्ध कारक दिल्ली केन्द्र के लिए 4.97 और अमृतसर केन्द्र के लिए 5.19 है।

12.00 मध्याह्न

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : एक-एक करके ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या मैं आप सबकी बात सुन सकता हूं ? एक-एक करके बोलिए । आप यह बात समझ क्यों नहीं रहे हैं ?

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : कल, भारतीय राष्ट्रीय विद्यार्थी संघ के सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए भारत के प्रधान मंत्री, श्री राजीव गांधी ने पूरे विपक्ष को श्रीमती इंदिरा गांधी के हत्यारों के समर्थक बताया था । (व्यवधान) क्या हम श्रीमती इंदिरा गांधी के हत्यारों के समर्थक हैं ? वे ऐसा वक्तव्य कैसे दे सकते हैं ?

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आचार्य जी, परसों जब यहां से कह रहे थे, तब क्या हो रहा था ।

[अनुवाद]

आपके लोग कुछ वैसा ही कह रहे थे ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यदि कोई व्यक्ति, सभा से बाहर कुछ कहता है तो आप भी उसका उत्तर दे सकते हैं ।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : शोर क्यों करते हो ।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री दिनेश गोस्वामी (गुवाहाटी) : कल, प्रधान मंत्री असम में केन्द्र के हस्तक्षेप के बारे में बोले थे । उन्हें असम में केन्द्र के हस्तक्षेप के बारे में बोलने का क्या अधिकार है ? मैं भारत सरकार पर आरोप लगाता हूं······(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : ऐसा है, दिनेश जी······

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : क्या आप सुनना चाहते हैं ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है, इस प्रकार चिल्लाने से किसी समस्या का समाधान नहीं होता है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : व्यवस्था बनाए रखिए।

[हिन्दी]

दत्ता सामन्त जी, आप क्यों शोर कर रहे हैं। आप बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ज्यादा गुस्सा नहीं करते हैं। दिल का दौरा पड़ जाए फिर क्या होगा।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं बोल रहा हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : दिनेश जी, बात यह है यदि कोई असंवैधानिक बात हो जाती है तो सभा उस पर ध्यान दे सकती है। यदि कोई व्यक्ति बाहर कोई बात कहता है तो आप भी उत्तर दे सकते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : देखिए। जरा सुनिए। मुझे अपनी बात समाप्त करने दीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुझे अपनी बात समाप्त करने दीजिए।

[हिन्दी]

सुनो तो सही।

[अनुवाद]

प्रश्न यह है कि क्या कोई असंवैधानिक कार्य किया गया है। यदि प्रधान मंत्री द्वारा भी कोई असंवैधानिक कार्य किया जाता है तो सभा उस पर ध्यान दे सकती है। कोई भी व्यक्ति इस कार्य को नहीं कर सकता है। आप उत्तर दे सकते हैं ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : केन्द्र सरकार हर-एक मामले की जांच करने की हकदार है। परन्तु यदि वे कोई असंवैधानिक कार्य करते हैं तो सभा उसका ध्यान रख सकती है। यह कोई समस्या नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह बात सभा में नहीं कही गई है।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : आपने जो कुछ कहा है उसे देखते हुए मैं एक संवैधानिक मुद्दा उठा रहा हूं। आपने कहा है कि यदि कोई ऐसी बात हो गई है जिसका उपयुक्त माध्यमों के द्वारा संविधान के साथ मतभेद है, तो इसे किया जा सकता है। मैं आपको वह बात बताना चाहता हूं कि आपने इस सभा में यह व्यवस्था दी है कि जब सभा का सत्र चल रहा हो तो महत्वपूर्ण नीति सम्बन्धी वक्तव्य सभा में दिए जाने चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : नीति सम्बन्धी कोई वक्तव्य नहीं दिया गया है। असंगत। अस्वीकृत।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : उन्होंने असम में केन्द्र के हस्तक्षेप की बात कही है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कुछ नहीं किया गया है। नीति सम्बन्धी कोई वक्तव्य नहीं दिया गया है।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : आपने व्यवस्था दी है······।

अध्यक्ष महोदय : जी, हां।

प्रो० मधु दण्डवते : ···कि जब सभा का सत्र चल रहा हो तो नीति सम्बन्धी निर्णयों की घोषणा सभा से बाहर न करके सभा के अन्दर की जानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : प्रोफेसर साहेब, ऐसा कोई नीति सम्बन्धी वक्तव्य नहीं है जो सभा से बाहर दिया गया हो। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कुछ नहीं किया गया है। सभापटल पर पत्र रखने जाएं। श्रीमती मोहसिना किदवई।

(व्यवधान)

[इस समय श्री सी० माधव रेड्डी और कुछ अन्य सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।]

(व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि ठक्कर आयोग की रिपोर्ट में इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए पर्याप्त अवसरों की व्यवस्था की गई है। परन्तु उन्होंने चर्चा करने में भाग नहीं लिया। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : किसी बात की अनुमति नहीं दी गई है।

(व्यवधान)*

———

* कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

12.06 म० प०

सभा पटल पर रखे गए पत्र

दिल्ली विकास अधिनियम के अधीन अधिसूचना

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : मैं श्रीमती मोहसिना किदवई की ओर से दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 58 के अन्तर्गत दिल्ली विकास प्राधिकरण (विकसित नाजुल भूमि का निपटान) संशोधन नियम, 1989, जो 25 फरवरी, 1989 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 97 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए सं० एल० टी० 7678/89]

केन्द्रीय रेशम बोर्ड, बंगलौर का वर्ष 1987-88 का वार्षिक प्रतिवेदन और वार्षिक लेखे तथा सरकार द्वारा उसके कार्यकरण की समीक्षा आदि

वस्त्र मंत्री तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) केन्द्रीय रेशम बोर्ड, बंगलौर के वर्ष 1987-88 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) केन्द्रीय रेशम बोर्ड, बंगलौर के वर्ष 1987-88 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) केन्द्रीय रेशम बोर्ड, बंगलौर के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए सं० एल० टी०-7679/89]

वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) (संघ राज्य क्षेत्र) संशोधन नियम, 1988, पद्मजा नायडू हिमालयन जूलोजिकल पार्क, दार्जिलिंग का वर्ष 1985-86 का वार्षिक प्रतिवेदन, आदि

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला दीक्षित) : मैं, श्री जियाउर्रहमान अंसारी की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं :

(1) वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 53 की उपधारा (2) के अन्तर्गत वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) (संघ राज्य क्षेत्र) संशोधन नियम, 1988, जो 10 मार्च, 1989 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि 350 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए सं० एल० टी० 7680/89]

(2) पद्‌मजा नायडू हिमाचल जूलोजिकल पार्क, दार्जिलिंग के वर्ष 1985-86 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए सं० एल० टी० 7681/89]

दिल्ली नागरी कला आयोग, नई दिल्ली का वर्ष 1987-88 का वार्षिक प्रतिवेदन और वार्षिक लेखे तथा सरकार द्वारा उसके कार्यकरण की समीक्षा, आदि

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) दिल्ली नागरी कला आयोग अधिनियम, 1973 की धारा 19 के अन्तर्गत दिल्ली नागरी कला आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 1987-88 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) दिल्ली नागरी कला आयोग अधिनियम, 1973 की धारा 20 की उपधारा (4) के अन्तर्गत दिल्ली नागरी कला आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 1987-88 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षण प्रतिवेदन।

(तीन) दिल्ली नागरी कला आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 1987-88 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 7682/89]

बर्ड्‌स जूट एण्ड एक्सपोर्ट्‌स लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1987-88 का वार्षिक प्रतिवेदन और इसके कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा, आदि

वस्त्र मंत्री तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : मैं, श्री रफीक आलम की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) बर्ड्‌स जूट एण्ड एक्सपोर्ट्‌स लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) बर्ड्‌स जूट एण्ड एक्सपोर्ट्‌स लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1987-88 का

वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी० 7683/89]

भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता परिसंघ लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1987-88 का वार्षिक प्रतिवेदन और सरकार द्वारा इसके कार्यकरण की समीक्षा

खाद्य तथा नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री डी० एल० बैठा) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं—

(1) भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता परिसंघ लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1987-88 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(2) भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता परिसंघ लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए सं० एल० टी० 7684/89]

12.07 म० प०

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

63वां प्रतिवेदन

श्री एम० तम्बि दुराई (धर्मपुरी) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का तिरेसठवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

12.07½ म० प०

लोक लेखा समिति

144वां और 145वां प्रतिवेदन

श्री आर० एस० स्पैरो (जालन्धर) : मैं निम्नलिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं—

(1) खराब गोला-बारूद के सम्बन्ध में लोक लेखा समिति का 144वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क दर सूचियों के सम्बन्ध में लोक लेखा समिति का 145वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

12.08 म० प०

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(एक) सातवीं योजनावधि के लिए चीनी अनुज्ञापन नीति में परिवर्तन

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य अवगत हैं, केन्द्रीय सरकार ने दिसम्बर, 1986 में सातवीं योजनावधि के लिए नयी चीनी लाइसेंसिंग नीति की घोषणा की थी। इस नीति के अधीन सातवीं योजना के दौरान स्थापित किये जाने वाले नये चीनी यूनिटों की आरम्भिक क्षमता 2500 टी० सी० डी० (गन्ने की की प्रतिदिन मीटरी टन पिराई) निर्धारित की गई थी, जबकि पिछली योजना में यह क्षमता 1250 टी० सी० डी० थी। ऐसा परिमाण मूलक सुलाभ का फायदा उठाने और आधुनिक प्रौद्योगिकी का समावेश करने के लिए किया गया था। नयी चीनी फैक्ट्री और वर्तमान यूनिटों के बीच स्थानिक दूरी को 40 किलोमीटर रखा गया था जबकि पिछली बार 30 किलोमीटर की दूरी निश्चित की गई थी। इस नीति की घोषणा करने के बाद से उच्च पूंजीगत लागत और गन्ना उत्पादकों अथवा राज्य सरकारों से अपेक्षित अंशदान की तदनुरूपी उच्चतर मात्रा और प्रारम्भ से ही अपेक्षित गन्ने की अधिक उपलब्धता की दृष्टि में विशेषतया औद्योगिक रूप से पिछड़े हुए क्षेत्रों के सम्बन्ध में इन शर्तों में ढील देने के लिए उद्योग तथा कुछ राज्य सरकारों द्वारा अभ्यावेदन दिये जा रहे हैं। अतः सरकार ने चीनी लाइसेंसिंग नीति की सीमित समीक्षा की है और सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद सातवीं योजनावधि के लिए पहले घोषित की गई चीनी लाइसेंसिंग नीति के नियमानुसार रियायतें देने का निर्णय किया है:—

(क) भारत सरकार द्वारा औद्योगिक रूप से पिछड़े हुए क्षेत्रों के रूप में निर्दिष्ट क्षेत्रों तथा जिन्हें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा गन्ने के विकास के लिए कृषि मौसमी दृष्टि से उपयुक्त प्रमाणित किया गया हो, में सहकारी और सरकारी क्षेत्रों में 1750 टी.सी.डी.की आरम्भिक क्षमता के लिए नयी चीनी फैक्ट्रियों के लिए लाइसेन्स प्रदान करने की अनुमति भी दी जाएगी बशर्ते कि ये यूनिट उत्पादन शुरू करने की तारीख से 5 वर्षों के अन्दर अपनी क्षमता का विस्तार 2500 टी० सी० डी० तक कर लेंगे।

(ख) निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने पर 40 किलोमीटर की स्थानिक दूरी को कम कर 25 किलोमीटर किया जा सकता है:—

(एक) गन्ने की प्रति हेक्टर औसत पैदावार गन्ने की राष्ट्रीय औसत पैदावार से कम से कम 20 प्रतिशत तक अधिक होनी चाहिए।

(दो) कम से कम 40 प्रतिशत क्षेत्र सी० ओ० जे०-64, सी० ओ० सी०-671 आदि जैसी उन्नत और अधिक सुक्रोज के गन्ने की किस्मों के अधीन होना चाहिए।

(तीन) लाइसेन्सिंग प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि वर्तमान और भावी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वर्तमान फैक्ट्रियों (गन्ने के और सघन विकास के लिए सम्भाव्यता सहित) के लिए पर्याप्त मात्रा में गन्ना निरन्तर उपलब्ध रहेगा।

तथापि, ऐसे मामलों में न्यूनतम 2500 टी० सी० डी० की आरम्भिक क्षमता के लिए ही लाइसेन्स दिये जाते रहेंगे।

(ग) 2500 टी० सी० डी० की क्षमता के चीनी यूनिटों के लिए इस समय उपलब्ध प्रोत्साहन 1750 टी० सी० डी० के नये यूनिटों के लिए भी आरम्भ में केवल 5 वर्षों के लिए उपलब्ध होंगे।

सातवीं योजनावधि के दौरान नए चीनी यूनिट स्थापित करने के लिए लाइसेन्स प्रदान करने विषयक वर्तमान मार्गदर्शी सिद्धांतों में संशोधन किया जा रहा है ताकि उनमें उपर्युक्त रियायतें शामिल की जा सकें। नये चीनी यूनिटों को लाइसेन्स प्रदान करने के लिए समूचा मार्गदर्शी सिद्धान्त यह सुनिश्चित करने के लिए होगा कि जिन नये चीनी यूनिटों को लाइसेन्स प्रदान किये जाने हैं उनके लिए तथा वर्तमान फैक्ट्रियों के लिये गन्ने के और सघन विकास की सम्भाव्यता के साथ वर्तमान तथा भावी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में गन्ना उपलब्ध हो।

आशा है कि अब घोषित की गई रियायतों से औद्योगिक रूप से पिछड़े हुए क्षेत्रों में सहकारी और सरकारी क्षेत्रों में नये चीनी के यूनिट स्थापित करने में मदद मिलेगी। स्थानिक दूरी को 40 किलोमीटर से कम कर 25 किलोमीटर कर देने से भी कुछ ऐसे क्षेत्रों में नये यूनिट स्थापित करने में भी मदद मिलेगी जहां गन्ने की सघन और भू-प्रधान खेती की जाती है और जहां 25 किलोमीटर की अरीय दूरी के अन्दर भी स्थित अतिरिक्त यूनिटों का पोषण करने के लिए भी पर्याप्त गन्ना उपलब्ध होता है।

श्री टी० बशीर (चिरायिंकिल) : केरल में विधायकों की जान को खतरा है। वे भूख हड़ताल पर हैं। कोई भी मन्त्री उनसे बात करने को तैयार नहीं है। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : काबुली जी, आप शोर न करें। आप मुझे लिखकर दीजिए, इस तरह मत कीजिए।

श्री अब्दुल रशीद काबुली (श्रीनगर) : मैं पहले भी लिखता रहा हूं। (**व्यवधान**)*

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित न किया जाए।

(**व्यवधान**)*

अध्यक्ष महोदय : आप लिखित में दीजिए, अन्यथा आप सभा में चले जाएं।

(**व्यवधान**)*

अध्यक्ष महोदय : अन्यथा मैं आपको सभा से बाहर जाने के लिए कहूंगा।

[इस समय श्री अब्दुल रशीद काबुली आगे आए और सभा पटल के निकट फर्श पर बैठ गए]

अध्यक्ष महोदय : मन्त्री महोदय, मैं उन्हें सभा से बाहर जाने के लिए कह रहा हूं। वे ठीक तरह से व्यवहार नहीं कर रहे हैं।

(**व्यवधान**)

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : काबुली जी, आप क्या कर रहे हैं ? आप अपने स्थान पर बैठिए ।

संसदीय कार्य मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : यह कोई तरीका नहीं है । आपको अध्यक्ष की आज्ञा का पालन करना चाहिए ।

[इस समय श्री अब्दुल रशीद काबुली अपने स्थान पर आकर बैठ गए]

अध्यक्ष महोदय : काबुली जी, मैं आपकी सहायता करूंगा । मैं यही बात कह रहा हूं । आप बैठ जाइए ।

श्री टी० बशीर : केरल में छः विधायकों की जान को खतरा है । वे भूख हड़ताल पर हैं । सरकार उनसे बातचीत करने को तैयार नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री कुरियन को नियम 377 के अंतर्गत वक्तव्य देने की अनुमति पहले ही दे दी है ।

श्री शांताराम नायक (पणजी) : तमिलनाडु के मुख्य मंत्री··· ··(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यहां किसी मुख्य मन्त्री का उल्लेख न किया जाए । इसकी अनुमति नहीं है ।

(व्यवधान)*

श्री एन० वी० एन० सोमू (मद्रास उत्तर) : ये लोग हर रोज यहां तमिलनाडु का बेकार में मामला उठा रहे हैं । (व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : किसी को अनुमति नहीं है, अब बैठ जाइए ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नायक जी, आप ठीक तरह से क्यों नहीं बैठ सकते ? आप अकारण परेशानी खड़ी कर रहे है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने उन्हें ऐसा न करने के लिए कहा है । अब, आप इसे दुबारा शुरू कर रहे हैं ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : देखिए, मैंने आपको कई बार कहा है कि इस प्रथा में किसी राज्य का मामला नहीं उठाया जा सकता । यह असंवैधानिक है । मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता और न ही दूंगा चाहे यह तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, गुजरात या किसी अन्य राज्य का मामला हो ।

श्री शांताराम नायक : हम केन्द्र-राज्य संबंधों पर चर्चा कर रहे हैं । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इससे क्या फर्क पड़ता है । बैठ जाइए । आप अकारण परेशानी खड़ी कर रहे हैं ।

(व्यवधान)

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको बता दिया है कि किसी भी मामले पर चर्चा नहीं की जा सकती, कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जा रहा है। डा० कलानिधि, आप बैठ क्यों नहीं जाते ? आप अकारण परेशानी खड़ी कर रहे हैं। यदि आप बैठेंगे नहीं तो मैं आपको सभा से बाहर जाने के लिए कहूंगा।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : भगत जी, यह सब क्या हो रहा है। ये सदस्य ठीक से व्यवहार क्यों नहीं करते।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : बिना किसी कारण के ये लोग ऐसा कर रहे हैं।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : डा० कलानिधि, कृपया बैठ जाएं। अन्यथा, मैं आपको बाहर जाने के लिए कहूंगा।

12.16 म० प०

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

—[जारी]

(दो) हज तीर्थयात्रियों के लिए मक्का और मदीना में पूर्व व्यवस्थित आवास योजना का कार्यान्वयन

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० के० के० तिवारी) : महोदय, बारह वर्ष पहले सऊदी सरकार ने हज यात्रियों के लिए मक्का और मदीना में आवास की व्यवस्था पहले से करने की योजना शुरू की थी। इस योजना में यह व्यवस्था है कि संबंधित देश विदेश के हज यात्रियों के लिए मक्का और मदीना में सऊदी हज प्राधिकारियों के साथ बातचीत करके रहने की जगह किराए पर पहले ही तय की जाएगी। इंडोनेशिया, मलेशिया, ईरान, पाकिस्तान, तुर्की आदि जैसे अनेक देशों ने अपने हज यात्रियों ने लिए इस योजना को अपना लिया है। कुछ वर्ष पहले केन्द्रीय हज समिति ने इस योजना को हज पर जाने वाले भारतीयों की एक समिति संख्या के लिए स्वैच्छिक आधार पर शुरू करना चाहा था। लेकिन इसके बारे में प्रतिक्रिया संतोषजनक नहीं थी और अगले ही वर्ष इस योजना का परित्याग कर दिया गया था, हालांकि सऊदी ने बराबर इस पर जोर दिया कि इस योजना पर अमल किया जाना चाहिए। 1988 में सऊदी सरकार के जोर देने पर केन्द्रीय हज समिति ने हज, 1988 के कुल 10,000 हज यात्रियों के लिए मक्का में इस योजना को अपनाया। लेकिन दुर्भाग्यवश विभिन्न कारणों से, जिसमें इस संदर्भ में केन्द्रीय हज समिति को अनुभव न होना भी एक कारण है, इस योजना पर दक्षतापूर्वक अमल नहीं किया जा सका जिसके फलस्वरूप भारतीय हाजियों को कुछ असुविधा और कठिनाई हुई। उन कारणों का पता लगा लिया गया है जिसकी वजह से ये प्रयास सफल नहीं हुए।

हज, 1989 के लिए सऊदी हज मंत्री ने हमारे राजदूत को साफ़-साफ यह कह दिया है

कि यह योजना केन्द्रीय हज समिति द्वारा प्रायोजित सभी भारतीय हाजियों के लिए क्रियान्वित की जानी चाहिए जैसा कि प्रायः सभी अन्य देश करते हैं। सऊदी विनियमों के अनुसार, इस योजना से छूट केवल उन्हीं हज यात्रियों को दी जा सकती है जो अपने नजदीकी रिश्तेदारों के साथ ठहरना चाहते हैं अथवा जिन्होंने मान्यता प्राप्त रूबातों में अपने ठहरने की जगह पहले ही तय कर ली हो। सऊदी सरकार द्वारा जोर दिए जाने पर अपने हाजियों के लिए इस योजना से छूट प्राप्त न कर पाने की वजह से सरकार ने हज, 1989 के लिए इस योजना को क्रियान्वित करने का फैसला किया और तदनुसार केन्द्रीय हज समिति ने वार्षिक हज घोषणा, 1989 में इस योजना को विज्ञापित किया।

इस बात को देखते हुए कि इस योजना के खिलाफ इच्छुक हाजियों तथा प्रख्यात मुस्लिम नेताओं और दूसरे बड़े-बड़े लोगों से सरकार को बड़ी संख्या में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, हज 1989 के लिए भारतीय हाजियों को इस योजना से छूट देने का सवाल राजनयिक सूत्रों के माध्यम से सऊदी प्राधिकारियों के साथ एक बार फिर उठाया गया लेकिन सऊदी प्राधिकारियों ने इसे फिर भी स्वीकार नहीं किया। समाचार पत्रों में इस योजना के खिलाफ छपने वाली खबरों तथा तीव्र जनभावना को देखते हुए मुझे सऊदी अरब जाने वाले एक शिष्टमण्डल का नेतृत्व करने का काम सौंपा गया। इस शिष्टमण्डल में श्री इब्राहिम सुलेमान सेत, संसद सदस्य; मौलाना असद मदनी, संसद सदस्य; श्री सईदुल हसन, उत्तर प्रदेश शासन में श्रम मंत्री तथा विदेश मंत्रालय में सचिव श्री ए० एस० गोंसालवेज शामिल थे तथा इसे सऊदी हज और ओकफ मंत्री के साथ इस उद्देश्य से विचार-विमर्श करना था कि उन्हें पूर्व व्यवस्थित आवास योजना के क्रियान्वयन के फलस्वरूप होने वाली कठिनाइयों की जानकारी दी जा सके।

12.18 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

इस बातचीत से यह बात बिल्कुल साफ हो गयी कि यह योजना देश के हज यात्रियों के लिए है और भारतीय हाजियों के मामले में इनमें कोई छूट नहीं दी जा सकती। इस शिष्टमण्डल को यह भी बताया गया कि इस योजना का उद्देश्य हज यात्रियों के आराम और कल्याण का सुनिश्चय करना है। हज के दिनों में प्रतिदिन मक्का आने वाले हजारों यात्रियों के लिए यह बिल्कुल असंभव है कि उनके पहुंचने पर उपयुक्त आवास उन्हें मिल जाए। इसलिए कई हज यात्रियों को वहां शोषण का शिकार होना पड़ा है और उन्हें परेशानियां भी उठानी पड़ी हैं। पूर्व व्यवस्थित आवास योजना का उद्देश्य इन परेशानियों को दूर करना है। सऊदी प्राधिकारियों ने शिष्टमण्डल को यह भी बताया कि मक्का और मदीना में मकानों का किराया सऊदी सरकार द्वारा नियंत्रित नहीं किया जाता और इसे मकान मालिक तथा मोआसासा के बीच बातचीत करके तय किया जाता है। विभिन्न इमारतों का चयन करने के बाद मोआसासा उनकी श्रेणी निर्धारित करता है और फिर उनके किराये का व्यापक स्तर तय करता है और उनके बाद विभिन्न देशों के प्राधिकृत शिष्टमण्डलों को उन्हें देता है। ये किराये एक से होते हैं और भारतीय हाजियों को भी एक सी जगह के लिए दूसरे देशों के बराबर ही किराया देना होता है। शिष्टमण्डल के सभी सदस्य इस बात से आश्वस्त थे कि सऊदी प्राधिकारी पूर्वव्यवस्थित आवास योजना के अमल पर जोर देंगे और वास्तव में इससे हमारे हाजियों की स्थिति सुधरेगी।

मुझे सदन को यह बताते हुए खुशी है कि 4 मार्च, 1989 को रियाद में सऊदी हज मंत्री के साथ मेरे शिष्टमण्डल ने जो बातचीत की थी, उसके फलस्वरूप संबंद्ध सऊदी प्राधिकारियों ने मक्का में दो श्रेणियों के आवास के लिए किराये में कमी करने की पेशकश की जिसका ब्योरा नीचे लिखे अनुसार है :

श्रेणी	पवित्र काबा से दूर	पहले निर्धारित किराया	अब कम किया गया किराया
टाइप "ए"	400-700 मीटर	1200 सऊदी रियाल	1150 सऊदी रियाल
टाइप "बी"	1 कि० मी० के भीतर	1000 सऊदी रियाल	900 सऊदी रियाल

केन्द्रीय हज समिति तथा आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल की राज्य हज समितियों के प्रतिनिधियों का एक शिष्टमण्डल आजकल सऊदी अरब में है और उसने उल्लिखित घटी दरों पर मक्का में 22,000 आवासीय इकाइयों को किराये पर लेने के लिए सऊदी मोअासासा के साथ बातचीत करके एक करार पर हस्ताक्षर किए। अब यह शिष्टमण्डल मक्का और मदीना में किराये पर उपलब्ध इमारतों का निरीक्षण करके चुनाव करेगा।

हम अपने हज यात्रियों की सुख-सुविधा और उनकी भलाई के प्रति पूरी तरह सचेत हैं जिनमें बहुत से लोग काफी वृद्ध तथा कमजोर होते हैं और उनकी देखभाल और सहायता की खास जरूरत होती है। हमारा उद्देश्य यह है कि हज यात्रियो के ठहरने का पहले ही ठीक इन्तजाम हो और बाद में किसी तरह की उलझन तथा तकलीफ उन्हें न पहुंचे। इस साल ठहरने के लिए केवल जगह का ही पहले से इन्तजाम नहीं किया जाएगा बल्कि इस बात का भी सुनिश्चय करना चाहते हैं कि ठहरने के लिए जगह का आबंटन कम्प्यूटरीकृत सूचना के जरिये वैज्ञानिक और युक्तियुक्त तरीके से किया जाए। जब प्रत्येक हज यात्री पहुंचने के बाद आप्रवासन तथा सीमा शुल्क संबंधी औपचारिकताएं पूरी कर लेगा तो उसे आरक्षण चार्ट की सहायता से तत्काल उसके ठहरने के स्थान पर ले जाया जाएगा। सूचना का कम्प्यूटरीकरण करने से खोए हुए हज यात्रियों का पता लगाने के मामले में भी काफी मदद मिलेगी।

हमें विश्वास है कि पूर्व व्यवस्थित आवास योजना से हमारे हज यात्रियों के आराम तथा कल्याण की देखभाल में काफी मदद मिलेगी। इस योजना के उचित कार्यान्वियन का सुनिश्चय करने के लिए सरकार ने महा कौंसलावास, जेद्दा के लिए उस समय के लिए आवश्यक अतिरिक्त अमले को स्वीकृति भी दे दी है। इस बार हज यात्रियों के लिए सरकार ने मक्का में दस पलंगवाला एक अस्पताल चलाने का भी निश्चय किया है जो इस संदर्भ में अपने आप में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे बहुत से बीमार लोगों का इलाज करने में सुविधा होगी जो हमारे चिकित्सा दल के लिए तो गंभीर हो सकते हैं लेकिन जिन्हें सऊदी अरब के चिकित्सा प्राधिकारियों के लिए अपने अस्पतालों में भर्ती करने के नजरिये से बहुत गंभीर नहीं कहा जा सकता। इसके अलावा एक अतिरिक्त एम्बुलेंस भी दी जा रही है। दवाइयों की मात्रा बढ़ाई जा रही है और चिकित्सा दल की सदस्य संख्या भी बढ़ाई जा रही है।

अपने हज यात्रियों के दीर्घकालिक हित को ध्यान में रखते हुए हम जेद्दा में भारत के महा कोंसलावास में रूबात अधिकारी भी नियत करने पर विचार कर रहे हैं जो रूबातों को ठीक-ठाक करने के प्रश्न की जांच करेगा। जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं, भारतीयों ने मक्का और मदीना में स्थायी निधि कोष बनाए थे, जो हज यात्रियों के लिए बहुत ही मददगार साबित हुए। रूबात अधिकारी जब इन रूबातों से संबंधित विधिक दस्तावेज प्राप्त कर लेगा तब इन रूबातों के संबंध में उस समय से सऊदी सरकार द्वारा रूबातों के अधिग्रहण के समय से मुआवजा लेने का कार्य शुरू हो जाएगा जब से इन रूबातों का सऊदी सरकार ने अधिग्रहण किया था। सऊदी विनियमों के अनुसार मुआवजे की राशि का इस्तेमाल नये रूबातों की स्थापना करने के लिए किया जा सकता है जहां हमारे हज यात्री भविष्य में मुफ्त ठहर सकें।

मुझे विश्वास है, माननीय सदस्य यह मानेंगे कि सरकार ने यह सुनिश्चय करने के लिए यथोचित कदम उठाए हैं कि इस साल हज करने वाले हमारे हज यात्री सऊदी अरब में अपने लिए ठहरने के सुव्यवस्थित इन्तजाम की उम्मीद कर सकते हैं। इससे उनके केवल आराम और देखभाल का ही सुनिश्चय ही नहीं होगा बल्कि इस बात का भी सुनिश्चय होगा कि गैर-ईमानदार मकान मालिकों द्वारा उनका शोषण न हो। मैं संक्षेप में सदन को यह बताना चाहूंगा कि वित्तीय संसाधनों की अत्यन्त कठिनाई के बावजूद भी सरकार ने उन हज यात्रियों की संख्या 23000 से बढ़ाकर 24000 करने पर राजी हो गई है जिन्हें यात्रा के लिए विदेशी मुद्रा दी जाएगी।

प्रो० सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : मैं मंत्री महोदय के वक्तव्य का स्वागत करता हूं। मैं उन्हें बधाई देता हूं। यह एक विस्तृत वक्तव्य है परन्तु मैं एक स्पष्टीकरण लेना चाहूंगा।...

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं-नहीं, अब नियम 377 के अधीन मामले लिये जायेंगे। इसके सिवाय किसी और को कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)*

प्रो० सैफुद्दीन सोज : महोदय, मैंने एक सूचना दी है ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं उस पर विचार करूंगा। उस मामले को देखूंगा।

12.26 म० प०

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के वणी क्षेत्र (जिला यवतमाल) के महाप्रबंधक का मुख्यालय वणी के लाभ पर चंद्रपुर जिले में टाडली गांव में स्थापित किये जाने के निर्णय की पुनरीक्षा किये जाने की मांग

श्री उत्तमराव पाटिल (यवतमाल) : मेरे अतारांकित प्रश्न के उत्तर में यह बताया गया था कि वैस्टर्न कोलफील्ड्स वणी के महाप्रबंधक के मुख्यालयों के स्थान संबंधी निर्णय कम्पनी द्वारा उचित समय में लिया जायगा। अब ऐसा समझा जाता है कि सरकार तथा कम्पनी ने वणी क्षेत्र

*कार्यवाही-वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

(जिला यवतमाल) के महाप्रबंधक का मुख्यालय गांव ताडली जिला चंद्रपुर में स्थापित करने का निर्णय लिया है जो 1989-90 से काम करना शुरू करेगा।

यह निर्णय वणी क्षेत्र के लिए अन्यायपूर्ण है। चंद्रपुर वणी से 90 किलोमीटर दूर है जो आधुनिक सुविधाओं वाला एक बड़ा समृद्ध शहर है, जबकि वणी मुख्य लाइन निर्माण केन्द्रों तथा अनेक वर्तमान तथा नई कोयला खानों से 15 कि० मी० की दूरी पर स्थित है।

अत: अनुरोध है कि जन भावनाओं तथा आवश्यकता पर विचार करते हुए वणी क्षेत्र के वेस्ट कोलफील्ड्स के महाप्रबंधक के मुख्यालय को वणी में ही स्थापित किया जाना चाहिए तथा जनहित में निर्णय पर पुन: विचार किया जाना चाहिए।

(दो) बिहार में सकरी-हसनपुर और दरभंगा-समस्तीपुर रेल लाइनों का निर्माण शुरू किये जाने की मांग

श्री राम भगत पासवान (रोसड़ा) : सकरी-हसनपुर रेलवे लाइन, दरभंगा-समस्तीपुर बड़ी लाइन का निर्माण कार्य अविलम्ब प्रारम्भ न होने के कारण उत्तर बिहार की चार करोड़ जनता में व्यापक क्षोभ है। कारण इन दोनों रेलवे लाइनों का निर्माण कार्य शुरू हो गया था। 1985-86, 1986-87, 1987-88 के रेलवे बजट के अन्तर्गत रूलिंग वर्क्स प्रोगाम में क्रमश: प्रथम तथा सातवां स्थान दिया गया था। प्राथमिकता सूची में ले लेने के बाद भी इसके निर्माण कार्य पर रेल मंत्रालय द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इन दोनों लाइन के निर्माण कार्य के लिए भूतपूर्व प्रधान मंत्री स्व० इन्दिरा गांधी, भूतपूर्व रेलवे मंत्री स्व० ललित नारायण मिश्र तथा स्व० केदार पाडेय ने इसको पूरा करने के लिए अवधि भी निर्धारित कर दी थी। उत्तर बिहार के सारे संसद सदस्यों ने अनेकों बार रेल मंत्री को स्मरण पत्र दिये हैं। इसके लिए उत्तर बिहार में संघर्ष समिति ने रेल रोको अभियान तथा गिरफ्तारी देना शुरू कर दिया है। अत: सरकार से आग्रह है कि उत्तर बिहार की जनता के हित में सकरी हसनपुर तथा दरभंगा रेल लाइन का कार्य प्रारम्भ कर देने की व्यवस्था करें।

(तीन) पश्चिम उड़ीसा में रत्न उद्यान (जैम पार्क) स्थापित किये जाने की मांग

[अनुवाद]

डा० कृपासिंधु भोई (संबलपुर) : महोदय, मैं उड़ीसा में एक 'रत्न उद्यान' स्थापित करने की आवश्यकता की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। उड़ीसा में विशेषकर पश्चिम उड़ीसा में अनेक बहुमूल्य तथा कीमती रत्न उपलब्ध हुए हैं। जबकि महानदी के नदी तल पर उड़ीसा के संबलपुर बोलनगीर तथा फूलबानी जिले में हीरे मिले हैं, रत्न तथा अन्य बहुमूल्य तथा कीमती पत्थर राज्य के संबलपुर, बोलनगीर तथा कालाहांडी जिलों में मिले हैं। अनेक बाहरी लोगों के अलावा कुछ स्थानीय लोग इन बहुमूल्य पत्थरों को निकालते हैं। फिर भी बहुमूल्ल तथा कीमती पत्थरों को निकालने का कार्य तरीके से नहीं होता है। इसलिए यह जरूरी है कि इन पत्थरों की उपलब्धता का सम्पूर्ण एवं विस्तृत सर्वेक्षण किया जाए। और तत्पश्चात् इन बहुमूल्य तथा कीमती पत्थरों को सिलसिलेवार निकालने का कार्य शुरू किया जाए।

उड़ीसा राज्य सरकार ने केन्द्रीय वाणिज्य मंत्रालय के हीरा तथा रत्न विकास निगम को राज्य में, गुजरात, राजस्थान तथा हाल में उत्तर प्रदेश में स्थापित रत्न के अनुसार एक रत्न उद्यान स्थापित करने का प्रस्ताव भेजा है। उड़ीसा सरकार एक रत्न उद्यान स्थापित करने के लिए हरसंभव

सहायता प्रदान करने के लिए तैयार है। यह रत्न उद्यान स्थानीय उद्यमियों तथा स्थानीय कारीगरों को रोजगार प्राप्त करने के लिये प्रोत्साहित करेगा।

अतः मेरी मांग है कि रत्न उद्यान पश्चिम उड़ीसा में स्थापित किया जाना चाहिए।

(चार) महाराष्ट्र में भंडारा, तुमसर और गोंदिया में एस० टी० डी० सुविधा की व्यवस्था किये जाने तथा वहां के टेलीफोन एक्सचेंजों की क्षमता बढ़ाए जाने की मांग

[हिन्दी]

श्री केशवराव पारधी (भंडारा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से, नियम 377 के अंतर्गत लोक महत्व के निम्न विषय की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

महाराष्ट्र के भण्डारा जिले के भण्डारा, तुमसर, गोन्दिया—यहां तीनों शहरों को एस०टी० डी० सुविधा से जोड़ने वास्ते केबल डाले एक वर्ष से भी ऊपर हो गया है, लेकिन अभी तक एस० टी० डी० प्रारम्भ नहीं की गयी। इन तीनों शहरों का सम्बन्ध देश के कोने-कोने से तथा विदेशों से भी है। भण्डारा जिले का स्थान है तथा डिफेंन्स फैक्टरी, सन फ्लैग आयरन स्टील फैक्टरी, अशोक-लेलेण्ड के ट्रकों की फैक्टरी तथा बर्तनों का बहुत बड़ा धन्धा है। तुमसर में पेपर मिल, राइस मिलें, फैरो मेंगनीज की फैक्टरी, वैन गंगा, सरकारी शक्कर कारखाना, मैंगनीज ओर इण्डिया लि० की माईन्स तथा देश के सबसे बड़े फैरो मैंगनीज उत्पादक फैरो अलायज कारपोरेशन का हैड आफिस है। गोन्दिया में बीड़ी उद्योग, चावल की मण्डी, पेपर मिल, राइस मिलें, महाराष्ट्र इण्डस्ट्रीयल डैवलपमैंट कारपोरेशन के कम्पलैक्स में इंडस्ट्री, टाइल्स के कारखाने तथा बहुत बड़ी व्यापारिक मण्डी है। इतना सब होने के बावजूद इस जिले में टेलीफोन की व्यवस्था ठीक न होने से लोगों में बहुत बड़ी परेशानी है। भण्डारा, तुमसर, गोन्दिया तीनों शहरों में टेलीफोन एक्सचेंज की क्षमता भी बहुत कम है। तीनों शहरों के एक्सचेंज की क्षमता बढ़ाने वास्ते और तीनों शहरों को एस० टी० डी० से जोड़ने वास्ते पिछले 9 वर्षों से बराबर प्रयत्न किया जा रहा है लेकिन अभी तक सफलता पूरी तरह से नहीं मिली है। आश्वासनों के बावजूद भी अभी तक यह कार्य नहीं हुए। मैं माननीय संचार मंत्री जी से नम्र निवेदन करता हूं कि भण्डारा, तुमसर, गोन्दिया तीनों शहरों को तुरन्त एस० टी० डी० से जोड़ने और तीनों शहरों के टेटीफोन एक्सचेंज की क्षमता बढ़ाने हेतु तुरन्त आदेश देने का कष्ट करें।

(पांच) केरल राज्य में काजू उद्योग में उत्पन्न संकट का समाधान किये जाने के मामले पर केरल सरकार के साथ बातचीत किये जाने और इस प्रकार तीन विधायकों के अनशन को समाप्त कराए जाने की मांग

[अनुवाद]

प्रो० पी० जे० कुरियन (इदुक्की) : महोदय, काजू उद्योग भारी संकट में है क्योंकि उत्पादक तथा किसान कम कीमत दिये जाने के कारण आंदोलन कर रहे हैं। चूंकि काजू उन मुख्य वस्तुओं में से एक है जिसे हम विदेशी मुद्रा के लिए निर्यात करते हैं इसलिये इससे हमारी विदेशी मुद्रा आय भी प्रभावित होने जा रही है। किसान काजू के स्थान पर दूसरी लाभदायक फसलें बीजने के लिये बाध्य होंगे।

चूंकि यह मामला देश की विदेशी मुद्रा आय को प्रभावित करने वाला है इसलिये केन्द्र सरकार को इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही करनी चाहिए। केरल राज्य के तीन विधायक इस मामले को लेकर दस दिनों से भूख हड़ताल पर हैं। काजू उद्योग में संकट को दूर करने के लिए केन्द्र सरकार को यह मामला केरल सरकार के साथ तत्कान उठाना चाहिए ताकि भूख हड़ताल पर बैठे तीन विधायकों का जीवन बच सके।

मैं अध्यक्ष महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे सरकार को तत्काल कदम उठाने का निदेश दें ताकि केरल के तीन चुने हुए प्रतिनिधियों का जीवन बचाया जा सके।

(छ:) तम्बाकू बोर्ड द्वारा आन्ध्र प्रदेश में पैदा होने वाले उच्च श्रेणी के तम्बाकू की खरीद सहमत मूल्यों पर किये जाने तथा एफ-1 तथा एफ-2 किस्मों के तम्बाकू के निर्यात की संभावनाओं का पता लगाए जाने की मांग

श्री बी० एन० रेड्डी (मिरयालगुडा) : महोदय, तम्बाकू और कपास आंध्र प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक फसलें हैं। हमारे देश को तम्बाकू के निर्यात से 100 करोड़ रुपये से अधिक की विदेशी मुद्रा की आय होती है। हमें इस पर उत्पाद-कर के रूप में 1500 करोड़ रुपये प्राप्त होते हैं, किन्तु ऐसी मूल्यवान फसल के बाजार में लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहे हैं।

कोयला, ईंधन तथा कीटनाशक दवाओं की कीमतों में हुई भारी वृद्धि के परिणामस्वरूप खेती की लागत में वृद्धि हुई है। सरकार द्वारा घोषित किये गये समर्थित मूल्य लाभकारी नहीं हैं तथा उनका निर्यात-मूल्यों से कोई सम्बन्ध नहीं है।

प्रारम्भ में एफ-1 ग्रेड की तम्बाकू का अधिकतम मूल्य 2400 रु० प्रति 100 किग्रा० था तथा कुछ दिनों के पश्चात यह घटकर 1800 रु० तथा 1700 रु० हो गया। इसके परिणामस्वरूप कृषकों को 20 करोड़ रु० से अधिक की भारी हानि हुई। इससे तम्बाकू के उत्पादन पर अत्यन्त प्रभाव पड़ा तथा यह 800 लाख किग्रा० से घट कर 750 लाख किग्रा० रह गया। अत: इस फसल को बचाने के लिये इस वर्ष 8 मार्च को तय किये गये मूल्यों पर तम्बाकू बोर्ड के माध्यम से उन्नत किस्म के लगभग 100 लाख कि० ग्रा० तम्बाकू की खरीद की जाये तथा केन्द्रीय सरकार एफ-1 और एफ-2 किस्मों के तम्बाकू का निर्यात करने के लिये विदेशों में सभी सम्भावनाओं का पता भी लगाये।

(सात) असम में बार-बार आने वाली बाढ़ के नियंत्रण के लिए कदम उठाए जाने की मांग

श्री भद्रेश्वर तांती (कलियाबोर) : महोदय, हर वर्ष जून से अक्तूबर के दौरान आसाम में बाढ़ से तबाही आती है। पूर्वोत्तर क्षेत्र की सभी नदियां ब्रह्मपुत्र नदी में गिरती हैं तथा पहाड़ी क्षेत्र से मैदानी क्षेत्र में आने के दौरान अपने साथ मार्गेरिटा तथा लैडू की कोयला खानों से मिट्टी और कोयला ले जाती हैं, इससे गाद एकत्र होने से सभी नदियों के तल ऊपर उठ जाते हैं तथा थोड़ी-सी भारी वर्षा से नदी का पानी ब्रह्मपुत्र तथा बोरक घाटी के मैदानी क्षेत्रों में फैल जाता है। हर वर्ष आने वाली भीषण बाढ़ों ने आसाम की समग्र अर्थव्यवस्था को निगल लिया है। हर वर्ष बहुत से लोग अपना बेशकीमती जीवन खो देते हैं, खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचता है, घर नष्ट हो जाते हैं तथा पशु, पुल और सड़कें भी या तो नष्ट हो जाते हैं अथवा उनको भारी क्षति पहुंचती है।

केन्द्रीय सरकार को ब्रह्मपुत्र तथा उसकी सहायक नदियों के अतिरिक्त जल के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिये कोई सुस्पष्ट समाधान खोज निकालना चाहिये। बाढ़ की समस्या को एक राष्ट्रीय समस्या के रूप में माना जाना चाहिये तथा इसे केवल आसाम की समस्या के रूप में ही नहीं माना जाना चाहिये। आसाम देश का निर्माण करने वाले सभी संसाधनों का धान्यागार है। यदि धान्यागार नष्ट हो गया तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। अतः, मैं यह अनुरोध करता हूं कि इस मामले पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जाये तथा इस ज्वलंत समस्या का स्थायी समाधान करने के मार्गोपायों की खोज की जाये।

(आठ) महाराष्ट्र के जलगांव जिले में चालीसगांव में एक दूरदर्शन रिले केन्द्र स्थापित किये जाने की मांग

श्री विजय एन० पाटिल (इरन्दोल) : महाराष्ट्र के जलगांव जिले में चालीसगांव में एक दूरदर्शन रिले केन्द्र स्थापित किये जाने की महती आवश्यकता है। यह समझा जाता है कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने चालीसगांव को औरंगाबाद से रिले केन्द्र के विस्तार के साथ मिला दिया है। किन्तु औरंगाबाद के दूरदर्शन रिले केन्द्र की शक्ति बढ़ाने के बावजूद चालीसगांव क्षेत्र के लोगों को इसका लाभ नहीं मिलेगा क्योंकि विशाल पहाड़ियां चालीसगांव को औरंगाबाद से अलग करती हैं।

चालीसगांव तथा इसके आस-पास के क्षेत्रों की आबादी लगभग 21 लाख है। अतः, यदि चालीसगांव में एक दूरदर्शन रिले केन्द्र स्थापित किया जाता है तो इससे आसपास के क्षेत्रों के लगभग तीन लाख लोगों को लाभ पहुंचेगा। अतः, मैं सूचना और प्रसारण मंत्री से चालीसगांव में एक दूरदर्शन रिले केन्द्र स्थापित किये जाने की मंजूरी का अनुरोध करता हूं।

(नौ) कलकत्ता पत्तन, जहां उसकी क्षमता से आधा काम हो रहा है, का समुचित विकास किए जाने की मांग

कुमारी ममता बनर्जी (जादवपुर) : महोदय, कलकत्ता पत्तन दिन प्रतिदिन अपना महत्व खोता जा रहा है। कलकत्ता पत्तन, जो किसी समय देश का गौरव था, अपना महत्व खोता जा रहा है। ऐसा मुख्यतया इसकी उपेक्षा किये जाने तथा पूर्वोत्तर राज्यों के आर्थिक विकास हेतु सुविचारित नीति न होने के कारण है। फरक्का से गंगा के पानी को अन्य दिशा में मोड़ देने के कारण इस पत्तन की नौवहनता पर प्रभाव पड़ा है। समुद्री यातायात के प्रमुख भाग को अन्य पत्तनों की ओर मोड़ दिया गया है जोकि क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के लिय हानिकारक है। यह पत्तन अपनी क्षमता से आधा काम कर रहा है तथा निकट भविष्य में इसका विकास होने की प्रत्यक्षत: कोई संभावना दिखाई नहीं पड़ती है। इस सम्बन्ध में सरकार को कलकत्ता पत्तन को बचाने के लिये समुचित कदम उठाने चाहिये।

12.40 म० प०

केन्द्र-राज्य सम्बन्ध आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

—[जारी]

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा में श्री बूटा सिंह द्वारा प्रस्तुत किये गये निम्नलिखित प्रस्ताव पर आगे चर्चा की जायेगी :—

"कि यह सभा केन्द्र-राज्य संबंध आयोग के प्रतिवेदन पर विचार करती है।"

[हिन्दी]

गृह मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : उपाध्यक्ष जी, माननीय सदन पिछले 3 दिन से राष्ट्र के अति महत्वपूर्ण विषय केन्द्र और प्रान्तीय सरकारों के साथ व्यवहार के मुद्दे पर विचार कर रहा है। 40 वर्षों में शायद पहली बार माननीय सदस्यों को यह मौका मिला कि वह राष्ट्रीय महत्व के उन विषयों पर पुनः विचार करें कि हमारा संविधान, जो हमारे पुरखों ने इस देश के लिए कायम किया था, उसमें अनुभव के अन्तर्गत हमारा जो आज तक का एक्सपीरिएंस है, उसको सामने रखते हुए वर्तमान और भविष्य के लिए किस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे हमारा लोकतंत्र और सुदृढ़ हो सके, देश की एकता और अखंडता और मजबूत हो सके और देशवासियों को किस प्रकार से विकसित होना चाहिए और एक अच्छी स्थायी तौर पर शांति व्यवस्था का ढांचा मिल सके। स्वाभाविक था कि इस विषय पर पार्टी स्तर से ऊपर उठकर और राजनीति के ज्वलन्त मामलों को एक तरफ रखकर पूरी गम्भीरता के साथ, पूरी गहराई में जाकर, माननीय सदस्य इस पर विचार करते। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि अधिकतर सांसदों ने इस बात को निभाया। बीच-बीच में कुछ माननीय सदस्यों ने प्रान्तों के छोटे-छोटे सवालों को उठाकर हमारी चर्चा में थोड़ी-सी उत्तेजना पैदा की, गर्मा-गर्मी भी हुई, मगर साधारणतया यह पूरी चर्चा मूल रूप से सैद्धान्तिक और मूल प्रश्नों के ऊपर रही, जिसके लिए मैं माननीय सदस्यों का अपनी तरफ से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने पार्टी के दृष्टिकोण से ऊपर उठकर देश के हित में, समाज और राष्ट्र के हित में जो विचार व्यक्त किए हैं वह बहुत मूल्यवान हैं।

यह जाहिर है कि आज भी हमारे राजनीतिक दल, चाहे वे विरोधी पक्ष के हों, सत्ताधारी पक्ष के हों, जब भी कोई राष्ट्र का प्रश्न उठता है, तो चिन्तन राष्ट्रीय मुद्दों पर, इस बात को सामने रखकर ही किया जा सकता है कि देश किस तरह समृद्ध हो सकता है, मजबूत हो सकता है, किस तरह से देश की सुरक्षा और देश के अन्दर सामाजिक शांति, एकता और परस्पर प्यार कायम रखा जा सकता है। इसके लिए मैं सभी माननीय सदस्यों का, जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया है, एक-एक का नाम लेना मुश्किल है, सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूं।

सबसे पहले यह प्रश्न उठा था कि सरकार की तरफ से इस सरकारिया आयोग की सिफारिशों पर अब तक क्या कार्यवाही हुई? जैसा माननीय सदन के सामने मैंने पहले भी कहा था कि सरकार ने इस माननीय सदन की सिफारिशों को पूरे ओपन-माइन्ड से लिया है। हमने सोचा कि जैसा सरकारिया आयोग ने अपनी रिपोर्ट तैयार करने से पहले बहुत विस्तृत ढंग से, देशव्यापी ढंग से न केवल राजनीतिक दलों और दूसरे सदस्यों को, जिन्होंने इसमें दिलचस्पी दिखाई, चाहे बार-कौंसिल थी, दूसरे बुद्धिजीवी लोग थे, प्रान्तीय सरकारों के राजनीतिक दल थे, सबसे लिखित रूप में, मौखिक रूप में पूरे देश का भ्रमण करके, मुझे याद है कि आयोग के सदस्य स्टेट कैपिटल्स में गए और उन्होंने विशेषज्ञों के साथ बातचीत की। मैंने स्वयं कमीशन के सामने पेश होकर बहुत लम्बी वार्ता में हिस्सा लिया। मेरे सहयोगी बहुत से मंत्रीगण गये, विरोधी दल के लीडर गये और मुख्यमंत्रियों के साथ उन्होंने विचार-विमर्श किया। जो कमीशन की रिपोर्ट बनी है यह सही मायने में विषय को ध्यान में रख कर उसकी महत्ता को सामने रख कर बनाई गई है। सरकारिया साहब और उनके सहयोगी सदस्यों ने इसको बहुत विस्तृत ढंग से बनाया है। इस कारण पूरे सदन की ओर से, पूरे देश की ओर से मैं सरकारिया साहब और उनके साथी सदस्यों को धन्यवाद करना चाहता हूं। उन्होंने जो एक बहुत बड़ा कार्य किया है उसके लिए देशवासी उनके ऋणी रहेंगे।

मान्यवर, सबसे पहला प्रश्न जिसको कि प्रत्येक सदस्य ने छुआ है, चाहे कांग्रेस पक्ष से हों या विरोधी पक्ष से हों वह है हमारे देश के संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है जो फैडरल स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर सबसे अधिक विचार किया है। बहुत से मान्यवर बुद्धिजीवी सदस्यों ने इसको दूसरे देशों के साथ मिलाने की कोशिश की और उसमें अमेरिका, कैनेडा, आस्ट्रेलिया और यू० के० के संविधान का उल्लेख किया। इस विषय में मैं इतनी ही बात कहना चाहूंगा कि हमारा जो फैडरल स्ट्रक्चर है, यह अपने किस्म के ढांचे में काम कर रहा है। हमारे यहां जनतंत्र है। बहुत से ऐसे देश हैं जहां फैडरल स्ट्रक्चर तो हैं लेकिन जनतंत्र नहीं है। इसलिये उनके साथ हम मुकाबला करेंगे तो वह परिस्थितियां वहां नहीं मिलेंगी जो परिस्थितियां हमारे देश में हैं। मैं सभी देशों की बात नहीं कर रहा हूं मगर जब हम मुलाकात करने के लिये खड़े होते हैं तो बात परिस्थितियों की चलती है कि किस परिस्थितियों में वह संविधान वहां काम कर रहा है। हमारे यहां जनतन्त्र है और लोकतंत्र है। हमें इस बात की खुशी है कि प्रत्येक देशवासी के दिल में यह चीज जम चुकी है और हमें इसका आभास तब हुआ जब 1977 में एक बहुत बड़ी तबदीली हुई। यदि देशवासियों के मन में लोकतंत्र के प्रति आस्था नहीं रहती तो संभवतः इतनी बड़ी तबदीली में हमारा ढांचा बिखर गया होता। बहुत से देश इसी प्रखण्ड में एशिया के कान्टीनेंट में देखने को मिलेंगे। जब तबदीली होती है तो सारा का सारा ढांचा बदल जाता है और अक्सर वर्दी पहने लोग सरकार में आ जाते हैं। इसलिये मैं समझता हूं कि लोगों के प्रति हमारी एक बहुत बड़ी श्रद्धा है और एक ट्रिब्यूट है देशवासियों के प्रति कि उन्होंने लोकतंत्र को परिपक्व किया और लोकतंत्र के प्रति अपनी आस्था को कम नहीं होने दिया। जब हम दूसरे देशों के साथ इसका मुकाबला करते हैं तो उस वक्त हमें इस चीज को ध्यान में रखना चाहिये कि देश की परिस्थितियां और उसकी जो प्रक्रियायें हैं, उनका भी हमारे लोकतंत्र पर असर पड़ता है। यह सभी जानते हैं कि हमारा संविधान ढांचा फैडरल स्ट्रक्चर का है। मान्यवर सदस्य मेरे से ज्यादा विद्वान हैं और कानून में माहिर हैं इस कारण मैं ज्यादा इसमें नहीं जाना चाहूंगा। पहले एक उदाहरण देकर मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। मेरा मकसद उस कांस्टिटूमेंट असेम्बली की डिबेट से है जिसमें उस पर चर्चा हुई थी कि हमारे देश का जो संविधान है वह एक फैडरल स्ट्रक्चर का है। जब कांस्टिटूयेंट असेम्बली में 1949 में इस बात की चर्चा हुई तो बड़े-बड़े उस वक्त के महान विद्वानों और बड़े-बड़े नेताओं ने इसके ऊपर अपने-अपने विचार व्यक्त किये थे और ऐसे विचार हुए थे कि—

[अनुवाद]

"संविधान सभा 1949 द्वारा बनाये गये संविधान में एक महत्वपूर्ण संघात्मक विशेषता है। परन्तु इसे विशिष्ट प्रकार से संघात्मक नहीं कहा जा सकता। इसको एकात्मक भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि इसमें एक विशेष प्रकार की विविध राजनीतिक प्रणाली की परिकल्पना की गई है। डा० अम्बेडकर ने कहा है कि संविधान एक असाधारण स्थिति, जैसे युद्ध अथवा आपातकाल के दौरान एकात्मक है तथा सामान्य स्थिति में यह संघात्मक है। कुछ विधिवेत्ताओं ने भी हमारी संघात्मक प्रणाली को अर्द्ध-संघात्मक संविधान प्रणाली बताया है।"

[हिन्दी]

इन लबिल्स के कोई इतने ज्यादा माइने नहीं हैं जितना कि इस कांस्टीट्यूशन के अन्तर्ग . जब हमारे देशवासी आगे बढ़े हैं और इस कांस्टीट्यूशन का जो प्रभाव हुआ है हमारे शासन पर,

हमारा जो न्यायिक ढांचा है उस पर, उसको जब हम देखते हैं, तो उस वक्त हमें पुनः डा० बाबा साहब अम्बेडकर की याद आती है। हिन्दुस्तान का जो कांस्टीट्यूशन है, उसके लिए जब उन्होंने मोशन मूव किया था, तो उन्होंने यह कहा था :

[अनुवाद]

डा० अम्बेडकर ने भारत को राज्यों का संघ की संज्ञा दिये जाने के प्रस्ताव पर बोलते हुये कहा था तथा मैं इसे उद्धृत करता हूं : "कि यद्यपि भारत एक संघ होगा परन्तु यह संघ संघ में सम्मिलित होने के बारे में राज्यों के साथ समझौते का परिणाम नहीं होगा और चूंकि संघ समझौते के परिणामस्वरूप नहीं बना है, अतः किसी भी राज्य को उससे अलग होने का अधिकार नहीं है। संघ एक संयोजन है, क्योंकि इसे तोड़ा नहीं जा सकता है। यद्यपि देश एवं लोगों को प्रशासनिक सुविधा हेतु विभिन्न राज्यों में विभाजित किया जा सकता है परन्तु देश एक ही है। एक ही स्रोत से बनी एक ही परम सत्ता के अधीन रहने वाले लोग एक ही हैं। अमरीकियों को यह सिद्ध करने के लिये कि राज्य संघ से अलग नहीं हो सकते हैं, गृह युद्ध लड़ना पड़ा था तथा अब उनका संघ तोड़ा नहीं जा सकता। प्रारूप समिति ने यह सोचा था कि इस पर बाद में विचार करने अथवा इसे विवाद के लिये छोड़ने की बजाय इसे पहले ही स्पष्ट करना बेहतर है।

अतः हमारे संविधान निर्माताओं ने संघ के बारे में ये विचार व्यक्त किये थे। अब यदि हम अपने संविधान के कार्यकरण को देखें और अपने देश की संकल्पना को देखें जो हमारे देशवासियों, जो इतने शिक्षित नहीं हैं और यहां तक कि निरक्षर हैं, के मन में बैठी हुई है, तो उन्होंने भी इस बात को अब महसूस करना शुरू कर दिया है।

[हिन्दी]

यह जो हमारा कांस्टीट्यूशन है, इसका जो प्रीएम्बिल हमारे पुरखों ने लिखा है, वह सही माइनों में पूरे देश को समूचे तौर पर एक यूनिट मान कर चला है। मैं इस बात पर इसलिए बल दे रहा हूं क्योंकि बहुत से हमारे सदस्यों ने, दोनों तरफ से, स्टेट्स की और सेन्टर की बात की है। यह जो स्टेट्स और सेन्टर का आइडिया है, यह तो डेवलपमेंट्स के कामों में, शासन के कामों में या छोटा-मोटा महकमा यहां रहना चाहिए या वहां रहना चाहिए, इन चीजों को लेकर उत्पन्न होता है। अगर हम सारी स्कीम आफ थिंग्स को देखें, इसके पीछे जो फिलास्फी है, उसको देखें, तो हमको अपने ही संविधान के प्रीएम्बिल को पढ़ना होगा। उसमें यह बात बहुत स्पष्ट कही गई है कि हम भारत के लोग, भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्व-सम्पन्न, समाजवादी पंथ-निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीति विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए, इस संविधान का देश का निर्माण करते हैं। इससे यह साबित होता है कि जिस वक्त हमारे देश का संविधान निर्मित हुआ था, उस वक्त पूरे देश को एक यूनिट माना गया था। उस वक्त यह प्रश्न नहीं था हमारे उन पुरखों के मन में कि अमुक प्रान्त में कुछ लोग अपने आप को एक नेशन का नाम देंगे। जैसा कि माननीय सदस्या श्रीमती गीता मुखर्जी ने इशारा किया, इस प्रीएम्बिल के अन्तर्गत इस चीज का अन्तिम निर्णय हो चुका है। देश को मल्टी-नेशनल कहना या वेरियस नेशन्स की बात कहना, इस संविधान के अन्तर्गत मेरी तुच्छ बुद्धि के अनुसार, इस बात को कदाचित नहीं माना जा सकता। क्योंकि समूचा देश ही एक है। इस बात का असर हमारे देशवासियों की मनोवृत्ति पर पड़ सकता है। यह बहुत मिसलीडिंग बात हो सकती है। बड़ी बद-

किस्मती की बात है कि हमारे कुछ राजनीतिक दल आज भी इस बात की चर्चा करते हैं। वे शायद किसी दूसरे संविधान से प्रेरक होते हैं। जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि दूसरे देशों के संविधान उनकी परिस्थितियों के अंतर्गत हैं। उनके अनुकूल या प्रतिकूल हैं। हमारे देश का संविधान हमारे देश की परिस्थिति और प्रक्रियाओं के अनुकूल है। इसलिए हमें किसी दूसरे देश की नकल करते वक्त हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि यदि हम इस तरह की बात करते हैं तो इसका असर हमारे देश की बुनियादी एकता पर तो नहीं पड़ेगा।

इसी से पैदा होती है सन आफ द सॉयल की थ्योरी। इसी से पैदा होती है नफरत हमारे उन देशवासियों के प्रति जो न जाने कब से देश के एक कोने से दूसरे कोने में जाकर के आबाद हुए और जो यह भूल भी गये कि हमारे पुरखे कब आए थे और जो अपने आप को उसी प्रांत का नागरिक, उसी प्रांत का देशवासी मानते हैं। आज जब इस विचार को लेकर के लोग लोगों में चलते हैं कि हम मल्टी नेशनल हैं तो उससे अशांति उत्पन्न होती है। चाहे वह असम हो, चाहे वह तमिलनाडु हो, चाहे वह महाराष्ट्र हो, चाहे वह पंजाब हो, चाहे वह नागालैंड हो, कहीं भी हम चले जाएं, इस विचार को लेकर के, सब संकीर्ण विचार को लेकर के, हमारे देश और समाज में एक ऐसी अशांति पैदा होती है कि वहां के मासूम और इन्नोसैंट लोगों के ऊपर इतने अत्याचार होते हैं कि उनको केम्पस में रहना पड़ता है, उनकी दुकानें जला दी जाती हैं। उनको प्रांत छोड़कर कहीं दूसरी जगह जाना पड़ता है। यह इसी की जड़ है। इसलिए मैं चाहता हूं कि मान्यवर सदन और पूरा देश, पूरी तरह से निश्चय करके इस बात पर चले कि यह एक राष्ट्र है, हम एक ही राष्ट्र हैं जिसमें मल्टी शन की बात कदाचित हो ही नहीं सकती। हिन्दुस्तान हमारा देश है और हम सब हिन्दुस्तानी हैं।

हमारा धर्म अलग हो सकता है, हमारा वेश अलग हो सकता है, हमारी भाषा अलग हो सकती है। भाषाओं को हम जितना सत्कार दे सकें, जितना उनका विकास कर सकें, थोड़ा है। सबकी सब हमारी हिन्दुस्तानी भाषाएं हैं। मगर इसमें जब इस विचार को हम जोड़ते हैं कि हमारी नेशन अलग हो सकती है तब हमारे देश की एकता और अखंडता को खतरा पैदा होता है। यह विषय किसी दल का नहीं है। इसलिए मैं बार-बार इसको दोहरा रहा हूं। इसको इसी दृष्टिकोण से देखना चाहिए। अगर इस बात को हम बहुत हल्के ढंग से लेंगे तो अच्छी वृत्तियां पैदा नहीं होंगी।

ऐसी वृत्तियां पैदा हो चुकी हैं और खतरा बन चुकी हैं। आज जो देश के कोने-कोने में हमें साम्प्रदायिक भावना मिलती है, भाषावाद की भावना मिलती है, प्रांतीयता की भावना मिलती है वह इसी वृत्ति से पैदा होती है। आज किसी एक प्रांत में उसी प्रांत के नागरिक को नोकरी से वंचित किया जाता है। सन आफ द सॉयल की थ्योरी के नीचे यह किया जाता है।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : बहुत खतरा है।

सरदार बूटा सिंह : बहुत खतरा है। इसलिए हम और आप, और सब लोगों को मिलकर के ऐसी खतरनाक चीज को दबा देना चाहिए। इसमें कोई भी पार्टी का, भाषा का अंतर नहीं रहना चाहिए। इससे आगे बढ़कर मैं कहना चाहता हूं···

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : आप इसका खुलेआम विरोध करते हैं।

[हिन्दी]

सरदार बूटा सिंह : इससे ज्यादा ओपन क्या हो सकता है ? सोमनाथ जी, यह सदन सर्वोच्च है। इस सदन से पूरे राष्ट्र को संकेत जाता है और मैं तो कहना हूं कि हम तो आभारी हैं उन महान देशभक्तों के, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के, पंडित जवाहर लाल नेहरू के, श्रीमती इन्दिरा गांधी के जिन्होंने हमें एक जीवन दान दे दिया। यह चीज जब तक हमारे देश में मजबूत रहेगी देश को किसी किस्म का खतरा नहीं हो सकता। जिस दिन इसके ऊपर कुठाराघात होगा, उसी दिन देश कमजोर हो जाएगा। इसलिए मैं इसका उल्लेख जरा बल देकर के करना चाहता हूं।

मान्यवर सदस्य जानते हैं कि यह कमीशन 1983 में कायम हुआ था और स्वर्गीय श्रीमती इन्दिरा गांधी जी ने किया था। उस वक्त किसी प्रकार की कहीं से मांग नहीं थी। (**व्यवधान**) मैं 1983 की बात कर रहा हूं। उस वक्त चर्चा थी। मगर इस कमीशन की नियुक्ति श्रीमती इंदिरा गांधी ने राष्ट्रीय हित में की थी।

1.00 म० प०

मैं आज इस अवसर पर उनको श्रद्धांजलि देता हू, क्योंकि उन्होंने देश हित को कितना बड़ा और कितना महान समझा, क्योंकि वे देश के प्रत्येक हिस्से के देशवासियों से इतने परिचित थे, उनका देश के बारे में इतना चिन्तन था कि उन्होंने संवैधानिक ढांचे को 40 वर्षों मे जो लागू हुआ, उसके जो परिणाम हमारे सामने आए, अब मौका आ गया है कि देशवासी इस पर विचार करें और देखें कि इस ढांचे में और तब्दीली करने की जरूरत है या नहीं। अब मौका आ गया है इसलिए उन्होंने 1983 में इसका गठन किया और जो रिपोर्ट हमारे सामने आई है, उनके दिए हुए दृष्टिकोण और आदेश को इस कमीशन ने पूरी तरह से निभाया है। कोई प्रश्न ऐसा नहीं है जिसका राष्ट्रीय जीवन के साथ सम्बन्ध हो और पूरी तरह उसकी तह में जाकर उसका निरीक्षण न किया हो। दिस रिपोर्ट इटसैल्फ इज ए ट्रिब्यूट टू दी मेमोरी आफ लेट श्रीमती इंदिरा गांधी जी।

जिन्होंने देश के इस बड़े प्रश्न को सामने रखकर इतनी बड़ी एक्सरसाइज करवाई थी, माननीय सदस्यों ने भी बहुत से पहलुओं को लेकर जिक्र किया है, खासकर श्री अयप्पू रेड्डी, श्री गाडगिल, श्री सोमनाथ चटर्जी, श्री तम्पन थामस, श्री गीता मुखर्जी, श्री सोमू आदि ने इस बात का उल्लेख करते हुए, इस सदन में इस बहस में हिस्सा लेते हुए जिन चीजों को कहा, उन बातों पर जैसा मैंने शुरू में कहा था कि आज की बहस के बाद क्योंकि हमने यह फैसला किया था कि जैसे ही कमीशन की रिपोर्ट हमारे सामने आए, उस रिपोर्ट के ऊपर जितनी चर्चा हो चुकी है, उसके बाद सरकार अपना दृष्टिकोण कायम करेगी। अभी तक सरकार ने इस कमीशन की रिपोर्ट पर अपना पक्ष पूरी तरह से नहीं निभाया है, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि यह जो राष्ट्रीय महत्व की बात है, यह पार्टी का, गवर्नमेंट का या अपोजीशन का प्रश्न नहीं है, इसलिए इस पर देश में विस्तार से और देशव्यापी चर्चा हो; इसलिए इसको लेकर हम कंसल्टेटिव कमेटी में गए, चार दिन लगातार गृह मंत्रालय की कंसल्टेटिव कमेटी में इस पर बहस हुई, चार मीटिंगें हुईं, उसके बाद राज्यसभा में 3-4 दिन इस पर बहस हुई और सर्वोच्च लोकसभा के इस सदन में बहस आज समाप्त हो रही है। इसके साथ-साथ हमने राज्य सरकारों के पास और देश के बड़े-बड़े चिंतक, पत्रकार, मुख्य संपादक, बुद्धिजीवी, बार कौंसिल, जो लोग भी इसमें दिलचस्पी रखते हैं, उनके पास कमीशन की रिपोर्ट भेजी हुई है, हमें

उनके विचार मिल रहे हैं, जैसे ही यह प्रक्रिया समाप्त हो आएगी, वैसे अभी तक गवर्नमेंट के पास 19 प्रान्तों की तरफ से दृष्टिकोण आ चुका है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आप कितना समय लेंगे ?

[हिन्दी]

सरदार बूटा सिंह : जैसे आपकी इच्छा हो, वैसे मैं ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा और लूंगा।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : यदि सभा चाहे तो हम मध्यान्ह भोजन के लिए जा सकते हैं।

अनेक माननीय सदस्य : जी हां।

उपाध्यक्ष महोदय : मन्त्री महोदय अपना भाषण मध्यान्ह भोजन के बाद जारी रख सकते हैं।

1.04 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा मध्यान्ह भोजन के लिए 2.05 म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

2.10 म० प०

मध्यान्ह भोजन के पश्चात् लोक सभा 2.10 म० प० पर पुनः समवेत हुई।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

केन्द्र-राज्य सम्बन्ध आयोग के प्रतिवेदन बारे में प्रस्ताव

—[जारी]

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री बूटा सिंह अपना भाषण जारी रखेंगे।

[हिन्दी]

गृह मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : उपाध्यक्ष जी, मैं अर्ज कर रहा था कि संविधान के अन्तर्गत समूचे देश को इकाई मानकर देश की व्यवस्था प्रशासनिक अथवा संवैधानिक कायम की गई। अब मैं आयोग की जो मुख्य बड़ी-बड़ी सिफारिशें हैं, उनकी ओर सदन का ध्यान खींचना चाहता हूं। आयोग ने स्पष्ट रूप से इस बात को स्वीकार किया है कि जहां तक लेजिस्लेटिव फील्ड की बात है, वहां संसद का प्रभुत्व यानी सुप्रीमेसी आफ दी पार्लियामेंट माना जायेगा। जहां तक एक्जीक्युटिव की बात है वहां यूनियन को प्रभुत्व माना जाएगा। इन दोनों बातों में भी वही आदर्श काम कर रहा है। मैंने आपसे पहले कहा कि समूचे देश को इकाई मानकर और समूचे देश के

शासन को किस ढंग से संचालित किया जाए। सर्वोच्च विधायक प्रक्रिया पार्लियामेंट के हाथ में रहे और सर्वोच्च प्रशासनिक प्रक्रिया संघ के हाथ में रहे तभी यह इकाई मजबूत हो सकती है, इसलिए आल इंडिया सर्विसेज जैसे आई० ए० एस०, आई० पी० एस० वगैरह केन्द्र सरकार के अन्तर्गत ही संचालित होती रहे। जहां तक एक्जीसटिंग डिस्ट्रीब्यूशन आफ पावर्स की बात कही है, कमीशन ने स्पष्ट कहा है कि आज तक की जो व्यवस्था है।

[अनुवाद]

कराधान शक्तियों सहित शक्तियों का वर्तमान विभाजन ठीक रहा है।

[हिन्दी]

इसको बनाए रखेंगे और इसके साथ-साथ राज्यों को ज्यादा साधन उपलब्ध हो सकें, उसके लिए जो सिफारिशें की हैं, उसके ऊपर भारत सरकार की तरफ से खुली दृष्टि है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : सिद्धांततः दृष्टि कब डालेंगे।

सरदार बूटा सिंह : इस बहस के बाद सरकार इसके ऊपर विचार करेगी।

श्री सोमनाथ चटर्जी : चीफ मिनिस्टर्स के साथ बात कीजिए।

सरदार बूटा सिंह : मैं पहले ही कह चुका हूं कि 19 राज्यों की राय आ चुकी है और बाकी सब मिल जाएंगी तो उसके बाद सरकार अपना दृष्टिकोण कायम करेगी।

श्री सोमनाथ चटर्जी : कारपोरेशन टैक्स का क्या होगा।

सरदार बूटा सिंह : आपके सुझावों पर सरकार इस बहस के बाद अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करेगी। इमरजेन्सी की पावर्स की बात बहुत से सदस्यों ने की है। कमीशन ने भी और हमारा अनुभव भी यही कहता है कि जहां तक हुआ है बहुत ही आवश्यक परिस्थिति में इन पावर्स का प्रयोग किया गया है। काफी लम्बे अरसे से इनके ऊपर अमल हुआ और कई जगह पर इनका इस्तेमाल किया गया। इसके पीछे यह भावना नहीं थी कि किसी अमुक पार्टी की सरकार को अपदस्थ करने के लिए इमरजेन्सी की पावर्स का इस्तेमाल किया हो। इस प्रकार की भावना नहीं रही। हालांकि हमारे बहुत से उधर के माननीय सदस्यों ने कहा कि कुछ ऐसे मौके थे जिनमें राजनीतिक भावना से प्रेरित होकर बहुत भारी संख्या में राज्य सरकारों को अपदस्थ किया गया। लेकिन हमारी तरफ से इसका प्रयोग इस दृष्टि से नहीं किया गया कि किसी खास दल की सरकार को अपदस्थ करें। देश और उस प्रांत की परिस्थितियों को अनिवार्य देखते हुए आवश्यकता हुई तो ऐसा किया गया, वरना नहीं। मैं भविष्य के लिए भी कह सकता हूं कि हम इस चीज को कभी नहीं चाहते कि लोगों की चुनी हुई सरकार किसी तरह से हमें अपदस्थ करनी पड़े। लेकिन परिस्थितियां ऐसी हो जाएं जिससे देश की एकता, भावनात्मक एकता और समाज की एकता खतरे में पड़ती दिखाई दे तो उस वक्त की सरकार इन व्यवस्थाओं का सामना न कर सके तो उसकी सहायता के लिए हमें यह कदम उठाना पड़े तो हम संविधान से इस प्रावधान को दूर करने के पक्ष में नहीं हैं। आगे चलकर बहुत से माननीय सदस्यों ने राज्यपालों की नियुक्ति के बारे में चर्चा की। श्री सालवेन्द्र जी, शरद दिघे जी, वृद्धि चन्द्र जी, हेतराम जी, महाजन साहब और वीरेन्द्र पाटिल तथा बहुत से सदस्यों ने इसके ऊपर अपने विचार प्रकट किये। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारी सरकारों ने, हमारे बड़े-बड़े महान नेताओं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और इंदिरा गांधी ने जो मीनारें कायम की थीं हमने उनको सदैव ध्यान में रखा है जब हम किसी राज्यपाल के बारे

में बात करते हैं तो हमें उसके इंस्टीट्यूशन को लेकर चलना चाहिए न कि व्यक्ति को। हमारा अनुभव साधारणता बहुत अच्छा रहा है। कहीं कभी किसी व्यक्ति की वजह से कोई ऐसी घटना हो गई हो जिससे राज्यपाल के दरमियान, राज्य के दरमियान और राज्य के मुख्यमन्त्री के दरमियान ऐसे हालात पैदा हो गये हों तो यह स्वाभाविक है ऐसा हो गया हो, एक दल में भी हुआ है, दूसरे दल में भी हुआ है, लेकिन उस व्यक्ति को लेकर हम इंस्टीट्यूशन को तब्दील करें यह देश के हित में नहीं होगा। राज्यपालों की नियुक्ति में उनकी योग्यता, क्षमता और अनुभव का पूरा ध्यान रखा जाता है। राज्यपालों की नियुक्ति से पहले सम्बन्धित राज्य के मुख्य मन्त्री से परामर्श करना भले ही हमारे संविधान में इसका विधिवत प्रावधान नहीं है, फिर भी एक प्रक्रिया के रूप में और औपचारिकता के रूप में और केंद्र राज्य संबंधों में तालमेल की दृष्टि से मैं यह बात कह सकता हूं कि एक भी राज्यपाल ऐसा नियुक्त नहीं किया गया जिसमें किसी मुख्य मन्त्री के साथ परामर्श न हुआ हो।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : पश्चिम बंगाल में क्या किया, सिर्फ खबर दे दी।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : इससे पता चलता है कि कितनी दूर तक** बोल सकते हैं···

श्री सोमनाथ चटर्जी : गलत कहा है।

सरदार बूटा सिंह : सैफुद्दीन साहब मेरे छोटे भाई हैं। उनकी बात को मैं मजे में लेता हूं, वह मुझसे उम्र में भी काफी छोटे हैं। लेकिन सच्ची बात यह है कि मैं इसको "···" नहीं कहूंगा। बात यह है कि जिस समय परामर्श चल रहा था, मैं उनका बहुत आदर करता हूं, काफी सम्मान करता हूं उन मुख्य मंत्री जी का, जब परामर्श चल रहा था तो उन्होंने कहा कि आपसे तो मैंने परामर्श किया है, लेकिन अखबारों को कहूंगा कि परामर्श नहीं किया गया···

श्री बसुदेव आचार्य : खाली सूचना दे दी।

सरदार बूटा सिंह : आपस में हमारा अच्छा भावात्मक सम्बन्ध है। इसलिए मैं नहीं कहना चाहता हूं कि एक विरोधी पक्ष के मुख्य मन्त्री होते हुए उनको जो कहना था वह दरकार है, मुझे गृह मंत्री के नाते अपना काम करना है, वह जरूरी है। मगर हमारे देश का हित हम दोनों का हित इसमें है कि देश का काम चले। मेरा कहने का मतलब है कि हर राज्य सरकार के साथ उनका परामर्श हुआ है और इस बात को बाकायदा ध्यान में रखा जायेगा। इस विषय में हमारा अब तक का जो अनुभव रहा है, वह इतना ज्यादा खराब नहीं है, फिर भी स्थिति में जो सुधार संभव हो सकता है, इजाफा हो सकता है, हम उसे करने के लिए तैयार रहते हैं।

इसके बाद कुछ माननीय सदस्यों ने इंटर-स्टेट कौंसिल की चर्चा की और सरकारिया आयोग ने भी इसके बारे में अपनी सिफारिश की है। मुझे खुशी इस बात की है कि दोनों पक्षों के सांसदों ने, इस पक्ष के भी और विरोधी पक्ष के भी, बिना किसी दलगत भावना को ध्यान में रखते हुए बड़े शुद्ध विचार, अच्छे स्पष्ट विचार इस सदन में रखे हैं, देश-हित को सामने रखते हुए अपने विचार दिये हैं। इनमें श्री अय्यपू रेड्डी, गाडगिल साहब, श्री सोमनाथ चटर्जी, श्रीमती गीता मुखर्जी, श्री तम्पन थामस, सोमू साहब और श्री वीरेन्द्र पाटिल आदि माननीय सदस्य शामिल हैं

** अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया।

जिन्होंने इस विषय पर बहुत सुचारू ढंग से, बहुत अच्छे विचार सदन में रखे हैं। हमारे संविधान में इस बारे में कोई नई चीज नहीं है, पहले से ही जो प्रावधान हैं मगर फैक्ट यह है कि नेशनल डेवलपमेंट कौंसिल या टैक्सेशन के बारे में जो बोडीज बनी हुई हैं, उनमें हमारा अनुभव बहुत अच्छा रहा है। हमारी कोशिश यही रहती है कि कोई ऐसा संस्थान न कायम हो जाये जिससे राष्ट्र-हित की बजाय उसमें किसी दल विशेष, सत्ताधारी दल या विरोध पक्ष की भावना उभर कर सामने आने लगे। मैंने नेशनल डेवलपमेंट कौंसिल की मीटिंग्स अटेंड की हैं, मैं यहां उसके सम्बन्ध में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता परन्तु वहां मुझे जो आभास हुआ है, वह थोड़ा चिन्ताजनक अवश्य है। उदाहरण के लिए, हर राज्य में प्लान पर विस्तृत चर्चा होती है, जैसा मेरा अनुभव है, प्लानिंग प्रोसेस के अन्तर्गत पहले प्रांतों की ओर से अपने-अपने प्लान बनाये जाते है, उसके बाद वे प्लान प्लानिंग कमीशन के सामने लाये जाते है, प्लानिंग कमीशन में पूरे राष्ट्र के दृष्टिकोण को सामने रखकर, पूरे राष्ट्र के कैन्वैस को सामने रखकर, उन्हें राज्यों की ओर से जितने प्लान प्राप्त होते हैं, उन सबको दृष्टि में रखते हुए, समूचे देश के रिसोर्सेज को दृष्टि में रखते हुए, समस्त देश की व्यवस्था को सामने रखते हुए, हर राज्य को जितना अधिक से अधिक प्रावधान सम्भव हो सकता है, उतने रिसोर्सेज उपलब्ध कराते जाते हैं, वितरण किया जाता है। इस तरह हर राज्य के प्लान में जो योजनाएं शामिल होती हैं, उन सबको स्वीकृति दी जाती है। यदि इस बात को सीधे रूप में कहा जाए तो ऐसे कह सकते हैं कि राज्य सरकारों की ओर से प्राप्त प्रस्तावित प्लान्स में, ब्रोडर नेशनल कैन्वैस को सामने रखते हुए, पूरे राष्ट्र के विभिन्न पहलुओं को सामने रखते हुए, इस तरह एलोकेशन की जाती है ताकि समस्त राष्ट्र का समग्र विकास हो, यदि किसी एक राज्य का विकास ज्यादा हो जाए तो उसका कंट्रीब्यूशन पूरे राष्ट्र को मिले, पूरे राष्ट्र की रिसोर्सेज प्रांत के पीछे हो जायें। उसी परिप्रेक्ष्य में नेशनल डेवलपमेंट कौंसिल में मुख्य मंत्रियों के सामने प्रस्तावित प्लान पर चर्चा की जाती है, प्रियोरिटीज फिक्स होती हैं और नेशनल स्तर पर बना पांच साला प्लान फिर इस सदन में आता है और यहां उस पर विस्तृत चर्चा की जाती है। तब जाकर स्टेट प्लांस को मंजूरी मिलती है। यदि हम समूचे राष्ट्र पर दृष्टिपात करें, हमारे पूर्वान्चल के जितने 7-8 प्रांत हैं, उनके रिसोर्सेज पर ध्यान दें, यदि हम यह मानकर चलें कि जिस राज्य की जितनी क्षमता है, उसका प्लान उतना हो जाये तो मैं कह सकता हूं कि विशेषकर पूर्वान्चल क्षेत्र में, जिससे हमारे सभी पहाड़ी क्षेत्र, उत्तर प्रदेश का पर्वतीय अंचल, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, राजस्थान का रेगिस्तानी इलाका, गुजरात आदि का तटवर्ती इलाका शामिल है, उन सबके साधन बहुत सीमित हैं। आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, बंगाल है और बहुत से ऐसे प्रांत हैं जिनके साधनों की सीमा वहां की भोगोलिक परिस्थितियों से प्रभावित होती है और फिर ऐसा समझा जाना चाहिए कि कोई भी प्रांत सक्षम नहीं हो सकता है और खासकर पूर्वान्चल का तो आपको मालूम है, हमें पूरे उस क्षेत्र को उनकी एसेंश्यल कमोडिटीज देश के दूसरे हिस्सों से भेजनी पड़ती हैं।

अभी आज सुबह गोस्वामी जी जिक्र कर रहे थे, हम जानते हैं कि इस प्रकार की एक बोडो की एजीटेशन ने पूरे पूर्वान्चल को मुसीबत में डाल रखा है। वहां खाद्यान्न नहीं जा पा रह है, दस-दस, बीस-बीस दिन रेलगाड़ी नहीं चलने दी जाती है। जितने भी हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग हैं वे बंद हो जाते हैं। एक तो उस स्टेट्स में प्रोडक्शन इतना ज्यादा नहीं है कि वे खुद हमारे देश-वासियों का पूरी तरह से पालन कर पाएं। दूसरे वितरण व्यवस्था इतनी मुश्किल है कि कलकत्ता से कोहिमा पहुंचते-पहुंचते कितनी कॉस्ट लग जाती है। इसलिए यह जो इस वक्त हमारी प्लानिंग

का ढांचा है जिसमें समूचे राष्ट्र का आवश्यकता को सामने रखा जाता है, पूरे राष्ट्र के हित को सामने रखा जाता है, मैं समझता हूं कि इससे अच्छा कोई आदर्श दूसरा नहीं हो सकता । इसलिए मैं समझता हूं कि नई इंटर स्टेट कौंसिल कोई उपयोगी नहीं होगी । फिर भी हम इसको खुले मन से देखेंगे और विवाद का ये एक नया केन्द्र शुरू न हो जाए जिससे हमारी इस वक्त विकास की गति चल रही है, जो हमारी प्राप्तियां हमें हासिल हो रही हैं, उनमें बाधा न पड़ जाए, लेकिन फिर भी माननीय सदस्यों से इस संबंध में जो विचार व्यक्त किया है, उसको हम खुले मन से देखेंगे कि वर्तमान हालात में जो व्यवस्था है, उसमें कोई सुधार करने की आवश्यकता होगी, तो उसे हम करेंगे ।

इसके साथ ही आगे चल कर एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर सरकारिया कमीशन की सिफारिश की है कि जो राज्य सरकारों की तरफ से विधेयक हमारे सामने आते हैं, स्टेट बिल्स हमारे पास आते हैं, और उनमें जो कंकरेंट लिस्ट है, उसमें केन्द्रीय सरकार की तरफ से ज्यादा नियन्त्रण किया जाए, ज्यादा से ज्यादा उनको स्टेट्स के सामने रखा जाना चाहिए, हमें नहीं लेना चाहिए । मैं तो इतना ही कह सकता हूं कि जितने भी आज तक हुए हैं, यदि उसका किसी को लाभ हुआ है, तो राज्य सरकारों को हुआ है । कंकरेंट लिस्ट में भी सब्जैक्ट लिए, चाहे उनके बारे में कानून पार्लियामेंट ने बनाए हों, मगर इम्पलीमेंटेशन तो सारा का सारा राज्य सरकारों के पास है ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : आप तो असेंट नहीं देते । गुजरात को दी है, लेकिन वेस्ट बंगाल को नहीं दी ।

सरदार बूटा सिंह : जितने बिल स्टेट बंगाल के मैंने क्लियर किए हैं, उतने शायद पिछले दस सालों में नहीं हुए हैं । हम कोशिश करेंगे ।

मैं उदाहरण देना चाहता हूं । एजूकेशन के मामले में जो कंकरेंट लिस्ट में आया है, उसके माध्यम से प्रांतीय सरकारों को जितने ज्यादा साधन उपलब्ध हुए हैं, यदि शिक्षा स्टेट लिस्ट में रहती, तो इतने साधन शायद उपलब्ध नहीं होते । बहुत भारी मात्रा में केन्द्र सरकार की तरफ से शिक्षा के ऊपर, जिसको कि हमारे प्रधान मन्त्री जी ने एक नया रूप दिया है, खाली शिक्षा नहीं है, उन्होंने सम्पूर्ण मानव विकास का नाम दिया है, उसको । उसके साथ-साथ किस तरह से हमारे देशवासियों का जहां उनके शारीरिक विकास का प्रश्न है, वहां मानव विकास का भी प्रश्न है । इसलिए उसको तो और भी ज्यादा मदद मिली है और उसको और भी ज्यादा साधन मिले हैं । मैं यदि स्टेट की तरफ से बोलना चाहता, तो मैं तो शायद यही सिफारिश करता कि जितने ज्यादा से ज्यादा सब्जैक्ट कंकरेंट लिस्ट मे ले सकते हैं, लो । क्योंकि ज्यादा से ज्यादा साधन आपको, स्टेट्स को मिलेंगे । मुझे मालूम है कि जब मैं कृषि मंत्री था, तो उस वक्त हमने जो हमारी कृषि नीति थी उसके अन्तर्गत जितनी भी सेन्ट्रली स्पोंसर्ड स्कीम्स थीं, वे सारी की सारी ट्रांसफर करके और उसके जो खाली एजूकेशन पार्ट्स थे, एक्सटेन्शन सर्विसेज थीं, उनको वहां पर रख कर, जितनी पाइलट स्कीम थी, वह भी उनको दे दीं, उससे कितनी भारी मदद प्रांतीय सरकारों को हुई जिसके परिणामस्वरूप आज हम भी फख्र के साथ कह सकते हैं कि सूखे के बावजूद भी हमारी-प्रोडक्शन आल टाइम हाई रिकार्ड होने जा रही है । यह किसके परिणामस्वरूप हुआ है ? यह श्री राजीव गांधी की उदार नीति के अंतर्गत हुआ है । उन्होंने राज्य सरकारों को और ज्यादा साधन दिये, ज्यादा सम्पन्न किया । यह किसलिए हो पाया क्योंकि इस सदन ने, प्लानिंग कमीशन

ने श्री राजीव गांधी के नेतृत्व में यह तय किया कि हम ज्यादा से ज्यादा स्टेटों पर निर्भर करेंगे और स्टेटों ने उसका बड़ा अच्छा परिणाम हमें दिया।

फाइनेन्शियल पावर्स के बारे में बहुत से माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किये हैं, श्री वीरेंद्र पाटिल, श्री सोमनाथ चटर्जी, श्री श्रीपति मिश्र, श्री विपिन पाल दास ने अपने विचार प्रकट करते हुए कहा है कि

[अनुवाद]

जीवन बीमा निगम, यू० टी० आई०, आई० डी० बी० आई० या राष्ट्रीय विकास परिषद जैसी वित्तीय संस्थाओं की बैठकों में राज्यों का प्रतिनिधित्व हो।

[हिन्दी]

एन० डी० सी० की मीटिंग ज्यादा होनी चाहिए और फाइनेन्स कमीशन इंडिपैंडेंट बाडीज होनी चाहिए।

[अनुवाद]

योजना आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान करना।

[हिन्दी]

श्री सोमनाथ चटर्जी ने कहा है कि—

[अनुवाद]

वित्तीय मामलों में राज्य सरकारों को अधिक शक्तियां वित्त आयोग के निदेश पदों को संविधान में सम्मिलित करना। राष्ट्रीय विकास परिषद को संवैधानिक दर्जा प्रदान करना।

[हिन्दी]

ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं।

जो वर्तमान फाइनेन्स कमीशन इस वक्त अपने काम में लगा हुआ है, उसके सामने राज्य सरकारों की तरफ से बहुत ही सराहनीय और बड़े उपयोगी सुझाव हमें प्राप्त हुए हैं। जैसे ही कमीशन अपनी रिपोर्ट सरकार को देगा, सरकार पूरी तरह से, खुले मन से उन सिफारिशों पर विचार करके, जिससे ज्यादा से ज्यादा राज्य सरकारों को और सहूलियत हो सके फाइनेंशियल फील्ड में, उस पर विचार करेगी।

कमीशन ने रिकमैंडेशन करते वक्त कुछ इरिटैंट्स का जिक्र किया है जिसमें इंडस्ट्रीज, माइंस, मिनरल्स, इंटर-स्टेट वाटर, एग्रीकल्चर, फारेस्ट्स, फूड, सिविल सप्लाईज आदि चीजों का जिक्र किया है। सरकार ने इन सारी चीजों को अच्छी तरह से गौर से देखा है और माननीय सदस्यों के सुझाव भी हमें उपलब्ध हुए हैं।

एक आखिरी बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा, वह है लोकतन्त्र का विकेन्द्रीकरण। इससे पहले कि मैं उसकी तरफ आऊं, एक छोटा-सा मसला हमारे माननीय सदस्य श्री वालिया जी, श्री रामूवालिया जी ने कल रखा था। मैं मुनासिब समझता हूं कि उनके बारे में भी कमीशन के विचारों से मैं सदन को और देश को अवगत कराऊं।

आनन्दपुर रैज्यूलूशन की बात चली तो कमीशन ने इस मामले को देखा, क्योंकि जो पंजाब एकार्ड आ हुआ उसमें क्लास-2 में लिखा हुआ था—

[अनुवाद]

आनन्दपुर साहिब संकल्प में उल्लिखित केन्द्र-राज्य सम्बन्धों का मुद्दा सरकारिया आयोग को सौंप दिया गया है।

[हिन्दी]

कमीशन ने इस मसले को पूरी तरह से देखा, जांच की। उस वक्त पंजाब सरकार अकाली पार्टी की सरकार थी, उनकी तरफ से आयोग के सामने आनन्दपुर साहब रैज्यूलेशन के बारे में एक मैमोरंडम मिला और उस पर कमीशन ने अपनी राय कायम की। कमीशन ने इसके ऊपर राय देने से पहले कहा कि देश भर में एक बहुत बड़ा असमंजस फैला हुआ था, कंफ्यूजन था कि कौन-सा आनन्दपुर साहब का रैंज्यूलूशन है ? क्योंकि इसकी 3 प्रतियां कमीशन के सामने प्रस्तुत हुई, एक तो जो 1973 में पास हुआ था और एक अकाली पार्टी का जो ओपन सेशन 1971 में हुआ था. उसमें हुआ और एक सन् 1981 में भारत सरकार को दिए गए मैमोरैंडम में मांग के रूप में पेश हुआ था। तीनों की अलग-अलग भाषा, प्रतिभाषा और तीनों के ही मुद्दे आपस में अन्तर रखते थे। इसलिए कमीशन ने जब 1987 में उसके सामने मैमोरैंडम आए तो उन्होंने 1973 के रैज्यूलूशन को मानकर उस पर अपना निर्णय किया, सिफारिश की। जिसमें कमीशन का यह कहना था कि :

[अनुवाद]

"आयोग की राय में 1973 के संकल्प में की गई मांग ही मुख्य मांग थी तथा आयोग ने1987 में अकाली दल द्वारा प्रस्तुत किए गए ज्ञापन के कथन का उल्लेख किया और उस पर विचार किया। तदनुसार, आयोग के विचार से दल की मुख्य मांग यह थी कि केन्द्र का हस्तक्षेप रक्षा, विदेश संबंध, मुद्रा और सामान्य संवाद तक ही सीमित रहे और अन्य सभी शक्तियां राज्यों के पास होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, उपरोक्त विषयों के संबंध में केन्द्र द्वारा किए गए व्यय के लिए राज्यों को संसद में अपने प्रतिनिधित्व के अनुपात में अंशदान करना चाहिए।"

[हिन्दी]

इसके ऊपर कमीशन ने जो अपने विचार व्यक्त किए हैं :

[अनुवाद]

"आयोग ने इस मांग को दो कारणों से अस्वीकार कर दिया। यदि उपरोक्त केवल चार विषयों को ही संघ सूची में रहना है तथा कराधान के शीर्षों सहित अन्य सभी विषयों की संघ सूची से निकाल दिया जाए और उन्हें राज्यों को दे दिया जाए, तो देश एक अखंड राष्ट्र बना नहीं रह सकता। आज विश्व में कहीं भी कोई ऐसा संघ या परिसंघ नहीं है जिसके पास घटक इकाई से स्वतंत्र अपने स्वयं के कोई आर्थिक संसाधन न हों।"

[हिन्दी]

एक तरफ यह कहकर इस प्रस्ताव को रिजेक्ट किया और दूसरी तरफ यह था कि :

[अनुवाद]

"यदि उक्त प्रस्तावानुसार शक्तियों का पुनः वितरण होना है, तो इससे संविधान की योजना और संरचना में भारी परिवर्तन हो जाएगा और इस प्रकार पहले तो यह आयोग के निदेश पदों से बाहर की बात होगी तथा दूसरे, अनुच्छेद 368 द्वारा संसद को प्रदत्त संशोधन करने की शक्तियों से बाहर की बात होगी क्योंकि इससे संविधान के मूलभूत ढांचे पर प्रभाव पड़ेगा।"

[हिन्दी]

दो चीजों को ध्यान में रखते हुए कमीशन ने इस प्रस्ताव को रद्द किया और कहा कि :

[अनुवाद]

"आयोग ने पंजाब की अकाली दल सरकार द्वारा अपने ज्ञापन में प्रस्तुत भाषाई प्रदेश की घातक सिद्धान्त को भी अस्वीकृत कर दिया है। उसने······की स्वीकृति से हमारे द्वारा अपने ज्ञापन में व्यक्त दृष्टिकोण को स्वीकार किया है।"

अत:, आयोग का यह निष्कर्ष है।

[हिन्दी]

न तो देश के हित में है और न ही संविधान के अन्तर्गत है, इसके ऊपर विचार हो सकता है। इसलिए मैं इस बात को कहना चाहता था कि जिन मान्यवर सदस्यों ने इस बात को इस सदन के सामने रखा और जब यह एकार्ड हुआ, उसके अन्तर्गत फैसला हुआ था।

[अनुवाद]

श्री पी० कुलनदईवेलू (गोबिचेट्टिपालयम) : महोदय, केन्द्र के पास अत्यधिक शक्तियां हैं। यहां तक कि सरकारिया आयोग ने भी केन्द्र के लिए अधिक शक्तियों की सिफारिश की है। इसके साथ-साथ, जब आपके पास पुलिस तंत्र और शक्तियों का दुरुपयोग करने वाले मुख्य मंत्रियों के विरुद्ध कारंवाई करने के सब अधिकार हैं तथा इस संबंध में कल और परसों हमने विस्तार से बात की थी, मंत्री महोदय ने इस बारे में कोई उल्लेख नहीं किया है। मैं जानना चाहता हूं क्योंकि आपको तमिलनाडु की हिंसक घटनाओं के बारे में राज्यपाल की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। वास्तव में एक महिला सदस्य पर हमला किया गया है। (**व्यवधान**)

श्री एन० वी० एन० सोमू (मद्रास उत्तर) : वह अब इसका उल्लेख कैसे कर सकते हैं? (**व्यवधान**)

श्री पी० कुलनदईवेलू : यह देश के लिए शर्म की बात है। (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : पहले आप सब अपने स्थान ग्रहण करें।

श्री पी० कुलनदईवेलू : मैं मंत्री महोदय से इस मामले के बारे में जानना चाहता हूं। वास्तव में एक महिला सदस्य पर हमला हुआ है। महोदय, उन्होंने भी अपनी माताओं से जन्म लिया है। (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : आप सभी अपने स्थान ग्रहण करें। श्री कुलनदईवेलू, अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

श्री पी० कुलनदईवेलू : उसने भी किसी मां से जन्म लिया है। (व्यवधान)

जब हम सभी ने माताओं से जन्म लिया है, तो हम किसी महिला सदस्य पर हमला कैसे कर सकते हैं? यह एक शर्मनाक कार्य है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया, आप सभी अपने स्थान ग्रहण करें। यदि आप इसी प्रकार कार्रवाई में बाधा डालते रहेंगे तो मैं सभा की कार्रवाई नहीं चला सकता। पहले आप सभी अपना स्थान ग्रहण करें। यदि, आप बाधा डालते रहेंगे, मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता। श्री कुलनदईवेलू अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

श्री पी० कुलनदईवेलू : महोदय, मंत्री महोदय को राज्यपाल की रिपोर्ट मिल गई है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया, आप सभी अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, मैं इन बातों की अनुमति नहीं दे सकता।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप सभी अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री चिरंजी लाल शर्मा (करनाल) : उपाध्यक्ष महोदय, अपोजीशन की यूनिटी का तमाशा देखकर बहुत खुशी हुई। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री एन० वी० एन० सोमू : मुख्य मंत्री पर भी हमला हुआ था। उनका चश्मा तोड़ दिया गया था और बजट पत्रों को फेंक दिया गया था। (व्यवधान)

श्री एन० वी० एन० सोमू : **

(व्यवधान)

[हिन्दी]

सरदार बूटा सिंह : श्रीमन् जो माननीय सदस्य, श्री कुलनदेईविलू ने कहा, मैंने कल भी कहा कि सैंक्टर स्टेट रिलेशन के अंतर्गत यदि किसी मुख्य मंत्री का वे जिक्र करते तो हम जरूर उसका जवाब देते। मगर एक चीज जो उन्होंने पूछी है, यह सही है कि तमिलनाडु के राज्यपाल ने हमें एक काम्यूनिकेशन भेजी है, जिसमें तमिलनाडु एसेम्बली के जो हालात हुए, उसके ऊपर जो उनको मैरेंडम हासिल हुआ था, अन्नाडीएमके की नेता श्रीमती जयललिता की तरफ से, वह

** अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

उन्होंने अपनी चिट्ठी के साथ भेजा है। हम उसको देख रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं जो भी प्रोसीजर होगा, उसके अंतर्गत कार्यवाही करेंगे।...(व्यवधान)

[अनुवाद]

गवर्नर के द्वारा केवल ज्ञापन प्राप्त हुआ है। (व्यवधान)

श्री एन० बी० एन० सोमू : मुख्यमंत्री पर हमला किया गया। उनका चश्मा टूट गया और बजट पत्रों को फैंक दिया गया था। (व्यवधान)

श्री पी० कुलनदईवेलू : एक महिला के विरुद्ध क्या यह शर्मनाक कार्य नहीं है ? (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कुलनदईवेलू जी, अपनी जगह बैठ जाइये। आप सभी लोग अपनी जगहों पर बैठ जाइये।

(व्यवधान)

श्री चिरंजी लाल शर्मा : इसी वजह से मजबूत केन्द्र की आवश्यकता है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया शान्त रहिये।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

सरदार बूटा सिंह : श्रीमन्, सुबह जो माननीय सदस्य, श्री शान्ताराम नायक, ने इस बात का उल्लेख किया था कि तमिलनाडु के राज्य के ऊपर वहां की सरकार ने खुफिया पुलिस बैठा रखी थी, वह भी सूचना मिली है। यह भी पता लगा है कि वहां के मुख्यमंत्री ने सब-इंसपेक्टर को ससपैंड किया है। वह इसलिए कि वह तमिलनाडु के राज्यपाल के ऊपर खुफिया कार्यवाही कर रहा था। जासूसी कर रहा था, जिसके लिए उसको ससपैंड किया गया। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री बी० किशोर चन्द्र एस० देव (पार्वतीपुरम) : मैं व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं ?

सरदार बूटा सिंह : भाषण में कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं हो सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय : कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं। यह क्या है ?

(व्यवधान)

सरदार बूटा सिंह : मैं नहीं मान रहा हूं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यदि वह नहीं मान रहे हैं तो मैं क्या कर सकता हूं।

श्री बी० किशोर चन्द्र एस० देव : मैं आपकी अनुमति चाहता हूं। मुझे उनकी अनुमति की आवश्यकता नहीं है। (व्यवधान)

सरदार बूटा सिंह : यदि आप मुझे निर्देश दें तो मैं मान जाऊंगा। अन्यथा जो वह कह रहे हैं वह मैं नहीं सुन रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : किस नियम के तहत आप व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहते हैं।

श्री बी० किशोर चन्द्र एस० देव : नियम 370 के अधीन। सभा मे इस समय केन्द्र राज्य संबंधों पर चर्चा हो रही है। पहले अध्यक्ष ने तमिलनाडु की घटनाओं पर चर्चा की अनुमति नहीं दी थी क्योंकि संसद···(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। इसकी अनुमति हम नहीं देते हैं। हम उस तरह की किसी बात पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी शामिल नहीं किया जायेगा। मैंने अनुमति नहीं दी है।

(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी शामिल नहीं किया जायेगा।

(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : असंसदीय शब्द कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं होंगे। मैंने अनुमति नहीं दी है।

(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी शामिल नहीं किया जायेगा। मैंने किसी को अनुमति नहीं दी है। यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। अब, मंत्री जी आप बोलिए।

(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने अनुमति नहीं दी है। असंसदीय शब्दों का प्रयोग मत कीजिये। ·वाही वृत्तान्त में कुछ भी शामिल नहीं किया जायेगा।

(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया आप सभी लोग बैठ जाइये। तमिलनाडु के मुद्दे में मैंने किसी ·की अनुमति नहीं दी है। मैंने अनुमति नहीं दी है।

(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मैं रिकार्ड देखूंगा।

(व्यवधान)*

·रदार बूटा सिंह : महोदय, मैं बताता हूं। उन्होंने मुझसे पूछा कि राज्यपाल ने क्या कोई सूचना ·ी है, और मैंने कहा, "जी हां, राज्यपाल ने सूचना भेजी है।" इसमें गलत क्या है? (व्यवधा·

* कार्य·-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

आपने सुना नहीं, आपने सुना नहीं है। मैं क्या कर सकता हूं ? (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री पी॰ जे॰ कुरियन साहब ने थ्री लैंग्वेज फार्मूला का जिक्र किया।

[अनुवाद]

त्रिभाषा फार्मूला तथा प्रचार माध्यम से सम्बन्धित सिफारिशों का जिक्र किया था। उन्होंने इसका स्वागत किया है।

[हिन्दी]

मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि यह जो थ्री लैंग्वेज फार्मूला है।

[अनुवाद]

राष्ट्र के व्यापक हितों को देखते हुए इसे तैयार किया गया था। इसने अच्छा काम किया है तथा भारत सरकार त्रिभाषा फार्मूला के कार्यकरण के प्रति पूरी तरह वचनबद्ध है। हम इसे और मजबूत बनायेंगे तथा यह सुनिश्चित करेंगे कि यह फार्मूला पूरे देश में लागू हो।

[हिन्दी]

इसी तरह से श्री बनातवाला जी ने जिक्र किया।

[अनुवाद]

भाषाई तथा धार्मिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और कल्याण सम्बन्धी मामलों को समवर्ती सूची में रखा जाये। राज्य में अल्पसंख्यको के पर्याप्त प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित किया जाना है। अल्पसंख्यक समुदाय की आचार संहिता को कड़ाई से लागू किया जाये। ये कुछ मामले हैं।

[हिन्दी]

जिनके बारे में हम हर वक्त सतर्क रहते हैं ताकि हमारे समाज का सेकुलर स्ट्रक्चर मजबूत हो, किसी धर्म, मजहब या भाषा को हम दूसरे पर थोपने के हक में नहीं हैं, न हम चाहते हैं कि किसी धर्म के लोग चाहे वे माइनारटी में हों या मेजारटी में हों, किसी प्रान्त में अगर कोई मेजारटी में है तो दूसरे प्रान्त में वह माइनारटी में है, इसलिए हमारे महान नेताओं पं॰ जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद, सरदार पटेल, श्रीमती इंदिरा गांधी, राष्ट्र पिता महात्मा गांधी जी ने हमारे लिए एक राष्ट्रीय लक्ष्य दिया है जिससे हम सेकुलर किस्म के ढांचे पर चल कर इस समाज का निर्माण कर सकें। किसी एक विशेष धर्म या जाति के पीछे चलने से हमारा समाज कमजोर होगा। इसलिए आज के दिन जहां राष्ट्रीयता का प्रश्न मुख्य है वहां साथ-साथ सेकुलरिज्म का प्रश्न उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, तभी लोकतंत्र बच सकता है, समाजवाद की ओर हम बढ़ सकते हैं। यदि इन दो बड़े पहलुओं को हमने कमजोर होने दिया, राष्ट्रीयता और सेकुलरिज्म को तो हम समाजवाद की ओर आगे नहीं बढ़ सकते, न लोकतंत्र की ओर बढ़ सकते हैं। इसलिए इसके ऊपर कोई भी मतभेद नहीं होना चाहिए, पूरे सदन और पूरे राष्ट्र को एकमत होकर चलना चाहिए।

एक अंतिम मुद्दे पर अपने विचार रखकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा और वह है लोकशक्ति का विकेन्द्रीयकरण। (व्यवधान)

हमारे प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी देश के कोने-कोने में आज इस बात को लेकर चल रहे हैं, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने जहां हमें रामराज का एक सुन्दर स्वप्न दिया था, इसके साथ-साथ ग्राम राज्य का आदेश भी उन्होंने हमें दिया था।

[अनुवाद]

श्री एन० बी० एन० सोमू : राष्ट्रपति के अभिभाषण में महात्मा गांधी का कोई उल्लेख नहीं है। सम्माननीय सभा की जानकारी में मैं यह बात लाना चाहता हूं।

[हिन्दी]

सरदार बूटा सिंह : धन्यवाद···(व्यवधान) मैं तो यही अर्ज कर रहा हूं कि महात्मा गांधी जी ने ग्राम राज्य का आदर्श हमारे सामने रखा था। जहां तक लोकतंत्र का प्रश्न है, हमारे देश में लोकतंत्र है। जहां तक केन्द्र का प्रश्न है पार्लियामेंट में लोकतंत्र सुदृढ़ हो गया। जहां तक प्रान्तों का प्रश्न है प्रान्तों में लोकतंत्र सुदृढ़ हो गया। प्रत्येक विधान सभा के सात-सात, आठ-आठ और कहीं-कहीं पर दस-दस चुनाव हो चुके हैं। हमारी यह आठवीं पार्लियामेंट चल रही है। लेकिन लोकतंत्र का जो तीसरा स्तर था और जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जाना था, वह अभी तक नहीं गया। फिफटीज में पंचायत का एक बहुत शुभ लक्ष्य हमारे सामने आया था। उसको हमने आगे बढ़ाने की कोशिश की। परन्तु उसके ऊपर हमें अच्छी संतोषजनक प्राप्ति नहीं हुई। कुछ प्रान्तों में अच्छा चला जैसे गुजरात, पश्चिमी बंगाल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र और कुछ प्रान्तों में पंचायत के ऊपर अच्छी तरह से काम नहीं हुआ जिससे लोकतंत्र की बुनियाद पूरी तरह से मजबूत नहीं हो पायी।···(व्यवधान) श्री राजीव गांधी जी पूरे राष्ट्र के सामने इस प्रश्न को लेकर गए हैं। अभी परसों ही कलकत्ता में उन्होंने पूर्वी क्षेत्र के राज्यों के मुख्यमंत्रियों को साथ लेकर इस बात का बहुत बड़ा प्रयास किया है और देश के दूसरे हिस्सों में भी वे चाहते हैं कि सही मायनों में लोकशक्ति लोगों के पास चली जाए। सही मायनों में पंच और सरपंच के पास शक्ति चली जाए। जिस प्रकार हम सांसद अपने कर्तव्य का पालन इस सदन में करते हैं, वैसे ही हमारे पंच और सरपंच अपने कर्तव्य का पालन अपनी ग्राम पंचायत में करें। पंचायतों को कैसे ज्यादा शक्ति दी जा सकती है, कैसे ज्यादा अधिकार दिए जा सकते हैं उसके बारे में राष्ट्रीय स्तर पर विचार-मंथन हो रहा है और शीघ्र ही सरकार की तरफ से कुछ ऐसे प्रस्ताव सदन के सामने पेश होंगे जिससे लोगों की शक्ति चुने हुए लोगों अर्थात् पंच और सरपंच तक पहुंच जायेगी। इसमें बहुत से राज्यों की तरफ से या तो शायद उन्होंने इस चीज को अच्छी तरह से नहीं पढ़ा या केवल राजनीति से प्रेरित हैं, श्री राजीव जी ने स्पष्ट किया है कि राज्यों के अधिकार हम छीनना नहीं चाहते और न उसमें हस्तक्षेप करना चाहते हैं और साथ-ही-साथ हम ग्राम के पंचों और सरपंच के अधिकारों को मजबूत करना चाहते हैं।···(व्यवधान) यदि हमें इस सदन के सामने संविधान में किसी किस्म की तब्दीली की जरूरत पड़ेगी तो हम जरूर आयेंगे क्योंकि हम लोगों की शक्ति लोगों को देना चाहते हैं। सही मायनों में यह लोकतंत्र की सेवा होगी। हम राज्य सरकारों के सहयोग से आपके सामने आना चाहते हैं। राज्य सरकारों के साथ किसी तरह का कोई कन्फन्टेशन नहीं है। अगर राज्य सरकार अपने राजनीतिक दृष्टिकोण को सामने रखकर राजनीतिक मुद्दे को सामने रखकर या राजनीतिक फायदे को सामने रखकर

इसका विरोध करेगी तो लोग इसको अच्छी तरह से समझेंगे और यह भी समझेंगे कि सही मायनों में लोकशक्ति का विकेन्द्रीकरण होने जा रहा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि मार्क्सवादी दल के लोग भी इसका साथ देंगे क्योंकि उनकी धारणा है कि लोगों की शक्ति लोगों के हाथ में रहनी चाहिए। उन्हीं की शक्ति से लोकतंत्र चलता है। बहुत जल्दी ही इस पर एक विधेयक को हम इस सदन में लेकर आयेंगे और मुझे पूर्ण विश्वास है कि सदन के सभी दलों के सदस्य इसका सर्वसम्मति से स्वागत और समर्थन करेंगे। इस देश के महात्मा गांधी के स्वप्न को ग्राम राज के स्वप्न को साकार करने में सभी सदस्य हमारा साथ देंगे। मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, मगर यह जरूर कहना चाहता हूं कि जिन सदस्यों ने सुझाव पेश किये हैं जिनका कि मैंने उल्लेख किया···(**व्यवधान**)

महात्मा गांधी अमर हैं, वह कांग्रेस जन के हृदय मे हैं। वह देश के कोटि-कोटि लोगों के हृदय में हैं। आप महात्मा गांधी को छोड़कर उस तरफ चले जायें तो इसमें हमारा क्या दोष। जैसे राम हमारे मन में रमे हुए हैं वैसे ही महात्मा गांधी हमारे मन में रमे हुए हैं। मैं सदन के सभी सदस्यों का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होने राष्ट्रीय हित के महत्वपूर्ण मुद्दे पर विचार प्रकट किये हैं। उनके विचारों को लेकर सरकार की तरफ से बड़ी गंभीरता और पूरी संजीदगी से विचार किया जायेगा और हम अपनी नीति निर्धारित करेंगे। इतना ही मैं और कहना चाहता हूं कि इस लोकतंत्र की सर्वोच्च संस्था का जो मत हमें मिला है उसका लाभ हमें जरूर होगा।

[**अनुवाद**]

प्रो० सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : महोदय, मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। केन्द्र-राज्य सम्बन्धों पर चर्चा करते समय, मैंने भारतीय जनता पार्टी द्वारा उदयपुर में पारित एक संकल्प के संबंध में एक प्रश्न उठाया था। वे लोग दो चीजें चाहते हैं, जो बहुत ही विवादास्पद हैं। मैं माननीय मंत्री जी से उसका उत्तर चाहता था; परन्तु उस समय वह यहां मौजूद नहीं थे। श्री चिदम्बरम यहां उपस्थित थे। वे लोग अल्पसंख्यक आयोग को समाप्त करना चाहते हैं और मैं अल्पसंख्यक आयोग को एक सांविधिक निकाय के रूप में देखना चाहता हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी को अनुच्छेद 370 को समाप्त करने का अधिकार नहीं देना चाहता जो भारत के संविधान का एक अभिन्न अंग है।

[**हिन्दी**]

सरदार बूटा सिंह : माननीय सदस्यों ने जिस बात का उल्लेख किया है वह पूरे देश को अच्छी तरह से पता है। यह जो 370 का प्रावधान है यह ठीक ढंग से चल रहा है उसको बदलने का प्रश्न पैदा नहीं होता। दूसरा आपने अल्पसंख्यक आयोग के बारे में कहा तो उसकी भी अच्छी रिपोर्ट्स आई हैं हमारे सामने। हम चाहते हैं कि वह कंटीन्यू करे, उसको बदलने का प्रश्न ही नहीं उठता। (**व्यवधान**)

[**अनुवाद**]

श्री कुलनदैवेलु : आपको जांच आयोग अधिनियम, 1952 के अधीन एक जांच आयोग नियुक्त करना पड़ेगा (**व्यवधान**)

———

2.59 म० प०

अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1989-90

—[जारी]

ऊर्जा मंत्रालय

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा ऊर्जा मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 20 से 22 पर चर्चा और मतदान करेगी। इसके लिए 6 घंटे का समय नियत किया गया है।

सभा में उपस्थित माननीय सदस्य, जिनके अनुदानों की मांगों से सम्बन्धित कटौती प्रस्तावों को परिचालित किया गया है, यदि अपने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने के इच्छुक हों तो 15 मिनट के भीतर सभा पटल पर अपनी-अपनी पर्चियां भेज दें जिनमें उन कटौती प्रस्तावों की क्रम संख्या का उल्लेख हो जिन्हें वह प्रस्तुत करना चाहते हैं। केवल उन्हीं कटौती प्रस्तावों को ही प्रस्तुत हुआ समझा जायेगा।

प्रस्तुत हुए समझे गए कटौती प्रस्तावों के क्रमांक को दिखाने वाली एक सूची शीघ्र ही सूचना-पट पर लगा दी जायेगी। यदि किसी सदस्य को सूची में कोई अन्तर दिखाई दे तो कृपया वह बिना किसी विलम्ब के सभा पटल के अधिकारी के ध्यान में इस अन्तर को ला दे।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ—

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में ऊर्जा मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 20 से 22 के सामने दिखाये गए मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों को अदा करने हेतु आवश्यक राशियों को पूरा करने के लिए कार्य सूची के स्तम्भ 4 में दिखाई गयी राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जायें।"

लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत वर्ष 1989-90 के लिए ऊर्जा मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगें

मांग संख्या	मांग का नाम	5 अप्रैल, 1989 को सदन द्वारा स्वीकृत लेखानुदान की मांग की राशि		सदन की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत अनुदान की मांग की राशि	
1	2	3		4	
ऊर्जा मंत्रालय		राजस्व रु०	पूंजी रु०	राजस्व रु०	पूंजी रु०
20.	कोयला विभाग	24,75,00,000	250,83,00,000	123,75,00,000	1254,17,00,000
21.	विद्युत विभाग	60,31,00,000	332,87,00,000	301,53,00,000	1580,32,00,000
22.	गैर पारम्पारिक ऊर्जा स्रोत विभाग	18,74,00,000	55,00,000	93,69,00,000	2,76,00,000

अब श्री माधव रेड्डी बोलें।

3.00 म० प०

श्री सी० माधव रेड्डी (आदिलाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, आखिरकार कई घण्टे बरबाद करने के बाद हमें अनुदानों की मांगों पर चर्चा करने का मौका मिला है। हम नहीं जानते कि हम उन विभिन्न मांगों पर चर्चा कब तक पूरी कर पायेंगे जो हमने सदन में चर्चा के लिए चुनी है।

मांग संख्या 20 से 22 ऊर्जा मंत्रालय से संबंधित है। सबसे पहले मैं कोयला विभाग से संबंधित मांग संख्या 20 पर कुछ टिप्पणी करना चाहता हूं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। आप कोयले का महत्व जानते ही हैं, जो ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। यह एक ऐसा उद्योग है जिसमें सात लाख से अधिक लोग प्रत्यक्ष रूप से लगे हुये हैं।

3.02 म० प०

(श्री जैनुल बशर पीठासीन हुए)

इस विभाग के लिए बजट में किये गये आवंटन को देखने पर मैंने यह पाया है कि राजस्व और पूंजी सहित तथा 275.58 करोड़ रुपये सहित जिन्हें इस सदन द्वारा पहले ही स्वीकृत किया जा चुका है, 1653.5 करोड़ रुपये कोयला विभाग को उत्खनन, उत्पादन और कोयले के वितरण के लिए न केवल धारक कम्पनी कोल इण्डिया लिमिटेड और विभिन्न सहायक कोल कम्पनियों के माध्यम से आवंटित किये गये हैं अपितु सिंगरेनी कोलरीज लिमिटेड के माध्यम से भी आवंटित किये गये हैं।

मैंने यह देखा है कि सातवीं योजना में कुल आवंटन कोल इण्डिया लिमिटेड के लिए लगभग 6000 करोड़ रुपये का था और सिंगरेनी कोलरीज लिमिटेड के लिए लगभग 550 करोड़ रुपये का। यह दावा किया गया है कि सातवीं योजना में सम्पूर्ण वित्तीय आवंटन का पूरा-पूरा उपभोग कर लिया गया है। यदि हम अगले वित्तीय वर्ष के लिए अनुमानित व्यय को देखें जिसका अनुमान लगभग 500 करोड़ रुपये लगाया गया है तो इसमें भी कमी दिखाई देती है। फिर भी मैं यह देखता हूं कि सातवीं योजना को 115 प्रतिशत तक कार्यान्वित कर दिया गया है यह आयोजन का सबसे महत्वपूर्ण भाग है परन्तु इसे आबंटित की गई राशि से यह राशि कम है। इस तथ्य के बावजूद कि मूल्य में वृद्धि हुई है, ऐसी कई परियोजनाओं में लागत बढ़ गई है और समय भी ज्यादा लग गया है जो कोल इण्डिया लिमिटेड, सिंगरेनी कोलरीज लिमिटेड द्वारा शुरू की गई थी। अनेक परियोजनाएं जैसे एल० सी० पी०, नरसापुर स्थित लघु कार्बनीकरण संयंत्र (लो कार्बोनाइजेशन प्लांट) तथा कलकत्ता धनकुनी के निकट स्थित अन्य परियोजनाएं अधूरी है। हमें नहीं पता कि धनकुनी परियोजना कब शुरू हो रही है। इसी प्रकार हमें यह पता नहीं कि नरसापुर एल० टी० सी० एल० सी० पी० परियोजना का दूसरा चरण (फेज) कब शुरू किया जाएगा क्योंकि पहले चरण में इसे भारी घाटा हो रहा है तथा सिंगरैनी कोलियरीज कम्पनी आगे धनराशि प्रदान करने की स्थिति में नहीं है। उन्होंने सरकार से अतिरिक्त धनराशि मांगी है। उन्हें वह राशि अभी तक नहीं दी गई है।

इसी प्रकार, कोल इण्डिया लिमिटेड तथा सिंगरैनी कोलियरीज कम्पनी लिमिटेड के अन्तर्गत खुली खुदाई खान परियोजनाएं हैं जैसे मुंगुरू परियोजना तथा रामगुंडम II तथा III

खुली खुदाई खान परियोजना। ये सभी परियोजनाएं पूरी नहीं हो पाई हैं जबकि यह योजना बनाई गई थी कि इन्हें 7 वीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक पूरा कर दिया जाएगा तथा चालू कर दिया जाएगा।

हमारा संबंध केवल वित्तीय लक्ष्यों से है परन्तु जब हम वास्तविक लक्ष्यों पर पहुंचते हैं तो हमें पता चलता है कि एक भारी कमी है तथा इस बजट में कोयले के लिए किया गया आवटन बहुत ही अपर्याप्त है तथा इस थोड़े से आवंटन से कोल इण्डिया लिमिटेड तथा इसके नियंत्रणाधीन इसकी अनेक सहयोगी कम्पनियों के लिए हाथ में ली गई परियोजनाओं को पूरा करना कठिन है।

महोदय, जहां तक कोयले के गवेषण का प्रश्न है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस तथ्य के बावजूद कि देश में ऐसी भावना है कि आज विशेष रूप से उत्तर में, कोयले का उत्पादन आवश्यकता से अधिक है, कोयले की कमी है, कोयले की खानों के द्वार पर कोयले के लगभग 3 करोड़ 60 लाख मीटरिक टन संचित भंडार हैं। कोई कोयला उठाने वाला नहीं है। हमें अचानक यह पता चलता है कि कोयला फालतू है, जबकि अनेक स्थानों पर कोयले की वास्तव में कमी है। कोयले की कमी के कारण बिजली की कमी है। कोयले की कमी के कारण अनेक ताप बिजली संयन्त्रों को हानि हो रही है, फिर भी देश में ऐसी भावना पैदा की जा रही है कि हमारे पास कोयला फालतू केवल इसलिए है क्योंकि कोयले की खानों के द्वार पर कोयले का संचित भंडार किन्हीं अन्य कारणों से है न कि इसलिए कि कोयले की मांग नहीं है। फिर भी दक्षिण भारत में कोयले की भारी कमी है, क्योंकि कोयले की ढुलाई बहुत महंगी है। जब तक सिंगरैनी कोलियरीज कम्पनी लिमिटेड उत्पादन में इतनी वृद्धि नहीं कर पाती कि वह दक्षिण भारत की आवश्यकता को पूरा कर सके, यह निष्कर्ष निकालना ठीक नहीं है कि देश में कोयला फालतू है तथा सब कुछ ठीक चल रहा है तथा कुछ भी करना बाकी नहीं है; किसी अतिरिक्त आवंटन की आवश्यकता नहीं है।

गवेषण के संबंध में मुझे पता चला है कि बजट में केवल 20 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। जबकि हमारी अनेक गवेषणात्मक परियोजनाएं हैं जिन्हें उनके विस्तार के कारण कम्पनियां लेना चाहती थीं। ऐसा अनुमान है कि इस देश में कोयले का भंडार लगभग 170 बिलियन टन है तथा लिग्नाइट का लगभग 6 बिलियन टन है। इसमें से हम एक प्रतिशत का भी गवेषण नहीं करते। यह केवल प्रतिशत का एक छोटा-सा भाग है। जहां तक कोयले के संरक्षण का संबंध है भूमि में कोयले के भारी भंडार उपलब्ध होने के कारण इस देश में इसकी कभी कठिनाई नहीं हुई। यद्यपि कोयला ऊर्जा का एक ऐसा स्रोत है जिसका पुनः इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। हमें इस बात की चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं कि यदि एक बार कोयले भंडार समाप्त हो गए तो हम हजार वर्ष बाद क्या करेंगे। नई-नई प्रौद्योगिकियां उत्पन्न हो रही हैं तथा 50 या 100 वर्ष बाद हमें भूमि से कोयला निकालने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। यद्यपि गवेषण पर इतनी अधिक धनराशि खर्च करने की आवश्यकता नहीं है फिर भी चल रही खानों पर पैसा खर्च करने की आवश्यकता जरूर है। जहां भी खानें समाप्त होती जा रही हैं वहां नई खानें खोलनी पड़ेंगी तथा नए लोगों को रोजगार देना पड़ेगा। अतिरिक्त रोजगार की सुविधाएं देनी पड़ेंगी। जहां तक कोयला उद्योग में मानव शक्ति की समस्या का प्रश्न है, मैंने देखा है कि 1987-88 में कोल इण्डिया लिमिटेड में 6 लाख 75 हजार लोग कार्य करते थे। वर्ष 1988-89 में, वर्ष 1988 के अन्त तक श्रमिकों की संख्या घटकर केवल 6 लाख रह गई। 5500 श्रमिक कम हो गए। यह इस तथ्य के बावजूद

है कि उन्होने अपनी कार्यप्रणाली को युक्तिसंगत बनाना है तथा जहां नई खानें खोली गई हैं वहां कुछ नए श्रमिकों को भर्ती किया है। कोयला कम्पनियां यह महसूस करती हैं कि उद्योग में मानव शक्ति आवश्यकता से अधिक है।

उन्होंने यह सोचकर आकर्षक सेवानिवृत्ति लाभ देने शुरू किये कि वे इससे श्रमिकों की संख्या कम कर सकेंगे और यह सुनिश्चित कर सकेंगे कि ऐसे अवांछित और वृद्ध व्यक्तियों को हटाया जाये जिनकी उत्पादकता बहुत ही कम है। मुझे ऐसे लोगों के साथ इस प्रकार का व्यवहार करने में कोई आपत्ति नहीं है जिनकी उत्पादकता कम है। उन्हें अच्छे सेवा निवृत्ति लाभ दिये जा सकते हैं जिससे वे स्वेच्छा से सेवा निवृत्ति ले सकें और वे उस व्यवसाय को छोड़कर जिसके द्वारा वे मुश्किल से निर्वाह कर पा रहे हैं दूसरे ढंग से जीवन-यापन कर सकें। लेकिन कोयला उद्योग जैसे बड़े क्षेत्र में कितना रोजगार पैदा होता है? यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात है। यदि 5000 श्रमिकों को हटा दिया गया है तो मुझे तब संतोष होता उनकी जगह पर अन्य 10000 श्रमिकों को रख लिया जाता। कोयला उद्योग में लगभग 8 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। उत्पादन में प्रति वर्ष 8 प्रतिशत से लेकर 8.5 प्रतिशत तक की वृद्धि हो रही है। जब उत्पादन में वृद्धि हो रही है और नई खानें विशेषकर खुली खुदाई वाली खानें खोली जा रही हैं, तब जन शक्ति को कम करने की आवश्यकता कहां है? आप श्रमिकों की संख्या में कमी क्यों करना चाहते हैं? आप समाज को क्या सेवा उपलब्ध करा रहे हैं और जब आप नये और नौजवान श्रमिकों की भर्ती न करके श्रमिकों की संख्या में कमी करते हैं तो इससे आप देश को रोजगार पैदा करने के कौन से अवसर उपलब्ध करा रहे हैं? जब उत्पादन में 8 प्रतिशत की वृद्धि हुई है तो आपकी तर्कसंगत व्याख्या को मानते हुए रोजगार के अवसरों में भी कम से कम 6 प्रतिशत तक की वृद्धि होनी चाहिए क्योंकि आप श्रम बचतकारी नई पद्धतियां अपना रहे हैं। लेकिन आप वैसा नहीं कर रहे हैं और हम देखते हैं कि जो होना चाहिए उसका एकदम उलटा हो रहा है। आप श्रमिकों की संख्या घटा रहे हैं जिसका कोई औचित्य नहीं है और मैं इस कदम का समर्थन करने को तैयार नहीं हूं।

अब औद्योगिक सम्बन्धों के प्रश्न के बारे में मैं कहूंगा कि मुझे यह देखकर अत्यंत प्रसन्नता हुई है कि गत एक वर्ष के दौरान कोयला उद्योग में औद्योगिक संबंध कुछ हद तक संतोषपूर्ण रहे हैं। गत वर्ष मार्च में कोयला उद्योग आम हड़ताल थी। कोयला मजदूरी करार को अन्तिम रूप नहीं दिये जाने और संचालन समिति अथवा जे० बी० सी० सी० आई० द्वारा इस मामले को निपटाने में काफी समय लिये जाने के कारण ही यह हड़ताल हुई थी। वे इसे जे० बी० सी० सी० आई० कहते हैं। इसी के कारण गत वर्ष आम हड़ताल हुई थी जिसमें, मैं समझता हूं कि, लगभग 10 लाख टन उत्पादन का भारी नुकसान हुआ था। लेकिन इस वर्ष हड़ताल की धमकी मिली है। आज भी अनेक श्रमिक संघ पहले ही हड़ताल की सूचनायें दे चुके हैं। कुछेक ने अपनी सूचनायें वापस ले ली हैं।

श्रम मंत्री (श्री बिन्देश्वरी दुबे) : समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर दिये गये हैं।

श्री सी० माधव रेड्डी : ठीक है। बहुत अच्छी बात है। हमें यह बात मालूम नहीं थी। यदि समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर लिये गये हैं तो मुझे प्रसन्नता होगी। मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है क्योंकि अभी तक इसके बारे में सार्वजनिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है। यह बहुत अच्छी बात है कि यह समझौता पहले ही कर लिया गया है और वे अपनी हड़ताल

की सूचना को वापस ले रहे हैं। बहुत से श्रमिक संघों की अभी भी अपनी हड़ताल की सूचनाओं को वापस लेना है।

श्री दामोदर पांडे (हजारीबाग) : मैं आपकी जानकारी के लिए बता हूं कि इस देश में किसी भी श्रमिक संघ ने किसी भी प्रकार की हड़ताल की सूचना नहीं दी है। सभी श्रमिक संघों ने इस आधार पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं।

श्री सी० माधव रेड्डी : मैं इस बात को मानता हूं। आज यही स्थिति है। मुझे बताया गया है कि समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर लिये गये हैं। ठीक है, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं।

श्री दामोदर पांडे : किसी भी हड़ताल की सूचना लम्बित नहीं है।

श्री सी० माधव रेड्डी : इस बात का डर था कि……

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : यह बात इस भावना से लिखी गई थी कि फलां-फलां श्रमिकों, जो हड़ताल पर है, की मांग उचित नहीं है। उस प्रतिवेदन में यह बात यह मनोभाव लेकर लिखी जानी चाहिए थी। राष्ट्रीय मजदूरी में संशोधन करने की बात काफी लम्बे समय से अपेक्षित थी। हमें प्रसन्नता है कि समझौता ज्ञापन पर अब हस्ताक्षर कर लिए गये हैं। **(व्यवधान)** मुझे विश्वास है कि भले ही आप यहां न बोल पायें लेकिन आप मेरे साथ भी सहमत होंगे… **(व्यवधान)**

श्री दामोदर पांडे : शायद आप मेरे से सहमत हों कि पिछले वर्ष की हड़ताल केवल एक राजनैतिक हड़ताल थी।

श्रीमती गीता मुखर्जी : इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर पिछले वर्ष क्यों नहीं किए गये? **(व्यवधान)**

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : आप दो वर्ष पहले भी अन्य श्रमिक संघों में थे।

श्री सी० माधव रेड्डी : पिछले तीन वर्ष से अधिक समय से यह मामला जे० बी० सी० सी० आई० के पास लम्बित है। उन्होंने 21 या 22 बैठकें की हैं। इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। वे किसी भी समझौते पर नहीं पहुंचे हैं। हम तीन वर्षों से श्रमिकों को केवल अंतरिम सहायता दे रहे हैं। कुछ भी हो मुझे प्रसन्नता है कि श्रमिकों को अब कुछ तो मिला है। मैं नहीं जानता कि इस अत्यंत महत्वपूर्ण समस्या अर्थात भूमिगत भत्ते के बारे में फैसला हुआ है या नहीं। क्योंकि अंतिम रूप से मुख्य विवाद यह था कि वे 20 प्रतिशत भूमिगत भत्ता चाहते थे और प्रबंधक उन्हें यह देने को तैयार नहीं थे। मुझे नहीं मालूम है कि उस पहलू को भी ठीक कर लिया गया है अथवा नहीं। यदि इसे ठीक कर लिया गया है तो यह एक अच्छी बात है।

श्री विन्देश्वरी दुबे : सब कुछ ठीक कर लिया गया है।

श्री सी० माधव रेड्डी : परन्तु प्रश्न यह है कि इसमें विलंब हुआ है यह आवश्यक था।

मैं औद्योगिक संबंधों के विषय में बोल रहा था। मुझे अत्यन्त खुशी है कि पिछले वर्ष औद्योगिक संबंध अपेक्षाकृत अच्छे थे परन्तु कुछ हड़तालें चाहे आप उन्हें जो कुछ भी कहें, आहूत हड़तालें अथवा स्थानीय हड़तालें हुई निःसन्देह उनकी संख्या कम हो गयी है, परन्तु हड़तालें तो हुई हैं। अनेक कोयला

खानों में उत्पादन की हानि हुई है, क्योंकि कोयला खानों के स्तर पर हड़तालें हुई हैं। उनमें कुछ सीमा तक कमी हुई है। परन्तु प्रश्न यह है कि हम विशेष रूप से इस संवेदनशील क्षेत्र में सभी अच्छे औद्योगिक संबंध बनाये रखने में रुचि रखते हैं, श्रमिक संघ हड़ताल का आह्वान करते हैं और फिर कामगर हड़ताल पर चले जाते हैं। यह बहुत आसान है क्योंकि अनेक कठिनाइयों के कारण कामगर बहुत नाराज हैं। वे कठिन परिश्रम करते हैं, उनको अनेकों जोखिम उठाने पड़ते हैं। फिर भी यह महसूस न करके कि अनेकों स्थानीय समस्यायें हैं जो उनके मस्तिष्क को उद्वेलित करती हैं, हम इसके लिये कामगरों को दोषी ठहराने का प्रयास करते हैं। उनको हड़ताल करनी पड़ती है। इससे उत्पादन की हानि होती है। महोदय, इसके लिये श्रमिक संघो को दोषी ठहराने का कोई औचित्य नहीं है। सामान्यतया सरकार द्वारा श्रमिक संघों को दोषी ठहराया जाता है। यह तर्क दिया जाता है कि एक भी श्रमिक संघ मान्यता प्राप्त नहीं है। सदस्यता का सत्यापन नहीं होता है। अखिल भारतीय श्रमिक संघ और केन्द्रीय श्रमिक संघ सहयोग नहीं करते हैं। सरकार कहती है : हम चाहते हैं कि कामगरों को प्रबंध में तथा निदेशक मंडल में लिया जाय। परन्तु वे सहयोग नहीं कर रहे हैं तथा कामगरों का कोई भी प्रतिनिधि निदेशक मंडल में नहीं लिया जा सका।

साठे जी, जो कि यहां उपस्थित नही हैं, उद्योगों में कामगरों की भागीदारी का स्वप्न देख रहे थे। परन्तु उस स्वप्न का क्या हुआ ? वह केवल सपना ही रह गया क्योंकि यह सम्भव नहीं था। हर समय वह कामगरों पर आरोप लगाते रहे कि "वे सहयोग नहीं कर रहे हैं, श्रमिक संघों की बहुतायत है।" इसके लिये कौन उत्तरदायी है ? श्रमिक संघ तो होंगे ही, परन्तु क्या आपने अधिनियम में इस आशय का संशोधन किया है कि एक उद्योग अथवा एक कोयला खान में एक ही श्रमिक संघ हो ? आपने यह तो किया नहीं है और अब आप कामगरों को दोषी ठहरा रहे हैं कि वे सहयोग नहीं कर रहे हैं। सहयोग करने के लिये है ही क्या ?

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : इसके लिये विपक्ष के सदस्य जिम्मेदार हैं।

(**व्यवधान**)

[**हिन्दी**]

श्री सी० माधव रेड्डी : आप सुनिए तो। आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। पता नहीं आपका यह सब्जैक्ट है या नहीं। आप बोलते जाते हैं, लेकिन सुनते नहीं हैं।

श्री गिरधारी लाल व्यास : ज्यादातर आप लोगों ने ट्रेड यूनियन जगह-जगह बना रखी हैं।···(**व्यवधान**)

श्री सी० माधव रेड्डी : मैं तो ट्रेड यूनियन लीडर नहीं हूं।···(**व्यवधान**)···आप मुझे पहले सुनिए।

सभापति महोदय : आप पहले इनको बोलने दीजिए।

श्री सी० माधव रेड्डी : आप हमेशा बोलते जाते हैं।···(**व्यवधान**)

सभापति महोदय : आप बोलिए। समय खत्म हो रहा है।

श्री सी० माधव रेड्डी : उनकी रनिंग कमेंट्री चल रही हैं, आप उसको कन्ट्रोल नहीं कर रहे हैं।···(**व्यवधान**)

[**अनुवाद**]

मैं यह कह रहा था कि प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी की बहुत अच्छी धारणा को मूर्तरूप नहीं दिया गया है। उसे ताक पर रख दिया गया है क्योंकि सरकार उसे क्रियान्वित ही नहीं करना चाहती थी। और सरकार ने श्रमिक संघों के नेताओं को सदैव यह कहकर दोषी ठहराने का प्रयास किया है कि वे सहयोग नहीं कर रहे हैं। इसकी कोई जरूरत नहीं थी। श्रमिक संघों के नेताओं ने आपसे मात्र निदेशक पद का चुनाव लड़ने की अर्हतायें स्पष्ट करने को कहा था। यदि कोई श्रमिक संघ नेता चुनाव लड़ना चाहता है, तो वह कैसे लड़ सकता है, जब तक उसे यह न पता हो कि कौन से लोग चुनाव लड़ने के लिए अर्ह हैं। अधिक अच्छा होगा, यदि आप इसे परिभाषित करके यह सुनिश्चित करें कि योजना में रूपभेद या संशोधन किया जाता है। यह आपने कभी नहीं किया। चूंकि सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो अथवा किसी अन्य संगठन की आदर्श योजना आपके पास थी और आप चाहते थे कि वही आदर्श योजना लागू की जाये। किन्तु क्या आप वास्तव में ऐसा करना चाहते हैं?

दोनों मंत्री, विद्युत राज्य मन्त्री तथा ऊर्जा राज्य मन्त्री, समाजवादी हैं तथा समाजवादी दल में वे मेरे सहयोगी रह चुके हैं। मैं अनेक वर्षों तक उनके साथ रहा हूं। परन्तु मुझे यह कहते हुए दुख होता है कि वे अपना समाजवाद भूल गए हैं।

खानों में सुरक्षा के प्रश्न पर बात करते हुए इस बात पर मुझे प्रसन्नता है कि घातक दुर्घटनायें कम हो रही हैं तथा छतें नहीं ढहती हैं। छतों के ढहने से अब लोग नहीं मरते हैं, फिर भी यह जानकर मुझे आश्चर्य होता है कि दुर्घटनाओं की संख्या में वृद्धि हुई है। इस वर्ष घातक दुर्घटनाओं की संख्या में छतों के ढहने के अतिरिक्त अन्य कारणों से वृद्धि हुई है। इस समय हमारे पास विवृत खनन व्यवस्था है जिसके अंतर्गत 60 प्रतिशत कोयले का उत्पादन होता है। इन विवृत खानों में हमारे पास भारी मिट्टी हटाने वाली मशीनरी है जो आज अनेक दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेदार है। कोयला खान प्रबंध अथवा कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए कोई प्रयास नहीं किए जा रहे हैं कि दुर्घटनाओं में कमी हो। इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि दुर्घटनाओं की संख्या में, जो लगातार बढ़ रही हैं, कमी लाई जाये। ऊर्जा के प्रश्न के सम्बन्ध में, जिससे मेरे मित्र श्री कल्पनाथ राय प्रत्यक्ष रूप से सम्बन्धित हैं, मुझे बताया गया था कि हमारे यहां गैस पर आधारित ऊर्जा के लिए बहुत अच्छी संभावनाएं हैं।

सभापति महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त करिये।

श्री सी० माधव रेड्डी : मैं केवल दो या तीन मिनट में ही अपनी बात समाप्त कर दूंगा। गैस पर आधारित ऊर्जा हमारे भविष्य की आशा है। इसके भारी भंडार हमारे यहां हैं। हर जगह गैस बाहर निकल रही है और बरबाद हो रही है। हम सोचते थे कि भावी ऊर्जा गैस पर आधारित होगी। परन्तु आज स्थिति क्या है? आज हमारे यहां उत्तर भारत में गैस पर आधारित दो संयंत्र हैं, जो चालू हो चुके हैं। हमें बताया गया था कि विद्युत का कोई खरीदार नहीं है क्योंकि इसकी लागत बहुत अधिक है और इन परियोजनाओं की पूंजीगत लागत भी काफी ऊंची है। ऐसा क्यों है कि हम इस ऊर्जा को एक रुपया प्रति यूनिट की लागत से अन्तरित करने का प्रयास कर रहे हैं जबकि कोयले पर आधारित ऊर्जा को कई विद्युत बोर्डों को पन्द्रह पैसे से

लेकर सत्तर पैसे प्रति यूनिट तक की सस्ती लागत पर अन्तरित किया जा रहा है? यदि यह संयंत्र पुराने संयंत्र हैं तो विद्युत सस्ती है। यदि कोयले पर आधारित ताप संयंत्र 70 के दशक में प्रारम्भ किये गये थे तो इसकी दर बीस पैसे प्रति यूनिट के आसपास है। यदि ये संयंत्र अस्सी के दशक में प्रारम्भ किए गए थे तो इसकी दर पैंतालीस पैसे और पिच्चहत्तर पैसे के बीच होनी चाहिए। दरों में इतना अन्तर क्यों है? जब आप राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम से राज्य बिजली बोर्डों को विद्युत अन्तरित कर रहे हैं; तो विद्युत का अन्तरण एक ही दर पर होना चाहिए, चाहे यह गैस पर आधारित संयंत्रों से उत्पन्न की गई हो अथवा कोयले पर आधारित चाहे यह ताप विद्युत हो, अथवा परमाणु ऊर्जा हो, चाहे किसी भी स्रोत से विद्युत पैदा की गई हो। बिजली बोर्डों को उसी दर पर विद्युत बेची जानी चाहिए जिस दर पर यह सभी राज्य बिजली बोर्डों को बेची जाती है। तर्क यह दिया गया था कि गैस पर आधारित संयंत्र महंगे हैं। यदि यह महंगे हैं तो इसके लिए राज्य बिजली बोर्ड उत्तरदायी नहीं है। हमारे पास पानी से तैयार की गई बिजली है जो सबसे सस्ती है। हम पानी से तैयार की गई बिजली को सबसे कम दरों पर अन्तरित नहीं कर रहे हैं, यह बिजली ताप बिजली से भी सस्ती है। गैस पर आधारित संयंत्र द्वारा तैयार की गई बिजली के लिए आप एक रुपये की महंगी दर क्यों ले रहे हैं? इसे कौन खरीदेगा? मान लो आप इसे कम नहीं कर सकते तो आपको राज्य बिजली बोर्डों को इसे खरीदने के लिए बाध्य करना होगा। उनके पास ऐसा विकल्प नहीं होना चाहिए कि वे केवल कोयले पर आधारित ताप संयंत्रों से तैयार की गई बिजली खरीदें। उनके पास विकल्प क्यों हो? आप उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब राज्यों का उदाहरण लें, वे करार पर हस्ताक्षर करना नहीं चाहते; वे आशय पत्र नहीं देना चाहते और वे गैस पर आधारित इन संयंत्रों से तैयार की गई बिजली नहीं खरीदना चाहते। मेरा विश्वास है कि केवल दिल्ली और राजस्थान ने ही इन करारों पर हस्ताक्षर किए हैं और शेष राज्यों में हस्ताक्षर करने से इन्कार कर दिया है। उनका यह कहना है कि वे केवल कोयले पर आधारित संयंत्रों से तैयार की गई बिजली ही चाहते हैं। यह क्या है? आप ऐसा क्यों करते हैं? यदि ऐसा है तो गैस पर आधारित विद्युत संयंत्रों के बारे में हमारा भविष्य अन्धकार में है और हम इस देश में गैस पर आधारित ऊर्जा के बारें में बिल्कुल सोच भी नहीं सकते। इसलिए, इस पहलू पर फिर ध्यान देना आवश्यक है।

अन्त में, मैं कोल इण्डिया और राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की बकाया राशियों का उल्लेख करना चाहूंगा। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की बकाया राशि राज्य बिजली बोर्डों को विद्युत सप्लाई किए जाने के कारण है। इसी प्रकार से कोल इंडिया की बकाया राशि इसलिए है क्योंकि उन्होंने राज्य बिजली बोर्डों द्वारा चलाये जा रहे ताप विद्युत केन्द्रों को कोयले की आपूर्ति की है। अब दोनों ही मामलों में यह बकाया राशियां बढ़ती ही जा रही हैं। और इससे इन निगमों की अर्थक्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इन्हें वाणिज्यिक आधार पर क्यों नहीं चलाया जाना चाहिए? जब दूरसंचार विभाग, उसके बिलों की अदायगी न किए जाने के कारण अपनी सेवायें बन्द कर देता है तो इसी तरह कोल इण्डिया को भी उन बोर्डों को कोयले की सप्लाई क्यों नहीं रोक देनी चाहिए जो अपनी बकाया राशि का भुगतान नहीं कर पाते।···(**व्यवधान**)

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : केन्द्र-राज्य सम्बन्धों के कारण।

श्री सी० माधव रेड्डी : इसमें केन्द्र-राज्य संबंध आड़े नहीं आते। आपने केन्द्र-राज्य संबंधों को गलत समझा है। मैं उसका समर्थन नहीं करता। जब बिजली की सप्लाई राज्य विद्युत

बोर्ड को की जाती है तो निश्चित रूप से बिल का भुगतान भी उन्हें ही करना होगा। अन्यथा, आप बिजली की सप्लाई कैसे करेंगे ? मेरे विचार से विद्युत बोर्ड की ओर देय बढ़ती बकाया राशि चुकाने हेतु कोई सांविधिक उपबंध होना चाहिए। कांग्रेस (आई) द्वारा शासित अधिकांश राज्यों पर बकाया राशि है और केन्द्रीय सरकार उन्हें यह राशि चुकाने के लिए बाध्य करने की स्थिति में नहीं है। यदि आंध्र प्रदेश विद्युत बोर्ड की ओर बकाया राशि देय हो जाये तो मुझे पूरा विश्वास है कि रामगुंडम ताप विद्युत केन्द्र से हमें मिलने वाली बिजली तुरन्त काट दी जाएगी। इसका मुझे पक्का विश्वास है। मेरा यह मत है कि कड़ाई से काम लिया जाए और राज्य विद्युत बोर्डों से बकाया राशि वसूल की जाए और इन निगमों की भुगतान क्षमता में सुधार किया जाए।

कटौती प्रस्ताव का पाठ

श्री गदाधर साहा (बीरभूम) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विद्युत विभाग शीर्ष के अन्तर्गत मांग को कम करके एक रुपया किया जाए।"

[पश्चिम बंगाल सरकार को बकरेश्वर ताप विद्युत परियोजना, जो कि एक स्वीकृत राज्य परियोजना है, के लिए विदेशी ऋण पहुंचाने में केन्द्र की असफलता] (11)

श्री ए० चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : मैं ऊर्जा मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं।

सरकार की ऊर्जा नीति में निम्नलिखित मुख्य बातें हैं :

1. न्यूनतम लागत पर पर्याप्त ऊर्जा सप्लाई सुनिश्चित करना;

2. ऊर्जा सप्लाई में आत्म-निर्भरता प्राप्त करना;

3. ऊर्जा संसाधनों के अविवेकपूर्ण प्रयोग के कुप्रभाव से पर्यावरण की रक्षा करना।

विद्युत विभाग के वर्ष 1988-89 के प्रतिवेदन का अति सावधानीपूर्वक अध्ययन करने पर पता चलेगा कि यद्यपि उक्त अवधि के दौरान विभाग का कार्य-निष्पादन कुल मिलाकर संतोषजनक रहा है तथा 7वीं योजना और 1988-89 के लिए निर्धारित लक्ष्यों को कमोबेश प्राप्त कर लिया गया, तथापि यह सत्य है कि हम न तो न्यूनतम लागत पर ऊर्जा सप्लाई सुनिश्चित कर सके हैं और न ही ऊर्जा सप्लाई में आत्म-निर्भरता प्राप्त कर सके हैं। वास्तव में अधिकांश राज्यों में विद्युत की भारी कमी है। यह भी सच है कि अनेक पन-बिजली परियोजनाओं को पर्यावरण के नाम पर और पारिस्थितिकी संतुलन के संरक्षण की आवश्यकता के नाम पर देश में हो रही आलोचना को अनुचित महत्व देते हुए पारिस्थितिकी संरक्षण के नाम पर या पर्यावरण की समस्याओं के कारण या तो बिल्कुल बन्द कर दिया गया है या रोक दिया गया है। पर्यावरणीय समस्या के महत्व के बारे में कोई विवाद नहीं है। परन्तु, यह सच है कि इस पहलू को अनुचित महत्व देते समय, लोगों और राज्यों की उचित आवश्यकताओं तथा विद्युत की भारी कमी के कारण लोगों को होने वाली गंभीर समस्याओं की बिलकुल अनदेखी की जा रही है। समयाभाव के कारण मैं आंकड़े देकर विभाग की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए विभाग के इस वर्ष के कार्य-निष्पादन के बारे में नहीं बोलूंगा। मैं अपना भाषण अपने राज्य केरल की समस्याओं के विशेष उल्लेख के साथ 8वीं योजना में विचारणीय नीति सम्बन्धी कुछ बड़े मुद्दों तक ही सीमित रखूंगा।

राज्य विद्युत बोर्डों की एक संस्था राष्ट्रीय विद्युत उपयोगिता परिषद ने आठवीं योजना

में विद्युत विकास—नीतियां, मुद्दे और विकल्पों के बारे में 22 दिसम्बर, 1988 को नई दिल्ली में एक विचार-गोष्ठी का आयोजन किया था। विचार-गोष्ठी में दिए गए कुछ महत्वपूर्ण सुझाव निम्नलिखित हैं :

1. पन बिजली की अवहेलना करते हुए ताप विद्युत के विकास को उच्चतर प्राथमिकता देने की वर्तमान प्रवृति को बदलना।

2. उपलब्ध उत्पादन के अधिकतम उपयोग के लिए सशक्त अन्तरक्षेत्रीय प्रेषण लाइनों और प्रभावकारी विद्युतभार (लोड) प्रबंध उपायों की आवश्यकता।

3. उपलब्ध उत्पादन के अधिकतम उपभोग के लिए प्रभावकारी विद्युत प्रबंध उपायों की आवश्यकता।

4. तापीय इकाइयों का जीर्णोद्धार और आधुनिकीकरण जैसी अर्थक्षम योजनाओं, पन बिजली इकाइयों को बेहतर बनाने तथा प्रेषण और वितरण में नुकसान को कम करने के लिए पर्याप्त धनराशि का प्रबंध करना।

मुझे खुशी है कि विद्युत क्षेत्र की ज्यादातर प्रमुख समस्यायें सेमिनार की जानकारी में आयी हैं। मुझे विश्वास है कि सरकार आठवी योजना को बनाते समय इसको पर्याप्त महत्व देगी। परन्तु मुझे खेद है कि सौर ऊर्जा, लहर ऊर्जा और पवन ऊर्जा जैसे गैर-पारम्परिक ऊर्जा क्षेत्रों पर सेमिनार ने पर्याप्त ध्यान नहीं दिया है। इन सभी क्षेत्रों का विकास किया जाना चाहिए जिससे सामान्य उपभोक्ता को सस्ती दर पर ऊर्जा उपलब्ध कराई जा सके। इसी तरह कूड़े-करकट से बायोगैस एक अत्यन्त महत्वपूर्ण क्षेत्र है। कूड़े-करकट को गैस में बदलने के लिए विकसित देशों में आधुनिकतम तकनीक उपलब्ध है। बड़े-बड़े शहरों का दो समस्याओं, यथा—कूड़े-करकट का निस्तारण और गैस का भण्डारण को सुलझाने के लिए उन तकनीकों को प्राप्त किया जाना चाहिए। मैंने रिपोर्ट पढ़ी है तथा उसमें धनराशि आवंटित करने का प्रस्ताव है। परन्तु मेरे विचार में उस क्षेत्र को अधिक धन दिया जाना चाहिए।

अब मैं केरल के बारे में कुछ कहूंगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, केरल में बिजली का भयंकर संकट है। इस समय राज्य पूरी तरह से पनबिजली पर निर्भर है। दस वर्ष पूर्व इडुक्की पनबिजली परियोजना को चालू होने पर केरल में आवश्यकता से ज्यादा बिजली थी, परन्तु पिछले दस वर्षों के दौरान, राज्य में विद्युत उत्पादन क्षमता में कुछ भी ठोस वृद्धि नहीं हुई है। राज्य की पनबिजली क्षमता का लगभग एक-तिहाई ही उपयोग हुआ है, लेकिन चल रही परियोजनाओं का लाभ उठाने तथा नई परियोजनाओं के शुरू करने में बुरी तरह से असफल रहे। वहां पर प्रशासनिक असफलतायें, श्रमिक समस्या, संविदा का पूरा न होना जैसी बातें थीं तथा ठेके देने में असाधारण विलम्ब हुआ है। इन सभी परियोजनाओं के क्रियान्वयन के मार्ग में अनेक कारण बताए हैं।

आज की स्थिति के अनुसार 15 से 20 मिलियन यूनिट प्रतिदिन की कम खपत करने पर भी हमारे राज्य में बिजली की भारी कटौती की जा रही है। ऐसा योजना बनाने वालों तथा इन्जीनियरों की अक्षमता के कारण नहीं है, यह कहकर कि यहां पर पर्यावरण की समस्या है, निर्णय लेने में राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी के कारण है।

महोदय, जैसा कि आप जानते हैं सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव शान्त घाटी परियोजना के विषय में था। कई वर्षों तक उसके बारे में अनिश्चित रूप से विलंब किया जा रहा है। परन्तु दुर्भाग्य से, दावाग्नि के कारण अधिकतर अद्वितीय पौधे नष्ट हो गए हैं। अब परिणाम यह है कि

हमारे पास परियोजना भी नहीं है तथा पौधों की अद्वितीय किस्म भी नहीं रही है। इसलिए मेरा निश्चित विचार है कि यदि उस पर उचित समय पर विचार किया गया होता तो केरल को सबसे अच्छी अर्थक्षम पनबिजली परियोजनाओं में से एक प्राप्त हो गई होती।

केरल में विद्युत बोर्ड केवल नाम के लिए एक स्वायत्तशासी निकाय है। सत्ताधारी दल तथा प्रभारी मंत्री इसके दिन प्रतिदिन के प्रशासन का संचालन कर रहे हैं। राजनीतिक रूप से सम्बद्ध और प्रेरित श्रमिक संघ प्रबंध के सभी स्तरों पर हस्तक्षेप करके बोर्ड के प्रबंध में विनाशकारी भूमिका निभाते हैं यहां तक कि बहुत छोटी-छोटी विद्युत उत्पादन परियोजनाओं को पूरा करने में पन्द्रह या उससे अधिक वर्ष लग जाते हैं। उदाहरण के लिए साबरीगिरी संवर्द्धन परियोजना को सत्तर के दशक के प्रारंभ में शुरू किया गया था तथा 1980 तक इसको चालू किया जाना था। परन्तु इसको पूरा करने में पांच या दस वर्ष और लग सकते हैं। कक्कड़ तथा अन्य पनबिजली परियोजनाओं की स्थिति भी ऐसा ही है। हमारे राज्य की इन परियोजनाओं को लागू करने में हो रहे असाधारण विलंब के विषय में केन्द्रीय बिजली प्राधिकरण के केन्द्रीय निगरानी दल को जानकारी होनी चाहिए।

जैसा कि मैंने पहले कहा है निर्णय लेने में असाधारण विलंब होता है, संविदा पूरी नहीं हो पाती। निर्णय लेने की शक्ति का केन्द्रीयकरण है, लक्ष्यों तथा उत्तरदायित्व का अभाव है। हमारी परियोजनाओं को क्रियान्वयन में कमी के लिए ये सभी बातें किसी हद तक जिम्मेवार हैं। फिर भी अनेक मामलों में लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जाते तथा किसी को इसकी चिन्ता नहीं है। अनेक मामलों में संविदा पर हस्ताक्षर करते समय, परियोजना के पूर्ण होने की नियत तारीख तक का उल्लेख भी नहीं किया जाता है तथा किसी को उसकी चिन्ता भी नहीं है।

जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, पर्यावरण की समस्या के महत्व से कोई इन्कार नहीं करेगा। हमारे राज्य में पनबिजली परियोजनाओं के साठ प्रतिशत तक का भी उपयोग नहीं किया गया है। अतः, हमारे राज्य की आवश्यकताओं को पूरा करने का एकमात्र उपाय यह है कि सभी वर्तमान पनबिजली परियोजनाओं को जारी रखने की अनुमति दी जाए।

कोयला क्षेत्र हर दूसरे पक्ष के मेरे मित्र ने विस्तार से प्रकाश डाला है। कोयले की कीमतें बढ़ी हैं तथा अन्य अनेकों समस्यायें भी हैं।

ताप विद्युत घर पर्यावरण से संबंधित दूसरी समस्या पैदा कर रहे हैं। महोदय, जैसा कि आप जानते हैं, केरल देश का सबसे घनी आबादी वाला राज्य है तथा वहां पर और ताप विद्युत घर लगाना बहुत खतरनाक होगा क्योंकि वह पर्यावरण की समस्या पैदा कर रहा है। कोयले को भी अब वहां ले जाया जाएगा तो बहुत महंगा पड़ेगा क्योंकि वहां कोई कोयला क्षेत्र नहीं है। इसीलिए, महोदय, राज्य के लिए यह सदैव अच्छा है कि वह पनबिजली परियोजनाओं के लागत संबंधी पहलू को भी ध्यान में रखे। केवल ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र में ही नहीं बल्कि विद्युत के आबंटन में भी केरल में उपभोक्ताओं को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वोल्टेज का घटना-बढ़ना तथा बिजली गुल रहना आम बात है। विद्युत बोर्ड संगठन तथा इसके कर्मचारी मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि वे जन सामान्य को निरन्तर बिजली देने को कोई खास महत्व नहीं देते। यह उनकी क्षमता से बाहर नहीं है। मार्क्सवादी साम्यवादी दल के 13वें सम्मेलन के लिए उन्होंने त्रिवेन्द्रम में तथा उसके इर्द-गिर्द 10 लाख ट्यूब लाइटों के लिए बिजली प्रदान की थी। दूसरी ओर एक खराब लाइन को ठीक करने में वे कई दिन लगा देते हैं।

राजनैतिक रूप से नियन्त्रित स्टाफ के अपने स्वयं के सेवा मानदण्ड हैं। महोदय, मैं राजनीति की बात कर रहा हूं। ये कठिनाइयां हैं जिनका हम यहां सामना कर रहे है। मैं त्रिवेन्द्रम से निर्वाचित होकर आया हूं जो केरल राज्य की राजधानी है। महोदय, केरल बिजली बोर्ड के कर्मचारियों की ईमानदारी तथा शालीनता में केवल तभी सुधार हो सकता है यदि सत्ताधारी दल बोर्ड के दिन प्रतिदिन के प्रशासन से अपना नियन्त्रण हटा लें।

इस समय बोर्ड के प्रबंध को मार्क्सवादी साम्यवादी दल से निदेश दिया जाता है तथा इसी वजह से बोर्ड के अधिकारी इस उपयोगी सेवा को कुशल बनाने के लिए जन सामान्य का विश्वास जीतने अथवा उनका समर्थन प्राप्त करने के बारे में परवाह नहीं करते। ऐसा प्रतीत होता है कि केरल बिजली बोर्ड सेवाओं की बढ़ती लागत के बारे में चिन्तित नहीं हैं। अपेक्षाकृत कम दूरी होने के बावजूद केरल में प्रेषण तथा वितरण की लागत बहुत अधिक है। ऐसा लगता है कि लागत तथा विद्युत दरों को कम करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया। दूसरी ओर हाल ही में युक्तिसंगत बनाने के नाम पर विद्युत दरों में वृद्धि कर दी गई है। यहां तक कि सस्ती पनबिजली, जिसकी उत्पादन लागत लगभग 10 से 12 पैसे प्रति यूनिट है, होते हुए भी केरल में उपभोक्ताओं को इतनी अधिक दर पर भुगतान करना पड़ता है जितना कि ताप बिजली घरों से उत्पन्न बिजली के लिए करना पड़ता है। केरल में यह अब प्रति यूनिट 60 पैसे से अधिक है। उन्हें तब अधिक भुगतान करना पड़ सकता है जब अधिक लागत वाले बिजली घरों में बिजली उत्पन्न होने लगेगी। जब बहुत ही अच्छी पनबिजली योजनाएं हैं तो केरल के लोगों के पास ताप विद्युत घरों को अपनाने अथवा उनसे सहमत होने के सिवाय कोई रास्ता नहीं है। इसलिए, केरल में जब ताप विद्युत घर पूरे हो जाएंगे तो बिजली की लागत बढ़ेगी।

महोदय, प्रेषण घाटे के बारे में मैं यह बता दूं कि संबंधित सभी लोग यह जानते हैं कि विद्युत प्रेषण तथा प्रेषण घाटों को कम करने की काफी गुंजाइश है। इस बारे में कोई अन्य राय नहीं है कि लदान केन्द्रों के निकट स्थित ताप विद्युत घरों के लिए लम्बी दूरी से कोयले की ढुलाई की अपेक्षा विद्युत प्रेषण सस्ता पड़ता है। फिर भी, ऐसे राज्य जिनके पास कोयला या तेल नहीं है उन्हें अपने ताप विद्युत घरों में बिजली उत्पन्न करने के लिए मजबूरन रेल द्वारा कोयले की ढुलाई करनी पड़ती है। ऐसे राज्य जिनमें कोयला अथवा तेल नहीं है गर्तमुख बृहत ताप विद्युत घरों से विद्युत प्रेषण के किफायती विकल्प को उच्च प्राथमिकता क्यों नहीं दी जा रही। इस विषय में केन्द्र तथा केन्द्रीय अभिकरणों को अधिक महत्वपूर्ण तथा सकारात्मक भूमिका अदा करनी चाहिए। उच्च वोल्टेज प्रेषण के लिए क्षेत्रीय तथा राष्ट्रीय ग्रिडों के विकास को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। यदि केन्द्रीय अभिकरण यह कहने की स्थिति में हैं कि वे उन राज्यों को, जहां कोयला नहीं है, ताप बिजली उत्पन्न करने की लागत से सस्ती दर पर बिजली देंगे तो विपरीत अपर्यावरणीय प्रभाव को रोका जा सकता है।

महोदय, यह सभी जानते हैं कि केवल प्रेषण तथा वितरण में ही नहीं बल्कि कृषि तथा लघु उद्योग क्षेत्र में बिजली के अकुशल प्रयोग में भी इसकी एक बड़ी मात्रा व्यर्थ हो रही है। विद्युत बोर्डों को यह महत्वपूर्ण कार्य सौंपा जाना चाहिए कि वे रियायत प्राप्त क्षेत्रों द्वारा अकुशल उपकरण के प्रयोग को कम करने का प्रयास करें।

महोदय, आज की स्थिति के अनुसार यह नहीं कहा जा सकता कि विद्युत बोर्ड लागत के प्रति सजग हैं। विद्युत बोर्डों द्वारा व्यापक लागत तथा लागत नियन्त्रण प्रणाली आरम्भ करके

बेहतर जिम्मेवारी लाई जा सकती है। इस समय हमारा विद्युत बोर्ड विभिन्न उपभोक्ताओं को दी गई बिजली की वास्तविक लागत का विवरण देने में असमर्थ है। अधिकांश विद्युत बोर्डों की यही स्थिति है। बेहतर लागत प्रणाली विद्युत बोर्डों को लागत के प्रति अधिक सजग तथा जिम्मेवार बनाएगी जिसके परिणामस्वरूप जन-सामान्य को बेहतर सेवा प्राप्त होगी। यदि लागत के प्रति सजग कर दिया जाए तो जन-सामान्य के लिए प्रति इकाई बिजली की लागत में राहत देने के लिए काफी गुंजाइश है। इन शब्दों के साथ मैं एक बार फिर ऊर्जा मन्त्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : माननीय सभापति महोदय, मैं एनर्जी मिनिस्ट्री की ग्रान्ट्स का समर्थन हूं। एनर्जी डिपार्टमेंट से हम 8, 10 साल से बराबर कहते आ रहे हैं कि राजस्थान ऐसा प्रान्त है जो आधे से ज्यादा डैजर्ट एरिया है और एक चौथाई पहाड़ी क्षेत्र है और एक चौथाई मैदानी क्षेत्र है। अब इस तरह के क्षेत्र में जहां पर आधे से रेगिस्तानी एरिया है जिसमें 500 फुट से ज्यादा नीचे कुएं से पानी निकलता है, अगर वहां पर बिजली पूरी तरह से सप्लाई नहीं की जाए. तो इस तरीके से कृषि उत्पादन ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। राजस्थान में हर दूसरे तीसरे साल अकाल पड़ता है। पिछले साल भी भयंकर अकाल पड़ा था। प्रधानमंत्री जी की मेहरबानी से हमें पूरी मदद दी गई और इस वजह से वहां के लोगों को जिन्दा रहने का मौका मिल गया। अगर एनर्जी विभाग सक्रिय हो और अगर यह विभाग हमारा काम-काज ठीक तरीके से कर दे तो हमें बहुत बड़ी राहत मिल सकती है। आप तो जानते ही हैं कि अंडरग्राऊन्ड वाटर डैजर्ट एरिया में बिना बिजली के बाहर नहीं निकाला जा सकता है। इसलिए हम बराबर मांग करते आ रहे हैं कि हमारे यहा पर बिजली की ज्यादा से ज्यादा व्यवस्थायें की जायें, चाहे वह गैस बेस्ड हो, चाहे थर्मल बेस्ड हो, चाहे हाइड्रो बेस्ड हो, चाहे एटामिक बेस्ड हो, चाहे लिग्नाइट बेस्ड हो और चाहे सोलर बेसड हो। आप कोई भी बिजली हमको उपलब्ध कराओ जिससे कि हमारे क्षेत्र का ज्यादा से ज्यादा विकास हो सके। आपने हम पर कृपा भी की और चार थर्मल प्लांट कोटा में हमको दिए हैं जो कि पूरे हो चुके हैं और चौथी यूनिट अब चालू होने वाली है। एटामिक प्लांट भी आपने सैंक्शन किया है। आप हमें बतायें कि उन्हें बनाने में अभी कितना समय लगेगा और कितने बरसों में राजस्थान में बिजली की मांग की पूर्ति हो सकेगी। यह सारी व्यवस्थायें आपको जल्दी से जल्दी करनी चाहिए।

आपने हमको अनन्ता में बेस्ड प्रोजक्ट दिया और उसे चालू भी कर दिया। आपने हम पर बड़ी कृपा की मगर यह जो लाइन गैस की जाती है कोटा व भरतपुर से होते हुए यू॰ पी॰ जाती है अगर इस लाइन के ऊपर 2-3 और गैस बेस्ड प्रोजेक्ट उपलब्ध करा दें तो निश्चित तरीके से राजस्थान का बहुत हित हो सकता है और राजस्थान को बिजली ज्यादा से ज्यादा मिल सकती है। यह व्यवस्था निश्चित तरीके से की जानी चाहिये।

एक मांग जो कि हमारी बहुत पुरानी है वह है लिग्नाइट के ऊपर थर्मल प्रोजेक्ट लगाने की। प्लान के अन्दर लिग्नाइट का बहुत बड़ा भंडार है। इसी प्रकार से बाड़मेर और जैसलमेर में भी लिग्नाइट का बहुत बड़ा भंडार है। पिछली दफा मंत्री महोदय ने कहा था कि

लिग्नाइट बेसड 3-4 यूनिट्स राजस्थान में हम देने वाले हैं। मगर वह अभी तक सैंक्शन नहीं हो पायी हैं। अगर यह सैंक्शन हो जायें तो राजस्थान के लोगों को काफी लाभ हो सकता है।

महोदय, राजस्थान सबसे पिछड़ा प्रान्त है। लेकिन दुःख की बात है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का बहुत कम पैसा यहां पर लगता है यानि कि एक परसेंट ही पैसा लगता है जबकि पांच परसेंट हमारी आबादी है। आपसे हमारी मांग है कि आप हमारे साथ कुछ तो इंसाफ करो। आप पांच परसेंट पैसा इनवेस्ट करने की व्यवस्था करो ताकि हमारा यह क्षेत्र तेजी से आगे बढ़ सके। जिस तरीके की आपकी मंशा है कि हम पिछड़े लोगों को ऊपर उठायें, गरीबों की गरीबी दूर करने की व्यवस्था करें तो वह कैसे दूर होगी यह आपको सोचना पड़ेगा। जब तक आप खाने-पीने की व्यवस्था नहीं करेंगे और गरीबों को काम-धंधा देने की व्यवस्था नही करेंगे व कल-कारखाने नहीं खोलेंगे तब तक गरीबी दूर नही हो सकेगी और वह केवल नारा मात्र बनकर ही रह जायेगी। आने वाले समय में अगर निश्चित तरीके से सारी व्यवस्थायें हो जायेंगी तभी लोग ऊपर उठ सकेंगे। मैं निश्चित तरीके से यह मांग करना चाहता हूं कि ये सब हमारी न्यायोचित मांगे है और इनको जल्दी से जल्दी से जल्दी पूरा किया जाना चाहिए ताकि हम अपने इंडस्ट्रियल क्षेत्र को विकसित कर सकें। हमारे यहां के पूंजीपति सब जगह बदनाम हैं। कलकत्ता जाते हैं; मारवाड़ी निकालने की बात करते हैं। बम्बई में जाते हैं। तो बम्बई में मारवाड़ी निकालने की बात करते हैं। हमारे पूंजीपति बाहर जाकर दूसरे लोगों का कामकाज करते हैं और हमारे यहां राजस्थान बिल्कुल पिछड़ा हुआ है। हजारों अरबपति और करोड़पति बम्बई और कलकत्ता में बैठे हुए हैं और हमारे यहां बिजली और पानी के अभाव की वजह से सारा काम काज नहीं हो रहा है। हमारा इंडस्ट्रियल क्षेत्र आगे नहीं बढ़ रहा है। (व्यवधान) बिजली बहुत पावरफुल है। बिजली की आवश्यकता है, तो रुपया भी जाएगा। रुपया भी कलकत्ता छोड़ कर राजस्थान आ जाएगा। हम बराबर आपसे मांग कर रहे हैं कि हमारे यहां बिजली उपलब्ध कराइए।

एक प्रश्न आया था हमारे यहां चार और थर्मल पावर प्लांट लगाइए, एक सूरतगढ़ में और मांडिलगढ़ तथा दो अन्य। हमारे इनर्जी मंत्री महोदय ने गैस बेस्ड प्रोजेक्ट को बन्द कर दिया वहां पर उनसे निवेदन किया था कि इसकी वहां जानकारी नहीं है और जानकारी करके इसके संबंध में व्यवस्था करने की बात करेंगे। उसी प्रश्न को यहां पर भी पूछा था, लेकिन अखबार वालों ने यह निकाल दिया कि इनर्जी मिनिस्टर ने इसके लिए इन्कार कर दिया है। इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है, जिससे चार थर्मल प्लांट राजस्थान के अन्दर स्थापित किए जा सकें। और राजस्थान की बिजली की कमी की पूर्ति की जा सके। इस पर हमारे इनर्जी मिनिस्टर ने कहा था कि मैंने कोई इन्कार नहीं किया। उन्होंने सिर्फ यह कहा था कि कोयला कहां से आएगा, ताकि हम इन प्रोजैक्ट्स को कोयला उपलब्ध करा सकें। आप इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि जहां पर कोयला उपलब्ध है, वहां से आएगा। अब चाहे बिहार से आए या बंगाल से आए और अन्य किसी और जगह से। वहां से आकर उन प्रोजैक्ट्स को कोयला मिलेगा। अब आपने हिन्दुस्तान के हर स्थान पर थर्मल प्लांट लगा रखे हैं, उनके लिए कोयला अलग-अलग स्थानों से, बिहार से या बंगाल से उपलब्ध करा रहे है, फिर यहां के लिए यह पूछने का प्रश्न पैदा नहीं होता है। राजस्थान में चार थर्मल प्लान्ट लगायेगें तो कोयला किस तरीके से आएगा, कितना महगा पड़ेगा, यह सब आपको देखना है। निश्चित तरीके मे उन चार प्लान्टों को लगाने की हमारे राजस्थान सरकार ने मांग की है, यदि इसको पूरा कर

दिया जाए तो निश्चित तरीके से वहां का विकास हो सकता है। इसके बारे में यह कहा जाता है कि अगर ये प्रोजैक्ट्स नहीं मिलेंगे तो राजस्थान एनर्जी के मामले में सैल्फ सफिशियेंट नहीं हो सकेगा, अपने पांवों पर खड़ा नहीं हो सकेगा। इंडस्ट्रियल क्षेत्र में या अन्य क्षेत्रों में जो बिजली की आवश्यकता है, उसकी पूर्ति नहीं हो पाएगी जब तक कि ये प्रोजैक्ट्स आप उपलब्ध नहीं करायेंगे। इसलिए हमारी आपसे मांग है कि इन प्रोजैक्ट्स को जल्दी से जल्दी स्वीकृत करके राजस्थान की बिजली कमी को पूरा कीजिए, तब जाकर राजस्थान अपने पैरों पर खड़ा हो सकेगा और इन्डस्ट्रियली डवेलप हो सकेगा। राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है, जहां पर जितनी अधिक ताकत देंगे, जितनी अधिक बिजली देंगे उतनी ही तेजी से वह निश्चित तरीके से आगे बढ़ेगा। राजस्थान के लोगों के बाजुओं में ताकत है और आगे बढ़ने की हिम्मत और हौसला है; लेकिन आपसे सहयोग की आवश्यकता है आपकी मदद की आवश्यकता है। जितना ज्यादा आप मदद करेंगे, उतनी ही तेजी के साथ राजस्थान आगे बढ़ेगा। इस प्रकार की व्यवस्थायें जब आप करेंगे तब हमारा क्षेत्र आगे बढ़ेगा।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आर०ई०सी० के जितने प्रोजैक्ट्स आपने स्वीकार किए हैं, हमारे बहुत सारे गांव आज भी बिना बिजली के पड़े हुए हैं। आप पूरी बिजली उपलब्ध नहीं कराते हैं। जितने प्रोजैक्ट्स हमने मांगे हैं, उतने प्रोजैक्ट्स यदि आप दें तब जाकर हमारी सारी योजनायें कार्यान्वित हो सकती हैं और गांव-गांव में बिजली पहुंचा सकते हैं।

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : यह मंत्रालय उत्तर प्रदेश और राजस्थान दोनो प्रदेशों के साथ अन्याय करता है।

श्री गिरधारी लाल व्यास : माननीय सदस्य श्री रावत जी ने सही कहा है कि राजस्थान और यू०पी० दोनों के साथ अन्याय होता है। दोनों ही पिछड़े हुए हैं और दोनों को ज्यादा से ज्यादा बिजली मिलनी चाहिए। (**व्यवधान**)

डा० गौरी शंकर राजहंस (झंझारपुर) : सारा कोयला बिहार में और बिहार को बिजली मत दो। (**व्यवधान**)

श्री गिरधारी लाल व्यास : इसलिए मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, आप कह रहे हैं कि हम गांवों में बिजली पहुंचायेंगे···

हर गरीब आदमी के घर में बिजली लगायेंगे। उसके जरिये से उसके घर में रोशनी करेंगे और उसके खेत में भी ज्यादा से ज्यादा उत्पादन बढ़ाने की कोशिश करेंगे। यह दोनों काम तब होंगे जब आर०ई०सी० की योजना पूरी हो जायेगी और वह तब होगी जब आप हमें ज्यादा बिजली दें। हम आपसे बराबर मांग करते आ रहे हैं; आप देते तो हैं, लेकिन थोड़ी-थोड़ी देते हैं। आपको इतनी बिजली देनी चाहिए जिससे हमारी व्यवस्थायें मजबूत हो जायें और हम लोग अपने पैरों पर खड़े होकर आगे बढ़ें। उसके बाद हम पूरे हिन्दुस्तान को भी सहयोग देंगे, लेकिन यह तभी सम्भव है जब आप हमें सहयोग करें और शक्ति दें। जो देश के और भी पिछड़े हुए क्षेत्र है जैसे बिहार और उत्तर प्रदेश तो वहां भी हम सहायता कर सकते हैं। कोयले के बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूं। यह लोगों को ठीक प्रकार से उपलब्ध नहीं हो रहा है, खासकर गांवों के अन्दर। स्माल स्केल इंडस्ट्रीज को जो कार्पोरेशन बना हुआ है, शायद वह ही कोयले का कमिशन एजेंट बना हुआ है और उसके जरिये से सारे राजस्थान के लोगों को

कोयले की सप्लाई होती है। आप थर्मल प्लान्ट को अलग से कोयला सप्लाई करते हैं, लेकिन दूसरे उद्योगों को जो कोयला सप्लाई होता है और जिसका वितरण इस प्रकार के कारपोरेशन के जरिये से होता है वह ठीक प्रकार से नहीं होता। जिससे हमारे उद्योगों को जितना आगे बढ़ना चाहिए, उतने नहीं बढ़ पा रहे हैं। इसलिए स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज को आगे बढ़ने की आवश्यकता है और इसके लिए आप यह सारी व्यवस्थायें मजबूत करने में सहयोग दें। कहां पर वितरण कम हो रहा है उसको भी देखना चाहिए। जबकि यह राष्ट्रीयकृत कम्पनी है और सरकार के अधीन है तो उसका वितरण ठीक प्रकार से होना चाहिए। आपको देखना चाहिए कौन लोग वहां पर दादा बनकर बने बैठे हुए हैं और अपनी दादागिरी करके कोयला ब्लैक में बेचते हैं। अभी हमारे विपक्ष के नेता बोल रहे थे कि कोयले में नुकसान बराबर बढ़ता जा रहा है। जब आपका ठेका चल रहा है, आपके सिवाय कोई बीच में नहीं है तो नुकसान कैसे होता है। इसका मतलब यह है कि आपकी सामग्री में से कोई दूसरा आदमी बंटवारा कर रहा है। वहां पर बहुत से ऐसे गलत लोग भी हैं। इसके नाजायज तरीके से खानें चला रहे हैं और कोयले का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके साथ-साथ वे इसकी तस्करी भी कर रहे हैं और दूसरी जगह पहुंचा रहे हैं। इस प्रकार की अव्यवस्थाओं के कारण आपको कोल फील्ड में नुकसान हो रहा है। उसके ऊपर आप कंट्रोल करें और मजदूरों को इसमें भागीदार बनायें ताकि वे भी निगरानी रखें कि कौन लोग गड़बड़ी कर रहे हैं। जिसकी वजह से कोयले में मोनोपली होने के बावजूद सरकार को नुकसान होता जा रहा है। इसलिए इस व्यवस्था को माकूल करने की आवश्यकता है। इसका वितरण आप राज्य स्तर पर करें। जहां-जहां भी वितरण की एजेंसीज हैं उनको ज्यादा से ज्यादा मजबूत करें। जहां भी गड़बड़ चल रही है और नाजायज तरीके से काम हो रहा है, लोग नाजायज तरीके से कमाई कर रहे हैं उसको रोकें। इसलिए वितरण व्यवस्था को मजबूत करने के लिए आप मजबूती से काम करें और जो गड़बड़ी करने वाले लोग हैं जो हमारी सरकार को बदनाम करना चाहते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही करें। जिससे हिन्दुस्तान के लोगों को महसूस हो कि राजीव गांधी की सरकार मजबूती से काम करके देश को आगे बढ़ा रही है; इसके लिए आप हमें पूरा सहयोग देंगे तो राजस्थान बिजली के मामले में आत्म-निर्भर होकर आगे बढ़ेगा और पूरे देश को सहयोग देगा।

———

4.00 म० प०

नियम 193 के अधीन चर्चा

अफगान विद्रोहियों तथा पंजाब में आतंकवादियों के बीच कथित सम्बन्ध का समाचार

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब सभा में मद संख्या 16—नियम 193 के अधीन चर्चा आरम्भ होगी।

श्री बी० आर० भगत बोलेंगे।

श्री बी० आर० भगत (आरा) : महोदय, आपकी अनुमति से, मैं नियम 193 के अधीन एक ऐसे विषय पर जो हमारे लिए जहां तक देश के सुरक्षा पहलू का सम्बन्ध है, एक गंभीर चिंता

का विषय है, चर्चा उठाना चाहूंगा। वास्तव में यह हमारे देश के लिए सुरक्षा सम्बन्धी एक बड़े खतरे के रूप में उभर रहा है। मैं यह चाहूंगा कि यह सभा स्थिति की गंभीरता का विश्लेषण करे तथा उस पर विचार करे। 28 मार्च को हमारे प्रमुख समाचार पत्रों में एक समाचार प्रकाशित हुआ था जिसमें यह कहा गया था कि अफगान विद्रोहियों तथा पंजाब में आतंकवादियों के बीच सम्बन्ध का पता चला है। इसका स्त्रोत, हेज्बी इस्लामी के प्रमुख अफगान विद्रोही नेता, गुलबुद्दीन हिकमतयार का अपनी भारतीय इकाई को लिखा गया कथित पत्र है। हेज्बी इस्लामी की भारत में अपनी इकाई है। उन्होंने कहा है "हमारे कुछ भाई पंजाब आतंकवादियों के साथ सक्रिय थे।"

4.01 म० प०

(श्री एन० वेंकटरत्नम पीठासीन हुए)

उस पत्र में आगे यह कहा गया है कि पाकिस्तान की वर्तमान सरकार अर्थात श्रीमती बेनजीर भुट्टो के नेतृत्व वाली लोकतंत्रीय सरकार की इन रास्तों को बन्द करने तथा इसमें सक्रिय लोगों को गिरफ्तार करने की योजना है। भेजे गए समाचारों में आगे यह भी कहा गया है कि :

> "श्री हिकमतयार ने अपनी भारतीय युनिट से कहा है कि वे आतंकवादियों को चेतावनी दे ताकि पाकिस्तान सरकार अपनी देशद्रोहात्मक नीतियों में सफल न हो।"

यह संदेश इस बात की भी याद दिलाता है कि उन्हें भूतपूर्व राष्ट्रपति जनरल जिया-उल-हक से भी भारी समर्थन मिला था। इसमें भूतपूर्व राष्ट्रपति को मुसलमानों का उद्धारक कहा गया है। यह समाचार प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है और वर्तमान चर्चा इसी समाचार से आरम्भ हुई है।

जैसाकि मैंने पहले कहा था, शुरू-शुरू में कई वर्षों तक ऐसा होता रहा है। यह कोई नई घटना नहीं है लेकिन ऐसे कुछ नए सम्बन्धों का पता चला है कि सीमापार पाकिस्तान सरकार ऐसी स्थिति उत्पन्न करने का प्रयास कर रही है जिससे हमारे देश के किसी एक भाग में अथवा सम्पूर्ण देश में अस्थिरता उत्पन्न हो जाये। इस बात पर सभा में अनेक बार चर्चा हो चुकी है। गृह मंत्री ने बताया है कि पाकिस्तान आतंकवादियों के लिए प्रशिक्षण शिविर चला रहा है। वे उन्हें हथियार दे रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं। उन्होंने सभा और भारतीय समाचार पत्रों को भी अनेक सूचियां दी हैं। पाकिस्तान सरकार को पत्र की एक प्रति दी गई थी। लेकिन वे हमेशा कहते हैं कि वे इसमें शामिल नहीं हैं। पहले वे भगवान का नाम ले रहे थे। वे कहते हैं : "अल्लाह के नाम पर हम ऐसा नहीं कर सकते। यह एक ऐसा रंगीन मामला है जिसे हम नहीं कर सकते।" लेकिन वे ऐसा कर रहे हैं। उन्हें 34 शिविरों के नाम दिए गए थे। यह सूची यहां भी दी गई थी। लेकिन हाल के पत्र में कहा गया है कि वर्तमान लोकतांत्रिक सरकार की अपनी मजबूरियां हैं। सच्चाई यह है कि भारत और पाकिस्तान के लोग मूल रूप से दोस्त हैं। वे अपने दोस्ताना सम्बधों को बनाये रखते हैं। इसीलिए उनकी लोकतांत्रिक सरकार का यह सौभाग्य है कि वह प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी और श्रीमती बेनजीर भुट्टो की बैठक आयोजित करने में असफल हुई है। दक्षेस की बैठक के फलस्वरूप नये सम्बन्धों, मैत्री और सहयोग का शुभारम्भ हुआ है। यदि वहां कोई नई व्यवस्था हो जाती है और ये अफगान विद्रोही जो पाकिस्तान सरकार पर आश्रित हैं, अफगानिस्तान में सत्ता ग्रहण कर लेते हैं तो उसे महत्वपूर्ण पद मिल जायेगा। प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री ने कहा है कि श्री गुलबदीन हिकमतयार ने लिखा है कि वर्तमान सरकार इन गतिविधियों को रोकने का प्रयास कर रही है। यह बताया गया है कि ऐसा उस समय किया गया

था जब राष्ट्रपति जिया-उल-हक सत्ता में थे। यह उनकी योजनाओं को पूर्ण रूप से अस्त-व्यस्त कर देगा। अतः उन्होंने अपनी यूनिटों को सचेत किया है। यह आज की स्थिति है। आजकल कुछ नये समीकरण बने हैं और उसके एक ओर अफगान विद्रोही हैं। आज जब हम अफगानिस्तान में उत्पन्न स्थिति को देखते हैं तो मैं समझता हूं कि जब 1979 में यह विद्रोह शुरू हुआ था तब से हमारा दृष्टिकोण शुरू से ही सही था। अफगानिस्तान में यह स्थिति विदेशी हस्तक्षेप के कारण उत्पन्न हुई जिसके परिणामस्वरूप अफगानिस्तान सरकार को सोवियत संघ जैसे मित्र देशों से सेना बुलानी पड़ी। यह कैसे हुआ, इसका एक लम्बा इतिहास है भारी मात्रा में हथियार दिये जा रहे हैं। आज इसी क्षेत्र में हथियारों की सबसे अधिक मात्रा में खरीद फरोक्त हो रही है। इस क्षेत्र के माध्यम से कई बिलियन डालर के हथियार भारत पहुंचे हैं। ऊपरी तौर से पाकिस्तान सरकार और अफगान विद्रोही सैनिक इस बात को मानने को तैयार नहीं हैं। अब इसका सबको पता लग गया है। हमारे देश में खतरनाक हथियार भेजे जा रहे हैं। हमें समाचार मिले हैं कि अफगानिस्तान सीमा पर हम हथियार प्राप्त कर सकते हैं। अत्यन्त आधुनिक और खतरनाक हथियार किलों में बेचे जा रहे हैं और ये हथियार के बराबर वजन के मांस से भी सस्ते हैं। ऐसे समाचार मिल रहे हैं। आप कहीं भी हथियार खरीद सकते हैं। इसके लिए कोई लाइसेंस नहीं है। विश्व में इस समय यदि कहीं हथियारों का भारी मात्रा में जमाव हो जाए तो यह स्वाभाविक है कि उनकी पूर्ति में वृद्धि होती जाएगी। ऐसा विशेष रूप से इसलिए है क्योंकि इस बात के साक्ष्य हैं कि गठबंधन हुआ है। हमें इस बारे में कदापि संदेह नहीं था। मैं समझता हूं कि हमारे विरोधी सदस्यों ने—इनमें से कुछेक ने लिखित में कुछ संदेह व्यक्त किए हैं—कहा है कि यह एक खतरनाक स्थिति है और देश को इस संबंध में कुछ न कुछ अवश्य करना चाहिए।

अब अफगान विद्रोही नेताओं, जम्मू-कश्मीर मुक्ति मोरचा, पंजाब के आतंकवादियों और चौथे गुमनाम गुट के बीच नये गठबंधन हुए हैं। किसी ने इसे 'त्रिवेणी' और दूसरे को 'सरस्वती' की संज्ञा दी है। यह गुमनाम गुट कौन है? यह गुमनाम गुट अफगानिस्तान से नहीं है। आप वहां इसे दो भागों बांट सकते हैं। गुमनाम गुट पाकिस्तान की आंतरिक खुफिया सेवा है। उनका इस पर नियन्त्रण है। वे इन कारंवाईयों का संचालन कर रहे हैं। अब जलालाबाद में क्या हो रहा है? लड़ाइयां जारी हैं। आपको समाचार मिले हैं कि पाकिस्तान के अधिकारियों का नाम लिया गया है और इस बात के भी समाचार मिले हैं कि वे मारे गए हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पाकिस्तान के मोहम्मद जहीर और श्री जाहिद नाम के अधिकारी इस काम में लगे हुए हैं। अतः उनका पाकिस्तान की आंतरिक खुफिया सेवा के साथ संबंध है और वे भारत को अस्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं। वे विशेष रूप से विद्रोह की स्थिति उत्पन्न करने और पंजाब को अलग करने का प्रयास कर रहे हैं। वे न तो राजनैतिक रूप से और न ही सैनिक रूप से अभी तक इस कार्य में सफल हुए हैं। लेकिन शुक्र है कि संसद और हम सभी इस संबंध में सचेत रहे हैं। हम कानून और व्यवस्था तंत्र की मदद से सचेत रहे हैं। उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया हालांकि यह अप्रिय है फिर भी उसे करना ही था। लेकिन सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारा संसदीय लोकतन्त्र, जनता की शक्ति इस सब बातों के खिलाफ लड़ रही हैं। उनका उद्देश्य ऐसी स्थिति उत्पन्न करना था जिससे सिख और हिन्दुओं के बीच सम्बन्ध पूरी तरह बिगड़ जायें। लेकिन हम अपने सिख भाइयों की प्रशंसा करते हैं। सभी प्रकार से भड़काए जाने के बावजूद, सभी प्रकार की अन्तर्राष्ट्रीय सांठगांठ के बावजूद, पंजाब में हिन्दू और सिखों के बीच असन्तोष पैदा करने के लिए कार्यरत घटिया दर्जे की अन्तर्राष्ट्रीय शक्तियों के बावजूद, मुख्यतः सिख भाइयों के कारण ही कोई समस्या पैदा नहीं हुई। पंजाब एकता की भूमि है और मुझे इस बात का गर्व है।

यही भारत का संसदीय लोकतन्त्र है। जब भी कभी देश के हित की बात आती है हम एक हो जाते हैं। हम सुरक्षा के मामले में एक हो जाते हैं। और यह बात हमेशा-हमेशा ही बनी रहेगी। अन्ततः हम एक जुट रहेंगे और इन लोगों की घटिया किस्म की गतिविधियां बेअसर हो जायेंगी जैसा कि अभी तक बेअसर होती रही हैं। परन्तु हमें इस प्रकार के खतरों से सावधान रहना चाहिए। अब हम यह देखें कि वह क्या कर रहे हैं? सबसे ताजी घटना यह है कि जब जलालाबाद में लड़ाई हो रही थी 38 भारतीय मारे गए थे। सबसे ताजा रिपोर्ट यह है कि विद्रोही हमले में और भी अधिक भारतीय मारे हैं। यह हमला किस पर है, यह हमला नागरिकों पर है। जलालाबाद में गुरु तेग बहादुर गुरुद्वारे पर इस हमले का बहुत ही खराब असर पड़ा है जिस पर 33 राकेट दागे गए हैं। भगवान के घर पर राकेटों से हमला किया गया है और भारतीय मूल के 300 लोग जिन्होंने वहां शरण ली हुई थी, वे मारे गए हैं।

यह रिपोर्ट काबुल से आयी है। कुछ लोगों को विभागों से बचा लिया गया है। दो सिख नेता हरमिन्दर सिंह और गुरमिन्दर सिंह अफगान नागरिक हैं और वे वहीं के निवासी हैं। उन्होंने एक वक्तव्य दिया है किस तरह से गुरुतेग बहादुर गुरुद्वारा जो सबसे पवित्र है और सम्मानित स्थान है, जिसका सम्मान भारतीय मूल के और अफगानिस्तान के लोग एक समान रूप से करते हैं, उसे बम्बारी करके नष्ट कर दिया गया है।

इस प्रकार से देश को अस्थिर करने के लिए सबसे बदतर गतिविधियां जारी हैं; इस प्रकार के विचार हमारी समझ के परे हैं। अफगानिस्तान में ऐसी कट्टरवादी गतिविधियां जारी हैं। हमारे देश में पिछले पांच हजार वर्ष में ऐसा कभी नहीं हुआ। हमारा यह कहना है कि जो कोई भी यहां पैदा हुआ है हमारे यहां का नागरिक है चाहे वो किसी भी धर्म, सम्प्रदाय का हो या किसी भी प्रकार की विचारधारा में विश्वास रखता हो या कोई भी भाषा बोलता हो। पिछले पांच हजार सालों से हम इसी तरह कहते आ रहे हैं। इसीलिए यह विचारधारा एक पहेली-सी लगती है।

जो आतंकवाद आज हम देख रहे हैं वह बाहर से आया है। इसकी उत्पत्ति यूरोप के गहरी असंतोष या अशान्ति से हुई है और इसकी प्रेरणा का स्रोत हथियारों और विचारों दोनों ही रूपों में यहां अपना लिया गया है। परन्तु हम भारतीय लोगों को, भारतीय संसद् को, भारतीय लोक-तांत्रिक ढांचे को, भारतीय संस्कृति को और भारतीय इतिहास को जानते हैं। वे जाति, धर्म अथवा हिंसा के आधार पर अलगाववाद के विदेशी विचारों से घृणा करते हैं। यह महात्मा बुद्ध और गांधी का देश है। यह गुरुनानक का देश है। उनके शब्द ही सभी लोगों के लिए गहरी मानवता और स्नेह का प्रतीक हैं। वे हिंसा या अलगाववाद या घृणा के इन विदेशी विचारों से कभी भी अस्थिर नहीं हो सकते हैं।

यह संघर्ष जारी है। हमें एक नई साठगांठ का पता लगा है और मैं इसे संसद के ध्यान में ला देना अपना कर्तव्य समझता हूं। समाचार पत्रों में यह बात आ चुकी है और अब इस पर वाद-विवाद करना संसद का कार्य है। इस समय प्रधान मंत्री विपक्ष के साथ मिलकर ऐसा लोक-तांत्रिक हल ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जो सारे भारत के लोगों को और पंजाब के लोगों को स्वीकार्य हो।

साथ ही साथ हमें उन ताकतों से भी सावधान रहना चाहिए जो हमारी दुश्मन हैं और हमारे खिलाफ काम कर रही हैं। एक महान संघर्ष जारी है जैसाकि हमने इतिहास में उचित और

अनुचित के बीच बुराई और अच्छाई के बीच देखा है। निश्चय ही भारतीय लोकतन्त्र और भारतीय संसद अच्छाई के समर्थक हैं और हमें बुराई के इस स्वरूप से सावधान रहना चाहिए। हमें खतरे के उस स्वरूप से भी सावधान रहना चाहिए जो निरन्तर हमारे सामने मौजूद हैं और हमारी ओर बढ़ने का प्रयास कर रहा है। हमें यह सोचना चाहिए कि हम इसका मुकाबला कैसे करें। हम जानते हैं कि हमें इसका मुकाबला कैसे करना है और इसका मुकाबला करेंगे भी। इसका मुकाबला करना तभी सम्भव है जब भारत के लोग, भारतीय संसद, सरकार, कानून और व्यवस्था तंत्र आदि सभी एक होकर अपने-अपने कर्तव्य का पालन करें।

मुझे पूरा विश्वास है कि हम इस खतरे को न केवल दूर करेंगे बल्कि हम इस खतरे का हमेशा-हमेशा के लिए खात्मा कर देंगे।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : सभापति महोदय, हमने इस प्रस्ताव के प्रस्तावक श्री बलिराम भगत जी के विचार बड़े ध्यान से सुने। भारतीय प्रेस ट्रस्ट की रिपोर्ट में अफगानिस्तान की विद्रोही सरकार के तथाकथित विदेश मंत्री का हवाला दिया गया है जिसने भारत में स्थित अपनी शाखा के लोगों को यह संदेश भेजा कि पंजाब में उनके मित्र सक्रिय हैं। हालांकि यह स्पष्ट रूप से नये रहस्य को उद्घोषित करती है, फिर भी इसमें कोई नयी बात नहीं है। क्योंकि अनेक वर्षों से हम यह कहते आ रहे हैं कि अकेले पंजाब में ही ऐसी घटनाएं नहीं हो रही हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रहा है और पंजाब अंतर्राष्ट्रीय षड्यन्त्र का केन्द्र बन गया है। इसकी पृष्ठभूमि में एक बड़ा षड्यन्त्र काम कर रहा है जो साम्राज्यवाद द्वारा अपनाई गई विश्वव्यापी नीति के अनुसार समस्त क्षेत्र में अस्थिरता पैदा करना चाहता है। इससे हमारी यही अवधारणा मजबूत होती है कि हम देश में पृथकतावाद की दिशा में हो रही घटनाओं को हल्के ढंग से नहीं ले सकते। चाहे वह पंजाब हो, जम्मू-कश्मीर हो, या पूर्वोत्तरक्षेत्र के कुछ भाग हों। वहां इस प्रकार के तत्वों के पहले ही सम्पर्क बने हुए हैं या जल्दी ही सम्पर्क बनाने वाले हैं क्योंकि आंतरिक विवशताओं के अलावा उनके पीछे विदेशी ताकतें हैं और वे उन्हें एक-दूसरे के साथ जोड़ देंगी, इससे पहले भी ऐसे कई समाचार मिले हैं, पंजाब समस्या पर चर्चा के दौरान भी हमने इनका अनेक बार उल्लेख किया है। कई अध्ययन रिपोर्टों में भी इसका उल्लेख हुआ है। देश में गठित कुछ आयोगों ने भी कुछ बातों का उल्लेख किया है किन्तु मेरा विश्वास है कि इस सरकार इस मामले को गम्भीरता से नहीं लिया है क्योंकि इस पृष्ठभूमि में हमें चाहिए था कि उन विदेशी तत्वों और ताकतों के बुरे इरादों के बारे में जनता में जागरूकता पैदा करें जो प्रत्यक्ष रूप से देश को विभाजित करने में लगी हुई हैं। हम अपनी जनता में जागरूकता पैदा नहीं कर पाए हैं और यदि हम इतमें सफलता प्राप्त कर लेते तो देश की कट्टरवादी ताकतें जनता के कुछ वर्गों को उस रूप में भावनाओं मे बहाकर गुमराह नहीं कर पातीं जिस प्रकार से आजकल कर रही हैं। मेरा विश्वास है कि इस प्रकार के विषयों पर चर्चा करते हुए हम उन लोगों को कोई नई बात नहीं बता रहे हैं जो जमा हो रही बहस को बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। किन्तु वस्तुतः हम इसी मुद्दे पर बल दे रहे हैं कि जनता के सामने उनका पर्दाफाश करें, उनके किनसे संबंध हैं? उनके पीछे कौन-सी ताकतें हैं? यह जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। अभी तक अमरीकी सरकार एक स्पष्ट कारण यह बताती रही है कि अफगानिस्तान में सोवियत सेना की उपस्थिति के कारण ही वह पाकिस्तान को भरपूर समर्थन दे रही है। किन्तु जब जेनेवा समझौते के बाद वह स्थिति नहीं रही है और सेनाएं वापस चली गई हैं, तब भी हम देख सकते हैं कि अमरीकी सरकार पहले की तरह ही पाकिस्तान को अस्त्र-शस्त्र की पूर्ति कर रही है। जहां तक पारस्परिक समझ का सम्बन्ध है, पहले की स्थिति औचित्यपूर्ण प्रतीत नहीं होती है। किन्तु ऐसे में

पाकिस्तान को एक निश्चित प्रयोजन से हथियारों की पूर्ति की जा रही है और वह यह है कि वही तनाव या असन्तोष को बनाए रखा जा सके जिसका बने रहना उनके हित में है। इसके लिए अफगान विद्रोहियों को अधिकांश हथियारों की पूर्ति पाकिस्तान के माध्यम से की जा रही है। इसके बारे में पर्याप्त प्रमाण उपलब्ध है जैसा कि भगतजी ने बताया है, जब पाकिस्तान जेनेवा समझौते पर जिसमें अफगानिस्तान के आंतरिक मामलों में दखल न देने, आतंकवादियों को प्रोत्साहन न देने तथा आतंकवादियों को सहायता न देने की व्यवस्था की गई है, हस्ताक्षर करने के बाद उसका उल्लंघन करता है तब उनके सैनिक सीमा पार अफगानिस्तान में देखे जा सकते हैं। वे उनके प्रशिक्षण शिविरों में भी देखे जा सकते हैं। यूरोपीय पत्रकारों ने उन्हें जलालाबाद के निकट स्थित विद्रोहियों के शिविरों में भी देखा है, अफगानिस्तान ने टेलीविजन तक पर उन पाकिस्तानी सैनिकों को दिखाया है जिनको उन्होंने पकड़ा है। पाकिस्तान जान-बूझकर इस समझौते का उल्लंघन क्यों कर रहा है क्या ऐसा बिना किसी प्रयोजन के ही हो रहा है? अब उन्हें समझ आ गया है कि वे फिर से हताश हो गये। वे यह समझते हैं कि जेनेवा समझौते पर हस्ताक्षर करने से बने वातावरण, जिया-उल-हक की सरकार के पतन बेनजीर सरकार के अस्तित्व में आने तथा पाकिस्तान में प्रजातन्त्र की जड़ें जमने से उत्पन्न नई आशा के कारण उस क्षेत्र पर कब्जा जमाए रखने की संभावनाएं भविष्य में समाप्त होती चली जाएंगी। यही कारण है कि वे चाहते हैं कि पाकिस्तान में उथल-पुथल तथा संघर्ष की स्थिति बनी रहे। मैं पाकिस्तान के प्रधान मंत्री या उनकी सरकार को दोषी नहीं ठहराना चाहता क्योंकि वे पाकिस्तान में प्रजातंत्र को सुदृढ़ता से स्थापित करना चाहते हैं। मेरा विचार है कि उन्हें संदेह का लाभ दिया जा सकता है। वे यही कहते रहते हैं कि जेनेवा समझौते का पालन करना चाहते हैं, वे पंजाब में आतंकवादियों को बढ़ावा नहीं देना चाहते हैं। जब हमारे प्रधान मंत्री जी ने उनसे बात की थी, तब उन्होंने कुछ बातों पर प्रतिबद्धता प्रकट की थी। हमें उन पर अविश्वास नहीं करना चाहिए। परन्तु हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि पाकिस्तान में सभी बातें प्रजातांत्रिक तरीके से नहीं हो रही है जैसा कि श्री भगत द्वारा बताया गया है। पाकिस्तान की खुफिया एजेन्सी (आई० एस० आई०) सरकार के नियन्त्रण में नहीं है, हो सकता है कि वे लोग, जो आतंकवादियों की सहायता कर रहे हैं, जो अफगान विद्रोहियों को प्रशिक्षित कर रहे हैं, वे बेनजीर सरकार को भी हटाना चाहते हों। पूरे क्षेत्र में यह प्रजातन्त्र के हित में होगा कि इन प्रयासों तथा इसमें शामिल व्यक्तियों को सफल न होने दिया जाये। हमारा देश और पाकिस्तान के प्रजातन्त्र तथा इस पूरे क्षेत्र में शान्ति बनाए रखने के हित में यही है कि इन ताकतों को सफल न होने दिया जाये। यहां तक कि जब जेनेवा समझौता किया गया था तथा अमेरिका और सोवियत संघ इसके गारंटीकर्ता बने थे तब यह वचन दिया गया था कि सेनाओं की वापसी के बाद दोनों पक्षों द्वारा शस्त्रों की आपूर्ति नहीं की जाए। उस समय भी अमरीकी राष्ट्रपति ने इस बात पर जोर दिया था कि वे अपने मित्रों को अस्त्रों-शस्त्रों की आपूर्ति करते रहेंगे तथा सोवियत संघ भी ऐसा कर सकता है। यह बहुत अच्छा लक्षण है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेन्सी की भविष्यवाणी के बावजूद कि सेनाओं की वापसी के बाद काबुल सरकार का पतन हो जाएगा, परन्तु सेनाओं की वापसी के बाद भी यह सरकार गिरी नहीं है। अनेक लोग लड़ रहे हैं; तथा जो बाहर पाकिस्तान में है और राष्ट्रीय मेल-मिलाप की प्रतिबद्धता का उल्लंघन कर रहे हैं, उनसे लड़ने के लिए नर-नारी सेना में शामिल हो रहे हैं और उनको घृणा की दृष्टि से देख रहे हैं। किसी देश द्वारा विद्रोही सरकार को किसी भी प्रकार का समर्थन जेनेवा समझौते का उल्लंघन होगा, परन्तु पाकिस्तान ने उसे समर्थन दिया है। परिस्थितियां जटिल हो रही हैं, परंतु प्रश्न यह है कि उससे बाहर कैसे निकला जाय?

मेरा विचार है कि भारत को इसमें अपनी भूमिका निभानी है। यह दूसरे देश का प्रश्न नहीं है, यह प्रश्न है हमारे क्षेत्र का, यह प्रश्न है उन व्यक्तियों के विरुद्ध कदम उठाने का जो उन ताकतों से जुड़े हैं, जो हमारे देश को अस्थिर बनाने, हमारे देश को तोड़ने में लगी हैं। जब जिम्मेदार तबके द्वारा यह मांग की जाती है कि अफगानिस्तान-पाकिस्तान सीमा पर तोखरम के निकट एक संयुक्त राष्ट्र संघ की चौकी होनी चाहिए, तब मेरे विचार से, हमें इसका समर्थन करना चाहिए। इस प्रतिष्ठित अन्तर्राष्ट्रीय संस्था का यह सुनिश्चित करना कर्तव्य है कि जेनेवा समझौते से सम्बद्ध पक्ष उसको लाभ से वंचित न रह जाएं। मेरे विचार में इस सभा को यह साबित करने के लिए कि दोनों के बीच सांठ-गांठ है, किन्हीं आंकड़ों की आवश्यकता नहीं है। यह केवल अफगान विद्रोहियों का प्रश्न ही नहीं है, उनमें से कुछ विद्रोही तथा खालिस्तान के आतंकवादी एक-दूसरे से जुड़े हैं, उनके जम्मू तथा कश्मीर मुक्ति मोर्चा तथा उत्तर-पूर्व में कुछ ताकतों के साथ भी संबंध है। मैं एक और बड़ी कड़ी भी देखता हूं। इस सभी का सरगना अमरीकी प्रशासन है।

मैं समझता हूं कि सरकार ने दिनांक 1 अप्रैल के स्टेट्समैन का वह समाचार देखा होगा जिसका शीर्षक "खालिस्तानियों का अमरीका को समर्थन के लिया धन्यवाद" था। इसमें कहा गया है :

> "पी० टी० आई० के अनुसार, अलगाववादी आंदोलन को नैतिक, राजनैतिक और आर्थिक सहयोग देने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय संगठन को खालिस्तान समर्थकों का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन धन्यवाद देता है।"

मैं इसके और विस्तार में नहीं जाऊंगा।

महोदय, उन व्यक्तियों को, जो हमारी सरकार द्वारा वांछित है, उन्हें अमरीका में राजनीतिक शरण मिल रही है तथा उनको अमरीका द्वारा समर्थन मिल रहा है तथा खालिस्तानी आतंकवादियों को अमरीकी प्रशासन द्वारा बढ़ावा दिया जा रहा है। ऐसी अनेक रिपोर्टें आ रही हैं जो बताती हैं कि बाहर उनको पासपोर्ट कैसे मिल रहे हैं। मैंने एक ऐसी रिपोर्ट देखी है जो कुछ दिन पूर्व आयी थी तथा जो सिंगापुर में चल रहे पासपोर्ट बिक्री के बड़े जाल के विषय में थी। उनके द्वारा आतंकवादियों को पासपोर्ट बेच दिये जाते हैं तथा उन पासपोर्टों की सहायता से वे हमारे देश में आ रहे हैं। वहां जा रहे कामगारों के पासपोर्ट उनके द्वारा ले लिए जाते हैं तथा उनको आतंकवादियों को दे दिया जाता है। ये सभी गठजोड़ सामने आ गये हैं तथा मेरे विचार में इस संबंध में कार्यवाही करने में हमें ज्यादा समय नहीं लगाना चाहिए।

महोदय, अब चूंकि आपने घंटी बजा दी है, इसलिए एक बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। हम सभी जानते हैं कि एक बहुत बड़ा षड्यन्त्र चल रहा है तथा वर्षों से हम कहते रहे हैं कि श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या में किसी विदेशी एजेन्सी का हाथ था। हमने कहा था कि यह कोई एक अलग-थलग घटना नहीं थी। उस पर हम सभी ने अपने विचार स्पष्ट कर दिये थे परन्तु उस मामले से संबंधित संगत सामग्री को हमें नहीं दिया गया है। हमने उनसे यह बताने को कहा था कि देश में अस्थिरता उत्पन्न करने में किस एजेंसी का हाथ है। उसको हमें अपने लोगों को बताना है, हम उनको उस देश अथवा एजेंसी को बताएंगे, जो हमारे देश में अस्थिरता पैदा करने का प्रयास कर रही हैं। हमें लोगों लोगों से कुछ भी छिपाना नहीं है। अब यह एक बहुत जरूरी बात हो गयी है।

मुझे यह कहते हुए बहुत दुःख हो रहा है कि हमने इस वाद-विवाद में अपना समय नष्ट किया कि ठक्कर प्रतिवेदन क्या है और क्या नहीं है। शत्रु का नाम जानने का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसका उत्तर नहीं दिया गया है। मुझे यह समझ नहीं आता कि इन बहानेबाजियों का क्या अर्थ है। आप मुझे बताइए कि जो अभिकरण इसमें शामिल है उसका नाम हम क्यों नहीं जान सकते। मैं कहूंगा कि आप हमें पूरा प्रतिवेदन न दीजिए परन्तु उस अभिकरण का नाम तो बता दीजिए जो इसमें शामिल है और इस वाद-विवाद के उत्तर में उसी के बारे में बता दीजिए।

[हिन्दी]

श्री नरेश चन्द्र चतुर्वेदी (कानपुर) : सभापति महोदय, भारत सरकार की ओर से, हमारे नेता, प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने अन्तर्राष्ट्रीय जगत में बार-बार इस बात को दोहराया है और हमारे अन्य नेता भी समय-समय पर स्पष्ट करते आये हैं कि हिन्दुस्तान को अस्थिर बनाने के लिए यहां कुछ ऐसी ताकतें काम कर रही हैं, जिनसे न केवल इस देश को खतरा है या इस देश के पड़ोसियों को खतरा है बल्कि वे ताकतें दुनिया में उन्नति के माहौल को अवरुद्ध करना चाहती हैं और एक के बाद दूसरे हमले करती जा रही हैं। अफगानिस्तान में जो कुछ हुआ वह हमारे सामने है। हिन्दुस्तान में खालिस्तान के नाम पर जो कुछ हो रहा है, उससे हम सब अवगत हैं और वैसी ही हरकतें गाहे-बगाहे जम्मू और कश्मीर में भी शुरू हो गयी हैं, उनका क्या स्वर है, यह बताने की आवश्यकता नहीं है। हम सब इस बात से भली भांति परिचित हैं कि जब देश को आजादी मिली थी, उस वक्त अंग्रेजों ने पाकिस्तान का जन्म ही इसलिए किया था कि हिन्दुस्तान की जनता चैन से न बैठ सके, हिन्दुस्तान के साथ सम्पूर्ण एशिया उपमहाद्वीप में इसी तरह की हरकतें चलती रहें, अन्तर्राष्ट्रीय षडयंत्र यहां हमेशा चलते रहें।

दूसरी बात यह है कि वह भूमिका पाकिस्तान अपने जन्म के साथ निभाता चला आ रहा है जिस दिन से हिन्दुस्तान आजाद हुआ, पाकिस्तान बना, उस दिन से पाकिस्तान की एक ही भूमिका रही है कि हिंदुस्तान को चैन से बैठने न दिया जाए। इसके पीछे भी कोई रहा होगा। वह बात भी आज बार-बार आती रहती है। इधर अफगानिस्तान का जो सम्बन्ध हिन्दुस्तान से है, उससे हमारी चिन्ता होनी स्वाभाविक है। अफगानिस्तान से हमारे सम्बन्ध बहुत पुराने हैं। बहुत अच्छे रहे हैं। पाकिस्तान ने जो कुछ भी इस तरह के सम्बन्धों में गड़बड़ी की, हमको मालूम है, हम जब 1965 में रूस की यात्रा पर गए थे, उस समय जलालाबाद में हमारी मुलाकात खान अब्दुल गफ्फार खां से हुई थी, वे उस वक्त मौजूद थे, उन्होंने जो कुछ उस मुलाकात में कहा था, मैंने लौट कर यहां आकर तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री से कहा था कि ऐसा लगता है कि हिन्दुस्तान में कुछ और गड़बड़ियों की शुरूआत कुछ लोग करने के चक्कर में हैं और अफगानिस्तान को भी लोग चैन से नहीं रहने देंगे। ऐसी बात खान साहब ने तब कही थी। मैंने यह बात अपने प्रधान मंत्री जी को यहां आकर के बताई थी। आज कुछ ही वर्षों के बीत जाने के बाद वे ही चीजें साफ-साफ दिखाई पड़ती हैं। पाकिस्तान के मुजाहिदीन के नाम पर जो कुछ हो रहा है, जलालाबाद में जो कुछ हो रहा है, गुरुद्वारे में हमारे भारतीय मूल के निवासियों की हत्या की गई है, इनके पीछे कौन है? वे कौन लोग हैं। आज उनको जो बहुत सारे अस्त्र-शस्त्र मिलते हैं, वे कहां से मिलते हैं। जो कुछ भी अफगानिस्तान में हो रहा है, जो कुछ भी पंजाब में हो रहा है, अभी हमारे मित्र भगत जी ने, भाई सैफुद्दीन जी ने उस पर बड़ा स्पष्ट कहा। जिस तरह के हथियार उनके पास मिलते हैं, वे कहां से आ रहे हैं। निश्चित रूप से वे हथियार

पाकिस्तान में बनते नहीं, अगर पाकिस्तान ही इन सब कामों के लिए उकसा रहा है, तो इसके पीछे कोई और ताकत है, जो इन सब चीजों को मुहैय्या करती है। उन लोगों को पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बार्डर पर जिस तरह के हथियार देखने को मिले हैं, जो सूचनाएं छपकर के पढ़ने को मिली हैं, उनसे साफ-साफ मालूम पड़ता है कि एक अन्तर्राष्ट्रीय षडयंत्र के तहत यह सारा काम हो रहा है और यह अन्तर्राष्ट्रीय षडयंत्र केवल इसलिए है कि पाकिस्तान हिन्दुस्तान को चैन से न बैठने दे। अफगानिस्तान एक ऐसा अड्डा बन जाए जो रूस को भी परेशान कर सके। क्योंकि अफगानिस्तान की सीमाएं रूस से जुड़ी हुई हैं। पाकिस्तान की सीमाएं हमारे हिन्दुस्तान के कई प्रदेशों से जुड़ी हुई हैं।

जम्मू-कश्मीर अभी तक शान्त था, लेकिन फिर बराबर कई महीनों से हमको जम्मू-कश्मीर में भी वही सारी चीजें देखने को मिलती हैं। जहां फंडामेंटलिस्ट अपने स्वार्थों के लिए पूरे देश को नुकसान पहुंचाने में पीछे नहीं होते। एक बात मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि थर्ड वर्ल्ड ब्राडकास्टिंग में जो चीजें आती हैं क्या इनका कोई सम्बन्ध इन सारी बातों से नही है। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं क्योंकि हमारी दूसरी सभा के वे सदस्य हैं, लेकिन उन सज्जन की बराबर चर्चा होती है, जो इस तरह के तत्वों को बढ़ावा देने में कभी कोई कमी नहीं करते। जो इस तरह की चीजों को बराबर बढ़ावा देते हैं। थर्ड वर्ल्ड ब्रॉडकास्टिंग में हमारी स्व० नेता इंदिरा जी की हत्या की भी चर्चा पहले हुई। इस तरह की चीजें वहां से प्रसारित और प्रचारित की जाती हैं। इन सबके पीछे कौन षडयंत्र करता है। इन षडयंत्रों के पीछे जो हैं, उनका पर्दा-फाश होना चाहिए। इसकी मैं बारबार मांग करता हूं। अपनी भारत सरकार से मैं यह कहता हूं कि आज पाकिस्तान में जो भी हो रहा है, वह केवल पाकिस्तान में ही नहीं हो रहा है, इस पाकिस्तान के पीछे जो चेहरे हैं, उन चेहरों को आप उद्‌घाटित कीजिए। हिन्दुस्तान की जनता को यह जानने की जरूरत है कि वे कौन-सी ताकतें हैं जो आज पाकिस्तान में बैठकर, भले ही आज बेनजीर भुट्टो के नाम पर लोकतंत्र का कुछ थोड़ा-सा सौदा दिखाई पड़ता हो, मगर मुझे नहीं लगता कि वहां पर कोई इस तरह की चीज हो पाएगी, क्योंकि नीति ने अभी मुझे कोई फर्क नहीं मालूम पड़ता।

हिन्दुस्तान को अस्थिर करने में पाकिस्तान से बल मिलता है और पाकिस्तान के द्वारा अमेरिका से बल मिलता है और यही सब काम अफगानिस्तान में होता जा रहा है। अगर यही तत्व हमारे देश को और अफगानिस्तान को अस्थिर कर रहे हों, अफगानिस्तान में अगर इन तत्वों को सफलता मिली तो रूस में भी यही परेशानी पैदा करेंगे, इसमें कोई सन्देह नहीं।

रूस हमारा मित्र देश है और वह संसार में उन शक्तियों का मुकाबला करता है जो अन्तर्राष्ट्रीय षडयंत्र के नाम पर, मानवता के विरोध के नाम पर जो भी काम होते हैं, उनको वह चैक करता है। वही काम हिन्दुस्तान जैसा बड़ा देश आज दुनिया में करता है। दो शक्तियों के नाम पर जो कुछ भी इस देश किया जाता है, तीसरी शक्ति के नेता के रूप में हिन्दुस्तान ने आज उन चीजों का मुकाबला करना शुरू किया है। आज इस शक्ति को कमजोर करने के लिए हिन्दुस्तान को भी चैन से नहीं बैठने दिया जाता। मैं श्री भगत जी की बात से सहमत हूं कि इन सारी चीजों के पीछे कौन से तत्व हैं, उन तत्वों के पीछे जो चेहरे छिपे हुए हैं, उनको बेनकाब किया जाना चाहिए क्योंकि जब तक ऐसा नहीं होगा हिन्दुस्तान की करोड़ों जनता उठकर उनका मुंह काला नहीं कर सकेगी और हिन्दुस्तान की जनता में यह शक्ति है कि अगर सही बात मालूम हो,

जाए तो उन तत्वों का मुकाबला हिन्दुस्तान की जनता अपने अहिंसक तरीकों से करने में सक्षम है। मुझे यह पूरा विश्वास है कि हमारे राजीव जी हिन्दुस्तान को ही नहीं, उस तीसरी शक्ति को भी पूरी तरह से नेतृत्व दे सकेंगे, अगर हमको उन तत्वों का पता लगे और उनके द्वारा जो षडयंत्र किए जाते हैं उनको विफल करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ से यह अपील की जाए कि इस प्रकार की हरकतें बन्द कराई जाएं। अगर अफगानिस्तान में यह काम हो रहा है तो संयुक्त राष्ट्र संघ की सेनाएं आएं, सब रूस की सेनाएं वहां पर आयीं तो बहुत शोर किया गया, हिन्दुस्तान पर भी हमला किया गया। हमारी स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के लिए कहा गया कि रूस से दोस्ती होने के कारण वह उसका विरोध नहीं कर रही हैं। वर्तमान प्रधान मंत्री श्री राजीव जी पर भी यही दबाव डाला गया, मगर सच बात यह है कि रूसी सेनाएं आ जाने के बाद क्या हुआ ? यह जो अफगानिस्तान में हो रहा है, इसका नियन्त्रण अगर रूसी सेनाएं नहीं करें और दूसरा कोई न करे तो संयुक्त राष्ट्र संघ की शांति सेना के नाम पर कोई न कोई ऐसी शक्ति वहां पर स्थापित की जाए ताकि इस प्रकार की हरकतें करने वालों को कोई भी अवसर न मिले और यह हमेशा के लिए समाप्त किया जाए। यह मांग करते हुए मैं भगत जी का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया (अमृतसर): सभापति महोदय, जो समाचार प्रैस में छपा है तथा जिसका श्री भगत ने मेरे पहले हवाला दिया है वह भारत में हस्तक्षेप कर रही विदेशी ताकतों का एक और सबूत है। अनेक बार—जब भी यहां पंजाब के सम्बन्ध में वाद-विवाद हुआ है मैंने तथा मेरे अन्य मित्रों ने भी यह उल्लेख किया है कि पंजाब को जिस गंभीर समस्या का सामना करना पड़ रहा है वह उस विदेशी हाथ के कारण है जो भारत को अस्थिर करना चाहता है। दुर्भाग्यवश, हमारे कुछ भाई, हमारे कुछ युवा लोग बहकावे में आकर विदेशी ताकतों की भूमिका अदा कर रहे हैं। जहां तक पंजाब का सम्बन्ध है मैं आपको आश्वासन दे सकता हूं कि कोई भी खालिस्तान नहीं चाहता। न तो हिन्दू और न सिख खालिस्तान चाहते हैं तथा इस बात को पंजाब के अलग-अलग दलों के विभिन्न नेताओं ने स्पष्टतः कहा है। परन्तु कुछ ताकतें इस बात पर तुली हैं कि खालिस्तान बने तथा पंजाब जो भारत का एक बहुत महत्वपूर्ण राज्य है जो भारत का अन्न भंडार है, जहां के लोग भारी तादाद में भारतीय सेना में हैं, उसका कुछ भाग खालिस्तान बने। विदेशियों के लिए यही महत्वपूर्ण है।

महोदय, मैंने अनेक बार इस सभा में विदेशी हाथ के बारे में कहा है, उदाहरण दिए हैं तथा सबूत दिए हैं परन्तु फिर भी कुछ लोग यह कह रहे हैं कि "आप इसे सिद्ध कीजिए तथा यदि कोई ऐसी बात है तो सरकार ऐसा क्यों नहीं कहती ?" परन्तु यहां इस बात का एक बहुत बड़ा सबूत है कि किस प्रकार से विदेशी ताकतें मदद कर रही हैं तथा इस देश को अस्थिर करने का प्रयास कर रही हैं।

गत माह 25 मार्च को लन्दन में कुछ अन्तर्राष्ट्रीय सिख संगठनों की एक बैठक हुई जिसमें अन्य बातों के अलावा जिनका मुझे यहां उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है, उन्होंने उन कुछ सरकारों तथा अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों को धन्यवाद दिया है जिन्होंने खालिस्तान बनाने के लिए सहायता दी है। आपको और अधिक सबूत क्या चाहिए ? तथा मैं अपने मन्त्री जी से पूछना चाहूंगा कि क्या उनको उस बैठक की जानकारी है। भारतीय प्रैस में यह आया है तथा यहां तक कि कल के हिन्द समाचार के सम्पादकीय 618 में भी टिप्पणी की है जिसमें उन्होंने यह उल्लेख किया है कि

अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों ने उन सरकारों को धन्यवाद दिया है जिन्होंने खालिस्तान बनाने के लिए धन के रूप में, हथियारों के रूप में सहायता दी है।

इसीलिए मैं अपने मन्त्री महोदय से यह प्रश्न पूछना चाहता हूं और मेरा यह प्रश्न उस प्रेस समाचार के प्रतिक्रिया स्वरूप है जिसका मेरे वरिष्ठ सहयोगी श्री भगत ने हवाला दिया है अर्थात क्या सरकार को गुलबुद्दीन हिकमतयार की भारत में किसी ऐसी इकाई की जानकारी है जिसको सन्देश भेजा गया ? क्या सरकार को इसकी जानकारी है ? यदि इकाई विद्यमान है तो इसका आतंकवादियों के साथ क्या सम्बन्ध है ? मन्त्री महोदय से मैं यह जानना चाहूंगा। जहां तक हमें जानकारी है कि आतंवादियों के सीमा के इस पार तथा उस पार, भारत की ओर तथा दूसरी ओर भी तस्करों से सम्बन्ध हैं तथा वे भारत में हथियार लाने का एक माध्यम हैं।

मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि क्या भारत में गुलबुद्दीन हिकमतयार की इकाई तथा आतंकवादियों के बीच कोई सांठगांठ है ? उनमें परस्पर किस प्रकार का सम्बन्ध है ? क्योंकि यदि यह पता है कि हथियार पाकिस्तान से आ रहे हैं तथा अमरीका द्वारा अफगान विद्रोहियों को हथियार दिए जा रहे हैं, वे विद्रोही उन्हें भारत में भेज रहे हैं और चूंकि माध्यम तस्कर हैं इसीलिए इन सभी लोगों के बीच सांठगांठ होनी ही चाहिए। हमारे मन्त्री जी को हमें सन्तुष्ट करना चाहिए तथा जो कुछ हो रहा है उसकी इस सभा को जानकारी दी जानी चाहिए। मेरे सहयोगियों ने अफगान की स्थिति के बारे में पहले जिन बातों का उल्लेख किया है उनके सम्बन्ध में जिनेवा समझौते के पश्चात ऐसी आशा की गई थी कि चूंकि रूसी सेना अब लौट गई हैं तो अमरीका तथा अन्य ताकतों द्वारा विद्रोहियों को हथियार नहीं दिए जाएंगे परन्तु परिणाम यह है कि इस क्षेत्र में तनाव हो गया है तथा हमें यह देखना है कि इन सभी ताकतों का क्या सम्बन्ध है तथा उनके पीछे वे कौन-सी ताकतें हैं जो केवल भारत को ही नहीं बल्कि हमारे क्षेत्र में अन्य देशों को भी अस्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं।

इसीलिए मन्त्री जी से हमारा यह अनुरोध है कि वे हमें यह बताएं, हालांकि हम सभी को पता है, कि वे कौन-सी ताकतें हैं, फिर भी यह बताएं कि वे कहां-कहां हैं, उनके सम्बन्ध किस प्रकार के हैं, वे कैसे संगठित हो रही हैं, वे उनको कैसे सहायता कर रहे हैं, वे किस प्रकार से हथियार तथा पैसा भेज रहे हैं आदि। परन्तु वे बाहर बैठे-बैठे उन सभी ताकतों का मार्गदर्शन भी कर रही हैं इसीलिए उन सभी ताकतों का भंडाफोड़ होना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे इन सब प्रश्नों का उत्तर दें कि क्या उनके आपस में सम्बन्ध है, क्या भारत में हिकमतयार की कोई यूनिट हैं, क्या सरकार को यह बात मालूम है; उनके आतंकवादियों से क्या सम्बन्ध हैं, उनके तस्करों और आतंकवादियों से क्या सम्बन्ध हैं, और यह भी कि क्या उनको 25 मार्च को लन्दन में हुई बैठक की कार्यवाही की जानकारी है जिसमें उन्होंने निःसंकोच विभिन्न सरकारों को धन्यवाद दिया था। मंत्री महोदय को इस बात की जानकारी सभा को अवश्य देनी चाहिए।

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : महोदय, मैं अपने माननीय सहयोगी श्री बी०आर० भगत द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव में व्यक्त की गई चिंता से सहमत हूं। पहले ही अनेक प्रश्न उठाये जा चुके हैं। मैं अपने ढंग से एक या दो प्रश्न करना चाहूंगी।

गुलबुद्दीन हिकमतयार यूनिट के सम्बन्ध में श्री भगत जी ने जो कुछ कहा है, मैं उससे पूर्णतया सहमत हूं। मौजूदा अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति में क्या इस बात की अपेक्षा नहीं की जाती कि

इन लोगों अर्थात अफगानिस्तान के विद्रोहियों के भारत में खालिस्तान समर्थक आतंकवादियों के साथ सम्बन्ध रहे होंगे निश्चित रूप से उनके ये सम्बन्ध आज ही नहीं बने हैं। उनके सम्बन्ध अवश्य ही काफी लम्बे समय से रहे होंगे। संसद सदस्यों को भी इन बातों का समाचार पत्रों से पता चलता है। भारत सरकार संसद सदस्यों को ऐसी जानकारी सीधे क्यों नहीं उपलब्ध कराती ? यदि भारत सरकार को यह बात पहले से मालूम नहीं थी तो यह अत्यंत खतरनाक बात है। मैं यह प्रश्न किसी द्वेष भावना से नहीं कर रही हूं। मैं यह जानना चाहती हूं कि क्या हमारी भारतीय आसूचना सेवा को हारवर्ड विश्वविद्यालय संस्कृति का रूप दिया जा रहा है।··· (व्यवधान)

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : यह एक अत्यंत असंगत प्रश्न है।···(व्यवधान)

श्रीमती गीता मुखर्जी : यह एकदम संगत है। यदि आप इसका मतलब नहीं समझे हैं तो मैं इसका मतलब बताती हूं। भारत सरकार अपने अधिकारियों को प्रशिक्षण के लिए हारवर्ड भेजना चाहती थी। कुछ भी हो श्री बी० आर० भगत ने हिकमतयार के मामले में ठीक ही कहा है कि इसके पीछे कुछ अज्ञात लोगों के हाथ है और उन्होंने आंतरिक खुफिया सेवा का भी उल्लेख किया है। मैं वास्तव में यही आशा कर रही थी कि वह उन व्यक्तियों के नाम बतायेंगे जो निश्चित रूप से अज्ञात नहीं हैं अर्थात स्पष्ट रूप से जो अमरीकी साम्राज्यवादी हैं। मैं वास्तव में यह समझ नहीं पाई हूं कि उन्होंने इसे क्यों नहीं बताया। उन्होंने अमरीकी साम्राज्यवादियों की धोखाधड़ी के बारे में साफ-साफ नहीं बताया। (व्यवधान) मैं जानती हूं कि कुछ प्रश्नों के सम्बन्ध में कुछ हद तक एक राष्ट्रीय सहमति है।···(व्यवधान)

सभापति महोदय, मैं केवल दो और बातें कहना चाहती हूं। एक बात हिकमतयार के कार्यों के बारे में है।

मुझे प्रसन्नता है कि उन लोगों को, जिन्हें नजीबुल्लाह सरकार की ताश के पत्तों की तरह गिराने की आशा थी निराश होना पड़ा। उस संदर्भ में मुझे यह कहने में बड़ा गर्व है कि काबुल की महिलायें जलालाबाद को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। इससे पता चलता है कि यदि आप महिलाओं को कट्टरपंथियों के चंगुल से मुक्त करा देते हैं और उन्हें चुनाव या अन्य किन्हीं उद्देश्यों हेतु कुछ कट्टरपंथियों को खुश करने के लिए बांधा नहीं जाता है, तो मुस्लिम महिलायें इसी प्रकार ऊपर उठ सकती हैं। हमें अफगानिस्तान से भी सबक लेना चाहिए।

पहले यह समाचार मिला था कि जलालाबाद में भारतीय मारे गये हैं। लेकिन बाद में हमारी सरकार के प्रतिनिधियों ने कहा है कि वे भारतीय नहीं थे अपितु वे अफगानिस्तान में भारतीय मूल के सिख थे। मैं नहीं जानती कि सच्चाई क्या है। मैं चाहती हूं कि सरकार इसे स्पष्ट करे। लेकिन हमें इससे पुनः सबक लेना चाहिए। मैं समझती हूं पंजाब में हमारे मित्र अब इस बात की सराहना करेंगे कि गुरुद्वारा में बेकसूर लोगों की हत्या के पश्चात, गुरुद्वारों या उस कार्य के लिए अन्य धार्मिक स्थलों को राजनैतिक उद्देश्यों के लिए शरण स्थल नहीं बनाया जायेगा। इस समाचार का, जिसने हमारे मन में भारी चिंता उत्पन्न की है, एक अन्य पहलू भी है। इससे हमें पंजाब के सिखों को इस बात से सहमत करने का अवसर मिलता है कि खालिस्तान के नाम पर पाकिस्तान के एजेन्टों से सम्पर्क रखना कितना खतरनाक है।

मेरे विचार से इससे हमें एक बार फिर पंजाब की स्थिति पर बेहतर ढंग से विचार

करने का अवसर प्राप्त होगा और इसका हमें समुचित उपयोग करना चाहिए । जब कभी नया वातावरण बनता है, उदाहरण के लिए आपरेशन (ब्लैक थंडर) के बाद सरकार को चाहिए था कि वह पंजाब समस्या के समाधान के लिए उस समय का समुचित उपयोग करती । मेरा विचार है कि उस समय का समुचित उपयोग नहीं किया गया । इससे एक और अवसर प्राप्त हुआ है और हमारी सरकार को चाहिए कि वह इसका सदुपयोग करे । इसके विपरीत भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ के सम्मेलन में हमारे युवा नेता ने पूरे विपक्ष पर आरोप लगाया है जो उचित नहीं है । अतः यह पूरे राष्ट्र के लिए चिन्ता का विषय है और हम सभी इसमें शामिल हैं । मुझे आशा है कि हमारी सरकार अत्यन्त चिंतित होगी और जैसा कि श्री भाटिया ने बताया है, ऐसे सभी गठबंधनों का भंडाफोड़ करेगी और यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी कि संयुक्त राज्य अमरीका और पाकिस्तान तीसरी दुनिया के देशों में विद्यमान अपनी सेनाओं का इन देशों के खिलाफ इस्तेमाल करके जेनेवा समझौता का उल्लंघन न करने पाये ।

मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि बेनजीर भुट्टो तथा पाकिस्तान की आई० एस० आई० जैसी गुप्तचर सेवाओं में बहुत अन्तर है । ये ऐसी ताकतें हैं जो स्वयं पाकिस्तान को भी अस्थिर बनाना चाहती हैं । इसीलिए हमें चाहिए कि ऐसी ताकतों तथा बेनजीर भुट्टो के प्रति बिल्कुल अलग-अलग रुख अपनाएं । इसीलिए हमें चाहिए कि दक्षेश (सार्क) क्षेत्र में साम्राज्यवाद तथा इन ताकतों के खिलाफ जमकर संघर्ष करें जो न केवल हमारे देश में अस्थिरता लाने का प्रयास कर रहे हैं वरन् समूचे क्षेत्र की शांति के लिए भी खतरा बने हुए हैं । हमें अपनी इस भूमिका को अत्यन्त प्रभावी, गम्भीर और जिम्मेदार ढंग से निभाना होगा और इसी की हमसे अपेक्षा भी की जाती है ।

5.00 म० प०

श्री उत्तम राठौड़ (हिंगोली) : सभापति महोदय, 29 मार्च के टाइम्स आफ इंडिया में 'रिलीस बैकिंग सिख टेररिस्ट्स' नामक शीर्षक से एक समाचार छपा जिसमें यह बताया गया था कि हुस्ब-इ-इस्लामी अफगानिस्तान के प्रधान मंत्री श्री गुलबुद्दीन हिकमतयार ने भारत में स्थित अपनी यूनिट में कार्यरत अपने अभिन्न मित्रों को यह संदेश भेजा था कि वे पंजाब में सक्रिय आतंकवादियों को सचेत कर दें ताकि वे पाकिस्तान सरकार द्वारा पकड़े न जा सकें या परेशान न किए जा सकें । मेरा ख्याल है कि पूरे इतिहास में अफगानिस्तान से हमारे संबंध सौहार्दपूर्ण रहे हैं । मुझे याद है कि जब मैं बच्चा था तो मैंने श्री रवीन्द्र नाथ ठाकुर लिखित एक कहानी पढ़ी थी 'काबुली वाला' और तभी से मुझे पठानों से मुहब्बत हो गई है···(व्यवधान) ।

एक माननीय सदस्य : आप श्री काबुली की बात तो नहीं कर रहे ।

श्री उत्तम राठौड़ : जी नहीं, मैं श्री काबुली की बात नहीं कर रहा हूं । किन्तु क्या मालूम उनके बारे में भी कभी कोई कहानी लिख दे । महोदय, मुझे यह भी याद है कि नेता जी को भारत से बाहर अफगानिस्तान के नागरिक ही ले गए थे, उन्होंने उन्हें शरण दी थी और उन्हें उनकी मंजिल जर्मनी तक पहुंचाने में भरपूर मदद की थी । किन्तु दुर्भाग्यवश उसी देश के कुछ नागरिक विभिन्न नामों से भारत आ गए हैं । उन्होंने अपनी यूनिट गठित की है तथा पंजाब और कश्मीर में सक्रिय आतंकवादियों से गठबंधन किया है । कश्मीर और पंजाब में सक्रिय ये ताकतें हमारे देश में अस्थिरता लाना चाहती हैं तथा देश की अखंडता बनाए रखने में बाधा उत्पन्न करना चाहती हैं ।

मैं माननीय मंत्री से एक-दो बातें जानना चाहता हूं। क्या यह सही है कि उनकी यूनिटें भारत में काम कर रही हैं? यदि यह सही नहीं है तो क्या सरकार ने किसी समाचार पत्र में उस समाचार का खंडन किया है? यदि आप यह जानते हैं कि वे लोग कौन हैं जो हमारी ही धरती पर भारत के हित के विरुद्ध काम कर रहे हैं, तो उन्हें भारत से बाहर निकालने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है? मैं माननीय मंत्री से ये तीन बातें जानना चाहता हूं। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि लगभग एक वर्ष पहले लन्दन में कश्मीर लिबरेशन फन्ट के प्रतिनिधि डॉ० जगजीत सिंह चौहान मुजाहिदों के प्रतिनिधि और लन्दन स्थित इस्लामिक सेण्टर के प्रतिनिधि की बैठक हुई थी और वहां उन्होंने परस्पर सहयोग करने का निर्णय लिया था। यदि यह सच है तो इसके बारे में सभा को जानकारी क्यों नहीं दी गई? यदि आपने जानकारी नहीं भी दी फिर भी यह बताएं कि देश में अस्थिरता पैदा करने के लिए उनके परस्पर सहयोग को रोकने के लिए आपने क्या उपाय किए हैं?

हमने देखा है कि मुजाहिदों को दिये गये हथियार कश्मीर में पहुंच गये हैं। वे पंजाब तक भी पहुंच गये हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि कितने हथियार वहां पहुंच गये हैं और उनमें से कितने पर आपने कब्जा कर लिया है और उनके खिलाफ आपने क्या कार्यवाही की है जो उन्हें लेकर आए हैं। कश्मीर और पंजाब दोनों ऐसे राज्य हैं जो हमारी सीमा पर स्थित हैं। पंजाब में अवश्य राष्ट्रपति शासन है किन्तु कश्मीर में तो निर्वाचित सरकार काम कर रही है। स्थानीय सरकार को चाहिए कि वह हर प्रकार की सावधानी वरते तथा केन्द्रीय सरकार से सम्पर्क बनाए देखकर काम करे ताकि अपने ही देश में आतंकवादियों द्वारा किये जा रहे अत्याचारों को समाप्त किया जा सके।

महोदय, हम कश्मीर में हिन्दू-मुस्लिम दंगों के बारे में सुन रहे हैं और यह सब बातें हमारे देश को अस्थिर करेंगी। धर्मनिरपेक्ष ताकतों के साथ किसी न किसी प्रकार का राजनैतिक समझौता अवश्य किया जाना चाहिए। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो मुझे डर है कि पंजाब की तरह पंजाब तो कम से कम उभर रहा है—हम कश्मीर को भी अपने हाथ से खो बैठ सकते हैं। अतः दोनों स्थितियों में आपको ऐसा करने की कोशिश करनी चाहिए।

महोदय, अन्त में मैं कहना चाहूंगा कि मेरे ख्याल से पैट्रियट या हिन्दुस्तान टाइम्स में एक समाचार प्रकाशित हुआ था कि हमारी सरकार अफगानिस्तान में व्यापक आधार वाली सरकार की सहायता करने का प्रयास कर रही है। मेरी प्रार्थना है कि वे इसमें सफल हों। जब हमारी सरकार वास्तव में ऐसा करने को कृतसंकल्प है तो मुझे यह समझ नहीं आ रहा है कि श्री गुलबुद्दीन हिकमतयार को अपनी यूनिट को संदेश क्यों भेजना चाहिए जिससे वह उन्हें सक्रिय बना देना चाहता है और उन्हें पंजाब और कश्मीर में आतंकवादियों के साथ रखना चाहता है। मुझे आशा है कि माननीय महोदय मेरे द्वारा उठाए गए इन प्रश्नों का उत्तर देंगे और इस संपूर्ण कहानी के बारे में अधिकांश सदस्यों के मन में जो संदेह हैं उन्हें दूर करेंगे।

श्री तम्पन थामस (तवेलिकरा) : महोदय, मैं श्री भगत को यह विषय सभा में चर्चा के लिए पेश करने पर बधाई देता हूं। लेकिन जहां तक अफगान विद्रोहियों और भारत में पंजाब के आतंकवादियों के बीच के संबंधों और उससे संबंधित समाचारों का संबंध है, मैं अफगान विद्रोहियों के क्रियाकलापों और पंजाब में हो रही घटनाओं को एक जैसा नहीं मानता। यदि इन

दोनों के बीच तुलना करने का प्रयास किया जाता है तो मैं इसका विरोध करूंगा। मैं आशा करता हूं कि जो कुछ अफगानिस्तान में हो रहा है वह भारत में या, पंजाब में कहीं नहीं होगा। इस बात के समाचार मिले है कि 15 लाख लोग मारे गए हैं और लगभग 50 लाख लोग शरणार्थी हो गए हैं और 1 करोड़ लोगों को अफगानिस्तान के विभिन्न भागों में विद्रोही क्रियाकलापों में भाग लेने के लिए रखा गया है।

मैं आशा करता हूं कि ऐसा भारत में नहीं होगा। अत: दोनों की तुलना करना बिल्कुल ठीक नहीं है। लेकिन चाहे जो भी संबंध सामने आये हों और यदि ऐसी कोई बात है तो इसको सभी की जानकारी में लाया जाना चाहिए तथा ऐसे संबंध तुरन्त खत्म किये जाने चाहिए।

महोदय, देश के विभिन्न भागों में आतंकवादी गतिविधियां बढ़ रही हैं। हाल में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हुए कुछ सम्मेलनों में ये विचार व्यक्त किए गए थे कि दोनों तरफ आतंकवादी गतिविधियों को निहित स्वार्थों का समर्थन मिल रहा है और निहित स्वार्थ आतंकवादी गतिविधियों का राजनैतिक एवं आर्थिक कारणों से समर्थन करते हैं। हमारा देश एक विकासशील देश है और विश्व मानचित्र पर यह क्षेत्र एक विकासशील क्षेत्र है। जो लोग इस क्षेत्र में अस्थिरता उत्पन्न करना चाहते हैं वे अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आतंकवादियों को सक्रिय बनाये रखना चाहते हैं। यह बिल्कुल सामान्य बात है क्योंकि इसमें उनका आर्थिक हित निहित है। उन हथियारों को जिनका आतंकवादियों द्वारा पंजाब के क्षेत्र में इस्तेमाल किया गया है, वही चिन्ह लगाकर अफगानिस्तान में भी इस्तेमाल के लिए भेजा जा सकता है। जो लोग इस क्षेत्र में अस्थिरता उत्पन्न करना चाहते हैं वे दूसरे देश में भी अस्थिरता उत्पन्न करना चाहेंगे। लेकिन इस संबंध में मैं एक बात कहना चाहूंगा कि इस मामले में पूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए इन सब बातों पर पूर्ण चर्चा करना जरूरी है। ठक्कर आयोग ने बताया है कि स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या के पीछे विदेशी हाथ है। यह साबित करना होगा कि इस जघन्य अपराध में विदेशियों का हाथ किस प्रकार रहा है। अब श्री चतुर्वेदी जी, श्री राम जेठमलानी जी का नाम ले रहे हैं। लेकिन इंडियन एक्सप्रेस में श्री आर० के० धवन का नाम आया है। यदि वह भारत के अन्य नागरिक श्री राम जेठ मलानी के बारे में झूठ बोल रहे हैं तो वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए, लोग प्रधान मन्त्री जी के अतिरिक्त निजी सचिव श्री आर० के० धवन के नाम को भी ध्यान में रखेंगे। अत: महोदय, इस माननीय सभा को इस बात पर विचार करना चाहिए कि आतंकवादियों और देश के विभिन्न भागों में समूहों में कार्यरत अंतर्राष्ट्रीय एजेन्सियों के साथ कैसा व्यवहार किया जाये। इस माननीय सभा को गर्मजोशी से इस बात पर विचार करना चाहिए। इस उद्देश्य से, मैं समझता हूं कि यदि ये रिकार्ड उपलब्ध हो जाता है तो शायद इससे अन्तर्राष्ट्रीय समूहों और अन्तर्राष्ट्रीय एजेन्सियों के बीच सह-सम्बन्ध का पता चल जाये जो इस क्षेत्र को अस्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं और हम इस बात का पता लगा सकते हैं कि वास्तविक अपराधी कौन है—उन वास्तविक अपराधियों को जो इस देश को अस्थिर कर रहे हैं, जो शायद प्रधान मंत्री निवास में अथवा विरोधी शिविर में छिपे हुए हैं। इसको तभी प्रकट किया जा सकता है यदि ये सारी बातें हमारे ध्यान में लाई जाती हैं।

महोदय, जब श्री चतुर्वेदी श्री जेठमलानी के बारे में बताते हैं तो मेरे मन में अन्य व्यक्तियों के बारे में भी संदेह उत्पन्न होना उचित है। इसे कैसे प्रकट किया जा सकता है? श्री

भगत ने एक संकल्प पेश किया है जिसमें यह कहा गया है कि अफगान विद्रोहियों और पंजाब के आतंकवादियों के बीच संबंध हैं, हम वास्तविक सच्चाई को जानना चाहते हैं जिसे मंत्री महोदय जांच एजेन्सियों से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर हमें बता सकते हैं। हम अफगानिस्तान में व्याप्त राजनैतिक स्थिति से बहुत अधिक चिन्तित हैं और यदि वहां जितनी जल्दी हो कोई राजनैतिक समाधान हो जाये तो यह उस क्षेत्र के लिए अच्छा होगा। हमें इस्लामी कट्टरपंथवाद के प्रति तटस्थ रहना चाहिए और हमें अफगानिस्तान में लोगों की सरकार बनाने में लोगों की मदद करनी चाहिए। इस क्षेत्र में अधिक स्थिरता लाने के लिए यही सबसे उत्तम उपाय होगा।

पाकिस्तान के साथ हमारे दोस्ताना संबंध हैं जो वर्ष 1979 में जनता शासन के दौरान स्थापित हुए थे। पहले ऐसे संबंध नहीं थे।

यदि हम पाकिस्तान की लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित सरकार के साथ मैत्री-संबंध पुनः स्थापित कर सकें तो उससे स्थिति बिगड़ने से बचाई जा सकती है। इसके बजाए, हो यह रहा है कि प्रधान मंत्री विपक्षियों पर हत्यारे होने का आरोप लगा रहे हैं। वे दक्षेस की आड़ में भी संरक्षण चाहते हैं ताकि लोग यह सोचें कि उनके सत्ता में रहते हुए कुछ बदतर होने वाला है और इसीलिए ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है। डर का वातावरण बनाये रखकर सत्ता में बने रहने के लिए कुछ तरकीबें की जाती हैं। क्षेत्रीय सहयोग के लिए दक्षेस (सार्क) का संरक्षण काफी सराहनीय है। यदि वास्तव में प्रधान मंत्री पाकिस्तान के साथ मैत्री-संबंध स्थापित कर सकते तो इस क्षेत्र में शांति स्थापित हो जाती। परन्तु दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हो सका।

श्री हरीश रावत : क्या यही आपके दल की नीति है।

श्री तम्पन थामस : मेरे दल की नीति यह नहीं है। मुझे कुछ बातों की आशंका है। (**व्यवधान**) यदि बेहतर संबंध स्थापित किये जा सकें, तो इन समस्याओं का समाधान हो सकता है तथा इन आतंकवादियों के ग्रुपों के बीच कोई भी संबंध इस देश के लिए अत्यधिक खतरनाक हैं और उसे भंग करना होगा। ऐसी स्थिति में कोई सरकार कैसे प्रभावपूर्ण ढंग से कार्य कर सकती है? पंजाब में भी हमने आतंकवाद से निपटने के लिए वहां की सरकार को जो शक्तियां दी हैं, उनके बावजूद भी हम सफल नहीं हो सके। पाकिस्तान के साथ सीमा पर नाकेबंदी करने के मामले में भी सरकार असफल रही। आतंकवादी रोधी कानून बनाने के पश्चात् भी सरकार ने नियम बनाने और उन्हें लागू करने में 14 महीने लगा दिए। तो फिर इस संदर्भ में हम किस प्रकार सफल हो सकते हैं? फिर भी मैं श्री भगत के इस विचार से सहमत हूं कि अफगान विद्रोहियों और पंजाब के आतंकवादियों के बीच संबंध देश के लिए खतरनाक हो सकते हैं। केवल इतना ही नहीं है बल्कि देश के किसी भी भाग या किसी भी क्षेत्र में कोई भी आतंकवादी आंदोलन चलाने के पीछे आर्थिक और राजनीतिक कारणों से निहित स्वार्थ होते हैं और उसका उद्देश्य इस क्षेत्र को राजनीतिक दृष्टि से अस्थिर बनाना होता है। इसका सामना अविरत कार्रवाई और जनता के सहयोग से ही किया जा सकता है। धन्यवाद, महोदय।

[हिन्दी]

श्री प्रताप भानु शर्मा (विदिशा) : माननीय सभापति महोदय, हमारे सदन के वरिष्ठ सदस्य सम्माननीय श्री बलिराम भगत द्वारा नियम 193 के अन्तर्गत जो मोशन रखा गया है, अफगान विद्रोहियों द्वारा जो भारत के अन्दर आतंकवादी गतिविधियां चलाई जा रही हैं, उस पर उन्होंने

चिन्ता व्यक्त की है। कई अखबारों में भी पिछले सप्ताह इस बारे में लिखा गया और यह बात सच है कि हिन्दुस्तान से आसपास जिस तरह की अस्थिरता पैदा करने का वातावरण बनाया जा रहा है, आतंकवादी गतिविधियां चलाई जा रही हैं, या कुछ शक्तियों द्वारा सांठगांठ करके भारत के खिलाफ काम करने वाली शक्तियों को मदद की जा रही है, यह बड़ी चिन्ता का विषय है।

हजारों वर्षों से भारतवर्ष शांति के संदेश के लिए, जियो और जीने दो के उद्देश्य के लिए और दूसरे देशों में भी विश्व-बन्धुत्व की भावना हो, इस उद्देश्य से काम करता चला आया है। खासतौर से आजादी के बाद के 40-42 वर्षों में भारत ने जो तरक्की की है, आत्म-निर्भरता हासिल की है और दुनिया में एक मजबूत लोकतंत्र के रूप में उभर कर आया है उसके कारण कुछ ऐसी साम्राज्यवादी ताकतें, जो भारत को अस्थिर करने वाली ताकतें हैं, या भारत के अन्दर फूट के बीज डालने वाली ताकतें हैं, उनको यह चीज अच्छी नहीं लगी और किसी न किसी जरिए या किसी न किसी बहाने वह भारत के आसपास ऐसे षड्यंत्र बुनते रहे।

हमारी स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने आज से 8-10 साल पहले ही इस संकट को भांप लिया था और उस समय देश के लोगों को उन्होंने आगाह किया था कि भारत के आसपास भारत को तोड़ने की साजिश की जा रही है, देश को अस्थिर करने वाली ताकतें हिन्दुस्तान को उखाड़कर रखना चाहती हैं, चाहे वह डिएगो गार्शिया का मामला हो, चाहे पाकिस्तान, बंगलादेश में मिलैट्री की सरकार बनाने की बात हो, ये सभी षडयंत्र एक साथ एक के बाद एक 70-80 के दशक में हमारे रीजन में हमारे सामने आए। जब एक के बाद एक, इन षडयंत्रों में सफलता नहीं मिली और भारत सरकार ने मजबूती से इनका सामना किया और हमारे देश के नौजवान प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी ने इन शक्तियों को दबाने के लिए, इनका पर्दाफाश करने के लिए, इन्हें बेनकाब करने के लिए कठोर से कठोर कदम उठाए, उस समय ये प्रतिक्रियावादी ताकतें गठबंधन करके ऐसी हालत पैदा करने की कोशिश कर रही हैं कि हमारे पंजाब में, जम्मू-काश्मीर में या सीमान्त प्रदेशों में फिर इस तरह का एक आतंक का वातावरण पैदा हो जाए जिससे अन्दरूनी हालात में संकट पैदा हो। अभी हाल ही में अफगान विद्रोहियों के द्वारा हमारे देश के अन्दर जो आतंकवादी तत्व काम कर रहे हैं उनको आधुनिक शस्त्र देने की बात आई है और उनके माध्यम से कुछ ऐसे लोगों के गठबंधन या ऐसे लोगों के नैक्सस सामने आए हैं, जिसमें सभी को चिन्ता होना स्वाभाविक है।

हम शुरू से ही अफगानिस्तान में शांति के प्रयासों को, पाकिस्तान में लोकतंत्र की सरकार की स्थापना हो, भारत और पाकिस्तान के आसपास के देशों के साथ शांति के सम्बन्धों को विशेष महत्व देते आए हैं, परन्तु पिछले कुछ वर्षों में इस बात में तेजी आई है कि किसी न किसी तरह पंजाब में आतंकवादी कार्यवाही हो, उन्हें ऐसी शक्ति से मदद मिलती रहे, आधुनिक हथियार मिलते रहें स्ट्रिंगर, मिसाइल्स और ए० के०-47 और अति आधुनिक हथियार ऐसे सस्ते दामों पर मिलते रहें कि उतने सस्ते दामों पर दुनिया के किसी भी हिस्से में इतने सस्ते नहीं मिल सकते।

सबसे अधिक गंभीर समस्या उस समय सामने आई जब अफगान के अति कट्टरपन्थी दल, पाकिस्तान के सबसे कट्टरपन्थी दल और जो पंथिक कमेटी से जुड़े हुए लोग हैं, उनके गठबंधन ने फिर से इस तरह के प्रयास किए कि किसी भी तरह अफगान रैबल्स के द्वारा वह हथियार पंजाब में यहां के आतंकवादियों को भेजे जाएं जो भारत में उपद्रव कर रहे हैं या पंजाब में जो निर्दोष व्यक्तियों की हत्याएं करने में लगे हुए हैं।

मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जो हाल ही में कुछ महीने पहले इस्लामाबाद में और इसके पहले काठमांडू में जो सार्क देशों की बैठक हुई थी, उसमें स्पष्ट रूप से इस बात का संकल्प लिया गया था कि हम सार्क के जो भी देश हैं, उनके अन्दर, उसमें आतंकवादियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जायेगी और उसके खिलाफ वातावरण बना कर एक दूसरे के हितों का संरक्षण किया जायेगा।

अभी देखने में यह आ रहा है कि पाकिस्तान में ऐसे तत्व सक्रिय हैं और ऐसे लोग वहां की मिलिट्री के संरक्षण में प्रशिक्षण लेकर जहां एक तरफ अफगान विद्रोहियों की मदद कर रहे हैं वहां दूसरी तरफ भारत में उग्रवादियों को किसी न किसी माध्यम से हथियार पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। वह एक तरफ मदद कर रहे हैं तो दूसरी तरफ हिन्दुओं और सिखों में फूट डालने की भी कोशिश करते हैं। धर्म के जो सर्वोच्च स्थल होते हैं—मंदिर हों, गुरुद्वारे हों, उनके बारे में उनकी राय और दृष्टिकोण क्या है वह दो अप्रैल के "इन्दु" समाचार पत्र में निकली खबर से साफ जाहिर होता है। उसमें साफ तौर से यह लिखा है कि जलालाबाद में तेगबहादुर गुरुद्वारे पर 23 राकेटों के द्वारा आक्रमण हुआ। यह एक चिन्ता का विषय है और धर्म की भावना पर आक्रमण है। इतना ही नहीं यह मानवता और इंसानियत पर आक्रमण है। ऐसी कट्टरपंथी ताकतों का किसी धर्म में विश्वास नहीं होता, किसी मज़हब में विश्वास नहीं होता, किसी धर्म की अस्मिता में विश्वास नहीं होता है। यह दूसरे के हाथों में बिके होते हैं और धर्म के आधार पर आतंकवादी गतिविधियां चलाना चाहते हैं।

हमारे देश का शुरू से एक ही एक संदेश रहा कि मानवता की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। भारत के हर धर्म में इसी बात को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई कि जिस धर्म में मानवता की सेवा है वही सर्वोच्च धर्म है। इसी बात पर हमें गम्भीरता से विचार करना चाहिये। मैं अपने सम्मानित गृह मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि आखिर ऐसे कौन लोग हैं, ऐसे कौन से तत्व हैं जो पंथिक कमेटी से सम्बन्ध बनाये हुए हैं। पाकिस्तान के माध्यम से जो इंटरव्यु लिये जाते हैं जिसका उल्लेख माननीय चतुर्वेदी जी ने भी किया। "थर्ड वर्ल्ड नैट वर्क" में 21 नवम्बर, 1987 को हमारे ही देश के एक सांसद, जो कि दूसरे सदन के माननीय सदस्य हैं, का एक इंटरव्यु प्रकाशित हुआ और उस इंटरव्यु का पेमेंट पाकिस्तान की सरकार ने किया। वह लोग जो कि इन्दिरा जी के हत्यारों को संरक्षण देते हैं, कहते हैं कि उनका गुरुबचन सिंह मनोचहल और वसन्त सिंह जफरवाल से कोई सम्बन्ध नहीं है जबकि इनके इनसे सीधे सम्बन्ध बने हुए हैं। उनकी प्रशंसा की जाती है और विपक्ष के लोग इनको बेनकाब न करके अपने साथ रखते हैं। ऐसे लोगों को बेनकाब किया जाना चाहिये जो कि साजिशों में लगे हुए हैं और जो लोकतंत्र को कमजोर करना चाहते हैं।

अंत में मैं यही कहूंगा कि भारतवर्ष में जो टैलेयंट हैं, जो नैचुरल रिसोर्सिज हैं, जो भारत का लोकतंत्र है वह सब मिल कर देश को मजबूत बना रहे हैं उनसे कुछ ऐसी शक्तियों को चिन्ता हो गई है जो धर्म की आड़ में अपना साम्राज्य जमाना चाहते हैं—चाहे इसमें अमेरिका की बात करें, चाहे उससे जुड़ी उन साम्राज्यवादी ताकतों की बात करें जिनसे हमेशा भारत की सुरक्षा को खतरा रहता हो। ऐसे लोगों के गठबंधन से हमे सावधान होने की आवश्यकता है। जो बात स्वर्गीय इन्दिरा जी ने 8-10 वर्ष पहले कही थी कि भारत को अस्थिर किया जा रहा है और विदेशी ताकतों का एक समायोजित षड्यंत्र बन रहा है, आज हमें वही चीज देखने को मिल रही है। आज राजीव गांधी जी इस बात पर कमर कस कर खड़े हैं और कह रहे हैं कि देश के टुकड़े

करने की साजिश की जा रही है और ऐसे लोगों की विपक्ष के लोग मदद करते हैं जो देश के विरोधियों के साथ गठबंधन करते हैं। उनकी ऐसी बात सुनकर विपक्षी सदस्यों को बुरा लगता है और वह इसके लिये सदन का बहिष्कार कर देते हैं। वह ऐसे लोगों का बहिष्कार नहीं कर सकते जो राष्ट्र की विरोधी शक्तियों के साथ मिला लेते हैं, उनसे मदद लेते हैं, उनसे हथियार लेते हैं, और अपने इंटरव्यु का पेमेन्ट दुश्मन देश से करवा लेते हैं। ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिये। ऐसे लोग जो सांठ-गांठ करके हमारी सरकार और देश को अस्थिर करने का प्रयास करते हैं।

मैं माननीय गृह मंत्री जी से चाहूंगा कि इस मामले में बिल्कुल साफ पूरा दृष्टिकोण, इंटेलिजेंस की पूरी रिपोर्ट, भारत सरकार को जो भी जानकारी है और जो भी कदम सरकार उठा रही है, सदन के सामने रखे। ऐसे लोगों को बेनकाब करे, जो देश को गुमराह करते हैं। विदेशी षड्यंत्र को सलाह देते हैं और भारत के खिलाफ शक्तियों के साथ मिलकर देश के आतंकवादियों की मदद करते हैं।

[अनुवाद]

श्री वी० वी० रमैया (ऐलुरू) : सभापति महोदय, अफगान विद्रोहियों का पंजाब के आतंकवादियों के साथ संबंध का मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम अफगान विद्रोहियों की बात करते हैं तो हमें थोड़ा और आगे जाकर यह सोचना होगा कि क्या हो रहा है। हमें आशा थी कि जिनेवा समझौते पर हस्ताक्षर होने और अफगानिस्तान से रूस वालों के चले जाने के पश्चात् वहां शांति और सद्भाव कायम होगा। दुर्भाग्यवश वैसा नहीं हुआ जैसी कि हमें उम्मीद थी। जलालाबाद में क्या हो रहा है ? इन घटनाओं से पता चलता है कि कोई अन्य शक्ति इन विद्रोहियों की सहायता कर रही है। अन्यथा, वे जिन्दा नहीं रह सकते और इतने लम्बे समय तक अपनी गतिविधियां जारी नहीं रख पाते। इन विद्रोहियों की सहायता कौन लोग कर रहे हैं ? पहले भी हमने पंजाब में आतंकवादियों की समस्या के बारे में अनेक अवसरों पर चर्चा की थी। उन्हें देश से बाहर प्रशिक्षित किया गया है। उन्हें बाहर से सहायता मिल रही है। इस देश में हथियार कैसे आ रहे हैं ? दुर्भाग्यवश, पाकिस्तान के साथ प्रत्येक स्तर पर हमारे बार-बार बातचीत करने के बावजूद भी ऐसा लगता है कि किसी भी बात पर सहमति नहीं हुई है और स्थिति में सुधार नहीं हो रहा है। हो सकता है कि अफगानिस्तान के विद्रोही, जिन्हें पकिस्तान से सहायता मिल रही है, पंजाब के इन आतंकवादियों की अप्रत्यक्ष रूप से सहायता कर रहे हों या हो सकता है वे प्रत्यक्ष रूप से उनकी सहायता कर रहे हों। कश्मीर में भी ऐसा ही हो रहा है। हमें एक बात सोचनी है और इनकी रोकथाम के लिए अपनी सीमा पर ध्यान देना है। हमारी सीमा की सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। यदि सरकार ने हमारी सीमाओं की देख-रेख की होती और सीमाओं की उचित ढंग से संरक्षा की होती, तो यह स्थिति नहीं पैदा होती। यह केवल आतंकवादियों को प्रशिक्षण देने और बड़े पैमाने पर हथियारों की सप्लाई का ही मामला नहीं है, परन्तु तस्करी की गतिविधियों का भी प्रश्न है। यह इस देश में तस्करों के लिए स्वर्ग बन गया है। सीमा पार से हथियार भेजे जा रहे हैं। हमारे देश मे सीमा पार से राकेट आ रहे हैं। इससे सीमा सुरक्षा बनाए रखने में हमारी कमजोरी का पता चलता है। वास्तव में इसका केवल पंजाब पर ही प्रभाव नहीं पड़ेगा बल्कि पूरे देश पर प्रभाव पड़ेगा। नक्सलवादी गतिविधियां बढ़ रही हैं क्योंकि उनके पास हथियार हैं। इन हथियारों को एक स्थान से दूसरे स्थान में वितरित किया जाता है। ऐसे क्षेत्रों को हथियार वितरित किए जा रहे हैं। यद्यपि हममें कुछ आपसी सहमति है और हमने पाकिस्तान

की नई प्रधान मंत्री, सुश्री बेनजीर भुट्टो के साथ कुछ समझौता किया है, परन्तु फिर भी समझौते की सच्ची भावना के अनुरूप कार्य नहीं हो रहा है। यह हमारे दक्षेश के देशों में हो रहा है। दक्षेश (सार्क) के अन्य देश व्यापार आदि के बारे में कुछ समझौते कर रहे हैं। वास्तव में सभी प्रकार की बातें ठीक चल रही हैं। यूरोपीय सांझा बाजार में क्या हो रहा है? परन्तु यहां हम राज्याध्यक्षों के साथ बातचीत और बैठकें करते रहते हैं परन्तु गत कुछ दिनों में स्थिति बिगड़ती जा रही है। हमने कुछ बातों को दक्षेश 'सार्क' समझौते की सच्ची भावना के अनुरूप लागू नहीं किया हैं। हमें यह देखना चाहिए कि विश्व के अन्य भागों में ऐसी बातों को किस प्रकार लागू किया गया है। विश्व के अन्य देशों ने अपने पड़ोसियों के साथ कुछ समझौता कर रखा है और उनका कार्य भली-भांति चल रहा है। यदि दक्षेश के देशों ने ईमानदारी, अधिक निष्ठा और अधिक प्रभावपूर्ण ढंग से कार्य किया होता तो ऐसी स्थिति पैदा नहीं होती। वे कौन लोग हैं जो हमारे देश में आते हैं? वे हमारे पड़ोसी मात्र हैं। अन्य सभी को हम जानते हैं। इन बातों पर हमने अनेक बार चर्चा की है। इस सबके बावजूद, वे ऐसा कर रहे हैं तथा कुछ भी नहीं रुका है। हम उसके बारे में चिंता नहीं करते हैं कि पहले क्या हुआ है। कम-से-कम हमने यही सोचा था कि अब स्थिति में सुधार होगा। आज कश्मीर में क्या हो रहा है? केवल पंजाब ही नहीं वरन देश के अन्य भाग भी प्रभावित होंगे। ये घटनाएं हमारी अपर्याप्त सीमा सुरक्षा के कारण हो रही हैं। दक्षेश की मूल भावना के अनुरूप इन बातों को लागू नहीं किया जा रहा है। मैं गंभीरता से अनुभव करता हूं कि यदि हम उचित ध्यान दें, यदि हम दक्षेश समझौतों को लागू करें तो स्थिति में सुधार होगा। हमारे देश में ये आतंकवादी घटनायें नहीं होंगी। यदि दक्षेश सिद्धान्तों को लागू किया गया होता तो अफगानिस्तान में पूर्ण शक्ति तथा सौहार्द्र होता। जिनेवा समझौते से क्या अपेक्षा की गई थी? जहां कहीं भी समझौते होते हैं वे मात्र कागज पर होते हैं तथा वास्तविकता में वे काम नहीं करते हैं। जब तक हम इन बातों को समझौतों की सही भावना के अनुरूप लागू नहीं करते हैं शान्ति तथा सौहार्द्र-भाव को बनाए नहीं रखा जा सकता है। न केवल पंजाब बल्कि देश के अन्य भाग भी प्रभावित होंगे। हमें उचित ध्यान देना होगा। हमें ध्यान में रखना होगा कि देश के अन्य भागों में क्या हो रहा है। हमारे पड़ोसी कैसा बर्ताव कर रहे हैं? हमें यह सोचकर चुपचाप नहीं बैठे रहना चाहिए कि सभी बातें किए गए समझौते के अनुरूप हो रही हैं। मैं आशा करता हूं कि हमारा मंत्रालय तथा हमारी सरकार देखेगी कि हमारी सीमायें उचित रूप से सुरक्षित रहें। हमें समुचित सुरक्षा बनाए रखनी चाहिए जिससे कि हमारी सीमायें उचित नियंत्रण में रहें। इस प्रकार की घटना नहीं होनी चाहिए। यदि ऐसी घटनायें होती हैं तो हमें केवल आमने-सामने बैठकर इधर-उधर की बातें करने और अन्ततः इसे भूल जाने की बजाय अधिक गंभीर दृष्टिकोण अपनाना होगा। मैं आशा करता हूं कि हमारी सरकार इस पर ध्यान देगी और उचित सावधानी बरतेगी तथा आवश्यक कदम उठायेगी। मैं आशा करता हूं कि वे इस देश के प्रजातंत्र की उचित रूप में सुरक्षा करेंगे।

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : सभापति महोदय, मैं अफगानिस्तान की स्थिति और अफगान विद्रोहियों के साथ मिलकर जो आतंकवाद भारत और पंजाब में फैला रहे हैं, उन लोगों के साथ तथाकथित गठबंधन की संभावना के बारे में जो चिन्ता माननीय बी० आर० भगत ने व्यक्त की है, उसके साथ अपने आपको सम्बद्ध करता हूं। गुरु तेग बहादुर गुरुद्वारा, जलालाबाद में जो भारतीय

मूल के लोग मुजाहिदीन के द्वारा छोड़े गए राकेटों के हमले के शिकार हुए है, उस पर भी गहरा दुःख व्यक्त करता हूं।

बहुत दिनों से अखबारों में छन-छनकर इस आशय की खबरें आ रही हैं कि अफगान विद्रोहियों के लिए जो हथियार एक देश विशेष से पाकिस्तान के जरिए उनको दिए जा रहे हैं, उनमें से कुछ हथियार, जिनमें खतरनाक हथियार और राकेट हैं, वे भारत में पंजाब के आतंकवादियों को पहुंच रहे हैं। ये खबरें निश्चित तौर पर भारत के लोगों के लिए और भारत की शान्ति और व्यवस्था के लिए, उसकी अखण्डता और एकता के लिए बहुत चिन्ता का विषय है।

5.33 म० प०

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

जिस प्रकार की स्थिति पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बोर्डर पर बनी हुई है, उसमें इस बात की पूरी संभावना बनी हुई है कि अफगान विद्रोहियों के लिए जो हथियार दिए जा रहे हैं, वे वे पंजाब में आ सकते हैं और उनको लाने का काम वे तस्कर करते हैं, जो मादक द्रव्यों का व्यापार करने में संलग्न हैं और पाकिस्तान मादक द्रव्यों का व्यापार करने वालों का अड्डा बना हुआ है। ऐसी स्थिति में मैं माननीय गृह मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि हमें इस बात का पता लगाना चाहिए कि वास्तव में पंजाब के कुछ आतंकवादी उन ट्रेनिंग कैम्प्स में, जिनमें अफगान विद्रोहियों को ट्रेनिंग दी जा रही है, देखे गए और यदि देखे गए, तो निश्चित तौर पर वहां से हथियार और खतरनाक हथियार लेकर पंजाब में कुछ लोग आ रहे हैं। पाकिस्तान आज भी आतंकवादियों की शरणगाह बना हुआ है। जो नेक्सेस तस्करों और आतंकवादियों के बीच में है, उसको देखते हुए और पाकिस्तान की आर्मी के स्वभाव को देखते हुए, यह हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि पाकिस्तान में बदलाव आया और वहां पर प्रजातंत्र की पुनर्स्थापना हुई और इस प्रजातंत्र की पुनर्स्थापना के साथ दोनों देशों के संबंधों में फर्क पड़ना शुरू हुआ है और दोनों देशों की जनता की भावना के अनुरूप यह है। इसके लिए हमारे प्रधान मंत्री जी और बेनजीर भुट्टो साहिबा ने जो पहल की है, उसका हम समर्थन करते हैं। इससे हमारे मन में बहुत आशाएं पैदा हुई हैं लेकिन यह आशंका अभी भी निर्मूल नहीं हुई है कि जितने ट्रेनिंग कैम्प्स पाकिस्तान के अन्दर थे, जो पंजाब के आतंकवादियों को ट्रेनिंग देते थे, वे समाप्त हो गए। यदि कोई यह सोच कर चलता है, तो वह व्यक्ति भ्रम में है। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इस बात का पता लगाने की चेष्टा की जानी चाहिए कि पंजाब के आतंकवादियों और मुजाहिदीन और कोई ऐसी गुप्तचर एजेंसी, जो भारत को डिसइस्टेबीलाइज करना चाहती है, जो यहां पर अस्थिरता पैदा करना चाहती है, उनके बीच में कोई गठबंधन है या नहीं? यदि गठबंधन है, तो जो खबरें अखबारों में छपी हैं कि अफगान विद्रोहियों की कोई शाखा भारत के अन्दर है और उस शाखा को उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान सरकार, जो हथियार वे यहां भेजते हैं, उन हथियारों को नहीं पहुंचने दे रही है। पंजाब के विद्रोहियों, पंजाब के आतंकवादियों को सावधान कर दो। यदि यह सत्य है तो इस पर गंभीर चिन्ता प्रकट की जानी चाहिए। साथ ही इस बात को ध्यान में रखा जाना चाहिए कि अफगान विद्रोहियों ने यह कहा है कि भारत सरकार अफगानिस्तान गवर्नमेंट का साथ दे रही है, उसको सहयोग दे रही है, इसलिए यह आशंका पूरी तरह से प्रबल है

कि अफगान विद्रोही आतंकवादियों को हथियार दे रहे हैं और जो अफगान यहां पर हैं उनको भी सक्रिय रहने के लिए कहा हुआ है।

बहुत सारे अफगान नागरिक यहां पर आए हुए हैं और उनमें से कुछ लोग उनके साथ सहानुभूति रखने वाले हो सकते हैं। मैं माननीय गृह मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि सरकार को बहुत सतर्कता अपनानी चाहिए और इसकी बहुत गहराई से छानबीन करनी चाहिए।

सर, हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस गठबंधन को देख सकते हैं। विदेशों में, चाहे लंदन हो, चाहे पेरिस हो, चाहे फ्रेंकफर्ट हो, भारत के विरोध में प्रदर्शन होते हैं और भारत विरोधी आतंकवादियों के द्वारा किया जाता है। उसमें कुछ साफ तौर पर पाकिस्तानी नागरिक हैं, जम्मू-कश्मीर लिब्रेशन फ्रंट के तथाकथित सदस्य हैं और पंजाब के आतंकवादी जो हैं उनके मुखबिर वहां हैं, वे हैं। वे सब मिल करके एक ही प्रकार की बात भारत के विरोध में कहते हैं। वे एक ही प्रकार का प्रचार भारत के विरोध में करते हैं और एक ही प्रकार का आरोप भारत सरकार के विरुद्ध लगाने की बात करते हैं। उन सबके बीच में एक सक्रिय सहयोग बना हुआ है। हम इस सक्रिय सहयोग को नजरअंदाज करके नहीं चल सकते। क्योंकि उस सक्रिय सहयोग का रिफ्लेक्शन यहां पर भी होता है। वह हमें देखने को भी मिलता है।

आज यह नेक्सस इतना मजबूत है कि जलालाबाद में एक धर्म विशेष के गुरुद्वारे पर अफगान मुजाहिदिनों ने राकेट बरसाये और उसमें एक धर्म विशेष के बहुत सारे लोग शिकार हो गए। लेकिन पंजाब के किसी भी आतंकवादी ने जो अपने को धर्म का मसीहा कहते हैं और धर्म के नाम पर सारी आतंकवादी भारत विरोधी, इस राष्ट्र की अखंडता के विरोध में कार्यवाहियां कर रहे हैं, उनमें से किसी एक ने भी निन्दा नहीं की। मैं अकाली दल के किसी दल की बात नहीं कह रहा हूं। मैं उनके बारे में कह रहा हूं जो आतंकवादी हैं और जो किसी धर्म में विश्वास नहीं करते लेकिन धर्म की आड़ में भारत विरोधी कार्यवाही चला रहे है। उनमें से किसी ने भी स्पष्ट तौर पर निन्दा नहीं की। उसकी निन्दा में एक शब्द नहीं कहा।

यह नेक्सस और गठबंधन इतना मजबूत है कि इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती।

सर, माननीय तम्पन थामस यहां पर आ गए हैं। बहुत अच्छा हुआ। उन्होंने ठक्कर कमीशन की बात कही। मैं उनके आक्रोश को समझता हूं। जब आदमी विफल हो जाता है तो उसमे आक्रोश आ ही जाता है।

[अनुवाद]

श्री पी० चिदम्बरम: आज का उनका भाषण उनके कल के भाषण का परिशिष्ट मात्र है।

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत: मैं तम्पन थामस जी से एक बात कहना चाहूंगा कि ठक्कर कमीशन पर सरकार यहां पर एक संकल्प लेकर के आ रही है। उस पर बहस होगी। यदि आपमें इतनी हिम्मत है और आप अपने पक्ष को तर्कसंगत समझते हैं तो उस बहस में भाग लें। आप अगर उसमें भाग लेते हैं और तर्कसंगत बातें करते हैं तो निश्चित तौर पर उसका जनता पर असर पड़ेगा।

[अनुवाद]

श्री तम्पन थामस : ठक्कर आयोग की रिपोर्ट में एक विदेशी एजेन्सी का नाम दिया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह वही एजेन्सी है जो अफगानिस्तान और पंजाब के आतंकवाद में शामिल है।

श्री हरीश रावत : मैं श्री तम्पन थामस का केवल सरसरी तौर पर उल्लेख कर रहा था।

[हिन्दी]

तम्पन थामस जी ने एक बात पर आपत्ति जाहिर की है कि इसके साथ विपक्ष को क्यों जोड़ा जा रहा है। विशेषकर उन्होंने चतुर्वेदी जी की बात कही। हम जानते हैं कि निश्चित तौर पर हमारे विपक्ष का कोई भी साथी ऐसा नहीं हो सकता जो जानबूझकर राष्ट्र विरोधी बात को सोचे। लेकिन जाने-अनजाने में कुछ लोगों के कृत्य ऐसे हैं। अगर आप कहलवाना चाहते है तो मैं साफ तौर पर कहना चाहूंगा, जिसे माननीय चतुर्वेदी ने भी कहा, माननीय प्रताप भानु शर्मा जी ने भी साफ तौर पर कहा कि 21 नवम्बर, 1987 को वर्ल्ड वर्ड नेटवर्क में अपना एक इंटरव्यू दिया। राज्य सभा के माननीय सदस्य हैं, आप लोगों के बहुत प्यारे हैं, जिनको आपने सपोर्ट करके अपने प्रांत से चुनकर यहां भेजा है, अपर हाउस में बैठे हैं, तम्पन थामस जी को पता है, उसका पूरा पेमेंट पाकिस्तान द्वारा किया गया, उसमें उन्होंने न केवल मुजाहिदीनों की तारीफ की है बल्कि यह भी कहा है कि मुजाहदीन जिस संकल्प के साथ काम कर रहे हैं, उसी संकल्प के साथ पंजाब के अन्दर भी कुछ नौजवान भारत सरकार द्वारा की गई ज्यादतियों का मुकाबला कर रहे हैं. इन्होंने दोनों को इक्वेट करने की कोशिश की है, हमें इस बात की तकलीफ है। वर्ल्ड वर्ल्ड नैटवर्क द्वारा उन्होंने प्रसारण किया या पाकिस्तान द्वारा उसका पैसा दिया गया, कोई बात नहीं, लेकिन उन्होंने मुजाहिदीनों की तुलना यहां के आतंकवादियों से की है, हालांकि मेरी नजर में भी दोनों एक ही प्रकार के लोग हैं, लेकिन गलत दिशा में हैं, उन्होंने उनकी दिशा को अच्छा बताया है। उन्होंने उनकी तुलना अच्छे डायरेक्शन में काम करने वाले लोगों के रूप में की है, इस बात की हमें तकलीफ है। यदि आपके साथ विपक्ष में इस तरह के लोग बैठे रहे तो निश्चित तौर पर हमको हक है इस बात का कि हम कहें कि इस तरह की आदत को बदलिए। आप स्वयं किससे कहेंगे, आपके भूतपूर्व अध्यक्ष पार्टी के, आजकल पता नहीं वे क्या हैं, हाई कमान में हैं या नहीं, अभी आपका दल नहीं बन पाया है, वे गोल्डन टैंपल में गए और उन्होंने सर्टिफिकेट दे दिया कि यहां पर कोई हथियार नहीं है, लेकिन कुछ दिनों के बाद ही जब वहां पर पुलिस पहुंची तो उसने ऐसे-ऐसे खतरनाक हथियार बरामद किए, जिन पर सदन में, सदन के बाहर और यहां तक कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चिंता व्यक्त की गई। आप लोग कभी भ्रम में रहते हैं कभी भूल में रहते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि इस बात का दृढ़ता के साथ पता लगाना चाहिए कि क्या अफगान विद्रोहियों का कोई यूनिट यहां पर है, यदि है तो निश्चित तौर पर उसका गठबंधन पंजाब के आतंकवादियों के साथ हो सकता है। यदि ऐसा है तो यह भारत के लिए बहुत चिंता का विषय है, सरकार को इस पर गहराई से सोचना चाहिए और इसका पता लगाना चाहिए कि अफगान विद्रोहियों को जो खतरनाक हथियार दिये जा रहे हैं वे किस तरीके से भारत के अंदर पंजाब के आतंकवादियों को मिल रहे हैं या जम्मू-कश्मीर के अंदर गड़बड़ी फैलाने वाले जे० के० एल० एफ० आदि शक्तियों

को मिल रहे हैं, यदि उनका पता नहीं लगाया गया तो यह भूल होगी। मैं समझता हूं कि इसी भावना को लेकर माननीय भगत जी इस संकल्प को लाए हैं, यह डिसकशन यहां पर लाए हैं। माननीय भगत जी ने जो चिंता व्यक्त की है, उसके साथ मैं अपने को पूरी तरह से संबद्ध करता हूं।

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया (संगरूर): आदरणीय उपाध्यक्ष जी, जिस विषय को भगत जी ने उठाया है, इस पर मैं गहराई से अपनी चिंता प्रकट करता हूं और इस बात की निन्दा करता हूं। आज जो बात सामने आ रही है जिसमें अफगानिस्तान के मुजाहदीनों और पंजाब के आतंकवादियों का संबंध होने की बात कही जा रही है, जिससे देश की एकता और अखण्डता को खतरा है, इसकी मैं पूरी तरह से निन्दा करता हूं और इसको बुरा कहता हूं, लेकिन मुझे इसके हैडिंग पर थोड़ा ऐतराज है, भगत जी को इस तरह से लाना चाहिए था—

[अनुवाद]

"इस देश में अफगान विद्रोहियों और आतंकवादियों के बीच कथित संबंध से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा करना।"

[हिन्दी]

कश्मीर में भी है, और जगह भी हैं, एक ही जगह का नाम क्यों लिया गया है, इसको थोड़ा बदलना चाहिए था। (*व्यवधान*)

मैं एक बात पर बहुत तसल्ली प्रकट करता हूं कि सारे सदन ने पंजाबियों की इस बात के लिए तारीफ की है कि आतंकवादियों, विदेशी एजेंटों, विदेशी ताकतों के डिजाइन के बावजूद पंजाबी लोग हिमालय पर्वत की तरह एक होकर खड़े हैं, उनमें डिवीजन नहीं है, इस बात के लिए सदन में प्रकट किए गए विचारों के लिए धन्यवाद देता हूं। उन्होंने पंजाबियों और विशेषकर सिख भाइयों की तारीफ की है वे किसी बहकावे में नहीं आये और मजबूती से खड़े हैं। हरीश रावत जी, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं कि आपने जो तारीफ की और कहा कि पंजाबी मजबूती से खड़े हैं, वहीं मेरे दिल में एक प्रश्न उठता है कि आंधी-तूफान के सामने एक दीपक जल रहा है, वह तूफान का मुकाबला कर रहा है, बारिश का मुकाबला कर रहा है, पंजाबियों की एकता का दीपक इस परिस्थिति में···

श्री हरीश रावत: आंधी तो एक-दो को इधर-उधर कर सकती है, लेकिन दीपक तो हजारों को रोशनी देता है।

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया: कहीं ऐसा न हो कि हम दीपक को शक्ति देने में असमर्थ हो जायें। पंजाबी पूरी ताकत के साथ आतंकवादियों से लड़ रहे हैं···

श्री हरीश रावत: इस बात पर मैं एक शेर कहना चाहता हूं कि 'फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वह शमा क्या बुझेगी जिसे रोशन खुदा करे।'

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया: हमारी एकता के दीपक को भगवान ने रोशन किया है। वाकई में आतंकवाद पंजाब के अलावा देश के दूसरे हिस्सों में भी फैल रहा है। इसीलिए चिदम्बरम् साहब ने दो अप्रैल को एक प्रश्न के उत्तर में कहा था कि

[अनुवाद]

पंजाब में प्रतिमाह मारे जाने वाले व्यक्तियों का औसत 1986 के दौरान 43.3 से बढ़कर 1988 में 162.41 हो गया।

[हिन्दी]

मैं उन लोगों में नहीं कि यह कहूं कि अकाली दल की सरकार के समय एक महीने में 43 हत्याएं हुई और गवर्नर के समय में 162 हो गई। जबकि हकीकत तो यही है, लेकिन मैं इसको मुद्दा नहीं बनाऊंगा। मैं मुद्दा यह बना रहा हूं कि चिदम्बरम् जी का यह जवाब, भारत सरकार का जवाब इस बात का सुबूत है कि आतंकवाद से कितना खतरा है और इसी सन्दर्भ में मैंने आपसे विनती की है कि पंजाब के लोगों को और मजबूत करने के लिए अभी प्रधानमंत्री जी ने कुछ कदम उठाये हैं तो हमने उनका स्वागत किया। लेकिन बड़े-बड़े लेखकों और देश के चिन्तकों ने कुछ और भी कहा है। आतंकवादियों के हाथ में कुछ टाकींग पाइंट्स हैं। वे भोले-भाले लोगों के सामने जाकर कहते हैं और भगवान का शुक्र है कि उसके बावजूद उनकी बात वे लोग नहीं सुन रहे। अगर हम उनके हाथ से टाकिंग पाइंट्स छीन लें तो हम पंजाब के लोगों को मजबूत करेंगे। कैसे मजबूत करेंगे ?

[अनुवाद]

'समझौते ने अन्य भागों, विशेषकर नवम्बर, 1984 के दंगों के लिए जिम्मेदार लोगों को दंडित करने की आवश्यकता को अत्यंत महत्वपूर्ण बना दिया है। इस मुद्दे पर सभी विपक्षी दलों ने एक स्वर में अपनी बात कही है। दंगों से सिखों को हुई मानसिक पीड़ा से उन्हें केवल तभी मुक्ति मिल सकती है, यदि दोषी व्यक्तियों को कानून के अनुसार दंडित किया जाये तथा भारतीय जनता पार्टी तक ने इस मांग को उठाया है।'

[हिन्दी]

मैं पंजाब के लोगों को मजबूत करने की बात कर रहा हूं। टोहड़ा और बादल को गिरफ्तार किया गया बरनाला जी के समय में। हम कुछ भी कहें सच यह है कि बादल और टोहड़ा को गिरफ्तार इसलिए किया कि अकाली दल बरनाला हमारी पार्टी शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी का चुनाव हार गई। वह लोकतान्त्रिक ढंग से हारी, लेकिन हमने रास्ता अख्तियार किया उनको गिरफ्तार करने का, आज दो साल से ऊपर हो गये हैं, उनको आप रिहा कीजिए। सुखजिन्दर सिंह, सैखों, कुलदीप सिंह को भी छोड़ें। आखिरकार यह साबित हो गया है कि वे लोग भी स्ट्रीम के आदमी हैं और उसमें रहते हैं। मैं एक बात और कहना चाहता हूं जो हमारी इंटेलिजेंस आर्गेनाइजेशन है, उन्होंने यह बात अखबार से पता लगने पर कही। यहां जितने माननीय सदस्य इस समय बैठे हुए हैं, उससे पहले किसी को मालूम नहीं था कि ऐसा होने जा रहा है। इसलिए हम किसी भी मामले में अखबारों पर ही क्यों निर्भर करें, पत्रकारों पर ही क्यों निर्भर करें या इन्फार्मेशन लेने के लिए अखबारों का सहारा लें। जब ऐसी बात हुई थी तो किसी न किसी तरीके से सरकार, कन्सलटेटिव कमेटी में या किसी फोरम पर जो बात आगे बढ़ रही है, उसके प्रति चौकस हो, और देश के बारे में ज्यादा सोचे। आज स्थिति ऐसी बन गयी है कि हमें सब कुछ अखबारों से ही पता चलता है। आज अखबारों में आया है कि कुछ दिनों पहले भर्ती किए गए पंजाब के एक हजार होमगार्ड्स ने नौकरी से रिजाइन कर दिया है, किनके कहने पर,

टेररिस्ट्स के कहने पर। यह अखबारों की खबर है। मैं आपके माध्यम से उसी दिशा की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि पंजाब कैसे मजबूत हो। मैं ईमानदारी से कहता हूं कि प्रधानमंत्री जी बिल्कुल ठीक सोचते हैं, उनका सोचना ठीक होगा कि पंजाब में पंचायतों के चुनाव करा दिए जायें। लेकिन मेरा कहना है कि आप पहले स्थिति को देख लीजिए। मेरे ख्याल में अभी पंजाब में चुनावों का माहौल नहीं है, वहां कुछ दूसरा मामला है। पंजाब से सम्बन्धित दोनों हाउस के एम० पीज० ने युनैनिमसली पहले कहा था कि पंचायतों के चुनाव न कराये जायें, और वहां चुनाव पोस्टपोन हो गए। आज यदि पंजाब में एक हजार होमगार्ड्स इस्तीफा इस आधार पर दे रहे हैं क्योंकि टेररिस्ट्स ने उन्हें धमकी दी है कि यदि तुम नौकरी करोगे तो तुम्हारे बच्चे मार दिये जायेंगे, यदि कल वहां चुनाव होंगे तो गांवों में डिवीजन आयेगी और विरोधी शक्तियों को बल मिलेगा, वे मजबूत होंगे और हमारे संगठन में कमजोरी आयेगी। आप आल पार्टीज की मीटिंग बुला लें, उनसे मशवरा कर लें कि चुनाव होने चाहिये या नहीं। उनसे पंजाब का ईश्यू डिस्कस कर लें और ऐसी कार्यवाही करें ताकि टैररिस्ट आम लोगों से आइसोलेट हो जायें। कैसे आइसोलेट हों, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। इन शब्दों के साथ सदन में जो चिन्ता व्यक्त की गयी है, उसमें मैं भी अपने आपको शामिल करता हूं।

श्री बृजमोहन महंती (पुरी) : उपाध्यक्ष महोदय, यद्यपि मैं इससे सहमत नहीं हूं कि इस घटना को अफगान विद्रोहियों द्वारा आतंकवादियों को दी गयी सहायता माना जाय, फिर यह कोई अपने आप में अलग-थलग घटना नहीं है, यह सम्पूर्ण घटनाचक्र का एक हिस्सा है, और उसी तरह की राजनयिक व्यवस्था दक्षिण पश्चिम में होनी चाहिए।

मैं सभा का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति एक महासंघ बनाने चाहते थे तथा अफगानिस्तान को उसी पाकिस्तानी महासंघ का एक हिस्सा बनाना चाहते थे। यह योजना वहां बनायी गयी थी। मैं सभा का ध्यान इस बात की ओर भी आकर्षित करना चाहता हूं कि जब सोवियत विदेश मंत्री की उपस्थिति में अफगानिस्तान पर विचार किया जा रहा था और जब पाकिस्तान की प्रधानमंत्री बेचारी असहाय महिला, ने सरकारी नीति को बताया था तब विदेश मंत्री ने कहा था, "महोदया, यह आपके दल की नीति है, सरकार की यह विदेश नीति नहीं है।"

जहां तक अफगानिस्तान का संबंध है, नीति का निर्धारण प्रजातांत्रिक सरकार नहीं वरन् सेना द्वारा किया जा रहा है। यही परिस्थिति की त्रासदी है। जिनेवा समझौते में यह तय किया गया है कि अफगानिस्तान सीमा पर पाकिस्तान की कोई सेना नहीं रहेगी। परन्तु उसका ही उल्लंघन हो रहा है। मैं यह कहना चाहता हूं कि जब तक उस क्षेत्र की सम्पूर्ण कूटनीति का विश्लेषण नहीं किया जाता तब तक हम इस समस्या का कोई हल नहीं निकाल सकते।

कौन नहीं जानता कि पाकिस्तान आतंकवादियों का समर्थन कर रहा है? सरकार ने जब सर्वप्रथम यह बताया था, तब विपक्ष के कुछ नेतागणों ने इसकी हंसी उड़ाई थी। परन्तु जब श्री बरनाला मुख्यमंत्री बने, और जब उन्होंने स्पष्ट रूप से जोर देकर कहा कि पाकिस्तान हस्तक्षेप कर रहा है, आतंकवादियों की मदद कर रहा है, केवल तभी इसे माना गया परिस्थिति की त्रासदी यह है कि राजनीतिक नेताओं का एक वर्ग इस क्षेत्र में स्थिति को गम्भीर बनाना चाहता है। राज-नीतिक नेताओं का एक वर्ग ऐसा है जो मुख्य रूप से कट्टर रूढ़िवादी है, परन्तु वे भारतीय देशभक्ति

तथा राष्ट्रीय अखण्डता पर भी दिखावे के तौर पर कुछ कह देते हैं। इससे हम सभी को सचेत रहना है तथा मैं चाहूंगा कि हर व्यक्ति को इससे सचेत रहना चाहिए।

अब, मैं मामले के दूसरे पहलू की बात करूंगा। यहां पर मैं पाकिस्तान के कम्युनिष्ट नेता को उद्धत करना चाहूंगा। पाकिस्तानी कम्युनिस्ट पार्टी के पोलित ब्यूरो के सदस्य श्री जाम साकी ने आज आरोप लगाया है कि पाकिस्तानी सेना देश में 120 केन्द्रों पर अफगान मुजाहिदों को प्रशिक्षण दे रही है तथा पकिस्तानी भू-भाग से कार्य कर रहे अफगान विद्रोही समूहों के साथ पाकिस्तानी तथा अमेरिकी सलाहकार संबद्ध किये गये हैं।

तत्पश्चात उन्होंने आगे कहा कि :

"पकिस्तानी सेना 23 देशों में अमेरिका की ओर से कार्य कर रही है तथा अफगानिस्तान में भी सेना की प्रतिष्ठा दाव पर लगी हुई है क्योंकि यदि वहां कोई तनाव नहीं होगा, तो पाकिस्तानी सेना रक्षा बजट के लिए ज्यादा धनराशि की मांग नहीं कर सकेगी।"

अतः यह उनकी नीति का एक हिस्सा है। सरकार का इन पर जरा भी नियंत्रण नहीं है। यहां तक कि बेनजीर के अपने भाई ने कहा है कि उसकी बहन ने प्रधान मंत्री बनने के लिए सेना को सर पर चढ़ा लिया है। सेना अभी भी नीतियों को नियंत्रित तथा निर्देशित कर रही है। इसलिए हमें इसके विषय में बहुत सावधान रहना है।

प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी की पाकिस्तान यात्रा के बाद से दोनों देशों के बीच बहुत सद्भावपूर्ण वातावरण बना है। परन्तु अब खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तानी रेंजर भारत में घुसपैठियों का सहयोग कर रहे हैं। मैंने इस बात को विदेश मंत्रालय की सलाहकार समिति की बैठक में उठाया था। मैंने गृह मंत्री जी से सवाल पूछा था परन्तु दिया गया जवाब बड़ा हास्यास्पद था। उनका जवाब था कि, "हमारे पास इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है।" मैंने गृह मंत्री से इसकी जांच करने का अनुरोध किया था। क्या हमें परिस्थिति से निपटना इस तरह से चाहिए? मैं आपको व्यक्तिगत रूप से दोषी नहीं ठहरा रहा हूं, परन्तु मैं कह रहा हूं कि कुछ नौकरशाह उस स्थिति की जटिलता और गम्भीरता को नहीं समझ पा रहे हैं जिसकी जांच की जानी है।

जिस दूसरे पहलू के बारे में मैं बोलना चाहूंगा, वह अफगानिस्तान से रूस की सेनाओं की वापसी के विषय में है। महोदय, मैं उन दिनों की याद करता हू, जब इस संबंध में भारत की नीति निर्धारित की गई थी। भारत से सोवियत संघ की स्पष्ट आलोचना नहीं की थी। मैं इस सभा में उपस्थित था जहां पर भारत ने विशेषकर श्रीमती गांधी ने टिप्पणी की थी कि यह गुट निरपेक्ष नीति है जिसका वे अनुसरण कर रही हैं। श्रीमती गांधी ने जिन नीतियों का पालन किया था, अब वे शत-प्रतिशत सही साबित हुई हैं। सोवियत संघ की सेनाओं की वापसी के बाद क्या हुआ? परिस्थिति कट्टरवादी ताकतों तथा महाशक्तियों के हाथ में आ गई है। हमें इस विषय में बहुत अधिक सावधान रहना है। मैं जानना चाहता हूं कि इस पर भारत सरकार की प्रतिक्रिया क्या है। जब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से संघर्ष करने की नीति बना ली है तो इस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है। अब परिस्थिति यह है कि हमे बेनजीर सरकार को मजबूत करना है जो कि एक प्रजातांत्रिक सरकार है। स्थिति वहां पर सेना के नियंत्रण में है तथा सेना की सहायता के बिना भारत में विद्रोहियों द्वारा कोई हस्तक्षेप नहीं हो सकता है। इस्लामी सम्मेलन, जिसमें कि

6.00 म० प०

सभी इस्लामी देश शामिल हैं, के प्रति हमारा रवैया क्या है। लगभग सभी इस्लामी देशों ने विद्रोही सरकार को मान्यता दे दी है। केवल ईरान ने ही इसका विरोध किया है। इन घटनाओं पर हमें अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करनी चाहिये। परन्तु हम स्पष्ट रूप से शान्त हैं। शूरा, जिसने सरकार गठित की है, की बैठक बन्दूक की नोंक पर हुई थी। जहां तक शियाओं का संबंध है, वे विद्रोही सरकार में शामिल अथवा सहयोगी नहीं थे। हमें बहुत सावधान रहना चाहिए तथा अपना दृष्टिकोण निर्धारित करना चाहिए। यह एक ऐसा मुद्दा है जिस पर देश को एकजुट होना चाहिए। जहां देश की अखण्डता का संबंध है, वहां संघर्ष की राजनीति नहीं होनी चाहिए। जहां हमारी स्वतन्त्रता के अस्तित्व का ही प्रश्न खड़ा हो, वहां संघर्ष की कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। जहां हमारे राष्ट्र के मूल आदर्श ही दांव पर लगे हों, वहां संघर्ष की राजनीति नहीं होनी चाहिए। राष्ट्र को एक व्यक्ति की तरह एकजुट होना चाहिए तथा लड़ना चाहिए। जहां तक पाकिस्तान का संबंध है, हमें बहुत सावधान रहना चाहिए, यद्यपि हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं तथा उनके प्रधान मंत्री संबंध सुधारने को उत्सुक हैं। मैं कहता हूं कि हमें सावधान रहना चाहिए क्योंकि हमारे पास उनके परमाणु बम बनाने के प्रयोगों तथा अमेरिका से हथियारों को आयात करने के उनके प्रयासों का अनुभव है। ये सभी बातें हो रही हैं क्योंकि श्रीमती बेनजीर का अपनी सीमा पर कोई नियंत्रण नहीं है। सियाचिन के मामले में भी सेना ने उनके अधिकार पर प्रश्नचिन्ह लगाया था। शिमला समझौता सेना को कोई हल नहीं प्रदान करता है। इन समस्याओं का हमें सामना करना है तथा उनका हल ढूंढना है।

6.02 म० प०

तत्पश्चात लोक सभा गुरुवार 6 अप्रैल, 1989/16 चैत्र, 1911 (शक) के ग्यारह बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई।

मुद्रक : चौधरी मुद्रण केन्द्र, 12/3, श्रीराम मार्ग, मौजपुर, दिल्ली-53